

प्रकाशक

वास्तु-वाड्मय-प्रकाशन-शाला

शुक्र-कुटी, फैजावाद रोड

लखनऊ

प्रथम बार

एकादश शत प्रतियाँ

मूल्य

आठ हप्या आठ आने

मुद्रक

पं० विहारीलाल शुक्ल
शुक्ला प्रिंटिंग प्रेस

लखनऊ

० इष्टदेव्यै मात्रे दुर्गायै नमः ०

समर्पण

शुक्लावाद—(शक्लावाद), तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव,
लेखक की जन्म-भूमि—में ‘स्ट्रेश्वर’ उत्तुङ्ग एवं
भव्य शिवालय (मुख्य-पृष्ठ - प्रासाद-
समाकृति) के कारक (यजमान)
परम शैव अपने पितृव्य-
वरण दिवंगत


पं० रुद्रधर शुक्ल

को

साक्ष
समर्पित ।

रद्दुव—महादेवप्रसाद शुक्ल—आत्मज
—केतव

आष-सूत्रः



सूत्रोष्टकं दृष्टिनृहस्तमौञ्जं कार्पासकं स्याद्वलम्बिसञ्ज्ञम् ।
काष्ठं च सृष्ट्याख्यमतो विलेख्यमित्यष्टसूत्राणिवदनितरज्ञाः ॥

प्राक्तिकथन

भारतीय वास्तुशास्त्र के मर्योग-पूर्ण अधिकृत एवं ऐतिहासिक ग्रंथ—धारापिष्ठ महागङ्गा ‘भोजकेव विचित्र नमग्रामण-सूत्रभाग’ वास्तुशास्त्र पर नरे दीर्घ-जालीन अवलोकन एवं अनुगमनान रा यह द्वितीय प्रयोग है। नरा प्रथम प्रयोग अप्रैली में ‘जागटरेट-पीडित’ के नप में लालनज विश्वविद्यालय में प्रदत्त है, इन प्रथम का मूलाद्धन इन विषयों के विज्ञान-धर्मी कर उठेंगे। परन्तु इनमा संचेत यहों पर पर्याप्त है कि इस अनुगमन-वार्ता की रूप-रेखा तथा कठिनत व्यतीं से विज्ञान-विद्यालय विद्यालयों ने देगा तथा पढ़ा है उनका प्रोत्तमाद्धन एवं आरीर्वाद प्रयोग ही प्राप्त हो चुका है। इन विद्यालयों में भवित्वी प्रो० अध्य्यर अध्यक्ष संस्कृत-विभाग तथा दीन फैल्डी आदा गार्डन, लालनज विश्वविद्यालय, या० प्रगत्रामुख आचार्य, भूतपूर्व प्रोत्तमाद्धन संस्कृत विभाग तथा दीन फैल्डी आफ गार्डन, प्रयोग विश्वविद्यालय, या० बावृत्तम नानेसा वर्तमान अध्यक्ष, नंदद्वारा विभाग तथा दीन फैल्डी आफ ग्रार्डन प्रयोग विश्वविद्यालय या० बावरेवद्वारा विभाग तथा

“एमी अनुगमनान एवं विविध रूप (Factual Presentation)— शुक्र. जी का अप्रैली गंगित—“A Study of Bhoja’s Samaratānganā Sūttadubōtra”— पर लालनज विश्वविद्यालय ने लेखन दो इमी रनबोरेगन (२३/१/५६) म यासटरेट की उपाधि प्रदान ही है तथा भारतीय-विज्ञान के इन मालाद्धन विद्यर पर इस अनुगमन के विदेश विद्यालयों ने यही प्रदर्शन करने द्वारा तात्त्विक विद्यालय तो उभार भी ही है, तिसमें ऐसे महत्वपूर्ण विषय ही अनुगमन विषय-प्रस्तावना ही” — प्रकाशन

उद्दीपमान राष्ट्रमाणा हिन्दी के लालित्य के एक वर्ते अमान ही वृत्ति वर्णन में नहायर हो गयेगा—इसमें मुझे यहा एवं एवं रूपतोष्य है।

इस अनुगमनान के प्रशासन रा ऐस उत्तर-प्रदेश गवर्नर ही है जिसने या० आनन्द जै विभिन्न-अनुमोदन से इन अनुगमन ता० एक वोन-रुपि (Work of outstanding merit) स्वीकार कर के अपनी दीन गार्डन तरों ही उदार नामा (Subsidy) प्रदान की है।

वास्तु-व्यविधि में यह अनुगमन ग्रन्थम् द्वा० लालनज (Manuscript) में बन्दग हुआ है, विभासा एक चौथाई ग्रन्थ वास्तु विज्ञान एवं सूत्र-विज्ञान—प्राग्निधि ही रहा है। इस द्वारा चौथाई भाग विषय-विवेचन (Iconography) तथा विद्यालय (Painting), जो इस अनुगमन ता० विनियम इस है—दूसरी ओरांति तेरी तेरी है। दीन के दो चौथाई भाग—भाज-विवेचन (House-Architecture including Palace Architecture) एवं वर्ते विवेचन ता० विवेचन (Temple Architecture) एवं विवेचन तीर्थी भाग हैं। उत्तर-प्रदेश राज्य ही यहाँ युन विद्यालय ग्रन्थ ही छहे—मिति दी गोरक्ष छो दूसरा है।

इस ग्रन्थ की अध्ययन-पद्धति एवं समीक्षा-पद्धति आदि पर आगे के औपोद्घातिक अव्याय में प्रतिपादन है। अतः यहाँ पर इतना ही विशेष संकेत आवश्यक है कि इस विषय की जिन अधिकृत कृतियों से इस ग्रन्थ के प्रणयन में विशेष सहायता मिली है उन के लेखकों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकाशित करता हूँ। प्रथम पटल—वास्तु-विद्या के प्रणयन में डा० आचार्य की मानसारीय कृतियाँ, डा० भट्टाचार्य का A study of Vastu-Vidya or Canons of Indian Architecture, डा० कैमिश का Hindu Temple तथा विश्वेश्वरनाथ रेउ का 'राजा भोज' विशेष उल्लेखनीय हैं।

द्वितीय पटल के प्रणयन में विशेष सहायता श्री वी वी दत्त की Ancient Indian Town planning से मिली है। श्री विनोदविहारी दत्त महाशय का यह ग्रन्थ अब भी प्राचीन-भारत के नगर-निवेश का एक प्रामाणिक एवं पथ-प्रदर्शक ग्रन्थ है। अतः दत्त महाशय का मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ।

अपने गुरुवर्य प्रो० अर्यर की कृपा का ऋण चुकाना असम्भव है जिन्होंने समराङ्गण-सूत्रधार को मेरे अनुसन्धान के लिये प्रस्तुत (prescribe) किया। आदि में मुझे वडा नीरस शुष्क एवं जटिल प्रतीत हुआ परन्तु अब तो यह मेरे वैद्युष्य-जीवन का एकमात्र साथी बन गया है। प्रो० अर्यर ने वास्तव में मेरे अध्ययन की एक वडी सुन्दर दिशा बताई।

आधुनिक वास्तु-शास्त्रीय अनुसन्धान के जनक (Father of the modren Researches on Ancient Indian Architecture) डा० आचार्य की कृपा एवं उदारता का भी मैं अत्यन्त ऋणी हूँ जिन्होंने समय समय पर इस कार्य में मुझे व्यापक सुझाव सुझाये।

डा० वासुदेवशरण अग्रवाल की कृपा को मैं कभी नहीं भूल सकता जिन्होंने अपने अद्भुत वास्तु-शास्त्रीय ज्ञान से मेरा चक्षुरुन्मीलन ही कर दिया। अतः डा० अग्रवाल की कृपा का किन शब्दों से बदला चुकाऊँ?

सतीयों (Colleagues) में डा० वैनर्जी तथा श्री मोतीलाल रस्तोगी (रस्तोगी नी मेरे पूर्व शिष्य हैं) विशेष धन्यवाद के योग्य हैं जिन्होंने छपते समय, प्रेस की परेशानी के समय, यदाकदा सर्वदा सहयोग देने की तत्परता दिखाई। इस अवसर पर शुक्रा प्रेस के संचालक पं० विहारीलाल शुक्रा को मैं नहीं भुला सकता जिन्होंने इस टेकिनिकल ग्रन्थ के प्रकाशन में वैयक्तिक-रूप से तत्परता दिखाई एवं अध्यवसाय किया। यह दुर्माय ही है कि तब भी कहीं कहीं अशुद्धिया रह गयी हैं।

अन्त में लालनऊ यूनिवर्सिटी के भूत-पूर्व वाइस-चॉसलर आचार्य जुगुलकिशोर को विशेष तमररण कर रहा हूँ जिन्होंने इस अनुसन्धान में वडी दिलचस्पी दिखाई तथा उत्तर-प्रदेश राज्य ने इसके प्रकाशन में सिफारिश भी की। अतः आचार्य जी की इस कृपा एवं औदार्य का मैं कृतज्ञ हूँ तथा यार यार धन्यवाद देता हूँ।

द्विजेन्द्रनाथ शुक्रा

गुडगाड़ी फैजाबाद रोड,
लखनऊ

विषय-तालिका

प्रथम पटल

वास्तु-विद्या

(१ ने ८० पृष्ठ तक)

अध्याय

पृष्ठ

१. विषय-प्रवेश

१-१२

अ. उरोदधात

१-७

ब. गर्भीका-पद्धति

७

स. प्रथमन-पद्धति

५

गर्भाद्वाग सूक्ष्मधार की मुख्यता विषया नुस्खेली

६-१२

२. भारतीय व स्तु-विद्या

१३-२३

अ. जन्म, विकास एवं विशेषता

१३-१७

ब. परम्परामें एवं प्रत्यक्ष

१७-२०

(I) दक्षिणी परम्परा

१६

(II) उत्तरी परम्परा

१८-२०

स. वास्तु-वाद्-मूर्य

२०-२२

दक्षिणी परम्परा के वान्यु-मन्थ

२०-२१

(I) प-वास्तु शास्त्रीय

२०

(II) वान्युगमनीय

२१

उत्तरी परम्परा के वान्यु-ग्रन्थ

२१-२३

(I) प-वास्तु शास्त्रीय

२१

(II) वान्युगमनीय

२२

३. वास्तु-गिरिजा

२२-२३

पैदिर वान्यु-गिरिजा

२३

वान्युगमनीयों की वान्यु-गिरिजा

२३

यूरोपीन वास्तु-गिरिजा

२३

साइर-ए-राईन वास्तु-गिरिजा

२४

रोह-ए-सौ वास्तु-गिरिजा

२४

पर्फेक्ट एंड वास्तु-गिरिजा

२५

ट्रैटीज़र्स एंड राई-ए-ली की वर्देश

२१

सूर्य-गिरिजा की वान्यु-गिरिजा

२८

पृष्ठ

पौराणिक वास्तु-विद्या

२६-२८

- (।) मत्स्यपुराण २६
 (॥) स्कन्दपुराण २७
 (॥।) गशङ्कपुराण २७
 (॥॥) अग्निपुराण २७

आगम वास्तु-विद्या

२८-२९

- कामिकागम " "

तान्त्रिक वास्तु-विद्या

२९

शिल्पशास्त्रीय वास्तु-विद्या

२९-३३

- (।) विश्वकर्म-प्रकाश ३०
 (॥) विश्वकर्मीय-शिल्प ३१
 (॥।) मानसार ३१-३३

३. समराङ्गण-सूत्रधार

- संक्षेप एवं समीक्षा ३४-५२
 औपोद्घातिक विषय ३६-३८
 पुर-निवेश ३८-४०
 भवन-निवेश ४०-४६
 यन्त्र-घटना ४६
 भवन-फर्नीचर ४६-५०
 प्रासाद-वास्तु ५०-५१
 प्रतिमा-विज्ञान ५१-५२
 चित्रकला ५२

४. समराङ्गण का स्थान

५३-५६

५. वास्तु-विद्या

- विस्तार एवं विपय ५७-६५
 वित्तार
 अ. सार्वभौमिक दृष्टिकोण ५७-५८
 व. आर्शनिक दृष्टिकोण ५८
 स. ज्योतिष-दृष्टिकोण ५९-६०
 य. भौगोलिक एवं भौगर्भिक दृष्टिकोण ६०-६१
 र. न्याननिक (Architectural itself) ६१-६५

विषय	पृष्ठ
६. स्थपति एव स्थापत्य	६६-७८
स्थपति	६६-७०
स्थापति की वोग्यताएँ	६६-६६
(i) गान्ध	६६
(ii) कर्म	६८
(iii) प्रगा	"
(iv) शील	६६
स्थपति के वर्ग	६६-७०
(i) स्थापति	
(ii) यज्ञगाहिन्	
(iii) वर्धकि	
(iv) तत्काल	
स्थपतिरों की इनामस्था के कारण	७०
स्थापत्य	७१-७४
"प्रदाग-स्थापत्य	७१
१. वास्तु-पुराप-विकल्पना	
२. पुर-निवेश	
३. प्रायाद (मन्दिर निर्माण)	
४. घजोन्द्रिति	
५. राजवेशम तथा रुद्रपेशन ने समन्वित मनन, गभा, अक्षगता, गजशला आदि	
६. जन-भान (नातिर्गार्भकुल्प वगतिया एवं भान)	
७. यज्ञ-वेदी, रामान-गता एवं योषिदोम-पिपि	
८. गवशिरिन-निवेश तथा दुर्ग-न्नना	
(i) घजोन्द्रिता	७२
(ii) स्त्र नेटी	७३
स्थापत्य तथा त्रयन	७३-७४
९. मान-योजना	७४-८०
(एतदनाम)	
अ. मान-स्त्र जन	७५
ब. त्रय-नियम-पाद	"
म. एतद निर्माण-पाद	"
ग. एतद-प्रैदान	७५

विषय	पृष्ठ
र. देव-पीड़न	७७
ल. त्रिविध हस्त-संज्ञायें	"
ब. हस्तयोजना	"
(I) 'प्राशय' हस्त का प्रयोग	७८
(II) 'साधारण' हस्त का प्रयोग	"
(III) 'शय' अथवा 'मात्राशय' हस्त का प्रयोग	"
श. मान-वर्ग	"
ष. गणना (अंक-संख्या)	७९
स. काल-संख्या	"
टि० अष्ट-सूत्र	७९-८०

पुर-निवेश

द्वितीय पटल

(८१ से २१४ पृष्ठ तक)

पूर्व-पीठिका

(८१ से १३१ पृष्ठ तक)

अध्याय

१. विषय-प्रवेश	८३-८८
(नगर-निवेश का ऐतिहासिक सिहावलोकन)	
२. भारतीय नगर-विकास	८६-९७
समराङ्गण की सामग्री पर—	८६
नगर निवास	
मन्दिर सदन	
वुर्ग सभा	
पुस्कर क्षय तथा	
सामग्रियिक निलिय	
शब्दकल्पनुम की सामग्री पर—	९०-९४
गट कटक	
हट पट	
न्यवद्वारस्थान निगम	

विषय	पृष्ठ
मुरी पत्तन	"
नगर पुटमेदन	"
मन्दिर-नगर (Temple Cities)	६५
विश्वविद्यालयीय-नगर (University towns)	६६
ग्राम-नगर	६७
नगर-विकास के दो प्रधान रूप	"
१. स्वतः-प्रवृत्त तथा	
२. पर-प्रवृत्त	

३. नगर-प्रभेद ६८-११०

समराज्ञण की नगर-नालिका ६८-१००

अ. नगर

१. ज्येष्ठ नगर
२. मध्यम नगर
३. कनिष्ठ नगर

ब. शाखानगर

- | | |
|------------|----------|
| १. राजधानी | ४. निगम |
| २. पत्तन | ५. खेट |
| ३. पुटमेदन | ६. कर्वट |
| | ७. ग्राम |

अन्य ग्रंथों की नगर-नालिका १००-११०

पृ०

- | | | | |
|--------------------|-------|--------------------------------|---------|
| १. नगर | १०१ | ७. शिविर (सिनामुख, स्वन्धावार) | १०६ |
| २. राजधानी | १०२ | ८. स्थानीय | १०७ |
| ३. पत्तन (पुटमेदन) | १०३ | ९. द्रोणमुख | १०७ |
| ४. दुर्ग | १०४ | १०. कोटमकोलक | १०८ |
| ५. खेट | १०४-५ | ११. निगम | १०८ |
| ६. खर्वट | १०५-६ | १२. मठ या विहार | १०८-११० |

४. ग्राम-प्रभेद १११-१२०

ग्राम एवं नगर १११

विषय

पृष्ठ

ग्रामों के विकास में सैन्य-प्रयोजन—कौ० अर्थ-शास्त्र	१११-१२
ग्रामों का वसति-प्राधान्य शूद्रादि कृष्णपंजीयी—	"
चाणक्य तथा मा०-पुराण, ब्राह्मणाधिवास—मयमत	११३
ग्राम-प्रमेद	११४-११६
ग्राम-निवेश के प्रमुख श्रंग	११६-११७
ग्रामों के १५ प्रमेदः—	"
१. दरडक	११७
२. सर्वतोभद्र	"
३. नन्दावर्त	"
४. स्वस्तिक	११८
५. पद्मक	"
६. प्रस्तर	"
७. कामुक	"
८. चतुर्मुख	"
९. प्रकीर्णक	"
१०. पराग	"
११. श्रीप्रतिष्ठित	"
१२. सम्पत्कर	"
१३. कुम्मक	"
१४. श्रीवत्स	११९
१५. वैदिक	"
उपसंहार	११६-२०
५. दुर्ग-प्रमेद तथा दुर्ग-निवेश	१२१-१२१
दुर्ग एवं नगर—दोनों की सामान्य निवेश परम्परा	१२१-१२२
अर्थ-शास्त्र की दुर्ग-निवेश पद्धति	१२३
समराङ्गण की दुर्ग-निवेश की दो पद्धतियाः—	"
१. अकृत्रिम दुर्ग	१२३-१२४
२. कृत्रिम दुर्ग	१२४
मानसार का दुर्गाष्टक (प्रमेदों सहित)	१२३-१२४
समराङ्गण का ग्राहकिति दुर्गपट्टक	१२४
नगरों एवं दुर्गों के निवेश की सामान्य परम्परा—स० स०	१२५
स० स० के अनुसार दुर्ग तथा शिविर—दो अलग चीजें	१२५
दुर्ग-विभाजन	१२६
आ. कृत्रिमदुर्ग—दुर्ग-नगर	"

विषय	पृष्ठ
१. अकृतिवर्ग (प्रकृति-प्रदत्त उपादानों से)	१२६
१. पार्वत-वर्ग	"
(i) प्रान्तर	
(ii) गिरिपाश्वर्क	
(iii) गुहा-वर्ग	
२. जल-वर्ग	१२७
(i) अन्तर्द्वीप	"
(ii) स्थलवर्ग	"
३. मरुवर्ग	"
(i) निश्चक	"
(ii) धान्वन	"
४. वन-वर्ग	"
(i) खाङ्गन	"
(ii) स्तम्भगहन	"
५. मही-वर्ग	"
(i) पारिघ	"
(ii) पंक	१२८
(iii) मृदुवर्ग	"
६. नृ-वर्ग	"
(i) सैन्य-वर्ग	"
(ii) सहायतुर्ग	"
७. सिंशु-वर्ग	"
८. दैव-वर्ग	"
समराङ्गण का वर्ग-निवेश	१२८-८
शिविर	१२८-३१

उत्तरपीठिका

अध्याय	(१३२ से २१४)	
१. विषय-प्रवेश		१३२—३६
नगर-निवेश का सास्कृतिक प्रयोजन		१३२
भारत की प्राचीन ६४ कलायें		१३२-४
नगर-विकास एवं कलाओं के विकास का अनुपङ्ग		१३५
नगर-निवेश का चतुर्दशाङ्ग क्षेत्र (scope)		१३६

विषय	पृष्ठ
देश चयन एवं भू-परीक्षा	१३७-४७
देश-चयन	१३७-३८
प्रकृति, जनपद एवं जलवायु	"
मत्स्य पुराण	१३८
आचार्य शुक्र	"
ऋषि मानसार	"
मुनि मय	"
भोज (स. सू.)	१३८-३९
भू-परीक्षा	१३९-४३
भू-स्थल-परीक्षा	१३९-४०
सामान्य योग्यताएँ	"
देश एवं देश भूमिया	१४०
(I) जागरा	देश
(II) अनूप	"
(III) साधारण	"
नगर-निवेशोचित १६ देश-भूमियाँ	१४०-४१
दुर्ग-निवेशनोचित चार भूमियाँ	१४१
भूमि-परीक्षा	
(I) गन्ध	१४१
(II) वर्ण	१४२
(III) स्वाद	"
(IV) स्पर्श	"
(V) घनि	"
भूमिपत्र-विचार	१४२-४३
मृत्तिका-परीक्षा	१४३
प्रथम-प्रक्रिया	१४४
दूसरी ,	"
तीसरी ,	१४५
चौथी ,	"
दिक्क-परीक्षा	१४५-४७
शंकुस्थापन-विधान	१४५
शंकु-निर्माण-प्रक्रिया	१४६
भूमि-परीक्षण के दो आधार-भूत सिद्धान्तः—	१४६-७
१. समाजशास्त्रीय (Sociological) दृष्टिकोण	
२. भूर्गमशास्त्रीय (Geological) दृष्टिकोण	

विषय	पृष्ठ
३. पद-विन्यास	१४८-५८
प्रयोजन	१४८
पद-विन्यास एवं वास्तु-पुरुष-विकल्पन अष्टाग स्थापत्य का प्रथम श्रंग १४६	
पद-विन्यास की विभिन्न योजनायें	
तीन प्रमुख योजनायें	
एकाशीति पद (परमशायिक)	१५०-५२
रेखा-चित्र	१५२
शतपद (आसन) रेखाचित्र	१५३
चतुष्पट्टि-पद (चण्डित अथवा भेकपद) रेखाचित्र	१५४
वास्तु-पद-प्रयोग	१५५
वास्तु-पुरुष	
श्रंगदेव	१५५-६
पददेवों का निघण्डु	१५६-७
पद-विन्यास का वैज्ञानिक समीक्षण	१५७
महामर्म, मर्म एवं मर्मवेध, भवनाग एवं मर्म	१५८
४. मार्ग विनिवेश	१५९-६६
मार्ग-विनिवेश-प्रयोजन	१५९
मार्ग-संख्या	"
वास्तु पद-योजना एवं मार्गविनिधेश	"
पुर के विभिन्न मार्ग	१६०
पुर के प्रधान मार्गों का रेखाचित्र	१६१
मार्ग-विनिवेश में दिक् सामुद्र्य	१६२
मार्ग-विनिवेश की विभिन्न पढ़तिया	"
मार्गों की विभिन्न संशयें-पुर-निवेश मार्ग-निवेश पर आधारित	१६३-६४
मार्ग-विस्तार	१६४
पदार्थ (फूट-पाथ)	१६५
मार्ग-चतुष्पथ	"
मार्ग की नालिया	१६६
५. पुर-वस्तियां (जातिवर्णाधिवास)	१६७-७६
पुर-वस्ति एवं पद-विन्यास	१६७
प्राचीन पुर-वस्ति का स्वरूप	
जाति-वर्णानुरूप पुर-वस्ति	"
विभिन्न ग्रन्थों की पुर-वस्तिया—	
१. उमराङ्गण-यत्रधार-पुरवस्ति- तालिका	
अ पेशेवार	१६८-६९

विषय

	पृष्ठ
व. जातिवर्णनुरूप	१६६
स. पुर-वसति एवं राज-निवेश	१७०
य. राज-वेशम का पुर-वसति में स्थान	"
२. अग्नि-पुराण की पुर-वसति की तालिका	१७१
३. कौटिल्य की तुर्ग अथवा पुर-वसति की तालिका	१७३
४. शुक्राचार्य की पुर-वसति	१७४
५. मध्यमत की पुर-वसति तथा ग्राम-वसति	१७४-७६
६. पुर-वसति एवं पद-चिन्यास	१७६
७. देवतायतन—मण्डप एवं आरामोद्यानादि—पुरज्ञन-विहार—	१७७-८४
अ. देवतायतन	१७७-८१
देवतायतन-परम्परा	१७७-८८
समराङ्गण की पुर-देवतायतन-तालिका तथा अन्य ज्ञातव्य	१७६-१८०
समराङ्गण एवं अग्निपुराण के देवर्वग का साम्य तथा अन्य	१८०
ग्रंथों का वैषम्य	
देवतायतन-प्रतिष्ठा का सास्कृतिक महत्व	१८१
मण्डप-विधान	
व. आरामोद्यानादि	१८१-८४
आधुनिक उद्यान नगरों की पृष्ठभूमि के प्राचीन पुर-निवेश में	
दो हृष्टिकोणः—	१८२-८३
१. अकृत्रिम	
२. कृत्रिम	
वृक्षपूजा एवं वृक्षारोपण की प्राचीन परम्परा	१८३-८४
हिन्दू-जीवन में पादपों का अनिवार्य धार्मिक साहचर्य	१८४
गृह-निर्माण एवं वृक्षारोपण में इष्टापूर्त, अपूर्त—वापी, कूप, तङ्गाग,	
मन्दिर, वृक्षारोपण	"
प्राचीन ग्राम—उद्यान-नगर के रूप में	"
८. रक्षा-संविधान (प्राकारादि-विनिवेश Fortification)—	१८४-८२
प्राकारादि-विनिवेश का रहस्य एवं ऐतिहासिक उपोदात में उसके	
विभिन्न सौपान	१८४-८२
समराङ्गण के अनुसार रक्षा-संविधान का पञ्चाङ्गः—	
१ वग्र एवं परिग्रा	१८४-८८
२ प्राकार	१८८-८६
३. अट्टालक	१८८-८०
४ चरिका	"
५. गोपुर-डार	१८०-८१

विषय		पृष्ठ
६. समराज्ञण के पुरद्वार		१६१
अ. महाद्वार		
ब. बक्त्रद्वार		
स. पक्षद्वार		
प्रतोली		१६१-२
४. रथ्या		१६२
५. पुर-आकृति एवं गर्हित पुर		१६३-६७
पुर-आकृतियाँ		१६३
पुर की प्रशस्त आकृति का सर्वंघ उमके सुन्दर सन्निवेश पर आधारित „		
पुर की सर्वाधिक प्रशस्त आकृति—चतुरश्र		१६४
इसके विपरीत आकृतिया गर्हितपुरों की जनक „		
गर्हित-पुर		१६५
१ छिन्नकर्ण		„
२ विकर्ण		„
३ वज्राकार		„
४. सूचीमुख		„
५. चतुर्ल		„
६ व्यञ्जनाकार		१६६
७ चापाकृति		„
८ शकटद्विसमाकार		„
९ द्विगुणायत-मंस्थान		„
१० दिढ़ मूढ़		„
११ भुज़ङ्ग-कुटिल		१६७
१२ यवमध्याकृति		„
१३ मृदज्जाकृति		„
६. आधुनिक नगर-निवेश में प्राचीन नगर-निवेश (की देन)		१६८-२१४
आधुनिक नगर-निवेश		१६८-२०६
आधुनिक नगर-निवेश प्राचीन नगर-निवेश का संस्करणमात्र		१६८
युगानुरूप आधुनिक नगर-निवेश के विभिन्न निवेश्य		१६९
नगर-निवेश में मास्टर सान		२००
बुहद्-योजना की १४ विशेषतायें		२००
आधुनिक नगर के द्वादश अवयव		२०१
नगर-निवेश मरडल के भाग्यक		२०२
नगर-निवेश के मान चित्र		„
वायु-यानीय पर्यवेक्षण		„
नगर-निवेश में रैखिक तथा भौतिक-दो योजना-पद्धतियाँ		„
नगर-निवेश एवं प्रयोजन—विभिन्न न्यून नगर		„

विषय	पृष्ठ
आधुनिक नगर के अभीप्सित ६ वर्ग—	२०३
वृहद्-योजना के ७ अंग, उनमें प्रमुख हैः—	२०४-५
१ भवन-योजना	२०५
२ विस्तार-प्रस्तार तथा विकास-योजनायें	"
३ मार्ग-विस्तार-योजना	२०६
४ स्तम्भ-सुधार अथवा संहार	"
प्राचीन नगर-निवेश की देन	२०६-१२
प्राचीन नगर-निवेश के बहुत से घटक आजकल व्यथ	२०६
नगर-निर्माण, नगर-सुधार एवं नगर-संहार	२०७
नगर-निर्माण	"
अ—शाखानगर	२०८
ब—केन्द्र-निवेश	२०९
स—पद-विन्यास	"
य—शाल-भवन	२१०
नगर-सुधार एवं नगर-संहार	"
प्राचीन काल का नगर-निवेश-विभाग	"
नगर-सुधार नगर-संहार पर आश्रित है	२११
आवादी का नियमन-नियम (मा० पु० एवं दे० पु०) 'वाहिरिका'	
नगर-निवेश में चारूता	
केन्द्र, मार्ग चतुष्पथ तथा पुर-दिशाओं पर भूपा-विधान	२१२
१० उपसंहार—	२१२-४
परिशिष्ट	
अ. पुर के रेखाचित्र	२१७-२०
१ दण्डक	२१७
२ नर्वतोभट्ट	"
३ नन्यावर्त (चतुरथ)	२१८
४ " (चतुर्ल)	"
५ स्वस्तिक	२१९
६ पद्मक	"
७ कार्मुक	२२०
८ प्रस्तर	"
थ समराङ्गण-वास्तु-कोप की स्प-रेखा	२२१-३२ व
? वास्तु-कारण	२२१-३२
२ पुर-कारण	२३२-३२ व
स. ग्रन्थ के अवतरण (संक्षिप्त समराङ्गण)	२३२-५४

वास्तु-विद्या

विषय-प्रवेश

अ. उपोद्घात—

महाराज भोजदेव की जीवन-गाथा भारतीय इतिहास में हने गिने राजपिंयों की गाथा में एक है। प्राप्त एवं अर्ध-प्राप्त भारतीय ऐतिहासिक सामग्री में राजपि 'प्रियदर्शि' अशोक, महाप्रतापी महाराज विक्रमादित्य के बाद भारतीय जन-समाज में अतिप्रसिद्ध राजा भोज ही हुआ है। महाराज विक्रमादित्य का यदि न्याय प्रसिद्ध है तो महाराज अशोक का धर्म-प्रचार और महाराज भोजदेव की साहित्यिक गरिमा। भारत की ऐतिहासिक संस्कृतिक विकास-परम्परा में धर्म एवं दर्शन के बाद ही साहित्य का स्थान आता है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, सूत्रग्रन्थ, पुराण एवं स्मृतियों के बाद ही, अर्थात् श्रुति एवं स्मृति के उपरान्त ही लौकिक साहित्य—काव्य, नाटक, अलंकार, ध्वनि, कथा तथा आख्यातिक आदि का विकास पाया गया है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति के व्यापक विजृम्भण में भोजदेव संस्कृतिक विकास की पराकाष्ठा के प्रतीक हैं। उनके राज्यकाल में सत्कृत-साहित्य के चरमोत्कर्ष से इस तथ्य की पुष्टि होती है।

इस देश में संस्कृति के समन्युत्थान में जहाँ पारदर्शी मंत्रवृद्धा महर्पिंयों ने पथ प्रदर्शन किया वेद-विद् ब्राह्मणों ने धर्म और दर्शन के अनुराग रक्षण में एवं परमार्थ-चिन्तन में तपस्या एवं साधना का आश्रय लेकर संस्कृति के जीवन में जीवन फूँका। और इस प्रकार इन लोगों ने भारतीय संस्कृति के आम्बन्तरिक कलेवर अर्थात् आध्यात्मिक जीवन के विकास को पराकाष्ठा तक पहुँचाया, वहाँ अशोक, विक्रम और भोज ऐसे राजपिंयों ने भारतीय संस्कृति के बाह्य कलेवर अर्थात् भौतिक जीवन के समन्युत्थान में महान् योगदान दिया।

भारतीय जीवन सदैव राजसत्ता एवं राजतन्त्र से अनुप्राणित एवं प्रभावित रहा—यथा राजा तथा प्रजा—की कहावत सर्वथा इस देश में चरितार्थ रही। देश के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन एवं कलात्मक जीवन का आश्रय राजा ही तो रहा। सारतीय जीवन की विभिन्न भौतिक परम्परायें—गृह्य, गीत, बाद्य, काव्य, साहित्य, नाट्य आदि ललित कलायें एवं वास्तु तथा स्थापत्य एवं चित्रकर्म आदि उपरोगी कलायें—राजाश्रय पाकर ही तो पनपी। लेखक की तो धारणा है कि भारतीय संस्कृति के बाह्य कलेवर—भौतिक-पक्ष की पुष्टि राजाश्रय पाकर ही सम्भव हुई। पुराणों की रचना धर्मप्रचारक ब्राह्मणों ने की। शिवपूजा, विष्णुपूजा की माहात्म्य-मन्दाकिनी के भवहण का श्रेय ब्राह्मणों को है परन्तु कालान्तर में पुराण-प्रतिपादित शिवपूजा और विष्णुपूजा के उपासना-स्थल प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों, वृहद् एवं विशाल मन्दिरों की स्थापना तथा निर्माण का श्रेय तत्कालीन राजाओं को ही है। विना राजाश्रय पाये सम्भवतः ही किसी स्थापत्यकला एवं वास्तु-कला निर्दर्शक प्रासादनिर्माण एवं प्रतिमनिर्माण सम्भव हुआ हो।

भारत के प्राचीन विभिन्न-कालीन स्मारकों की (अजन्ता, एलौरा के गुहामन्दिर, दक्षिण के विमानाकृति प्रासाद, उत्तर के उत्तुंग शिवालय एवं विभिन्न वौद्ध विहार, चैत्य तथा स्तूप आदि तथा जैनों के जाज्वल्यमान जिनालय आदि—देखिये पर्सी ग्राउन आदि—वास्तुकला विषयक लेखकों के ग्रन्थ) निर्माण-गाया में तत्त्वालीन मरडलेश्वरों की वदान्यगा, दानशीलता, वास्तुकला-प्रियता एवं अपूर्त (वापी, कृप, तड़ाग, प्रपा, पुण्यशाला, धर्मशाला, मन्दिर आदि निर्माण-कार्य) के सचय के ओजस्वी प्रमाण प्रत्यक्ष हैं ।

महाराज भोजदेव का अवतरण मालव राजमन्त्र पर उस समय हुआ था । जब हिन्दू-राज्य-सत्ता का सूर्य अस्त हो रहा था । ११वीं शताब्दी के पूर्व ही देश में मुस्लिम सत्ता ने जड़ पकड़ ली थी । दीपक जब दुभने लगता है तो एक बार पुनः चकाचौथ करने वाला प्रकाश करता है । भोजराज का राज्यकाल इसी कहावत की अतिरिक्तजना है । काव्य-राधना, ग्रन्थरच्चना, कविगोष्ठी, विदग्ध-वैदग्ध आदि तभी शोभित होते हैं, पनपते हैं और जागरूक होते हैं जब जीवन सुखद एवं शान्त होता है । वैभव एवं ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है । भोजदेव के राज्यकाल का साहित्यक वैभव तत्कालीन सुखद जीवन के विना कैसे सम्भव था । कहा भी जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है । सामाजिक जीवन की छाप तत्कालीन निर्मित साहित्य पर अवश्य पड़ती है ।

महाराज भोज के सम्बन्ध में जो किम्बदन्तियाँ एवं जनश्रुतियाँ जन-समाज में आज तक परम्परा से प्रचलित हैं, भोज के सम्बन्ध में जो विभिन्न उल्लेख परवर्ती ग्रन्थकारों के ग्रन्थों में पाये जाते हैं, अथवा भोज में सम्बन्धित जिन प्रशस्तियों एवं दान-पत्रों की उपलब्धि हुई है—इन सभी से इतना तो असन्दिग्ध रूप में कहा जा सकता है कि भोज का राज्यकाल संस्कृत साहित्य का एक स्वर्ण युग था । भोज की अतिरिक्त शैली और उसका ऐश्वर्य उसकी सभी साहित्यिक कृतियों में एवं कार्य-कलापों में पाया जाता है ।

भोज के समय की इस सर्वाङ्गीण समृद्धि एवं शाति तथा सुख के कारण ही उसके समय में मंस्कृत-साहित्य के चरमोत्कर्ष के दर्शन होते हैं । अतः भोज के समय को हम यदि संस्कृत-साहित्य के समस्युत्थान का चरम काल कहें तो अत्युक्ति न होगी ।

भारत के सास्कृतिक विकास के वाल्यकाल में साहित्य की अद्वितीयता, सगलता एवं स्वच्छन्दता तथा शुद्धता के दर्शन वेदो-उपनिषदों के काल में हम पाते हैं । महाकाव्य—गमायण एवं महाभारत—तथा पुण्याणि के युग में उसके कैशोर-जीवन के चाच्चल्य एवं उद्धाम प्रवाह का दर्शन करते हैं । कालिदास आदि कवि-नुंगवों के काव्य में उसके स्थैर्य एवं सौन्दर्य का साक्षात्कार पाते हैं । क्रमग्र. भोज के काल में साहित्य-पुस्त्र अपने प्रीढ़त्व को प्राप्त कर मजावट और बनावट, शृङ्खार एवं विलास की सभी सम्यक्तन चेष्टाओं के लिये और डाट-गट बनाने के लिये जीता ज गता जागरूक प्रतीत होता है । एक गव्द में भोजदेव ने समय में जीवन एवं साहित्य के सभी क्षित्रों में हम एक अतिरिक्त महान ईंग्ली—grand and eloquent Style का साक्षात्कार करते हैं । यह भोज-विनिर्मित विभिन्न ग्रन्थों के परिग्रेलन ने पद-पद पर प्रतीत होता है ।

भोज के शृङ्ख-प्रकाश, सन्स्कृतिक रस्ताभन्न तथा गजमार्त्तग्न आदि प्रसिद्ध ग्रन्थ

पैडित-परम्परा में वेदे गौरव से गिने ही जाते हैं, सर्मराङ्गण-सूत्रधार की उपलब्धि से महाराज भोज की वास्तुशास्त्रीय देन से भोज की स्थिर कीर्ति में चार चाद लग गये हैं।

राजा भोज स्वयं वडा विद्वान् था। वह विद्वानों का वडा आश्रयदाता था। उसका राज्य-रखार जहाँ शासन और न्याय के लिये प्रसिद्ध था वहाँ उसकी धब्रल कीर्ति का कारिण उसका संस्कृत-विद्यानुराग था। भोज के दरवार के सम्बन्ध में तो उसे यदि एक विद्यो-पीठ अथवा अनुसन्धानशाला या गवेषणा-पीठ के नाम से पुकारा जाय तो अत्युक्ति न होगी। काव्य-स्वाद का दैनिक मनोरंजन की सामग्री में एक अत्यन्त उच्चर्ष्यन्ति था, विभिन्न कवियों को काव्य-रचना का प्रोत्साहन तो इसी से अनुमित है कि एक-एक श्लोक पर एक-एक लक्ष पुरस्कार की वात तो आज तक लोगों में प्रसिद्ध है। परन्तु भले ही इनमें ऐतिहासिक सत्यता न हो परन्तु भोज के नाम से लगभग ३ दर्जन ग्रन्थों की जी उपलब्धि हुई है। उससे तो विद्वान् यह निष्कर्प निकाल ही सकते हैं कि भोज ने स्वयं अथवा विशेषज्ञ विद्वानों द्वारा संस्कृत-वाढ़मय के विभिन्न कलेवरों पर अन्य लिखकर अथवा लिखवाकर संस्कृत-साहित्य के भरडार को अमूल्य ग्रंथरत्नों से भरा। साहित्य के प्रायः सभी मुख्य अंगों पर निषणात ग्रन्थों की रचना विना अनुसन्धान, गवेषण एवं मनन के नहीं हो सकती। अतः स्पष्ट है कि भोज ने साहित्य-रचना में वडा योग दिया। भोज के नाम से ज्योतिष, अलंकार, योगशास्त्र, राजनीति, धर्मशास्त्र, शिल्प, नाटक, काव्य, व्याकरण, वैद्यक, शैवमत, संस्कृत-कोष आदि निम्नलिखित ३४ ग्रन्थों की उपलब्धि हुई है:—

ग्रन्थ

विषय

१. राज-मृगाङ्क	ज्योतिष
२. राज-मार्तरेड	"
३. विद्वज्जनवल्लभ-प्रश्नशास्त्रान्त	"
४. आदित्य-प्रताप-सिद्धान्त	"
५. भुजवल-निवन्ध	"
६. सरस्वती करणाभरण	अलंकार
७. शृङ्गार प्रकाश	"
८. राजमार्तरेड-योगसूत्र-वृत्ति	"
— पातञ्जल योगसूत्र-टीका	योग
९. पूर्तमार्तरेड	राजनीति और धर्मशास्त्र
१०. चार्णक्य राजनीति शास्त्र	" " "
११. व्यवहार समृद्धय	" "
१२. चारु-चयी	" "
१३. विविध विद्या-विचार चतुर्ग	" "
१४. सिद्धान्तसार पद्धति	" "
१५. सर्मराङ्गण-सूत्रधार	शिल्प
१६. युक्ति-कल्पतरु	"

१७. भौजन्नमूर् (चम्पूरामायण) पांचकारड	नाटक और काव्य
१८. महाकाली-विजय	” ”
१९. विद्वा-विनोद	” ”
२०. शृङ्गारमजरी (गच्छकाव्य)	” ”
२१. कूर्मशतक (प्राकृत)	” ”
२२. प्राकृत-व्याकरण	व्याकरण
२३. सरस्वती-करणाभरण	”
२४. विश्रान्तविद्वाविनोद	वैद्यक
२५. आयुर्वेद-सर्वस्व	”
२६. राजमार्तण्ड-सार-संग्रह	”
२७. तत्त्वप्रकाश	शेषमत
२८. शिवतत्व-रत्न-कलिका	”
२९. सिद्धान्त-संग्रह (विवृतिः)	”
३०. नाम मालिका	कोष
३१. शब्दानुशासन	”
३२. शालिहोत्र	विभिन्न विशय
३३. सुभाषित प्रबन्ध	”
३४. राजमार्तण्ड (वेदान्त)—ज्योतिष से भिन्न	”

इस विभिन्न-विषयक ग्रंथ-तालिका से भोज के उद्घट ग्रंथकार होने में तो किसी प्रकार संदेह हो ही नहीं सकता क्योंकि विभिन्न परवर्ती ग्रंथकारों ने भी भोज का विभिन्न-विषयक आचार्यत्व स्वीकार किया है। विशेषकर धर्मशास्त्र, ज्योतिष, वैद्यक, कोष, व्याकरण आदि के अनेक लेखकों ने अपने अपने ग्रन्थों में इस तथ्य का निर्देश किया है।

Aufrecht की पुस्तक सूची में लिखा है कि शूलपाणि ने अपने वनाये प्रायशिच्चत्-विवेक में, वौद्ध लेखक दशमल ने, अल्लाइनाथ ने और खुनन्दन ने अपने-अपने ग्रन्थों में भोज का धर्मशास्त्र के लेखक के नाम से उल्लेख किया है। भावप्रकाश और माधवकृत रुग्मविनिश्चय में भोज को आयुर्वेद के ग्रन्थों का लेखक कहा गया है। केशवार्क ने भोज को ज्योतिष सम्बन्धी ग्रन्थों का लेखक माना है। क्षीरस्वामी, सायण और महीप ने भोज को वैयाकरण और कोषकार की उपाधियों से विभूषित किया है। कवि चित्तप, दिघेश्वर, विनायक-गङ्कर मरस्वती और कुटुम्बदुहित्रु ने भोज की काव्य-शक्ति की प्रशंसा की है।

इसी प्रकार अन्य कई लेखकों ने भी इनकी प्रशंसा में अनेक श्लोक लिखे हैं। सैक्षेप में उनका धोजा सा उल्लेख करना यहाँ अकंगठ न होगा।

मतामतोगाभ्याय कुण्ठुत्वामी द्वारा समादित, गवर्नर्मेट औरिन्टल मैन्युस्क्रिप्ट लायब्रेरी, मद्रास री मंस्ट्रन पुस्तकों की सूची भा. ३ खरट १ वी. पृ. ३३६२-६४ में सूचित “गद्ब नामाज्यम्” नामक व्याकरण ग्रन्थ में भोजीय व्याकरण के सूची के अनुसार शब्द-सिद्धि दी गयी है। साथ ही इसमें अन्य व्याकरणाचार्यों के मतों का भी उल्लेख है। अतः भोज का व्याकरण-वैद्यक एवं तद्विषयक ग्रंथ-निर्माण अनन्दिग्रह है।

इसी प्रकार पूर्व निर्दिष्ट श्रो. मै. ला०, मद्रास की संस्कृत-पुस्तक-सूची में ‘गिरि-राजीय-टीका’ नामक एक पुस्तक की प्रति की सूचना है जो काठ्यवेम द्वारा लिखित ‘अभिज्ञान-शाकुन्तलम्’ की टीका है। उसमें लिखा है:—

मुनीना भरतादीनां भोजादीनां च भूभृताम् ।

शास्त्राणि सम्बगालोच्य नाथ्यवेदाधार्थवेदिनाम् ॥

इस उद्धरण से प्रकट है कि भरत मुनि के समान ही राजा भोज भी नाथ्यशास्त्र का आचार्य माना जाता था ।

इसी प्रकार श्रो. मै. ला०, मद्रास की संस्कृत सूची में ‘स्मृतिरत्नम्’ नामक ग्रन्थ में ग्रन्थ-कार लिखता है:—

भोजराजेन यथप्रोक्तं समार्थमन्यत्र चोदितम् ।

न्यायसिद्धं च संग्रह वचनानि पुरातमैः ॥

अनुष्टानप्रकाशार्थं स्मृतिरत्नं मयोच्चते ।

इसी अवतरण से मतद्वैविध्य नहीं कि भोजराज धर्मशास्त्र के भी आचार्य माने जाते थे ।

इस हस्तलिखित सूची में ‘कन्दप-चूडामणिः’ नामक कामशास्त्र विषयक ग्रन्थ का उल्लेख है। इसके रचयिता श्री वीरभद्र राजा ने अपने ग्रन्थ में लिखा है:—

भोज हृवायं निरतो नानाविधानिबन्धनिर्माणे ,

समयोच्छिन्नप्राये सोधोगः कामशास्त्रेऽपि ।

अर्थात् इनसे भोज का अनेक ग्रन्थ-रचना-पाठ्य एवं उसकी प्रसिद्धि सुतरा सिद्ध ही है ।

इसी प्रकार ‘सङ्गीत रत्नाकरः’ नामक पुस्तक में शार्ङ्गदेव जी लिखते हैं:—

उद्गटोनभिभूपालो भोजभूव्याभस्तथा ।

परमार्दी च सोमेश्वो जगदेकमहीपतिः ॥

ध्याद्यातार ।

इस उल्लेख से राजा भोज का संगीत-शास्त्र का आचार्य होना पाया जाता है इसी प्रकार ‘संगीत-समय-सारः’ नामक ग्रन्थ में (देलिये कु० स्वा० द्वारा सम्पादित संस्कृत हस्तलिखित पुस्तक-सूची) ग्रन्थकार पाश्वर्देव लिखते हैं:—

शास्त्रं भोजमतङ्कश्यपसुखा ध्वातेनिरे ते पुरा

जिससे सुतरा सिद्ध है भोज ने संगीत शास्त्र पर प्रसिद्ध रचना की ।

अथवा “भेषज-कल्पसार-संग्रह” (मद्रास संस्कृत हस्तलिखित पुस्तक-सूची) में ग्रन्थकार ने ग्रन्थ के प्रारम्भ में लिखा है:—

बाहटे चटके भोजे वृहद्दोजे च हारिते

इस उल्लेख से भोज के आयुर्वेदाचार्यत्व पर शंका नहीं हो सकती ।

इसी प्रकार अनेक परवर्ती ग्रन्थकारों ने भोज के ग्रन्थों पर तथा उसके आचार्यत्व एवं अनेक-शास्त्र-पादित्य पर प्रकाश डाला है। साथ ही माथ भोज के काव्यानुराग एवं कवियों को आश्रय-

दान तथा उनकी दान-महिमा आदि विभिन्न वरेण्य गरिमाओं पर प्रचुर सामग्री प्राप्त होती है। यही नहीं भोज के समकालीन कवि, उसके दरवार की छटा, उसका राज्य-विस्तार उसके समय आदि पर भी यत्र तत्र वहुल सामग्री प्राप्त होती है।

अतः इस सब सामग्री को एकत्रित कर भोज के सम्बन्ध में अनुसंधान-कार्य का एक महत्वपूर्ण ज्ञेय विद्वानों के सम्मुख है। भोज के सम्बन्ध में अविकल रूप से ग्रंथ-प्रणायन का श्रेय श्री विश्वेश्वरनाथ रेख को है जिन्होंने अपने 'राजा भोज' नामक हिन्दी ग्रंथ में भोज से सम्बन्धित यत्र तत्र प्राप्त, श्रुत एवं पारम्परित सामग्री का उल्लेख करके राजा भोज के वंश, समय, तिथि तथा जीवन एवं कार्य के साथ-साथ उनकी साहित्यिक कृतियों की सूची एवं दरवारी कवियों के विवरण पर लगभग ४५० पन्नों की एक किताब लिखी है। इस पुस्तक में भोज के सम्बन्ध में एकत्रित सामग्री हमारा मनोरंजन कर सकती है एवं ऐतिहासिक जानवृद्धि में भी योग दे सकती है। परन्तु भोज की साहित्यिक समीक्षा अर्थात् उनके ग्रंथों का गवेषणा या अनुसंधान हमको इसमें नहीं मिलेगा। अतः भोज ऐसे साहित्यिक महारथी की कृतियों के एक अनुसंधानात्मक ग्रंथ की अत्यन्त आवश्यकता देखकर ही लेखक इस विषय की ओर आकृष्ट हुआ।

अतएव इस माहित्यिक महारथी एवं महान् रूप के सम्बन्ध में, अनुसंधान करने के लिये लेखक ने 'राजा भोज—उसका जीवन एवं उसकी कृतियाँ' शीर्षक विषय लेकर म. १६८० ई० में (जब लेखक एम० ए० परीक्षा में लखनऊ विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हुआ था) अनुसंधान कार्य करने की ठानी थी परन्तु विभिन्न जीवन जटिलताओं एवं समयाभाव के कारण यह अनुसंधान कार्य लगभग ७ वर्ष तक यों ही पड़ा रहा। उभर जब से लेखक को लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यापन का अवसर (मंस्कृत-विभाग में अव्यापक के स्पष्ट में) प्राप्त हुआ तो इस अनुसंधान के मंवंव में नवीन स्फूर्ति, एक नव चेतना एवं प्रेरणा की प्राप्ति हुई। परन्तु यह इतना विशाल विषय था कि एक मात्र भोज की जीवनी—समय-निर्धारण, वंश परिचय, कला-वैभव, समकालीन कवि आदि-आदि जीवन संबन्धी प्रश्नों एवं समस्याओं—पर पृष्ठ प्रवाश ढालने के लिये एक मुन्दर एवं ओजपूर्ण यीसिन लिखी जा सकती है क्योंकि प्राप्त एवं अर्धप्राप्त सामग्री पर जो निष्कर्ष विद्वानों ने भोज की निथि एवं समय पर निकाले हैं वे सब वास्तविक सुनिर्णीत नहीं हो पाये हैं।

इसने अतिरिक्त भोज की जिस ग्रंथनालिङ्ग का निर्देश ऊपर किया गया है उसका देवसर वर्त निर्धिवाद कहा जा सकता है कि भोज के ग्रंथों पर एक व्यक्ति नहीं अनेक पिद्वान् वर्ति विषय-वैशिष्ट्य के अनुसार अनुसन्धान करें तो सभवतः एक दर्जन में अधिक वृद्धि-ग्रंथों का निर्माण हो सकता है। 'शङ्कर-प्रकाश' भी ही तीजिये। मद्रास विश्वविद्यालय के मुख्यनिदेश डॉ० गधवन ने इस पर अनुसन्धान किया जाना विजातनाय है। अत लेन्क ने लखनऊ वि० वि० के मंस्कृत-विभाग के अध्यन अपने थ्रडेव गुदवर्द्य श्रीनुत्र प्रोफेसर के० ए० सुन्दरसर अव्यय मठोदय के मनपरामण ने पी० एन० ई० नीनिन के तिये पूर्व निर्धारित विषय के अन्तर्गत ही "भाजडेव-विरचित नमगङ्ग-मूलधार—एवं प्रभयन" इस विषय को लेकर (पूर्व निष्पत भी भीमित कर) इस दिशा में जार्य किया है।

समराङ्गण के विषयानुक्रम से विवरणात्मक अध्ययन के पूर्व उसकी एक औपोद्घातिक समीक्षा एवं संक्षेप को हम आगे के अध्यायों में प्रस्तुत करेंगे। यहाँ इस विषय-प्रवेश के अन्त में दो विषयों—समीक्षा-पद्धति एवं अध्ययन-पद्धति—पर कुछ थोका सा और निवेदन करना है।

ब. समीक्षा-पद्धति—

‘समराङ्गण’ वास्तु-शास्त्र का एक अत्यन्त प्रामाणिक, महत्वपूर्ण एवं अधिकृत ग्रन्थ है। इसकी रचना ११वीं शताब्दी में एक अत्यन्त ओजस्वी राजकुल के वातावरण में सम्पन्न हुई। धाराधिप महाराज भोजदेव ऐसे विद्याप्रेमी कलाप्रेमी एवं विद्गम विद्वान की यह कृति मध्यकालीन-वास्तु-विद्या का अधिकृत ग्रन्थ है। अथव ११वीं शताब्दी तक इस महादेश के दानों भूखन्डों—आर्याचर्त एवं दक्षिणापय—पर भव्य से भव्य प्रासादों का निर्माण हो चुका था, अतः यह प्रश्न उठता है कि प्राचीन भारत अथवा मध्य भारत के शताशः वास्तु-स्मारकों के निर्माण में प्राप्त तत्त्वालीन ग्रन्थों में प्रतिपादित पद्धतियों, नियमों और शैलियों का अवश्य अनुगमन हुआ होगा। तुर्माण्यवश् इस दिशा में अभी तक कोई भी सन्तोषप्रद प्रथल्न नहीं हुआ। भारतीय वास्तु-कला के निर्दर्शन प्राचीन स्मारकों पर आधुनिक विद्वानों (हैवेल, फर्गुर्सन, कुमारस्वामी, वर्सीन्हाउड आदि-आदि) ने प्रौढ़ ग्रन्थ लिखे हैं तथा उनकी विस्तृत समीक्षा की है। इसके विपरीत डा० आचार्य ने अपने मानसारीय सक्षग्रन्थी अध्ययन में प्राचीन वास्तु-विद्या के एक प्रोन्नत ग्रन्थ का सम्पादन, अनुवाद, रेखाचित्र, पारिभाषिक-पट-कोप आदि-आदि पर सुन्त्य एवं महान् प्रथल्न किया है। परंतु जब तक स्मारकों(monuments) तथा वास्तु-ग्रन्थों (manuals) का समन्वयात्मक पद्धति पर इन कृतियों का अध्ययन एवं विवेचन नहीं होता तब तक अनुसन्धान अधूरा ही समझना चाहिये।

यद्यपि यह विषय बड़ा कठिन है। इस विषय को समझी भी पर्याप्त नहीं है। वास्तु विद्या की परम्परा अपद कारीगरों में ही विशेषकर सीमित होने के कारण, वास्तु-ग्रन्थों की व्याख्या भी वड़ी तुरुह है तथापि इस दिशा में प्रथल्न परमावश्यक है। वास्तु ग्रन्थों में प्रतिपादित, पुर-निवेश-प्रक्रिया, भवन-निर्माण, भवनांग, भवन-वर्गीकरण, राजप्रासाद, देवतायतन (वहू-भूमिक तथा वहू^{प्रिंसिपर} विमान एवं प्रासाद) आदि की निर्माण पद्धतियों, विभिन्न शैलियों एवं आकृतियों कोरे वर्णन नहीं माने जा सकते। उनका स्थापत्य में अवश्य समवन्य था। इसी का समुदाटन किसी भी वाडस्तु-ग्रन्थ के अध्ययन का परम आदर्श होना चाहिये।

मैंने इसी विष्टिकोण को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। इस ग्रन्थ के ‘अध्ययन’ में सफलता की ग्राति कठिन है। प्रथल्न ही श्लान्त हो सकता है। दिशा-सूचन से सम्बद्ध; आगे प्रतिभा संभव विद्वान् हैं और आकृष्ट हो।

भारतीय-विज्ञान (Indology) की इस अत्यन्त रोचक एवं विस्मयकारी शाखा (वास्तु-विद्या एवं वास्तु-कला) के अनुसन्धान, अध्ययन, गवेषण एवं विवेचन में इस

पठति के अवलभ्रन से सास्कृतिक दण्डिकोण भी स्वतः आ जाता है। संस्कृति एवं सम्यता की ही कथा इन सभी कलाओं एवं विज्ञानों में मरी है। भारतीय वास्तु-कला सनातन से धर्मश्रया रही। अतः यहाँ की वास्तु-कला की यह धर्मश्रयता हिन्दू जीवन के सास्कृतिक दण्डिकोण की परिचायिका है। आगे के अध्याय में इस विषय पर विशेष चर्चा होगी।

स. अध्ययन पद्धति—

समराङ्गण एक बृहद् ग्रन्थ है। द३ अध्याय तथा लगभग दसहजार पंक्तियों में निवद्ध इस प्रौढ़ ग्रन्थ में, प्रधानतया निम्नलिखित पाँच प्रमुख विषयों पर विवेचन है :—

१. पुर-निवेश
२. भवन-निवेश
३. प्रासाद-निवेश
४. प्रनिमा-निर्माण
५. यंत्र-घटना

अतएव इन पाँचों विषयों को लेकर आगे के पाँच पटल (भाग) अपने अध्यायों सहित उस ग्रन्थ का प्रधान कलेवर निर्माण करेंगे। परन्तु इन विषयों में स्थापत्य एवं स्थपति तथा अन्यान्य औपोद्धातिक विषयों का समावेश सम्भव न पाकर प्रथम पटल औपोद्धातिक है। इस प्रकार एक संख्या और वढ़ी। प्रतिमा निर्माण में चित्र-प्रतिमा—चित्रकल्प समराङ्गण की अपनी विशेष देन है अतः इस विषय को एक भिन्न पटल में विभाजित किया है। इस प्रकार एक संख्या और वढ़ी। समराङ्गण और समराङ्गण के इस अध्ययन को समन्वित करने के लिये एक परिशिष्ट की (लक्षण-ग्रन्थ के सन्दर्भ-अवतरण-तालिका) भी आवश्यकता है। इस प्रकार यह पञ्चमुद्री सप्तपर्णी में परिणत हो अष्टमंगला का आवाहन कर रही है।

अन्त में एक विशेष सकेत यह है कि डा० आचार्य महोदय ने समराङ्गण की विषयानुक्रमणिका (अध्याय योजना) को सुसंगति एवं तर्क-पूर्णता के साथ-साथ विषय संगठन के अभाव पर भी निर्देश किया है (देखिये हिन्दू आर्कटिकवर इन्डिया एन्ट एवाड पेज १७८—८१)। हो सकता है ग्रन्थकार राजा था, यह अध्याय सपादन किसी सहायक को नौंपा गया हो अथवा यह आद के प्रतिलिपिकार की भूल हो। वास्तव में विषयों का सुमन्वय क्रम (विशेषकर १—४८ अध्यायों में) नहीं पाया जाता है। अतः लेसक ने इस दोप का निराकरण कर नवीन योजना निर्दिष्ट की है जिसकी अनुक्रमणी

समराङ्गण-सूत्रधारस्थ
सुसम्बद्धा-विषयानुक्रमणी

मौलिकाः अध्यायाः

विषयाः

सुसम्बद्धाः
अध्यायाः

१. प्राथमिकाः

१.	महासमागनम्	२
२.	विश्वकर्मणः पुत्रसम्बादः	३
३.	प्रश्न.	४
४.	महदादिसर्गं	५
५.	भुवन-कोशाः	६
६.	सहदेवाधिकारः	७
७.	वर्णाश्रमप्रविभागः	८६
८.	स्थपतिलक्षणम्	८५
९.	अष्टगतलक्षणम्	
१०.		९

२. पुर-निवेशो

१०.	भूपरीक्षा	११
११.	हस्तलक्षणम्	१२
१२.	वास्तुत्रयविभागः	१३
१३.	नाड्यादि-तिरादि-विकल्पा.	१४
१४.	मर्मवेघः	३८
१५.	पुरुषागदेवतानिष्ठवादिनिर्णयः	१०
१६.	वास्तुसंस्थान-मातृकाः	
१७.	पुरुषनिवेशः	

३. मवन-निवेशो

३८.	आरस्मिकाः	१८
३९.	नगरादिसंज्ञा	२६
४०.	आयादि-निर्णयः	३६
४१.	वलिदानविधिः	४७
४२.	वेदीलक्षणम्	१७
४३.	इन्द्रवजनिकृपगुम्	३५
४४.	शिलान्यासविधिः	३७
४५.	कीषकसूत्र-पाता,	५०
४६.	मधीठमान	

मौलिकाः अध्यायाः

सुसम्पदा, अध्यायाः विषया.

क. राज-निवेशो

२६	राजनिवेश.	१५
२७	राजगृहाणि	२०
२८	सभाप्तकम्	२७
२९.	राजशाला.	३२
३०	अश्वशालाः	३३
३१.	रूपायतनानि	५१

स. जन-निवेशो

३२.	एकशाललक्षणम्	२३
३३.	द्विशाललक्षणम्	२२
३४.	त्रिशाललक्षणम्	२१
३५.	चतु शाललक्षणम्	१६
३६	समस्तगृहाणा संख्या-कथनम् (पञ्चशाललक्षणं पुरस्कृत्य दशशाललक्षणं यावत्)	२५
३७	निमोन्वादिफलम्	२०
३८.	द्वारपीठभित्तिमानादि	२४
य	गृहद्रव्ये, चयविधी अप्रयोज्यप्रयोज्येषु	
३९.	वनप्रवेश.	१६
४०.	गृहद्रव्य- प्रमाणम्	२८
४१.	द्वारगुण-दोषा.	३६
४२.	चयविधि	४९
४३	अप्रयोज्य-प्रयोज्याश्च	३४
र	अन्येषु भवनसम्बन्धिषु विषयेषु दोषेषु भंगेषु वेधेषु च	
४४	द्वारभंग-फलम्	५३
४५	तोरणं भंगादि-शान्तिकम्	४६
४६.	गृहदोष-निश्चयम्	४८
४७.	शान्ति-कर्मविधिः	४२

४. यंत्रघटनायां शयनासन-निर्माणे च

४८.	यंत्र-विधानम्	३१
४९.	शयनासन-लक्षणम्	२६

५. प्रासाद-निवेशो

अ मूलप्रासादा. [प्रामादोत्तर्तौ त्वाभ-गृहलेतु द्वाद्य-प्रामादेतु च (५६), प्रासाद-
नाती (५२) प्रामादावयवेषु (५४, ५३) प्रास द-शुमा-
शुभेषु (५०)]

मुख्याद्वारा: अध्यायाः	विषया.	मौलिकाः अध्यार्थाः
५०.	रचकादि-प्रासाद-लक्षणम्	४६
५१.	प्रासादजातिः	५२
५२.	प्रासादद्वारमानादि	५४
५३.	जग्न्य-वासुदेवाम्	५५
५४.	प्रासादशुभाशुम्-लक्षणम्	५०
ब. शिखोत्तमप्रासादेषु		
(I) ललितप्रासादा.		
(II) मिश्रकप्रासादाः		
(III) साधारा.		
(IV) निरूदाश्च		
५५.	रचकादि चतुष्पटिप्रासादकाः	५६
स. भुमिकायुक्तेषु देवविशेष-संस्तुतेषु स्मारकनिवधनेषु च		
५६.	प्रासादस्तवनम्	५८
५७.	विमानादि-चतुष्पटि-प्रासादलक्षणम्	५९
य. शृंगवहुतेषु शृंगारसम्बन्धेषु लाटप्रासादेषु		
५८.	मेर्वादिघोडश-प्रासादलक्षणम्	५५
५९.	मेर्वादिविशिका	(उत्तरार्धम्) ५७
६०.	श्रीधरदयः चत्वारिंशत्प्रासादा. नन्दनादय. मिश्रकाश्च(पूर्वार्धम्)	५७
र. नागर-प्रासादेषु		
६१.	मेर्वादिविशिका-नागरप्रासादलक्षणम्	६३
६२.	श्रीकृष्णदिष्टत्रिशत्प्रासादलक्षणम्	६०
ल. द्राविडप्रासादेषु		
६३.	पीठर्यचक्तलक्षणम् (तलच्छन्द-प्रासादाश्च)	६१
६४.	द्राविड-प्रासाद-लक्षणम्	६२
ब. बावाटप्रासादेषु		
६५.	दिग्भ्रादिप्रासादलक्षणम्	६४
श. भूमिज-प्रासादेषु		
(I) चतुरत्राः		
(II) वृक्षजातय.		
(III) अष्टशताश्च		
६६.	भूमिजप्रासादालक्षणम्	६५
प. मण्डपेषु		
६७.	मण्डप-लक्षणम्	६६

सुमन्द्राः अध्यायाः	विषया-	मौलिकाः अध्यायाः
६८	सप्तविंशति-मरण-लक्षणम्	६७
स. जगतीपु.—		
६९.	जगत्यंग-समुदायाधिकारः	६८
७०.	जगतीलक्षणम्	६९

६. प्रतिमानिवेशे

(।)	लिगप्रतिमा.	
(॥)	देवप्रतिमा:	
(॥ ॥)	प्रतिमाविधानम्	
(॥ ॥ ॥)	प्रतिमागुणदोषाः	
(॥ ॥ ॥ ॥)	प्रतिमामानम्	
(॥ ॥ ॥ ॥ ॥)	प्रतिमामुद्राः—देहमुद्राः, पादमुद्रा., हस्तमुद्राश्च	
७१.	लिगपीठप्रतिमालक्षणम्	७०
७२.	देवादिरूपप्रहरणसंयोगलक्षणम्	७७
७३.	प्रतिमा-लक्षणम्	७६
७४.	दोषगुणनिश्चणम्	७५
७५.	पञ्चपुरुपलीलक्षणम्	८१
७६.	ऋज्यागतादिस्थानलक्षणम्	७६
७७.	वैष्णवादिस्थानकलक्षणम्	८०
७८.	पताकादिचतुष्पट्ठिहस्तलक्षणम्	८३

७. चित्रकर्मणि

७९.	चित्रोद्देशः	७१
८०.	भूमिक्रन्धनम्	७२
८१.	लेप्यकर्मादिकम्	७३
८२.	अरण्टकप्रमाणम्	७४
८३.	मानोत्पति.	७५
८४	गस्टिलक्षणम्	८२

टिप्पणी १—समराङ्गणे अशीत्यथाया परं सप्तपञ्चाशो मया अध्यायद्वये विभक्तः अतः चतुर्गशीत्यथाया ।

टिप्पणी २—समराङ्गणे मे वैरं तो ८३ अध्याय हैं परन्तु ५७या अध्याय दो प्रापाद वगों का वर्णन करता हैं। अतः उसमें दो अशायों में विभक्त किया गया हैं। अतः ८४ अध्याय ८३ ।

भारतीय वास्तु-विद्या

अ. जन्म, विकास एवं विशेषता

भारतीय वास्तु-विद्या का जन्म - वेदाङ्ग-षट्क (विशेषतः ज्योतिष एवं कल्प) से हुआ। यतः भारतीय वास्तु-कला का आश्रय धर्म रहा है, अतः धार्मिक संस्कारों, यज्ञों एवं पूजाश्रों के सम्बन्ध में आवश्यक भूमिचयन, भू-संस्कार, भूमि के मान और उन्मान (नाप-जोख) एवं वेटि-रचना आदि-आदि आवश्यकीय अंगों के सम्बन्ध में जो निर्देश तथा विवरण इन सूत्र-अंगों में मिलते हैं, वे ही कालान्तर में वास्तु-विद्या के सूत्रपात करने में सहायक हुये।

हमारे देश की प्राचीन परम्परा में जिन-जिन विद्याओं का एक साथ उल्लेख हुआ है उनमें वास्तु-विद्या का समुल्लेख नहीं देख पड़ता। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वास्तु-विद्या विद्या-स्थान को ही नहीं प्राप्त थी। आवश्यकता आविष्कारों की जननी कही गई है। और मनव सम्बन्धी आवश्यकता (निवास) मानवता एवं मानव सम्यता के साथ-साथ सनातन से सर्वत्र रही है। ऋग्वेद में ही वास्तु सम्बन्धी बहुत संकेत हैं जिनसे तत्कालीन वास्तु-विद्या एवं वास्तु-कला का सुदृढ़ अनुमान किया जा सकता है। यही नहीं सिन्धु नदी की सम्यता में तो वास्तु-कला के विकास की सुन्दर उन्नति के सुदृढ़ निर्दर्शन प्राप्त हुये हैं। अतः वास्तु-विद्या का मानव-सम्यता में एक अत्यन्त आवश्यक ज्ञान सनातन से सर्वत्र रहा है।

प्रत्येक काल की अपनी अपनी प्रमुख विशेषतायें होती है। वैदिक काल यगोपासना का काल था। उस समय प्रतिमा-पूजा का प्रचार नहीं हो पाया था। अतः पूजा-वास्तु—वेदि-निर्माण तथा यज्ञशाला-रचना तक ही वास्तु-विद्या का विकास पनप सका। कालान्तर में न केवल वैदिक याग के प्रति ही आध्यन्तारिक विद्रोह (आरण्यकों एवं उपनिषदों में जैसा प्रत्यक्ष है) उठ खड़ा हुआ, वरन् एक विपुल वाह्य विद्रोह, वौद्धों एवं जैनों के नवीन धर्म-संघ से वैदिक धर्म के प्रति भी प्रारम्भ हुआ और सारे देश में व्यापक हो गया। उस समय वैदिक व्रात्यण-धर्म की कैसे रक्षा हो ? नास्तिक वौद्धों के वृहद् धर्म-संघ में समिलित इस देश की जनता को व्रात्यण धर्म के प्रति कैसे पुनः आकर्पित किया जावे ? धर्म के स्वरूप में एक नवीन सुधार की आवश्यकता का अनुभव हुआ। 'हिंसा-समन्वित' 'वृहद्रव्य-सापेक्ष' यज्ञ-कर्मकारण के स्थान पर शिव-पूजा तथा विष्णु-पूजा, त्रिदेवोपासना (ब्रह्म-विष्णु-महेश) की एक उदाम गंगा का प्रवाह दृम देश पर प्रवाहित हुआ। पुराणों की और आगमों की उपासना परम्परा पल्लवित हुई। शिवपूजा और विष्णुपूजा की प्रकृत धारा हिमाद्रि उत्तर से दक्षिण सेतुबन्ध रामेश्वर तक वहने लगी। एक शब्द में शैव एवं वैष्णव

धर्म की इस उपासना-गगा में भारतीय जनसमाज आवाल-बृद्ध-चनिता-च्रवगाहन कर मानों धर्म-वैमुख्य-जन्य पातक का प्रकालन कर पुनः वैदिक धर्म के परिष्कृत रूप में प्रवावित पौराणिक धर्म की पुराय-नूमि पर विचरण करने लगी ।

शिवभक्ति और विष्णुभक्ति, इन दो धार्मिक प्रगतियों के प्रसार से प्रतिमा-भापेन्न इस नवोन पौराणिक धर्म के बृहद् विजूम्भण में देश के कोने-कोने में तीर्थ-स्थानों, शिव-मन्दिरों एवं विष्णु-मन्दिरों की स्थापना तथा उनका निर्माण प्रारम्भ हुआ । परिणामतः इस पौराणिक धर्म के प्रचार ने वास्तु-कला को चरम उन्नति पर पहुँचा दिया और इस देश के विशाल भू-भाग पर टक्किणायथ तथा उत्तरायथ इन दोनों प्राचीन भू-वरणों पर वास्तु-कला के चरमोत्कर्ष के अप्रतिम एवं प्रोञ्चल निर्दर्शन देखने को मिलते हैं । इस प्रकार भारतीय वास्तु-विद्या तथा वास्तु-कला का आश्रय धर्म रहा है यह तथ्य हृदयङ्गम हो सकता है ।

भारतीय जीवन सनातन से अव्यात्म से प्रभावित रहा । धर्म एवं जीवन की पारस्परिक घनिष्ठता इस देश की सर्वप्रमुख विशेषता रही । भारतीय जीवन का कोई भी क्षेत्र धार्मिक प्रेरणा एवं चेतना से अक्षूता नहीं रहा । धारणा तो यह रही है कि विना धार्मिक उपचेतना के वह जीवन क्षेत्र ही निष्पाण है । सच मी है, भारतीय धर्म का कलेवर ही इतना विशाल रहा है कि मानव जीवन के सभी क्षेत्र भौतिक एवं पारमार्थिक उसके क्रोड में क्वलित हो जाते हैं । “यतोऽन्युदयनि श्रेयससिद्धि स धर्मः” — धर्म की इस परिभाषा में अन्युदय अर्थात् ऐहिक उन्नति—सासारिक ऐश्वर्य तथा निःश्रेयस अर्थात् मोक्ष—पारमार्थिक चरम उन्नति—दोनों ही तो सम्मिलित हैं । अत. विना धर्म से अनुप्राणित एवं प्रभावित कोई भी जीवन अंग यहा कैसे विकास को प्राप्त होता ?

भारतीय जीवन को यह धर्मप्रियता भारतीय सम्यता की उच्चता का प्रतीक है । रहन-सहन, स्थान-पान, मोजन-भजन, आचार-विचार, निवास एवं परिधान की कठानी ही तो सम्यता की कहानी है । मानव जीवन की ये आवश्यकतायें जब नियंत्रित, सुव्यवस्थित एवं सुसंचालित होकर एक अद्य अध्यात्म का सहारा ले लेती हैं, तभी मानव अपनी असम्यता किवा अर्ध-सम्यता की कोटि से उठकर सभ्य मानव के रूप में पर्दापण करता है । और विकास के मार्ग में बढ़कर कालान्तर में उमी जीवन-उर्शन से अनुप्राणित होकर वही मानव, मानवता की कोटि से उठकर देवत्य की क्रोट में क्लिंले करने लगता है ।

भारतीय सम्यता की प्राप्त नामग्री में भाग्यीय सम्यता के शैशव-वाल के दर्जन दुर्लभ है । क्या धर्म, क्या दर्जन, क्या आचार, क्या विचार, अंग क्या निवास, क्या परिधान शादि के बहुत संकेत जो पुगतन भारतीय साहित्य एवं पुगतन मंभागों में प्राप्त होते हैं, उनमें सम्यता के शैशव का केवल अनुमान ही नकता है—दर्जन नहीं । ऋग्वेद न केवल भाग्य का ही प्राचीनतम साहित्यक स्मारक है, वरन् विद्वानों के मत में मंसार के प्राप्त साहित्य न्मानों में वह प्राचीनतम है । ऋग्वेद में वास्तुकला मन्त्र जो मन्त्रित है उनमें इस लाला के शैशव वा रंगल अनुगाम लगाया जा सकता है । ऋग्वेद की वान्तु-कला एक उन्नत अवस्था में पायी जाती है । ऋग्वेद में विशिष्ट जी—“त्रिभानुशग्गुम्”—चिभूमित-प्राचाद—री उच्छ्वा करते हैं । उमी प्रकार एक गति के विषय में उत्तेज है जो “महस्तम्” एवं “मन्द्रदार वाले यिगाल दाल में पैठता है,

इसी प्रकार मित्र तथा वरुण—इन दो वैदिक देवों के विषय में उल्लेख है कि उनके आवास सहस्रस्तम्भ एवं सहस्रद्वार है—[विशेष विवरण तारापद जी की पुस्तक में देखिये] इसी प्रकार ‘पुर’ एवं ‘भवन’, ‘प्रासाद’ तथा ‘आवास’—विषयक शतर्थी वास्तु संकेत ऋग्वेद में भरे हैं। मले ही ये संकेत कान्तोदर्शी मनीषी कवियों की कल्पना के कोरे निर्दर्शन हैं—परन्तु कवि कल्पना का कोई आधार तो होना ही चाहिये। कवि अपनी प्रतिभा से साधारण से साधारण ‘भावपट्टों’ पर आसाधारण रागरंजन करता है, परन्तु आधार चाहिये ही। अतः इन प्राचीन वास्तु संकेतों के अन्तरतम में प्राचीन भारतीय वास्तुकला के विकास के बीज स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं।

वैसे तो वास्तु-विद्या और वास्तु-कला दोनों का प्रवाह एक ही स्रोत से निःशुत हुआ है, दोनों ही का सनातन से इस देश में सम्बन्ध रहा है। परन्तु प्रकृत में हम वास्तु-विद्या पर ही चिन्चार करेंगे। भारतीय वास्तु-कला की विशेषता पर केवल थोड़ा सा सूचित करना अप्रासंगिक न होगा।

वास्तु-कला के मर्मज विद्वान डा० कुमार स्वामी के शब्दों में “भारत की सभी देनें उसके दर्शन से अनुप्राप्ति हैं। जहाँ तक भारतीय कला की उद्घावना का सम्बन्ध है, उसमें कलाकार के मानसिक योग एवं प्रारम्भिक धार्मिक संस्कारों का होना अनिवार्य है।”

इस कथन से हमारे कथन की सत्यता स्वतः सिद्ध है कि भारतीय धर्म के कलेवर में भारतीय दर्शन की आत्मा का निवास है। विना आत्मा के शरीर निष्पाण। विना शरीर के आत्मा का अस्तित्व केवल अनुमेय है प्रत्यक्ष नहीं। अतः धर्म और दर्शन का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। यही कारण है कि भारतीय चिन्चारकों ने जहाँ शब्द-त्रहावाद अथवा रस-त्रहावाद एवं नाद-त्रहावाद की कल्पना की है, वहाँ उन लोगों ने वास्तु में भी वास्तु-त्रहावाद की कल्पना करके भारतीय वास्तु-कला में जीवन संचार किया है। जह में चैतन्य की कल्पना ही तो दर्शन का मर्म है। भारतीय वास्तु-कला की इस मौलिक-विशेषता को प्रायः सभी उद्घट वास्तु-शास्त्रियों ने स्वीकार किया है। भोजदेव ने भी अपने समराङ्गण-सूत्रधार के प्रथम ही पद्म में वास्तु-त्रह को लोकत्रय शिल्पी के रूप में उद्घावना करके इस कथन की पुष्टि की है—

देव.	स	पातु	भुवनत्रयसूत्रधार	-
स्वां		वाक्चन्द्रकविकाङ्कितजूटकोटि।		
पृत्व	समग्रमणि		काशयमन्तरेण	-
	कास्त्यादसूक्तिरमसूच्यत	येन	विश्वम् ॥	-

‘भुवनत्रय-सूत्रधारः लोकत्रय-शिल्पी। शिल्पवैचित्र्यमुत्रगर्वे प्रतिपादते। समग्रं कारणमन्तरेणापि समवायथमवायनिनिमित्तात्मना त्रिप्रकरमन्योन्यविलक्षणगम्बर्हपं लोकप्रतीतं कारणकलापं कार्यमात्रसाधारणं विनापीत्यर्थं, जगद्रूपस्य कार्यस्यैकं एवेश्वर—उपादानं च निमित्तं चाभ्नात इति। असून्यत आकारोल्लेखपूर्यमनृज्यत,।’

इस श्लोक का भावार्थ यह है कि ग्रंथकार ने मंगलाच्छण्ण के व्याज से लोकत्रय-शिल्पी भगवान् भूतभावन चन्द्रशेखर शिव में उत्त-आदि सूत्रधार का आरोपण किया है जिन्होंने सम्पूर्ण कारणों के विना सभी इस सम्पूर्ण विश्व की रक्षा की है।

वैसे तो मानव संस्कृति अविच्छिन्न है। वह सार्वभौमिक है सार्वकालिक भी। परन्तु

स्थान, काल एवं जाति विशेष के संसर्ग में उसमें अपनी विशिष्टता की छापें अवश्य प्रस्फुटित हो जाती हैं। वास्तु-कला का मानव सम्यता की कहानी में एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रायः सभी देशों में यह कला पनपी। अपने-अपने देशों में उन देशों के देशवासियों ने जैसा इस कला की साधना में, विकास एवं अभ्युदय में योगदान दिया वैसा ही स्थान, काल एवं जाति विशेष की विशेषताओं से उसमें अवश्य वैशिष्ट्य उत्पन्न हो गया है। पर्सी ब्राह्मण के शब्दों में—इंडियन आर्कटिक्चर प० १—“यूनानियों की वास्तु-कला की विशेषता उनकी प्रोजेक्शन-पूर्णता थी। रोमन भवन (निर्माण) अपनी वैज्ञानिक-रचना के लिये प्रसिद्ध हैं। फ्रैन्च-ग्रोथिक कला में हमें एक भावुक बुद्धि एवं उद्घावना के दर्शन होते हैं। इटली की सर्वतोन्मुखी उन्नति (वास्तु-कला जिसमें एक थी) में तत्कालीन वैद्युत्य की छाप प्रकट रूप में प्रत्यक्ष है। इसी प्रकार भारतीय वास्तु-कला की सर्वप्रमुख विशेषता उसकी अध्यात्म-निष्ठा है। यह प्रकट है कि भारतीय भवन-निर्माण कला का आधारभूत अध्यवसाय-प्रयोजन भारतीय जनसमाज की धार्मिक चेतना एवं विश्वास को मूर्त्त स्वरूप प्रदान कर उनके प्रतीकत्व का कल्पन है। प्रस्तर, पापाण एवं इष्टका में भारतीय आत्मा का साक्षात्कार करना ही भारतीय वास्तु-कला की सर्वप्रमुख विशेषता कही गयी है।”

यहाँ पर एक प्रश्न यह है कि भारतीय वास्तु-कला पर जो अनुसन्धानात्मक एवं गवेषणात्मक ग्रंथ पाश्चात्य एवं पूर्वीय विद्वानों ने लिखे हैं, उनमें भारतीय वास्तु-कला का प्रारम्भिक विकास मौर्यकाल से मानते हैं तथा महाराज अशोक के ही राज्यकाल से वास्तु-कला एवं प्रस्तर-कला का विकास बताते हैं। इस सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता है कि महाराज अशोक ने जिन विभिन्न लाटे, स्तूप, चैत्य तथा शिला लेख इत्यादि का निर्माण कराया, उनका एकमात्र उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार एवं संरक्षण था। अतः अणोक-कालीन भारतीय वास्तु-कला एवं प्रस्तर-कला के विकास में धर्माश्रय ही प्रत्यक्ष था। दूसरा प्रश्न यह है, जो उपर्युक्त कथन में काल भेद का वपन्न उपस्थित करता है वह यह कि पुराणों की रचना अथवा सम्पादन तो आधुनिक विद्वान् गुप्तकालीन मानते हैं, अतः पुराणों अथवा आगमों की भक्ति परम्परा से ही यदि भारतीय वास्तु-विद्या एवं वास्तु-कला का विकास मानें तो किर बौद्ध-कला के प्रारम्भ में यह कैसे संगत हो सकती है? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि वहुत से पुराण ईसवीय पूर्व कृतियाँ हैं। गुप्तकाल में उनका सम्पादन हुआ होगा, यही मानना विशेष संगत है। रामायण तथा महाभारत की रचना ईसा से पूर्व छठी शताब्दी में मानी गयी है। पुराण, वैदिक एवं लौकिक साहित्य के वीच की कृतियाँ मानी जानीं चाहिए। रामायण और महाभारत तो लौकिक साहित्य के रूप में ही सनातन में परिचित होते आये हैं। अतः भले ही पुराणों की रचना गुप्तकाल के वहुत पूर्व न हुई हो और आगमों की रचना और मी आगे हुई हो, परन्तु इन देश में वैदिक धर्म की परम्परा के उपरान्त पौराणिक धर्म की परम्परा पञ्चवित हो गयी थी—भले ही उस परम्परा का सुरक्षित एवं लेखद अथवा भाष्यिक स्वरूप वहुत जाल के बाद हुआ हो। किमी भी परम्परा के पूर्ण विजास में एक महान् इतिहास द्विपा होता है। परम्पराओं का जन्म जग होता है तो उनके विकास और उन्नति तथा सिद्धान्तस्वरूप में दृटीरण में प्रचुर समय भी आवश्यकता होनी है। महाराज अणोक के पूर्व भी इन देश में शिव पूजा (देविये किन्तु दी धारी की सम्मता) का पूर्ण प्रसार

हो चुका था तथा उस पूजापद्धति की धार्मिक पुस्तकों में आगमों की परम्परा भी अवश्व पञ्चवित हो चुकी होगी, तभी तो आगमों में प्रतिपादित शक्तिपूजा एवं शिव-पूजा के प्रतीकं मन्दिर-निर्माण-व्यवस्था और उसमें लिङ्ग-स्थापन तथा पार्वती के बाहन सिंह आदि पशुओं की प्रतिमा-संविधान पर जो संकेत हैं उनका ही प्रभाव अशोककालीन वास्तुकला तथा प्रस्तर-कुला पर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। अशोक के स्तम्भों पर जिन चार पशुओं—सिंह, गज, वृषभ तथा अश्व की मूर्तियाँ बनी हैं, उनमें तीन पशुओं का सामान्य सम्बन्ध शिव-प्रतिमा तथा शक्ति-प्रतिमा के संविधान में अवश्यक वाहन-रूप में प्रचलित थे। अतः आगमों की वास्तु-परम्परा वहुत प्राचीन है। उसको मध्यकालीन मानना भले ही साहित्यिक रूप से सुसगत हो परन्तु उनकी परम्परा अति प्राचीन है—ऐसा कहना असंगत न होगा।

इसी दृष्टिकोण से भारतीय वास्तुकला के विद्वानों ने जो दो रूप 'नागर शैली' उत्तरी तथा 'द्राविड़ शैली' दर्शिये रखिये हैं वे संगत होते हैं और इसीलिये वास्तु-विद्या का जन्म जहा वेदाङ्गपटक के ज्योतिष एवं कल्प से हुआ वहाँ आगमों एवं पुराणों की इन दो परम्पराओं से देश एवं स्थान भेद से उसके दो रूप देखने को मिलते हैं।

सारांशः वास्तु-विद्या का जन्म तो जैसा पूर्व ही संकेत किया जा चुका है वैदिककाल के ही समकालीन था परन्तु उसका रियर रूप वेदागों के समय में सम्पन्न हुआ तथा पुराणों और आगमों में उसका विकास ग्रारम्भ हुआ और आगे चलकर वास्तु-विद्या के आचार्यों ने उसको एक स्वाधीन शास्त्र के रूप में खड़ा किया और यह वास्तुशास्त्र शुक्राचार्य के अनुसार 'विद्या-स्थान' को भी प्राप्त हो गया।

ब. परम्परायें एवं प्रवर्तक

समराङ्गण-सत्रधार मध्यकालीन कृति है। इस ग्रंथ में जिस वास्तुविद्या के दर्शन होते हैं वह अत्यन्त ग्रौढ़ एवं समृद्ध है। भारतीय वास्तु-शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथों का निर्माण भी इस काल के पूर्व हो चुका था। इन विभिन्न ग्रंथों के अवलोकन से वास्तु-विद्या की जो परम्परायें पनर्पी, उनपर और उनके प्रवर्तक आचार्यों एवं उनकी कृतियों पर एक विविधम दृष्टि डालना आवश्यक है।

यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि जिन विभिन्न वास्तु-शास्त्र प्रतिपादक ग्रंथों का आगे हम वर्णन करेंगे, उनमें सभी के काल निर्णय अभी नहीं हो पाये हैं। तिथिक्रम भारतीय विशान (इन्डोलाजी) की एक कठिन समस्या है। अतः इस अव्याय के शीर्षक के अनुसूत्य प्रायः सभी प्राप्त मुख्य ग्रंथों का (समराङ्गण से प्राचीन एवं अर्वाचीन—दोनों ही कोटि के ग्रंथों का) हम वर्णन करेंगे।

वास्तु-विद्या के जन्म एवं विकास का इतिहास लिखने में श्रीयुत तारापद्मभट्टाचार्य (देखिये ए स्टडी आन वास्तु-विद्या और कैनन्स आफ इरिड्यन आक्रोटिक्चर) ने एक सराहनीय प्रयत्न किया है; परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि जिन निष्क्रियों पर भट्टाचार्य जी पहुँचे हैं, वे सिद्धान्त रूप में मान्य हैं। इस दृष्टिकोण से भारतीय वास्तु-विद्या का व्यापक द्वे अन्तर्मुखीय अनुसन्धान के तियें काफी सामग्री प्रदान कर सकता है।

✓ वैदिक वाद्यमय, पुराण, एवं महाकाव्य तथा वृहत्संहिता (ज्योतिष) एवं मानसार आदि शिल्पभास्त्रों तथा अन्य विभिन्न प्राचीन ग्रंथों के परिशीलन से वास्तु-विद्या के अनेक आचार्यों के नामोङ्गेत्र एवं उनके सिद्धान्तों का उल्लेख मिलता है। अतः यह निर्विवाद है कि इस विद्या के मूल प्रवर्तकों का जन्म इस देश में अत्यन्त प्राचीनकाल में हुआ था। भारतीय परम्परा के अनुसार प्रत्येक विद्या का अपना-अपना अलग जन्मदाता है। विभिन्न दर्शनों के संस्थापक एवं प्रवर्तक हम जानते हैं। विभिन्न धार्मिक, नीति-सम्बद्ध एवं आर्थिक तथा राजनैतिक परम्पराओं के प्रवर्तक भी हम जानते हैं। अतः वास्तुविद्या के मूल प्रवर्तकों में हमें दो नाम विशेष उल्लेखनीय मिलते हैं। वे हैं विश्वकर्मा तथा मय। विश्वकर्मा की कल्पना देवताओं के स्थपति के रूप में सनातन से इस देश में चली आई है। अतः देवभूमि इस भारत के उत्तरापथ भूमार पर विश्वकर्मा का अवतार हुआ—ऐसे वहुत संकेत प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। अतः इस भूमार से सम्बन्ध रखनेवाली वास्तु-कला तथा उस कला की विद्या के विभिन्न शास्त्र ग्रंथों में विश्वकर्मा को वास्तुविद्या का प्रथम प्रवर्तक एवं आचार्य भाना गया है। श्रीयुत् तारापद भट्टाचार्य ने यह भी प्रतिपादित किया है कि जहा विश्वकर्मा एक देवताओं का स्थपति था और उसको वसुओं (देव विशेषों में) परिणामित किया गया है, वहाँ विश्वकर्मा नामक एक मनुष्य भी था जो वास्तु-विद्या का प्रवर्तक हुआ और कालान्तर में स्थापत्य-शास्त्र एवं कला में विश्वकर्मा-स्कूल (परम्परा) का जन्म तथा विकास हुआ (इस सम्बन्ध में विशेष जातव्य के लिये श्री तारापद की पुस्तक देखिये)।

दैवी संस्कृति के साथ-साथ सनातन से इस देश में आसुरी संस्कृति का समानान्तर रूप में निर्देश किया गया है। यही नहीं संस्कृति के भौतिक रूप में असुरों ने देवों की अपेक्षा विशेष उन्नति की थी—यह हमारे पुरातन ग्रंथों से स्पष्ट है। वे असुर कौन थे? विद्वानों ने एतदेशीय अनार्य जाति के प्रति व्याहण आदि ग्रंथों में जो असुर आदि शब्दों का प्रयोग पाया है उनसे इस देश के आयंतर निवासियों का बोध माना है। वास्तव में जिसको हम आसुरी सम्भवा कहते हैं वह भी इसी देश के मूल निवासियों की सभ्यता है। इस सभ्यता की वास्तु-कला में अत्यन्त प्राचीन नाम जो आर्य ग्रन्थों में मिलता है वह है मय। मय असुर था। अतः असुरी वास्तु-विद्या के मूल प्रवर्तक के रूप में हमें माना गया है और इस प्रकार भारतीय वास्तु-विद्या की यह दूसरी परम्परा मय-स्कूल के नाम में प्रसिद्ध है।

वहाँ पर यह संकेत करना आवश्यक है कि जिस प्रकार भारतीय आर्य सभ्यता में आयंतर एतदेशीय तथा विदेशीय व्युत्पन्नस्य घटक पद-पद पर प्राप्त होते हैं उसी प्रकार वास्तु-विद्या के सिद्धान्तों में भी कालान्तर पाकर पारस्परिक समिश्रण हुआ। एक परम्परा की विद्या में दूसरी परम्परा के आचार्यों के मतों का समानपूर्वक उल्लेख हुआ और पुन इस महादेश के एक कोने में दूसरे कोने तक स्थापत्य-कौशल का जो प्रोत्त्वल रूप देखने को मिलता है उसमें देश भेद होते हुए भी समिश्रण की इस आधार-भूत रेत के सर्वत्र समान रूप ने दर्शन होने हैं। दनिंग की आविद्यालै और उत्तर की नागर-रैली दोनों शैलेयों के अपने-अपने मुन्द्र निर्दर्शन होते हुए भी एक दूसरे पर पारस्परिक प्रभाव भी कम प्रलम्बन नहीं है।

अस्तु, वास्तु-परम्पराओं और प्रवर्तकों पर इस किन्त्वन् उपोद्यात के अनन्तर एक तथ्य की ओर प्रांग मी ध्यान यह देना है तिं वयपि यदा पर दो ही परम्पराओं

(दक्षिणी तथा उत्तरी) का संकेत किया गया, फिर भी इस विशाल देश में कालान्तरे में विभिन्न महाजनपदों में अपने-अपने देवों की विशेषताओं को लेकर और भी वहुत सी परम्परायें पल्लवित हुईं, जिनको ईतियों के नाम से पुकारा जाता है। नागर (उत्तरी) द्राविड़ (दक्षिणी) शैली का संकेत हो ही चुका है। इन दो शैलियों के अतिरिक्त तीसरी शैली वेसर के नाम से प्रसिद्ध है। 'समराङ्गण' में तो नागर, द्राविड़, वेसर की व्यायी के स्थान पर नागर, द्राविड़, वावाट, भूमिज, लाट (तत्तिन) आदि वहुसंख्यक वास्तु-शैलियों का विवेचन है। इन शैलियों के सम्बन्ध में हम आगे प्रासाद-नाम की समीक्षा में विचार करेंगे। इतना तो निर्विवाद है कि शैलियाँ किंतु नी ही क्यों न हों प्रधान रूप से भारतीय वास्तु-विद्या की दो ही परम्परायें हैं जो ऊपर उत्तरी तथा दक्षिणी परम्परा के नाम से पुकारी गयी हैं।

✓ दक्षिणी परम्परा—

इस परम्परा के प्रवर्तक आचार्यों में निम्नलिखित नाम विशेष उल्लेखनीय है :—

१ ब्रह्मा	६ काश्यप	११ नारद
२ त्वय्या	७ अगस्त्य	१२ प्रह्लाद
३ मय	८ शुक्र	१३ शक्र
४ मातङ्ग	९ पराशर	१४ वृहस्पति तथा
५ भग्न	१० नग्नजित्	१५ मानसार

इन नामों का निर्देश मात्र यहाँ अभिलिखित है। विशेष छानवीन (इन आचार्यों के संकेत आदि एवं सिद्धात्र आदि) तारापद ने अपने ग्रंथ में की है। अत. विस्तारभय से उसकी अवतारणा यहाँ समीक्षीन नहीं। मत्स्य-पुराण एवं वृहस्पतिंहिता में जिन २५ आचार्यों का निर्देश मिलता है उनमें से वहुसंख्यक आचार्य द्राविड-परम्परा के प्रवर्तक माने जाते हैं, और शेष नागर-परम्परा के।

टिप्पणी—मत्स्य पुराण की निम्न नामतात्त्विका निभालनीय है :—

१ भग्न	७ नग्नजित्-	१३ शौनक	१६ मनु
२ अत्रि	८ विशालान्न	१४ गर्ग	२० पराशर-
३ वसिष्ठ	९ पुरन्दर या शक्र-	१५ वासुदेव	२१ काश्यप-
४ विश्वकर्मा	१० ब्रह्मा-	१६ अनुशद्ध	२२ भरद्वाज
५ मय	११ कुमार	१७ शुक्र-	२३ प्रह्लाद-
६ नारद-	१२ नंदीश (शम्भु)	१८ वृहस्पति -	२४ अगस्त्य-
			२५ मार्कण्डेय

प्रथम १६ नाम मत्स्यपुराण में तथा वाद के ३ नाम (२०, २१, २२) वृहसंहिता में तथा अंतिम तीन अन्य साहित्य सन्दर्भों में उल्लिखित पाये जाते हैं। इनमें वहुतों के ग्रंथ भी पाये जाते हैं जिनका हम 'वास्तु वाढ़मय' के आगे के स्तम्भ में उल्लेख करेंगे।

✓ उत्तरी परम्परा—

आर्य वास्तु-परम्परा के प्रथम आचार्य विश्वकर्मा ने यह विद्या स्वयं पितामह ब्रह्मा में प्राप्त की (देखिये आगे का अध्याय 'समराङ्गण का स्थान') विश्वकर्मा देवों का

स्थपति था । उसकी गणना वसुओं में थी । परन्तु कालान्तर में देश के विभिन्न कुशल एवं प्रसिद्ध स्थपतियों ने अपने नाम विश्वकर्मा के नाम से प्रचलित किये । अतएव जहाँ देवों का विश्वकर्मा वास्तु-विद्या का प्रथम प्रतिष्ठापक है, वहाँ कालान्तर में इस देश में अन्य कई विश्वकर्मा हुये जिन्होंने स्थापत्य-कौशल की परम्परा में योग दिया तथा स्थापत्य-शास्त्र पर ग्रंथ निर्मित किये ।

प्रातः विश्वकर्म-प्रकाश में विश्वकर्मा उत्तरापथ की वास्तु-परम्परा का प्रथम आचार्य न माना जाकर चौथा या पाचवाँ या इसमें भी अर्वाचीन माना गया है—शम्भु का शिष्य गर्ग, गर्ग का शिष्य पराशर, पराशर का शिष्य वृहद्रथ तथा वृहद्रथ का शिष्य विश्व-कर्मा और विश्वकर्मा के शिष्य वासुदेव ने यह ग्रंथ संकलित किया—ऐसा इसमें निर्दिष्ट है । अतः देव-स्थपति विश्वकर्मा के अतिरिक्त कम से कम दो विश्वकर्मा और हुये जो वास्तु-विद्या के आचार्य के रूप में प्रख्यात हुए तथा ग्रंथ लिखे । उनमें एक है उत्तरापथ का श्रौर दूसरा है दक्षिणापथ का । विश्वकर्म-प्रकाश उत्तरापथ की वास्तु-विद्या का वर्णन करता है तथा विश्वकर्मीय-शिल्प दक्षिणापथ की वास्तु-विद्या का वर्णन करता है । अस्तु, उत्तरी परम्परा (नागर शैली) के प्रवर्तक आचार्यों में निम्नलिखित नाम विशेष उल्लेखनीय हैं—

१. शम्भु	३. अत्रि	५. पराशर	७. विश्वकर्मा तथा
२. गर्ग	४. वसिष्ठ	६. वृहद्रथ	८. वासुदेव

टिप्पणी—इन नामों की सूचक सामग्री का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया, क्योंकि यह इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय नहीं है । स्वत्प में निर्देशमात्र ही यहाँ पर संगत है ।

स. वास्तु-वाहू-मय

दोनों परम्पराओं के प्रवर्तक आचार्यों के ग्रंथों एवं सिद्धान्तों के उल्लेख के प्रथम एक जातव्य तथ्य यह है कि वास्तु शास्त्र के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करनेवाला मारतीय साहित्य मुख्यतया दो प्रकार का है । डा० आचार्य के शब्दों में आर्कोटेक्चरल वर्क्स अर्थात् वास्तु शास्त्रीय ग्रन्थ तथा नान-आर्कोटेक्चरल वर्क्स अर्थात् अ-वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थ । पहिली कोटि में उन ग्रंथों का समावेश होता है जिनमें अविकल स्पष्ट से वास्तु-शास्त्र पर विवेचन किया गया है और दूसरी कोटि के वे ग्रंथ हैं जो मुख्यतया यातो धार्मिक ग्रंथ हैं जैसे वेद, वेदाङ्ग (वृत्त तथा ज्योतिष) पुराण, आगम तथा धार्मिक-स्तकार-पद्धतियाँ पूजा-पठन्तियाँ, प्रतिष्ठा-पद्धतियाँ के ग्रथ या कुछ नीति-विषयक ग्रंथ जैसे शुक्र-नीति और कौटुम्बीय अर्थशास्त्र आदि । अतः परम्परानुरूप इन दोनों प्रकार के वास्तु ग्रंथों का संक्षेप में समुल्लेख किया जाता है ।

दक्षिणी परम्परा के वास्तु-ग्रन्थ

अ. अवास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थ

१. गोपागम	५. तंत्र ग्रन्थ (दीप-तत्र आदि)
२. वैद्युत पञ्चगम	६. तंत्रमसुन्नन
३. ग्रन्तिमंहिता	७. ईशानगिरगुणदेवपठति
४. वेदानन्दगम	

टिं०—इनमें आगम-साहित्य अति विशाल है। इसमें वास्तु-विद्या का विवेचन वहाँ ही उत्कृष्ट है। दक्षिणापथ के ये “पुराण” पुराणों की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं पृथुल हैं। आगमों की संख्या भी पुराणों की संख्या से डेढ़ गुनी है। पुराण १८ हैं आगम २८। आगमों में कामिकागम, सुप्रभेदागम, कर्णागम, वैकानसागम आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। डा० आचार्य के मत में (हिं० आ० ह० ए०) कुछ आगमों का वास्तु-विद्या-प्रवचन वहाँ ही वैशानिक एवं पारिभाषिक है, जैसा पुराणों में नहीं मिलता। किन्हीं-किन्हीं आगमों में वास्तु-विद्या का विवेचन इतना विशाल है कि उनको वास्तु-शास्त्रीय ग्रंथ कहें तो अत्युक्ति न होगी। कामिकागम के ७५ पटलों में से ६० पटलों में वास्तु-विद्या का वर्णन है। अथवा इसका विवेचन भी अत्यन्त प्रौढ़ है।

ब—वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थ

१. विश्वकर्मायशिल्प	४. काश्यप-शिल्प (अंशुमद्भेद)	७. शिल्प-संग्रह
२. मथमत	५. अगस्त्यसकलाधिकार	८. शिल्प-रत्न तथा
३. मानसार	६. सनत्कुमार-वास्तुशास्त्र	९. चित्रलक्षण

इन वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थों में ‘मानसार’ का स्थान विशेष महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ को दक्षिणी परम्परा का अधिकृत ग्रंथ कहा जा सकता है।

डा० प्रसन्नकुमार आचार्य ने ‘मानसार’ पर अति विशाल एवं अग्रगामी अनुसन्धान किया है। आचार्य भहोदय के वास्तव में आधुनिक वास्तु-विद्या के अनुसन्धान एवं गवेषण करने वालों में प्रथम अक्षय कीर्ति प्राप्त है। यद्यपि इस दिशा में रामराज (देखिये “एसे आँन हिन्दू आर्काटेक्चर ”) ने सर्वप्रथम कदम उठाया था।

मानसार में ७० अध्याय हैं, जिनमें ‘गृह-निर्माण,’ ‘पुरनिवेश,’ ‘राजप्रासाद’ तथा ‘मन्दिर-निर्माण’ आदि वास्तु-कला के विभिन्न सिद्धान्तों (कैनन्च) के अतिरिक्त मूर्ति-निर्माण-कला तथा ‘भूषण-विधान’ पर भी विवेचन किया गया है। मानसार की वास्तु-विद्या पर स्वल्प में आगे के स्तम्भ (वास्तु-सिद्धान्त) में प्रकाश डाला जायगा।

चत्तरी परम्परा के वास्तु-ग्रन्थ—

अ. अ-वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थ

१. पुराण (मत्स्य, आरिन, भविष्य आदि)
२. वृहत्संहिता (ज्योतिष ग्रन्थ, परन्तु वास्तु-सिद्धान्तों का वहाँ मार्मिक विवेचन करती है)
३. तन्त्र (किरणतन्त्र आदि)
४. हयशीर्ष-पंचरात्र
५. विष्णुधर्मोत्तर (चित्रकला का अधिकृत ग्रन्थ)
६. प्रतिष्ठान-ग्रन्थ (हेमाद्रि तथा रघुनन्दन आदि के ग्रन्थ)
७. हरिमहिलिलास

ब. वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थ

१. विश्वकर्मप्रकाश
२. समरागण सूनधार
३. सूत्रपार मण्डन
४. वास्तु-रक्तार्वली
५. वास्तु-प्रदीप आदि

टिं० नं० १ पुराण—पुराणों की वास्तु-विद्या आगमों की वास्तु-विद्या के समान ही महत्व

पूर्ण है । पुराणों में मत्स्य और अग्नि में वास्तु-विद्या का विशेष वर्णन मिलता है । गरुड़, नारद, ब्रह्मण्ड, मधिष्य, लिंग, वायु तथा स्कन्द पुराणों में भी वास्तु-विद्या के सिद्धान्तों का निरूपण हुआ है ।

टिं ० २ तन्त्र—तात्रिक परम्परा भी पुराणों एवं आगमों की परम्पराओं के समान ही अति परम्परा है । हयशीर्प-पंचरात्र में वास्तु-विद्या का प्रौढ़ विवेचन मिलता है । अग्निपुराण पुरातन में प्रतिपादित वास्तु-विद्या का प्रवचन हयग्रीव के मुख से किया गया है । अग्निपुराण एवं हयशीर्प-पंचरात्र की वास्तु-विद्या की समानता को देखकर श्रीयुत् तारापद भट्टाचार्य ने (प. १३८-६) यह निष्कर्ष निकाला है कि अग्निपुराण तथा इस पंचरात्र का एक ही स्रोत है, जहाँ से वास्तु-विद्या के सिद्धान्तों को लेकर इन दोनों में उनका संकलन किया गया है । आग्निपुराण में तात्रिक वास्तु-परम्परा के निर्देश में (देखिये अग्नि ३६वा अ०) पंचरात्र या सप्तरात्र के जिन पंचविंशति ग्रन्थों का उल्लेख है वे निम्न प्रकार से द्रष्टव्य हैं:—

१—हयशीर्प	तन्त्र	१०—शाहिडल्य	तन्त्र	१८—तार्ज्य	तन्त्र
२—त्रैलोक्य मोहन	„	११—वैश्वक	„	१९—नारायणिक	„
३—वैभव	„	१२—सात्य	„	२०—आत्रेय	„
४—पौष्टक	„	१३—सौनक	„	२१—नारसिंह	„
५—प्रह्लाद	„	१४—घासिष्ठ	„	२२—आनन्द	„
६—गर्ग्य	„	१५—ज्ञानसागर	„	२३—आरुण	„
७—गालव	„	१६—स्वायम्भुव	„	२४—बौद्धायन	„
८—नारदीय	„	१७—कापिल	„	२५—आर्प	„
९—संप्रश्न	„				

टिं ०—इस नामातिका के परिशीलन से वास्तु-विद्या के विचारक निदानों को यह समझने में देर न लगेगी कि इनमें से बहुत सी तन्त्र-ग्रन्थ-संज्ञाओं में वास्तु-विद्या के प्राचीन आचार्यों की नामावली का निर्देश है जैसे हयशीर्प, प्रह्लाद, गर्ग, नारद, विश्वक (मानसार एवं शिल्प रसन के विश्वसार, विश्ववोध, विश्वकाश्यप) सौनक, वशिष्ठ, कपिल तथा अत्रि ।

इनमें हयशीर्प तथा गर्ग उत्तरी परम्परा अर्थात् नागर-स्कृत के आचार्य हैं और शेष द्राविड़ परम्परा के । इसमें वह तथ्य निकलता है कि वास्तु-विद्या की तात्रिक परम्परा द्राविड़ शाली तथा नागर शैली द्वारा दोनों का संमिश्रण है ।

च. वास्तु-सिद्धान्त

वास्तु-परम्पराओं एवं उनके प्रवर्तकों के साथ-साथ वास्तु-वाढ़मय के प्रधान ग्रन्थों के निर्देश के उपरान्त वह अध्याय अधूरा ही गह जाता है, यदि हम इन ग्रन्थों में प्रतिपादित प्रमुख विषयों का स्वल्प में वर्णन न करें । परन्तु वास्तु-विद्या और वास्तु-कला भारतीय विज्ञान (इन्डोलार्जी) का एक अल्पन्त पारिमापिक (टेक्निकल) विज्ञान है । अतः यहाँ पर उन मिडान्टों की न तो व्याख्या करने का अवगम है और न स्थान । अतः वे पटलों में समग्रज्ञ वी वास्तु-विद्या के मिदान्टों के समुद्रधारन के अवसर पर इस दिशा में अवश्य प्रयत्न होंगा । अथवा वास्तु-विद्या के इन विभिन्न कोटिक ग्रन्थों में प्राप्त सर्वत्र वड़े ही

विस्तार से वास्तु-विवरण पाये जाते हैं, अतः सौविध्य एवं स्थानाभाव की दृष्टि से इन विभिन्न परम्पराओं [पुराण, आगम, तन्त्र, शिल्पशास्त्र तथा अन्यान्य ग्रन्थ जैसे वेद, ब्राह्मण, वेदाङ्ग—ज्योतिष तथा कल्प, रामायण, महाभारत, पातिग्रन्थ एवं जातक, कौटलीय अर्थ-शास्त्र, शुक्र का नीतिसार तथा अन्य विभिन्न धार्मिक ग्रन्थ जैसे पूजा-पद्धतियाँ एवं प्रतिष्ठा-ग्रन्थ आदि आदि] के प्रतिनिधि ग्रन्थों में प्रतिपादित प्रमुख सिद्धान्तों का एकमात्र संकेत ही सम्भव है।

बैंटिक वास्तु-विद्या

सर्वप्रथम बैंटिक-कालीन वास्तु-विद्या के दर्शन करना चाहिए। ऋग्वेद-कालीन वास्तु-कला का कुछ आभास पूर्व ही दिया जा चुका है। उस समय वास्तु-विद्या के सिद्धान्तों का भी प्रचार था जो प्रायः लोग नहीं मानते हैं। ऋग्वेद के काल में गृहनिर्माण के अवसर पर जो प्रतिष्ठा-संस्कार या समारोह किया जाता था, जिन मन्त्रों का उच्चारण किया जाता था वे सब आज भी होते हैं अतः आपे के प्रत्येक वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थों में जिस वास्तु-पूजा को वास्तु-निर्माण का आवश्यक श्रृंग माना गया है वह ऋग्वेद-काल में था ऐसा ऋग्वेद के मन्त्रों को देखने में पता लगता है। ऋग्वेद में अमुर सम्बन्धित सामग्री के परिशीलन से नग्नजित् तथा त्वप्रा (जो आगे चलकर द्राविड वास्तु-विद्या के आचार्य माने गये हैं) आदि आचार्यों के संकेत भी मिलते हैं। संकेप में वास्तु-पूजा, वास्तु-भूमिचयन स्तम्भपूजा, द्वार-पूजा आदि वास्तु-विद्या के प्रारम्भिक सिद्धान्त ऋग्वेद-काल में प्रचलित थे, जिसमें तत्कालीन वास्तु-विद्या सिद्ध है।

अथर्ववेद में तो वास्तु-विद्या एवं कला का और अधिक विकास पाया जाता है। गृहनिर्माण के सम्बन्ध में विशेष सामग्री द्रष्टव्य है। अथर्ववेद के शाला-सूक्त में ‘द्विपक्षा’, ‘चतुपक्षा’, ‘पट्पक्षा’, ‘अष्टपक्षा’ तथा ‘दशपक्षा’ शालाओं का वर्णन है (६, ३, २१,) और ये कक्षा-मूवन आगे के शाल-भवन के ही सदृश हैं। इसके अतिरिक्त और बहुत से वास्तु-विवरण (स्तम्भ आदि पर) इस वेद में मिलते हैं।

ब्राह्मण ग्रन्थों की वास्तु-विद्या

ब्राह्मणों में वास्तु-विद्या के बहुल संकेत मिलते हैं। ‘शिल्प’ शब्द की प्राप्ति एवं उसका प्रयोग प्रस्तर-कला (मूर्तिकला) तथा संगीत-कला में किया गया है। ऋग्वेद-कालीन द्राविड वास्तु-विद्या के आचार्य नग्नजित् का उल्लेख ऊपर किया गया है और वह शतपथ ब्राह्मण (८. १. ४. १०) में पुष्ट होता है जहाँ पर राजन्य नग्नजित् के वास्तु-सिद्धान्तों का खण्डन मिलता है। साथ ही साथ उसे नारद का शिष्य बताया गया है। यह नारद आगे द्राविड वास्तु-विद्या का आचार्य माना गया है। श० ब्रा० में एक और महत्वपूर्ण उल्लेख है जिससे इमशान विरचन सम्बन्धी आर्य एवं आसुर (अनार्य) परम्पराओं पर उकेत है।

सूत्रकालीन वास्तु-विद्या

वास्तु-विद्या के प्रारम्भिक स्वरूप का विकास सूत्र-काल में प्रारम्भ होता है—यह पहले ही कहा जा चुका है। इस काल में भारतीय वास्तु-विद्या का स्वरूप प्रायः स्थिर हो

चला था । यहसूत्रों को देखने मे वह निष्कर्प पुष्ट होता है । वास्तु-कर्म, वास्तु-मंगल, वास्तु-होम, वास्तु-परीक्षा, भूमि-चयन, (रूप, रस, गन्ध, स्पर्श मेद से) द्वार एवं स्तम्भ-नियम, वृक्षारोपण, दारु-आहरण, पद-विन्यास, वास्तु-विद्या तथा ज्योतिप, वास्तु-फल आदि वास्तु-विद्या के सिद्धान्त, आश्वलायन, गोभिल, खादिर, शाखायन, पारस्कर तथा हिरण्यकृष्ण के गृह्य-सूत्रों मे पद-पद पर प्रत्युत परिमाण मे प्राप्त होते हैं । शुल्व-सूत्रों का (जो कल्प-सूत्रों मे ही परिगणित किये जाते हैं) वेदि-निर्माण वहाँ ही पारिभाषिक, वैज्ञानिक एवं रोचक है । वडे-वडे यज्ञों मे आवश्यक वेदियों की निर्माण-व्यवस्था मे वहाँ ही समय एवं संभार अपेक्षित होता था । वेदि-निर्माण के वास्तु-शास्त्रीय ये सिद्धान्त आगे प्रासाद-निर्माण मे आधारभूत सिद्धान्त हुए ।

महाकाव्य कालीन वास्तु-विद्या

सूत्र-साहित्य के इस संस्कृत एवं कर्मकारण-पथ से आगे वह अब रामायण एवं महाभारत के काव्य कानन मे विचरण करना है, जहाँ वास्तु-विद्या के सिद्धान्तों के सौरभ-सम्पन्न पुष्पों एवं फलों का आस्वादन करके तत्कालीन वास्तु-विद्या के प्रोज्ज्वल रूप का अनुभव किया जा सकता है ।

उत्तरापथ तथा दक्षिणापथ की वास्तु-विद्या के प्रवर्तक विश्वकर्मा और मय के निर्देश तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ यहसूत्रों मे प्रतिपादित वास्तु-विद्या के भी दर्शन होते हैं । परन्तु विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि वास्तु-विद्या एवं कला के वैज्ञानिक पक्ष का पूर्ण आभास भी प्राप्त होता है । रामायण मे स्थपतियों के भेद, गृह-प्रभेद (प्रासाद, सौध, विमान, हर्म, सभा आदि) भूमि-वर्गीकरण यह-वर्ग जैसे 'पञ्च', 'स्वस्तिक', 'वर्धमान' तथा 'नन्यावर्त (महाभारतीय)' तथा विमान, राजवेशम, समा आदि के जो वर्णन आगे के शिल्प-शास्त्रों मे प्रतिपादित हैं उनके भी दर्शन इनमे होते हैं । 'पुर-निवेश' की रूपरेखा जो आगे विकसित हुई है, उसके बहुत से संकेत यहाँ द्रष्टव्य हैं । रामायण का अथोध्या वर्णन इस तथ्य का साज़ी है । द्वार आदि की परम्परा के विकसित वीज भी यहाँ मिलते हैं । इन मन्त्र संकेतों से महाकाव्य-कालीन उन्नत वास्तु-विद्या के विषय मे दो रायें नहीं हो सकती ।

बौद्ध-कालीन वास्तु-विद्या

पाली जातकों के परिशीलन से बौद्धकालीन वास्तु-विद्या की बही सुन्दर झाँकी देखने को मिलती है । बौद्ध-साहित्य मे वास्तु-विद्या एवं कला के बहुल निर्देश यत्र तत्र सर्वत्र इतने अधिक फैले हैं कि ऐसा मालूम पहता है कि ये ग्रंथ वास्तु-विद्या का ही प्रवचन कर रहे हैं । स्वयं बुद्ध भगवान के प्रवचनों मे वास्तु-विद्या के प्रवचन प्राप्त होते हैं, जैसा कि पालि पिट्ठों ने प्रतीत होना है । 'तुल्ल वग्ग' 'विनय पिट्ठक', 'महावग्ग' आदि पाली ग्रन्थों के परिशीलन से इस कथन की सत्यता प्रमाणित हो सकती है ।

श्रीमुन् तारापद भट्टाचार्य (प० १६) ने इस सम्बन्ध मे लिखा है कि बौद्धकालीन भारत मे वास्तु-विद्या के सिद्धान्तों का पर्याप्त विकास हो चुका था । वास्तु-निर्माण सम्बन्धी मार्गलिङ्क विधान (पामादमंगलम्—जातकों मे) दार्त-चयन, भूमिचयन आदि सिद्धान्तों पर निर्देश मिलते ही हैं, परन्तु प्रयोगता यह है कि वास्तु-कला-निर्दर्शक वैज्ञानिक फौशल के सम्बन्ध मे इस निर्देश नहीं है । भवनों रा वर्गीकरण-प्रासाद, हर्म, गुहा, विद्वार, मरटप

अध्यायोग के रूप में तथा प्रासादों की भूमियों के विषय में भी उल्लेख मिलते हैं। साथ ही साथ आगे के वास्तु-ग्रंथों के सदृश मार्गों एवं प्रासादों की नामावली का भी निर्देश दृष्टव्य है। वास्तु-विद्या के कला-पक्ष के अन्य सिद्धान्तों का स्थिरीकरण भी देखने को मिलता है (देविये पत्र १६-२०)

इस प्रकार महात्मा बुद्ध के समय वास्तु-विद्या पूर्ण विकास को प्राप्त हो चुकी थी।

अर्थशास्त्र की वास्तु-विद्या

पुराणों, आगमों, तन्त्रों एवं शिल्पशास्त्रों की वास्तु-विद्या के सिद्धान्तों का हम आगे उल्लेख करेंगे। ईसवीय पूर्वकालीन कौटिल्य के अर्थशास्त्र की वास्तु-विद्या पर थोड़ा सा संकेत यहाँ पर आवश्यक है। इससे इसा की प्रथम शताब्दी के पूर्व की वास्तु-विद्या के साधारण सिद्धान्तों के स्थिरीकरण में सहायता मिल सकेगी। ईसवीय शतक से लगभग चारसौ वर्ष पूर्व यह ग्रन्थ लिखा गया था। इसमें वा० वि० के सिद्धान्तों का सुन्दर विकास प्राप्त होता है। कौटिलीय अर्थशास्त्र में वास्तु-विद्या वोधक सूत्रों से स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ परम्परागत वास्तु-विद्या का सूत्र-रूप में संक्षिप्त कर, राजनीति के ग्रन्थ में विषयानुपङ्ग से उद्भूत कर इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि उस काल में वा० वि० के मौलिक ग्रन्थ होंगे। अन्यथा, वास्तु-दृढ़य, 'नवभाग', 'वास्तु-देवता', 'कोष्ठक' आदि शब्द कैसे लोग समझ सकते। अर्थ-शास्त्र में विभिन्न प्रकार के भवन-द्वारों की देव-नामावली जैसे ऐन्ड्र, वारुण, याम्य आदि तथा पारिभाषिक शब्द यथा कपिशीर्ष इन्द्रकोप हस्तिनख, तल कपाटयोग सन्धि वीज एवं अनेक ऐसे ही शब्द यथा गोपुर, तोरण, प्रतोली विपूकम्भ, आयाम, उच्छृंग, अश्रि आदि आदि से तत्कालीन वास्तु-विद्या की प्रोत्ततावस्था की प्रचुर सामग्री प्राप्त होती है।

संक्षेप में ईसवीय पूर्व वास्तु-विद्या की रूपरेखा का निम्न प्रकार से स्थिरीकरण किया जा सकता है:—

१. वास्तु-पुरुष-विकल्पन
२. भूमिचयन एवं भूपरीक्षण
३. द्वार-स्थान
४. वृक्षारोपण
५. दारु-आहरण
६. वास्तु-पद (पद-विन्यास)
७. वास्तु-विद्या तथा ज्योतिष
८. वास्तु-फल
९. स्थपति
१०. पापाणकला तथा मूर्ति-निर्माण-कला
११. शाल-भवन
१२. शंकुस्थापन
१३. हस्त के विभिन्न भाष्य

१४. स्तम्भादि-माप-व्यवस्था
१५. गृह-द्रव्य (पापाण, इष्टका आदि)

१६. भवन-भूग

१७. प्रासाद-तच्चना

१८. वास्तु-विद्या की परम्परायें (शैलियाँ आदि)

ईसवीय पूर्व-कालीन वास्तु-विद्या की इस रूपरेखा के विवेचन करने के उपरात अब हम समराङ्गण—पूर्वकालीन वास्तु-विद्या को दो कालों में विभाजित कर सकते हैं—पहली से छठी और सातवीं से दशवीं शताब्दी तक। प्रथम काल में प्राप्त वास्तु-ग्रन्थों में वृहत्-संहिता, मत्स्यपुराण और विश्वकर्म-प्रकाश विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें से वृहत्-संहिता ज्योतिप का ग्रन्थ है और विश्वकर्म-प्रकाश ही एक मात्र वास्तु-विद्या का ग्रन्थ है जिस पर हम आगे विचार करेंगे, वृहत्-संहिता एक प्रकार से अर्धपुराण मानी जा सकती है। अतः पौराणिक वास्तु-विद्या में इसका स्थान असंगत न होगा।

वृहत्संहिता

इस ग्रन्थरूप में वास्तु-विद्या पर वडा ही सुन्दर एवं वैज्ञानिक विवेचन है। वराहमिहिर इसके लेखक हैं, जो महाराज विक्रमादित्य के नवरक्षों (कालिदास आदि) में से एक थे—ऐसी पुरानी परम्परा है। इस ग्रन्थ में यद्यपि वास्तु-विद्या पर केवल थोड़े ही अध्याय मिलते हैं परन्तु उनका विवेचन वडा ही मार्मिक है।

५३ वें अध्याय (वास्तु-विद्या) में प्रारम्भिक प्रवचनों-वास्तु-चयन, भूमि-परीक्षा, वृक्षारोपण, दारु-आहरण, पद-विन्यास आदि पर विवेचन मिलता है। 'प्रासाद-लक्षण' (५६) में वीस प्रकार के प्रासादों का वर्णन है, जो डा० आचार्य के अनुसार मत्स्यपुराण से मिलता जुलता है, माय ही वास्तु-कला सम्बन्धी इसके वैज्ञानिक विवरण विशेष उल्लेख्य है। मन्दिर की भूमि, द्वार, गर्भ-द्वार, चित्रण, प्रतिमा-माप, धीठ-माप, भूमिका-उच्छ्रूय आदि पर सुन्दर प्रकाश ढाला गया है। 'वज्रलेप-लक्षण' (५७) में सीमेट का निर्माण तथा अन्य भवन-द्रव्यों पर विवेचन है। इसी प्रकार 'धर्मनासन-लक्षण' (७६) में जैसा नाम से स्पष्ट है भवन-फर्नीचर, आसन शाया पर्यंक आदि पर विवेचन किया गया है। 'प्रतिमा-लक्षण' (५८) में वराहमिहिर ने पापाणकला पर विवेचन किया है वह वडा ही वैज्ञानिक है जो आगे के पटलों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वृहत्-संहिता की एक विशेषता यह है कि इस ग्रन्थ में लगभग ७ वास्तु-विद्या के आचार्यों का उल्लेख मिलता है—गर्ग, मतु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वकर्मा, नगनजित् तथा मय।

मत्स्य पुराण

पुराणों में, विशेष रूप जिन-जिन महापुराणों में ६० निं० के विवरण मिलते हैं उनका हम पहले ही भेदेत कर चुके हैं। यहाँ पर मर्वप्रथम हम मत्स्य को हेते हैं। इस पुराण में वास्तु-विद्या पर लगभग आठ अध्याय हैं। २५३ वें अध्याय में वास्तु-विद्या के प्रसिद्ध आचार्यान् अठारह आचार्यों पर प्रकाश ढाला गया है। स्तंभमान-विनिर्गण्य—२५४ वें श्र० में स्तंभों पर विवेचन किया गया है। मत्स्य के अनुसार भवन-निर्माण का प्रारंभ स्तंभ

रचना से प्रारंभ होना चाहिये । स्तम्भ सम्पूर्ण भवन की योजना एवं रचना का आधार है । स्तंभों को पूरकार के बगों में वर्गीकृत किया गया है:—रुचक, वज्र, द्विवज्र, प्रलीनक तथा वृत्त । इस वर्गीकरण का आधार वास्तु-सौदर्य एवं उपयोगिता है । नवताल-लक्षण (२५८) पीठिका-लक्षण (२६२), लिङ्ग-लक्षण (२६३)—इन तीनों अध्यायों में प्रस्तर-कला तथा मूर्ति-निर्माण पर विवेचन है । प्रासाद-वर्णन (२६४) मरणप लक्षण (२७०)—इन दो अध्यायों में प्रासाद-वास्तु के विवरण मिलते हैं जो आगे 'प्रासाद' पट्टल में द्रष्टव्य हैं ।

स्कन्दपुराण

इस पुराण के माहेश्वर-खण्ड (द्वितीय भाग) तथा वैष्णवखण्ड (द्वितीय माग) में वास्तु-विद्या के वर्णन प्राप्त होते हैं । मत्स्य के अनन्तर स्कन्द अधिक प्राचीन है—ऐसा द्वा० आचार्य ने माना है । महानगर-स्थापन, स्वर्णशाला, रथनिर्माण, स्थपति-निर्देश, विवाह-मरण, चित्र-कर्म आदि के जो विवरण मिलते हैं, उनमें वास्तु-विद्या के व्यापक विस्तार पर प्रकाश पड़ता है । वास्तु-कर्म, शिर्ष-कर्म का पर्याय होगया है अन्यथा रथ-निर्माण आदि तक्तक-कला से सम्बन्धित कर्म, वास्तु-कला (भवन-निर्माण-कला) में कैसे संचालित होते । प्राचीन परम्परा में वास्तु-कला एवं पापाण-कला (मूर्ति-निर्माण-कला का) घनिष्ठ सम्बन्ध है, परन्तु चित्रकला के साथ सम्बन्ध यहीं पर सर्वप्रथम देखने को मिला ।

गङ्गपुराण

इस पुराण की वास्तु-विद्या के चार अध्यायों में से दो अध्यायों में (४६-४७), सभी प्रकार के भवनों (मानव एवं दैव) तथा दुर्ग-निवेश एवं पुर-निवेश पर बड़ा ही सुन्दर विवेचन मिलता है । गङ्गपुराण की अपनी विशेषता है—पुर-निवेश तथा उद्यान-भवन (गाँडेन सिटीज) । साथ ही परम्परा के अनुरूप प्रासाद एवं प्रतिमा (४५ तथा ४८) पर भी सुन्दर विवेचन है ।

अग्निपुराण

इस पुराण में वा० वि० का बड़ा ही विस्तृत विवेचन है जैसा कि अन्य पुराणों में अप्राप्य है । इस पुराण में वा० वि० पर सोलह (४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४८, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ६०, ६२, १०४ तथा १०६) अध्यायों में वा० वि के प्राया॒ संभी त्रिंगों पर प्रकाश डाला गया है । इस पुराण में प्रधानता पापाणकला (मूर्ति-निर्माण) की है, वास्तु-कला पर केवल तीन अध्याय तथा मूर्ति-निर्माण कला पर तेरह हैं । डा० आचार्य के मत में अग्निपुराण का पुर-निवेश (अध्याय १०६) वास्तु-शास्त्रीय एक विशिष्ट देन है ।

इसी प्रकार से अन्य पुराणों में भी वा० वि० की प्रबुर सामग्री भरी है, जिसका स्थानो-भाव से विशेष विवरण नहीं दिया जा सकता है । संक्षेपत पुराणों की वास्तु विद्या की निम्न स्परेखा अद्वितीय की जा सकती है जो पूर्ण विकसित कही जा सकती है ।

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| १. वास्तु-विद्या के आचार्य | ५. दुर्ग-निवेश |
| २. वास्तु-शैलिया | ६. प्रासाद-मन्त्रिवेश |
| ३. भवन-निवेश | ७. भवन-द्रव्य-दार्वाहिरण |
| ४. पुर-निवेश | ८. स्तम्भ-मान |

१८. ताल-मान	१५. मरणप
१९. प्रतिमा-लक्षण	१६. उद्यान-भवन
२०. दशावतार	१७. वाषी-निर्माण
२१. लिङ्ग	१८. कूप-निर्माण
२२. पीठिका	१९. शैल-मन्दिर
२३. सभा	२०. चित्रकला

आगम वास्तु-विद्या

आगमों के सम्बन्ध में पूर्व ही निर्देश किया जा चुका है। अतः आगमों का एक प्रतिनिधि ग्रन्थ लेकर एवं उसके अध्यायों का निर्देशमात्र करने से ही आगमों की वास्तु-विद्या का अनुमान लगाया जा सकता है। कामिकागम आगमवास्तु-विद्या का प्रतिनिधि ग्रन्थ माना जा सकता है। अतः उसकी वास्तु-विद्या पर ६० पट्टों की निम्न विषय-तालिका इष्टच्युत है।

कामिकागम

विषय	पटल	विषय	पटल
१. भूपरीक्षा-विधि	११	२१. ग्राम घृह-विन्यास	३३
२. प्रवेशकालविधि	१२	२२. वास्तुशास्त्र-विधि	३४
३. भूपरिग्रहविधि	१३	२३. शालाल-लक्षण-विधि	३५
४. भूकर्पणविधि	१४	२४. विशेष-लक्षण-विधि	३६
५. शंखुस्थापन-विधि	१५	२५. द्विशाल-लक्षण-विधि	३७
६. मानोपकरण-विधि	१६	२६. चतुरशाल-लक्षण-विधि	३८
७. पाद-विन्यास	१७	२७. वर्धमानगाला-लक्षण	४०
८. सूत्र-निर्माण	१८	२८. नन्याखर्त-विधि	४१
९. वास्तुवेक्षकाल	१९	२९. स्वस्तिक-विधि	४२
१०. आमादि-लक्षण	२०	३०. पद्मालादि-विधि	४३
११. विस्तारायाम-लक्षण	२१	३१. हस्तिशाला-विधि	४४
१२. आयादि-लक्षण	२२	३२. मालिकालक्षण-विधि	४५
१३. दरटकविधि	२३	३३. लागलमालिका-विधि	४६
१४. वीथी-द्वारादिमान	२४	३४. मालिकमालिका-विधि	४७
१५. आमादि-देवता-स्थापन	२५	३५. पद्ममालिका-विधि	४८
१६. आमादि-विन्यास	२६	३६. नागरादि-विभेद	४९
१७. प्रताडेव पश्चति	२७	३७. भूमिलभ-विधि	५०
१८. आमादि-ग्रंग-स्थान-निर्माण	२८	३८. आग्रेष्ट्रा-विधि	५१
१९. गर्वन्यास	२९	३९. उपर्यादन-विधि	५२
२०. वातस्थापन-विधि	३०	४०. पादमान-विधि	५३

४१. प्रस्तार-विधि	५४	५० अंकुरार्पण-विधि	६३
४२ प्रामादभूपण-विधि	५५	५१ लिग-प्रतिष्ठा-विधि	६४
४३ करठलक्षण-विधि	५६	५२ प्रतिमा-लक्षण-विधि	६५
४४. शिवर-लक्षण-विधि	५७	५३ देवता-स्थापन-विधि	६७
४५. स्त्रीपिकालक्षण-विधि	५८	५४. प्रतिमा-प्रतिष्ठापन-विधि	६८
४६. नालादिस्थापन-विधि	५९	५५. विमान-स्थापन-विधि	६९
४७ एक-भूम्यादि-विधि	६०	५६ मरणप-स्थापन-विधि	७०
४८ मूर्धनि-स्थापन-विधि	६१	५७ प्राकार-लक्षण-विधि	७१
४९. लिङ्गलक्षण-विधि	६२	५८ परिवार-स्थापन-विधि	७२

कामिकागम के अतिरिक्त करणीगम, सुप्रमेदागम वैज्ञानिकागम आदि आगम-ग्रन्थों में भी वा० वि० का प्रौढ़ प्रतिपादन प्राप्त होता है। करणीगम का तालमान बड़ा ही वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक विवेचन है। इसमें लगभग चालीस अध्याय वा० वि० पर हैं। सुप्रमेदागम की विशेषता संक्षेप-प्रियता है जो वराहमिहिर की वृहत्संहिता के समान ही स्वल्प में सभी विषयों पर वर्णन करता है। इसमें केवल १५ अध्याय हैं परन्तु विवेचन प्रौढ़ एवं मौलिक है। 'प्रासाद-पटल' में सुप्रमेदागम की विशेष चर्चा दृष्टव्य है।

आगमों की वास्तु-विद्या की रूपरेखा का अलग से अंकन करने की आवश्यकता नहीं। कासिकागम के अग्राध वास्तु-सागर की गहराई में प्राय, सभी वास्तु-रत्न प्राप्त हो सकते हैं। विषय-तालिका से ही विषय-वर्गीकरण स्पष्ट है। आगमों की वा० वि० की समीक्षा में यह कहा जा सकता है कि पुराणों की अपेक्षा आगमों का विवेचन न केवल अधिक वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक ही है वरन् सामोपाग भी है। सम्भवतः ही कोई ऐसा विषय हो जिसकी चर्चा इनमें न हो।

तान्त्रिक वास्तु-विद्या

पुराणों एवं आगमों की पुण्यभूमि पर बहुत देर तक विचरण करते रहे। तन्में के साधनात्मक पर मुङ्गने के लिये इतना ही संकेत पायेय का काम दे सकता है, कि जिन विभिन्न तान्त्रिक ग्रन्थों का निर्देश किया गया है, उनमें वा० वि० के सुन्दर विचरण मिलते हैं। यहाँ पर विशेष चर्चा नहीं की जा सकती। इस परम्परा के प्रौढ़ एवं अधिकृत ग्रन्थ द्यशीर्ष-पञ्चरात्र पर थोड़ा सा प्रकाश डाला ही जा चुका है।

शिल्प-शास्त्रीय वास्तु-विद्या

शिल्प शास्त्रीय वास्तु विद्या की दोनों कोटियों (दक्षिणी तथा उत्तरी) के ग्रंथों का निर्देश किया ही जा चुका है। लेखक के मत में शिल्प-शास्त्रीय ग्रंथों में तीन ग्रन्थ प्रति-निधि ग्रंथ हैं। पहला विश्व-कर्म-प्रकाश तथा शिल्प, दूसरा मानसार और तीसरा समग्राङ्ग-सूत्रधार। समग्राङ्ग की वास्तु-विद्या का औपोड़ातिक समीक्षण आगे के अध्याय में किया जायगा। वैसे तो यह सम्पूर्ण ग्रन्थ समग्राङ्ग का ही अव्ययन है। मानसार की वा० वि० पर डा० आचार्य के ग्रन्थ विशेष दृष्टव्य हैं। दक्षिणी परम्परा का दूसरा प्रामाणिक ग्रन्थ मयमत है परन्तु मयमत और मानसार में अत्यधिक समानता के कारण मानसार का ही

उल्लेख विशेष संगत है। अतः यहाँ पर दोनों परम्पराओं के इन दो प्राचीन ग्रंथों (मान-सार एवं विश्वकर्म-प्रकाश) की स्वत्प में समीक्षा करनी है। पहले विश्वकर्म-प्रकाश की चर्चा ही उचित है।

विश्वकर्म-प्रकाश (तथा शिल्प)

भारतीय वास्तु-विद्या के अति प्रसिद्ध प्रवक्ता विश्वकर्मा के नाम से विभिन्न हस्तलिखित ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। उन ग्रन्थों की एक से अधिक संजाये हैं जैसे विश्वकर्म-प्रकाश अथवा विश्वाकर्मा-वास्तु-शास्त्र तथा विश्व-कर्माण्य-शिल्प, अवथा विश्वकर्मा-शिल्प-शास्त्र। विश्वकर्म-प्रकाश अथवा विश्वकर्मा-वास्तु-शास्त्र नामक प्रथम ग्रन्थ में केवल तेरह अध्याय हैं, जो विशेष कर भारतीय वास्तु-कला के भवन-विद्या के विवरणों तकही सीमित है। परपरानुरूप भवन-कला के साथ-साथ मूर्ति-कला पर भी विवेचन आवश्यक है अतः यह पृष्ठ दूसरे ग्रंथ—विश्व-कर्माण्य शिल्प अथवा विश्व-कर्मा-शिल्प-शास्त्र द्वारा की जाती है। इसमें सत्तरह अध्याय हैं जिनमें विशेष कर मूर्ति-निर्माण-कला के विपर्यों का विवेचन है। डा० आचार्य इस दूसरे ग्रंथ को संग्रह मानते हैं, क्योंकि तात्रिक शैली में यह लिखा गया है। भगवन् शिव इसके प्रवक्ता हैं। अस्तु इतना निर्विवाद है—दोनों ही ग्रंथ मिलकर वास्तु-विद्या के प्रमुख सभी सिद्धान्तों का समुद्घाटन करते हैं। विश्वकर्म-प्रकाश की विषय-तालिका निम्न रूप से श्रृंकित की जा सकती है :—

विश्वकर्म-प्रकाश

१. भंगलाचरण	१६. पातुका-उपानह-मञ्चादि-मानलक्षण
२. वास्तु-पुरुषोत्पत्तिवर्णन	२०. शंकु-गिला-न्यास-निर्णय
३. भूमिलक्षण	२१. वास्तु-देहलक्षण, पूजन, वलिदान
४. गृह-प्रवेश	२२. शिलान्यास
५. खनन-विधि	२३. प्रासाद-विधान
६. स्वम-विधि	२४. शिल्प-व्यास
७. भूमि-फल	२५. प्रासाद-निर्णय
८. गृहरम्भ में समय-विधि	२६. पीठिका-लक्षण
९. ऋजा	२७. मण्डप
१०. आयव्यर्योगादिफल	२८. द्वारलक्षण
११. गृहमध्य-देवादिस्थापन-निर्णय	२९. वापी-कृप-तटाग-उत्त्यान-क्रिया
१२. श्रुतादि-ग्रह-भेद	३०. दारच्छेदन-विधि
१३. द्वारमान	३१. गृह-प्रवेश-निर्णय
१४. स्तम्भ-प्रमाण	३२. गृह-प्रवेश-काल-शुद्धि
१५. गृहशाला-निर्णय	३३. शाय्यामन-डोलन-दिं-लक्षण
१६. गृहरम्भ-उत्त-कुरुदलीस्थग्रह-फल	३४. दुर्ग-निर्णय
१७. गृहरम्भ-उत्त-कुरुदलीस्थग्रह-फल	३५. शल्यजान
१८. ग्रन्थान्वय-मन्दिर-भवन-मुमन-मुधारादि	३६. नगर-मन्दिर-राजगृहादि-निर्णय
गृह-लक्षण	

विश्वकर्मीय शिल्प

इसके सत्तरह अव्यायों की विपय तालिका निम्नलिखित है :—

१. विश्वकर्मा की उत्पति एवं अन्य तत्त्वक, वार्धिक आदि स्थपति-मैटो का वर्णन ।
२. युगानुपूर्वी नरों की ऊँचाई तथा प्रतिमा-निर्माण के द्रव्य काष—पाषाण आदि ।

टिप्पणी—प्रतिमाओं के मान का आधार नरमान ही प्रकल्पित हुए हैं—देखिये इस ग्रंथ का पछ पटल ‘प्रतिमा-विज्ञान’ ।

३. तदक के लिये (मूर्ति-निर्माता—काषादि से) गर्भाधानादि-संस्कार-कथन तथा गर्भोत्पत्ति-कथन ।
४. शिव-लिंग तथा अन्य देवों की प्रतिमा-प्रतिष्ठापनार्थ मन्दिर (सभा) निर्माणादि ।
५. गृह-प्रतिमा-निर्माण-प्रमाण तथा लिंग-पीठ-निर्माण-प्रमाणादि ।
६. रथ-निर्माण-विधि-कथन ।
७. रथ-प्रतिष्ठा-विधि ।
८. ब्राह्मी, माहेश्वरी आदि स्वरूप कथन ।
९. यजोपवीत-ज्ञान्य ।
१०. सुवर्ण-रजत मुजादि-निर्मित यजोपवीत-कथन तथा मेरुदण्ड-स्थित हेमशिला-कथन ।
११. लद्मी, ब्राह्मी, माहेश्वरी-आदि देवी और इन्द्र आदि दिक्पाल तथा ग्रहादि मूर्ति-निर्माण-प्रकार ।
१२. व १३ मुकुट-किरीट-जटा मुकुटादि निर्माण-प्रकारादि ।
१४. स्थावर, अस्थावर सिंहासन-निर्माण-प्रकारादि । पुनर्विशेषणकिरीट, ललाट पट्टिकादि निर्माण-प्रकार तथा देवता-मन्दिर-जीणोद्धार-प्रकार ।
१५. लिंग-मूर्ति-मन्दिर-द्वारादि-कथन ।
१६. प्रतिमा-मूर्ति-मन्दिर-द्वारादि-कथन ।
१७. विज्ञेश-मूर्ति-मन्दिर-द्वारादि-विधि ।

विश्वकर्मा के इन दोनों ग्रन्थों के प्रतिपाद्य विपयों से प्रतीत होता है कि भारतीय वास्तु-विद्या की यह रूपरेखा उस महाधारा के समान है जो कालान्तर में दो धाराओं में वहने लगी और अन्ततोगत्वा समराङ्गण-समुद्र में पुनः एकाकार होकर एकात्मक हिन्दू वास्तु-शैली (Composite Hindu Style of Architecture) को जन्म देवे में सहायक हुई ।

मानसार

दक्षिणी परम्परा के अग्रगामी एवं अधिकृत इस ग्रन्थरत्न पद विद्वद्वन् डा० आचार्य की अमर कृतियों का हस निर्देश कर ही चुके हैं । वास्तु-विद्या के अनुसंधान गवेषण एवं समीक्षण में तस्प्रन्थी मानसारीय कृतियों (Manasara series सहायक पुस्तक सूची देखिये) ने पथ-प्रदर्शन का काम किया है । समराङ्गण के समान ही यह भी एक विशाल ग्रन्थ है (७० अध्याय, दस हजार पक्षियाँ ।)

विषय-तालिका

१. संग्रह
२. शिल्प-लक्षण-पूर्वक-मानोपकरण-विधान
३. वास्तु-प्रकरण
४. भूमि-संग्रह-विधान
५. भू-परीक्षा-विधान
६. शंकु-स्थापन-लक्षण
७. पट-विन्यास-लक्षण
८. वलिकर्म-विधान
९. ग्राम-लक्षण
१०. नगर-विधान
११. भूमिलव-विधान
१२. गर्भ-विन्यास-विधान
१३. उपपीठ-विधान
१४. अधिष्ठान-विधान
१५. स्तम्भ-लक्षण
१६. प्रस्तरविधान
१७. सन्धिकर्म-विधान
१८. विमान-लक्षण
१९. एक-तलविधान
२०. द्वितल-विधान
२१. त्रितल-विधान
२२. चतुर्तल-विधान
२३. पञ्चतलविधान
२४. पट्टूतल-विधान
२५. सप्ततल-विधान
२६. आष्टतल-विधान
२७. नवतल-विधान
२८. दशतल-विधान
२९. एकादशतल-विधान
३०. द्वादशतल-विधान
३१. ग्रामाग-विधान
३२. परिवार-विधान
३३. गोपुर-विधान
३४. मरुष्य-विधान
३५. गाला-विधान

विषय तालिका

३६. घट-मान-स्थान-विधान
३७. घट-प्रवेश-विधान
३८. द्वार-स्थान-विधान
३९. द्वार-मान-विधान
४०. राज-हर्म्य-विधान
४१. राजाग-विधान
४२. राज-लक्षण
४३. रथ-लक्षण
४४. शयन-विधान
४५. सिंहासन-लक्षण
४६. तोरण-विधान
४७. मध्यरंग-विधान
४८. कल्पवृक्ष-विधान
४९. मौतिलक्षण
५०. भूपरणलक्षण
५१. त्रिमूर्तिलक्षण
५२. तिंग-विधान
५३. पीठलक्षण
५४. शक्तिलक्षण
५५. जैनलक्षण
५६. वौद्धलक्षण
५७. मुनिलक्षण
५८. यज्ञविनाधरलक्षण
५९. भक्तलक्षण
६०. हंसलक्षण
६१. गरुडलक्षण
६२. वृपमलक्षण
६३. मिट्टलक्षण
६४. प्रतिमा-विधान
६५. उच्चमटगताल-विधान
६६. मध्यम टगनाल-विधान
६७. प्रलभलक्षण
६८. मधुच्छियालक्षण
६९. श्रांगदृपण-विधान
७०. नवनोन्मीलन-लक्षण

इस प्रकार द्वन्द्व सत्तर अध्यायों में, प्रथम आठ अध्याय वास्तुकला के औपेत्रधातिक विवेचन से सम्बन्ध रखते हैं, जिनमें सग्रह (विषय-सूची) मान, स्थपति तथा स्थपति के लक्षण, भूमि-व्यवन, भू-परीक्षा, पद्म-विन्यास, शंकुस्थापन तथा वलिकर्म आदि पर प्रकाश डाला गया है। पुनः आगे के व्यालिस अध्यायों में (६ से ५० तक) विभिन्न प्रकार के ग्राम, पुर, नगर, दुर्ग के विवरणों के साथ साथ सन्धिकर्म, गर्भ-विन्यास, शिलान्यास स्तम्भ एवं स्तम्भभावयव, भूमितल (एक से द्वादश तक साधारण भवनों, मन्दिरों तथा राजभवनों में तथा एक से सत्तरह तक गोपुरों में) विमान, ग्राकार, परिवार, गोपुर, मण्डप, शाला, द्वार, प्राङ्गण, तोरण, राजवेशम, राजप्रकोष्ठ, सिंहासन, मुकुट, रथादि यान तथा भवन-फलोंचर—पर्येक, शश्या, टेविल, कुर्सियाँ, अलमारियाँ, मंजूपायें, पिञ्जर आदि साथ ही साथ मध्यरंग, एवं भूपरण तथा पोशाक आदि पर विवेचन किया गया है। अन्तिम वीस अध्यायों में पापाण-कला (मूर्ति-निर्माण) पर प्रवचन है जिनमें हिन्दू, बौद्ध, जैन मूर्तियों के निर्माण-कौशल के नियमों के साथ साथ महापुरुषों एवं पशुओं और पक्षियों (गरुड़ आदि) की मूर्तियों की निर्माण-व्यवस्था है। अतः इस ग्रन्थ में वास्तुकला पर पचास तथा पापाण-कला पर वीस अध्याय हैं।

मानसार की वास्तु-विद्या की इस रूपरेखा के इस निर्देश के उपरान्त इसमें प्रतिपादित वास्तु-विद्या के जो विवरण मिलते हैं, उससे प्रौढ़ दक्षिणात्य मन्दिर-निर्माण कला के दर्शन होते हैं। १ से १७ तक की भूमिकाओं (स्टोरीज) वाले गोपुरों का विकास दक्षिण में उत्तर-मध्यकालीन मन्दिर-निर्माणकला की परम्परा का प्रतीक है। मानसार में गोपुरों की इसी विशिष्टता के कारण श्रीयुत् तारापद भट्टाचार्य ने इसे मध्यकालीन (११वीं से १५वीं शताब्दी के मध्य की) रचना माना है।

वास्तु-विद्या के इन प्रतिनिधि-ग्रन्थों की अति सूक्ष्म समीक्षा के उपरान्त यहाँ पर इतना संकेत और करना है कि पुराणों, आगमों एवं तंत्रों में वास्तु-विद्या का प्रतिपादन तो चल ही रहा था, साथ ही साथ शिल्प-शास्त्र पर मौलिक ग्रंथों की रचना भी होती रही। स्थानाभाव से उन सभी ग्रंथों की यहाँ समीक्षा नहीं हो सकी। आगे के अध्यायों में ग्रायः सभी प्रमुख ग्रंथों का संकेत मिलेगा। तथापि इन प्रमुख ग्रंथों का थोड़ा सा दिग्दर्शन करके इस अध्याय को समाप्त करना है। इन प्रमुख ग्रंथों में कुछ प्रसिद्ध ग्रन्थ जैसे सूक्ष्मधार-मण्डन के ग्रन्थ, श्रीकुमार का 'शिल्प-रत्न' समराङ्गण के बाद के हैं जिनमें वास्तु-विद्या का सुन्दर एवं सुरुचित प्रतिपादन है। अगस्त्य का 'सकलाधिकार' प्रतिमा-निर्माण पर बढ़ा ही प्रौढ़ विवेचन करता है। काश्यपीय-शिल्प अथवा 'अंशुमद्भेद' दक्षिणी वास्तु-विद्या का लोक-प्रिय ग्रन्थ है। अर्वाचीन समय में भी मूर्ति-निर्माता कारीगरों की यह हस्त पुस्तक (हैन्डबुक) है। 'साउथ इंडियन ब्रोज़िज' में श्रीयुत गंगोली जी लिखते हैं कि दक्षिण के सभी पापाण-कोविदों का वह सर्वसाधारण, अति प्रसिद्ध प्रामाणिक ग्रन्थ है। नवीन जिजासु कला-शिष्यों को आज भी इसके श्लोर कण्ठाप्र कराये जाते हैं। इसमें मूर्ति-निर्माण एवं मूर्ति-मापन आदि के नियम मंग्यहीत हैं। ग्रन्थ सी विशालकाय है। 'समराङ्गण-सूक्ष्मधार' के समान इसमें भी द३ अध्याय (पठल) हैं।

समराङ्गण-सूचनार

संक्षेप एवं समीक्षा

समराङ्गण की वास्तु-विद्या पर इस औपोद्घातिक पटल में एक साधारण एवं संक्षिप्त समीक्षा की आवश्यकता इसलिये विशेष है कि विगत अध्याय में समराङ्गण पूर्वकालीन प्राचीन वास्तु-विद्या से इसकी तारतम्य और इसकी देन का प्रारम्भ में ही कुछ आभास मिल जाय। यद्यपि आगे के अध्यायों में समराङ्गण की ही वाँचिं विंचिं का विषयानुपर्जिक (पुर, भवन, यंत्र, प्रासाद, प्रतिमा एवं चित्र का) प्रतिपादन है तथापि इस समीक्षा से न केवल इस ग्रंथ की महत्वा का मूल्याङ्कन होगा अपितु वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थों में इसका क्या स्थान है—इस प्रश्न पर भी आवश्य कुछ प्रकाश पड़ सकेगा।

गत अध्याय में भारतीय वास्तु-विद्या के विभिन्न कोटिक ग्रन्थों के विषयों की रूप-रेखा का जो परिचय प्राप्त हुआ उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वास्तु-विद्या का चेत्र शनैः शनैः वहुत व्यापक एवं विस्तृत होता गया। परन्तु एक ही ग्रंथ में हमें इस विस्तार के दर्शन नहीं होते। किन्तु मैं भवन-निर्माण एवं प्रासाद-निर्माण तक ही वास्तु-विषय सीमित है, तो किन्तु मैं प्रतिमा-निर्माण पर ही विशेष विस्तार है। कुछ ऐसे भी ग्रंथ मिले हैं, जिनमें चित्रकला तथा तत्त्वज्ञान—रथ इत्यादि तथा दोला आदि पर भी प्रबन्धन प्राप्त होते हैं। मानसार एवं कामिकागम की विस्तृत एवं व्यापक वास्तु-विद्या में भी चित्रकला तथा यंत्रकला का सन्दर्भ नहीं है। इस दृष्टि से समराङ्गण की देन का हम आभास पा सकते हैं। परन्तु इस अध्याय में सर्वप्रथम समराङ्गण के प्रतिपाद्य विषयों का अवलोकन ही विशेष समीक्षा होगा।

इस ग्रन्थ में द३ अध्याय हैं। लगभग दस हजार पंक्तियों में लिखित यही एक ऐसा वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थ है जिसमें वास्तु-विद्या के अविकल अंगों का सारोपण विवेचन है। विभिन्न कोटिक-भवनो—साधारण भवन (जनावास—जालभवन) राज-भवन या राज-प्रासाद, देव-भवन (प्रासाद-मन्दिर), विशिष्ट भवन (जैसे समा-भवन), उपभवन (जैसे गजशाला, बाजिशाला) इत्यादि का वैज्ञानिक, सामाजिक तथा धार्मिक वर्गाकारण एक-मात्र इनी ग्रंथ में प्राप्त होता है। इसका विशेष वर्णन हम 'भवन-पटल' में वर्तेंगे। भवन-वास्तु-विद्या पर इस ग्रन्थ में लगभग तीन दर्जन अध्याय हैं (देखिये सुमधुरा विषयानुक्रमणी पृ० ६-१२)।

समराङ्गण का पुरनिवेश वहाँ ही व्यापक है। पुरनिवेश में आजकल के टाउन प्लानर्स रीजनल प्लैनिंग (देश-पर्याकारी) पर विजेष अभिनिवेश रखते हैं। उग्रान-नगरों (गाँड़न मिटीज़) की निवेश-प्रक्रिया को लोग 'आधुनिक' देन समझते हैं परन्तु यहाँ पर उन्नेत न देना असंगत न होगा कि समराङ्गण के पुरनिवेश में इन दोनों एकीकरणों का पृग्र ध्यान नहीं दिया गया है जिनका प्रतिपादन 'पुरनिवेश'-पटल में विशेष रूप में रिया जायेगा।

पुरनिवेश एवं भवन-निवेश के व्यापक सिद्धान्तों के इस दिग्दर्शन के पर्श्चात् सम-
राज्ञण के प्रासाद-नास्तु (टेम्पिल आर्किटेक्चर) के विषय में यह संकेत कर देना ही पर्याप्त होगा कि प्रासाद-नास्तु का इतना सुन्दर एवं विस्तृत निरूपण अन्यत्र तुल्य है। अन्य का लगभग आधा माग प्रासाद-रचना पर है। भारत की पूर्व-संकेतित दो प्रमुख शैलियों (उत्तरी अथवा नागर शैली तथा दक्षिणी अथवा द्राविड़ शैली) के अतिरिक्त उस सम्य तक विभिन्न जनपदों तथा वास्तु-केन्द्रों में विकसित अन्य शैलियों—जैसे वाव्राट (वैराट), भूमिज एवं लाट (लतिन) आदि—के न केवल वहु-संख्यक प्रासादों का ही प्रौढ़ प्रतिपादन है बरन् विभिन्न कोटिक-प्रासादों—जैसे अजन्ता और एलोरा के गुहा-मन्दिर (संमराज्ञण द्वारे लदन, गुहा-राज आदि नामों से पुकारता है) तथा स्तम्भ-वहुल छाद्य-प्रासाद एवं शिखरोत्तम प्रासाद (सुवनेश्वर तथा खजुराहो) वहु-भूमिक प्रासाद (तंजौर, मामल्हपुर आदि) आदि अनेक स्मारक-निर्दर्शन-सूचक प्रासादों—का भी वर्णन करता है। इस प्रकार यह ग्रन्थ न केवल मध्य-कालीन वास्तु-कला (विशेषक प्रासाद-नास्तु) का एक प्रामाणिक एवं अधिकृत ग्रन्थ है अपितु उस काल तक की वास्तु-कला की विकसित परम्पराओं का एक प्रकाशक दर्पण भी है।

मध्यकाल तक विकसित वास्तु-विद्या के आधे दर्जन प्रधान विषयों में से तीन (भवन, पुर एवं प्रासाद) की तो स्थूल समीक्षा हो चुकी, अब प्रतिमा-विज्ञान पर, जो पुरातन काल से ही वास्तु-विद्या का प्रमुख विषय रहा है किन्तु विचार कर लेना अधिक उपयुक्त होगा। इस ग्रन्थ में अग्रस्त्य के सकलाधिकार के समान, प्रतिमा-विवेचन उतने विस्तार रूप से नहीं मिलेगा, यद्यपि इस विषय पर लिखित लगभग १४ अध्यायों में प्रतिमा-विज्ञान के प्राय सभी प्रधान अंगों पर प्रकाश ढाला गया है। प्रतिमा-विज्ञान के सम्बन्ध में समराज्ञण की एक विशेष देन यह है कि यह चित्र-कला का वडा सुन्दर विवेचन करता है। ‘विष्णु-धर्मोत्तर’ तथा ‘चित्रलक्षण’ को छोड़कर अन्यत्र किसी ग्रन्थ में चित्रकला विवेचन अप्राप्य है। प्रतिमा-विज्ञान की व्यापक कल्पना में हम प्रतिमाओं को दो प्रधान वर्गों में वॉट सकते हैं—इव्य-प्रतिमा (मृगमयी, लौहमयी, ताम्रमयी, रजतमयी, स्वर्णमयी, रक्तमयी, गन्धमयी आदि, आदि) तथा चित्र-प्रतिमा। वैसे तो अन्य ग्रन्थों में प्रतिमाओं के वर्गीकरण में चित्र (आलेख) का समावेश पाया जाता है, परन्तु चित्र-कला पर सागोपाग वैज्ञानिक वर्णन, प्राप्त शिल्प शास्त्रीय ग्रन्थों में, इसी की विशेषता है।

आगे के एक अध्याय में समराज्ञण के व्यापक वास्तु-विषय (स्कोप) पर विशेष प्रकाश ढाला जायगा। उसी के अनुरूप इस ग्रन्थ में यंत्रकला पर एक वडा अध्याय है। इस अध्याय में प्राप्त सामग्री दें भारत की विकसित यन्त्र-विद्या का अनुमान लगाया जा सकता है। उपलब्ध वास्तु-शास्त्रीय एवं अ-वास्तुशास्त्रीय दोनों ही प्रकार के ग्रन्थों में यन्त्र-निर्माण पर, यंत्रों के विभिन्न वर्गों आदि पर, कहीं भी—कुछ भी सामग्री नहीं है। इस दृष्टि से यह ग्रन्थ एक बड़े अभाव की पूर्ति करता है। इस यंत्र-विद्या की विशेष समीक्षा ‘यंत्र-पटल’ में दृष्टिय है। इस ग्रन्थ में यंत्रों के साधारण भवन-फर्माचर जैसे ग्रन्था तथा आसन आदि पर भी एक बहुत सुन्दर अध्याय है जिसमें स्थपतियों की विभिन्न कोटियों में काष्ठकार (वटड़) भी सम्मिलित किया गया जान पड़ता है।

इस प्रकार समराङ्गण की वास्तु-विद्या के इस दिग्दर्शन के उपरान्त अब संक्षेप में समराङ्गण के अध्यायों पर भी धृष्टिपात कर लेना असगत न होगा ।

औपोद्घातिक—

प्रथम ७ अध्यायों (देखिये विषयानुक्रमणी) में वास्तु-प्रयोजन, वास्तु-प्रतिष्ठापक, वास्तु-ब्रह्मा, वास्तु-कल्पना, वास्तु-त्रयी(भूमि, स्थपति एवं शासक) वास्तु-विस्तार, वास्तु-सृष्टि, वास्तु-नन्म तथा वास्तु-विद्या के विभिन्न विषयों की अवतारणा की गई है ।

वैसे तो विभिन्न वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थों में जैसे मानसार, मयमत, विश्वकर्मीय—शिल्प आदि प्रसिद्ध ग्रन्थों में वास्तु शब्द का अर्थ एवं वास्तुकला का क्षेत्र—भवन, प्रासाद, राज-प्रासाद, प्रतिमा, तथा पुर तक ही—सीमित है परंतु इस ग्रंथ में तो वास्तु-कला का क्षेत्र पुर से आगे बढ़कर जनपद एवं देश अथवा सम्पूर्ण मही तक फैल गया है । सम्भव है इस कल्पना में अतिरक्तना एवं रूपकला की छाया दिखलाई पड़ती हो, परन्तु जैसा ऊपर संकेत किया जा चुका है, मानवता-अविभाज्य है मानव-संस्कृति एवं विश्व-संस्कृति भी अविभाज्य है । सूक्ष्म दृष्टि से संस्कृति एवं सम्यता के आधारभूत सिद्धान्त सर्वत्र समान रूप से प्रत्येक जाति, देश एवं राष्ट्र में पाये जाते हैं, अतः समराङ्गण में भी यदि प्रथम अध्याय में महासमा पृथ्वी तथा पृथु की कथा की आवतरण सम्पूर्ण पृथ्वी के निवेशोपक्रम वासितियोग्यता, वास-स्थान जनपद-निवेश एवं सृष्टि-संविभाग के लिये की गयी है, और इस प्रकार वास्तुकला का विषय साधारण अथवा विशिष्ट-भवनों एवं उन भवनों एवं प्रासादों के निवेश-स्थान,—ग्रामों, खेटों, पत्तनों, पुठ-भेदनों, एवं पुरों तक ही सीमित न रखकर पुर-समूह, जनपद एवं जनपद-समूह राष्ट्र या देश तथा राष्ट्र-समूह भूमण्डल तक विस्तृत होगया है तो तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक ही है ।

प्रथम अध्याय में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास राजा पृथु के भय से विक्षुवा पृथ्वी आती है और पृथु के द्वारा पीड़ित पृथ्वी अपनी पीड़ा कथा कह भी न पायी थी कि महाराज पृथु [जिनसे आगे चलकर पृथ्वी ‘पृथ्वी’ ‘पृथो-इर्य (प्रियकरी) इति पृथ्वी’ कहलाई] स्वयं श्रा धमके और कहने लगे—हे जगन्नाथ ! आप ही ने तो इस जगत् का सुरक्षा स्वामी बनाया है तथा इस स्थावर-जंगमात्मक समस्त भू-मण्डल को मेरे वश में स्थापित कर भू को ऊर्वरा, बनाकर गण, देश, जनपद, पुर, ग्राम, खेट क आदि विभिन्न स्थानों के निवेश योग्य उसको बनाने के लिये भी तो आपने आदेश दिया है । अतः इस पृथ्वी-दोहन-कार्य में यह पृथ्वी ने भी सहायिका न होकर मेरे वश में न आकर अकाश भयभीत आपके समीप उपस्थित हुई है । अतः हे ब्रह्म ! वर्णाश्रम-स्थान-विभाग कैसे सम्भव होगा जब तक अनेक ऊर्वर-खायझ, टीले, पर्वत आदि का समीकरण होकर भूमि समतल तथा वसतियोग्य न बन जाये ?

महाराज पृथु के इन वचनों को सुनन्तर पृथ्वी के कल्पण-निवेदन को ध्यान में रखकर उन निर्भय बनाकर दोनों को ही सम्बोधन कर ब्रह्माजी कहते हैं—हे मर्तीपाल ! यदि आप इस मर्ती जा विभिन्न पालन करेंगे तो नि.मन्देह यह पृथ्वी सम्य आदि निपादन कर तुम्हारे एवं नमत्त प्राणिजाति के लिये उपर्योग बनेगी । अथव, तुम्हारा जो स्थानादि-विनिवेशन मनोन्मय है वह सर्व-मिद्दि-प्रवर्तद प्रभास (वसु) के लक्ष्ये, वृहत्पत्नि के भानजे

बृहस्पति के ही समान प्रखर-गुद्धि विश्वकर्मा जी सम्पादन करेंगे । स्वर्गलोक में इन्होंने इन्द्र की राजधानी देवपुरी अमरावती के निर्माण की स्थापति प्रात ही कर ली है । अथवा अपाय ने बहुत सी राजधानियों एवं नगरों का निर्माण-कौशल भी प्राप्तकर लिया है । अतः इन्हीं को इस कार्य में लगाइये । ये ही पुर, ग्राम तथा नगरों के निवेश करेंगे और यह भूलोक भी स्वर्गलोक के समान वासयोग्य बन जायगा । अतः हे वत्स ! तुम जाओ और अपना कार्य करो । और हे पृथ्वि ! तू भी भय छोड़कर राजा पृथु की प्रियकरी बन । और विश्व-कर्मन् ! तुम भी महाराज का प्रिय सम्पादन करो ।

आगे के अध्याय में (विश्वकर्मणः पुत्रसंवादाध्यायो नाम द्वितीयांश्चायाः) विश्वकर्मा पितामह ब्रह्म के इस नियोग (Mission) की सफल सिद्धि के लिये अपने मानस पुत्रो—जय, विजय, सिद्धार्थ तथा अपराजित—को स्मरण कर इस कार्य में सहायता के लिये कहते हैं । स्वयं तो पृथु की राजधानी बनाने का संकल्प करते हैं और अपने पुत्रों को भूलोक के चारों दिक्ष्मरण्डलों पर वासयोग्य जनपद आदि तथा देशों की रक्षार्थ दुर्ग-स्थापन तथा चारों वर्णों के योग्य स्थानादिनिवेश—इन सब कार्योंके सम्पादन के लिये आदेश देते हैं । इस पर विश्वकर्मा के ज्येष्ठ पुत्र जय ने इस भूलोक के ज्ञान एवं सृष्टि आदि के विज्ञान की जिज्ञासा की तथा स्थापत्य-विद्या के सिद्धान्तों एवं वास्तुकला के मर्म पर प्रकाश डालने की अपने पिता से प्रार्थना की ।

इस प्रकार यह कथानक समराङ्गण की वास्तु-विद्या और उसके आचार्य विश्वकर्मा की अवतारणा के साथ-साथ वास्तु-विद्या के व्यापक चेत्र (scope) पर प्रकाश डालता है, जिसमें वास्तु-विद्या का सम्बन्ध न केवल एक मात्र गृह-निर्माण, पुर-निवेश अथवा मन्दिर तथा प्रतिमा आदि के निर्माण तक ही सीमित है वरन् सम्पूर्ण विश्व का निवेश वास्तु-विद्या एवं वास्तु-कला का विषय है—यह सिद्ध होता है ।

नीसरे अध्याय (प्रश्न) में वास्तु-विद्या के प्रायः सम्पूर्ण विषयों पर प्रश्न किये गये हैं । उनका उत्तर ही आगे के अध्यायों में समराङ्गण की व्यापक वास्तु-विद्या है इन प्रश्नों की विस्तृत रूपरेखा आगे के अध्याय (वास्तु-विषय एवं विस्तार) में द्रष्टव्य है । ‘महदादि सर्ग’ नामक चौथे अध्याय में सृष्टि-वर्णन है जिससे आधेय वास्तु के लिये आधार जगत् का ज्ञान आवश्यक प्रतीत होता है । ‘भुवनकोश’ नामक पाँचवे अध्याय में जगत् का भूगोल-वर्णन है । साथ ही साथ सूर्य इत्यादि ग्रहों की स्थितियों एवं गतियों का वर्णन किया गया है । ‘सहदेवाधिकार’ नामक छठे अध्याय में देवों एवं मत्यों के पार्थक्य की करुण कथा में भूलत पर भवन-जन्म की कहानी वर्णित है । इस कहानी का संक्षेप ‘भवन-पटल’ में द्रष्टव्य है । ‘वर्णांश्रम-प्रविमाग’ नामक सातवें अध्याय में वर्णांश्रम-व्यवस्था का निरूपण इस दृष्टिकोण से किया गया है कि मानव के कौटुम्बिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्त्तव्यों तथा अधिकारों का सम्बन्ध पालन एवं प्राप्ति विना स्थानादि-निवेशन (पुर, ग्राम, खेट आदि) के सम्बन्ध नहीं और न जीविकोपार्जन के साधन ही सुलभ हो सकते हैं । अतः सास्कृतिक दृष्टिकोण से मानवों की तीन मोलिक आवश्यकताओं—भोजन, वस्त्र एवं वास—का पारस्परिक अन्योन्याश्रय सुतराम् सिद्ध है । मानवता एवं मानव-सम्यता की कहानी वस्तुतः भोजन-भजन, आचार-विचार, वास एवं परिधान की कहानी है ।

पीछे 'विषय-प्रवेश' में समराङ्गण की नवीन विषयानुक्रमणी दी जा चुकी है। उसके प्रयोजन पर भी संकेत किया जा चुका है। अतः तदनुरूप समराङ्गण के ४४वें और ४५वें अध्यायों (स्थपति एवं स्थापत्य) के विषय किसी भी वास्तु-विवेचन में वास्तु-शास्त्र का प्रारम्भिक कलेवर निर्माण करते हैं। अतएव प्रथम ७ अध्यायों के साथ-साथ उनको भी वास्तु-विद्या के औपोद्घातिक विषयों में सम्मिलित किया गया है। इन अध्यायों में स्थपति एवं स्थापत्य-विषयक बड़ा ही महत्वपूर्ण विवेचन है जो 'स्थपति एवं स्थापत्य' नामक आगे के अध्याय में सविस्तर प्रतिपादित है।

पुर-निवेश

प्रारम्भिक विषयों की इस रूप-रेखा के अनन्तर "पुर-निवेश" में आवश्यक विभिन्न सिद्धांतों एवं प्रारम्भिक उपादानों तथा कर्मों से सम्बन्धित लगभग ६ अध्याय हैं—नवीन १० में १८ तथा मौलिक ८, ६, ११ से १४ तथा ३८ पुनः १८ तथा अन्तिम १०।

'भूमि-परीक्षा' नामक दृष्टि अध्याय में सर्वप्रथम देश-भूमि पर विचार किया गया है। उनके ३ प्रधान तथा १६ गौण भेद किये गये हैं (देखिये 'पुर-निवेश') इसके अनन्तर पुर, दुर्ग आदि के निवेश के लिये उपयुक्त भूमियों का वर्णन है। भूमि-विज्ञान के अनुरूप, भूमि-चयन के सम्बन्ध में वर्णानुकूल—वर्ण, गन्ध, रस एवं स्पर्श आदि गुणों के आधार पर—भूमि-विभाजन किया गया है। कौन-कौन सी भूमियों वर्ज्य हैं उनका भी अविकल निर्देश किया गया है। अन्त में भू-परीक्षा की कुछ विधियाँ भी वर्तलाई गई हैं। उदाहरणस्वरूप यहाँ पर एक विधि का उल्लेख किया जाता है। गडडा खोदकर उसमें पानी भर दे। फिर १०० कदम चले। लौटने पर यदि जल पूरा का पूरा मिले तो ऐसी भूमि अत्युत्तम समझे। यदि पानी थोड़ा ही कम हुआ हो तो मध्यम श्रेणी की और यदि वहाँ कम हो गया हो तो निम्न श्रेणी की समझनी चाहिए।

'हस्त-लक्षण' नामक नवें अध्याय में मानवोजना का प्रतिपादन किया गया है (देखिये 'मानवोजना' अ ७)। 'पुर-निवेश' नामक १०वें अध्याय की विषय-सूचना के पूर्व ही पुर-निवेश की प्रथम प्रक्रिया पदविन्यास (साइटप्लान्ट के रेखान्वित्र) की सूचना प्रायमिकी निर्धारित है। अतः ११ से १४ तथा ३८ वें अध्यायों में प्रतिपादित विभिन्न कोटि-वास्तु-विन्यासों यथा एकाशीतिपटिक (८१ पदवाला प्लाट) चतुर्पटि-पटिक (६४ पदवाला प्लाट) तथा शतपद-वास्तु (१०० पदवाला प्लाट) आदि के साथ-साथ, 'वास्तु-स्थान-मातृका' नामक ३८ वें अध्याय में जाति एवं वर्ग के अनुस्यप विभिन्न वर्गों के मनुष्यों के लिये उचित ४० क्षेत्र-मंस्थानों की संज्ञाओं एवं विनियोग पर भी प्रकाश दाला गया है।

उपर्युक्त तीन प्रकार के पद-विन्यासों की समीक्षा 'पुर-निवेश' के पटल में द्रष्टव्य है। यहाँ पर प्रयोक्त ४० क्षेत्रों का संकेत आवश्यक है।

क्षेत्र

- १—ननुश्च आकृति
- २—मम "
- ३—मानि अथवा "
- ४—दीर्घ "

क्षेत्रवासी

- १—राजा
- २—अन्त-पुर
- ३—पुरांति
- ४—राजकुमार

प्र.—वृत्तायत	आकृति	प्र.—सेनापति
६—शमुक	”	६—बाहन
७—शकट	”	७—वैश्य
८—अर्द्ध	”	८— ?
९—भग	”	९—वैश्यार्ये
१०—दर्पण	”	१०—स्वर्णकार
११—वृत्र	”	११—नगरनोछिक
१२—वैथा	”	१२— ?
१३—छिन्नकर्ण	”	१३—महामात्र
१४—विकर्ण	”	१४—मृगलुब्धक (वहेलिये)
१५—रंखाभ	”	१५—काने
१६—नुरसन्निभ	”	१६—गणाचार्य
१७—शवत्यानन	”	१७—ब्रजाध्यक्ष
१८—कुर्मयुष्ट	”	१८—साली
१९—सद्श	”	१९—दर्जी
२०—च्यजन	”	२०—मुङ्सवार तथा सईम
२१—शराव	”	२१—वहड़ि
२२—स्वस्तिक	”	२२—वन्दिजन तथा मागधगण
२३—मूर्दंग तथा पण्व	”	२३—वेणु, तूर्य (तुरही) आदि वजाने वाले
२४—विशर्कर	”	२४—रथ-वाहक
२५—कवन्ध	”	२५—नीच और चारडाल
२६—यवमध्यसम	”	२६—धान्यजीवी (किसान)
२७—उत्संग	”	२७—श्रमण (जैन साधु)
२८—गजदंत	”	२८—हस्त्यारोही (पीलवान)
२९—परशु	”	२९—कैदी
३०—विसावित	”	३०—सुराकार (कलवार)
३१—शवध्र	”	३१—मजदूर
३२—युगल	”	३२—नार्दि
३३—विवाहिक	”	३३—कोपरक्षक
३४—चिकुष्ट } ३५—पञ्चकुष्ट } ३६—परिच्छिन्न	”	३४—श्रगिन-जीवी (भुजवा) ३५— ” ” ” ३६—मानोपजीवी
३७—दिक्षुन्वर्तिक	”	३७—चैत्य एवं वास-भवन
३८—श्रीवृन्ज } ३९—वर्धमान }	”	३८—वृक्ष (उद्यान आदि) तथा यज्ञवाट ३९— ” ” ” ” ४०—गणिकार्ये
४०—एरणीपद	”	४१—चोर
४१—नगपद	”	

‘नगरादि-मंज़ा’ नामक १८वें श्रध्याय में नगर की पर्याय एवं प्रकार-वोधक विभिन्न नगर-संज्ञाओं का उल्लेख करते हुये इस श्रध्याय में विशेषकर भवन-वास्तु-गत विभिन्न अववाहों की परिभाषायें दी गई हैं। इस श्रध्याय से स्पष्ट है कि भारतीय भवन-निर्माण-कला का सर्वतोमुखी विकास मध्यकाल तक सम्पन्न हो चुका था। इन विभिन्न भवन-निर्माण-कला के पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या एवं चित्रण की ओर लेखक ने अपने ‘समराङ्गण वास्तु-कोप’ (अप्रकाशित) में प्रयत्न किया है। उसकी एक अति सूक्ष्म रूपरेखा (आउटलाइन) इन ग्रंथ के अंत में एक परिशिष्ट में दी गई है।

‘पुर निवेश’ नामक समराङ्गण के दशम श्रध्याय की—जो नवीन विषयानुक्रमणी में पुरनिवेश सम्बन्धी अन्तिम श्रध्याय परिकल्पित किया गया है—सामग्री का सविस्तर उपयोग ‘पुरनिवेश’ पठल में द्रष्टव्य है। इस श्रध्याय में, परम्परागत पुरनिवेश-प्रणाली, पद-चयन, पद विन्यास, मार्ग विनिवेश, परिखा एवं वप्र सहित, प्राकारविधान, गोपुरविधान, रथ्या एवं प्रतोली-विन्यास, जाति-वर्णाधिवास, जनावास, राज-हर्म्य, सभा तथा अन्यान्य साधारण भवनों के साथ-साथ, देवतायतन-प्रतिष्ठा एवं विनियोग आदि आदि का पूर्णरूप से प्रतिपादन तो है ही साथ ही साथ इस ग्रन्थ की कुछ विशेष उद्भावनायें भी हैं जो अन्यत्र दुष्प्राप्य हैं—जैसे उद्यान-विन्यास। यह उद्यान-विन्यास ही आधुनिक न र-निवेश-पढ़ति का सर्वस्व भाना जाता है। इसी प्रकार की कुछ और भी उद्भावनायें हैं जिनकी हम आगे (पु. नि. मे.) समीक्षा करेंगे।

समराङ्गण की वास्तु-विद्या के औपोद्घातिक एवं पुरनिवेश के विषयों की इस अति सक्षिप्त समीक्षा के पश्चात् श्रद्ध भवन-निर्माण-कला (जिसका सविस्तर वर्णन आगे ‘भवन’ पठल में है) से सम्बन्धित श्रध्यायों एवं विषयों पर एक विहंगम दृष्टि डालना अनुचित न होगा।

भवन-निवेश

भवन-कला पर इस ग्रंथ में लगभग ३० श्रध्याय हैं, (देखिये स. स. की सुसम्बद्ध विषयानुक्रमणी) जिनमें भवनकला के प्रारम्भिक अनुष्ठान, राजवेशम, जनावास, भवनाग, द्रव्य-योजना तथा चुनाई एवं भवन-भूपा के साथ-साथ भवन-दोप, वेध एवं भंग आदि प्रधान विषयों का प्रतिपादन है।

भवन-कला के औपोद्घातिक विषयों में ‘आयादि-निर्णय’ नामक ग्रन्थ के २६वें श्रध्याय में ज्योतिप-विज्ञान से सम्बन्धित तिथियों, ताराओं एवं वारों का विवेचन है। किन-किन मासों में, किन-किन तिथियों में और किन-किन दिवसों पर भवन-कार्य प्रारम्भ करना चाहिये—इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस श्रध्याय में मिलेगा। आयादि-निर्णय वास्तु-शास्त्र का एक महत्वपूर्ण, अनिवार्य एवं पारिभाषिक विषय है। वास्तु विद्या के आधारभूत सिद्धान्तों की समीक्षा में इस तथ्य पर संकेत किया जा चुका है कि भारतीय वास्तु विद्या का जन्म धार्मिक मंस्कारों के क्रोड से हुआ। वास्तु विद्या और ज्योतिप के घनिष्ठ सम्बन्ध को समीजानते हैं। ज्योतिप एक वेदाङ्ग है (पठाङ्गों में एक है)। इसी आधारभूत मिठान्त के अनुल्प समराङ्गण ने इस श्रध्याय की अवतारणा की है। आगे के श्रध्यायों में इस श्रध्याय की प्राप्तुल सामग्री का घोड़ा ही उपरोक्त इक्षिया गया है। अतः इसकी कुछ विशेष चर्चा यदौं पर अनगत न होगी।

आयादि-निर्णय इस पद से आय, व्यय, अंश, रिक्ता (नक्षत्र) योनि तथा वार-तिथि का वोध समझना चाहिये । वास्तु-शास्त्रियों की धारणा है कि इस पट्टक का भवन-रचना से अनिवार्य सम्बन्ध है । भवन के मुख्य पड़वयों—प्रमाण, भवनाग (अधिष्ठान, पाद अथवा स्तम्भ, प्रस्तर, कर्ण, शिखर तथा स्तूपी) का सम्बन्ध इस आयादि पट्टक से सम्पादित करना चाहिये । भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में इस पट्टक को भिन्न-भिन्न रूप से प्रकल्पित किया गया है ।

समराङ्गण-सूत्रधार में आयादि पट्टक-समूह से आय, व्यय, तारा योनि, भवनाशक एवं भवननाम का वोध होता है । समराङ्गण ने इसकी संज्ञा ‘पट्टकरण’ भी दी है ।

आय, व्यय आदि कैसे निकालना चाहिये—यह समझ लेना चाहिये ।

आय—चारों ओर नींव की भूमि (दीवाल) को छोड़कर मध्य की लम्बी और चौड़ी भूमि को गृह-स्वामी के हाथ से नापना चाहिये जो क्षेत्रफल (लम्बाई×चौड़ाई) आये उसमें आठ से भाग देने पर जो शेष वचे वह ध्वज आदि आय हैं । इनकी क्रमशः पूर्वादि दिशा से गणना होती है जो निम्न चक्र से स्पष्ट हैः—

आय-चक्र

संख्या	१	२	३	४	५	६	७	८
आय	ध्वज	धूम्र	सिंह	श्वान	बृप	खर	गज	ध्वादूळ
दिशा	पूर्व	आग्नेय	दक्षिण	नैऋत्य	पश्चिम	वायव्य	उत्तर	ईशान

व्यय—घर के नक्षत्र की संख्या को आठ से भाग देने पर जो शेष रहे वह व्यय समझना चाहिये । आय की सख्ता से व्यय की संख्या न्यून, अधिक तथा सम होने पर क्रमशः ‘यक्ष’ ‘रात्रि’ तथा ‘पिशाच’ व्यय निकलते हैं । इनमें प्रथम प्रशस्त द्वितीय अप्रशस्त तथा तृतीय मध्यम फलादायक हैं ।

अंश—घर के क्षेत्र-फल की संख्या, घर के नाम की अङ्ग-संख्या तथा ध्वय-संख्या इन तीनों को जोड़कर तीन से भाग देने पर जो शेष रहे वह “अंश” है । एक शेष से “दन्त्र”, दो शेष से “यम” तथा शून्य शेष से “राजा” अंश निकलते हैं ।

तारा—घर के नक्षत्र से घर के स्वामी के नक्षत्र तक गिनेना चाहिये । जो संख्या आये उसको ६ में भाग देना चाहिये । जो शेष रहे वह “तारा” समझना चाहिये । इन ताराओं में छठी, चौथी और नवीं शुभ, पहली दूसरी और आठवीं मध्यम तंत्र तीक्ष्णी, पाचवीं और सातवीं अधम हैं ।

नक्षत्र—घर के क्षेत्रफल को ८ से गुणा करके जो गुणनफल हो उसमें २७ के भाग देने से शेष नक्षत्र समझना चाहिये ।

राशि—घर के नक्त्र को ४ से गुणा करके गुणन-फल में ६ से भाग देने पर घर की भुक्त राशि आती है । यह एवं गृहस्वामी की राशि यदि परस्पर छठी और आठवीं या दूसरी और बारहवीं हों तो अशुभ समझना चाहिये ।

आय व्यय-गणना के सम्बन्ध में विश्वकर्म-प्रकाश का भत है कि जिस घर की लम्हाई ३२ हाथ (४८ फीट) में अधिक है तो आपादि-विचार अनिवार्य नहीं । इसी प्रकार जीर्ण-भवनों के उड्डार में भी आपादि विचार आवश्यक नहीं । ज्योतिष-शास्त्रीय आपादि विचार वास्तु-विद्या में क्यों चरितार्थ है—इस पर इतना तो संकेत पर्याप्त है कि जिस प्रकार व-वरधू के सुन्दर टाम्पत्य के लिये हम अहो आदि का विचार करते हैं उसी प्रकार यह एवं गृहस्वामी के सुवट एवं ऐश्वर्यपूर्ण चिर-सम्बन्ध के लिये भी इसकी अपेक्षा मानी गयी है ।

आय, व्यय, तारा, तथा अंशक आदि की निम्न तालिका द्रष्टव्य है:—

आय	व्यय	अंश
१. ध्वज	१. पिशाच	१. इन्द्र
२. धूम	२. राज्ञस	२. यम
३. सिंह	३. यक्ष	३. राजा
४. श्वा		
५. वृप		
६. खर		
७. कुञ्जर		
८. ध्वानि		

तारा

सुरगण	राज्ञसगण	मनुप्यगण
१. मृगशिरा	१. विशाला	१. आर्द्रा
२. अश्विनी	२. कृत्तिका	२. भरणी
३. रेवती	३. आश्लेषा	३. रोहिणी
४. स्वति	४. नैऋत	४. शतभिपा
५. मैत्र	५. वास्त्रा	५. अनुराधा
६. पुष्य	६. मधा	६. मूल
७. पुनर्वसु	७. चित्रा	७. पूर्वांगाधा
८. हस्त	८. ज्येष्ठा	८. उत्तरांगाधा
९. श्रवण	९. धनिष्ठा	९. पूर्वाभाद्रपदा

आयों के सम्बन्ध में इतना उल्लेख कर देना आवश्यक है कि ये सभी आय प्रशस्त नहीं हैं । ध्वज, सिंह, वृप एवं गज प्रशस्त हैं, अन्य अशुभ हैं । परन्तु अधमों के लिये गर, ध्वानि, धूम और श्वा—ये आय शुभ हैं । अथवा धूम अग्निर्जीवियों के लिये, ध्वानि मन्त्यासिरों के लिये तथा न्वगण, श्वपाक, नर्तकों एवं वेश्याओं, कुमारों, धोवियों तथा गर्द-भ-जीवियों के लिये सर शुभ हैं । पता नहीं इन निभकोटियों में मन्त्यासियों को क्या धर्मीड लाया गया है । जिस २ नक्ता में जिस २ अप का निनियोग करना चाहिये द्रष्टा

सविस्तर वर्णन किया गया है। इसके अनन्तर इन पट्टकरणों की योजना के सम्बन्ध में कौन सी योजना शुभ है और कौन सी अशुभ—इसका भी प्रतिपादन किया गया है। अन्त में निम्नलिखित ६ छन्दों का विवेचन है जो वास्तु-शास्त्रीय दृष्टि से विशेष जातव्य हैं—

१. मेरु	३. पताका	६. उद्दिष्ट एवं
२. खण्ड-मेरु	४. सूचिका	७. नष्ट

इन छन्दों के द्वारा भवनागों की संख्या का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। किसे भवन में कितनी शालायें, कितने अलिन्द तथा कितनी मूँहायें योजित करना शुभ है अथवा अशुभ—यह सब विचार इन छन्दों का विषय है। गृह-प्रस्तार के गुरु और लघु का मर्म भी इन छन्दों में छिपा है।

‘आयादि-निर्णय’ के उपरात भवन-रचना के प्रारंभिक उपादानों में वलिदान का अवसर श्राता है। ग्रन्थ के ३६वें अध्याय में इस वलिदान-विधि का सविस्तर वर्णन किया गया है। यह परम्परागत प्रथा आज भी वर्तमान है, अतः विस्तृत विवेचन की आवश्यकता नहीं है। इसमें मंडलकरण, कलश स्थापन, वास्तु-देवता-कल्पन, तथा अर्थ्य निवेदन के साथ-साथ विश्वकर्मा आदि ३५ वास्तु-देवों की किस-किस सामग्री से पूजा करनी चाहिये और वलि चढ़ाना चाहिये—इत्यादि का सविस्तर वर्णन किया गया है। अन्त में (स. स. अ. ३६, २७—२८) शान्तिक एवं वलिकर्म के उचित कौन-कौन से विशेष वास्तुकृत्य हैं, इनका उल्लेख किया गया है। भूमि-शोधन, भूमि-कर्पण, भूमि-साधन, भूमि-रूप-कल्पन, गृह-प्रवेश, स्कन्धावार-निवेश, पुर-निवेश, ग्राम-निवेश, देवालय-निवेश, राजवेशम-निवेश, आदि के अवसर पर वलिदान वास्तु का एक धार्मिक कृत्य है।

‘वेदिलक्षण’ नामक ग्रंथ के ४७वें अध्याय में विविध वेदियों की वास्तुकला पर विचार किया गया है जिसकी समीक्षा आगे के ‘स्थपति एवं स्थापत्य’ नामक अध्याय में की गई है अतः यह वहाँ द्रष्टव्य है।

‘इन्द्रध्यज-निरूपण’ नामक ग्रंथ के १७ वें अध्याय में शक्रध्यजोत्थान का व्यापक मर्म है—यह सी उपर्युक्त ‘स्थपति एवं स्थापत्य’ में द्रष्टव्य है।

‘शिलान्यास-विधि’ नामक ३५ वें अध्याय में सर्वप्रथम शिलान्यास के शुभ मुहूर्त का प्रवचन है। सर्वे के उत्तरायण होने पर, शुक्ल पक्ष में, शुभ दिन (करण एवं गुण से युक्त शुभ नक्षत्र में) शिलान्यास का विधान व्रताय गया है। सौभ्य-प्रकृति, शालज, पवित्र, स्नात तथा देवार्चनकृत, स्थपति शिलान्याय का प्रारम्भ करता है। प्रथम शिला की पूर्ण परीक्षा होनी चाहिये। वह ‘पूर्णा, समा, अविकला, चतुरश्रा (चौकोर)’ तथा सप्त प्रकार ने शुभ होनी चाहिये। इस परीक्षण के उपरान्त ‘व्येष’ प्रारम्भ अरना चाहिये। इसी प्रकार के और विवरण भी दिये गये हैं, जैसे कौन-कौन सी शिलायें शुभ हैं और कौन सी वर्ज्य हैं—वहुत वडी, वहुत छोटी, दिट्टमूँहा, अङ्गदीना, कंकरीली, दृटी, कंम-पकी, फटी, काली आदि। ‘नन्दा,’ ‘भद्रा,’ ‘जया’ और ‘पूर्णा’—ये चार प्राथमिकी शिलायें। (आन्येष्टकायें) जाने

की वास्तु-कला तथा दो प्रधान वर्ग—निवास-भवन एवं विलाश-भवन—के १५ निर्दर्शन प्रतिपादित हैं। 'गजशाला' नामक ३२वें तथा 'अश्वशाला, नामक ३३वें 'सभाषटक' नामक २७वें, अध्याय में प्रतिपादित सामग्री का विवेचन भ० प० के अध्यायों में द्रष्टव्य है। उसकी यहाँ पर पुनरावृत्ति ठीक नहीं।

अब 'आयतन' नामक ५१वें अध्याय की विशेष समीक्षा आवश्यक है। 'आयतन' का प्रयोग वैसे तो सासारिक भवनों के लिये भी देखा जाता है परन्तु यहाँ पर आयतन का अर्थ देवायतन से ही लेना चाहिये। इस अध्याय की सामग्री से लेखक के इस दृष्टि-कोण का आर्यिक समर्थन प्राप्त होता है। अतः 'आयतन-निवेश' में राजा के बन्धु वान्धवों एवं रानियों, वहनों, मातुलों एवं कुमारों के साथ-साथ मन्त्री, सेनानी, प्रतीहार, पुरोहित सामन्त, कुञ्जरारोह (हस्तिपक्ष-पीलवान), मट्टो-एवं पौरजनों के प्रासादों का निवेश प्रतिपादित है—ऐसा इस ग्रंथ के संपादक गणपति शास्त्री जी ने स. सू. की विषयानुक्रमणिका में दिखलाया है। परन्तु ग्रंथ के कुछ प्रवचनों से इस दृष्टिकोण में कुछ विरोधाभास प्रतीत होता है। 'प्रासाद' शब्द वैसे तो राजाओं और देवों दोनों के भवनों के लिये प्रयुक्त हुआ है, परन्तु स. सू. में प्रासाद का पारिभाषिक प्रयोग देवमन्दिर के लिये है। अतः उपर्युक्त विभिन्न राजानुजीवियों एवं राजपरिवार के सदस्यों के प्रासादों और अध्याय निर्दिष्ट आयतन इन दोनों की संगति कैसी ? पुनः स. सू. इस अध्याय के अन्तिम श्लोक में स्पष्ट कहता है—

"इति कथितदिगादिमेदयोगै, सुरभवनानि भवन्ति यस्य राज। ।

अविरतमुदितोदितप्रातापः स्वभुजजिता स चिरंप्रशास्ति पृथ्वीम् ॥"

यहाँ पर इन प्रासादों की सूचना सुर-भवनों से दी गई है। अतः लेखक के मत में आयतन का अर्थ छोटे मन्दिरों से है। वडे-वडे प्रसादों (देव-मन्दिरों) का निर्माण अधीश्वरों के द्वारा ही सम्पन्न होता था। अपूर्त की धार्मिक भिड़ि के लिये ही वापी, कूप, तड़ाग एवं देवतायतनों की निर्माण-पग्मरा इस देश में पहलित हुई—इस तथ्य की ओर पहले ही सक्रेत किया जा चुका है। अतः प्रासाद की विपुल एवं विस्तृत परिधि (क्षेत्र) में ही यदि राजानुजीवी एवं राजपरिवार के सदस्य अपनी भक्ति के अनुसार देवायतन निर्माण कराना चाहते हैं तो उन्हीं की मान-व्यवस्था, द्रव्य व्यवस्था वास्तु-व्यवस्था एवं भूपा-व्यवस्था के वास्तु-शास्त्रीय नियमों का यहाँ पर प्रतिपादन है। इस सम्बन्ध में ग्रंथ का यह सुझाव है कि भूमिपाल के प्रासाद की सूचना से इन आयतनों की रचना उक्षित नहीं होनी चाहिये। संस्थान, मान, विस्तार तथा उच्चार (ऊँचार) में राज-प्रासाद से इन आयतनों को थोड़ा ग्रवश्य हीन होना चाहिये (स. सू. ५.१ १३ १६)।

भवनविद्या के दो प्रधान नियमो—प्रारम्भिक इत्य एवं राज-भवन—की समीक्षा के उपरात जनभवनों की विन्यास-प्रक्रिया एवं विभिन्न भवन-समूहों की संज्ञित समीक्षा का अवसर आता है। इन जन-भवनों को शाला वीं संज्ञा दी गई है। शालाओं की सख्त्या के अनुसार इन्हें इस प्रधान वर्ग प्रकल्पित किये गये हैं—एकशाल, द्विशाल, त्रिशाल, चतुर्षशाल, पञ्चशाल, षट्शाल, सप्तशाल, अष्टशाल, नवशाल तथा दशशाल। ये में उपलक्षणगम्भीर हैं। प्राप्त जनावासों में चतुर्षशाल ही मर्व-सामग्रण एवं सुनातन ने प्रभिदि

भारत का जन-भवन है। मृच्छकटिक नाटक से चतुशशाल की इस प्राचीन परम्परा पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है।

शाल-भवनों की सविस्तर समीक्षा—जन्म, विकास, विभिन्न वर्ग आदि आदि—आगे के ‘भवन’ पटल में दृष्टव्य हैं। यहा इतना ही संकेत आवश्यक है कि इन शाल-भवनों पर समराझण में सात अध्याय हैं। २३वें अध्याय में एकशाल, २२वें में द्विशाल, २१वें में त्रिशाल, १६वें में चतुशशाल, २५वें में पञ्चशाल से लगा कर दशशाल भवनों का वर्णन है। २०वें एवं २४वें अध्यायों (निम्नोच्चादिफल तथा द्वार-पीठ-मित्तिमानादि) में शाल-भवनों के विशिष्ट भेदों के उल्लेख के साथ भवन-निवेश के अन्य विभिन्न आवश्यकीय कार्यों पर प्रवचन हैं। इन सभी विषयों की सविस्तर समालोचना ‘भवन’ पटल में इत्तत्त्वः फैली हुई है विशेषकर “भवन-रचना के उपनियम” (विलिंग वाईलाज) विशेष स्मरणीय हैं। स. सू. के भवन-वास्तु के इन तीन प्रधान विषयों के उपरात क्रम-प्राप्त भवनद्रव्य, भवनाङ्ग, चुनाई (चेय) तथा भवन-भूपा—इन विषयों पर ५ अध्यायों की सामग्री का अवलोकन करना है।

प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में भवन निर्माण में काष्ठ का बहुत प्रयोग होता था। छतों में लकड़ी की धनियों पड़ती थी। लकड़ी के नक्कासीदार खम्मे होते थे। आज भी ग्रामीण भवनों की यही कहानी है। इसका प्रधान कारण काष्ठकी सुखोपतंभि के साथ-साथ इस देश में बहुत काल तक हिन्दुओं का यह विश्वास रहा है कि पापाण का प्रयोग जनावास (सेकुलर विलिंग) में वर्ज्य है। कामिकागम का यह प्रवचन “शिलास्तम्भं शिलाकुड्यं नरावासे न कारयेत्” इस तथ्य का समर्थक है। अतः भवन-द्रव्य के ऊपर समराझण में केवल ‘वन-प्रवेश’ नामक १६वा अध्याय ही है। इस अध्याय में वन-प्रस्थान के शुभ मुहूर्त, वृक्ष-परीक्षण, वृक्षों का वय, भवनो-चित्त वृक्ष, भवन के वर्ज्य वृक्ष, वृक्षप्रमाण, वृक्ष-च्छेदन-विधि, वृक्षपात के शुभाशुभ लक्षण, वृक्षगर्भित जन्म-विशेषों के परिजान-सूचक मरणों एवं एतत्संम्बंधी अन्य विवरण भरे पड़े हैं। ८० प० के ‘भवन-द्रव्य’ अध्याय में इन सबकी सविस्तर चर्चा है।

‘गृह-द्रव्य-प्रमाण’ नामक २८वें अध्याय में भवनाङ्गों की चर्चा है। द्वारप्रमाण, द्वारशालाओं (डोर फ्रेस) तल की ऊँचाई, शाला का प्रमाण, तल की न्यास-विधि के साथ साथ भवनाङ्गों के सर्वप्रसुख श्रंग स्तम्भ पर विशेष विवेचन की गई है। चौकोर, गोल, अष्टकोण तथा पोडशाश्वि (१६ कोनोवालो) विभिन्न प्रकार के स्तम्भों के साथ-साथ उनकी रचना के विच्छिन्नियों (मोलिंगस) जो कि एक दर्जन के करीब हैं उन सब की चर्चा है। इसके उपरात भवन के अन्य अंगों का भी विवेचन है—जैसे ४ प्रकार की छतें—भूत, तिक्क आदि। अन्त में सिहकरण आदि रचना-विशेषों का भवन में वर्जन यताया गया है। इस सामग्री की समीक्षा भ. प. के ‘स्तम्भ’ एवं ‘द्वार’ अध्यायों में की गई है। ‘द्वार गुण दोप’ नामक ३६ वें अध्याय की सामग्री की यहाँ पर पुनरावृत्ति न कर ‘द्वार’ अध्याय में ही द्वारसम्बन्धी विभिन्न वास्तु-सिद्धांतों के विवेचन के साथ द्वारगवेष पर भी प्रकाश ढाला गया है।

‘चयविधि’ नामक ४१वें अध्याय में राजगीरी के परम कौशल चुनाई के मर्म का वडा दुन्द्र समुद्रघाटन किया गया है। चुनाई के जिन वीस गुणों की तालिका इस ग्रन्थ ने दी है

वह किसी भी वास्तु शास्त्रीय ग्रन्थ में नहीं मिलती। यही नहीं आधुनिक विकसित वास्तु-कला में भी चुनाई के इतने सार्विक गुणों का शायद ही समुल्लेख मिल सके। चुनाई के गुणों के साये चुनाई की प्रक्रिया तथा उसमें सहायक अन्य साधनों पर भी सुन्दर विवेचन है। भ.प. के 'चयविधि' नामक अध्याय में इन सिद्धातों के विस्तृत विवरण दिये गये हैं। खराव-चुनाई के कठिपय पारिभाषिक शब्दों की समीक्षा के साथ चय-दोपों का भी वर्णन है।

'अप्रयोज्य-प्रयोज्य' नामक ३४वें अध्याय में भवनों में किन-किन चिन्हों अथवा मूर्तियों की योजना करनी चाहिये और किन की नहीं, इस सामग्री का भी पूर्ण उपयोग भ० प० में अवलोकनीय है। यह किसी से छिपा नहीं है कि इस देश में भवन-भूपा के बहुल उपकरणों की एक अति पुरातन परम्परा है। इस परम्परा में भनोवैज्ञानिक रहस्य भी निहित है। विन्नहारी गणपति गणेश की प्रतिमा से अलंकृत द्वार आज भी देखे जाते हैं। समराङ्गण एक हाय के प्रमाण की इटदेवता, अथवा कुलदेवता, प्रतीहार, प्रतीहारिया, अष्टमंगला गौरी, पद्मासना लक्ष्मी, सवत्सा घेनु, पत्रजातिया, लतायें, हंस, सारस, कमलिनी, चिटप, उद्यान-भूमियाँ, ऋतु, जलाशय, शुक-सारिकायें आदि पक्षी भवन में प्रयोज्य माने गये हैं। अप्रयोज्यों में देव्य, यह, यक्ष, गन्धर्व, राजस, पिशाच, पितर, प्रेत आदि, दोला-कीड़ायें, पीड़ित, देवासुर-मंग्राम, राजयुद्ध, मृगया, गैद्र, करण, अद्भुत आदि रस, हस्तियान, अश्वयान, रथयान, विमान, अनल-प्रदीप-भवन, अथवा बन; पुष्प-फल-विहीन वृक्ष, गृष्म, उल्क आदि पक्षी, गज, अश्व, महिप, उष्ण, माजीर, खर, बानर, सिंह, व्याघ्र तरक्षु, वराह, मृग, जम्बुक आदि पशु उल्लिखित हैं।

भवन के प्रमुख पाँच विषयों—प्रारम्भिक वास्तु-कार्य एवं कर्मकारण, राज-भवन, जन-भवन, भवन-द्रव्य-चय भूपा तथा दोपादि में प्रथम चार की इस स्थूल समीक्षा के उपरात भवन-दोपों से बचने का प्रयत्न करना चाहिये। भवन-दोपों में निवेश आदि द्रव्य-संयोजनादि मंस्थान, मान एवं चय आदि के नियमों के उल्लंघन से जो दोष आपतित होते हैं वे तो महज ही वोधगम्य हैं। परन्तु भवन-नेध, भवन अथवा भवनाङ्ग-भङ्ग का क्या रहस्य है—यह समझना आवश्यक है। इस विषय की विस्तृत समीक्षा भ० प० के 'भवन दोप' के अध्याय में की गयी है। यहाँ पर इतना संकेत आवश्यक है कि समरागण का यह विषय-विवेचन भी प्रौढ़ एवं सर्वाङ्गीण तथा समृद्ध है। ऐसी सामग्री किसी भी वास्तु-ग्रन्थ में अप्राप्य है।

इन विषयों पर ग्रंथ में 'द्वार-भङ्ग-फल' नामक ४३वें अध्याय, 'तोरण-भंग' नामक ४६ वें अध्याय तथा 'गृह-दोप-निलृपण' नामक ४८ वें अध्याय में कोशीय सामग्री भरी है। 'द्वार-गुण-दोप' नामक ३६ वें अध्याय की समीक्षा में पीछे भवन के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अङ्ग- द्वार-के दोपों पर पूर्व ही संकेत हो चुका है। 'द्वार-भङ्ग-फल' की सामग्री में विशेष उल्जेगर्नीय वत यह है कि कोई भी वास्तु-कृति यदि सुन्दर न लगी, आकर्षण न प्रदान कर सकी तो उन कृतियों को दोप सभी ही समझना चाहिये। वास्तु-कृति की यह प्रमुख विशेषता हृदयन्ता कला के एक महान् तथ्य की ओर नंकेत करती है। सत्य, गिरं, सुन्दरं की समन्वित प्रतिक्रिया ही तो कला का चरम ध्येय है। युन. वास्तु कार स्पष्टता की इति

भी तो कवि की कल्पनामयी कविता की भाँति, गायक के गीत की भाँति, स्वप्न-द्रष्टा के स्वर्णिम-स्वप्नों की भौंति एक अभिनव, श्वद्वृत् एवं आह्वादकारी रसोनुभूति कराती है। शुभ अर्थोत्त-शिर की भावना में यहाँ की संस्कृति का जीवने है। शुभ और-सुन्दर का परिपाक्त तभी परिनिष्ठित हो सकता है जब सत्य का साथ कभी न छूटे। यहाँ पर प्रवृत्त में सत्य का सम्बन्ध पारदर्शी मन्त्रद्रष्टा ऋषियों की रहस्य-विद्या के समान वास्तु-शास्त्र के नियमों का सम्बन्ध पालन है। संस्थानं, मान, निवेश, द्रव्य-योजना, चय-विधि एवं भूषा-विधान के जो नियम निर्दिष्ट हैं उनका अपालन अथवा अर्धपालन, दोषों, वेधों एवं भंगों को जन्म देता है। मनुष्य की बुद्धि परिमित है। गलती करना उसका स्वभाव है। अतः पूर्वजों ने शातिक-विधान की आवश्यकता समझी। दोप-शमनार्थ, एवं अशुभ-निराकरणार्थ शातिक विधान परमावश्यक है। अतएव इसी परम्परा के अनुसूप समराङ्गण में भी 'शान्तिकर्म-विधि' नामक ४२ वाँ अध्याय लिखा गया है।

वास्तु विद्या की इष्टि से यह अध्याय बड़े महत्व का है। कैसे तो इस अध्याय का प्रतिपाद्य विषय भंगादि दोषों के शमनार्थ शातिक है, परन्तु भवन के अंगों (विशेषकर गृहदार) के भग-निर्देश एवं शातिक-भवचन में अनायास ही वास्तु-कला की वङ्गी सामग्री—परिभाषिक पदावली—हाथ लगती है। इसका उपयोग 'समराङ्गणीय कोप की संक्रित सूची' में किया गया है।

यन्त्र-घटना—

यह संकेत किया जा चुका है कि समराङ्गण का 'यन्त्र-विधान' नामक ३१वाँ अध्याय इस ग्रन्थ की विशिष्टता ही नहीं वरन् एक अपूर्व देन भी है। इसके अतिरिक्त भारतीय वास्तु-कला के व्यापक एवं अति विस्तीर्ण कलेवर की भी सूचना इसमें मिलती है। इस अध्याय की पूर्ण सामग्री का इस ग्रंथ के 'यन्त्र-पट्ट' के ६ अध्यायों में पूर्ण उपयोग किया गया है। यन्त्र-शब्द-निर्वचन एवं उसकी परिमापा, यन्त्र-नीज यन्त्र-गुण, यन्त्र-कार्य, यंत्रों के विभिन्न वर्ग—कीड़ा-यन्त्र, सेवक-यन्त्र, यान-यन्त्र, द्वारपाल-यन्त्र, योध-यन्त्र, वारि-यन्त्र, धारा-यन्त्र रथदोला-यन्त्र, एवं विमान-यन्त्र आदि आदि के साथ यन्त्र-विद्या का परम्परागत कौशल एवं उसकी पुरातन परम्परा पर भी एक विहंगम इष्टि ढाली गई है। अतः यह सब वहाँ पर पठनीय हैं।

भवन फर्नीचर—

'शयनाभनलक्षण' नामक २६वें अध्याय में शय्या, आसन आदि काष्ठ-कला पर विवेचन है। यह विवेचन भी बड़ा ही वैज्ञानिक है। विभिन्न वर्गोंय स्थपतियों में भवन (पुर, प्रसाद तथा राजहर्ष) निर्माता स्थपति, एवं प्रतिभा-निर्माता, पापण-कला-कौविद का कौशल ही वास्तु-कला नहीं है, तक की काष्ठ-कला का भी उसमें महत्वपूर्ण स्थान है।

शय्या का निर्माण किन-किन बूजों की लकड़ी से शुभ माना गया है? उसकी कितनी ऊचैर्ह होनी चाहिये? शय्या के प्रयोग करने वाले विभिन्न वर्गोंय पुरुषों की प्रतिष्ठा के अनुसूप उसकी ऊन औन मी मान-योजना होनी चाहिये? उसके विभिन्न अंगों के क्या

परिमाण हैं ।—आदि आदि पर विशेष विचार किया गया है । राजा की शश्या का प्रमाण उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ प्रभेद से १०८ अंगुल (६ फीट), १०४ अंगुल तथा १०० अंगुल होना चाहिये । इसी प्रकार कुमारों, सेनानियों, पुरोहितों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं शद्रों की शश्याओं के परिमाण का उल्लेख है । यह समझ में नहीं आता कि शृङ्-शश्या ६४ अंगुल की क्यों प्रतिपादित की गई है ? यह तो ४ फीट भी लम्बी नहीं होती (१८ अंगुल = १ फीट) । सम्भवतः शद्रों के लिये यह हीन परिमाण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि योगियों के लिये भी अगम्य सेवा-धर्म वाले शृङ्-सेवकों के लिये शुभ शश्या समीक्षीन नहीं है । शश्या के सम्बन्ध में एक दो तथ्यों का और निर्देश करना यहाँ अप्रासाधिक न होगा । एक-द्रव्यजा (एक ही किस्म की लकड़ी से निर्मित) ही उत्तम मानी गई है । द्विदारु-घटिता शश्या अशुम है और त्रिदारु-घटिता शश्या में स्वामी का मरण नियत है (२६.२३) । शश्या की लकड़ी में छिद्र नहीं होने चाहिये । पट्टविध छिद्रों (निष्कुट, कोत्तद्वक्, क्रोडनयन वत्स-नाभक, कालक, वन्धक) के वर्णन से तत्कालीन काष्ठ-कला के समुच्चत एवं वैज्ञानिक रूप के दर्शन होते हैं । शश्या की भूषा आदि पर भी प्रवचन हैं । स्वर्ण, रूप्य (रजत), गजदन्त (हाथी दौतै) अथवा आरकूट से शश्या के ग्रींगों को नद्ध रना चाहिये । इसीप्रकार से आसन, कंकत, दर्वी और पादुका का भी वर्णन है ।

प्रासाद-वास्तु—

समरागण के इन्जीनियरिंग कौशल का हम दर्शन कर चुके । विभिन्न प्रकार के पुरों एवं भवनों की निर्माण-विद्या का शानार्जन भी हम कर चुके । राजमवनों के ऐश्वर्य एवं सुषमा का भी कुछ अवलोकन हुआ । यन्त्र-विमानों पर भी हम उड़ चुके । अवसर प्राप्त होता है कि अब हम प्रासादों की पुण्यभूमि पर विचरण कर उनमें प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के दर्शन करें । ऐहिक एवं आसुषमिक श्रेयस् के समन्वय का यही मर्म है । धर्म की इसी महाभावना से हमारी सभी विद्यायें अनुप्राप्ति हैं ।

स० स० के प्रासाद-वास्तु की महत्ता का साधारण संकेत किया जा चुका है । इसके सांगोपाग विवेचन में इस ग्रंथ के एक वृहत् पटल का प्रणयन किया गया है । प्रासाद वास्तु का जन्म एवं विकास, निर्माण की विभिन्न परम्परायें, अथवा शैलियाँ, प्रासाद के विभिन्न वर्गादि की समीक्षा के साथ-साथ प्रासाद-निवेश के आधारभूत दिद्धान्तों—संस्थान, मान, द्रव्य, कर्तृकारक, प्रतिष्ठापन आदि—का सविस्तर परिशीलन वहीं प्राप्त है । मध्यकालीन प्रासाद-वास्तु में किन-किन देवों का उदय हो चुका था जिनकी प्रतिष्ठा के लिये इन प्रासादों का निर्माण होता था, और जिनकी प्रतिष्ठा से अपूर्तसम्पादन में पूर्ण सिद्धि समझी जाती थी—इस तथ्य की ओर भी पाठकों का ध्यान आकर्षित किया गया है । प्रासाद-संस्तवन (टेम्पल डेडीकेशन) का यही मर्म है ।

प्रासाद-वास्तु पर समरागण में वीस वडे-नडे अध्याय हैं (देखिये स० स० की सुसम्भवा विषयानुक्रमणी) जो ग्रन्थ का आधा कलेक्टर निर्माण करते हैं । हिन्तुओं की प्रासाद-कल्पना वास्तव में हिमालय से भी ऊँची है और सागर से भी अधिक गहरी है ।

प्रासाद जगद्व्यापी विश्व-नियन्ता का प्रतीक एवं प्रतिकृति दोनों ही हैं। यही कारण है कि मध्यकालीन प्रासाद-वास्तु-परम्परा में प्रासाद में प्रतिष्ठित केवल प्रतिमायें ही नहीं पूज्य हैं, वरन् प्रासाद स्वयं पूज्य है (देखिये प्रासाद प्रदक्षिणा के लिये प्रासादों की अन्ध-कारिकायें Circum—ambulatory-passages)। इन सभी रहस्यों के समुद्घाटन का प्रयत्न 'प्रासाद'-पट्टल में किया गया है। प्रासादों के इन विभिन्न अध्यायों के संक्षेपाभाव के लिये स्थानाभाव ही कारण है।

प्रतिमा-विज्ञान—

समराङ्गण का प्रतिमा-निवेश भवन-निवेश एवं प्रामाद-निवेश के समान विस्तृत नहीं है। परन्तु फिर भी वह अपूर्ण नहीं कहा जा सकता। प्रतिमा-विज्ञान के सर्वसाधारण सभी चिढ़ान्तों पर विवेचन है। विशेषता इस बात की है कि इसका सुद्धा-विज्ञान नान्य-शास्त्र की हस्त-सुद्धाओं से विशेष प्रभावित है। सम्भवतः प्रतिमा-कला में भी नान्य-कला एवं काव्य-कला के समान अभिनय की योजना से मौन देवों और देवियों को विभिन्न भाव-भङ्गियों से भूषित कर समराङ्गण ने प्रतिमा-कला में रसास्वादन की प्रतिष्ठा के साथ-साथ देवों के मौन-च्छाल्यान से देव-भक्तों की परम-प्रीति के लिये साधन एकत्रित कर दिये।

प्रतिमा-विज्ञान पर लिखित १४ अध्यायों की सामग्री की समीक्षा के लिये इस ग्रन्थ में दो पट्टों का प्रणयन किया गया है—'प्रतिमा-विज्ञान' तथा 'चित्रकला'।

'प्रतिमा-विज्ञान' पर इस विभाजन के अनुरूप दो अध्याय हैं जिनके तीन प्रधान विषय हैं—प्रतिमा-लक्षण, प्रतिमा-भान तथा प्रतिमा-सुद्धा। लिङ्ग-षीठ प्रतिमा-लक्षण नामक ७० वें अध्याय में लिङ्ग-प्रतिमाओं की रचना-पद्धति पर सागोपाग विवरण—लिङ्गमेद, लिंग-इव्य, लिंग-अवयव, रेता, आदि प्रस्तुत किये गये हैं। 'देवादि-हृष-प्रहरण-स्योग-लक्षण' नामक ७७वें अध्याय में विभिन्न देवों, देवियों, दिक्षालों, यज्ञों, गन्धवों, राज्ञों आदि के प्रतिमा-लक्षण दिये गये हैं। 'प्रतिमा लक्षण' नामक ७६ वें अध्याय में प्रतिमा निर्माण के द्रव्यों (materials of icons) के विवरणों के साथ-साथ पुरुष प्रतिमा तथा स्त्री-प्रतिमा दोनों के अंगों, उपागो—चरण-नस से शिर-केश तक—के निर्माण के विवरण दिये गये हैं।

'टोप-गुण-निरूपण' नामक ७८वें अध्याय में प्रतिमाओं के दोषों और गुणों का वड़ा ही मार्मिक विवेचन है। इसने भारतीय स्थापत्य मूर्ति-निर्माण-कला के महान् अन्यु-स्थान का परिचय प्राप्त होता है। प्रतिमा-विज्ञान में मान-मर्यादा का वड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है शास्त्रानुरूप प्रतिमा की मान-व्यवस्था एवं संस्थान व्यवस्था (विभिन्न अंगों की रचना) पर किन्हीं किन्हीं आलोचकों ने वडी कटु आलोचना की है। परन्तु ग्रीक अथवा रोमन मूर्ति-निर्माता के समान भारतीय प्रतिमा-निर्माता का एवं मात्र व्येय सौन्दर्य को निष्ठा नहीं है। दर्शन एवं धर्म, मन्त्रात्मा एवं पुरगत्ता ने नदैन हिन्दू-जीवन को प्रभावित करा। भारतीय स्थापत्यों की सदने वडी निष्ठा मान-व्यवस्था के अनुरूप रूपण के

परम अध्यवसाय की ओर रही है । अतएव अध्यात्म से अनुप्राणित भारतीय मूर्तियों को भौतिक दृष्टि से ही देखना कहाँ तक उचित है ।

‘पंच-पुरुष-स्त्री-लक्षण’ नामक ८१वें अध्याय में देवों एवं देवियों के प्रतिमा-मान के लिये पाँच पुरुष-माडेल्स जैसे हंस, रुचक् आदि तथा पाच ही स्त्रीमाडेल्स जैसे वलाका, पौरषी आदि निर्धारित किये गये हैं । देश-विशेष के अनुरूप न केवल वस्त्र एवं आभूपण ही देव-वस्त्र एवं देव-आभूषण परिकल्पित होते हैं वरन् देश-विशेष के मानव-जाति के सामान्य मान भी देव-मान परिकल्पित होते हैं ।

‘ऋच्चागतादिस्थान-लक्षण’ (७६) ‘वैष्णवादि स्थानक-लक्षण’ (८०) तथा पताकादि-चतुष्पाष्ठि-हस्त-लक्षण (८३) —इन तीनों अध्यायों में प्रतिमाओं की शरीर-सुद्राओं, पाद-सुद्राओं तथा हस्त-सुद्राओं का वर्णन है ।

चित्र कला—

इस प्रकार प्रतिमा-विज्ञान के ८ अध्यायों की इस सूचना के उपरान्त अन्त में चित्रकला पर लिखित ६ अध्यायों की चर्चा के उपरान्त इस स्तम्भ को यहीं समाप्त करना है ।

सर्वग्रथम ‘चित्रोद्देश’ नामक ७१वें अध्याय में चित्रों की प्रशंसा में चित्र को समरङ्गण ने सब शिल्पों का मुख तथा लोक का प्रिय अर्थात् प्रियकला—“चित्रं हि सर्वशिल्पाना मुखं लोकस्य च प्रिम्”—कहा है । पुनः चित्र के आधार (background)—पट, पट्ट, कुड्य आदि पर संकेत करने के उपरान्त ‘चित्र’ के उद्देश्य अर्थात् चित्रणीय पदार्थों पर प्रकाश डाला है । अन्त में इस अध्याय में चित्रकर्म के उपयोगी अङ्गों-वर्तिकाभूमि, वन्धन, लेख्य, रेखा, वर्णकर्म, वर्तना आदि अष्टाङ्ग—का वर्णन किया गया है ।

‘भूमिवन्ध’ नामक ७२वें अध्याय में चित्राधार के प्रमेदों की विस्तृत विवेचन की सुन्दर सामग्री मिलेगी । ‘लेष्यकर्मादिक’ ७३वें अध्याय में यथानाम प्रतिमाओं के चित्रण में उपयोगी लेष्य रङ्ग आदि तथा कूर्चन (ब्रुश) आदि की प्रक्रिया एवं प्रमेद क्रमशः प्रस्तुत किये गये हैं ।

‘अरण्डक-प्रमाण’ (७४) ‘मानोत्पत्ति’ (७५) —इन दो अध्यायों में चित्र-कला के माडेल्स की मान-व्यवस्था में विभिन्न वर्गीय उद्देश-चित्रणीय पदार्थ-देव, मानुष, पशु, पक्षी आदि के कौन-कौन रूप हैं, कौन-कौन मान—इन सब पर विवरण देखने को मिलते हैं । इन सबकी विस्तृत समीक्षा ‘चित्र-पट्ट’ में की गयी है ।

अन्त में एक अध्याय और शेष रह जाता है जो चित्र-कला में काव्य-कला के समान अभिनय-योजना एवं रस परिपाक करता है । ‘रसदृष्टि-लक्षण’ नामक ८२वें अध्याय का यही रस्म है ।

समराङ्गण (स्थान)

वास्तु-कला के चिवेचन करने वाले आधुनिक ग्रन्थों में, वास्तु परम्पराओं को, वास्तु-शैनियों' अथवा 'वास्तु-स्तम्भों' (Orders) के नाम से प्रायः पुकारा जाता है। वास्तु-विद्या के पुरातन ग्रन्थों—जैसे मानसार, सयमत, विश्वकर्मीय-शिल्प, आगस्त्य-सकलाधिकार, काश्यप-अंशुमद्भेद, वराहमिहिर-बृहत्-संहिता, भोज-समराङ्गण-सूत्रधार आदि आदि वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थ—पुराण (मत्स, अग्नि, ब्रह्मार्णड आदि) आगम (कामिक, सुप्रभेद आदि आदि) तन्त्र (हयशीर्षपञ्चरात्र आदि) प्रतिष्ठा-पद्धतियाँ, पूजा-पद्धतियाँ (ईशान-शिवगुरु-देव-पद्धति, हरिमहिं-विलास, हेमाद्रि-चतुर्वर्ग-चिन्तामणि आदि आदि) कौटिल्य-आर्थ-शास्त्र, शुक्र-नीतिसुर आदि श्र-वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थों के अध्ययन में निष्कर्ष निकलता है। कि इन ग्रन्थों में एक ही वास्तु-परम्परा नहीं है।

हमारा वास्तु-शाहित्य इस देश की दो प्रमुख परम्पराओं का परिचायक है। वास्तु-विद्या की ये दो परम्परायें इस देश की दो सम्यताएँ—आर्य एवं द्राविड़—के प्रतीक हैं। साहित्य समाज का दर्पण कहा गया है। अत जैसी संस्कृति एवं सम्यता जिस समाज की होती है उसका प्रतिविम्ब उसके साहित्य पर अवश्य पड़ता है। वास्तु-शास्त्र की दो परम्पराओं के प्रतिनिधि ग्रन्थ इस 'आधार-भूत दृष्टिकोण' का प्रतिनिधित्व करते हैं।

'मानसार' आदि ड्राविड-वास्तु-विद्या के प्रतिनिधि ग्रन्थों में भवनों एवं मन्दिरों के वर्ग और नाम विश्वकर्म-प्रकाश, वृहस्पतिहिता, मत्स्यपुराण आदि पुराणों एवं समराङ्गण-सूत्रधार आदि नागर वास्तु-विद्या के प्रतिनिधि-ग्रन्थों के भवनवर्ग एवं नाम में सर्वथा विलक्षण हैं। मन्दिरों के जो वर्ग एवं नाम पुराणों में प्राप्त होते हैं वे समराङ्गण आदि उत्तरी ग्रन्थों में मिलते-जुलते हैं। इसी प्रकार कामिक आदि आगमों के भवनवर्ग और नाम भी पुराणों की नामावली से विलक्षण हैं। दूसरे मानसार तथा आगम आदि दक्षिणी ग्रन्थों में भवनों एवं मन्दिरों को विमान का शीर्षक देकर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। उनके नाम 'कान्त' (सूर्यकान्त, पद्मकान्त आदि) में प्रायः अन्त होते हैं। ये भेद वास्तु कहे जा सकते हैं।

आन्तरिक भेद भी कम नहीं है। मन्दिरों के शिवरारों, उनकी आकृतियाँ, भूपणों एवं भूमियों में भी बहुत अन्तर है। दक्षिण के विमानाकृति अथवा रथाकृति मन्दिरों में भूमिका-योजना, वहभूमिक गोपुर-निवेश आदि सहज प्रत्यक्ष हैं, साथ ही साथ उनका कलेवर एवं शीर्षनिर्माण भी विलक्षण है। उत्तरी वास्तु-ग्रन्थों में प्रामाण के शीर्ष को 'आमलक' की संजा दी गई है तथा प्रासादों में गोपुर-निवेश का सर्वथा अभाव है। दक्षिणी विमानों के शीर्ष की संजा 'स्थूपिका' है। इस प्रकार मण्डपों, भवनों आदि की रचना में भी दोनों परम्पराओं में विलक्षणता है। नागर, द्राविड के अतिरिक्त तीमरी-जैली-वेसर हैं जिसका संकीर्तन दक्षिणी वास्तु-ग्रन्थों में प्रायः सर्वत्र किया गया है, किन्तु मत्स्य पुराण, चृत्-मंहिता तथा समराङ्गण में उनका सर्वथा अभाव है।

अस्तु, उत्तरी एवं दक्षिणी परम्पराओं के पारस्परिक भेद-प्रभेद पर इस ग्रन्थ के 'प्रासाद' पटल में विशेष चर्चा होगी। यहाँ पर इतना ही संकेत आवश्यक था कि वास्तु-शैलियों की पारस्परिक विलक्षणताओं का आधार प्रासाद-वास्तु है। सच तो यह है कि धार्मिक उपचेतना से अनुप्राणित अध्यात्म की अजस्र भावना-शिखा से प्रज्ज्वलित तथा भक्ति-भावना से प्रद्योतित हिन्दू-प्रासाद ही इस देश की वास्तु-कला का सर्व-प्रमुख वास्तु-स्मारक है। जैनों के मन्दिर, बौद्धों के विहार भी इसी प्रासाद की महाज्योति से प्रकाशित हैं।

भारतीय वास्तु-कला एवं प्रासाद की इस विशेषता में इस देश की भक्ति-परम्परा बोल रही है। पूजा-वास्तु का जन्म पुराणों एवं आगमों में प्रतिपादित 'भागवतधर्म' के द्वारा हुआ है—यह सभी जानते हैं। पौराणिक धर्म—जिसका उत्तरापथ में विशेष जोर रहा तथा आगमिक परम्परा पर—जिसका केन्द्र दक्षिणा-पथ था—दोनों ने ही देवालयों की स्थापना तथा भूर्ति-पूजा पर विशेष जोर दिया। अतः भक्त राज-कुलों, भक्त सेठ-साहूकारा तथा भक्तजनों—सभी ने इस देश के एक कोने से दूसरे कोने तक सर्वत्र ही वहसुंख्यक भन्दिरों के निर्माण में महायोग देकर अपनी भक्ति-भावना का परिचय दिया। विष्णु-पूजा, शिव-पूजा एवं शक्ति-पूजा इन तीनों पूजा-परम्पराओं की पारस्परिक विलक्षणताओं के अनुरूप इनके मन्दिरों की निर्माण परम्परा में भी स्वाभाविक वैलक्षण्य सम्भाव्य ही था।

अतएव दक्षिणी एवं उत्तरी वास्तु-परम्पराओं में जो पारस्परिक विलक्षणता देखें पड़ती है उसका मूलाधार उपर्युक्त धार्मिक उपचेतना थी—यह तथ्य सहज बोध-गम्य हो जाता है।

भारत की शास्त्र-निर्माण परम्परा में प्रत्येक शास्त्र का कर्ता कोई न कोई देव, ऋषि अथवा मुनि है। ब्रह्मा और शिव को विभिन्न शास्त्रों एवं विद्याओं का प्रवर्तक होने का सर्वाधिक श्रेय प्राप्त है। वास्तु-विद्या के प्रवर्तक आचार्यों में भी बहुत से देव और ऋषि हैं—यह हम देख ही चुके हैं। विश्वकर्मा और मय—इन दोनों को वास्तु-विद्या की उत्तरी एवं दक्षिणी परम्पराओं के प्रवर्तक के रूप में हम देख ही चुके हैं। इन दोनों के अतिरिक्त मत्स्यपुराण, वृहत्-संहिता और मानसार के प्रामाण्य से वास्तु-विद्या के २५ प्रवर्तकों का भी हम संकोर्तन कर चुके हैं। इनमें देव, मुनि, ऋषि एवं राजन्य सभी सम्मिलित हैं।

विभिन्न ग्रंथों में इधर-उधर फैली हुई सामग्री के प्रामाण्य से डा० तारापद भट्टाचार्य ने इन सभी आचार्यों को ऐतिहासिक पुरुषों में परिगणित किया है। ये ऐतिहासिक हैं अथवा पौराणिक—इस विवाद में पड़ना यहाँ पर उचित नहीं। यहाँ पर इस अवतारणा का एक मात्र उद्देश्य समराङ्गण-सूत्रधार के स्थान का निर्धारण है। यह समग्राङ्गण-सूत्रधार मध्यकालीन वास्तु-विद्या का अधिकृत एवं प्रामाणिक ग्रथ है। इसमें वास्तु-विद्या का मंस्थापक ब्रह्मा को बताया गया है। ब्रह्मा की दी हुई वास्तु-विद्या का प्रथम प्रवक्ता विश्वकर्मा हुआ। विश्वकर्मा को हम नागर वास्तु-विद्या के प्रवर्तकों में परिगणित कर चुके हैं। इसके विपरीत डा० भट्टाचार्य ने ब्रह्मा को ब्राविङ-वास्तु-विद्या के प्रवर्तकों में परिगणित किया है। अतः इन समस्या का कैसे समाधान किया जाय? दक्षिणी और उत्तरी परम्परायें

भले ही जन्म एवं विकास में पृथक् भी परन्तु कालान्तर पाकर (पूर्व-मध्यकाल) दोनों का पारस्परिक आदान-प्रदान एवं सम्मिश्रण प्रारम्भ हुआ और समराङ्गण के समय में सम्भवतः यह पूर्णरूप में सम्पन्न हुआ। इस प्रकार एक अखिल-भारतीय हिन्दू वास्तु-शैली के हमें दर्शन होते हैं जो भिन्न होते हुए भी एक है। नागर, डाविड, वाचाट, भूमिज, वेसर आदि विभिन्न जैलियों अथवा परम्परायें एक प्रकार ने इस महालोक की विभिन्न वारायें हैं जिनका एकमात्र लद्य महाभारत की महान् आत्मा की अभिव्यञ्जना है। इस दृष्टि से समराङ्गण को हम न केवल मध्यकालीन वास्तु-विद्या का एक प्रतिनिधि ग्रन्थ मान सकते हैं वरन् अखिल-भारतीय हिन्दू वास्तु-शैली का इसे प्रथम उद्भावक के रूप में भी प्रकल्पित कर सकते हैं।

डाविड वास्तु-विद्या का प्रमुख आचार्य ब्रह्मा समराङ्गण में वास्तु-विद्या का प्रथम प्रतिष्ठापक प्रतिष्ठित किया गया है। उसी ब्रह्मा ने स्वर्गीय पौचं विमानों से उन्हीं के श्राकार में भूतल पर प्रनादां की प्रतिष्ठा के लिये प्रतिकृतियों प्रदान की। सुषिकर्ता ब्रह्मा ने भूतल की निवेश-योजना का भार विश्वकर्मा को सौंपा। कोई भी योजना विना किमी संरक्षक के नहीं हो सकती। इस महायोजना (भूतल पर देशों, जनपदों, पुरों, ग्रामों एवं भवनों आदि) के संरक्षक के रूप में स्वर्य महाराज पृथु को पितामह ब्रह्मा ने प्रतिष्ठापित किया। भूमि एवं वास्तु का अन्तर यह है—‘भूमि’ समीकृत एवं असमीकृत दोनों ही प्रकार की भूमियों की संज्ञा है। वास्तु-भूमि केवल समीकृत भूमि है। वास्तु-व्यवस्था स्थपति का काम है परन्तु समीकरण-व्यवस्था भूपति का काम है। यदि यह आधार-भूत-रहस्य इस समझ के ले तो पुराणों में प्रतिपादित और समराङ्गण आदि वास्तुशास्त्रों में प्रत्यावर्तित पृथु के सभीकरण (गोदोहन) उपाख्यान को हम लोग पौराणिक कल्पना न मानकर एक वैज्ञानिक सिद्धात के रूप में ले सकते हैं। अतएव समराङ्गण की वास्तु-विद्या के जहाँ पुराण-पुरुष स्वर्य ब्रह्मा प्रतिष्ठापक हुए वहाँ महासमा पृथ्वी (वास्तु-आधार) महाराज पृथु (वास्तु-संरक्षक) एवं महास्थपति विश्वकर्मा—इस वृहत्त्रयी की कल्पना की गई है। सुषिकर्ता ब्रह्मा की इस वास्तु-योजना का मर्म समराङ्गण के प्रथम एवं सप्तम अध्यायों में उद्घासित किया गया है। सुशासन, सुसमाज एवं सुजीवन के विना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। वर्णाश्रम व्यवस्था (स० स० अ० ७) इन्हीं आधार-भूत सिद्धातों की व्याख्या है।

अस्तु, पितामह से प्राप्त वास्तु-विद्या का प्रथम आचार्य विश्वकर्मा, नागर-वास्तु-विद्या का प्रथम प्रतिष्ठापक हुआ और भारतीय वास्तु-कला की नागर परम्परा का जन्मदाता बन। समराङ्गण में विश्वकर्मा के प्रवचनों द्वारा प्रतिष्ठापित वास्तु-विद्या के प्रचारक, आगे के स्थपति-कुलों के प्रतिनिधि स्वर्य उसके पुत्र प्रकल्पित किये गये।

इस प्रकार वास्तु-परम्पराओं एवं वास्तु-विद्या के ग्रन्थों में समराङ्गण के स्थानांकन में एक और विगेप उल्लेखनीय बात है कि जहाँ यह उत्तरो परम्परा अथवा नागर स्कूल का एक प्रमुख एवं प्रतिनिधि ग्रन्थ है वहाँ यह—जैमा पूर्व निर्देश किया जा चुका है—अखिल भारतीय हिन्दू-शैली का भी प्रथम उल्लासक है। साथ ही नाय इसने अपनी एक नई शैली की भी उद्घावना की है। इसको विद्वानों ने ‘लाट’-शैली का नाम दिया है। लाट गुलगान दी पुनर्नन संज्ञा है। अतः गुर्जर-प्रदेश में विकसित इस शोमावहूल शैली का नाम लाट पड़ा।

समराङ्गण के कर्ता महाराज भोज की नगरी 'धारा' गुजरात के समीप होने के कारण अपने पड़ोसी प्रदेश को प्रभावित करना अथवा उससे स्वयं प्रभावित होना—दोनों ही सम्भाव्य है। अथवा अग्रिमपुराण में एवं हयशीर्ष-पञ्चरात्र में जिन ४५ प्रासादों का स्टॉट-शैली में उल्लेख है वे ही अविकलरूप से समराङ्गण में वर्णित हैं। परन्तु उनकी संख्या यहाँ पर ४५ से ६४ हो गई है।

अस्तु, इस अति संक्षिप्त विवेचन से हम समराङ्गण के स्थान का मूल्यांकन कर सकते हैं। जहाँ तक इसकी देनों का सम्बन्ध है उनकी स्थल-स्थल पर सावसर स्पष्ट रूप से समीक्षा की गई है।

वास्तु-विद्या

विस्तार एवं विषय

समराङ्गण वास्तु-शास्त्रीय पुराण है। समराङ्गण के प्रथम सात अध्यायों में वास्तु-विद्या के व्यापक स्वरूप, विस्तार एवं विषयों की पौराणिक शैली में वही सुन्दर अवतारणा की गई है। तीसरे अध्याय के उपोद्घात में 'महासभागमन' तथा 'विश्वकर्मा और उसके पुत्रों का सम्बाद' इन दो अध्यायों में प्रतिपादित वास्तु-प्रयोजन एवं वास्तु-सृष्टि की ओर संकेत किया ही जा चुका है। साथ ही साथ भारतीय वास्तु-विद्या के व्यापक स्वरूप पर भी संकेत किया जा चुका है। इस अध्याय में समराङ्गण के 'प्रश्न' नामक तीसरे अध्याय की विशेष सामग्री का विशेष उपयोग करना है, जिसमें वास्तु-विषयों की जानकारी के लिये विश्वकर्मा के ज्येष्ठ पुत्र जय ने महाजिजासा की है। शास्त्र-प्रतिपादन एवं तत्व-विवेचन में प्रश्नोत्तर की प्रणाली इस देश के शास्त्रकारों एवं साहित्यकारों की एक पुरातन पठति है। समराङ्गण में भी—जैसा चौथे अध्याय (समराङ्गण का स्थान) में कहा गया है—
यितामह ब्रह्म से प्राप्त वास्तु-विद्या के प्रथम प्रवक्ता एवं आचार्य विश्वकर्मा के द्वारा वास्तु-विषयों के (अ० ३) की जय-जिजासा के समाधान एवं उत्तरों में ही समराङ्गण की वास्तु-विद्या के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। यहाँ पर वास्तु-विस्तार के विवेचन में समराङ्गण की सामग्री के सम्बन्ध में इतना संकेत और आवश्यक है कि 'महदादिसर्ग' नामक चौथे अध्याय, 'भुवन कोश' नामक ५ वें अध्याय तथा 'वर्णाश्रम-प्रविभाग' नामक ७ वें अध्याय में प्रतिपादित सृष्टि-वर्णन, भूरोत एवं वर्णाश्रम-न्यवस्था से वास्तु-विद्या के विस्तार पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अतः क्रमशः वास्तु-विस्तार में सार्वभौमिक, दार्शनिक खगोलीय, भौगोलिक तथा स्वातन्त्र्यिक इन प्रमुख पाँच दृष्टिकोणों से वास्तु-विस्तार का विवेचन किया जा सकता है।

(अ) सार्व-भौमिक दृष्टिकोण

भारत के सभी विज्ञान अध्यात्म से सदैव प्रमाणित रहे। वास्तु-ब्रह्म-वाद के दार्शनिक दृष्टिकोण में वास्तु की विश्वव्यापकता अन्तर्हित है। हिन्दुओं के गव्द-ब्रह्म-वाद, नाद-ब्रह्म-वाद एवं रस-ब्रह्म-वाद की कल्पना के समान ही वास्तु-ब्रह्म-वाद की कल्पना भी संगत है। उच्च तो यह है कि भारत के विज्ञान को दर्शन से अलग नहीं किया जा सकता है। विना दार्शनिक दृष्टिकोण के विज्ञान अर्ध-विज्ञान ही है। विना धार्मिक एवं दार्शनिक उपचेतना के विज्ञान शुष्क-काष्ठ के समाम केवल जलाने योग्य है। विना अध्यात्म ने अनुप्राणित शुष्क विज्ञान जीवन का सहायक न होकर संहारक बन जाता है। हिन्दुओं की वास्तु-कला की प्रतिनिधि एवं प्रमुख छृति प्राचाराद है। प्रसाद-कला के, सिद्धांत, धर्म और दर्शन की महाभावना ने नीचे से उपर तक अनुप्राणित है। प्राचार स्वर्व देव-प्रतिमा है।

भूतल पर स्वर्गीय देव का प्रतिष्ठापक यह प्रासाद अपने प्रत्येक अवयवों से, संस्थान, मान, निवेश आदि विभिन्न प्रक्रियाओं से इस तथ्य का एक जीता जागता तंश्य है ।

अस्तु, वास्तु के सार्वमौमिक स्वरूप की समीक्षा में वास्तु-नक्षत्राद की ओर ऊपर संकेत किया गया है । इसका क्या मर्म है ? वास्तु शब्द का मर्म योजना (प्लानिंग) है । किसी भी रचना, निर्माण, अथवा सृष्टि के पूर्व योजना आवश्यक है । योजना और सृष्टि दोनों सहोदर वहनें हैं । समराङ्गण (अ० २.४) में साफ लिखा है कि ब्रह्मा ने इस जगत् की सृष्टि के पहले वास्तु की सृष्टि की । अतः विश्वव्यापी दृष्टिकोण से विश्व की यह सृष्टि एक सयोजना रचना है । योजना सृष्टि एवं संसार दोनों का मर्म है । सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में भी विना योजना के काम नहीं चल सकता । राजा और राज्य की कल्पना देश के शासन की योजना है । वर्णाश्रमव्यवस्था समाज एवं व्यक्ति दोनों के जीवनों की योजना है । इसी योजना के द्वारा सुनियन्त्रित राष्ट्र, सुरंगठित समाज एवं सुसङ्कृत व्यक्ति का निर्माण होता है । अतः विश्व के एक छोटे भाग इस महासमा (पृथ्वी) के निवेश के लिये समराङ्गण में एक संरक्षक शासक (राजा पृथु) निवेशकर्ता (प्लानर) अर्थात् स्थपति (विश्वकर्मा) तथा योजना का आधार स्वर्य महासमा—इस वास्तु-त्रयी (देविये स. सु. प्रथम अ०) की अवतारणा का यही व्यापक मर्म है । पुराणों में प्राप्त महाराज पृथु का गोदोहन अथवा भू-समीकरण का भी यही मर्म है । ऊबड़-खावड़, ऊँची-नीची भूमियों, सरिताओं और पर्वतों, वनों और झाड़ियों से आकान्त भूमिको निवेशयोग्य बनाने के लिये पृथु ऐसे महान् और कठोर शासक (पृथु को यम का प्रतिनिधि माना गया है) चाहिये । महाराज पृथु के इसी समीकरण ने पृथ्वी को पृथ्वी बनाया (पृथो. इयं पृथ्वी) ।

दार्शनिक एवं पौराणिक दृष्टिकोण को हम न भी मानें तो भी इस तथ्य से किसका वैमत्य हो सकता है कि जब हम अपने घर के निर्माण की योजना बनाते हैं तो अपने पढ़ोस, पद के चतुर्दिक् वातावरण तथा वसती आदि का अवश्य विचार करते हैं । इसी प्रकार जब हम किसी पुर की स्थापना करने जाते हैं तो उसकी प्राकृतिक स्थिति—भूमि, जल, वायु, अन्न, वृक्ष आदि जीवनोपयोगी साधनों के साथ-साथ देशविशेष अथवा जन-पद विशेष की विशिष्टताओं पर भी ध्यान देते हैं । पुर-निवेश में देश-विशेष एवं जन-पद-विशेष की यह परीक्षा जब और आगे बढ़ती है तब पुरसमूह रष्ट्र के सम्पूर्ण भूगोल—नदियाँ, पर्वत, समुद्र, वन आदि पर विचार आवश्यक हो जाता है । परन्तु कोई भी देश कितना ही सुर्यगठित हो, सुनियोजित हो अथवा सुशासित हो वह अपने पढ़ोसी देशों के प्रभाव से नहीं बच सकता । अतः एक देश की योजना में दूसरे देशों की योजना सुतरा समाप्तित हो जाती है । पुर से जब बढ़े तो राष्ट्रों एवं देशों में आये । देश की ओर दृष्टि डाली तो दूसरे देशों तक चली गई । इससे यह सिद्ध हुआ कि देश-योजना में दूसरे देशों की योजना का प्रभाव अवश्य पड़ता है । अन्तर्देशीय अथवा अन्तराष्ट्रीय योजना आगे बढ़ती हुई महासमा-योजना की महायोजना का एक अभिन्न अंग बन जाती है । कहानी यही नहीं समाप्त होती । महासमा (पृथ्वी-भूलोक) इस वृहद् विश्व का एक अति लघु भाग है । सौरमण्डल में पृथ्वी के परिमाण को हम जानते ही हैं । भूवासियों का जीवन दूसरे ग्रहों से अनिवार्य रूप से प्रभावित रहता है । ज्योतिर्विद्या इस तथ्य का साक्ष प्रदान करती है

है। अतः अन्तर्राशीय अन्योन्याश्रय (Inter-dependence) की मौति अन्तर्राशीय (Inter-planet) अन्योन्याश्रय भी सुतराम् संगत है। इसी महादृष्टि ने भारतीय वैज्ञानिकों को सनातन से प्रभावित किया है। समराङ्गण में प्रतिपादित प्रथम सात अध्याया में भूलोक के निवासी महाराज पृथु और देवलोक के देवस्थपति विश्वकर्मा का मङ्गम (अ० १), साङ्गेपाण सुषिवर्णन की अवतारणा (अ० ४), महाद्वीपों, द्वीपों, पर्वतों आदि का भूगोलवर्णन, सूर्य आदि नक्षत्रों की स्थितियों एवं गतियों का व्याग्रोल-वर्णन (अ० ५), युगारम्भ में मानवता एवं देवत्व का सहवास (अ० ६) एवं वर्णाश्रम व्यवस्था के शाश्वत आधारशिलाओं पर निर्मित भारतीय आर्यमंस्कृति के मानव धर्मों की अभिव्यञ्जना एवं सभ्य नागरिक जीवन की सफलता में पुरनिवेश, खेटनिवेश तथा ग्रामादि एवं जनपद-विभाग की योजना (अ० ७) का यही मर्म है। वास्तु-शास्त्र की इसी दिव्य दृष्टि को सार्वभौमिक दृष्टिकोण हमने माना है।

ब. दार्शनिक अथवा आध्यात्मिक दृष्टिकोण—

किसी भी वास्तु-निर्माण के प्रत्येक वास्तु-पद एवं उसके अधिष्ठात्र देव वास्तु-पुरुष का प्रकल्पन वास्तु-शास्त्र का एक अनिवार्य सिद्धान्त है और भारतीय वास्तु-कला की यह एक अविच्छिन्न परम्परा है। पुर, प्रासाद, अथवा भवन के निवेश-नियमों में वास्तु-पद-विन्यास स्थपति की प्रथम योग्यता एवं स्थापत्य का प्रथम अङ्ग है। वास्तु-पद-विन्यास का सविस्तर विवेचन आगे किया जायेगा। यहां पर वास्तु-पद के अधिष्ठात्र देव “पुरुष” की अवतारणा का मर्म यह है कि वास्तु-मरडल के रेखाचित्र में, वास्तु-पुरुष प्रकल्पन उपलक्षण-भाव (Symbolic) है। इसका रहस्य विना दर्शन के समझ में नहीं आ सकता। वात्सु-विद्या और दर्शन इन दो ज्ञान-धाराओं का यहाँ संगम होता है और ब्रह्म-समुद्र की ओर द्रुतगति से दोनों का प्रवाह। हरिवश (अ० १) का यह प्रवचन इसी रहस्य का उद्घाटन करता है—“निवेश वास्तु में ‘पुरुष’ की प्रकल्पना से, उस पदविशेष की सत्ता का विश्व की सत्ता के साथ ऐकात्म्य स्थापित करना अभिप्रेत है।”

डा० श्रीमती स्टेलाकैमिश ने अपने ‘हिन्दू-टेरिपिल’ में वास्तु-पुरुष-मरडल के दार्शनिक दृष्टिकोण की अति विशाद अभिव्यञ्जना की है।

सर्व व्यापी ‘विराट पुरुष’ अथवा (पुरुष) निवेश पद के साथ एकाकार ही नहीं तदात्मक भी है। स० स० के प्रथम श्लोक में भी इसी रहस्य की अभिव्यञ्जना है।

स ज्योतिष-दृष्टिकोण—

वास्तु-शास्त्र का ज्योतिविज्ञान एवं गणित से घनिष्ठ संबंध है। भारत के प्रसिद्ध ज्योतिविद् वराहमिहिर ने श्रावनी वृत्तमंहिता में ज्योतिपियां के ज्योतिविज्ञान के लिए वास्तु-ज्ञान को एक अनिवार्य अंग माना है।

वास्तु-पुरुष-मरडल के आध्यात्मिक (Metaphysical) महस्त का जो संकेत अभी किया गया है उसी में विश्वजीवन एवं ज्योतिर्मरडलीय (Cosmological & Astronomical), वीज भी विद्यरे पड़े हैं।

वास्तु-मरडल पर विभिन्न अभिपति देवों के साथ-नाथ नन्नत्रमरडल के प्रसुत नक्षत्र

सूर्य, चन्द्र आदि का भी प्रकृत्यन होता है। सूर्य-चन्द्र आदि ग्रहों की गतियों में ही विश्व की गति एवं स्थिति, समय, (वर्ष, मास, पक्ष, तिथि, वार आदि) तथा अनुयं (वर्ष, श्रीष्म, शीत आदि) निर्मर है। अतः विश्वाकार इस वास्तुमण्डल पर विश्वनियन्ता नक्षत्रों की स्थितिनाति में किसी प्रकार का अवरोध या विरोध उचित नहीं है। इस दृष्टि कोण से वास्तु-शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का एक अंग है। क्योंकि वास्तु-शास्त्र में भी तो भवन-कार्य किस नक्षत्र में, किस मास, तिथि एवं वार में प्रारम्भ करना चाहिए। निवेश्य वास्तु का दिक्-सामुख्य आदि कैसा होना चाहिए। इन सभी प्रश्नों का वास्तु-मण्डल में ध्यान रखना जाता है। संसार की नश्वरता एवं अपूर्णता ही ज्योतिर्गणनाओं (Astronomical calculations) तथा भविष्यवाणियों (Astrological forecasts) का कारण है। इन सभी में कुछ न कुछ “शेष” अवश्य विद्यमान है। विकास-क्रम के लिये ‘शेष’ आवश्यक है। वर्तमान का विकास भूत का ‘शेष’ है। ‘शतपथ-ब्राह्मण’ (१. ७. ३-१८-१९) का यही मर्म है। ‘वास्तु’ शब्द ‘वस्तु’ से निष्पत्र हुआ है। अतः वास्तु में सत्ता के विकास (निवास आदि) एवं शेष दोनों का मर्म छिपा है।

इसके अतिरिक्त वास्तु-शास्त्र के सभी ग्रन्थों में “आयादि-निर्णय” वास्तु-विद्या का एक अनिवार्य अंग माना गया है। आयादि-निर्णय का अर्थ ज्योतिषशास्त्र में प्रतिपादित तारा; नक्षत्र, तिथि, वार आदि के साथ-साथ आय, व्यय, अंश, आदि घडवर्ग का विचार भवन-निर्माण में आवश्यक है। “घडवर्ग” के ये ६ सिद्धान्त वास्तु विद्या के ६ सिद्धांत माने गये हैं। इनकी विशेष चर्चा पीछे की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त वास्तु-विद्या, और ज्योतिष-विद्या के घनिष्ठ सम्बन्ध की स्थापना, और भी दूसरे प्रकारों से की जा सकती है। ‘स्थापत्य-लक्षण’ (अ० ४४) में समराङ्गण ने गणित एवं ज्योतिष तथा सामुद्रिकशास्त्र को स्थापत्य के अष्टाङ्ग में परिगणित किया है। स० स० के दसवें अध्याय का निम्न प्रवचन—

चतुर्प्रकार स्थापत्यमष्टधा च चिकित्सकम् ।

धनुर्वेदश्च सप्ताङ्गो ज्योतिषं कमलाक्षयात् ॥ ७७ ॥

अर्थात् चतुर्विध स्थापत्य, अष्टविध आयुर्वेद, सप्तविध धनुर्वेद, तथा ज्योतिष—इन सभी शास्त्रों के मूल-प्रवर्तक ब्रह्म हैं। इस प्रकार ज्योतिष एवं वास्तुविद्या की शास्त्र-परम्परा भी इन दोनों के घनिष्ठ और सम्बन्ध का द्योतन करती है।

अथव, रूप, अंक एवं प्रमाण का ज्ञान किसी भी वास्तु-निवेश के लिये अत्यावश्यक है। यह ज्ञान गणित से मिलता है। गणित (फलित एवं सामुद्रिक) ज्योतिष-विद्या का ही अंग है। कल्प-सूत्रों के शुल्व-सूत्रों में प्रतिपादित वेदि-रचना के प्रमाण एवं रूप आदि वास्तु-विद्या के आदि सिद्धान्त माने गये हैं। वेदि-रचना ही भारतीय वास्तु-कला की प्रथम वेदी है। महावीर नामक पूर्व मध्यकाल के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने अपने “गणितसार” में वास्तु-विद्या-और गणित के सम्बन्ध पर प्रकाश डाला है।

(य) भौगोलिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोण—

एक आदर्श नगर की स्थापना के लिये जिस जनपद अथवा देश में वह नगर स्थित है उस देश की भौगोलिक स्थितियों एवं भौगोलिक विशेषताओं की समीक्षा परम आवश्यक

है । नगरनिवेश में आधुनिक देशमापन (Regional planning) का यही मर्म है । निवेश्य नगर की भौगोलिक स्थितियों के ज्ञान से ही पुर-विशेष की निवेशन्योजना बनाई जा सकती है । मानवावास के लिये जल-साधन ऊर्वरा भूमि, हरे-भरे वन, विस्तृत चराऊ मैदान आवश्यक हैं । पुनर्शस्मतल भूमि-तथा पर्वतीय प्रदेश दोनों स्थानों के नगरों की विशेषतायें अलग अलग होंगी । समुद्र-तट पर विकसित नगर की विशेषता अपनी नियाली होगी । प्रचीन नगरों के विभिन्न भेदों—पुर (राजधानी नगर) पत्तन, पुट भेदन (व्यावसायिक नगर) आदि की आत्मकहानी में भौगोलिक मर्म छिपा है । --

इसी दृष्टिकोण से समराङ्गण ने 'मुखनकोश' नामक चौथे अध्याय में जय की भौगोलिक जिगासा का उत्तर दिया है । पुरनिवेश के लिये देश-विशेष के भूगोल का ज्ञान आवश्यक है जिससे एक देश अर्थवा राष्ट्र के लिये आवश्यक विभिन्न वर्गीय पुरों की वस्थास्थान निवेशन्योजना बनाई जा सके ।

भूमिपरीक्षा में भौगोलिक ज्ञान के अतिरिक्त भौगोलिक ज्ञान भी परमोपादेय है । भूमि की भौगोलिक-परीक्षा की विस्तृत विवेचना 'पुर-निवेश' पटल में द्रष्टव्य है । यहां पर इतना ही संकेत पर्याप्त होगा कि यह पृथक् वसुन्धरा कहलाती है । इसीलिये इसका नाम रत्नगर्भा है । किस भूमि में कौन से खनिज पदार्थ पाये जाते हैं ? कौन सी भूमि किस कार्य के लिये विशेष उपयुक्त है ? इन सभी के समाधान के लिये भूमि की भौगोलिक-परीक्षा का वास्तुशास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है । भूमि के गन्ध, वर्ण, रस (स्वाद) एवं सर्पण से प्राचीन स्थपति भौगोलिक परीक्षा कर लेते थे । इस प्रकार वास्तु-विद्या का भूगोल एवं भूगर्भ-विद्या (Geology) के साथ एक घनिष्ठ सम्बन्ध है यह सिद्ध होता है । गोदोहन, भू-समीकरण के पौराणिक एवं वास्तु शास्त्रीय (स० स० अ० १, ७) उपाख्यान सृष्टि के आदि में हमारे पूर्वजों के द्वारा भूपरीक्षा के इस भौगोलिक एवं भौगोलिक महा अनुष्ठानों की सूचना देते हैं ।

२. स्वातन्त्रिक (Architectural itself)—

अन्त में वास्तुशास्त्र के व्यापक क्षेत्र के समुद्धाटन में "वास्तु" शब्द की जो व्याख्या प्राचीन आचार्यों ने की है वह भी इस सम्बन्ध में वड़ी संहायक है । मानसार के अनुसार धरा, हर्म्य (भवन आदि) यान एवं पर्येक इन चारों का ही वास्तु शब्द से वोध होता है । वास्तु की इस चतुर्मयी व्यापकता की मोदाहरण व्याख्या करते हुये ड० आचार्य अपने वास्तु-विश्व-कोश (पृ० ४५६) में लिखते हैं—हर्म्य में प्रासाद, मरडप, सभा, शाला, प्रपा तथा रङ्ग—ये सभी सम्मिलित हैं । यान—आदिक, व्यन्दन, गिविता एवं रथ का वोधक है । पर्येक में पञ्चर, मञ्चली, मञ्च, फलकारन तथा वाल पर्वद्व सम्मिलित हैं । वास्तु शब्द ग्रामों, पुरों, दुर्गों, पत्तनों, पुटभेदनों, आवास-भवनों एवं निवेश-भूमि में भी गतार्थ है । अथवा मूर्तिकला ग्रथवा पापाणकला वास्तु-कला की सहचरी कही जा सकती है ।"

अग्निपुराण (अध्याय १०६-५-१) तथा गरुद-पुराण (अ० ४६) वास्तु शब्द के इस मर्म का संमर्थन करते हैं । कौटिल्य के अर्थशास्त्र (अ० ६५) में भी वास्तु शब्द की व्यापकता का संमर्थन प्राप्त है ।

समराङ्गण-सूत्रधार के प्रथम ही अध्याय में शास्त्राभ्य के समर्थन में मंगलमयी भावना के निर्दर्शन में वास्तु शास्त्र की उपादेयता की अवतारण करते हुये ग्रन्थकार का निम्न प्रवचन द्रष्टव्य है ।

‘देशः पुरं निवासश्च सभा वेश्मासनानि च ।
यद्यदीदशमन्यज्ञ तत्तच्छ्वेयस्करं मतम् ॥४॥
वास्तुशास्त्रादते तस्य न स्यालक्ष्मज्ञणनिरचयः ।
तस्माल्कोकस्य कृपया शास्त्रमेतदुदीर्घते ॥५॥

इन श्लोकों में वास्तुशास्त्र के व्यापक क्षेत्र का पूर्ण आभास प्राप्त होता है । ‘देश’ जनपद, राष्ट्र, देश के विभिन्न भेद एवं विभिन्न देशभूमियों का वोधक है । अतः पुर-निवेश में देशमापन एवं भूपरीक्षण आदि प्रारम्भिक कार्य भी गतार्थ हैं । ‘पुर’ से—नगर के विभिन्न प्रकार जैसे राजधानी, शाखानगर, पत्तन एवं पुटमेदन, आदि सभी वोधव्य हैं । ‘निवास’ विभिन्न कोटिक नगरेतर शाखानगर, खेट, ग्राम, पहाड़ी एवं पल्लिकाओं आदि वसतियों का वोधक है । ‘सभा’ में—विशिष्ट भवन, मन्त्रशाला, धारापरिषद् आदि गतार्थ हैं । ‘वेश्म’ में—विभिन्न वर्गीय भवन जैसे देवावास (प्रासाद) नृपावास राज-प्रासाद एवं जनावास तथा इनके बहुसंख्यक प्रभेद परिगणित हो सकते हैं । अथवा, ‘आसन’ में विभिन्न प्रकार के आसन, वाहन (देखिये ‘प्रतिमा’ पट्टल) शब्द्या आदि सम्मिलित हैं ।

वास्तु-शास्त्र के व्यापक विस्तार के सम्बन्ध में समराङ्गण का यह प्रवचन दिग्दर्शन मात्र है । स० स० के ‘प्रश्न’ नामक तृतीय अध्याय की एतद्विषयक सामग्री की समीक्षा का शीघ्र ही अवसर आ रहा है ।

‘मयमत’ के अनुसार वास्तु शब्द का अभिप्राय भूमि, प्रसाद, यान एवं शयन से है । ये ही विषय सभी वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थों के प्रधान विषय हैं । समराङ्गण में यान का तात्पर्य वायुयान से है (देखिये ‘यन्त्र’ पट्टल) ।

अथवा यहाँ पर एक तथ्य की ओर पाठकों का ध्यान और आकर्षित करना है । वास्तु-विद्या कला और विज्ञान दोनों ही है । अतः वास्तु-शास्त्र का विषय एक मात्र सिंद्धान्तों का प्रतिपादन ही नहीं है बरन् उन सिद्धातों के अनुरूप वास्तु-कृतियों की रचना भी है और वे रचनायें ऐसी होनी चाहिये जिनको देखसर मानव की हक्तन्त्री में उसी प्रकार का स्पन्दन होने लगे जैसा कि काव्य के रसास्वाद से होता है । मनमयूर उसी प्रकार से नाचने लगे जिस प्रकार एक विद्युग्ध गायक के सुन्दर गीत से नाचता है । काव्य एवं संगीत के रसास्वाद की यह तन्मयता विमुग्धकारिणी वास्तुकला में भी अवश्य आनी चाहिये । एलौरा के कैलाश, अजन्ता के गुहाभन्दिर एवं चित्र प्राचीन वास्तु-स्मारकों को हम जब देखते हैं तो हम विमुग्ध होकर उनको मानवकृति नहीं कहते—देवकृति समझते हैं । पितामह ब्रह्मा ने विश्व की रचना तो की लेकिन उसकी सुन्दर निवेशयोजना का भार विश्वकर्मा को सौंपा गया । कथा है (स० स० महासमागमन अ० १) सुष्ठि के उपरान्त संसार की योजना का भार महाराज पृथु को सौंपा गया । पृथु राजा था । राजा कलाकार विश्वकर्मा का कार्य नहीं कर सका । अतः अपनी इस असफलता का रोना लेकर पृथु पुनः पितामह के पास पहुँचे । महासमा पृथ्वी भी अपनी कहण कहानी लेकर पहुँची । दोनों की दुर्दशा देखकर ब्रह्मा ने

विश्वकर्मा को बुलाया और विश्व के निवेश (विशेषकर भूतल के निवेश) का भार सौंपा । विश्वकर्मा ने अभी तरु देवपुरियों का निर्माण किया था । ब्रह्मा के इस महानियोग में पूर्ण सफलता के लिये उसे सहायकों की आवश्यकता हुई । स्वपत्तियों की परम्परा अभी पहचित नहीं हुई । यतः पिता के इस अनुष्ठान में पुत्रों ने हाथ बटाया । विश्वकर्मा ने अपने मानसपुत्रों—जय, विजय, सिद्धार्थ एवं अपराजित को बुलाया और ब्रह्मा के इस नियोग की सूचना दी (देखिये स० स० अ० २) और भूतल की निवेश योजना—राजा की राजधानी, देश एवं जनपदों के रक्षार्थ विभिन्न प्रकार के दुर्गों, जनावासों (पुर, नगर, ग्राम, खेटादि) तथा जाति एवं वर्णानुरूप आवासभवनों और देवप्रतिष्ठा के लिये देवभवनों आदि—में सहायता की याचना की ।

यह संवाद हिमाद्रि के स्वर्गीय उत्तुंग शिखरों पर हो रहा था । स्वर्ग से भूमि पर उत्तरने की अवतारणा में विश्वकर्मा के ज्येष्ठ पुत्र जय ने अपने पिता से इस अनुष्ठान-यज्ञ में आहुति देने के पूर्व अनुष्ठान की सांगोपाग जिजासा में प्रश्नों की झड़ी लगा दी । इन्हीं प्रश्नों का प्रबन्धन स० स० के 'प्रश्न' नामक तीसरे अध्याय का वास्तु-शास्त्र के व्यापक विस्तार का प्रबन्धन है । इस प्रश्न तालिका को हम अपने अध्ययन के अनुरूप निम्न समूहों में विभाजित कर सकते हैं :—

(१) औपोद्घातिक

(क) सार्व-भौमिक

(१) सुष्ठि—महाभूत एवं नक्षत्र ।

(२) अहों की गतियाँ, स्थितियाँ, पारस्पारिक दूरी, आधार एवं कारण आदि ।

(३) पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोक ।

(ख) सास्कृतिक मानव-सम्यता एवं संस्कृति तथा धर्म के विभिन्न युग एवं उनकी व्यवस्थायें—प्रथम उत्पत्ति, प्रथम राजा, प्रथम वर्ण और प्रथम नक्षत्र ।

(ग) भौगोलिक

(i) भूमि—आकार, आधार, प्रमाण, विस्तार, परिधि तथा वाहुल्य ।

(ii) पर्वत—संख्या, ऊँचाई, लम्बाई और चौड़ाई ।

(iii) महाद्वीप तथा वर्ष (देश) उनकी सरितायें, समुद्र जन एवं जनपद तथा इन सबकी विशेषतायें ।

(घ) भौगोलिक—देश एवं देशभूमियों की परीक्षा तथा शब्द, सर्व, गन्ध, वर्ण तथा रस के अनुसार भूमि-परीक्षण तथा निवेश वास्तु (पुर, ग्राम, भवन, ग्रामाद आदि) की भूमि का चयन ।

(ङ) स्थापत्य—विषय, प्राथमिक कृत्य, इष्टकार्म, भूमिशोधन (अभि, जल तथा वायु से) शल्योद्धार-विधि, दिग्ग्रह, सून्दर, अधिवासन, मूलपाद, शिलान्यास आदि ।

(२) पुरनिवेश

विभिन्नवर्गीय पुरों तथा दुर्गों एवं ग्रामों आदि के निवेशनोचित भूमि के चयन के

साथ-साथ, राजधानी-निवेशन, प्राकार-विधान, गोपुर-योजना, अद्वाल-निर्माण, परिखाकर्म व प्रविधान, पचाद्वार, अङ्गद्वार, प्रतोली, रथ्यायें, चत्वर, क्षेत्र आदि ।

(१) मार्गविनिवेश—सीमाओं एवं क्षेत्रों के साथ-साथ पुर के अभ्यन्तर एवं वास्तु दोनों प्रदेशों में मार्ग-निवेश ।

(२) पदविन्यास ।

(३) इन्द्रधननिवेशन तथा देव-प्रतिष्ठा ।

(४) जाति एवं वर्ण के अनुरूप जनावास ।

(५) भवनकला

(१) राजप्रासाद—प्रमाण, मान, संस्थान, संख्यान, उच्छ्राय आदि लक्षणों से लक्षित एवं प्राकारपरिखा-गुप्त, गोपुर, अम्बुर्वेश्म, कीड़ाराम, महानस, कोष्ठागार, आयुधस्थान, भारडागार, व्याधामशाला, नृत्यशाला, संगीतशाला, स्नानगृह, धारागृह, शव्यागृह, वासगृह, प्रेक्षा (नायशाला), दर्पणगृह, दोलागृह, अरिष्टगृह, अन्तःपुर तथा उसके विभिन्न शोभा सम्भार—कक्षायें, अशोकबन, लतामंडप, वापी, दारूगिरि, पुष्पवीथियाँ तथा राजभवन की किस-किस दिशा में पुरोहित, सेनानी, ब्राह्मण, ज्योतिषी एवं मन्त्री के निवास ।

(२) जनावास—शालभवन, भवनाङ्ग, भवनद्रव्य, विशिष्ट भवन, चुनाई, भूषा, दारूकर्म, इष्टकार्म, द्वारविधान, स्तम्भलक्षण, छायस्थापन आदि आदि के साथ वास्तुपदों की विभिन्न योजनायें ।

(३) मान, भंग एवं वेघ आदि ।

(४) यन्त्रघटना

(दारक्रिया से अनुसेय)

(५) प्रासाद-चास्तु

संस्थान, मान, विन्यास, आकृति, भूषा, शिखर, आदि ।

(६) प्रतिमा

यान, परिवार, वर्ण, रूप, विभूषण, वस्त्र, वय, आयुष एवं ध्वजाओं के लक्षणों से चिह्नित विभिन्न देवों एवं देवियों, यज्ञों, गन्धवों आदि की प्रतिमायें ।

(७) चित्रकला

चित्रक्रिया तथा लेप्यक्रिया ।

विश्वकर्मा के ज्येष्ठ पुत्र जय के द्वारा जिज्ञासित इस प्रश्नमालिका में वास्तु-विद्या के सभी अङ्गों का सन्निवेश होयगा है । इन्हीं प्रश्नों का उत्तर समराङ्गण की वास्तु-विद्या (Canons of Architecture) का विवेचन है । अपने पुत्र जय के इन प्रश्नों को सुन कर अति हृष्टमानस विश्वकर्मा जी कहते हैं—

साधु वस्त्र त्वया सम्यक् प्रज्ञया तिविशुद्या ।

प्रश्नोऽयमरितो वास्तुविद्याऽज्ञवनभास्करः ॥

स त्वं निधय प्रश्नानां समुदायमसु हृदि ।

वदतो मेऽवधानेन श्रणु यद्वद्वृष्टयोऽविनम् ॥

अर्थात् है वत्स तुम ने अपनी विशुद्ध प्रजा में वास्तु-विद्या रूपी कमल-वन के लिये सूर्य के समान इन प्रश्नों की उच्छावना की है। अतः इन प्रश्नों के समुदाय को हृदय में रख अब इनका जवाब सुनो जो ब्रह्मा जी ने बताया है।

इस प्रकार इस वास्तु-विद्या का प्रवर्तक स्वयं पुराणपुरुष ब्रह्मा को मान कर इस वास्तु-विद्या में भी पुरातनत्व एवं पुरुषत्व में युक्त शास्त्रत्व की प्रतिष्ठा की गयी है।

डा० आचार्य ने वास्तु-शास्त्र के व्यापक स्वरूप की अभिव्यञ्जना का प्रथम पथ प्रदर्शन किया है। वास्तु-विद्या के ग्रन्थों के विहगावलोकन में हमने देखा कि वहुत से ग्रन्थों के नाम शिल्प-जास्त की संज्ञा में उल्लिखित किये गये हैं। 'शिल्प' शब्द का अर्थ सुन्दर एवं उपयोगी दोनों 'कला' है परन्तु 'शिल्प शास्त्र' इन ग्रन्थों में वास्तु शास्त्र के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। परम्परा से प्रचलित जिन ६४ कलाओं का इस देश में अतिप्राचीन समय ने उल्लेख एवं प्रचार मिलता है, उनमें वास्तु-विद्या को एक कला में परिगणित किया गया है। सम्भवतः यह परम्परा उम सुदूर अतीत की वात है जब वास्तु-कला का पूर्ण विकास इस देश में नहीं हो पाया था। शुक्राचार्य के समय में वास्तु विद्या का विस्तार इतना व्यापक हो गया था कि वास्तु-कला के महाकलेवर में सभी प्रधान कलायें गतार्थ होर्गाईं थीं। वैसे तो वास्तु-शास्त्र का प्रधान विषय—भवन-कला, यन्त्रकला, काष्ठकला, भूपणकला, आसन, सिहासन आदि विधान तथा चित्रकला आदि—है। अतएव डा० आचार्य के शब्दों में 'वास्तु-कला में सभी प्रकार के भवनो—धार्मिक, आवासदोग्य, सेनायोग्य तथा उनके उप-भवन एवं उपाङ्गो, प्रत्यक्षो आदि का प्रथम स्थान है। पुरनिवेश, उच्चानन्दन, परम्परास्थानों, पोतस्थानों, आदि का निर्माण, मार्गयोजना, सेतुविधान, गोपुरविधान, द्वारनिवेश, तोरणविनिवेश, परिद्वान्वन, वप्रनिर्माण, प्रकारविधान, जल-भ्रम-योजना, भित्ति-रचना, सोपान निर्माण भी वास्तु-शास्त्र का प्रधान अंग है। तीसरे वास्तु-कला में भवन-फर्नीचर जैसे शव्या, मंजूपा, पंजर, नीड़, चटाई, यान, दीप एवं मार्ग-दीप-स्तम्भ आदि की रचना भी समिलित है। चौथे वास्तु-कला में भूपण-रचना एवं वस्त्र-रचना भी समिलित हैं। देवभूपणों में मौलि, मुकुट, शिरखक आदि भूपण, उत्तरीय आदि वस्त्र भी समिलित हैं। अथवा जैसा पहले ही संकेत किया जा चुका है मृत्तिनिर्माण-कला वास्तु-कला की अभिन्न सहचरी है। श्रति-लिङ्ग, देव-मूर्तियाँ, शृण्पि-मुनि आदि की प्रतिमायें तथा गरुड़, हंस आदि के चित्र का रचनाकौशल इस कला का अभिन्न अंग है। वास्तु-कला, भवन-निर्माण अथवा पुरनिवेश के प्रारम्भिक कृत्यों जैसे भूमि-चयन, भूपरीक्षा, शंकुस्थापन, दिक्-सामुख्य एवं आयादि-निर्णय भी वास्तु-शास्त्र के अंग हैं।'

स्थपति एवं स्थापत्य

“स्थापकान् स्थपतीश्चापि पूजयामि स्वशक्तिः ।”

स्थपति

भारतीय वास्तु-शास्त्र एवं वास्तु-कला में स्थपति का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है। भोज ने अपने समराङ्गण सूत्रधार में “स्थपति-लक्षणम्” नामक ४४ वें अध्याय में स्थपति की योग्यता का बड़ा ही मार्मिक एवं ओजस्वी चित्रण किया है।

स्थपति कैसा होना चाहिये? उसकी विद्या, शिक्षा, दीक्षा कैसी होनी चाहिये? शास्त्राभ्यास एवं क्रियाकौशल में उसे कैसा निष्णात होना चाहिये—इन सभी प्रश्नों पर इस अध्याय में प्रकाश डाला गया है।

✓ स्थपति वह है जो शास्त्र, कर्मकौशल, प्रज्ञा तथा गुणान्वित शील से सम्बन्ध एवं लक्ष्य (वास्तु-विषय) और लक्षण (परिभाषाओं) से युक्त वास्तु-विद्या का निष्णात नर स्थपति की पदवी प्राप्त कर सकता है।

स्थपति न केवल शास्त्र अर्थात् स्थापत्य-शास्त्र का ही परिषद है—केवल शास्त्र का ही जानकार है, वरन् शास्त्रीय सिद्धान्तों के अनुसार तदनुरूप क्रियाकौशल में भी कुशल है। शास्त्र तथा शास्त्रानुसार क्रियाकौशल के अतिरिक्त स्थपति में अपनी निजी प्रज्ञा (अवसर पर सूख) होना परम आवश्यक है, अन्यथा कोरा शास्त्रज्ञान अथवा तदनुरूप क्रियाकौशलमात्र कर्म में पूर्ण परिपाक नहीं उपस्थित कर सकता।

स्थापत्य-कला जब कविता की भौति अपनी निजी प्रेरणा एवं मेधा के द्वारा परिनिष्ठित होती है, तभी उसमें ज्योति एवं जीवन के दर्शन होते हैं।

भारतीय वास्तु-कला के शतशः निर्दर्शन स्थापत्यकौशल के साथ स्थपति की अपनी निजी विभूति के प्रति हैं—यह विज्ञ वास्तु-शास्त्रियों से छिपा नहीं है। शास्त्र, क्रिया-कौशल तथा निजी मेधा के अतिरिक्त स्थपति का चौथा अत्यन्त महत्वपूर्ण गुण है उसका शील अर्थात् चरित्र। भारतीय संस्कृति के उच्चयन में चरित्रवान् व्यक्तियों ने उसे जीवित रखा है। अतः संस्कृति के इस अत्यन्त प्रोज्ज्वल अंग के विकास एवं अन्युदय में शीलवान् स्थपतियों का बड़ा हाथ रहा है। अतः शास्त्रज्ञान, तदनुरूप कार्यदक्षता तथा निजी प्रतिभा इन गुणों में स्थपति का शील कम उपयोगी नहीं है।

प्राचीन भारत एवं मध्यकालीन भारत के अद्भुत वास्तु-स्मारक शीलवान् स्थपतियों की कीर्ति-कौमुदी को आज भी प्रकाशित कर रहे हैं। शीलभ्रष्ट स्थपतियों द्वारा निर्मित भवन, मन्दिर, प्रासाद अचिग्रह नाशोन्मुख हो सकते हैं।

आजकल हमारे प्रत्येक कार्य में संयम एवं नियम, तप एवं तेज, शील और मर्यादा, निष्ठा तथा नीति इन सभी का पद पद पर हास प्रत्यक्ष है। हमारी पुरातन परम्परा नष्ट एवं भ्रष्ट हो चुकी है। अतः स्थापत्यकौशल जो इस देश की अत्यन्त अम्बुद्रत संस्कृति

एवं सम्यता का अत्यन्त ओजस्वी अंग था, वह लुप्तप्राय है अथवा जो कुछ मिलता भी है वह निम्न तथा भ्रष्ट है। प्राचीन भारत में विशेषकर पूर्व मध्यकालीन युग में भवन-निर्माण-कला अत्यन्त उच्चत एवं उदात्त तो थी ही, साथ ही माथ वड़ी ही सुर्यंयत तथा विशुद्ध वैज्ञानिक कला थी। अख्य, दृश प्रकार स्थापति के विषय में ऊपर जो चार गुण कहे गये हैं वे तो सर्वसाधारण रूप से उसमें अनिवार्य होने ही चाहिये।

सुष्ठिर्फता चतुर्मुख व्रहा की सुष्ठि की भाँति, चतुर्मुखी इम योग्यता ने सम्पन्न स्थापति का कौशल कुछ कम अनुत नहीं। जिन्होने अजन्ता के गुहामन्दिर देखे हैं, उत्तुंग हिमाद्वि पर स्थित कैलाश की प्रतिकृति एलौरा के कैलाश (देविये पर्सीव्राडन भारतीय वास्तुकर्ता प० ७०) तथा ऐसे ही विभिन्न विखरे हुये दक्षिण तथा उत्तर के विभानों एवं प्रामादों को (मामल्पुरम्, काञ्चीपुरम्, तंजौर, भुवनेश्वर, लजुराहो, मोधारा, कोनार्क आदि शतशः मुप्रसिद्ध वास्तुपीठों की वास्तु-विभूतियों को) देखा है, उनसे प्राचीन भारत के नैष्ठिक स्थापतियों की गाथा गाई नहीं जा सकती। स० स० के स्थापति प्रबचन में यही मर्म निहित है। अतः इन विभिन्न योग्यताओं के साधारण संकेत के उपरान्त कुछ विशेष विस्तार की आवश्यकता है।

शास्त्र

शास्त्रज्ञान स्थापति की प्रथम योग्यता है। शास्त्र से तात्पर्य घैसे तो स्थापत्यशास्त्र से है और स्थापत्य की रूपरेखा एवं उसके विस्तार पर हम दृष्टिपात कर ही चुके हैं। परन्तु स्थापत्य अर्थात् शिल्प के अतिरिक्त स्थापति की वौद्धिक योग्यता के लिये सामुद्रिक, गणित, ज्योतिष तथा छन्दस्—इन शास्त्रों का भी ज्ञान आवश्यक है (म स० ४४-३)। गणित तथा ज्योतिष के साथ वास्तुशास्त्र के घनिष्ठ सम्बन्ध पर प्रकाश हम डाल ही चुके हैं (अ० ६)। छन्द का क्या मम है इसे समझना आवश्यक है। जिस प्रकार कविता एवं गीत में (विशेषकर गीत में) छन्द तथा लय ने पूर्ण परिपाक प्राप्त होता है, उसी प्रकार भवन-निर्माण में भी प्रत्येक अवयव के सम्यक् मानोन्मान, संस्थान निवेग, चेय एवं द्रव्यसंयोजना आदि के घटाव-घटाव से (गीत की ओर आरोहावरोह में) एक नवी रचना की अनुत सुष्ठि सम्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त शास्त्रीय योग्यता का पूर्ण प्रतिविम्ब कला में तभी प्रतिविम्बित होता है जब छन्द के मर्म स्थापति हृदयद्वाम कर पाता है। इसके अतिरिक्त स्थापति की इस कोटि की योग्यता में सिग्नज्ञान तथा यन्त्रविधि का ज्ञान भी ग्रंथ सम्प्रिलित करता है। (स० स० ४४-३) यन्त्रविधान पर आगे हम पूर्णरूप से विचार करेंगे। सिग्नज्ञान से तात्पर्य वास्तु के विभिन्न अंगों एवं स्थानों का पूर्ण ज्ञान है। भारतीय वास्तु परम्परा में 'वेध' द्वारवेध, भवनवेध, स्तम्भवेध, तुलावेध आदि वेधों ने वचने पर वहा जोर दिया गया है। विशेष विवरण के लिये 'भवन' पट्टल दृष्टव्य है। अतः मिराज्ञान स्थापति की शान्तीय योग्यता में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

इसप्रकार इन उपर्युक्त शास्त्रों को वास्तुगम्न के अंग के रूप में परिकल्पित रखना चाहिये। (स० स० ४४-४) 'समराज्ञान' स्थापति की योग्यताओं में जान्म-ज्ञान वी योग्यता पर विशेष जोर देता है। स्थापति को अपनी वास्तुक्रिया की प्रगाढ़ना प्रमिळ जन्मद्वारान्तों ने सम्पन्न करनी चाहिये। इसके प्रतिकूल, शास्त्र के विना समके बूझे, जो स्थापति स्थापत्य-कर्म जा दींग चाहता है वह राजा के द्वारा हन्तव्य है। योग्यि ग्रंथालक्षण स्थापति अपने

मिथ्याज्ञान से वसुधातल पर लोगों को अकाल मृत्यु के गाल में कवलित कराता हुआ विचरण करेगा ।

अतः ऐसे अशास्त्रज्ञ स्थपति का इसप्रकार राज्यप्रतिवन्ध वाञ्छनीय है । क्योंकि अशास्त्रीय वास्तु-कल्पन अधार्मिक है, अशुभ है ।

कर्म

अथवा जो स्थपति केवल शास्त्रज्ञ तो है परन्तु कियाकौशल से शून्य है, वह क्रियाकाल में अर्थात् भवन, पुर, अथवा प्रासाद के निर्माण-काल में, युद्धस्थल में एक कापुरुष की माँति मोह को प्राप्त होता है । अतः वही स्थपति है जो शास्त्रज्ञ होने के साथ-साथ कर्मकौशल में भी निष्णात है । शास्त्रज्ञ स्थपति को कर्मवित् होने के लिये वास्तु-स्थान, उसके निवेश एवं मान उन्मान के ज्ञान के साथ-साथ वास्तुज्ञ से सम्बन्धित विभिन्न कर्मों के कौशल में सिद्धहस्त होना है । साथ ही लुभालेख, (जिनकी संख्या १४ है) गणिडकान्छेद, (जिनकी संख्या ४ है) वृत्तच्छेद, (जिनकी संख्या ७ है) इनकी रचना का भी पूर्ण कौशल उसे प्राप्त होना चाहिये । इस प्रकार सन्धिकर्म, सन्धानकर्म, ऊपर तथा नीचे के सब प्रकार की चेयविधि आदि की क्रिया एवं रेखांशन में भी उसे दृश्य होना चाहिये ।

वास्तुकला की इस विदर्घता के साथ वास्तु-कला से सम्बन्धित अन्य विभिन्न कलाओं का भी ज्ञान स्थपति के लिये परमोपादेय है जिनका उल्लेख समरागण ने इसी 'स्थपति लक्षण-नामक' अध्याय में किया है (४४-२०-२१) । अर्थात् वास्तु-कला के वैज्ञानिक कौशल के साथ-साथ वास्तु-कर्म के सहायक अन्य कलाओं का भी अविरल कौशल आवश्यक है । यह कर्म आठ प्रकार का है । आलेख्य (चित्रकला), लेप्यजात (लेप्यकर्म आदि), दारुकर्म—शब्द्या, आटन, यन्त्र आदि निर्माण, चेय (चुनाई), पापण-कला (मूर्ति निर्माणकला) एवं स्वर्णकला तथा इन दोनों के कर्म-कौशल—इन आठों गुणों से युक्त स्थपति संसार में पूजा को प्राप्त करता है ।

इसके प्रतिकूल जो स्थपति केवल कर्मवित् है परन्तु शास्त्रार्थ से अनभिज्ञ है उस स्थपति की उस अन्वे के सदृश दशा है, जो दूसरे का सहारा लेकर डगमगाता हुआ मार्ग में चलता है । कहीं पर उसे ठोकर लग सकती है । अतः ऐसे व्यक्ति को प्रधान स्थपति की पदबी नहीं दी जा सकती है । अतः शास्त्रज्ञता एवं कर्मदात्य दोनों ही अन्योन्याश्रित हैं । दोनों का ही होना परमावश्यक है ।

प्रज्ञा

भोज द्वारा वताये गये स्थपति के चार गुणों में शास्त्रज्ञता एवं क्रियादद्वाता, इन दोनों गुणों पर थोड़ा सा विवेचन हो चुका है । अब शेष प्रज्ञा एवं शील इन दोनों पर थोड़ा सा विवेचन आवश्यक है । शास्त्र एवं कर्म इन दोनों में कुशल स्थपति पिना-प्रज्ञा के अपनी निजी मेधा के निर्मद गज के समान है (निर्मद गज की क्या कीमत ?) क्रियाकाल में ऐसे शतश अवसर आते हैं, जब विना अपनी निजी प्रतिभा के स्थपति के लिये शास्त्रीय ज्ञान भी सहायक नहीं होता । प्रज्ञावान् स्थपति को कार्यकाल में कभी मोह नहीं प्राप्त हो सकता । यह वास्तुकला "वहुविस्तर" 'गृढार्थ' 'दुरालोक' तथा 'अप्रज्ञेय' मानी गयी है । अतः विना प्रज्ञापोत के इस वास्तुसागर का संतरण नहीं हो सकता ।

रीत

अथव जानी, वाग्मी तथा कर्मनिषणात होने पर भी यदि स्थपति शीलवान् नहीं है, तो वह वेकार है। विना शील के कर्म मिद्र नहीं होता है। वह जील ही उसकी माधना है, तपस्या है, और रागात्मिका वृत्ति है जिने निषा भी कह सकते हैं। क्योंकि रोप, द्वेष, लोभ, मोह एवं राग आदि के वशीभूत होकर दुशील स्थपति कर्म को विगाड़ मकता है। अतः वास्तुकला में दुशील स्थपति सर्वथा त्याज्य है—यह ऊपर संकेत किया भी जा चुका है।

‘समराङ्गण’ ने शील के महत्व-प्रब्लेम पर बड़ा ही सुन्दर प्रवचन दिया है (४४ १६)। वास्तु-कला कविता की भाँति सौदर्य और रसास्वाद की जननी है। विना शील के शुभ नहीं सम्पदित होता। विना शुभ और कल्याण के सौदर्य की सृष्टि भी नहीं हो सकती। अतः शील के आधान में दुष्क्रिमान् स्थपति को पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये।

समराङ्गण ने स्थपति की जानपरिधि को अत्यन्त व्यापक बताया है। स्थपति की ये योग्यतायें प्राचीन ग्रन्थों में प्राप्त एतद्विप्रयक सामग्री की ही परम्परा की पूर्ति हैं। क्योंकि स्थपति केवल आधुनिक राज नहीं था। उसमें आधुनिक इंजीनियर, ओवरसियर तथा देढ़ मिस्टरी और टाउनसानर इन सभी के गुण विद्यमान थे यह स्पष्ट है।

१— प्राचीन कारीगरों की चार कोटियों थीं जिनमें स्थपति मुख्य था। वे चारों कोटियों हैं—स्थपति, सूत्रग्राहिन्, वर्धकि तथा तद्वक।

१ स्थपति—प्रधान वास्तु-शास्त्री तथा वास्तु-कलाविद् आचार्य यजकार्य के समान वास्तु-कार्य में स्थपति अपने यजमान (भवनस्वामी) का प्रतिनिधित्व करता है। ‘समराङ्गण’ ने प्रासाद-निर्माण में स्थपति को कर्ता तथा यजमान को कारक के रूप में (५६, ३०३) परिकल्पित किया है। अथव भयमत में (अ० ५) स्थपति जो विश्वकर्मा कहा गया है वही वहों (अ० १२) स्थापक का शिष्य (अनुशिष्य) माना गया है। स्थपति एवं स्थापक का यह मार्मिक सम्बन्ध हिन्दू-स्थापत्य के जिजासु पाठकों के लिये विशेष ध्यान देने योग्य है।

२ सूत्र-ग्राहिन्—नाप-जोख करनेवाला आधुनिक इंजीनियर वा ओवरसियर कहा जा सकता है। स्थपति के सदृश ही इसको भी सभी विद्याओं का ज्ञाता होना चाहिये। परन्तु इसकी विशेष योग्यता सूत्र-कौशल है। मानसार के शब्दों में इन सूत्रज सूत्रग्राही (रेताज) होना चाहिये। सूत्रग्राहिन् तद्वक तथा वर्धकि का गुरु कहा गया है।

३ वर्धकि—को भी सूत्रग्राहिन् के समान जालीं का परिटत एवं वेदन होना चाहिये। परन्तु उसका अपना विशेष क्षेत्र—वित्र कला है। उसे भवनकला एवं मूर्तिकला के रेता-चित्रों की उद्घावना करनी पड़ती थी। इसी मानसी सृष्टि—काल्पनिक चित्रों को इष्टका, पापण श्रथवा वाष्प के द्वारा नूर्त्वन्वय प्रदान किया जाता था। वर्धकि तना का गुन धताया गया है।

४ तद्वक—आजमल का वर्डर (Carpenter) है। अन्य विभिन्न कलाओं एवं शास्त्रों जा जाता होते हुए अपने काष्ठकौशल के लिये प्रभिद था।

स्थपति का पद हिन्दू-स्थापत्य में बड़ा ऊँचा था। आज उन् शीनावत्या का फ्या रहस्य है—इस पर संकेत आगे होगा। यहा पर स्थपति के उपर्योग स्थापन एवं

पुरोहित के स्थानाङ्कन का क्या रहस्य है— इस पर घोड़ा सा निर्देश आवश्यक है। यज्ञे कार्य में जिसप्रकार यजमान तथा पुरोहित—इनदो के अतिरिक्त यजकार्य का अधिष्ठाता किसी वरेण्य विद्वान् का ब्रह्मा के रूप में वरण किया जाता था उसी प्रकार वास्तुकार्य में भी स्थापक गुरु के तत्वावधान में ही कार्यग्राम्भ होता था। यह स्थापक, यजमान (भवनपति) के द्वारा नियुक्त होता था। स्थपति, स्थापक एवं यजमान—इस वास्तु-त्रयी में चिदेव की कल्पना भी इस देश में सनातन से प्रसिद्ध है। स्थपति ब्रह्मा है। यजमान (भवन या मन्दिर निर्माण करानेवाला) विष्णु है तथा स्थापक स्वर्ण भगवान् रुद्र है। अब रहे पुरोहित जी, वह साक्षात् वृहस्पति है।

स. स. (४२-३२-३७) ने इसी परम्परा पर कुछ अन्तर से प्रकाश डाला है। वास्तु-कार्य में आवश्यक वलिदान, शान्तिकर्म आदि जो कर्म विहित हैं वे विना पुरोहित के सम्भव नहीं हो सकते। अथवा पुरोहित के अतिरिक्त सावत्सरिक (ज्योतिर्वित्) का भी सहयोग आवश्यक है। अतएव स सू. का प्रवचन है—“किसी भी वास्तु-निर्माण कार्य के प्रथम वास्तु-यज्ञ आवश्यक है। ततुपरान्त पुरोहित जी की तुष्टिकरी पूजा से पूजा करनी चाहिये—अर्थात् मोजन, वसन, द्रव्य, दक्षिणा प्रदान कर उन्हें सन्तुष्ट करना चाहिये क्योंकि पुरोहित (स्थापक) की पूजा से साक्षात् ब्रह्मा की पूजा होती है। पुरोहित अर्थात् स्थापक की पूजा के अनन्तर सावत्सरिक ज्योतिषी को भी यथाविधान सम्मान प्रदान करना चाहिये। सावत्सरिक की पूजा से साक्षात् वृहस्पति जी पूजित होते हैं। इन दोनों की पूजा के बाद स्थपति की पूजा करनी चाहिये। स्थपति की पूजा से साक्षात् त्वष्टा विश्वकर्मा जी पूजित होते हैं, और प्रसन्न होते हैं। वास्तु-कार्य के अधिष्ठात्रदेव होने के कारण इस देव की तुष्टि आवश्यक है, जो स्थपति की पूजा से सम्भव होती है। इस के अतिरिक्त स्थपति की ही अधीनता में सब वास्तु-कार्य होता है। वह उसे शुभ अथवा अशुभ कर सकता है, अतः उसको सन्तुष्ट रखना अत्यन्त आवश्यक है। इसीलिये सभी कारीगरों को श्वेत चन्दन लगाकर, श्वेत पुष्पों से अलंकृत कर, वस्त्र आदि देकर प्रसन्न करना चाहिये। कारीगरों के साथसाथ मजदूरों की भी यथाशक्ति पूजा करनी चाहिये। स्वर्ण, वस्त्र आदि देकर अथवा मूरु तथा प्यार के बच्चों से उन्हें सन्तुष्ट करना चाहिये। एक शब्द में वह सब करना चाहिये, जिससे ये कारीगर तथा मजदूर प्रसन्न हो—सुमनसः स्यु ।

पीछे संकेत किया गया था कि आधुनिक स्थपतियों की हीनावस्था का क्या रहस्य है ? इस सम्बन्ध में ब्रह्मवैर्तपुराण में (१-१०) में एक प्रवचन मिलता है कि विश्वकर्मा के एक शद्र से निम्न नव पुत्र उत्पन्न हुएः—

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| १. मालाकार (माली) | ४. कुविन्दक (जुलाहा) | ७. सूत्रधार राज तथा वर्ढी |
| २. कर्मकार (लोहार) | ५. कुम्भकार (कुम्हार) | ८. चित्रकार |
| ३. शंखकार (शंख वनानेवाला) | ६. कास्यकार (वर्तन वनानेवाला) | ९. स्वर्णकार (सोनार) |

इन में मैं तीन (जिनमें सूत्रधार राज तथा वर्ढी सम्मिलित हैं) एक ब्राह्मण के द्वारा शप्त होने के कारण हीनवर्ण हो गये और यज्ञीय-कर्म से वहिष्कृत हो गये। अस्तु, विशेष विवरण यहा वाछनीय नहीं।



स्थापत्य

स्थपति की योग्यता एवं उसके ज्ञान-क्षितिज के साथ-साथ स्थपतियों की विभिन्न कोटियों पर इस विवेचन के उपरान्त स्थापत्य (जो वास्तु-शास्त्र का पर्याय है) का विवेचन आवश्यक है। ८० य० में स्थापत्य के विवेचनार्थ 'अष्टागलक्षण' नामक ४५८ अध्याय का प्रणयन है। स्थापत्य के आठ प्रधान श्रंग निम्नलिखित रूप से व्योधव्य हैं:—

१. वास्तु-पुरुष विकल्पना

वास्तु-पुरुष का सम्बन्ध पद-विन्यास (साइट-प्लान्स) से है। इस पर विशेष विवेचन आगे के भाग (पुर-निवेश) में होगा। यहां पर इतना ही संकेत आवश्यक है, कि हिंदू स्थापत्य में वास्तु-पुरुष-विकल्पना (रेखाचित्र एवं पद-प्रोजेना—प्लाइग आदि की किया) प्रथम स्थान रखती है। कोई भी निवेश—भवन, पुर अथवा प्रासाद विना इस विकल्पना के प्रारम्भ नहीं हो सकता था। प्राचीन वास्तु-पुरुष-विकल्पना अथवा पद-विन्यास प्रक्रिया का स्थान आजकल रेखाचित्रों (प्लान्स) ने ले लिया है।

२.	आ.	पुर-निवेश	देखिये आगे का	भाग	(२)
ब.	द्वारकर्म	" " "	"		(३)
स.	रथ्याविभाग अर्थात् मार्ग-विनिवेश	" " "	"		(२)
य.	प्राकार-निवेश (रक्षा-विधान)	" " "	"		"
र.	श्रद्धालक-निवेश	" " "	"		"
ल.	प्रतोली-विनिवेश	" " "	"		"
व.	स्थानविभाग (जन-भवन, देवतायत, पुरजन-विहार आदि)	" " "	"		"
३.	प्रासाद (मन्दिर निर्माण)	"	प्रासादनिवेश भाग	(५)	
४.	ध्वजोच्छ्रुति		वही अध्याय		
५.	राजवेश्म तथा राजवेश्म ने सम्बन्धित भवन—सभा अश्वशाला, गजशाला आदि	" " "	मार्ग	(३)	
६.	जन-भवन (जाति एवं वर्ण के अनुस्तुप वस्तियाँ एवं मवन)	" " "			(२ व ३)
७.	यज्ञवेदी, यजमानशाला एवं कोटिहोमविधि	"	यही अध्याय		
८.	राजशिविर-विनिवेश तथा तुर्ग-स्वना	देखिये आगे का	भाग	(२)	

इस प्रकार समराङ्गण के द्वारा स्थापत्य के इस अष्टाग के आठ अङ्गों में से ६ अङ्गों पर व्यावसर समीक्षा होगी, अब रहे दो अङ्ग—

१. ध्वजोच्छ्रुति।

२. यज्ञवेदी, यजमानशाला तथा कोटिहोमविधि।

उन पर धोड़ा सा स्थूल रूप से यहाँ पर विवेचन आवश्यक है।

ध्वजोच्छ्रुति—

ध्वजोच्छ्रुति का अर्थ इन्द्र-ध्वज-उत्थान है। प्रात वास्तु-शास्त्रीय ग्रंथों में समराङ्गण ही ऐसा ग्रन्थ है जिसमें इस शक्तध्वजोत्थान पर एक विस्तृत विवेचन है। स सू के १७वें अध्याय में लगभग २०० श्लोकों में इस यत्र का सागोपाङ्क वर्णन है।

महाभारत (आ प ६४) में उपरिचर वसु के द्वारा प्रारब्ध इन्द्र-ध्वजोत्थान-महोत्सव का वर्णन है। यह महोत्सव आगे चलकर राजाओं के द्वारा एक राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में इस ध्वज को कई स्थलों पर यंत्रध्वज के नाम से निर्दिष्ट किया है। अयोध्याकारण में (७७-६) में भरत के गिरने की शक्तध्वज-पतन से उपमा दी है। इसीप्रकार युद्ध-कारण में इन्द्रजित के नाग-पाश में पड़े हुए राम-लक्ष्मण की उपमा शिथिल-रजु इन्द्रध्वज से दी गई है।

अतः शक्तध्वजोत्थान एक पुरातन परम्परा है—यह हम समझ सकते हैं। किसी भी नूतन कार्यारम्भ में निमित्तावलोकनार्थ दुर्गकर्म, प्रसादकर्म, अग्निकर्म, स्थालिकापाक, भक्त्यपानादि में इन्द्रध्वजोत्थान एक आवश्यकीय कृत्य है—यह स सू(१७-१५-१६) का प्रवचन है। किसी भी शुभ कार्य के प्रारम्भ पर इस ध्वज का निर्माण करके इसके उत्थान से शुभाशुभ निमित्तों के परिज्ञान से तत्कार्य के शुभाशुभ का जान हो सकता है। अथवा इस व्यज के निर्माण से इन्द्र प्रसन्न होते हैं और उनके साथ अन्य देव भी जो इस यंत्र के विभिन्न भागों के अधिष्ठात्रदेव हैं, वे भी प्रसन्न होते हैं और वास्तुकार्य की सफलता के लिये उनका यंत्र में भौतिक आवाहन आवश्यक है।

‘शक्तध्वजोत्थान’ का यह राष्ट्रीय महोत्सव दस दिन तक चलता रहता था। शक्तध्वज का कैसे निर्माण किया जाता था, कौन-कौन से श्रग इसके प्रकल्पित होते थे, कैसे उठाया जाता था और कैसे उत्सव के अन्त में गिराया जाता था, किन-किन श्रगों पर कौन-कौन देव-पद प्रकल्पित थे—इन सभी पहलुओं पर इस अध्याय में सविस्तर विवरण दिये गये हैं। यह एक प्रकार महा-यत्रा सा निर्मित होता था। इसके विविधि कलेवरों में केन्द्रीय दरड, पीठ, चिन्तित व्यजा तथा स्थान विशेष, लटकती हुई कुमारिकायें (गुडियों के रूप में) बाहु, रञ्ज-पटक तथा कतिपय यत्र (जिनके द्वारा इसका उत्थान एवं पतन सम्बन्ध होता था) आदि विशेष उल्लेखनीय हैं।

✓ वास्तुकर्य में इन्द्र-ध्वज-उत्थापन-परंपरा का क्या मर्म है ? संभवतः स्थपति कुल मी राजन्य द्वारियों की भाँति इन्द्र को अपना इष्ट-देवता मानते थे। इसके अतिरिक्त ‘इन्द्रध्वज’—जैसा ऊपर संकेत है—एक महायंत्र के रूप में निर्मित किया जाता था, कहने को ध्वजा है वास्तव में धारागृह अथवा दोलागृह के समान एक वास्तु-कृति समझनी चाहिये। इसके विभिन्न अंगों के परिशीलन से यह तथ्य स्पष्ट होता है। कुष्य (प्रासाद अथवा मरडप के गर्भगृह के समान) पीठ, भ्रम मूलपाद, मळ, इन्द्रमाता, कुमारिकायें, लटक, सूची आदि प्रधान अंगों तथा मृगाली आदि रचना विन्द्युतियों से यह एक आगाराकृति (Edifice) प्रतीत होती है। यत्र-निर्माण स्थापत्य का एक परम कौशल है जो तक्तक का विशिष्ट द्वेष है। इन विवरणों में तत्कालीन तक्तक-कला की अत्यन्त प्रोग्नतावस्था की सूचना मिलती है।

✓ यज्ञवेदी

अब स्थापत्य के दूसरे श्रंग जिस पर विवेचन करने का ऊपर संकेत किया गया है अर्थात् यज्ञवेदी, यजमानशाला एवं कोटिहोम—विधान उसके सम्बन्ध में यहाँ इतना ही निर्देश आवश्यक है कि भारतीय वास्तु-कला का जन्म यज्ञशाला की ही कोड से हुआ है। यज्ञवेदियों के अति लघुकलेवर से विशाल मन्दिरों का जन्म हुआ है। वैदिक चित्र प्रासादवास्तु की पूर्वज हैं ऐसा सभी वास्तु-विशारदों ने माना है। अतः स्थपति के लिये यज्ञशाला एवं उसमें समन्वित अन्य शालायें एवं यजोपयोगी वेदियों आदि के निर्माण का जान आवश्यक ही है इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं।

स. य. (४७वाँ अ०) में वेदिलक्षण पर जो विचार किया गया है उससे सुतरां सिद्ध है कि यज्ञ वेदियों की ही पृष्ठभूमि पर प्रासादों की निर्माण-कल्पना की गयी है। पुरातन वेदियों का सम्बन्ध विशेषकर विभिन्न यजों से था। पूजावास्तु की वै प्रथम उन्नायिका थी। कालान्तर में किसी भी युग अथवा धार्मिक कार्य में वेदिलक्षण एक अनिवार्य श्रंग हो गया। निम्नलिखित तालिका से इन वेदियों की वास्तु-परम्परा पर धोड़ा सा प्रकाश आवश्यक होगा तथा विज पाठकों को यह भी संकेत मिलेगा कि सभा-वास्तु तथा मरणप-वास्तु के विकास में वेदि रचना ने बड़ा योगदान दिया होगा:—

सख्ता	संज्ञा	अवसर	माप	विशेष
१	चतुरश्ची	यज्ञ	६ हस्त (१३२ फीट)	यथानाम चौकोरे
२	सर्वतोमद्रा	देवतास्थापन	८ हस्त (१२ फीट)	मद्रविभूषित
३	श्रीधरी	विवाह	७ हस्त (१०२ फीट)	२० कोण्ठं वाली
४	पद्मिनी	श्रमि कार्य नीराजन राज्याभिप्रेक एवं शक्तध्वजोत्थान	६ हस्त (६ फीट)	यथानाम पद्मसंस्थान धारिणी कमलाकृति वर्तुला

स्थापत्य का स्थान

अन्त में स्थापत्यशास्त्र के प्राचीन विद्या में स्थानाङ्कन के सम्बन्ध में भी धोड़ा सा समुद्घाटन आवश्यक है। पूर्व अथाय (३) में यह निर्देश किया जा चुका है कि वास्तु-शास्त्र का परम्परागत-विद्यास्थानों में परिगणन नहीं प्राप्त होता है। अतः इसने हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि वास्तु-विद्या विद्या ही नहीं थी। सच तो यह है कि वास्तु वेद का ही एक अङ्ग था। चतुर्वेदों के उपवेदों से हम परिचित ही हैं। स्थापत्यशास्त्र भी उन्हीं उपवेदों ने से एक था। जिसप्रकार से आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद, गान्धर्ववेद सामवेद का उपवेद परिगणित है उसी प्रकार स्थापत्य अर्थवेद का उपवेद भाना गया है। इसी तथ्य की दिग्ं में प्रो. क्रैमिश (इन्दू टेम्पिल पृ० ११) में लिखती है—“वास्तुशास्त्र अपने व्यापक म्बस्तु में तन्त्रविद्या से समन्वित है। तन्त्र अर्थवेद का ही उपवेद है। वास्तुकला एवं यज्ञीय कार्य के रूप में सनातन ने परि-

कल्पित किया गया है। अतः वास्तुशास्त्र का वेदों से दोहरा संबंध स्थापित होता है, क्योंकि इसका वेदाङ्ग-षट्क में से दो वेदाङ्गों से सम्बन्ध है पाँचवें वेदाङ्ग ज्योतिष तथा छठा वेदाङ्ग कल्प (जिसमें वैदिक याग की भीमासा है) दोनों ही वास्तुशास्त्र के अनिवार्य अंग हैं (देखिये स्थरपतिलक्षण स. सू. ४४-३—लेखक)। कल्पसूत्रों में परिसंख्यानप्राप्त शुल्वसूत्रों में वैदिक याग की वेदिन-रचना के नियम, एवं मान आदि का प्रबन्धन है। उन्हीं नियमों की आधार शिला पर प्रासादनिर्माण की प्रक्रिया प्रकल्पित हुई है।”

स. यू. का लेखक इस मर्म को पूर्ण रूप से समझता है। अतएव (देखिये पुर-निवेश अ० १०—७७) चतुर्विध स्थापत्य उपवेद के उल्लेख के साथ-साथ ग्रन्थ उपवेदों का अष्टविध चिकित्सित (आयुर्वेद), सप्तविध धनुर्वेद तथा ज्योतिष — का भी उल्लेख करते हुए, इन सभी के मूल-आचार्य कमलालय ब्रह्मा को बताया है :—

चतुः प्रकारं स्थापत्यमष्टधा च चिकित्सितम् ।
भनुर्वेदश्च सप्तांगो ज्योतिषं कमलालयात् ॥

मान-योजना

मान-योजना से तात्पर्य भवन-कार्य में आवश्यक नापलोक के लिये प्राचीन स्थपति के साधनों में है।

भारत की वास्तु-विद्या में मान का अति महत्वपूर्ण स्थान है। शुल्व दूतों में प्रतिपादित वेदिरचना के नियमों में प्रथम मान-योजना के दर्शन होते हैं। भारतीयों की यह पुरातन कल्पना रही कि न केवल देवकार्य (वेदि-रचना, प्रामाण-प्रतिष्ठा, मूर्ति-निर्माण) में ही मानयोजना का सम्पूर्ण प्रतिपालन होना चाहिये, बरन्, गृह-निर्माण एवं पुर निवेश तथा भार्ग-विनिवेश आदि में भी मान का पूर्ण ध्यान रखना चाहिये, अत्यन्था वास्तु एवं दिशाओं का समन्वय वास्तु-मर्मो—पद के विभिन्न स्थानों, सिराओं, सन्धियों, अनु-सन्धियों, सम्पात आदि-आदि का ध्यान तथा वास्तु-कल्पना का परिपाक पूर्ण रूप से प्रकल्पित नहीं हो सकता। वास्तु-पद-विन्यास-योजना का मर्म मान-योजना ही है। जिस प्रकार आजकल हम किसी भी भवन-निर्माण को प्रारम्भ करने के पूर्व प्रथम रेखा-चित्र (ग्राफ) से पूरी-पूरी निवेश-योजना एवं मान-योजना, वास्तु की स्थिति तथा उसकी विभिन्न दिशाओं एवं उसकी वास्तु भूमियों, वसतियों एवं वातावरण के पूर्ण ध्यान के साथ-साथ दिक् सामुद्र्य (ओरियन्टेशन) की पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, उसी प्रकार प्राचीन स्थपति पद-विन्यास-योजना से वह सम्पादन करते थे। ऐद केवल इतना ही है कि प्राचीनों के लिये यह अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य के तमान था, अर्वाचीन मनमानी कर लेते हैं। मानयोजना के मर्म के समुद्घाटन में स. सू. के निम्न प्रबन्धः—

“प्रमाणे स्थापिताः देवाः पूजार्हाश्च भवन्ति हि ॥” (अ० ४०)

“पाचकः कटुतीषणाद्यैरनुसारत्सैर्यथा ॥

अन्वीक्ष्य विषचेत तद्वत् स्थपतिः सर्वमाचरेत ॥” (अ० ५५-१५१)

विशेष प्रधार्य है। इन प्रबन्धों में मारतीय वास्तुकला का अत्यन्त प्रीढ़ विकास एवं समुन्नत वेंगानिक स्पष्ट अन्तर्हित है। मानयोजना के ही अप्रतिम निर्दर्शन गिमान-भवनों का आगे (‘प्राचाद’ पट्ट, रस्य रमुदाद्वित होगा। इसी तथ्य की पुष्टि समग्रज्ञए (६-२८) में वडे ही भार्मिक हृषि से की है, ‘यद्य येन मयेद् इत्यं येऽत तदपि चौल्यते’—नेड़ भी निष्पत्ति अथवा निर्मिति ‘भेप’ कही जा सकती है।

इस्तु, मानयोजना पर रा. स. ने यैने तो एक से अधिक अच्छाय है परन्तु इस्त-शास्त्र नामक इव्यं अच्छाय में इसकी विशेष चर्चा है। ‘मान-योजना’—इस अच्छाय की दूसरी भंजा ‘इस्त’ के नाम ने दी जा सकती है। “इस्त ही समस्त प्रबार के वास्तु का (निर्माणार्थ पदो-सादृश) का ऐतु (फारण) है। विना इस्त के कोई भी निर्माण सम्भव ही नहै। ग्रंथ सर्वी कमों (रघुपत्य-कौशल के विभिन्न कमों का वर्णन अ० ५ में देखिये) का आधार

है । मान, उनमान एवं विभाग आदि अनिवार्य वास्तु-योजना के अंगों के निर्णय करने में एकमात्र सहायक हस्त ही तो है । ” भवन-तथा भवन-गत प्रतिमा तथा प्रतिमा-गत समस्त प्रकार की मान-व्यवस्था जैसे परिधि, उदय (ऊँचाई) विस्तार तथा लम्बाई का एक मात्र हस्त ही साधन है । यह हस्त जिसे गज कहिये या फुट कहिये ज्येष्ठ, मध्य तथा कनिष्ठ प्रमेद से तीन प्रकार का माना गया है ।

आजकल के गज को गिरह में बॉट्टे हैं, फुट को हँचों तथा सेन्टीमीटरों में प्राचीन हस्त जिसको आधुनिक नाप से डेढ़फुटा कह सकते हैं, निम्नप्रकार से अपनी विभिन्न नाप-मालिका में विभाजित था :—

मान-विभाजन (Units of measurement)

द रेणु	=	१ वालाग्र
द वालाग्र	=	१ लिक्षा
द लिक्षार्ये	=	१ यूका
द यूकार्ये	=	१ यवमध्य
द यवमध्य	=	१ ज्येष्ठ अंगुल
७ यवमध्य	=	१ मध्यम अंगुल
६ „	=	१ कनिष्ठ अंगुल
२४ अंगुल	=	१ हस्त

हस्त-विभाजन

पर्यन्तस्थ चित्र को देखिये । इसमें २४ अंगुल बने हैं । इसकी विविध संज्ञाओं का आगे वर्णन करेंगे । यहाँ पर इसकी विभाजनप्रक्रिया समझ लेना चाहिए । इसमें तीन-तीन अंगुल पर एक-एक पर्वरेखा करने से आठ पर्वरेखायें बनती हैं । चौथी पर्वरेखा पर आधा हस्त अथवा गज होता है । प्रत्येक पर्वरेखा पर पुष्प का चिन्ह करना चाहिये । अथवा गंज के मध्य भाग से आगे के पाँचवें अंगुल के दो भाग, आठवें अंगुल के तीन भाग तथा बारहवें अंगुल के चार भाग करने चाहिये । हसप्रकार हस प्रक्रिया से प्राचीन गजों (हस्तों) का निर्माण होता था । स्थपति के लिये उपयुक्त अन्य माप-दरणों पर इस अध्याय के अन्त में उल्लेख किया जायेगा ।

हस्तनिर्माण-काष्ठ

हस्त का निर्माण जिस किसी भी वृक्ष की लकड़ी से नहीं हो सकता । हस्त की लकड़ी खदिर (खैर) अङ्गन, वंश (वास) आदि वृक्षों से लेनी चाहिये । पुनः यह लकड़ी शलक्षण (चिकनी तथा सुन्दर) हीर (लम्बी-सर्पाकृति) मनोरम तथा सारवत (पुष्ट) होनी चाहिये । जो लकड़ी गाठवाली, (ग्रन्थिल) छोटी, (लघु) जल्ही हुई (निर्दग्ध), पुरानी (जीर्ण) तथा फटी (विस्फुटित), कमज़ोर, (अदृढ़) तथा कोटराक्रान्त (पशु पक्षियों के कोटरों वाली लकड़ी खोखली हो जाती है) दारू (लकड़ी) हस्त-निर्माण के लिये इष्ट-दायक नहीं (स. स. ६. १०-१२)

हस्त-देवता

उपर्युक्त रेखाचित्र में हस्त-देवता-विन्यास प्रत्यक्ष है। इस चित्र में शात्तादेश के अनुल्प मध्य में ब्रह्मा की प्रतिष्ठा है। ब्रह्मा के बाम भाग में प्रथम पर्व (मध्य से गणना कीजिये) पर अग्निदेव हैं, उसी प्रकार दक्षिण पर्व पर यम (काल)। पुनः उसी क्रम से दूसरे वाँचे पर्व पर विश्वकर्मा तथा दाहिने पर्व पर वरुण विराजमान हैं। इसी प्रकार फिर चलिये। तीसरे वाँचे पर्व पर वायु तथा दाहिने पर्व पर धनद—कुवेर जी की प्रतिष्ठा है। किन्हीं-किन्हीं ग्रन्थों के अनुसार कुवेर का उल्लेख न होकर सोम का उल्लेख है। शेष चौथे, वाँचे और दाहिने पचों पर क्रमशः रुद्र तथा विष्णु की प्रतिष्ठा प्रकल्पित की गई है।

देवपीड़न

स. सू. में प्रतिपादित (६. १६-२७) देव-पीड़न का क्या मर्म है—यह समझ लेना चाहिये। उपर्युक्त कोई भी देव गज उठाते समय स्थपति के हाथ से दबना नहीं चाहिये अन्यथा अशुभ आपत्ति होते हैं। हस्त के देव-स्थानों अर्थात् पुष्पाङ्कित पदों को छोड़कर ही गज उठाना चाहिये। इसके विपरीत विश्वदाचरण से कर्ता-स्थपति एवं कारक-यजमान गृहस्तामी दोनों के लिये अशुभ है। अतः हस्त-धारण में देवपीड़न सर्वथा वर्ज्य है।

गज का कौन स्थान शुभ है तथा कौन सा अशुभ यह समझ लेना चाहिये:—

शुभ

१. ब्रह्मा तथा अग्नि का मध्यभाग
२. विश्वकर्मा तथा अग्नि „
३. यम तथा वरुण „
४. वायु तथा विश्वकर्मा „
५. रुद्र तथा वायु „
६. विष्णु तथा कुवेर „

अशुभ

१. ब्रह्मा तथा यम का मध्यभाग
२. वरुण तथा कुवेर „ „

त्रिविधि हस्तसंज्ञायोः—

हस्त के ज्येष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ प्रमेदों का संकेत किया जा चुका है। इनकी संज्ञायें क्रमशः ‘प्राशय’ ‘साधारण’ एवं ‘शय’ अथवा ‘मात्राशय’ हैं। हस्त २४ अंगुलों का होता है। जिस हस्त के प्रत्येक अंगुल ८ यवों के परिमाण से प्रकल्पित हो उसे ज्येष्ठ अथवा ‘प्राशय’ हस्त कहा गया है। इसी प्रकार जिस हस्त के अंगुल सात यवों में प्रकल्पित हो वह मध्यम अथवा ‘साधारण’ हस्त के नाम से पुकारा जाता है। अथवा तीसरी कोटि के हस्त (कनिष्ठ अथवा ‘शय’ अथवा ‘मात्राशय’) के प्रत्येक अंगुल ६ यवों से प्रकल्पित होते हैं।

हस्त-योजना

किस हस्त से कौन-कौन वास्तु-प्रकारों की माप करनी चाहिये इस शातव्य के लिये निम्न तालिका पथ-प्रदर्शन कर सकती है।—

'प्रायश' का प्रयोग

१. पुर, खेट या ग्राम के निवेश में विभाग आयाम, विस्तार, परिखा, द्वार, रथ्या (छोटी सङ्केत) मार्ग (बड़ी सङ्केत) सीमा-क्षेत्र, बन, उपवन, देशातर-विभाजन, माग-माप-योजना, क्रोश, गव्यूति आदि के प्रमाण ।

२. प्रासाद (मन्दिर) सभा तथा भवन-निवेश में ।

साधारण का प्रयोग

१. तलों की ऊँचाई, मूलपाद (नींव आदि), भूमि के नीचे के जलोदेश ।

२. दोलायें, धारा-यन्त्र, पात-यन्त्र (आधुनिक नल) तथा यन्त्र आदि ।

३. गुहामंदिर (शैलखात-निकेत), सुरंग तथा पगदरड़ी आदि ।

शय अथवा मात्राशय हस्त का प्रयोग

- (१) आयुध, धनुष का दण्ड, यान, शव्या तथा आसन ।
- (२) कृप, वापी ।
- (३) हाथी, घोड़े तथा मनुष्य
- (४) गरारी (इन्द्रियन्त्र)
- (५) शिल्पियों के शौज्ञार
- (६) नौकायें, छाते, ध्वजायें तथा बाजे (आतोद्य)
- (७) रसोई के वर्तन, ढोल तथा (नल्वदण्ड)

मान-वर्ग—

पुरातन वास्तुपरम्परा में जिन-जिन मानों एव मापों का प्रयोग होता था उसका एक प्रकार से निघण्डु हस्त निम्न तालिका में निमालनीय है । विशेष संकेत यह है कि इन सभी मापों की 'यूनिट' अंगुल थी ।

१ अंगुल	= १ मात्रा	११ अंगुल	= १ गोकर्ण
२ ,,	= १ कला	१२ ,,	= १ वितस्ति
३ ,,	= १ पर्व	१४ ,,	= १ पाद
४ ,,	= १ मुष्ठि	२१ ,,	= १ रत्नि
५ ,,	= १ तल	२४ ,,	= १ अरन्ति
६ ,,	= १ हस्त	४२ ,,	= १ किष्कु
७ ,,	= १ दिष्ठि	८४ ,,	= १ व्याम तथा पुरुष
८ ,,	= १ त्रिणि	६६ ,,	= १ चाप तथा नाडीयुग
९ ,,	= १ प्रादेश	१०६ ,,	= १ दण्ड
१० ,,	= १ शयताल	३० धनुष (चाप)	= १ नल्व
		१००० ,,	= १ क्रोश

२००० „ = १ गव्युति
४ गव्युतियाँ = १ योजन

गणना (अंकसंख्या) —

गणना का मान में महत्वपूर्ण स्थान है। अतः समराङ्गण ने अन्त में निम्न 'गणना' पर भी प्रवचन किया है। २० संख्याओं में सम्पूर्ण गणना (गणित) का समावेश निम्न तालिका से स्पष्ट है:—

कालसंख्या—

श्वाँख का निमेष	= निमेष
१५ निमेष	= १ काष्ठा
३० काष्ठायें	= १ कला
३० कलायें	= १ सुहूर्त
३० सुहूर्त	= १ अहोसत्र (दिनरात)
१५ अहोसत्र	= १ पच्च
२ पच्च	= १ मास
२ मास	= १ श्रुत्तु
३ श्रुत्तुयें	= १ श्रायन
२ श्रायन	= १ वर्षी

हस्त (गज) के साथ-साथ लगभग सात प्रकार के और सूत्र शिल्पियों के सहायक थे । यह परम्परा जैसी प्राचीन एवं मध्यकाल में थी, वैसी ही आज भी है ।

४ शिल्पी के योग्य जिन आठ प्रकार के सूत्रों का संकेत किया गया है उनकी कौतूहल जिजासा में निम्न श्लोक समुद्दृत किया जाता है:—

सून्नाएकं दृष्टिनृहस्तमौञ्जीं,
कार्पासकं स्यादवत्तम्भसंज्ञम् ।
काष्ठं च सृष्टाक्षयमतो वित्तेक्षय—
भित्यएसुन्नाणि बद्रन्ति तज्ज्ञाः ॥

सूत्रविदों ने आठ प्रकार के सूत्र माने हैं:—

- | | |
|-----------------------|--|
| १. दृष्टिसूत्र | एकमात्र नजर फेर कर चुनाई आदि का अन्दाजा
लगाना कि ठीक जा रही है कि टेढ़ी-मेढ़ी । |
| २. हस्त | (गज) |
| ३. मूँज की डोरी | |
| ४. सूत की डोरी | |
| ५. श्रवलम्ब | (जिसे राजा लोग साहुत कहते हैं) । |
| ६. काष्ठ (काठ कोना) | (जिसे राज लोग गुनियाँ कहते हैं) । |
| ७. सुष्ठि | (रेवल) |
| ८. परकाल | |

ये आठों सूत्र पर्यन्तस्थ रेखाचित्र (पृ० ७६ [अ]) से स्पष्ट हैं ।

पुर-निवेश

4-1-2-
11

विषय-प्रवेश

वास्तु-विद्या के द्वेत्र का विवेचन करते हुए हमने देखा कि समराङ्गण के प्रबन्धन—“देशः पुरं निवासश्च समावेशमासनानि च ।” (अ० १०४० ४) में देशनिवेश के उपर्यन्त ‘पुरनिवेश’ का नम्र आता है । परन्तु देशनिवेश का सम्बन्ध शास्त्रीय की अपेक्षा राजनीतिक अधिक है, क्योंकि राज्यसत्ता के द्वारा ही देश-विशेष की सीमा, उस पर आधिपत्य तथा प्रभुत्व का निर्धारण होता है । अतः विशुद्ध शास्त्रीय इष्टि से वास्तु-विद्या के द्वेत्र में देश-निवेश के नियमों का संकीर्तन न होकर पुर-निवेश के नियमों का ही प्रथम संकीर्तन होता है । अतएव ‘पुरनिवेश’ की प्राथमिकता स्वतः स्पष्ट हो जाती है । इसी इष्टिकोण से हमने भी समराङ्गण के अध्ययन में पुर-निवेश को ही प्राथमिकता दी है ।

इस पटल के विषय-प्रवेश में ही यह संकेत कर देना संमुचित प्रतीत होता है कि यद्यपि इस पटल को ‘पुरनिवेश’ नाम दिया गया है—तथा पि पुर के पर्यायवाची नगर और नगर के भेद—पत्तन, पुट्टेदन, खेटक, खर्वाटक, ग्राम, दुर्ग आदि भी—पुर-निवेश के ही विशाल द्वेत्र के अन्तर्गत आते हैं । अतः उनके निवेश सम्बन्धी विशेष नियमों और उनके विकास से सम्बन्ध रखने वाले वास्तुतत्व, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक घटक की विवेचन करना इस पटल की पूर्णता के लिये परमावश्यक होगा ।

पूर्व इसके हम पुर-निवेश, ग्राम-निवेश अथवा दुर्ग-निवेश की समीक्षा करें, संस्कृति एवं सम्भवा के आधारभूत व्यापक सिद्धान्तों की ओर—जिनके द्वारा देशविशेष की आधारिक एवं भौतिक उन्नति का विकास होता है—किञ्चित् संकेत कर देना अधिक अच्छा होगा । यह किसी से छिपा नहीं है कि देशविशेष की सम्भवा के विकास में वहाँ के निवासियों की वेश-भूषा, भोजन-भजन और रहन-सहन की ईलियों में एक विकास तथा प्रौढ़ता के हमें दर्शन होते हैं । जिस प्रकार साहित्य समाज का दर्पण कहा गया है उसी प्रकार समाज संस्कृति का दर्पण कहा जा सकता है । जिस समाज की जैसी रूप-रेखा हमारे देखने में आती है, उसीसे हम उस समाज की मंस्कृति एवं सम्भवा का अनुमान कर सकते हैं ।

इसके अतिरिक्त मनुष्य के सामाजिक जीवन पर वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ (जलवायु, भूमि, पर्वत, समुद्र, सरिता, इत्यादि) का भी कम प्रभाव नहीं पड़ता । मानव-सम्भवा की कहानी मानव के प्रकृति के साथ संघर्ष की कहानी है । जहाँ प्राचीन मानव ने प्रकृति का दासत्व स्वीकार कर उसका उपासक बन उसी की पूजा में महान् दर्शनों, धर्म तथा काव्य की उद्घावना की, वहाँ आधुनिक मानव, उसके विपरीत प्रकृति को पराभूत कर उस पर विजय प्राप्त करने के लिए सतत चेष्टा करता हुआ महान् विजान का निर्माण करने में सफल हुआ है । इन दोनों के बीच परिणाम हुए—यह हृत्व-वैत्तांत्रं से छिपे नहीं हैं । जब तक मानव प्रकृति की पूजा में संलग्न रहा संसार में शार्मित-एवं मुख्य-धारा-

श्राज विपुल साधन एवं ऐश्वर्य के होते हुए भी हम अशांति एवं दुःख के नभोमण्डल के नीचे निमग्न हैं। विज्ञान तुरी चीज नहीं है। वस्तु-विशेष के विशिष्ट ज्ञानार्जन का ही नाम विज्ञान है। परन्तु धर्म एवं दर्शन की ज्योति से शृन्य विज्ञान शुष्क और नीरस स्थाणु के सदृश होता है।

अतः इस देश में प्राचीन काल से मानव ने अपनी सम्यता के विकास के प्रयत्न में तथा जीवन-संघर्ष की सामान्य जटिलताओं में जिस प्रकार की रहन-सहन व्यवस्था की, उसमें हमें आध्यात्मिकता एवं धार्मिक उपचेतना तथा प्रेरणा के विशेष दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए वैदिक कालीन जीवन को ही ले लीजिये। उस समय का आर्यों का जीवन अत्यन्त सरल था। छोटे-छोटे भवन छोटे-छोटे ग्राम थे।

आवश्यकता आविष्कारों की जननी है। जब कुछ समय पश्चात् लोगों को शिक्षा, आराधना, व्यवसाय, वाणिज्य तथा अन्य अभीसिप्त कार्यों के सम्पादनार्थ किसी ग्राम-विशेष अथवा स्थान-विशेष से एक सामान्य सम्बन्ध बनाये रखने की आवश्यकता प्रतीत हुई तो कालान्तर में वह ग्राम अथवा स्थान महान् नगरों के रूप में परिवर्तित हो गया।

‘नगर’ एवं ‘नागरिक’ ये दोनों शब्द एक दूसरे के उद्घोषक हैं। जैसे नागरिक होंगे वैसे ही नगरों के विकास एवं उनकी वृद्धि की सम्भावना होगी। सच तो यह है कि नगर एक प्रकार से नागरिकों की संस्कृति एवं सम्यता—दोनों का एक जागरूक चित्र होता है। जिस प्रकार के नागरिकों की बहुलता एवं प्रमुखता होगी, जैसा उनका रहन-सहन, आचार-विचार, व्यवहार, वाणिज्य तथा व्यवसाय होगा, वैसी ही छाप उस नगर पर जिसके कि वे नागरिक हैं, अनिवार्यरूपेण पड़ेगी। भारत के प्राचीन प्रसिद्ध नगरों को देखिये। उदाहरण के लिये नालन्दा का विकास एक गुरु यह मुनि-कुटीर अथवा साधारण साधु-उटन से हुआ था। शनैः शनैः विद्या और विनय, आचार तथा ज्ञान, धर्म, और संस्कृति—इन आधार-शिलाओं पर एक महान् नगर—विश्वविद्यालयीय नगर—यूनिवर्सिटी दाउन का जन्म हुआ।

पाठक साधारणतया परिचित ही होंगे कि प्राचीन भारत की शिक्षाप्रणाली एवं अनु-संधानशैली के अनुसार विश्वविद्यालय के कुलपति का कुलपतित्व तभी सार्थक होता था जब कि उसके कम से कम दस हजार मेधावी शिक्षित, दीक्षित, एवं अनु-संधान-कार्य-च्यस्त शिक्षित शिष्य होते थे। नालन्दा, तक्षशिला, नैमित्तारण्य, नवदीप, आदि आदि विभिन्न प्रसिद्ध प्राचीन मारतीय नगर इसी कोटि में आते हैं।

नगर-निवेश की वास्तु-समीक्षा के पूर्व भारतीय नगरों के विकास पर थोड़ा सा दृष्टिपात कर देना अनुपयुक्त न होगा। नगर-निवेश, वास्तु-शास्त्र—शिल्प-शास्त्र का एक प्रमुख अंग है और विभिन्न पुरातन शिल्प-शास्त्रीय ग्रंथों में प्रतिपादित नगर-निवेश-विषयक नियमों के परिशीलन से भारतीय नगर-विकास की प्राचीनता भी स्वयं सिद्ध है। फिर मी, ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह विचार करना आवश्यक है कि नगर-विकास के मूलाधार क्या हैं? और इस सम्बन्ध में ऐतिहासिक सामग्री का क्या स्वरूप है? लेखक के ‘प्रासाद’ पट्टल आदि विभिन्न पट्टलों में तत् तत् वास्तु की प्राचीनता पर पृथक्-पृथक् विवेचन किया ही गया है। अतः मानव-सम्यता के प्रमुख चिन्ह वास्तुकला की रूपरेखा का समुद्घाटन पाठकों को यत्र तत्र उन पट्टलों में प्रज्ञुर प्ररिमाण में मिलेगा। अतः उसकी पुनर्गृहीति अथवा पिष्टपेण

इस पटल में उचित नहीं है । यहाँ पर इतना संकेत ही पर्याप्त होगा कि भारतीय वास्तु शास्त्र वहुत पुराना है । वास्तु-विद्या की एक विहङ्गम दृष्टि में हमने देखा कि वास्तुशास्त्र का विवेचन न केवल वास्तु शास्त्रीय ग्रन्थों में ही चरन् पुराण, आगम, अर्थशास्त्र आदि अ-वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थों में वडे ही सुन्दर ढंग से किया गया है । कुछ पुराण, अर्थशास्त्र तथा शुक्रनीति इत्यादि ग्रन्थ ईसवी पूर्व के हैं । अतः वास्तु-शास्त्रीय परम्परा का शास्त्रीय रूप ईसा से कम से कम एक हजार वर्ष प्राचीन माना जा सकता है ।

अतः इस प्रकार जब वास्तु-शास्त्रीय-परम्परा की प्राचीनता सिद्ध हो जाती है तो तत् प्रतिपादित नगर-निवेश (पुरनिवेश) की प्राचीनता में दो रायें नहीं होनी चाहिये । इसके अतिरिक्त जिस प्रकार व्याकरण का विकास अथवा निर्माण भाषा के विकास पर आधित रहता है—भाषा के सम्बन्धीय विकास के बिना उसका व्याकरण कैसा ? उसी प्रकार नगर आदि वास्तु अंगों के पूर्ण विकास के बिना नगर आदि उनके निवेश-नियमों एवं सिद्धान्तों का ग्रथन कैसा ? इस दृष्टि से मारतीय नगरों की प्राचीनता पर विचार करते २ ईसवी शताब्दी से पूर्व वहुत दूर पहुँच जाते हैं ।

अतिप्राचीन वेदों में भी हमें नगर-निर्माण एवं नगर-निवेश के प्रोजेक्ट दर्शन होते हैं जिनसे वैदिक-काल की नागरिक-सम्यता तथा विकासित रहन-सहन के तरीकों पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है । ‘वैदिक’ युग काफी सम्य एवं समृद्ध युग था—यह तो सभी मुक्तकरण से स्वीकार करते हैं । वेदों में वसति, पुर, दुर्ग एवं भवन सम्बन्धी विभिन्न विपुल संकेतों से तत्कालीन वास्तु-विकास का प्रवल प्रमाण प्राप्त होता है । नगर-निवेश के नियमों का भले ही सम्बन्धीय प्रचार न हो पाया हो, किन्तु जहाँ तक नगर निर्माण एवं नगर-विकास का सम्बन्ध है उसके सुट्ट एवं सुस्पष्ट निदेशों का अभाव नहीं । दक्ष महाशय के शब्दों में (cf T Planning in Ancient India) “निश्चय ही वे लोग जो लौहवुगों का निर्माण कर सकते थे, स्तम्भवहुत विशाल मवनों के निवेश में दक्ष ये तथा सुदीर्घ पुरों का विन्यास कर सकते थे वे निश्चय ही नागरिक कलाओं के वैज्ञानिक ज्ञान से शून्य नहीं कहे जा सकते ।”

इसके अतिरिक्त वैदिक-इन्डेक्स के परिशीलन से मी यही तथ्य निकलता है । मैकडानल तथा कीथ—इन महाशयों ने इसी इन्डेक्स में वैदिक पुर पर जो प्रकाश डाला है वह वैदिक नगरों के विषय में मी चरितार्थ होता है । परन्तु यह दुर्भाग्य-विलसित ही कहा जा सकता है कि ये दोनों विद्वान् इन पुर-सम्बन्धी वहुत संकेतों के होते हुए भी—यह कहते हैं—“On the whole it is hardly likely that in early vedic times city-life was much developed”—अर्थात् साराशतः यह कहना वहुत कम संभव है कि आदि वैदिक युग में नागरिक जीवन विकास एवं समृद्धि को प्राप्त हो चुका था ।

वैदिक ‘पुर’ वाची शब्दों के पीछे ‘पृथिवी’ (चौडे) ‘ऊर्च्चा’ (विस्तृत) ‘आयसी’ (लौहिक या लौहमय) ‘शारदी’ (शरदसूत्र सम्बन्धी) ‘शत-मुजी’—जात भित्ति वाले अथवा शत स्तम्भों वाले—ऐसे विपुल संकेतों के होते हुए भी वैदिक जीवन की ग्रामीणता ही निर्द करना कहा तक संगत है । वास्तव में वैदिक जीवन ग्रामीण तो था ही नागरिक भी था । प्राचीन, पराचीन एवं आधुनिक मारत की मुख्य सम्यता तो ग्रामीण ही रही है । भारतीय जीवन में ग्रामीणता का मदैव प्रमुख स्थान (सनातन से) रहा है तथा यह स्वाभाविक ही

है कि जिस देश में नगरों की अपेक्षा ग्रामों की सख्त्या बहुत अधिक हो, जिस देश की जन संख्या का बहुत बड़ा भाग ७५ प्रतिशत से भी अधिक ग्रामवासी हो वहाँ की सम्भता में ग्रामजीवन की भरक न हो—यह कैसे सम्भव है ।

अथवा ग्राम और नगर—इन दोनों का परस्पर अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । सच तो यह है कि ग्राम तथा नगर का विमेद परिमाण मात्र है । साधारणे छोटे छोटे ग्राम ही तो कालान्तर में वाणिज्य, व्यवसाय, शिक्षा-स्थान अथवा तीर्थस्थान आदि विभिन्न संस्कृति एवं सम्भता के मूल कारणों के कारण विशाल नगरों में परिणत हो जाते हैं ।

उत्तर-वैदिक काल एवं सूत्र-काल में भी वैदिक सम्भता की ही प्रबल छाप रही । आधुनिक ऐतिहासिक इष्टि से भारत का सुमन्द्र इतिहास महात्मा गौद्ध के जन्म के समय से ईसासे लगभग पाच सौ वर्ष पूर्व—प्रारम्भ होता है । महात्मा बुद्ध के समय में भारत में राजगृह, अयोध्या, वाराणसी, कौशाम्बी, मथुरा, मिथिला, साकेत, उज्जायेनी वैशाली आदि विभिन्न नगरों (देव राइसडेविड्स—Buddhist India p. 82) के प्राप्त संकेतों से तत्कालीन नगर-निवेश के विकास तथा भारतीय नगरों की प्राचीनता का केवल आमास ही नहीं पुष्ट-प्रमाण भी मिल जाता है । क्योंकि इन सभी नगरों के विकास की अपनी अपनी एक कहानी होगी जो कालान्तर में—बुद्ध के समय सुविकसित एवं समृद्ध नगरों में परिणत हो गये थे । राइस डेविड्स महाशय के मत में नगर-निवेश की रूपरेखा का यद्यपि पूर्ण पता नहीं प्राप्त होता है परन्तु उत्तुंग मित्तियों, परिखाओं एवं प्राकारों के वर्णन एवं उनके द्वारा सुरक्षित नगरों के विवरणों से अवश्य निष्कर्ष निकलता है कि उस समय तक बड़े-बड़े नगरों का निर्माण हो चुका था तथा उन नगरों की रक्षार्थ उनके चारों ओर प्राकारों, परिखाओं तथा उत्तुंग मित्तियों का निर्माण किया जाता था । तुग-निर्माण तो वैदिक युग में ही काफी सुसमृद्ध था ।

महागोविन्द नामक एक वास्तुवित् ने गिरिबुज नामक ४३ मील की परिधि में एक तुर्ग को बनाया था—यह राइस साहब ने लिखा है (देव B India) । इसके अतिरिक्त बुद्ध भगवान् के समकालीन प्रसिद्ध राजा विभवासार ने राजगृह नामक नगर का ३ मील में निवेश किया था । इन उपर्युक्त जिन नगरों के सम्बन्ध में चर्चा की गई है वह ‘दीघनिकाय’ (१६. ३६) नामक प्रसिद्ध वौद्धान्त्य के निम्न पद्य से सुस्पष्ट है:—

दन्तपुरं काक्षिङ्गानामस्सकानाङ्गपोतनम् ।

महिस्मती अचनीतम् सोवीरानाङ्ग ॥

मिथिला च विदेहानाम् चम्पा अङ्गे पु माहिता ।

वाराणसीध-कासीनम् एते गोविन्द-मापिता ॥

वौद्ध-साहित्य में यद्यपि नगर-निवेश के नियमों के विपुल विवरण पर्याप्त संख्या में नहीं प्राप्त होते हैं तथापि अन्य वास्तु-सम्बन्धी जो विवरण मिलते हैं उनसे तत्कालीन नगर-निर्माण-कला एवं नगर-निवेश Town Planning के विकास एवं वृद्धि का पक्षा अन्दाजा लगाया जा सकता है । वौद्ध-साहित्य-मवन-निर्माण-विवरणों से इतना ओत-ओत है कि बहुत से स्थल चातुर्शान्त्रिम-सन्दर्भ से—प्रतीत होते हैं । इन विभिन्न स्थलों की सूचना-हृष्म पहले ही देख दी गई है ।

बौद्धारामों एवं बौद्ध-विहारों की करुणा और शान्ति, अहिंसा और सत्य, सरलता तथा सौजन्य की गाथा गाने वाले इन वास्तु-विवरणों के इस निर्देश के उपरान्त अब योद्धा सा रामायण और महोभारत के महाकाव्य-काननों में भ्रमण किया जावे ।

रामायण के विषय में 'सिविक्स्ट एरड नेशनल आइडियल्स' नामक अपनी पुस्तक में सुश्री सिस्टर भिवेदिता लिखती हैं (देखिये पत्र ६-७)—“वाल्मीकि का यह काव्य वहुत सम्भव है, अर्थेवा सत्य ही है कि कवि की अपनी अतिथिया अयोध्या महानगरी के पूर्व वृषों के पौराणिक आख्यानों के सजीव चित्रों का चित्रण तदिप्रयक श्लाघातिशय के कारण तो नहीं प्रादुर्भूत हुआ (अर्थात् रामायण की रचना का कारण वाल्मीकि की प्रिय नगरी अयोध्या की प्रशस्ता है) ।” अयोध्या नगरी तथा उससे सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक वास्तु के वर्णन में कवि की रागात्मिका-प्रवृत्ति एवं तजन्य आहादातिशय का पूर्ण आभास मिलता है । उत्सव विशेष के अवसरों पर अयोध्या-सौन्दर्य में कवि विमोर हो जाता है । अयोध्या के प्रासादों, तोरणों एवं अङ्गों में कवि अपने को विस्मृत कर देता है । वाल्मीकि की नागरिक-प्रियता अयोध्या तक ही नहीं सीमित है । लंका के वर्णन को लीजिये । यहां पर कवि की नागरिकता का चरसोत्कर्ष देखने को मिलेगा । हनूमान् के प्रति लंका-द्वार-रक्षिका नारी के ये वचन—“अहं हि नगरी लंका स्वयमेव प्लवद्धम्” वास्तव में भाग्तीय नागरिकता-द्वारक शब्दों में अपना शानी नहीं रखते ।

रामायण में इतस्ततः नगर-विवरणों की इतनी भरमार है जिससे तत्कालीन नागरिक-सम्मता एवं नगर-निर्माण-कला के पूर्ण विकास का पता लगता है—इसमें मन्टेह का अवकाश ही नहीं रहता ।

डॉ आचार्य के शब्दों में (देखिये Indian Architecture according to Manasara page 17)—अयोध्या की नगर-निवेश-रूपरेखा मानसारीय तथा अन्य शिल्प-शास्त्रीय ग्रंथों में प्रतिपादित नगर-निवेश के हृतवृह-समान प्रतीत होती है । रामायण के प्रथम सर्ग (३, ५, १०-१५) तथा द्वितीय सर्ग (लंकावरण) को देखिये—

हाकिसु महाशय भी तो यही लिखते हैं— (देखिये J. A. O. S. 13 under City) “अर्थात् महाभारत एवं रामायण में वर्णित नगर-निवेश के परिसीलन से यह स्पष्ट है कि वहाँ राजा, राजकुमारों, प्रधान अमात्यों पुरोहितों तथा मेनाज्ञायकों के महल तो निर्मित होते ही थे साथ ही साथ साधारण आवासमवनों (निनमे मायमवर्ग के नागरिकों के अपेक्षाकृत वडे घेरों में विभिन्न प्राकार तुथा प्रागण भी होते थे) तथा इन विशाल प्रासादों के अतिरिक्त विभिन्न सभागृह, स्थानक-मण्डप तथा व्यवसाय-वीथिया (स्वर्णकार तथा अन्य विभिन्न कलाकारों की कार्यशालायें) भी विद्यमान थीं ।”

इस प्रकार महाकाव्य-कालीन नगर-विकास एवं नागरिक जीवन के अत्यन्त प्रोजेक्शन रूप में दो रायें नहीं हो सकती हैं । राजेन्द्रलाल मित्र महाशय इसी तथ्य को इस्तिमें रख कर अपने 'हन्डो आर्यन' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ में (देखिये पृ० ३१-४) लिखते हैं—“देवायतन, सभा, प्रासाद, शिविर तथा विभान आदि विभिन्न एवं विपुल-सुंख्यक वास्तु-शब्दों को वास्तव इन वर्णनों में (अयोध्या वर्णन) देखकर किस को उस समय की अत्यन्त विकसित नागरिक वास्तुकला (नगर-निवेशक्रम) का पूर्णाभास नहीं।

प्राप्त होगा ? क्या ये शब्द जो अत्यन्त उदीयमान वास्तुकला के अभिव्यक्ति हैं कभी छप्पर वाले सकानों अथवा भौपटियों के लिये भी प्रयुक्त किये जा सकते हैं ? ऐसे नगर-विवरणों को काल्पनिक अथवा कविकल्पना की उडान कहना कहर्हें तक न्यायसंगत है ।”

स्थानाभाव के कारण महाभारत के सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि महाभारती कथा की भी यही कथा है । द्वारका आदि महानगरियों एवं इन्द्रप्रस्थ आदि अत्यन्त प्रसमृद्ध नगरों के वर्णन से भी उपर्युक्त रामायण-निष्कर्षों की ही पुष्टि होती है ।

‘नगर-निवेश’ के ऐतिहासिक सिंहावलोकन में लेखक ने पुराणों की पुराय भूमि पर विचरण नहीं किया और न आगमों के अगाध सलिल में डुबकी ही लगायी—जैसा अन्य पठलों में आनुपङ्गिक विवेचन में किया गया है । अतः लेखके की यह त्रुटि (Omission) पाठक की समझ में कैसे आवे ? वात यह है कि रामायण, महाभारत तथा अधिकाश पुराण एक प्रकार से समकालीन ही हैं । अतः महाकाव्यकालीन नगर-विकास एवं नागरिक सम्यता के दिग्दर्शन मात्र से पुराणों में उसका चारितार्थ्य प्रकट है । अथवा आगे (उत्तर पीठिका में) नगर-निवेश-नियमों एवं सिद्धातों की समीक्षा के अवसर पर आगमों तथा पुराणों में प्रतिपादित एतद्विपयक सामग्री की यथासंभव समीक्षा होगी । अतः यहर्हें पर इस स्तम्भ से अग्रसर हो विव्यात विष्णुगुप्त के कौटिलीय अर्थशास्त्र के कान्तार में पदार्पण किया जावे ।

कौटिलीय अर्थशास्त्र की प्राचीनता में पुष्ट प्रमाणों से विद्वानों ने यह सिद्ध ही कर दिया है कि कौटिल्य का समय इसवीय पूर्व चतुर्थ शताब्दी पैछे ही आता । है अतः रामायण एवं महाभारत के काल की नागरिक-सम्यता एवं नगर-जीवन की पुष्टि तथा नगर-निवेशों पक्रम की सुविकसित रूप-रेखा का प्रामाण्य कौटिलीय अर्थशास्त्र से आपाततः हो ही जाता है । इस अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रंथ में वास्तु-सिद्धातों एवं उनके विवरणों पर लगभग सात अध्याय हैं जिनमें नगर-निवेश (T. Planning) के विवरणों की भरमार्तो हैं ही साथ ही साथ दुर्ग-निवेश, शिविरगृह, एवं वासन्त्रह आदि पर भी अत्यन्त सुसमृद्ध सामग्री मिलती है ।

कौटिलीय अर्थशास्त्र की इस विपुल वास्तु-सामग्री का यत्र तत्र सर्वत्र यथोचित स्थानों में प्रयोग किया जायगा ही अतः आगे बढ़ना चाहिये ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय पुरों के विकास एवं पुर-विपयक वास्तु-कलात्मक सामग्री प्रचुर परिमाण में प्राप्त होती है जिसमें भारतीय पुरों की प्राचीनता तथा तत्सम्बन्धी वास्तु-तत्व-विवरणों की सत्यता में असन्दिग्ध प्रामाण्य प्रस्तुत किया जा सकता है । अथवा भारतीयों की नागरिकता एवं नागरिक सम्यता भी इससे सुतरा सिद्ध होती है । भारतीयों का आदर्श यद्यपि आध्यात्मिक विशेष था तथापि भौतिक विभव एवं ऐश्वर्य में भी उन्होंने किसी भी प्राचीन देश से कम उत्कर्ष नहीं प्राप्त किया यह निश्चित रूप से भिन्न किया जा सकता है ।

२

भारतीय नगर-विकास

अमीतक हम नगर-निर्माण एवं - नागरिक-जीवन सम्बन्धी प्राचीनताद्योतक विशाल पुरातन साहित्य के कलिपय स्थलों का एक मात्र स्थूल दर्शन कर रहे थे। अब हम नगर-विकास के कारणों पर ध्यान ठेंगे। नगरों की उत्पत्ति कैसे हुई? उनके विकास तथा उनकी वृद्धि के कौन-कौन साधन प्रस्तुत हुए? इन प्रश्नों पर प्रकाश डालना आवश्यक है।

वैसे तो नगर-विकास को हम दो दृष्टियों से माप सकते हैं। कुछ तो नगर ऐसे हैं जो अपने आप स्वतः विकसित हुए हैं तथा इसके विपरीत कुछ किसी व्यक्तिविशेष, संस्था-विशेष अथवा व्यवसाय-विशेष के आश्रय से विकास को प्राप्त हुए। परन्तु ये दोनों मत सर्वोश्च में सत्य भी नहीं हैं। सम्भवतः कोई भी प्राचीन नगर ऐसा न हो जो पूर्णरूप में स्वतः विकसित हुआ हो। अथवा जो अविकल किसी दूसरे के आश्रय से ही पनपा हो। प्रत्येक नगर के विकास में अपना अपना व्यक्तित्व छिपा है, परन्तु अन्य विकास-घटक भी होते हैं। अतः मध्यम मार्ग का ही अवलम्बन करके सर्वत्र विकास का प्रसार देखने को मिलेगा।

वहुत से नगर कुछ ग्राम-समूहों के प्रारस्परिक आदान प्रदान जैसे हड्डी, तालाब, सरिता, मन्दिर, कृषि आदि के आश्रय से कालान्तर में स्वतः एक विशाल नगर में परिणत हो जाते हैं। इस प्रकार के विकास को हम प्रथम कोटि में रख सकते हैं। इसके विपरीत किसी रोजा की रोजानी के लिये अथवा शिक्षा-संस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वडे-वडे नगरों के निर्माण प्राचीन भारत के सुन्दर निर्दर्शन हैं—यह ऐतिहासिकों से छिपा नहीं है। अतः भारतीय नगरों के ऐतिहासिक अनुसन्धान में इन दोनों प्रकार के नगरों की कमी नहीं है। समराङ्गण-सूचनाधार के 'नगरादि संज्ञा' नामक १८वें अध्याय में निम्नलिखित शब्द पुर के पर्यायों में परिणित किये गये हैं:—

नगर	पुष्कर	सदन
मन्दिर	साम्प्रायिक	सद्ग साम्प्रायिक
तुर्ग	निवास	क्षय तथा क्षितिलय

इन पर्यायों में नगर के विभिन्न कोटिक विकास-वीज छिपे हैं जिनकी विस्तृत समीक्षा आगे होगी। यहाँ पर केवल इतना ही सूचन आवश्यक है कि स० स० वास्तु-शास्त्र का ग्रंथ है कोप तो है नहीं कि दिना प्रयोजन इन पर्यायों की अवतारणा करता। मंगी समझ में इन पर्यायों में ग्रंथकार ने नगर के वृहुकोटिक विकास-परम्पराओं की सूचना दी है। सदन, सद्ग, क्षय, निवास, भवनवाची हैं अतः भवनममूह संधारण ग्राम के विकास की ओर इक्षित होगा। मन्दिर तुर्ग एवं पुष्कर में, मन्दिर-नगर (Temple Cities) तुर्ग-नगर तथा जलाशयवर्तीय नगरों का धोष होता है—यह विशेषे रूप से आगे समझ में आ सकेगा।

भारतीय नगर-विकास की परम्परा में प्रचलित शब्द-कल्पद्रुम के निम्नलिखित पर्यायों

का वडा महत्व है। हन पुरपर्यायों के अनुसन्धान से भारतीय नगर-विकास की प्रायः अविकल विशेषतायें हृषि के सामने नाचने लगती हैं (देखिये श० क० भा० ३ पृ० १७२) ।

पुर

१	२	३	४	५	६
गेह म्	हृषादिविशिष्ट-स्थानम्	वहुग्रामीय-व्यवहारस्थानम्	पुरी	नगर	पत्तनम्
७	८	९	१०	११	
स्थानीयम्	कटकम्	पट्टम्	निगम	पुरमेदनम्	

शब्द-कल्पद्रुम की इस पुरपर्याय-माला में नगर-विकास के विभिन्न स्वरूप-पुष्पों की सौरम-गन्ध से मत्त दत्त महाशय ने लिखा है—“इन पुर-पर्यायों की सूक्ष्म समीक्षा से भारतीय-आर्य-नगरों की उत्पत्ति, विकास एवं इतिहास पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है।” लेखक के मत में तो हन पर्यायों की सार्थकता उसी नगर-विकास में विशेष चरितार्थ होती है जो नगर स्वतः विकसित हुए हैं ।

अस्तु, हन पर्यायों में से क्रमशः प्रत्येक की थोड़ी-थोड़ी सी समीक्षा से नगर-विकास के बीज कहाँ तक निहित हैं—स्पष्ट हो सकेगा। पहला पर्याय है गेह। एक कौटुम्बिक भवन पहले पहल किसी व्यक्तिविशेष के द्वारा किसी स्थानविशेष में स्थापित हुआ। धीरे धीरे उसी कुत्त से सम्बन्ध रखने वाले भी वहीं आ आकर वसने लगे—एक भवन-गेह इस प्रकार कालान्तर में एक छोटे से ग्राम में बदल गया। इस प्रकार के ग्राम का जहाँ एक ही गोत्र श्रथवा कुदुम्ब के व्यक्ति रहते हों उसे ‘एकयोग’ की संज्ञा दी गयी है—मनुष्यालय-चन्द्रिका अ० ३ श्लो० १६:—

एकविश्वरागारं तद् कुदुम्बसमन्वितम् ।
एकयोगं भवेद्ग्रामं तद्भृत्यायतनाष्वृतम् ॥

इस प्रकार के छोटे-छोटे गाँवों का अर्वाचीन-निर्दर्शन भी आधुनिक भरत के प्रायः सभी प्रान्तों में देखने को मिलता है। वज्जाल को ही लीजिये। वहाँ के धोष, वैनर्जी, मुखर्जी तथा दत्त आंदि व्राह्मण-परिवारों के ‘पारा’ आज भी विद्यमान हैं। इस प्रकार शब्द-कल्प-द्रुम के पुरसम्बन्धी पर्याय ‘गेह’ की कहानी समझ में आ सकती है कि वही एक गेह कालान्तर में एक ग्राम में परिणत हो गया। गेह बढ़कर गाँव हो गया।

‘हृषादिविशिष्टस्थानम्’—अर्थात् हृष बाजार आदि विशिष्ट स्थान जहाँ हों उस स्थान को भी पुर कहा गया है। परन्तु एक बाजार के स्थान को पुर की पदवी कैसे मिली—यह प्रथम हृषि में जरा कम समझ में आयेगा। किसी विशेष भू-माग में पास ही पास चतुर्दिक छोटे-छोटे गाव फैले हुए हैं। ग्रामीणों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति

के लिये उन ग्रामों के केन्द्रस्थान में एक हट्ट को स्थापना हुई । वहाँ पर सर्व ग्रामीण किसी दिन-विशेष पर जुटने लगे । दूकानें पहले यों ही आती तथा चली जाती होंगी । कालान्तर में व्यवसायियों तथा वाणिकों के व्यापार में वृद्धि होने से वे ही दूकानें जंगम से स्थावर हो गयीं—दूकानें बनने लगीं । इस प्रकार वह नैमित्तिक हट्ट समय पाकर एक नैत्यिक हट्ट में परिवर्तित हो गया । पुनः वाणिकों ने अपने आवास-भवन बनाये । सौविध्य-आकर्षण से और लोगों ने भी वहाँ अपने-अपने आवास-भवनों का निर्माण किया । चारों ओर ग्राम विखरे ही थे । किर व्या कालान्तर में सब शाव तथा वह केन्द्रस्थित हट्ट मिलकर एक बहुत नगर में परिणत होगये । इस प्रकार एक हट्ट से एक पुर का विकास होगया ।

दूसरे पर्याय—हट्टादि-विशिष्ट-स्थान—के साधारण स्वरूप को व्यापक स्वरूप देने के लिये कोषकार ने लिखा होगा—“वहुग्रामीय-व्यवहार-स्थानम्” जिससे तात्पर्य यहो लेन-देन से है । वाजार में न केवल लोग खरीदने ही आते होंगे—अपने अर्जित अन्न आदि द्रव्य को बेचने भी आते होंगे जैसा आजकल भी देहाती वाजारों में देखने को मिलता है । प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय नगर—‘सप्तग्राम’ इस तथ्य का ज्वलन्त उदाहरण है । सप्तग्राम बहुत समय तक एक व्यवसाय-केन्द्र—व्यवहार-वीथी रहा—जहाँ दूर-दूर के व्यवसायी आते थे, वाणिज्य करते थे, रहने भी लगे । सप्तग्राम तथा वे व्यवसाय-वीथिया मिलकर एक विशाल नगर के निर्माण में सहायक हुई ।

जहाँ तक पुरी एवं नगर—पुर के इन दो पर्यायों की गाथा है उसके अन्तर्म में कोई विशेष इतिहास तो नहीं छिपा है परन्तु सम्भवत् पुरी उसी नगर अथवा पुर का नाम परम्परा में प्रसिद्धि को प्राप्त करती है जो अपनी पावनता एवं गौरव की अभिव्यंजिका होती थी । यह प्रसिद्धि अथवा गरिमा किसी तीर्थस्थान, मन्दिर, विद्यापीठ, अथवा राजपीठ के कारण प्राप्त होती है । प्राचीन भारत के वडें-वडे नगरों की आत्म-कृत्य में सबमें वडा योग तीर्थस्थानों, मन्दिरों, राजपीठों, विद्यापीठों अथवा पुराण-सलिला-सरिताओं ने दिया है । नालन्दा, तक्षशिला, नैमियाराम्य, नवद्वीप, काशी, प्रयाग, पाटलिपुत्र आदि-आदि अति-प्रसिद्ध प्राचीन पुरों की गाथा में एक-एक पर अलग-अलग विशालकाय ग्रन्थों का निर्माण किया जा सकता है ।

पुर-विकास के प्रतीक पाचवें पर्याय—‘पत्तन’ की भी यही कहानी है कि उसके विकास में व्यवसाय तथा वाणिज्य—मनुष्य की अत्यन्त अनिवार्य आर्थिक आवश्यकता के बीज छिपे हैं । वाणिज्य और व्यवसाय को सुदूर अन्तर्देश तथा विदेश में फैलाने के लिये वडी-वडी सरिताओं तथा समुद्रतटों ने वडा योग दिया है । सासार के विभिन्न देशों में सर्वत्र समान रूप से यह देखा गया है कि इस प्रकार के वाणिज्य केन्द्र (trading port) कालान्तर में वडें-वडे व्यावसायिक नगरों में परिणत हो गये । बहुत पुरानी परम्परा है कि जब विभिन्न जातियाँ किसी स्थानविशेष पर वाणिज्य के लिये एकनित होती थीं परस्परिक आदान-प्रदान के लिये विचारविमर्श भी करती थीं तथा अपने-अपने माले (कच्चे और पक्के) का सर्वसाधारण दूर-दूर के वाजारों में व्यापार विनियोग की योजना बनाती थीं । यह स्थान प्रायः किसी वडी सरिता के तट पर अथवा समुद्र के किनारे होता था । आमुनिक हावड़ा हाट इसका ज्वलन्त उदाहरण है । इसी प्रकार चिट्ठगांव भी । प्राचीन मारत का

बृहत् व्यावसायिक नगर सप्तग्राम भी यही तथ्य चरितार्थ करता था । 'पत्तन' शब्द की परिभाषा से भी यही निष्कर्ष निकलता है । 'मयमत' शिल्पशास्त्र में पत्तन के सम्बन्ध में लिखा है—

द्वीपान्तरागतघस्तुभिरनुयुक्तं सर्वजनसहितम् ,
क्रयविक्रपकैयुक्तं रत्न-धन-चौम-गन्ध-घस्त्वाद्यम् ।
सागरवेळाभ्याशे तदनुगतयायि पत्तम् प्रोक्तम् ॥

(अध्याय १०. २८-२९)

अर्थात् 'पत्तन उस नगर को कहते हैं जहाँ अन्य विभिन्न द्वीपों से आये हुए विभिन्न घस्तु-जात एकत्रित किये जाते थे तथा जहाँ भिन्न-भिन्न जातियों के लोग रहते थे । वहाँ पर वाणिज्य तथा व्यवसाय का विशेष वोलाला था । क्रय-विक्रय का पूर्ण प्रसार तथा रक्ष, धन, धान्य, रेशमी वस्त्र, गन्ध-द्रव्य-जात का प्राचुर्य पाया जाता था । अथवा ऐसा नगर सागर-वेला के निकट स्थित होता था' । श्री वैकटराम अव्ययर महोदय ने अपने 'ठाउन सार्निंग इन एन्शियेंट डेक्न' नामक प्रसिद्ध पुस्तक में इसी पत्तन के निर्दर्शन में 'कावेरिपुं पत्तिनम्' नामक प्राचीन नगर का वर्णन किया है । सागरवेलास्थित व्यावसायिक केन्द्र—बन्दरगाहों के अतिरिक्त व्यवसायसुलभ मार्गों पर भी प्राचीन भारत में कई नगर निर्मित हुए । भारत के जगद्विष्वात तक्षशिला नामक प्रसिद्ध नगर का विकास इसी व्यावसायिक-सौविधि से सम्भव हुआ ।

सागर-वेला के समान या यों कहिये उससे भी अधिक सरिताओं के तटों ने भी नगरों के विकास में वड़ा योग दिया । भारत में सरिताओं के तट न केवल प्राचीन विद्यापीठीय नगरों या सम्यताप्रसार के लिये ही प्रसिद्ध रहे, बरन् व्यावसायिक नगरों के विकास के लिये भी सर्वोत्तम सिद्ध हुए । प्राची-काल में आदन-प्रदान, यातायात, सूचना तथा संवहन आदि के लिये सरिताओं के मार्ग ही एकमात्र अवलम्बन थे । यातायात एवं यात्रा-जात (Transport and locomotion) के साधन भी सरितायें थीं—यह भी अविदित नहीं है । इन्हीं विशेषताओं के कारण ये सरितायें अपने देशविशेष के आभ्यन्तरिक व्यवहार, व्यवसाय एवं व्यापार की सहायिका तो थी ही, देश के वहिर्मिशों के साथ भी सम्पर्क स्थापित करने में निर्मित वर्णी, जिससे संसार में एक देश से दूसरे देशों में व्यवसाय एवं वाणिज्य का प्रसार सम्भव हो सका, तथा कालान्तर में सरिताओं के तट वडे वडे नगरों के जन्म देने में साधन बन सके ।

अथवा यह हम जानते ही हैं कि भारत में आर्यों के उपरान्त उनके प्रमुख एवं उनकी सम्यता के प्रमार में सिन्धु एवं गंगा ने कितना वडे योगदान दिया । सरिताओं ने ही आर्यसम्यता के प्रमार में मार्गप्रदान किया । यही कारण है कि व्यावसायिक केन्द्र-स्वरूप विभिन्न-वडे नगरों के अलावा भी प्राचीन-भारत के वडे-वडे नगर सरिताओं के तट पर ही निर्मित हुए । ये नगर प्रायः सरिताओं के दक्षिण-कूल पर ही बसाये गये जैसा कि शास्त्रों की आशा है । आजकल भारत के कुछ नगर जैसे कलकत्ता आदि जो इस नियम

के अपवाद हैं उसका कारण उनके स्थापन में अ-हिन्दू-संस्कृति एवं प्रभुता का कारण है। सरितातट पर निर्मित नगरों के लिये 'पुटमेदन' शब्द का प्रयोग किया गया है, तथा व्यवसाय केन्द्रों के लिये 'निगम' का।

शब्द-कल्पेन्द्रम के नगरपर्यायों में अभी तक जिनकी समीक्षा नहीं हो पायी है उनमें केवल तीन और अवशेष है—स्थानीय, कटक तथा पट्ट। इन तीनों का रक्षा (defence) से सम्बन्ध है। 'स्थानीय' का अर्थ दुर्ग-विशेष से है। 'कटक' का अर्थ शिविर स्पष्ट ही है। 'पट्ट' से पार्वत्यप्रदेश अथवा पर्वताकीर्ण मार्ग से संकेत है।

पुरातन से यह परम्परा प्रचलित है कि मनुष्य ने अपने रहन-सहन, भोजन-भजन, एवं आचार-विचार तथा व्यवहार और आदान-प्रदान के साधनों के साथ-साथ अपनी रक्षा के उपायों पर भी विचार किया तथा उसके साधन जुटाये। अथवा सभ्यता के विकास—नागरिकता के उत्थान में शासन एवं प्रभुत्व का वहां योग रहा। अतएव सम्यक् शासन-संचालन के लिये कठिपय ग्रामों के बीच रक्षाकेन्द्र के प्रतीकरूप में एक दुर्ग विशेष की स्थापना करनी पड़ी। इसी परम्परा के प्रभाव से प्रभावित होकर प्रायः सभी शिल्पशास्त्रों ने नगर-निवेश तथा ग्राम-निवेश के जो नियम निर्धारित किये हैं वे प्रायः हूबहू दुर्ग-निवेश में भी लागू होते हैं। डा० आचार्य के मत में पुर, ग्राम तथा दुर्ग के निवेश-नियम 'मानसोर' ऐसे लघुप्रतिष्ठ-शिल्पशास्त्रीय ग्रथ में प्रायः समान ही हैं। डा० आचार्य महोदय लिखते हैं।—

"मानसार के अनुसार एक ग्राम,—एक नगर तथा एक दुर्ग में कोई विशेष भेद नहीं है। सभी भुरक्षित (fortified) जनावासोचित स्थान हैं। एक नगर एक ग्राम का विस्तृत रूप है। दुर्ग भी वहुत अर्थ में सुरक्षि नगर के सदृश है। इनमें यदि भेद है तो इतना ही है कि जहाँ एक दुर्ग का रक्षा के हेतु निर्माण होता है वहाँ एक ग्राम अथवा नगर का निर्माण आवास के लिये—Indian Architecture Acc. to Manasara Shilpa Shastra—page 39.

इस कथन में कोफी सत्यता है, परन्तु नगर एवं दुर्ग की यह समीक्षा पूर्णतः सत्य नहीं है। संसार के प्रायः सभी देशों में प्राचीन काल में जो वडे वडे नगर वने, उनकी रक्षा का यथोचित प्रबन्ध अवश्य रखा गया। प्राचीन भारत-में सम्भवतः ही ऐसा कोई नगर निर्मित हुआ हो जिसके चारों ओर परिलियें तथा भित्तियाँ न बनी हों। विद्यापीठीय नगरों तथा मन्दिरनगरों (Temple cities) के निर्माण में भी यही व्यवस्था देखने में आती है। परन्तु व्यावसायिक नगर तथा तेर्थस्थानीय नगर, इस नियम के अपवाद हैं। अतः निस्चय रूप में यह कहा जा सकता है कि जिन नगरों का निर्माण अथवा विकास राजाश्रय पाकर सम्पन्न हुआ उनमें रक्षा की इस परम्परा का अवश्यमेव पालन किया गया। प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध नगर पाटलिपुत्र को ही लीजिये। उसका निवेश एक दुर्ग के समान ही सम्पादित हुआ। अथवा चारोंक्षण ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'अर्थशास्त्र' में इसी नियम के पालन का अदेश भी दिया है। परन्तु जून नगरों का निर्माण अथवा विकास राजाश्रय से प्रभावित न होकर धर्माश्रय पाकर अथवा व्यवसाय या व्यापार आदि के कारण हुआ उनमें यह परम्परा गौण भी। और ठीक भी है।

इसके अतिरिक्त 'युगधर्म' वडा कठोर होता है । जैसा युग होता है वैसे युगधर्म बनते हैं । समय-विशेष का प्रतिविम्ब समयविशेष की सम्भवा पर अवश्य अंकित होता है । प्राचीन काल में यातायात के साधन तथा जीवन-रक्षा के साधन न तो इन्हें सुलभ थे और न इन्हें सुन्दर ही । ऐसी परिस्थिति में नगरों की रक्षार्थ यदि यह परम्परा पल्लवित हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या ? आज भी प्रायः वडे वडे नगरों में सरकार की ओर से छावनिया होती हैं । उनकी स्थापना में भी तो इसी प्राचीन परम्परा के बीज निहित हैं ।

अस्तु । 'प्रकृतमनुसरामः' । 'स्थानीय' एवं 'कटक' आदि जिन 'पुर'-पर्यायों के सम्बन्ध में अभी सीमक्षा का उपोद्धात कर रहे थे उनके विषय में भी जैसा पहले हम देख चुके हैं, विकाससिङ्गान्त लागू होता है ।, सर्वप्रथम राजा की ओर से -देश के शासन की ओर से- विभिन्न उपयुक्त प्रदेशों में सैन्य-शिक्षियों के पड़ाव पढ़े होंगे । पुनः इन सैन्य-स्थलों Military out-posts कालान्तर में नगरी के विकास में सहायक हुए । बहुत से प्राचीन नगर जिनके नामकरण में कटक अथवा कोट जुड़ा है वे इस तथ्य के ज्वलन्त उदाहरण हैं । उदाहरण के लिये कटक (Cuttack) स्यालकोट, नगरकोट, मंगलकोट आदि विभिन्न नगरों के विकास की यही कहानी है । अतः निष्कर्षरूप में मानव-आवास-निर्माण एवं उसके विकास में रक्षा ने वडा योग दिया । इसकी पोषक-सामग्री में गोत्र शब्द वडा ही महत्वपूर्ण हैं । गोत्र शब्द का अर्थ वैसे तो एक परिवार-विशेष से है जो प्राचीन आदि ऋषियों में से एक की परम्परा से पनप रहा है परन्तु शब्दार्थ है—'गाःत्रायन्ते यस्मिन् तत् (स्थानम्) गोत्रम्—enclosure for cows—गौवों का बाड़ । और दत्त महाशय (page 35 Town Pla. in Ancient India) के शब्दों में-- this was the genesis of 'the Indo-Aryan village or town' 'प्रसिद्ध पुरातत्वविद् मैक्समूलर' गोत्रशब्द के इन दोनों अभिधेयार्थ तथा लाक्षणिकार्थ की स्थापना करते हुए लिखते हैं—

"पुरातन समय में जो वडे वडे युद्ध होते थे वे योरोप अथवा एशिया की शक्ति-संतुलनार्थ (to maintain balance of power) नहीं होते-थे उनका उद्देश्य एक मात्र चरागाहों पर आधिपत्य करना अथवा पशु-समूहों को अधिकृत करना था । ऐसी अवस्था में युद्धस्थल के बीच के हर्डल्स (रक्षार्थ स्थापित लकड़ी) अथवा लोहे के भित्ति सदृश प्राकार कालान्तर में एक तुर्ग में परिणत हो गये । ऐसे स्थानों के लिये ऐंगलों सेक्षण माषा में टन अथवा जर्मन में तन इसी प्रकार टाउन, नगर शब्द प्रयुक्त हुए तथा जो लोग उन्हीं तुर्ग-भित्तियों के पीछे रहते थे वे गोत्र, परिवार, वर्ग अथवा जाति के नाम से पुकारे जाते थे" —cf. Chips from a German Workshop

इस प्रकार हमने देखा कि शब्दकल्पद्रुम-कोषकार ने पुर-सम्बन्धी जितने पर्याय दिये हैं उनकी अपनी अपनी एक आत्मकहानी है जिसके अन्तर्म में पुरातन आवास-रहस्य निहित है । नगर-विकास के स्वतःप्रसार-सम्बन्धी विवेचन में इन पर्यायों ने वडा योग दिया । हमने देखा कि वे नगर जो किसी व्यक्ति-विशेष की प्रेरणा अथवा योजना से विकसित न होकर अपने आप तृढ़िगत हुए उनकी उत्पत्ति, विकास एवं विवृद्धि में एक गेह, एक मन्दिर अथवा एक ग्राम, एक हट्ट, द्वीप, सरितातट, सागरवेला, पार्वत्य उपत्यका आदि की अपनी एक आत्म कहानी छिपी है ।

इन सभी स्थानों की प्रायः सभीक्षा हो चुकी है परन्तु मन्दिर, विद्यापीठ तथा ग्रामों के सम्बन्ध में अभीतक सकेतमात्र ही हुआ है । इनकी कुछ अधिक विवेचना आवश्यक है । सर्वप्रथम मन्दिर के दर्शन करें । प्राचीन भारत के नगरों के इतिहास पर यदि हम ध्यान दें तो पता चलेगा कि बहुत से प्राचीन नगर मन्दिरस्थानों के विकास-मात्र हैं । संसार के अन्य देशों में भी निमित्र प्राचीन नगरों की भी यही कथा है । परन्तु मारत्वर्प ग तो यह कथन “Temple was a City in making” अर्थात् मन्दिर की स्थापना हुई नहीं कि नगर बस गया—सर्वोश में चरितार्थ देखा गया है ।

मन्दिर शब्द ‘देवतायन’ का तो वाचक है ही साथ ही साथ उसके दो अर्थ और हैं—मवन तथा नगर । ‘समराङ्गण’ ने (१८ वाँ श्र० देखिये) नगरपर्यायों में मन्दिर शब्द का प्रथम आख्यान किया है—यह हम देख ही चुके हैं । यह तो वास्तु-शब्द की वात हुई । अमरकोष तथा विभिन्न आन्यकोपों में भी मन्दिर शब्द भवनवाचक है । यह सर्वविदित ही है ।

‘मन्दिर-नगरों का विकास स्वतःविकसित नगरों में आता है । मन्दिर शब्द की इस पुरातन वास्तु परम्परा का प्रभाव तामिल-साहित्य में भी परिलक्षित होता है । तामिल ‘नक्क’ शब्द न केवल नगर का ही वोधक है वरन्, भवन, मन्दिर, प्रासाद (गजप्रासाद) का भी वोधक है । यह ठीक भी है । प्राचीन भारत में ही नहीं, शाज भी भारतीयों की जीवन-धारा में धार्मिक-स्थान, पूजा-गृह, सरिता-तट, एकान्तस्थान, वनप्रान्त पर्वत-कन्दरायें आदि का सदैव से विशिष्ट स्थान रहा है । क्योंकि रत्नगर्भा, शस्त्रस्थानाला, समृद्धा इस भारतवसुन्धरा में संकटमय जीवन तथा संघर्षमय जीविकोपायों का कोई प्रश्न ही न था । अतएव यहाँ की सम्यता एवं संस्कृति में भौतिक-प्राधान्य न होकर सनातन से अध्यात्म-प्राधान्य रहा है । इस रहस्य के अनुसार यहाँ के नागरिकों की स्वतःप्रेरणा में यही संभव है अथवा स्वामाविक ही है कि वे अपने आवास भवनों के निवेश के लिए पावन स्थलों, सुन्दर, स्वस्य प्रदेशों एवं वातावरणों को चुनें । अतः स्पष्ट है कि प्राचीनकाल में किसी देवतायन के पूत-पावन भू-भाग के निकट थोड़े से जिजासु एवं साधक सञ्चालनों ने सर्वप्रथम अपने आवासों का निर्माण किया । धीरे-धीरे वह स्थान अपने निजी आकर्षण और कुछ व्यक्तियों के सौचिध्य ने एक विशाल तीर्थस्थान मन्दिर-नगर में परिणत हो गया ।

इसके अतिरिक्त मन्दिर यदि सम्भक् प्रकार से संचालित हैं तो उसके निकट कोई सुरक्षा जलाशय, पुष्कर, पुष्करिणी अथवा सरिता का होना आवश्यक है । अतः जीवन की अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में जल की आवश्यकता-पूर्ति की साधन-सुरक्षाता के कारण मन्दिर के सुन्दर, स्वास्थ्य-प्रद एवं पावन वातावरण के कारण वहाँ वसति-स्थापन सहज संभाव्य है । इसके अतिरिक्त मंदिर के देवता की प्रसिद्धि—उसकी वरदगरिमा तथा कीर्ति के कारण भी दूर-दूर से लोग दर्शनार्थ आते थे एवं दर्शनार्थियों में बहुत ने आगन्तुक वहीं आकर वसने की डानते थे । मंदिर से-नगर का यह विकास धर्माश्रय था । विद्याश्रय भी इस प्रकार के नगर के विकास में कम सहायक नहीं हुआ । क्योंकि मंदिर न केवल तीर्थस्थान के ही कारण प्रसिद्ध थे, वरन् वहाँ से मन्दिरों में वहाँ के पुजारियों

के पारिडत्य, आध्यात्मिक 'जानंगरिमा' तथा 'उनके पुनीत आचरण के आकर्षण से वहुत से जिजासु वहाँ जाकर रहते थे—जानार्जन कंत्रे थे, कथावार्ता सुनते, पुराण-पुरायण करते, योगाभ्यास, सौधते थे।' सच्च तो यह है कि प्रांचीन भारत में ही नहीं, ओज़ भी वहुत अशें में मन्दिर न केवल ध्यानें, पूजा, और्ची के ही पावन-स्थान हैं वरन् अध्ययन-ध्यायन, चित्त एवं मनन तथा गवेषणा और अनुसंधान, साधना और सुश्रुषा के जाज्बल्यमान केन्द्र भी हैं। दत्त महाशय के शब्दों में “‘प्रहुत से निर्दर्शनों में यह अर्थात् एक मन्दिर एक छोटा सा विश्वविद्यालय का स्वरूप धारण करता या जहाँ पर विद्वान् परिषद्वत् मन्दिर के बरामदे अथवा सम्मुखरित्थतु छोतदार प्रागण-मण्डप में एकत्रित होकर जिजासु छात्रों को साहित्य, ज्योतिष, वैदं, वेदाङ्ग, पुराण तथा अन्य विभिन्न विद्याओं में शिक्षित तथा दीक्षित करते थे। सभ्य-पाकर कालान्तर में मन्दिर, उसके देवता तथा उसके पुजारी की गरिमा एवं ख्याति सुदूर प्रदेशों में फैल जाती थी—जिससे विभिन्न प्रदेशों से लोग आकर देवदर्शन के साथ-साथ ज्ञानार्जन के लिये भी आने के अभिलाषी हो जाते थे”।

— अथवा एक मन्दिर से एक विशाल नगर बनने की कहानी में हिन्दू-सास्कृति की प्रमुख एवं महत्व पूर्ण ग्राम-व्यवस्था ने भी वहा साहाय्य प्रदान किया। आश्रमचतुष्पय में वानप्रस्थाश्रम में जब लोग पदार्पण करते थे तो घर छोड़कर किसी निर्जन, पावन, एकात् स्थान में जाकर रहते थे। यदि सौभाग्यवश ऐसा स्थान किसी मन्दिर के साजिध्य में मिल गया तो फिर क्या, अहोभाग्य। अतः वानप्रस्थाश्रमियों के साजिध्य से भी जो प्रथम छोटे-छोटे उट्टज बनी वे कालान्तर में दानवीरों की सहायता से सुन्दर आवास-भवनों में परिणत हो गये। — — — — —

इसप्रकार इन 'विभिन्न' कारणों से जब मन्दिर के चारों ओर वैस्तियाँ वस गयी तो फिर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु विभिन्न दुकानों आदि की स्थापना हुई। कालान्तर में वह स्थान राजाश्रम पाकर वहाँ पर राजपीठ के स्थापन में भी निर्मित बनाए राजप्रसादों का निर्माण भी हो गया। फिर क्यों कहना था—वह स्थान और भी अधिक वसने लगा। अन्ततोगत्वा मार्ग, प्रतोली, परिस्वामी, प्राकार, अट आदि आवश्यक विभिन्न नागरिक वास्तु-उपकरणों की निवेश किया भी सुतरा सम्पादित हो गयी। इस प्रकार वह मन्दिर आगे चलकर एक नगर में बदल गया। इस प्रकार के नगरों के निर्दर्शन में दक्षिण-भारत का कंजीवरम् प्राचीन नगर प्रस्तुत किया जा सकता है—देखिये—T. Planning in Ancient Deccan. p. 21)। आधुनिक इस प्रकार के नगरों में दत्त महाशय ने तारकेश्वर (वर्द्धान) सीताकुरुण (चिङ्गावी) आदि नगरों का उद्दरण दिया है।

— मन्दिर-नगरों के—विशेषकर दक्षिण-भारत के—विषय में एक बात विशेष उल्लेखनीय यह है कि उन मन्दिरों की 'निवेश-प्रक्रिया' तथा शिल्पशास्त्रों में प्रतिपादित 'ग्राम-निवेश' अथवा नगर-निवेश प्रक्रिया विलकृत मिति जुलाती है या ग्राम या नगर के gate towers-का सादृश्य मन्दिर के गोपुर से, ग्रामीय या नगर के रोजमार्ग का सॉट्स्य मन्दिर मार्गों से, मगलंबीय या ग्रामीय वृत्तोंका सङ्कोच का सादृश्य मन्दिर की प्रदक्षिणा से सुतरा प्रकट है। इसी प्रकार मन्दिर-मण्डप—ग्रामीय या नगर-परिषद्-भवन में सादृश्य रखता है।

इस्तीप्रकार मन्दिर के विभिन्न भवनों एवं सभा-सुदनों, प्रकोष्ठों, प्राँगणों, कृप, तक्षण जलाशयों आदि का भी साइर्य प्रकट है ।

पुर-पर्यायों की पृष्ठभूमि पर नगर-विकास का यह प्रसार खूब प्रवृत्त हुआ । परन्तु अभीतक हम विशेषकर ऐसे नगरों के विकास के कारणों का विवेचन कर रहे थे जिनका विकास पूर्व-सूचित विकास कोटि-द्वय—स्वतं प्रवृत्त तथा परप्रवृत्त—में से प्रथम कोटि से सम्बन्धित था । जहाँ तक दूसरी कोटि का प्रश्न है उसमें पूर्व-प्रतिपादित स्थानीय आदि किलों की स्थापना के कारण नगरों का विकास बताया ही जा चुका है । ऐसे नगर पर-प्रवृत्त कोटि में आते हैं । अब हम प्रक्षंग में एक दो तथ्यों का उद्घाटन कर दूसरे प्रकरण में प्रवेग करना है । परप्रवृत्त अथवा स्वतं प्रवृत्त नगरों के विकास में ग्रामों ने वहां योग दिया । इसके अतिरिक्त देश की तत्कालीन शासन-पद्धति एवं सुरक्षा-व्यवस्था ने भी कम योग नहीं दिया । पाटलिपुत्र आदि वडेजडे नगरों की कहानी ग्राम-समूहों में लिखी है । अथवा, जैसा हम आगे देखेंगे नगर-विधान तथा ग्राम-विधान के निवेश-नियम प्रायः समान ही हैं । ग्राम के बहुत् रूप को ही नगर की संज्ञा दी गयी है । राजमार्ग, मंगलवीथी अथवा प्रटक्षिणा, चैतन्योर्ड की पढ़ति के अनुसार विभिन्न वास्तुपद-विभाग (जहाँ पर अपने-अपने व्यवसाय एवं पद के अनुरूप आवास-भवनों का वर्गाकरण प्रतिपादित किया गया है), तड़ागों, कृपों, देवतायतन आदि की व्यवस्था तथा द्वार-निवेश-नियम—ये प्रायः सभी वास्तु-ग्रंथ ग्राम-निवेश एवं पुरनिवेश में प्रायः सर्वत्र समान प्रतिपादित हैं । अतः प्रकट है कि ग्राम एवं नगर—इन दोनों के निवेशोपक्रम एवं तत्सम्बन्धी विभिन्न विन्यास के सम्बन्ध के कारण ही ग्रामों को नगरों में परिणत करने—विकसित होने का प्रभ्रय मिला । यही कारण है कि पुरातन समय में जब यातायात एवं अन्य विभिन्न आधुनिक साधनों का अभाव था तो राजा लोग (क्योंकि प्राचीन समय में प्रायः माण्डलिक राज्यों का ही प्राधान्य था) प्रायः किसी सेविध्य-पूर्ण ग्राम में अपना महल बना कर रहते थे और वहां से उस ग्राम के चतुर्दिक् स्थित अन्य बहुत से ग्रामों के शासन-संचालन कर-एकत्रीकरण आदि का प्रयन्त्र करते एवं रक्षार्थी दुर्ग की स्थापना करते—इस प्रकार थोड़े ही समय में वह ग्राम राज-पीठ होने के कारण एक विशाल नगर में परिणत हो जाता था । भारतवर्ष के प्राचीन नगर जो अब भी अपनी पूर्वगरिमा अनुजुरण बनाये हुए हैं उनके इतिहास पर दृष्टि-पात करने पर यह तथ्य सहज ही समझ में आजायेगा । पाटलिपुत्र का उल्लेख हो चुका है । वीजापुर आदि अन्य बहुत से नगर इसी कोटि में आते हैं ।

इस प्रकार शब्द-कल्प-द्रुम के पुर-पर्यायों का आधार लेकर नगर-विकास के उपक्रम में प्रायः सभी विकास घटकों (Factors of Development) पर कुछ न कुछ प्रकाश पड़ चुका है । अब आगे पुर-प्रभेद पर विवेचन आवश्यक है । अतः उसकी अवतारणा के लिये यहाँ पर अब विराम लेना ही ठीक है ।

नगर-प्रभेद

यद्यपि गत अध्याय में पुर-पर्यायों की समीक्षा से विभिन्न पुर-विभेद—नगर-विभेद का कुछ आभास प्राप्त हो चुका है। परन्तु शिल्पशास्त्रों में नगर एवं ग्राम तथा दुर्ग के जो वर्गोंकरण दिये गये हैं, साथ ही साथ समाज़ण में जो नगर-प्रभेद पर योज्ञा सा संकेत है उन सब का समुद्घाटन कर देना आवश्यक ही है।

पीछे के प्रकरणों में यह बार-बार कहा गया है कि नगर और ग्राम का भेद आकार-भेद है न कि प्रकार-भेद। तथापि यह अधिक संगत होगा यदि ग्राम एवं नगर का विवेचन अलग अलग प्रकरणों में किया जावे। इसके अतिरिक्त नगर-निवेश के विभिन्न श्रंगों पर प्रकाश डालने के पूर्व प्राचीन भारत में नगर-विकास के कौन कौन स्वरूप विकसित हुए ? कितने प्रकार की ग्राम-निवेश-पद्धतिया प्रचलित हुई ? दुर्गों का सन्निवेश कितने प्रकार का था ? इत्यादि (नगर-प्रभेद, ग्रामप्रभेद तथा दुर्गप्रभेद—इन तीनों) का योज्ञा सा विवेचन आवश्यक है। यहाँ पर इस प्रकरण में हम नगर-प्रभेद का प्रतिपादन करेंगे।

पूर्व-प्रकरण में पूर्णरूप से यह प्रतिपादित किया गया है कि नगर-विकास की विभिन्न धाराओं—स्वरूपों, आकृतियों, एवं श्रेणियों के अन्तर्मध में नगर-विशेष के विकास की विशेषताओं के कारण ही नगर के विभिन्न विभेद परिलक्षित होते हैं। प्रत्येक नगर की अपनी एक निजी वैयक्तिकता होती है जिसकी छाप उसके कलेवर पर पूर्णरूप से परिलक्षित होती है। किसी सरितातट पर पनपे नगर की वैयक्तिकता किसी पार्वत्य-प्रदेश अथवा उपत्यका-भूमि में उत्थित नगर की वैयक्तिकता से सुतरा विभिन्न होगी ही—यह सहज वौधार्य है। इसी प्रकार देवतायतन की छाया में विकसित अथवा किसी आश्रम, उठज, कुटीर अथवा कुलग्रह से विकसित नगर की विशेषता भी उस नगर से जो किसी सागर-बेला पर विकसित हुआ है—अवश्य भिन्न होगी।

यहाँ पर इस तथ्य के सम्बन्धे के लिये एक बात और ध्यान देने की है कि पुरातन से नगर-निवेश की परम्परा में भवन-निर्माण की आवश्यक सामग्री (Material) सर्वत्र समान नहीं प्राप्त होती रही और न हो भी सकती है। जिसप्रकार से नगर-विशेष के विकास में वहा के प्राकृतिक-वातावरण से सम्बन्ध रखने वाली विशेषताओं का पूर्ण प्रभाव एवं योग होता है, उसी प्रकार विभिन्न नगरों के निर्माण में, उनमें आवश्यक भवन-निर्माण-सामग्री के संभार और जुटाव में वहा की प्राप्त सामग्री का ही प्राधान्य होता है। पापाण-पट्टिकाओं की सर्वत्र प्राप्ति तो नहीं हो सकती और न यातायात के सुकर साधन ही थे, जिससे उनका सुसंचार सर्वत्र सुकर होता। अतः पापाणमय-प्रासाद सर्वस्थारण कैसे हो सकते थे ? भवन-सामग्री के साथ-साथ देश-विशेष, जनपद-विशेष अथवा स्थान-विशेष की, संस्कृति-विशेष का भी प्रभाव तत्त्वद्वेशीय नगर-निर्माण अथवा भवन-प्रक्रिया में होता ही

है। यही कारण है कि इस विशाल देश के विभिन्न भूभागों में प्राचीन काल से ही विभिन्न तत्त्वदेशीय सामग्री से निर्मित एवं तत्त्वदेशीय-संस्कृति से प्रभावित नगर एवं भवन अपनी-अपनी निजी विशेषताओं के प्रोज्ज्वल प्रतीक प्रतीत होते हैं। इसी हेतु द्राविड़, महाराष्ट्र, आन्ध्र उत्तरापथ (नागर) आदि विभिन्न जनपदों में विकसित विभिन्न वास्तु-शैलियों के रहस्य को हम समझ सकते हैं।

नगर-विकास के प्रतीक-स्वरूप, विभिन्न-संशक नगरश्रेणियों का उल्लेख विभिन्न शिल्प-शास्त्रों में पाया जाता है—परन्तु सुविधा-वश उत्त महाशय की नगर-तालिका को आधार मानकर हम नगर-प्रमेद पर कुछ विवेचन करेंगे। उत्त महाशय के शब्दों में नगर-विमेद की यह तालिका मानसार एवं मयमत में प्रदृष्ट नगर-विमेद के अनुरूप है, परन्तु समराङ्गण के इस अध्ययन में समराङ्गण के आनुपङ्क्ति नगर-विमेद की चर्चा होनी ही चाहिये। इस सम्बन्ध में यहाँ पर इतना संकेत आवश्यक है कि समराङ्गण में नगर-निवेश पर केवल एक ही अध्याय—‘पुरनिवेशो नाम दशमोऽध्यायः’ है जिसमें नगर-पुर के तीन प्रधान वर्ग हैं—उत्तम पुर, मध्यम पुर तथा अधम पुर।

साथ ही साथ समराङ्गण के १८वें अध्याय (नगरादिसंजाध्यायोऽष्टादशः) में विभिन्न नगर-प्रमेद पर जो प्रकाश ढाला गया है उसका संकेत हम पहले ही कर चुके हैं। अब पुर-प्रमेद पर कुछ विशेष संकेत आवश्यक है।

इस अध्याय की सामग्री का परिशिष्ट में अवलोकन कीजिये। यहाँ पर उसका निम्न संक्षेप द्रष्टव्य है :—

“जहाँ पर राजा रहता है उसे राजधानी कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो नगर की संशाये हैं वे शास्त्रा-नगर आदि हैं। शास्त्रा-नगर को ही कर्वट कहते हैं जो नगर के सदृश होता है। कर्वट के कुछ गुणों से न्यून उसको निगम कहते हैं। निगम से छोटा ग्राम होता है। ग्राम-कल्पन्ह इह कहते हैं। गौओं के समूह का आवासस्थल गोष्ठ कहलाता है तथा उससे छोटे को गोष्ठक की पदबी दी गई है।”

“राजाओं का जहाँ उप-स्थानं (2nd capital, summer-capital) हो उसे पत्तन कहते हैं। वही पत्तन प्रचुर एवं समृद्ध वाणिज्य-व्यवसाय से युक्त हो तो पुट-भेदन कहलाता है।”

“तस्मत्रो, उनकी शास्त्राओं, धास, फूस आदि तथा पापाणचयों आदि संभारों को छुटा कर जहाँ कुटिया बना कर पुलिन्द लोग निवास करते हैं उसे पक्षी की संजा दी गयी है। उसमें छोटी पक्षिका। नगर को छोड़ कर अन्य सब वस्तियों को जनपद की संजा दी गई है। राष्ट्र, देश अथवा मरडत—ये सब नगर के ही अविकल समान हैं।” स. सू. १८ वाँ अध्याय।

“इसप्रकार से अभीतक हमने नगर-विभाग पर अविकल विवेचन किया। नगर के आधे विष्कम्भ के प्रमाण से खेट की रचना होती है। खेट के आधे विष्कम्भ-प्रमाण से ग्राम बनता है। पुर से एक योजन की दूरी पर खेट होता है तथा नेट ने एक योजन की दूरी पर ग्राम। एक ग्राम से दूसरा ग्राम दो कोस की दूरी पर होता है।”

“देश में सीमा का प्रमाण दो क्रोश, उससे आधे प्रमाण अर्थात् एक क्रोश से वह नगर की होती है। पुर में चारों दिशाओं के मार्गों का विष्कम्भ ३० धनुष के प्रमाण का होता है। वही खेटक में २०, और ग्राम में दस बताया गया है।”

“उत्तम राष्ट्र में नौ हजार एक सौ चौबन (६१५४) गाँव होते हैं। ऐसा विद्वानों ने बताया है। मध्यम राष्ट्र में गाँवों की संख्या पाँच हजार तीन सौ चौरासी (५३८४) होती है। कनिष्ठ राष्ट्र में एक हजार पाँच सौ अङ्गतालीस (१५४८) गाँव बताये गये हैं।”

“इस प्रकार से राष्ट्रों का विभाग कर लेने पर विधान-दक्ष स्थपति को समुचित एवं अनकूल भूभागों पर यथाशास्त्र प्रत्येक राष्ट्र में सात-सात नगरों का निर्माण करना चाहिये।”

समराङ्गण के इन अवतरणों के परिशीलन से नगर-प्रमेद की निम्न तालिका का संग्रह किया जा सकता है:—

अ. नगर

१. ज्येष्ठ नगर (पुर)
२. मध्यम नगर
३. कनिष्ठ नगर

ब शास्त्रा-नगर

४. राजधानी
५. पत्तन
६. पुटमेदन
७. निगम
८. खेट
९. कर्वट
१०. ग्राम

नगर-निवेश की पूर्व-पीठिका में नगर-निवेश संबन्धी औपोद्घातिक विवेचन के लिये समराङ्गण की नगर-विमेद-माला का यहाँ पर संकेत करना ही प्र्याप्त है। आगे उत्तर-पीठिका में जब हम नगर-निवेश के पूर्ण श्रंगों का प्रतिपादन करेंगे तो इस सम्बन्ध में विशेष चर्चा कर सकेंगे। अस्तु, अब ऊपर दत्त महाशय की नगर-तालिका का जो निर्देश किया गया था उसकी समालोचना करना है। दत्त महाशय ने अपने T. Planning in Ancient India में निम्न प्रकार के नगर-प्रमेदों का उल्लेख किया है:—

१. नगर	५. खेट	६. द्रोण-मुख
२. राजधानी	६. खर्वाट	१०. कोस्यकोलक
३. पत्तन	७. शिविर (सेनामुख स्कन्धावार)	११. निगम
४. दुर्ग	८. स्थानीय	१२. मठ या विहार

यह ऊपर वताया गया है कि दक्ष महाशय की यह तालिका मानसार तथा मयमत पर आधारित है, परन्तु मानसार में जो पुर-मेद दिये हैं उनमें पुर, नगरी तथा कुञ्जक ये तीन भेद इस तालिका में नहीं हैं। मानसार के अनुसार (देखिये Encyclopaedia of Hindu Architecture—Acharya) डाक्टर आचार्य महोदय ने नगरों को निम्न-लिखित आठ प्रकारों में विभाजित किया हैः—

१. राजधानी	५. खेट
२. नगर	६. स्वर्गट
३. पुर	७. कुञ्जक
४. नगरी	८. पत्तन

अस्तु । नगरी नगर का ही पर्याय मात्र है । पुर भी नगर का ही पर्याय है, परन्तु परम्परा से जिन नगरों के लिये प्राचीन साहित्य में पुर शब्द का प्रयोग किया गया है वे डॉ० आचार्य के ही शब्दों में (Ency. of H. Arch. see under Pura) एक विशाल सुरक्षित (fortified city) नगर के वोधक हैं । उदाहरणार्थ त्रिपुर तथा महापुर (यजुर्वेद तथा ब्रह्माण्ड पुराण द्रष्टव्य है) । हाँ इनमें अर्थात् पुरों में नगरों की रौनक तथा शान-शौकत नहीं भिलती है ।

अब रहा 'कुञ्जक' । यह भी एक नगर ही है परन्तु कामिकागम (२०. २५) के अनुसार यह महानगरों के किसी कोण-विशेष पर निविष्ट एक सुन्दर वस्ती है जहाँ पर लोग अवकाश के दिनों में महानगर से आ आकर रहते हैं अथवा मकान बना लेते हैं । यह एक Suburb होता है अथवा महानगर के अत्यन्त समीप एक ग्राम-विशेष का नागरिक उपकरणों एवं संभारों से विकसित स्वरूप ।

अब इन पर क्रमशः विवेचन करना चाहिये ।

नगर

नगर के सम्बन्ध में सर्वप्रथम हमें इसकी शब्द व्युपत्ति पर ध्यान देना है । नगर नग (न गच्छतीति नगः) से सम्भवतः सम्बन्ध हुआ है । जिसप्रकार एक नग पर्वत में पापाण शिलाओं के कारण पुष्टि एवं स्थायित्व होता है उसीप्रकार ऐसी वस्ती जिसमें पक्षे मकान हों तथा जिसकी दीवालें तथा छतें विशेषकर पापाण-शिलाओं अथवा तस इष्टिकाओं से निर्मित हों, उसको नगर की संज्ञा दी गयी है । इसके माध्य ही साथ जहा के निवासी ग्रामीण न होकर शिष्ट एवं सभ्य नागरिक हों—ऐसा भी अर्थ निकलता है ।

नगर की परिभाषायें विभिन्न शिल्प-ग्रन्थों, पुराणों तथा अन्य साहित्य सन्दर्भों में मिन्न-भिन्न रूप ने प्राप्त होती हैं । अतः उन सब की पुनरावृत्ति न कर यहा मानसार तथा मय-मत में उल्लिखित परिभाषाओं को दें देने से विवेचन सुकर हो जायेगा । मानसार में नगर की निम्न परिभाषा दी गयी हैः—

जसैः परिवृत् द्रव्यक्रयविक्रयकादिभि।
अनेकजातिसयुक्तं कर्मकारैः समन्वितम् ।
सर्वदैवतसंयुक्तं नगर चाभिधीयते ॥ (अ० ६)

मयमत में देखिय—

दिष्टु चतुर्द्वारयुतं गोपुरयुक्तं तु शालाक्यम्
क्रयविक्रयकैर्युक्तं सर्वजनावाससङ्कीर्णम्
सर्वसुराक्यसहितं नगरमिद केवल प्रोक्तम् ॥ (अ० १०)

इन दोनों परिमाषाओं में बहुत कुछ साम्य है । दोनों का अर्थ है—“जहाँ पर क्रय-विक्रय आदि विभिन्न व्यवहार होते हैं । नाना नर निवास करते हैं । अनेक जातियों के लोग पाये जाते हैं । विभिन्न श्रेणियों के कर्मकार (artisans) वसते हैं । अथवच जहाँ पर सब प्रकार के ऐष्ट देवों के देवतायतन स्थित हों उसे नगर की सज्जा दी गयी है ।”

नगर-निवेश के वास्तु-शास्त्रीय दृष्टि-कोण से चारों ओर चारों दिशाओं पर द्वार (gates) होने ही चाहिये । ये सब द्वार गोपुरों से परिवेषित होने चाहिये । नगर में वास-भवनों का सम्प्ल-विन्यास होना चाहिये । यातायात एवं क्रय-विक्रय आदि के कारण सदैव तत्परता, संकीर्णता एवं सम्बन्धता मी पद-पद पर परिलक्षित होती ही है । नाना-शिल्पोयपजीवियों का नगर केन्द्र होता है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी प्रमुख देवों के देवतायतनों से यह स्थान सदैव पवित्र रहता है । भारत की प्राचीन एवं अर्वाचीन दोनों ही परम्पराओं में नगर आन्यन्तरिक-वाणिज्य एवं व्यवसाय का केन्द्र होता है तथा प्रदेशीय ग्राम-समूहों—जिले का वह हेडक्टर होता है । नगर के प्रमाण, मार्ग, सीमा एवं वसति आदि पर आगे प्रकाश ढाला जायेगा । यहाँ पर नगर-प्रमेदों की साधारण समीक्षा ही अभिप्रेत है ।

नगर की आधुनिक रौनक सभाभवन (Assembly Halls) पुर-जन-विहार स्थान (parks) आराम, फौवारे तथा कासार (artificial lakes) आदि उपकरण पर समराङ्गण में बड़े सुन्दर संकेत हैं जिनका उल्लेख ‘पुर-निवेश’ अध्याय में (२२-२५ लोकों में) निभालनीय है—देखिये परिशिष्ट (अवतरण) भोज के ‘युक्ति-कल्पतरु’ में भी ऐसा ही प्रतिपादन है—प्रपा-मण्डप-कासार-काननाद्युपशोभिते ।

राजधानी

देश-विशेष अथवा मण्डल-विशेष के कतिपय समुन्नत नगरों में से एक नगर को राजधानी चुना जाता है । शासन-सौविध्य अथवा अनुकूल स्थिति ही इसके कारण होते हैं । समराङ्गण का प्रबन्ध हम देख ही चुके हैं “यत्रास्ते नगरे राजा राजधानी हु ता विदुः” अर्थात् जिस नगर में राजा रहता है अथवा शासन-पीठ होता है उसे राजधानी कहते हैं । आजकल मी तो वही परम्परा है । उत्तर-प्रदेश के प्रयाग, कानपुर, लखनऊ, अगरा, यनारस आदि अनेक महानगरों में से राज-पीठ के लिये, शासन-पीठ के, लिये पहले

प्रयाग अब लखनऊ को छुना गया है। मयमत-शिल्प शास्त्र में राजधानी पर वहाँ सुन्दर प्रवचन है जिसमें प्राचीन राज-पीठीय नगरों की सुन्दर भौंकी देखने को मिलती है।

“जिस नगर की आदादी पश्चिम तथा उत्तर में गहन हो तथा जिसकी समन्तात् दीवालें परिवाओं एवं प्राकारों से परिवृत हों। रक्षार्थ वाहसीमा में चारों ओर सैन्यशिविर भी स्थापित हों। इस प्रकार जहाँ पर पश्चिम एवं उत्तर भू-भागों पर जनावासों की स्थिति हो तथा पूर्व दक्षिण भू-भागों पर राजकर्मचारियों, सेनानियों एवं सैनिकों की वास-मवन-नीथी बनी हो। अथव जिसके द्वारों पर गोपुरों की मालायें शोभित हों। नगराभ्यन्तर प्रदेश पर सभी प्रमुख देवों के देवालय स्थित हों। नाना गणिकायें भी जहाँ विराजमान हों। इत्यत् समन्तात् उद्यानों की शोभा भी विवरी हो। राज-प्रासाद तो वहाँ होवे ही, साथ ही हाथी, घोड़े, प्यादे तथा अन्य सभी सेनाङ्ग, सैनिक एवं सेनानी रहते हों। विभिन्न जातियों के लोग जहाँ पाये जाते हों—उस नगर को राजधानी की संज्ञा दी गयी है।”
(म० म० १०) ।

कौटलीय अर्थगात् तथा शुक्रनीति के राजधानी-विवरण वडे ही सुन्दर हैं। शुक्रनीति में राजधानी के सम्बन्ध में लिखा है :—

“राजधानी नगर की आकृति सुन्दर, अर्धचन्द्रकार हो अथवा वृत्ताकार अथवा समचतुरश्चायताकार हो। प्राकार, मितियों एवं परिवाओं से परिवृत हो ही। इसका आभ्यन्तरिक निवेश अथवा विभिन्न वसतियों के अनुकूल हो। केन्द्र में सभा-भवन हो। वहाँ पर सतत कूप, तड़ाग, चापी, पुष्कर सुसम्पन्न हों। चारों दिशाओं पर चार मुख्य द्वार हों। इसके मार्ग विस्तृत हों, उद्यान तथा पुरजन-विहार-स्थान सुविरत्तु एवं एक कतार में हों। मंदिरों, मठों तथा पथिक-शालाओं की जहाँ पर वहुतायत हो।”
(शु० नी० अ० १) ।

पत्तन (तथा पुट-भेदन)

समराङ्गण के परिशिष्ट अवतरणों में पत्तन के सम्बन्ध में जो प्रवचन है—“उप-स्थानं भवेद्, राजा यत्र तत् पत्तनं विदुः।” अर्थात् जहाँ पर राजाओं का उपस्थान (2nd Headquarter) हो अर्थात् ग्रीष्मकालीन अथवा शीतकालीन राजपीठ हो उसे पत्तन कहते हैं। परन्तु समराङ्गण की यह पत्तन-परिभाषा परम्परागत-शिल्पशास्त्रों एवं व्यावहारिक साहित्य संदर्भों के अनुकूल नहीं जँचती—ऐसी सम्भवत, शंका उठ सकती है। परन्तु यह बात नहीं है—अमरकोप को देखिये (मणिप्रभा—हरगोविदशास्त्री) जहाँ पर नगर के पर्यायों की टिप्पणी में लिखा है “जहाँ राजा के नौकर आदि वसते हैं उसके पत्तनम्, पुटभेदनम्, वे दो नाम हैं” अतः अर्थात् जहाँ गजा के नौकर रहते हैं वह स्थान राजा का उपस्थान हो ही सकता है। वही उप-स्थान यदि व्यवसाय तथा वाणिज्य का केन्द्र हो तो पुटभेदन के नाम से पुकारा जाता है—वहुस्फीतवणिग्युक्तं तदुकुं पुटभेदनम् (न द. १८ व० अ०)। अतः पत्तन एवं पुटभेदन की समराङ्गणीय साहचर्य परम्परा प्रचलित परम्परा नहीं रहती।

मयमत के पत्तन-प्रवचन का पूर्व-उल्लेख हो ही चुका है । (देखिये नगर विकास—दूसरा अध्याय) अब मानसार को देखिये ।—

कथविक्षयसंयुक्तमविभातीरसमाश्रिम् ।
देशांतरागतजमैनानाजातिभिरन्वितम् ॥
पत्तन तव समाख्यातं वैश्यैरध्युषितं तु यत् ॥ मा० नवाँ अ०
पत्तनसज्ज तद्वत् पोतान्वितवारिधितटोपेतम् ॥ मनु० च० अ० १७ ।

मानसार में पत्तन की जो परिभाषा दी है तथा मनुष्यालय-चन्द्रिका में परन पर जो प्रवचन है—इन दोनों को मयमतीय परिभाषा के साथ लेकर जिस निष्कर्ष पर हम पहुँचते हैं उसके अनुसार पत्तन एक प्रकार का वृहत् वाणिज्य बन्दरगाह है जो किसी नदी या सागर के किनारे स्थित होता तथा जहाँ पर प्रधान-रूप से वाणिक-गण निवास करते हैं । अथवा कोटिलीय अर्थ-शास्त्र के परिशीलन से पत्तन के दो रूप प्राप्त होते हैं—पत्तन तथा पट्टन (जो प्रायः पत्तन का ही विकृत रूप सामान्य रूप से समझा जाता है) । इनका रूप पूर्व निर्दिष्ट पत्तन-विशेषताओं से ही प्रभावित है ।

दु०

यतः दुग्ग-प्रमेद पर इस ग्रंथ में एक अलग अध्याय है अतः दुर्ग सर्वधी समीक्षा वहाँ द्रष्टव्य है ।

खेट

खेट के सम्बन्ध में समराङ्गण में (देखिये पुर-निवेश नामक दसवा अध्याय) जो निर्देश है उसका साराश यह है कि नगर खेट एवं ग्राम इन तीनों के निवेश में खेट वीच का है—नगर से छोटा परन्तु गाँव से बड़ा । अतएव नगर के विष्कम्भ के आधे के प्रमाण से खेट का विष्कम्भ प्रतिपादित किया गया है । नगर से एक योजन की दूरी पर खेटक या खेट का निवेश अभीष्ट है । जहाँ नगरों के मार्गों के विष्कम्भ का प्रमाण ३० धनुष है, वहाँ खेटक के मार्गों का २० धनुष ।

खेट के सम्बन्ध में भोज का यह वर्णन ब्रह्मारड पुराण से प्रभावित हुआ है [देखिये ब्रह्मारड पुराण के निम्नोद्घृत श्लोक ।—

तरस्तस्त्विमिंयामासु । खेटानि च पुराणि च ।
ग्रामरचापि यथायोगं तथैव नगराणि च ॥
खेटानाऽप्तु पुराणं च ग्रामाणां चैव सर्वश ।
विविधाना च दुर्गाणां पर्वतोदकधन्विनाम् ॥
नगरादर्धं विष्कम्भः खेटं पर तदूर्धतः ।
नगरादधंयोजनं खेटं खेटाद् ग्रामोऽर्धयोजनम् ।

इस प्रकार खेट या खेटक एक प्रकार का छोटा नगर होता है जोकि समतल भूमि पर किसी सरिता के तट पर स्थित होता है अथवा बन-प्रदेश में भी इसकी स्थिति अनुकूल

है यदि छोटी-छोटी पहाड़ियाँ समीपस्थ हैं। इसके चारों ओर ग्राम होते हैं। इनीलिये भी कुमार ने अपने शिल्प-ग्रन्थ में लिखा है:—

‘ग्रामयो. खेटकं मध्ये राष्ट्र-मध्ये सर्वव्याप्त्य,’ अर्थात् दोनों ग्रामों के मध्य में अथवा ग्रामसमूहों के मध्य में एक समृद्ध लघुकाय नगर को ‘खेटक’ के नाम से पुकारा जाता है तथा राष्ट्र-मध्य में उसी को खर्वाट की संज्ञा दी गयी है।

खेट-नगर की इस साधारण विशेषता के साथ-साथ एक दूसरी विशेषता यह है कि इस नगरकी आवादी विशेषकर शूद्रों तथा कर्मकारों की होती है इस तथ्य का पुष्टीकरण मयमत की निम्नलिखित परिभाषा से प्रकट है:—

शूद्रैरभिषित यज्ञद्युचलावैषितं तु तद्, खेटम् ॥

मयमत १० वाँ अ०

अर्थात् जो शूद्रों से अभिषित हो तथा नदी और पर्वत से आवैषित हो उन्हे खेट कहते हैं।

खेट की तीमरी विशेषता यह है कि इसका प्राकार मृन्मय—“पासुप्राकार-निवड़ खेटम्”—“खेटनि धूलीप्राकारोपेतानि” (देलिये कौटिल्य-अर्थशास्त्र अ० २२वा पृ० ४६वा टिप्पणी)

खेटक के समन्वय में एक संकेत और आवश्यक है। श्रीकुमार जी के खेट के विषय में पूर्वोद्धृत प्रबचन के आगे निम्न प्रबचन मिलता है:—

वने वा नगरोपान्ते नागरैस्तु जैमैषुंतम् ।
ज्ञेत्रारामाकरोपेत शाखानगरमिष्यते ॥

अर्थात् यह खेट कहीं अपने व्यवसाय (Industry) अथवा कला-कलाओं के कारण अथवा फिर किसी आकर (स्थान) आदि विशेषता के कारण अधिक समृद्ध यदि हो उठा हो तो उसे शाया-नगर कहना समीचीन होगा।

खेटक की यह एक परम्परा है। यह सम्भवतः वास्तु-शास्त्रीय दो परम्पराओं—पौराणिक तथा आगमिक—में से पौराणिक परम्परा है। कामिकागम का निम्न वचन द्रष्टव्य है:—

वने जनपदे चैव केवले शूद्रसेवितः ।
कर्षटकः खेटको प्रामः क्रमात्विविधसीरितः ॥

अतः निश्चित है कि इन परम्परानुसार खेटक में केवल शूद्र ही लोग रहते थे। आज भी देहातों की वस्तियों की ओर ध्यान दीजिये। रेहों, न्यरों के नाम ने प्रभिन्न छांटे-द्योटे ग्रामों में प्रायः नीच जाति के लोग रहते हैं।

खर्वाट—

अभी तक नेट के उद्घारण में पड़े रहे। अब खर्वाट की “श्राट” ने नगर-वादिका के आगे के पिट्ठों को देखें।

खर्वाट-नगर की मुख्य विशेषता यह है कि यह पार्वत्य-प्रदेश पर होता है। मयमत देखिये:—

‘परितः पर्वतयुतं खर्वाटकं सर्वजनसहितम् ॥

(मयमत दसवा अ०)

अर्थात् सब प्रकार के मनुष्यों से आवासित एवं चारों ओर पर्वतों से आच्छादित नगरों को खर्वाटक या खर्वाट कहते हैं। इस नगर के परकोटे के सम्बन्ध में उल्लेख मिलता है कि “कुल्लकप्राकारवेष्टितं खर्वटम्” उसका प्राकार बहुत बड़ा न होकर साधारण छोटा सा होता है—ठीक ही है, क्योंकि जिस नगर के चारों ओर पहाड़ियाँ हैं तो वे सुतरा प्राकार का सम्पादन करती ही हैं। अथवा खर्वट की स्थिति श्रीकुमार जी के ऊपर उद्धृत वचन के अनुसार राष्ट्रमध्य (जनपद-मध्य में) बतायी गयी है। इसी तथ्य का पुष्टीकरण चाणक्य के अर्थ-शास्त्र में प्राप्त होता है। कौटिल्य के मत में खर्वटिका अथवा खर्वाटिका निवेश एक दुर्ग के रूप में होता है जो दो सौ ग्रामों की रक्षार्थ निविष्ट होता है—“द्विशत्ग्राम्या खर्वाटिकाम्” (कौ० अ० अ० १२)

दत्त महाशय ने अपनी पुस्तक में (T. Planning in Ancient India page 279) जो इसके प्रमाण पर प्रकाश डाला है उससे यह स्पष्ट है कि यह खर्वाट खेट से बड़ा होता है। खेट का प्रमाण उत्तम, मध्यम एवं अधम अथवा ज्येष्ठा, मध्यम तथा कनिष्ठ प्रमेद से क्रमशः २५६, ३२० तथा ३८४ दरड होता है वहाँ खर्वाट का प्रमाण उसी त्रिविध प्रमेद से ४४६, ५१२ तथा ५७६ दरड नियत किया गया है।

मानसार के अनुसार (देखिये Dr. Acharya—Encyclo. of Hindu Architecture page 137) खर्वाट का प्रयोग ग्राम के अर्थ में भी है साथ ही खर्वाट शब्द का प्रयोग राजकीय भोजन-शालीय-मरणप के लिये भी संकेतित है:—

“नृपाणां भोजनार्थं स्यात् खर्वटाख्यन्तु मरणपम् ॥ ३४८ अ०

शिविर

इसकी विस्तृत समीक्षा आगे के अध्याय ‘तुर्ग-प्रमेद’ में की गयी है।

स्थानीय

‘स्थानीय’ नामक नगर के लिये चाणक्य ने तो दुर्ग कहा है। ८०० ग्रामों के मध्य में स्थानीय नामक तुर्ग-विशेष की स्थापना ‘अर्थ-शास्त्र’ का आदेश है। अथवा मयमत तथा शिल्परत्न के स्थानीय-विपर्यक समुद्ररण समुद्रेष्य हैं:—

नद्याद्विपार्वयुक्तं नृपभवनयुतं सबहुरचम्
यन्नपतिस्थपतिकं तत्र स्थानीयं रुमुद्दिष्म् ॥

(म० म० अ० १०)

पर्वतस्थाथवा नद्याः पार्वते राजवक्षान्वितम्
राष्ट्रस्थान्तकपाक्षाय तत्र स्थानीयं विद्वुर्धाः ॥

(शि. २० ४)

इसप्रकार स्थानीय नगर की स्थिति किसी सरितातट पर अथवा पर्वतीय उपत्यकों-प्रान्त में बतायी गयी है। यहाँ रक्षार्थ सैनिकों की स्थापना आवश्यक है। यह एक प्रकार का Muffasil town अथवा डिवीजनल आफीर का हेडकार्टर है।

'स्थानीय' शब्द के शब्दार्थ पर यदि हम ध्यान दें तो वाच्यार्थ के साथ-साथ बास्तु-शास्त्रीयपरम्परा में उसके विकसित स्वरूप के मर्म को हम समझ सकते हैं। वाच्यार्थ तो एक मात्र लोकल fortified town हुआ—स्थानीय से लोकल तथा fortified town तो सर्व-साधारण-विशेषता। परन्तु इसमें एक हृतिहास भरा है। प्राचीन-काल में जब आधुनिक साधनों का अभाव था तो राज्यसत्ता एवं राज्य-व्यवस्था सदैव एक सी स्थिर नहीं रहती थी। अतः आवश्यकतानुसार राजा लोग अपने अपने स्थानीय हेडकार्टर स्थापित करते रहते थे—वदलते रहते थे। अतएव कालान्तर में इसप्रकार के नगर-विशेष की संज्ञ ही स्थानीय पह गयी। आगे चल कर जब शान्ति एवं सुरक्षा में स्थिरता आई तो फिर स्थानीय नगरों में राजा की ओर से सुरक्षाहेतु एवं कर-एकत्रीकरणार्थ राज्य की ओर से कोई उच्च राज्याधिकारी रहने लगा। आधुनिक भारत में कमिशनरियों के तिये हम स्थानीय शब्द-वाच्य नगर का प्रयोग कर सकते हैं।

द्रोणमुख

द्रोणमुख एक प्रकार का आपणकन्नगर market town है। यहाँ पर व्यवसायियों का आनाजाना लगातार रहता है। इसकी स्थिति किसी नदीतट पर अथवा सरिता-संगम अथवा सागर-बेता पर बतायी गयी है। इसका दूसरा नाम द्रोणमुख भी है। श्री कुमार जी के अनुसार यह नगर एक प्रकार का बन्दरगाह है जहाँ पर जहाज आते जाते हैं और विश्राम लेते हैं—शिल्परत्न अ० ५।

तदेवाव्येश्च नद्याश्च संगमागतपोक्तकम्
द्वीपान्तरवयिग्न्युष्ट विद्वर्द्योमुखं त्रुधा॥

यह द्रोणमुख अथवा द्रोणमुख मयमत के अनुसार 'विडम्ब' वन जाता है यदि ग्रामों के समीप में स्थित होता है। मयमत का भत्त है।—

नद्याच्छदच्छिणादचिणाभाग विणादिसंयुक्तम्
सर्वज्ञावासं यद् द्रोणमुखं प्रोक्तमाचार्यः
प्राभपमीपे जनताक्षयमिदमुद्दितं विडम्बमिति ॥

(म० म० १०)

इत्तमहाशय के संकेत ने द्रोणमुख की एक तीसरी विशेषता भी है जिसके अनुसार यह एक व्यावसायिक केन्द्र के रूप में परिणित किया गया है। ४०० ग्रामों के बीच इसकी स्थिति उन स्थानीय ग्रामों (Local villages) की आवश्यकताओं की पृत्ति हेतु प्रतिपादित की गयी है।

द्रोणमुख के निवेश-नियमों में भिन्न भिन्न परिमाणों का भी शास्त्रीय में परिगणन मिलता है जिसने इसके कुट्ट, ताधारण एवं विगाल सभी रूप मिलते हैं।

कौटमकोलर्क

यह एक प्रकार का आरण्यक नगर है। पर्वतों के मध्य में भी इसकी स्थिति हो सकती है। भिन्न भिन्न स्थानों के अनुरूप इसकी विभिन्न निवेश-परम्परायें शास्त्र में प्रतिपादित हैं। दत्त महाशय ने ५ प्रमेदों का संकेत किया है जो १८० दरड से ५०० तक जाते हैं।

निगम

इस नगर की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि इसमें विशेषकर कलाकार—कारीगर शिल्पी लोग रहते हैं। यह बड़े ग्राम एवं बड़े नगर के बीच की बस्तीवाला नगर (town) कस्ता कहा जा सकता है। समराङ्गण के नगर-प्रकार-प्रवचन की पंक्तियों का समुद्दरण हो चुका है। उनमें निगम का दर्जा केवल ग्राम के ऊपर तथा नगर-श्रेणियों के बीच निर्दिष्ट किया गया है।

मयमत तथा शिल्परत्न के विवरण भी इस प्रसङ्ग में अत्यन्त महत्व पूर्ण हैं।

चातुर्वर्णः कर्मकारैर्नानाकर्मोपजीविभिः

पर्याश्वधनधान्याध्ययुक्तं तु निगमं स्मृतम्

शि० २० र.

चातुर्वर्णसमेतं सर्वजनावाससङ्कीर्यम्

बहुकर्मकारयुक्तं यज्ञिगमं तत्र समुद्दिष्टम्

म. म. १०

यद्यपि इस नगर में विशेषकर शिल्पयों की वसतिया होती हैं तथापि इन प्रवचनों के प्रमाण से चारों वर्णों के लोगों के भी इसमें निवास होते थे—इसमें सन्देह नहीं परन्तु प्राधान्येन शिल्पी लोग रहते होंगे।

निगम-नगर के विकास सम्बन्धी परम्परा में इसकी संशा—निगम का महत्व है। निगम का शब्दार्थ तो व्यापार-मार्ग है—Trade route—अतः कालान्तर में इसी विशेषता के कारण नगर का नाम भी निगम पड़ गया।

मठ अथवा विहार

मठ या विहार उन विद्यास्थानों—विश्वविद्यालयीय नगरों की संज्ञा दी गयी है, जिनकी महत्ता एवं गरिमा के गर्व से आज भी हमारा बहु गर्वस्फीत है। वैसे तो मठ या विहार उस स्थान को कहते हैं जहाँ छात्रों के आवास एवं अध्ययन के स्थान हों। परन्तु कालान्तर पाकर जैसा कि नगर-विकास के प्रकरण में निर्देश किया जा चुका है ये ही छोटे-छोटे गुरु-गृह, कुल-पति-कुटी, छात्रावास, भिन्न-उटज बड़े नगरों के आकार में परिणत हो गये। ऐसे विश्वविद्यालयीय नगर (University towns) आज भी पाये जाते हैं। कैम्ब्रिज, आक्सफोर्ड, वाराणसी, प्रयाग, आदि विभिन्न आधुनिक विश्वविद्यालयीय नगरों को कौन नहीं जानता? प्राचीन भारत में ऐसे नगरों में केवल दूरदूरगत छात्र

ही नहीं रहते, पढ़ते, श्रान्तुसन्धान एवं गवेषणा करते, व्रहन्चर्य (व्रहन्चित्तन एवं वेदाध्ययन तथा वीर्यरक्षण) पालन करते, वरन् विभिन्न जिजासु लोग भी आकर इनकी छाया में रहते, चित्तन मनन, एवं भजन करते, शान्ति पाते थे । विभिन्न सम्प्रदायों के मिल्लु-वृन्द, परिव्राजक-गण, साधु-टौलियों भी यहाँ विचरण करता था । वडे-बडे धर्मों के आचार्य अपने-अपने धर्म चक्रों का श्रीगणेश भी करते थे । वडे-बडे दार्शनिकों ने अपने-अपने दर्शनों की रक्षना की । ऐसे नगरों में खाद्य एवं पेय का पूर्ण प्रवन्ध होता था । शान्ति का साम्राज्य, तपस्या और साधना का वातावरण सैवित्र्य एवं सादगी का आदर्श सर्वत्र विराजमान रहता था । भारत की महान् सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण में इन नगरों ने बड़ा योग-दान दिया । काशी, सारनाथ, नालन्दा और तक्षशिला के इतिहास की गाथा के समुच्चित पृष्ठ—भारतीय सभ्यता की गौरव-भावा को कौन नहीं स्वीकार करेगा ?

यहाँ पर यह स्मरण रहे कि प्राचीन भारत के सभी प्रकार के नगरों की जो सर्व-साधारण विशेषता उसकी रक्षा-योजना (प्राकार-योजना अथवा मैन्य-स्थापना) थी वह इस नगर-प्रमेद में भी पायी जाती थी । सभ्यतः इसी दृष्टिकोण को लेकर श्री कुमार ने अपने शिल्परत्न में मठीय नगरों के सम्बन्ध में निम्न परिभाषा दी है:—

आगन्तुकानां च सर्वोपां मैषिकानां निवासभूः
अक्षपानीयसंयुक्तः कैवल्यो वा भठो भतः
विद्यास्थानं तु तद्वत् स्पात बहुसेना-समन्वितम् ॥

इस परिभाषा का अन्तिम चरण ‘बहुसेना-समन्वितम्’ इसी उपर्युक्त तथ्य का निर्देशक है ।

हैवेल साहव ने प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयीय नगरों के सम्बन्ध में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Indian Architecture में ऐसे नगरों के विकास में जो भारतीय संस्कृति की आधार-भूत विशेषता व्रात्यरणाधिवास अथवा आश्रम-व्यवस्था को प्रश्रय दिया वह ठीक ही है । उनके शब्दों में:—

“ And as the Brahmans became the custodians of Aryan traditions and culture, the Asrama or Brahmana village developed into the University town to which Aryan Youth of the twice-born went for Instruction ”

अर्थात् जब व्रात्यरण लोग आर्य-संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षक बने तो उनके निवास—आश्रम अथवा अधिवासीय ग्राम (व्रात्यरणाधिवास देखिये हर्य-चरित) एक विश्वविद्यालयीय नगर में परिणत हो जाते थे । क्योंकि उनकी विद्वत्ता एवं पारिवर्त्य की कीर्ति को सुनकर हजारों की तादाद में शिष्यमरडती उनके गिरजाग्रहण करने के लिये आती थी ।

त्रस्तु ! इस प्रकार नगर-प्रमेदों की समीक्षा ने हमने देखा कि मानवीय विभिन्न ध्यापारों के अनुरूप विभिन्न श्रावासोपयुक्त विभिन्न नगरों का निर्माण मानवसभ्यता की

सर्वतोमुखी आवश्यकताओं की पूर्ति के ही कारण सर्वन्र—इस देश तथा विदेश में हुआ । अतः नगरों के विभिन्नप्रकार उसी तथ्य के चोतक हैं। इन प्रकारों में मन्दिर-नगरों Temple cities—जो प्राचीन भारत की अनुपम निधि कही जा सकती हैं—पर विवेचन इसलिये नहीं किया गया, क्योंकि इन पर पूर्व अध्याय में नगर-विकास में काफ़ी संकेत हो चुका है। अर्थच जहाँ तक आधुनिक उद्यान-नगरों garden cities का प्रश्न है उन पर ग्राम के अध्यायों में अवसर-प्राप्त विवेचन होगा। अतः इस स्तम्भ से अग्रसर होकर अब ग्राम-प्रमेद पर आना है।

ग्राम-प्रभेद

लेखक ने पिछले प्रकरणों में यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि ग्राम और नगर में भारतीय वास्तु-परम्परागत-शास्त्रों के अनुसार 'प्रकार' का भेद नहीं है केवल 'आकार' का है। भारत के बहुत बड़े-बड़े प्राचीन नगरों की आत्मकथा का प्रारम्भ एक छोटे से ग्राम की कहानी है। पांटलिपुत्र से बढ़कर कौन भारत का प्राचीन नगर था। पाटलिपुत्र को आत्मकथा का श्रीगणेश थोड़े से गावों में प्रारम्भ हुआ। इसी प्रकार अन्य नगरों का भी इतिहास है।

चच तो यह है (जैसा कि पूर्व प्रकरणों में संकेत किया गया है) कि मनुष्य के इन-सहन, निवास, परिधान तथा भोजन-मजन के ढंग पर उसकी अपनी मौलिक सम्यता एवं संस्कृति की प्रण छाप रहती है। इस अध्यात्म-प्रधान देश में मरलजीवन-यापन की नहुमुनी अथवा भावभौमिक विशेषता के कारण, और्योगिक नगरों एवं बड़े-बड़े कार्यालयों का विकास सामान्य रूप में सम्भव नहीं था। इस कृषि-प्रधान देश में ग्रामीण सम्यता ने ही विशेष प्रथय पाया। फलतः ग्रामों की अधिकता सहज ही समझ में आ सकती है। जलातर में कुछ ग्राम अपनी स्थिति एवं सुविधानुसार तथा राजपीठादि (मंदिर, अथवा विद्यापीठ अदि) पूर्वोक्त कारणों से बड़े-बड़े महाग्रामों अथवा नगरों में परिणत हो गये। अतः ग्राम और नगर का भेद एकमात्र आकार भेद ही रहा। नगर का आकार एवं विस्तार बहुद, ग्राम का लघु। दत्तमहाशय के शब्दों में "Village is a town in miniature"।

इस प्रकार नगर और ग्राम में सामय होते हुए भी पर्याप्त भेद था, और है। वहाँ ग्राम अकृत्रिम एवं प्राकृतिक हैं वहाँ नगर कृत्रिम तथा मानविक हैं। वहाँ ग्राम के विकास में नैसर्गिक विकास के दर्शन होते हैं वहाँ नगर के विकास में, उसकी विवृद्धि में मनुष्य-प्रदत्त कृतिमता का पुट पद-पद पर परिलक्षित होता है।

ग्रामों की इस सर्वसाधारण विशेषता के अतिरिक्त कौटिलीय शृंखलाओं की एक दूसरी परम्परा है, जिसके अनुसार ग्रामों का विकास भी नैसर्गिक आवश्यकताओं एवं साधनों के अतिरिक्त सैन्य-पंचाल में अथवा शासन-मौविष्य के अधार पर भी है। इस सम्बन्ध में ग्राम-निवेश एवं ग्राम-निर्माण के विषय में कौटिल्य के निम्न प्रवचन दिये जाते हैं:—

शूद्रकृपं हपायं कुञ्जशतवरं पञ्चशतकुञ्जपरं ग्राम भोशादिक्षेशमीमांसं भ्रायोऽन्यरसं निवेशयेत् । नदी-शैड-ज्ञन-धृष्टि दरी-सेतुबन्ध शालमध्ये शमी-क्षीरवृक्षान् अतेषु सीमां रथापयेत् ।

अष्टशतग्राम्यमत्ये स्थानीयचतुरशतग्राम्याद्रोणमुखं द्विशतग्राम्यां स्वर्वाटं दशग्राम्या संप्रदेषं संप्रदयं स्यापयेत् ।

अर्थात् ग्राम जिनमें, कि प्रत्येक में कम से कम सौ शहद्र अथवा कृषक परिवार तथा अधिक से अधिक ऐसे पॉच सौ परिवार हों, स्थापित किये जावें। प्रत्येक की सीमा एक कोस से दो कोस की हो। इनकी रक्षार्थ अपनी अपनी स्थित्यनुरूप पारस्परिक रक्षा का प्रबन्ध हो। सीम का पार्थक्य अथवा निर्धारण एक नदीविशेष, पर्वतविशेष, बनविशेष, वाल्मीकिति वीरुद्धविशेष, कन्दरायें, पुल अथवा वृक्षविशेष जैसे शाल्मजी, शमी अथवा कीरवृक्ष आदि से सम्पादित की जावे।

इन ग्रामों की रक्षार्थ द१०० ग्रामों के बीच स्थानीय दुर्ग २०० के बीच द्वाणमुख दुर्ग तथा १० ग्रामों के बीच में संग्रहणदुर्ग की स्थापना की जावे।

महामंत्री चारणक्य के द्वन आदेशों से तो राजा के लिये ग्रामों की स्थापना करना कृत्रिम हो जाता है। ग्राम-निवेश की इस कृत्रिमता के अन्तर्तम में जो रहस्य है उस पर प्रथम ही संकेत हो चुका है। राजपीठीय नगरो—राजधानियों को संकीर्ण होने से बचाने के लिये आवादी के कुछ अंशों को, नये-नये गावों का निर्माण करके, वहाँ भेजना अथवा विदेशियों का इन नव-निविष्ट ग्रामों में रहने के लिये प्रोत्साहित करना—ये ही प्रायः इन कृत्रिम ग्रामों की रचना के हेतु हैं।

ऐसे ग्रामों के विकास के सम्बन्ध में जो एक और संकेत है वह है सैन्य-सचालन-प्रयोजन। इस की पुष्टि दत्त-प्रदत्त उम्माग जातक की (देखिये T. P in Ancient India page 198) एक कहानी से हो जाती है। युद्ध-प्रस्थान के लिये उद्यत एक राजा ने अपने मंत्री को आज्ञा दी कि वह प्रस्थान-पथ पर ग्रामों का निर्माण करे। मंत्री ने वैसा ही किया तथा राजा से निवेदन किया—‘महाराज! अब विलम्ब न करें। सात-सात योजनों की दूरी पर मैंने आपकी आशानुसार ग्रामों का निर्माण करा दिया है तथा उनमें विश्राम स्थान आदि के साथ-साथ भोजन-बल, आभूषण, यान, अश्व, गज आदि सभी आवश्यक वस्तु-संभारों का चिन्यस एवं प्रबन्ध भी कर दिया है।’

अतः प्रकट है कि ग्राम-विकास का कारण, जहाँ स्वतः उदय होना तो सबसाधारण रूप से था ही, और भविष्य में भी होगा वहाँ इस नैर्सिरिक विकास के अलवा दूसरी कोटि राजनैतिक एवं सैनिक कारणों के योग की भी है यह सिद्ध होता है।

कौटिल्य के इस उपर्युक्त प्रबन्धन के परिशीलन से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रामों के प्रादुर्भाव के इर साकेतिक समीक्षण के उपरान्त उनकी आवादी के विवेचना आवश्यक है। चारणक्य ने जो लिखा है कि ग्रामों की आवादी के अविरल अग कृष्णोपजीवी शहद हैं, उसका पौष्ण-मार्कंडेय-पुरुष के निम्न वचन से भी होता है:—

तथा शूद्रननप्राय सुप्रसूद्रकृपीवला।
क्षेत्रोपयोगभूमध्ये व रति ग्रामपचिका ॥

परन्तु ये निर्देश आपूर्ण सत्य के बोतक नहीं हैं। इनकी आशिक सत्यता में दो रायें नहीं हो सकती। परन्तु मयमत आदि शिल्प-ग्रन्थों में इस के विपरीत प्रमाण मिलते हैं जिससे यह सुस्पष्ट है कि शद्वेतर जातियों एवं व्राज्यण आदि भी ग्राम के प्रमुख निवासी होते थे।

वाण ने 'श्रावणाधिवास' नामक ग्राम का हर्षचरित में वर्णन किया है। इस परम्परा की पुष्टि में मयमत के निम्न प्रवचन विशेष रूप से द्रष्टव्य है—

द्वादशमहस्रविशेषज्ञिदितमुत्तमोत्तमं ग्रामम् ।
दशसाहस्रै मध्यमधमं स्याददृसाहस्रैः ॥ २५ ।

६ चौं अ०

मयमत के इन प्रवचनों के परिशीलन से ग्रामों में शहदेतर उत्तमवर्णी व्रासणों की वस्तियाँ होती थीं। विभिन्न-संख्यक व्रासण-मवनों के अनुरूप ही उत्तम, मध्यम तथा अधम ग्रामों का संख्यान किया जाता था।

इस सम्बन्ध में ध्यान देने की वात यह है कि मयमत आदि प्राचीन शिल्प शालों में प्राचीन भारतीय-जीवन की उम भक्तक के दर्शन होते हैं जब भारतीय-जीवन अधिकाश ग्रामीण था। चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में भारत का नागरिक जीवन अत्यन्त विकास को प्राप्त हो चुका था। अतः नागरिक चालाक्य यदि ग्रामों में शहद आदि निम्न श्रेणी के लोगों की वस्ती पर संकेत करता है तो विशेष आश्चर्य की वात नहीं। ग्रामों की आवादी की इस साधारण समीक्षा के उपरान्त ग्राम-प्रभेद पर प्रकाश डालने के पूर्व एक तथ्य की ओर पाठकों का ध्यान और आकर्पित करना है। जहा आज भी प्राचीन नगरों के पर-कोठों के भग्नावशेष विद्यमान हैं—देखने को मिलते हैं, वहाँ ग्रामों के प्राकारों की शायद ही कहीं उपलक्ष्य होती हो। इसके दो कारण हैं। एक तो ग्रामों का निर्माण ताथारण, तत्त्वदेशीय सृतिका, काष्ठ, घास-फूस आदि से सम्पन्न होता था अर्थात् ग्रामों के भवन मून्य (mud houses) होते थे, अतः उनमें स्थायित्व के तत्त्व कहा रह सकते थे ? ग्रामों के पुराने मकान गिरते गये, नये बनते गये। अतः प्राचीन ग्रामों के भग्नावशेष पराङ्गडहरों में अथवा भूगर्भ में विलीन ही प्राप्त हैं जो खुदाई ने अव्ययन अथवा रोज में कुछ भी सहायक नहीं बन सकते। दूसरा कारण यह है कि ग्रामों की प्राकार-प्रक्रिया पुस्तकों तक विशेष सीमित रही, प्रयोग में वह पूर्णरूप ने नहीं पनप सकी। ठीक भी है, प्राकारादि-निवेश-प्रक्रिया तो मानवीय विशेष है, कृतिम अधिक है—नैसार्गिक कम है। ग्रामों के विन्यास के आधार-भूत सिद्धान्तों की समीक्षा में स्वतःप्रवृत्त ग्राम-विकास की ओर पाठकों का ध्यान पूर्व ही आकर्पित किया जा चुका है। अतः स्वतःप्रवृत्त ग्रामों में प्राकार आदि सन्निवेश सर्वसाधारण हो ही नहीं सकता। यततत्र एक दो ग्रामों की वह विशेषता हो सकती है। उनीं विशेषता ने सम्भवतः प्रभावित होकर मानसार आदि गिल्प-शास्त्रीय ग्रन्थों में भी नगर-निवेश एवं दुर्ग-निवेश के सामान्य नियमों—प्राकार-परिज्ञा आदि प्रक्रिया का समान रूप से ग्रामों के सन्निवेश में भी उत्तेज किया गया है।

यह पूर्व ही संकेत किया जा चुका है कि मानसार, मयमत आदि वास्तु-आन्तीय ग्रंथों में नगर, दुर्ग तथा ग्राम के निवेश एवं विभिन्न श्रंगों के विन्यास में प्रकार का अन्तर नहीं, शाकार का ही अन्तर है। तीनों ही सुरक्षित स्थान (Fortified places) बताये गये हैं। इस जहा दुर्ग-निवेश का प्रमुख उद्देश्य रक्षार्थ सैन्यावास था वहाँ ग्रामों एवं नगरों के निर्माण जो प्रयोजन आयान-न्यापन था। वहाँ पर यह सम्भव नहे जैसा कि पूर्व-प्रतिपादित किया

गया है कि ग्रामों की नगरों एवं दुर्गों की इस सामान्य-निवेश-प्रक्रिया का प्रवर्तन बहुत दिन तक नहीं चला । भले ही संक्रान्ति-कालीन यह व्यवस्था रही हो—ठीक भी था । परन्तु जब सुव्यवस्था एवं शान्ति के दिन आये तो पर कोटे आदि का विन्यास ग्रामों की वसतियों में विलीन हो गया ।

ग्राम-विकास एवं ग्राम-निर्माण के सम्बन्ध में इस अतिसंक्षिप्त पर्यालोचन के के उपरान्त अब क्रमप्राप्त ग्राम-प्रमेद की विवेचना करनी है ।

समराङ्गण में ग्राम पर कोई अलग अध्याय नहीं है । 'पुरनिवेश' नामक दर्शक अध्याय में ही राष्ट्र-विधान, जनपद-निवेश, पुरनिवेश तथा राष्ट्रों के मध्य में ग्राम-निवेश आदि पर प्रकाश डाला गया है । अतः जहाँ तक ग्राम-निवेश की समीक्षा है उस सम्बन्ध में समराङ्गण की पुरनिवेश सम्बन्धी सामग्री की उपादेयता का संकेत मिलता है । ग्राम-प्रमेद पर समराङ्गण ऐसे इस अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं वास्तु-विद्या के अत्यन्त विकसित काल में लिखित ग्रन्थ में भी ग्राम-प्रमेद पर मौन प्रथम दृष्टि में यह कुछ समझ में नहीं आता । परन्तु यदि हम योड़ा सा विशेष ध्यान दें, तो इस अनुपलब्धि का कारण तत्कालीन सामाजिक स्थिति है, जिसके प्रभाव से प्रभावित यह ग्रंथ मयमत आदि ग्राचीन वास्तु-शास्त्रीय ग्रंथों की ग्राम-प्रमेद-परम्परा को विस्मृत कर गया । राजा भोज का दरबार एक अत्यन्त प्रोज्ज्वल एवं प्रोग्नत नागरिक दरबार था । नागरिकता, वैभव, अतिरंजना तथा ऐश्वर्य का वह स्वर्ण-युग एक प्रकार से अपने में आत्म-विभोरा था । ऐसी अवस्था में भोज ऐसे नागर नृपति के लिये अस्वाभाविक नहीं कि वह भारतीय जीवन के विराट-जीवन—ग्राम्यजीवन की ग्रामाधारण-विभूति की ओर विशेष ध्यान नहीं देता । तथापि किसी भी निवेश-पद्धति में विशेषकर समराङ्गणीय व्यापक पुरनिवेश की रूपरेखा में ग्रामों को भुलाया नहीं जा सकता । इस दृष्टि से समराङ्गण में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रवचन है । जिसका विशेष-उल्लेख उत्तर-पीठिका में होगा । उत्तम, मध्यम अधम राष्ट्रयोजना में समराङ्गण ने ग्राम-निवेश को ही इकाई (यूनिट) माना है ।

अस्तु, ग्राचीन ग्रंथों में प्रतिपादित ग्राम-प्रमेदों का उल्लेख कर इस स्तम्भ की पूर्णता सम्पादन करना ही होगा । मानसार के अनुसार ग्रामों के निम्न लिखित प्रमेद हैं ।

- | | |
|---------------|--------------|
| १. दरड़क | ५. स्वस्तिक |
| २. सर्वतोभद्र | ६. प्रस्तर |
| ३. नन्यावर्त | ७. कामुक तथा |
| ४. पद्मक | ८. चतुमुख |

मानसार की इस ग्राम-प्रमेद-प्रक्रिया अथवा ग्राम-वर्गीकरण का आधार तत्त्वद्ग्रामों की आकृति-विशेष है । अर्थात् आकृत्यनुरूप ग्रामों की संख्या आठ है । जहाँ तक इनके विभिन्न ग्रंथों के विन्यास अर्थात् मार्ग-निवेश-प्रक्रिया, वर्णाधिवास-विन्यास, देवतायन-निवेश आदि के साथ-साथ पद-सन्निवेश, प्रमाण-परिगणना, भवन-सन्निवेश आदि का प्रश्न है वह अवसर प्राप्त होते ही आगे चलकर प्रत्युत किया जायेगा । यहाँ पर प्रथम अन्य आचार्यों की भी ग्रामप्रमेद तालिका द्रष्टव्य है ।

मयमत के अनुसार भी ग्रामों की संख्या जैसा पूर्व अवतरण से प्रकट है आठ हैं, परन्तु उनमें मानसारीय संख्या माम्य के साथ-साथ पूर्ण संज्ञा-साम्य नहीं हैं ।—

- | | |
|--------------|-------------------|
| १. दरडक | ५. नन्दावर्त |
| २. स्वस्तिक | ६. पराग |
| ३. प्रस्तर | ७. पद्म तथा |
| ४. प्रकीर्णक | ८. श्रीप्रतिष्ठित |

इस प्रकार मानसार एवं मयमुनि के ग्रामाष्टक में केवल निम्नलिखित साधारण (Common) ग्राम हैं:—

१. दरडक
२. नन्दावर्त
३. पद्म अथवा पद्मक
४. स्वस्तिक तथा
५. प्रस्तर

मयमुनि की इस ग्राम-प्रभेद-नालिका के सम्बन्ध में दूसरी विशेषता यह है कि इस वर्गीकरण का आधार मानसार के अनुरूप आकृति आदि नहीं हैं बरन् एकमात्र “मार्ग योजना” (Planning of Streets) ही हैं ।

अस्तु, अब आगमों और पुराणों की पुराय-भूमि पर भी निचरण करें और देखें कि कितने ग्राम मिलते हैं । आगमों को वास्तु-शास्त्रीय देन अपूर्व है । कामिकागम के मत में ग्रामों को इस पन्डित प्रभेदों में विभाजित कर सकते हैं । निम्न-निर्दिष्ट इन ग्राम प्रभेद-पुंज के परिशीलन से प्रतीत होगा कि मानसार तथा मयमत के ग्राम-प्रभेदों के सम अथवा साधारण (Common) तथा विषम अथवा असाधारण दोनों प्रभेदों के ग्यारह प्रभेदों (५. साधारण) (३ असाधारण—मयमुनि) (३ असाधारण—मानसार) के अतिरिक्त चार और नये नाम निमालनीय हैं—

- | | |
|--------------------|--------------------|
| १. दरडक | ८. प्रकीर्णक |
| २. सर्वतोभद्र | ९. पगग |
| ३. नन्दावर्त | १०. श्रीप्रतिष्ठित |
| ४. पद्म अथवा पद्मक | ११. मम्पन्कर |
| ५. स्वस्तिक | १२. कुम्भक |
| ६. प्रस्तर | १३. श्रीवत्सु रथा |
| ७. कारुक | १४. वैदिक |
| ८. चतुरुष | |

अ इसमें निम्न पाच मयमत तथा मानसार के साधारण अथवा सम प्रभेद हैं—
 १—दरडक
 २—नन्दावर्त

३—पश्चक

४—स्वस्तिक तथा

५—प्रस्तर

ब. निम्न तीन नीं मानसार तथा मयमत के विशेष प्रभेद भी परिणामित हैं—

मानसारीय

१. सर्वतोभद्र
२. कामुक
३. चतुमुख

मयमतीय

१. प्रकीर्णक
२. पराग तथा
३. श्रीप्रतिष्ठित

स इन दोनों प्रभेद-मालाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित चार प्रभेद और हैं जिनसे सब मिलकर पन्द्रह हुए—

१. सम्पत्कर
२. कुम्भक
३. श्रीवत्स तथा
- ४ वैदिक

वैसे तो प्रकरणानुरूप इस स्तम्भ के ग्राम-प्रभेद को यहीं समाप्त कर देना चाहिये। परन्तु जैसा कि पूर्व ही प्रतिपादित किया गया है कि समराङ्गण में ग्राम-प्रभेद पर प्रकाश नहीं पड़ता उसमें ग्राम-निवेश पर पुर-निवेश के आनुषङ्गिक नियमों का परिपालन ही विशेष रूप से प्रतिपादित किया गया है। अतः आगे पुर-निवेश की समीक्षा ही प्रधान विषय होने के कारण इस स्तम्भ की पूर्णता के लिये यहां पर यह आवश्यक है कि थोड़ा सा इन १५ प्रभेदों का केवल सामान्य-निवेश-विवरण ही पाठकों के सम्मुख समुपस्थित किया जावे। दूसरे भारतीय ग्राम-निवेश के आधारभूत सिद्धान्तों की महत्ता एवं उपादेयता की ओर भी थोड़ा-सा संकेत करते चलना चाहिये। जहाँ तक इनके प्रत्येक के अलग-अलग सविस्तार विवरणों का सम्बन्ध है वे मयमत-शिल्पशास्त्र अथवा मानसार में विशेष द्रष्टव्य हैं। इन दोनों ग्रन्थों के एतद्विषयक सविस्तर वर्णन दत्त महाशय के ग्रन्थ में अवलोकनीय हैं। अतः उन सबकी यहाँ प्रकृत में, समरांगण के अध्ययन की पूर्व-पीठिका में विशेष उपादेयता न देखकर इन विभिन्न ग्राम-प्रभेदों की निवेश-योजना पर दो चार शब्द लिखकर दुर्ग-प्रभेद की परिलाओं एवं प्राकारों को पार करना है। इन विभिन्न ग्रामों के निवेश-नियमों के आधारभूत विषय हैं—

१ आकार (चतुरश्च, वृत्त, आयत, खड्ग, अष्टाश्र, घनुषाकृति आदि-आदि)

२ पदविन्यास—(स्थरिडल, चरिडत, अथवा परमशायिक—इनके विषय में ‘पदविन्यास’—उत्तर-पीठिका में देखिये)

३ मार्ग-विनिवेश

४ रथ्या-महारथ्या-विनिवेश

५ मार्ग-रथ्या-महारथ्या के बाम अथवा दक्षिण ओर भवन-विनिवेश

६ केन्द्र-सन्निवेश—देवतायतन

७ द्वार-गोपुर-विनिवेश

८ प्राकार-परिखा-विनिवेश

९ विभिन्न देवों के देवतायतन-निवेश

१० विभिन्न-वर्णोच्चित-वस्तिसन्निवेश

११ तडाग, पुष्कर, बृहू आदि का विन्यास

इस अतिविकसित-निवेश-परम्परा को देखकर यह कहना अनुचित न होगा कि ग्रामों की यह निवेश-योजना शास्त्रीय विशेष है व्यावहारिक बहुत कम । यह तो एक नमूड़ नगर की निवेश-योजना प्रतीत होती है । इसका क्या रहस्य है ? प्राचीन शिल्प-ग्रन्थ ग्रामों, नगरों एवं बुगों में वास्तुकला की दृष्टि से कोई विशेष अन्तर नहीं मानते । अतएव ऐसा प्रतिपादन मिलता है । अन्यथा ऐतिहासिक अनुसन्धान में ग्राम-निवेश की यह स्पष्ट-रेखा शब्द ही मिल सके । शास्त्रीय दृष्टि से इन विभिन्न-कोटि-ग्रामों की विशेषताओं पर थोड़ी सी समीक्षा कर लेनी चाहिये ।

दृष्टक—ग्राम की आकृति दरड़कार वतायी गयी है । इसमें मागों का सन्निवेश सीधा एक ओर से दूसरी ओर तक इसी प्रकार चारों ओर । इस विनिवेश से केन्द्र में समकोण पर उनका एक दूसरे की काठ तथा चतुर्पथ की रचना सहज समझ में आ सकती है । मार्ग-विनिवेश में स्थानत तथा मानसार के अलग अलग नियम एवं मार्ग-संख्या द्रष्टव्य हैं । इसके पद-विन्यास के सम्बन्ध में स्थरिडल-योजना विशेष उपादेय है । यह ग्राम ब्राह्मणों की वसती के लिये विशेष उपयुक्त है । विभिन्न वास्तविकासों एवं परिवारों की मंस्त्रानुरूप इस ग्राम के विभिन्न भेद मानसार में वताये गये हैं—श्राश्रम, पुरम्, वास्तुक तथा मंगल ।

सर्वतो भद्र तथा नन्द्यावर्त—के निवेश प्रायः समान ही है । नन्द्यावर्त के सम्बन्ध में केन्द्र-विन्यास चार प्रकार के होते हैं—ब्राह्मण, मानुष्य, दैविक तथा पैशाच । इसके पद-विन्यास की योजना चरिडत (६४) ऋथा परमशायिक (८१) दोनों में की जा सकती है । नन्द्यावर्त की दूसरी विशेषता यह है कि इसके मागों में दो प्रकार के मार्ग-विभाजन हैं । वडे तथा छोटे । वडे मागों पर पवित्र-प्लेसेज तथा छोटों पर आवास-भवन । नन्द्यावर्त की संजार्थकतानुरूप (आनन्द-भवन) यह ग्राम बटा हो सुप्रापायक वताया गया है । यह भी ब्राह्मणों के लिये विशेष उपयुक्त है । ही मिशनसति के लिये कोई आपत्ति नहीं । ब्राह्मणों की वसती की प्रधानता ने इसको “मंगल”, ज्ञियों तथा वैश्यों की मिथित वसती से “पुर” तथा यदि वैश्यों एवं शद्रों की वसती प्रधान हो तो किं “अग्रहार” की संज्ञा दी गयी है ।

स्वस्तिक—स्वस्तिक ग्राम की विशेषता यह है कि इसके मागों का विन्यास स्वस्तिक की आकृति में होना चाहिये । यह ग्राम राजाओं के निवासोच्चित तथा उनके लिये अधिक उपादेय वताया गया है । राजभवनों के निवेश से सम्बन्धित ग्राम के शम्भन्तर प्रदेश में विभिन्न स्थितियों (situations and sites) के अनुरूप इस ग्राम के चार प्रकार होते हैं—ग्रागत, संग्रद, विजय तथा स्थानीय ।

पद्धक

पद्धक—इस ग्राम की आकृति पद्धाकार होनी चाहिये । यह तभी हो सकता है जब यह या तो चतुरश्चायताकार, षडशि, अथवा अष्टाशि हो । इसका भी पद-विन्यास स्थरिडल अथवा चरिडत में होना चाहिये । मयमत के अनुसार इस ग्राम के मार्ग को विनियोजन प्रक्रियाओं एवं मार्ग-संख्या के कारण इसके पाच प्रकार हैं ।

प्रस्तर—जैसा नाम है (प्रस्तर-शब्द), वैसी ही इसकी विनियोजना होनी चाहिये । इस योजना के अनुसार इस ग्राम के लिये भविष्य में विस्तार एवं प्रसार (extension तथा expansion) का काफी मौका रहता है । जिस प्रकार अर्वाचीन नगर-निवेश पद्धति में आगामी विस्तार एवं प्रसार के लिये पूर्ण ध्यान रखने की व्यवस्था एवं तदनुरूप विन्यास योजना को प्रश्रय दिया जाता है वैसा ही इस ग्राम के विनिवेश में दृष्टव्य है ।

कासुर्क—इस ग्राम की आकृति यथानाम धनुषाकार होती है । अतः अर्ध-वृत्ताकार इसका विन्यास होता है । इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह ग्राम विशेषकर सरिता-तटों पर अथवा सागर-नेता पर निविष्ट किया जाता है और ऐसी आकृति (धनुष) वाले ग्रामों के लिये ये स्थल-विशेष उपयुक्त भी होते हैं । इसी ग्राम की निवेश-प्रक्रिया ‘पत्तन’ ‘खेट’ अथवा “खर्वाट” नगर-प्रकारों की निवेश प्रक्रिया का आधार होती है । इसका महामार्ग एक ही होता है तथा रथ्यायें अधिक ।

चतुर्मुख—यथानाम यह चतुरश्चायताकार विन्यस्त होता है । इसकी मार्ग-विनिवेश प्रक्रिया इस प्रकार सम्पादित होती है कि पूरा गाँव चार बगों में (blocks) में विभाजित हो जाता है । इस ग्राम की वसति में प्रधानता यदि व्यापारियों की है तो इसका नामकरण कोलकोष्टक किया जाता है ।

प्रकीर्णक—प्रकीर्णक का अभिव्यक्ति चामर है । इसकी चामराकृति का क्या रहस्य है—इस सम्बन्ध में इसका रहस्योद्घाटन ग्रंथों के परिशीलन से नहीं प्राप्त होता है । हाँ कामिकागम में जो वहुमार्ग-विन्यास इस ग्राम के सम्बन्ध में निर्दिष्ट किया गया है सम्भवतः इसी हेतु इसकी चामराकृति सम्पन्न हो सकती है ।

पराग—यह एक छोटा-सा ग्राम होता है । इसका विन्यास परागाकृति में (cob-webbed) होता है । मार्गों का प्राचुर्य विशेष रूप से इसमें देखा गया है । अतः यातायात तथा यान-सचार का सौकर्य सुन्दर होता है । सम्भवतः इससे बढ़कर किसी भी ग्रामनिवेश-प्रक्रिया में यह सौविष्य नहीं प्राप्य है ।

श्रीप्रतिष्ठित तथा सम्पत्कार—इन दोनों ग्रामों का विन्यास सर्वसाधारण है । हों प्रथम में श्री देवी की प्रतिष्ठा परमावश्यक है और दूसरा भी प्रथम के समान ही सम्पति-प्रदान करने वाला याताया गया है ।

कुम्भक—इस ग्राम का यथानाम कुम्भाकार (Like pitcher) विनिवेश होता है । अतः यह या तो वर्तुलाकार अथवा वृहधायत (Polygonal) होता है उसकी मार्ग-व्यवस्था की विनियोजना यह है कि मार्ग-संख्या प्रचुर होती है तथा वे सब समानान्तर दौड़ते हैं ।

श्रीवत्स एवं वैदिक—इन दोनों ग्रामों के विशेष विवरण नहीं हैं। ये सर्वमाध्यमण् हैं। केवल वैदिक की विशेषता यह है कि इस ग्राम की महारथ्याओं के दोनों ओर मवन-विन्यास होना चाहिये तथा पूर्वोऽधिखित ग्रामों की योजना से विशिष्ट योजनानुरूप ये भवन द्विमौमिक हो सकते हैं।

इन ग्रामों के प्रत्येक की इस अत्यन्त त्थूल समीक्षा तथा सभी की सामान्य समीक्षा के उपरान्त भारतीय ग्राम-निवेश-पद्धति के आधार-भूत सिद्धान्तों की समीक्षा में एक दो तथ्यों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्पित करना अभिप्रेत है।

इन पन्द्रह प्रमेदों में अन्तिम सात प्रमेदों के जो विशेष विवरण मध्यमत एवं विशेषकर कामिकागम में मिलते हैं उनमें मार्गों की पृथुल संख्या का निर्देश है। अतः प्रथम विशेषता हूई वहुमार्ग-योजना दूसरी विशेषता यह है कि उत्तरी मार्गों की संख्या पूर्वी मार्गों की अपेक्षा कहीं अधिक है। इस उत्तरदिग्बर्तिनी वहुमार्ग-विन्यास-विनियोजना का कोई आधारभूत सिद्धान्त होना ही चाहिये। इसके सम्बन्ध में यह दृष्टव्य है कि ग्राम पूर्व से पश्चिम की ओर विशेष प्रसारित (elongated) किये जाते हैं। अतः पूर्व-पश्चिम मार्ग विशेष लम्बे होने ही चाहिये। इस विनिवेश का वैज्ञानिक आधार यह है कि इस देश में जहाँ वायु विशेषकर दक्षिणोत्तर अथवा उत्तर-दक्षिण वहता है वह यहाँ के खुले मझानों के मग्नुख धूल न उड़ा सकें और बन्द करने की आवश्यकता भी न पड़े जिससे पवन संचार ही रुक जावे। आधुनिक-नगर निवेश के वैज्ञानिक दिसासुख्य (orientation) विनियोग में इस दृष्टिकोण ने विशेष अभिनिवेश प्रदान किया है। वह सुतरा प्रकट है। अतः भारतीय वास्तु-गान्त्र वी मौलिकता कितनी गम्भीर है यह विदान् पाठक समझ नकरते हैं।

इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध वास्तु शास्त्री हेनेल महोदय के निभ शब्द विशेष महत्वपूर्ण हैं:—

"The experience of many generations had proved that (their plans of villages) were the best for the purpose of defence, and gave the most healthy, pleasant and practical lay out for an Indian village and town. The easterly axis of the plan ensured that the principal streets were purified by the rays of the sun sweeping through them from morning till evening; while the intersection of main streets by shorter ones running north and south provided a perfect circulation of air and the utmost benefit of the cool breezes."

अर्थात् अनेकपीठियों के पुर्जाभूत अनुमर ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय ग्रामों की ये विभिन्न निवेश-प्रक्रियायें रक्षा, स्वास्थ्य, नीरस्वर्प एवं नौकर्य और लान्त्र के लिये अत्यन्त उपादेय हैं। ग्राम-योजना के पूर्वाभिसुख्य से यह नित्य निश्चित हो जाता

है कि उस ग्राम के मुख्य मार्ग प्रातः से- लेकर सायं तक सूर्य की रशिमयों से पुनीत एवं प्रकाशित रहें अथवा महामार्गों का आभीय रथ्याओं (जो विशेषकर उत्तर-दक्षिण तथा दक्षिणोत्तर दौड़ती हैं) के साथ पारस्परिक कटाव (intersection) से वायु-संचार का पूर्ण प्रसार तथा शीतल पवन का पूर्ण आनन्द सुगम हो जाता है ।

अब अन्त में एक तथ्य की ओर पाठकों का ध्यान और आकर्षित कर हस स्तम्भ को यहीं छोड़ना है । वह यह कि इस अध्याय के उपोद्घात में ग्राम-विकास की स्वतःप्रवृत्ति पर संकेत किया गया है । अतः जैसा कि आधुनिक युग में जब वास्तु-कला के उदीयमान एवं अत्यन्त विकसित स्वरूप के दर्शन होते हैं और जिसमें उद्यान-नगर (garden cities) के आदर्श सर्वसाधारण रूप से पनपते हुए दृष्टिगत होते हैं तो फिर हन ग्राम-निवेश-प्रक्रियाओं को देखकर अर्वाचीन उद्यान-नगर-विनियोजना का जो आभास हनमें प्राप्त होता है उसका रहस्योदयाटन कैसे किया जावे ? इस शंका और मर्म के समाधान में यह स्मरणीय है कि ग्रामों का विकास स्वतःप्रवृत्त अर्थात् नैसर्गिक तो सर्वत्र सनातन से होता ही आया है, परन्तु मानव-सम्यता के विकास में यत्र-तत्र, सर्वत्र, सभी देशों में मानव ने अपनी सहज बुद्धि एवं विज्ञता से उस उदीयमान सम्यता के प्रकर्ष में जो प्रयत्न किया है वही तो कला, विद्या एवं शास्त्र के नाम से पुकारे जाते हैं । अररण और उद्यान में केवल अन्तर कला का ही है—योजना और विन्यास का ही तो है । स्वतःप्रवृत्त ग्रामों को कालात्मक दृष्टि से निविष्ट किया जाना ही तो शास्त्रों के नियमों का मर्म है । अतः इन ग्राम-निवेशों में जो अर्वाचीन उद्यान-नगर-निवेशों की प्रक्रिया की महलक दिखाई पड़ती है उसका यही मर्म है ।

अथवा भारतीयों का सनातन से प्रकृति-सानिध्य एवं प्रकृति-साहचर्य प्रसिद्ध रहा है । जिस स्थान पर शुद्ध वायु, मनोहर पादप, सुरम्य कानन, सुन्दर लताओं, वीरधों, अथवा स्वच्छ जलाशयों—पुष्कर-पुष्करिणी-तड़गों अथवा पुरायसलिला सरिताओं का प्राकृतिक साम्राज्य नहीं छाया हो, क्या वह कमी भी भारतीयों के लिये आकर्पक हो सकता था ? प्राचीन भारत का तो प्रत्येक ग्राम और नगर—आधुनिक कृत्रिम उद्यान-नगरों (garden cities) का अकृत्रिम रूप था ।

दुर्ग-प्रभेद तथा दुर्ग-निवेश

नगर-प्रभेद तथा ग्राम-प्रभेद की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है। अब क्रम-प्राप्त दुर्ग-प्रभेद पर कुछ प्रकाश पड़ना चाहिये। यों तो नगर-प्रभेद की पर्यालोचना के अवसर पर दुर्ग एवं दुर्ग-नगरों के विषय में संकेत किया जा चुका है, परन्तु दुर्ग-प्रभेद तथा दुर्ग-निवेश की कुछ अधिक सविस्तर समीक्षा आवश्यक है।

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि भारतीय वास्तु-शास्त्रीय विवरणों में नगर, ग्राम एवं दुर्ग इन तीनों की निवेश-पद्धतियों में प्रकार-भेद नहीं है, एकमात्र आकार भेद है। मानसार आदि उच्च कोटि के शिल्पशास्त्रीय ग्रंथों में इनी तथ्य पर प्रकाश डाला गया है—यह हम देख ही चुके हैं।

अब प्रश्न यह है कि भारतीय प्राचीन नगरों का यह बैलक्षण्य अथवा उनकी यह विशेषता कि उनके चारों ओर परिवार, प्राकार आदि की निवेश-पद्धति, सर्व-साधारण रूप से आवश्यक ही नहीं अनिवार्य थी—इसका क्या रहस्य है? न केवल प्राचीन भारत में ही, वरन् ग्रीस, रोम आदि पश्चिमी देशों में भी प्राचीन काल में ऐसी ही व्यवस्था थी। अतः अमन्दिग्ध है कि प्राचीन पुरों एवं ग्रामों की इस सामान्य विशेषता (fortification—चतुर्दिक् प्राकर-योजना) के अन्तर्में तत्कालीन जीवन-वश का प्रतिविम्ब परिलक्षित होता है। ठीक भी था। प्राचीन युग में जब शासन-पद्धति तथा शासन-सुव्यवस्था के बे सुन्दर तथा सर्वभौमिक अथवा केन्द्रीय भाधन उपलब्ध नहीं थे जिन ने किसी गिरावट भू-भाग पर शासन की सुव्यवस्था, शातिरक्षा (उपद्रवों, श्रागजकता, तथा लूटमार का मूलोच्छेदन) का प्रबन्ध किया जा सके, विभिन्न वस्तियों चाहे वे ग्राम हीं अथवा नगर, अपनी-अपनी रक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं ही समेटती थीं। अतएव वहेंडे नगरों एवं राजधानियों की तो वात ही क्या, छोटे-छोटे ग्रामों एवं पुरों के लिये भी यह निवेश-पद्धति, सामान्य रूप से अनिवार्य थी। अतः यह कहना असंगत न जाएगा कि पूर्वीय तथा पाधात्य—दोनों ही ओर के देशों में आर्य-जीवन में समन्वित दूसरे प्रकार की नगर-निवेश-पद्धति की एक सामान्य पुरातन व्यवस्था थी।

पुरातन साहित्य में प्राप्य उर्द्ध ग्राम नगर-वर्णनों में (यथा नमामिरु, महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थों में) इन उपर्युक्त तथ्य के बोतक नगर-निवेश के ज्वलन्त निर्दर्शन उपलब्ध होते हैं। अतः यह ठीक ही था कि पुर—नगर दुर्ग के रूप में शौन्दुर्गनगर दे नप में नामान्य नप ने प्रचलित एवं सन्त्रिविष्ट होते थे। दैदिक-न्यायमय के परिणीतन से भी पता चलता है कि उन सुदूर अर्दीन में ‘पुर’ शब्द का अभिवेदन्य दुर्ग-उद्दग बत्ती था। शब्द-कल्पद्रुप में भी सम्भवत इर्ती तथ्य के परिणाम-स्वरूप परिणिष्ट में दिता गई है—

‘पुरं दुर्गं भविष्टामं कोटोऽङ्गो राजधान्यवि इति जटाधर ।

अर्थात् पुर का अर्थ दुर्ग, अधिष्ठान, कोटि तथा राजधानी है। इन पर्यायों की समीक्षा का आधार-भूत सिद्धात रक्षा की सुव्यवस्था है एवं तदनुरूप प्राकार-परिखादि-सन्निवेश-प्रक्रिया के कारण ही इनमें पारस्परिक पर्याय-सम्बन्ध प्रदर्शित किया गया है। नगर, आम एवं दुर्ग की सुरक्षा सम्बन्धी यह सामान्य परम्परा इन्हीं तक सीमित नहीं रही। नगरों की तो बात ही क्या मन्दिरों के भी चारों ओर प्राकार आदि सन्निवेश (fortification) का अनुगमन वहुत समय तक इस देश में विशेष कर दक्षिण भारत के मन्दिरों में किया गया। मन्दिरों से तथा विद्यापीठों से नगरों के विकास पर (on the origin and development of temple cities and University towns) पूर्व-प्रकरणों में पूर्ण प्रकाश पढ़ चुका है।

✓ दुर्गाकृति-नगरों के निवेश अथवा नगराकार दुर्गों के विन्यास की परम्परा के अतिरिक्त कालान्तर में एक और पद्धति पनपी। वह है नगर के अभ्यन्तर-प्रदेश में अथवा किसी कोण विशेष पर, अथवा नगर से कुछ दूरी पर दुर्गों का सन्निवेश होने लगा। मध्यकालीन राजधानियों के जो निर्दर्शन आज भी अवशेष हैं, उनमें इस पद्धति के पूर्ण दर्शन होते हैं। जयपुर लीजिये। इस मध्यकालीन राजधानी के उत्तर-पश्चिम कोण पर दुर्ग का निवेश हूँआ है। महाभारत तथा रामायण में इन्द्रप्रस्थ, मथुरा, लङ्घा, अयोध्या, द्वारका आदि के करणीनों से भी प्रकट है कि ये नगर तथा नगरियाँ पहले दुर्ग पुनः कालान्तर में विस्तार एवं प्रसार (extension and expansion) की वहुमुखी आवश्यकताओं से महानगरियों एवं महानगरों के रूप में परिणत हो गयीं। राजस्थान के नगरों की भी यही कथा है। चित्तौर पहले एक किलाथा, कालान्तर में एक नगर हो गया। बात यह है कि दुर्गाकार नगरों की प्रथम विन्यास-योजना कालान्तर में बढ़ती हुई आबादी तथा अन्य विविध आवास-आवश्यकताओं के कारण असफल हो गयी। अतः किला भीतर रह गया और वरित्याँ चारों ओर निर्मित होने लगीं। अतः निष्कर्पत, यह कहना ठीक ही होगा कि यत्रपि प्राचीन भारत में प्रत्येक नगर सुरक्षित अथा दुर्गाकृति-नगर (fortified town) था परन्तु वह दुर्ग सर्वदा के लिये नगर का सम-विस्तृत (Co-extensive) तो नहीं हो सकता था। अतः समय पाकर वह नगर के अभ्यन्तर रह गया अथवा नगर के किसी कोणविशेष पर स्थित रह गया।

✓ दुर्ग-निवेश की यह परम्परा अर्वाचीन नहीं कही जा सकती। महाभारत के शान्ति पर्व (८६ अ० देविये) में लिखा है।—

“पद्मिव दुर्गमास्थाय पुराणयथ निवेशयेत्” अतः यह परम्परा भी प्राचीन है—यह सिद्ध है।

अभी तक दुर्गाकृति-नगरों अथवा नगराकार दुर्गों अथवा नगराभ्यन्तर-दुर्गों के संबंध में जिस निवेश-पद्धति की भीमासा कर रहे थे उसका सम्बन्ध प्राकार-परिखादि-विनिवेश सम्बन्धी कृत्रिम-पद्धति से है। परन्तु वास्तव में दुर्गविनिवेश की दो पद्धतियाँ शास्त्रों में पायी जाती हैं—१ अकृत्रिम तथा २. कृत्रिम

अकृत्रिम-दुर्ग-प्रक्रिया का अर्थ यह है कि इस प्रकार के दुर्गों के विन्यास के लिये प्रकृति स्वयं उपादान उपस्थित करती है। अर्थात् प्राकार-विधान, परिखावनन तथा वप्र-विन्यास ग्राटि कृत्रिम सुगन्धा-साधनों के अतिरिक्त दैवकृत अथवा प्रकृति-प्रदत्त उपादानों से

भी दुर्गों की व्यवस्था होती थी । महनीय कीर्ति कौटिल्य के निम्न प्रवचन उल्लेख्य हैः—

“चतुर्दिशं जनपदान्ते साम्यरापिकं दैवकृतं दुर्गे कारयेत् । अन्तद्वार्पिं स्थलं वा, निम्नावरुद्धमौदकं प्रास्तरं गुहा वा पावरं निरुदकस्तम्भमिरिणं वा धान्वनं खजनोदकं रुदम्-गहनं वा वनदुर्गम् । तेषा नदीपर्वतदुर्गमजनपदारक्षस्थानं धान्वनवनदुर्गमटची स्थानम्” अर्थात् जनपद अर्थात् राज्य की चारों सीमाओं पर सुरक्षार्थ प्रकृति-प्रदत्त साधनों के द्वारा दुर्ग-व्यवस्था अनिवार्य रूप ने करनी चाहिये । इस व्यवस्था के विभिन्न रूपों में कही जलदुर्ग—(मरिता के मध्य-प्रदेश पर स्थलभूमि पर—अन्तद्वीपीय स्थानपर) अथवा उस मैदान पर जिसके चारों ओर निम्न स्थल में अवरुद्ध जल भरा हो—का विन्यान करना चाहिये । कहों पार्वतीय दुर्ग की व्यवस्था सम्पादित करनी चाहिये । यह भी दो रूपों में हो सकती है जिसके चारों ओर पर्वत हो अथवा पर्वतीय उपस्थिका भूमि में जिसकी स्थिति हो, और वह चारों ओर से छोटी छोटी पहाड़ियों ने घिरी हो । तीसरी व्यवस्था है महदुर्ग (धान्वन) की । यह या तो निरुदक वन्यप्रदेश के मध्य में स्थित हो अथवा उस भूमि पर स्थित हो जिसकी जमीन मरु जार से बन्धा बन गयी हो । चौथी व्यवस्था वन-दुर्ग की है । इस व्यवस्था में भी दो विकल्प हैं जिसके लिए कौटिल्य के शब्द नाकी हैं—‘खजनोदक’ अथवा ‘स्तम्भगहन’ । प्रथम का अर्थ है—उस दलदली अग्रस्य-भूभाग में जो भाड़ियों तथा वन-बृक्षों से घिरा हो । दूसरे का अर्थ उस आग्रस्यक धेरे ने है जिसमें वड़े-वड़े उत्तुग वृक्ष तथा उनके नीचे भरड़ियों धेरा बनाये हों ।

प्रायः प्राचीन शिल्पशास्त्रों में अकृत्रिम दुर्ग-प्रक्रिया के ही प्रवचन मिलते हैं । मयमत तथा मानसार—इन दोनों ग्रन्थों में तो अकृत्रिम तथा कृत्रिम दुर्गों की मिश्रित व्यवस्था है । दुर्ग-नगरों अथवा नगराकार दुर्गों की जैसा कि ऊपर प्रतिपादित ही किया जा चुका है जो व्यवस्था थी वह तो प्राकार-परिखा-वप्रादि-विनिवेश-विन्यास विनियोजना ने श्रतकृत होकर कृत्रिम पद्धति के निर्दर्शन है ।

परन्तु भोज महाराज को यह श्रेय है कि इन्होंने दुर्ग-निवेश की दोनों पद्धतियों—कृत्रिम तथा अकृत्रिम की विवेचना की है । भोज के ‘युक्ति-कल्पतरु’ के परिशीलन से यह पता चलता है । युक्ति कल्पतरु के अनुसार दुर्गों को हम पहले दो बगों ने बर्गोंद्वान कर सकते हैं—अकृत्रिम तथा कृत्रिम । अकृत्रिम अर्थात् प्राकृतिक दुर्गों ने हम न अभिप्राय उन दुर्गों ने हैं जो प्रकृति-प्रदत्त उपादानों जैसे जल मरु, पर्वत, बन ग्रादि ने व्यवस्थित होते हैं । इसके पिंगीत जहाँ पर प्रकृति-प्रदत्त साधन उपलब्ध नहीं होते हि, और प्राकारों (रुदिका, पापालु आदि ने निर्मित) के विन्यास ने परिच्छा तथा वय आदि विनिवेश से सुरक्षा के माध्यन नमुदव्यापित रिये जाते हैं उन्हें हम कृत्रिम-दुर्ग कहते हैं ।

मानसार की दुर्ग-निवेश पद्धति का गाराम यह है कि दुर्गों को हम प्रथम निम्न निरित आठ बगों में बोट सकते हैं—

- | | |
|----------------|----------------|
| १. रिप्पि | ५. नमिदार्पक |
| २. वादिनीमुण्ड | ६. कोनक |
| ३. त्यानीप | ७. निगम तथा |
| ४. द्रोणास्त्र | ८. स्मृत्यावार |

फिर इन आठों प्रकारों का दुर्ग-वर्ग, अपनी स्थित्यनुरूप निम्न लिखित उपचरणों में वर्णीकृत किया गया है—

- | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| १. पार्वतीय दुर्ग—(गिरिदुर्ग) | २. बनदुर्ग | ३. जलदुर्ग |
| ४. ऐरिणदुर्ग | ५. देवदुर्ग | ६. पंकदुर्ग |
| ७. मिश्रदुर्ग | | |

अथव गिरि-दुर्ग के पुनः तीन भेद प्रतिपादित किये गये हैं। स्थित्यनुरूप वह दुर्ग पर्वत-शिखर पर स्थित है अथवा उसकी स्थिति पर्वत की उपत्यकाओं में है अथवा वह पर्वत की समीपस्थ ढालू भूमि पर है। फलतः इनको पर्वतावृत, पर्वत-मध्य अथवा पर्वत-समीपक संज्ञा क्रम से दी जा सकती है।

अतः प्रकट है कि मानसार की इस दुर्ग-वर्गीकरण-प्रक्रिया में कृत्रिम दुर्गों एवं अकृत्रिम दुर्गों—दोनों का ही सम्मिश्रण है। परन्तु भोज-प्रदत्त दुर्ग-पद्धति (युक्ति-कल्पतरु) में कृत्रिमदुर्गों एवं अकृत्रिम दुर्गों के दो विभिन्न दुर्ग-वर्ग पृथक् पृथक् समुपस्थापित किये गये हैं—वह मानसार की परम्परा नहीं है। जो कृत्रिमदुर्ग है वे ही अपनी स्थिति के अनुरूप पुनः अकृत्रिमदुर्ग-षट्क में परिवर्तित हो जाते हैं जहाँ प्रकृति-प्रदत्त उपादानों का वाहुत्य एवं सौविध्य होता है।

अस्तु, दुर्ग-प्रभेद के इस ऐतिहासिक उपोदाधन का समराङ्गण में प्रदत्त दुर्ग-निवेश एवं दुर्ग-प्रभेद-विवरणों के संक्षिप्त परिचय से उपसंहार करना है। समराङ्गण तथा युक्ति-कल्पतरु इन दोनों ग्रन्थों का रचयिता एक ही है। अतः महाराज भोज ने जहाँ युक्ति-कल्पतरु में कृत्रिम एवं अकृत्रिम दो दुर्ग-वर्गों का उल्लेख किया है वहाँ समराङ्गण में ('आद्याङ्ग लक्षण' नामक ४४ वें अध्याय में, स्थापत्य के अद्याग में) आठवें अङ्ग राजशिविर-निवेश एवं दुर्ग-कर्म के सम्बन्ध में विवेचन करते हुए लिखा है—

“दुर्गों की संख्या ६ है—

जलदुर्ग, पङ्कदुर्ग, बनदुर्ग, ऐरिणदुर्ग पार्वतीय दुर्ग तथा गुहा-दुर्ग—जिनमें, पार्वतीय दुर्ग—सर्वश्रेष्ठ है।

अतः प्रकट है इस प्रवचन में प्राकृतिक-उपादानों से परिपृष्ठ अकृत्रिम दुर्गों का ही वर्ग-षट्क दृष्टिपथ में अवतरित होता है और उसी की ओर भोज ने पाठकों का ध्यान आकर्पित किया है। इसका क्या समाधान है? हमारी समझ में यहाँ भोज ने भले ही कृत्रिम अकृत्रिम विभेद से दुर्गों के प्रभेद पर प्रकाश न डाला हो परन्तु कृत्रिमदुर्ग, जो नगर-निवेश की सामान्य-पद्धति से निविष्ट होते थे उन पर 'पुरनिवेश' नामक १०वें अध्याय में संकेत किया ही है जिसका उल्लेख अभी आगे किया जायगा। अथव भारतीय प्राचीन परम्परा में जो दुर्ग, नगर तथा आम का आकार-भेद ही विशेष रूप से माना गया है वह परम्परा भोज ने भी स्वीकार की है, क्योंकि नगरादि-संज्ञा नामक १८वें अध्याय में नगर-पर्यायों में दुर्ग को दूसरा स्थान मिला है।

“नगरं मन्दिरं दुर्गं पुष्करं साम्परायिकम्

इत्यादि प्रथम श्लोक १८वा अ०

✓ इसके अतिरिक्त समराङ्गण की दुर्ग-निवेश-पद्धति की समीक्षा के प्रथम इस सम्बन्ध में प्रथम हमें दो तथ्यों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है। एक तो जैसा ऊपर के प्रकरणों में लिखा है कि प्राचीन भारत में दुर्ग-निवेश-पद्धति तथा ग्राम एवं नगर इन दोनों की निवेश-पद्धति में कोई विशेष विभेद नहीं था—यह परम्परा समराङ्गण भी स्वीकार करता है। अथव वैसा ही आदेश देता है।

“नारेषु सम्ब्रेषु ग्रामेषु निविलेष्वपि ।

खेटकेषु च सर्वेषु सामान्योऽय विभिः स्मृतः ॥

१० १४७

तथा “यथा पुरे पुरा प्रोक्तं स्थाम् दुर्गेऽपि तत् तथा ॥

४५ ४५

अर्थात् “नगर के अखिल प्रभेदों में (दुर्ग भी सम्मिलित) तथा सभी प्रकार के ग्रामों में अथव सर्वविध खेटकों में पुर-निवेश की यह सामान्य विधि वर्तनी चाहिये ।”

अर्थात् “जैसा पहले हमने पुर में (देखिये १०वा अ०) स्थानादि-विनिनेशन-विनियोग बताया है वैसा ही दुर्ग में भी है” ।

दूसरे तथ्य जिसकी ओर ध्यान आकर्षित करना है वह यह कि समराङ्गण शिविर एवं दुर्ग—इन दोनों को विलक्षण अलग दो चीजें मानता है। स्थापत्य के अध्याग में द्वा श्रीग शिविर-निवेश तथा दुर्ग-रूप वास्तुकर्म की ये दो अलग अलग चीजें हैं और ऐसी ही परिणामना महाराज भोज ने की है (देखिये ४५ वा अ०) अतः कौटलीय परम्परा में जो दुर्ग एवं शिविर एक ही चीज़ प्रायः माने गये हैं तथा मयमत एवं मानमार की परम्परा में शिविर को नगर-विभेद बताया गया है वह समराङ्गण को स्वीकार नहीं। शिविर तो एक प्रकार का चाणिक-निवेश (temporary arrangement) है जो कि सुद्धावसर यात्रा आदि में सन्निवेश्य समझा जाता था। हाँ, कालान्तर में ये चाणिक स्थान (temporary station) आधुनिक घावनियों (Cantonements) में परिणत हो गये हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। परन्तु यह निश्चित है कि इनके निवेश में स्थापित-प्रयोजन का अभाव था। इसके विपरीत दुर्ग-निवेश चाणिक न होने एवं स्थायी चीज़ थी तथा अत्यन्त स्थायी प्राकृतिक उपकरणों ने (वन, पर्वत, नदी, भू, पंक्त आदि प्रकृति-प्रदत्त उपादान) उसकी रूना होनी थी ।

शब्द दुर्ग-निवेश एवं शिविरनिवेश की प्रक्रिया के नम्बन्ध में समराङ्गण की दिजा वे समीक्षा के प्रथम इन दुर्ग प्रभेदों के एक एवं के नम्बन्ध में लुठ थोड़ी भी समीक्षा घावशक्त है, अन्यथा दुर्ग-प्रभेदों का यह प्रकरण अपूर्व ऐ न जाता है।

दुर्ग प्रभेदों के विभिन्न वर्गों की विवेचना में इम इच्छा तथा पर पूँच जुँके हैं कि भारतीय शिल्पगास्त्रीय ग्रन्थों के अनुसार दुर्ग के निम्न प्रभेद हैं, जिनको इम इनिम

दुर्गों (अर्थात् दुर्ग-नगरों fort cities) तथा अकृत्रिम दुर्गों (सैन्य प्रयोजन-रक्षार्थ-निर्विष्ट) इन दो महाभेदों से निम्नलिख में विभाजित कर सकते हैं:—

अ कृत्रिमदुर्ग —दुर्ग-नगर

१	शिविर	२	वाहिनीमुख अथवा सेनामुख
३	स्थानीय	४	द्रोणक
५	सम्बिद्धक	६	कोलक
७	निगम	८	स्कन्धावार

ब अकृत्रिम-दुर्ग —(प्रकृति-प्रदत्त उपादानों से)

१.	पार्वतीयदुर्ग—नगरदुर्ग (१) प्रान्तर (॥)	पिरिसमीपक तथा (३), गुहा दुर्ग
२.	जल-दुर्ग (१) अन्तर्द्वीपीय (॥)	स्थल-दुर्ग
३	धान्वन-दुर्ग (१) निरुदक (॥)	ऐरण
४.	वनदुर्ग (१) खाज्जन (॥)	स्तम्भ-गहन
५	महीदुर्ग (१) णरिघ (॥)	पंक तथा (३) मृदुर्ग
६	नृदुर्ग (१) सैन्य दुर्ग (॥)	सहायदुर्ग
७	मिश्रदुर्ग—(पार्वत-वन्य)	
८	देवदुर्ग	

जहातक दुर्ग-नगराष्टक का सम्बन्ध है वह तो नगर-प्रभेद के प्रकरण में पूर्ण रूप से प्रतिपादित किया जा चुका ही है। अब यहाँ पर अकृत्रिम-दुर्गाष्टक अपने अवान्तर भेदों सहित विवेचनीय है।

१. पार्वतदुर्ग

पार्वतदुर्ग—जैसाकि इसके नाम से प्रतीत है कि यह दुर्ग पर्वत के ऊपर (शिवर-माग) अथवा समीपस्थ ढालू, भूमि पर अथवा पर्वत-समीपस्थ उपत्यका-भूमि पर स्थित होता है। अतएव इसके तीन भेद होते हैं—

(१) प्रान्तर—यह पर्वत के शिवर-प्रदेश पर स्थित होता है जो व्रावर करके ध्रुवेश-मागों की विरचना गुप्तमागों से [जो अन्तर्मार्गाकार (subterranean tunnels) होते हैं] सम्पन्न की जाती है। देवीपुराण (देखिये ७२ '१५—१६) के अनुसार यह वड़ा ही मागलिक एवं प्रशस्त दुर्ग बताया गया है। दत्त महाशय के अनुसार देखिये। (T. Planning in Ancient India page 76) चित्तौरगढ़ तथा लंका इस दुर्ग के निर्दर्शन हैं।

(२) गिरिपार्श्वक—यह पार्वतदुर्ग है जो पर्वत के समीपस्थ ढालू-भूमि पर स्थित होता है। दत्त के अनुसार बूद्धी का किला इसका निर्दर्शन है।

(३) गुहा—नामक वह पार्वत-दुर्ग है जो पर्वत की उपत्यका-भूमि पर स्थित होता है तथा जिसके चारों ओर पर्वत-श्रेणियाँ होती हैं। जयपुर तथा उदयपुर इसके निर्दर्शन हो सकते हैं।

२. जलदुर्ग—जहाँ पर चतुर्दिंग् प्रवाहमय ज़ेल से सुरक्षित स्थान-विशेष तुर्ग का काम देता है। इसके भी दो भेद हैं—

(१) अन्तद्वीप—जिसके दोनों ओर नदी बहती हो अथवा वह सागर के मध्य में हो (Island), इसी को शुकाचार्य ने नदी-तुर्ग के नाम से पुकारा है (देखिये ४ अ०) यह एक प्रकार का आनन्दांपीय नगर है (Insular town) जिसके सुन्दर निदर्शन आधुनिक वस्त्र, प्राचीन लंका, श्रीराम, कावेरीपुष्टनम् हैं ।

(२) स्थलदुर्ग—इस तुर्ग की स्थिति उस प्रदेश पर वाढ़ित है जो उच्च स्थल हो तथा जिसके चारों ओर अप्रवहमाण (Stagnant) गम्भीर जलराशि हो। वही जलराशि यहाँ इसकी रक्त का प्राकृतिक साधन हो। तभी तो यह जल-तुर्ग का अवान्तर भेद है ।

३. मरुदुर्ग—(धान्वन) यह तुर्ग रेगिस्तान के मध्य में होता है और उसके चारों ओर पाच योजन तक जलाभाव रहता है। इस तुर्ग के भी दो भेद हैं—

(१) निश्चक तथा (२) ऐरिण—

प्रथम—निश्चक मरुदुर्ग उस तुर्ग को कहेंगे जो भूमि से आन्द्यादित हो और जहा पर जल, वृक्त तथा शस्त्र का पूर्णाभाव हो ।

द्वितीय—ऐरिण—मरुदुर्ग उस भूमि-विशेष के मध्य में स्थित होता है जो समन्तात् क्षारजल ने बन्ध बन गयी हो। इन दोनों भेदों का मर्स यह है कि प्रथम कोटिक तुर्ग की भूमि बालुका अथवा ककड़ों के कारण बन्ध है तथा दूसरे में द्वारीय जल रेत है। जहा प्रथम में किसी भी प्रकार के पौधों की स्थिति अनुमेय नहीं बहा दूसरे में ऐसी भूमि के अनुकूल पौधों, भाङ्डियों तथा शिलाओं की स्थिति आवश्यक है। उजस्थान की बहुत सी गजधानियों के तुर्ग इन्हीं दोनों कोटियों में आपत्ति होते हैं ।

४. वनदुर्ग—वह तुर्ग जिसके चारों ओर लगभग एक योजन तक धने ज़ंगल हो। इसके दो भेद हैं—(१) सौंजन तथा

(२) स्तम्भ-गहन

प्रथम कोटिक-तुर्ग के चारों ओर उन वृक्तों के ज़ंगल होने चाहिये जो लुत तथा कटीले हीं। वहाँ पर भाङ्डियाँ हों, गुलम हों तथा जलाभाव न हों। भूमि दलवली हो, दूसरे में समन्तात् उच्च शाल सहश ऊचे वृक्तों की गहनता हो। तथा वहा पर जलाभाव भी हो। मत्स्यपुण्य तथा भनु के अनुवार इनसे बाहर कहते हैं ।

५. महीदुर्ग—इस तुर्ग की तीन कोटियाँ हैं—

(१) पारिष—पारिष की प्राचारी हथा वंगों Ramparts तथा Parapets की स्वना नृत्तिका गिलात्रों न्यवा इटिजाओं से की जाती है। इसकी भित्तियों की ऊनाएँ उन की दीप्तियाँ ने गुणी देनी हैं तथा मित्तियाँ न मावत बहुत चौड़ी जिन्हें रंगी रोग उन पर निगरानी के लिये ढाल भी दें ।

(॥) पक—यथानाम ऐसे-भूमि प्रदेश से सुरक्षित हो जो पंकिल, ज्ञारीय अथवा सैकत मृत्तिका से भरा हो ।

(॥) मृदुर्ग—वैसे तो इसका विन्यास समान्यरूप से किया जाता है । विशेषता जैसा इसके नाम से ही संकेत है, यह है कि इसकी दीवालें मिट्ठी की बनी होती हैं । आधुनिक मरतपुर निर्दर्शन है ।

६. नृदुर्ग—इसके दो भेद हैं:—

(१) सैन्यदुर्ग (॥) सहायदुर्ग ।

सैन्यदुर्ग—मैं बहुमुखी सेना के द्वारा रक्षाविधान दुर्गभ्यन्तर एवं उसके वाहाप्रदेश-दोनों जगह सदैव कतारें वॉधकर करने का आदेश है ।

सहायदुर्ग—अथवा 'मित्रदुर्ग' से अभिग्राय मित्र-राजाओं से जो संक्रान्ति-काल में सहायता देकर रक्षा का कार्य करते हैं ।

७. मिश्रदुर्ग—इसकी सुरक्षा-व्यवस्था नगरदुर्ग तथा वनदुर्ग—दोनों की मिश्रित परिपाटी है ।

८. देवदुर्घ—इस दिव्य एवं अलौकिक दुर्ग के सम्बन्ध में दत्त महाशय ने अपने ग्रन्थ में (प० ८१) में एक अवतरण दिया है जो निम्न है:—

महाराजसवेताक्ष-भूत-प्रेत-गुहैरपि
शिलावर्षप्रवृष्टिभिराक्षोक्त्यावेशनिर्गम्ये ।
मंत्रतन्त्रादिसायकैस्तकद् देवदुर्गक्रम्

अतः इस अवतरण के अनुसार देवदुर्ग उसे कहेंगे जिसके प्रवेश-द्वारों की रक्षा देवों, दानवों, वेतालों, भूत-प्रेतों के द्वारा तो सदैव होती है ही, साथ ही साथ इनके द्वारा अवसर आने पर शिलासंधात घनघोर-वृष्टि तथा महा आँधी तूफान आदि की अवतारणा से भी यह दुर्ग शत्रुओं के लिये अगम्य हो जाता है ।

शिल्परत्न के अनुसार उस दुर्ग को दिव्यदुर्ग कहेंगे जिसकी भित्तियों पर इन्द्र, वासुदेव, गुह, जयन्त, वैश्वरण अश्विनी, श्रीमन्दिर, शिव, दुर्गा, सरस्वती की स्थापना हो ।

भगवान् मनु के अनुसार (अ० ७ श्लोक ७२) यह देवदुर्ग एक प्रकार का पार्वतदुर्ग ही है जिसकी रक्षा देवगण करते हैं । कैलाश पर्वत इसका निर्दर्शन हो सकता है । समराङ्गण के अनुसार इन सभी दुर्गों में “पार्वतीय” दुर्ग सर्वश्रेष्ठ एवं प्रशस्त है:—

“सर्वेषामेव दुर्गा । पार्वतीयं प्रशस्यते” (४५, ४० अ०)

इस प्रकार दुर्ग-प्रभेद के उपरान्त अब क्रमप्राप्त दुर्ग-निवेश पर समराङ्गण के प्रवचनों (देविये परि० अ०) के अनुसार उसकी समीक्षा करनी है ।—

अर्थात् दुर्ग-निवेश की संक्षिप्त प्रक्रिया यह है कि जहा तक इसके पदविन्यास (site planning) का प्रश्न है वह पोडशेप-वास्तु भै वनाना चाहिये । मध्य में व्रहा के स्थान का विन्यास करना चाहिये । पुनः व्रहा के स्थान से राजहर्म्य का विधान पाच हस्त

प्रमाण से होना चाहिये । ब्रह्म के मन्दिर तथा गजा के राज-प्रामाण के निवेश के बाद मार्ग-विनियोग के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिये कि तुर्ग-मार्ग चारों ओर निर्भित किये जावें तथा तुर्ग के अभ्यन्तर भिन्न-भिन्न रथ्याओं एवं उपरथ्याओं की परिकल्पना करना चाहिये जिनके प्रमाण हैं—उपरथ्या तीन दाय, शेष रथ्याय दो हाथ । तुर्ग-द्वार का विन्यास तुर्ग रथ्यानुन्तर हो । वह अत्यन्त ऊँचा न हो और न शवु की सेना के द्वारा वह प्रवेश्य ही हो अतः उने उदैव सुरक्षित होना चाहिये । इस प्रकार पद-विन्यास, राज-मन्दिर-सन्निवेश, मार्ग-विनिवेश एवं द्वार-विनियोग के उपरान्त प्रश्न आता हैं तुर्ग के मालिक का । (वहा अफसर) स्थान कहाँ हो । वह व्रतास्थान के चारों ओर हो । उसके संबंध में विकल्प यह है कि तुर्गेश्वर का स्थान वैवन्तत, अर्यमा, मैत्र अथवा पृथ्वीधर इन देवों में से किसी भी एकने अधिष्ठित पड़ पर उसका विन्यास वाढ़ित है । इसके अतिरिक्त तुर्ग के आभ्यन्तरिक विभागों का सन्निवेश पुर-सन्निवेश के सट्टा ही होता है । विभिन्न वसतिया जनावास, देवावास आदि सब पुर के सट्टा नीं व्यवस्थित हों । विशेषता यह है कि तुर्ग में निर्दोष, शुभ, राजमक्त, भनुवट के विशेषज, अत्त-शक्त-कुण्डल तथा शान्तों के प्रवीण योद्धाओं को अवश्य रखना चाहिये । नाथ ही साथ सुन्दर नियों को भी वहाँ अनिवार्य रूप से रखना चाहिये । तुर्ग में रनिवास और सजाना होना ही चाहिये । विशेषकर राजकुमारों को वहा प्रतिष्ठित करना चाहिये ।

‘‘तुर्ग-नगर’’ पर मय सुनि का निम्न प्रवचन (म. म. ६ अ०) अवलोकनीय है । इतनी व्यापक, ग्रोजस्वी एवं समृद्ध तुर्ग-नगर-परिभाषा अन्यथा बुर्लंभ है:—

“जहाँ पर जल, श्रव तथा अक्षरशाल की अक्षय निधि हो, जिसके चारों ओर बड़े-बड़े उत्तुंग भाल बृक्षों की भरमार हो । सम्पूर्ण तुर्ग के चारों ओर प्राकार एवं परिखायें हों तथा रक्षार्थ प्रनेक द्वार निविष्ट हों । जिनकी उत्तुंग भित्तियाँ कम से कम १२ क्यूविट ऊँची हों और जिनपर वाचटावर्स अवलोकनक तथा सैन्य-टोलियोंने सुरोमित हों । तुर्ग के बाह्य प्रदेश में भी जल की कमी न हो, मार्ग दुष्प्रवेश एवं एकात निर्जन घन के छन्न पथों के समान छन्न-पथ तथा छाया-पथ हों । द्वारों पर गोपुर भी हों, महाडप भी हों । चढ़ने के लिये यत्र तत्र गुप्त सोपान श्रेणियाँ विरचित हों । तुर्ग के नभी द्वारों के दोनों कणाटों में चार चार लौह अथवा काष्ठ छ्रैंगलायें हों जिनके कोणकीत भी हस्तप्रमाण से कम न हों । द्वार-प्रमाण तुर्ग-नगरनुरूप हों । इस तुर्ग-नगर ने विभिन्न जातियों के लोगों की भरमार पारी जाती हैं । चतुर्दिक् जिविर सन्निविष्ट रहते हैं । राजवेशम तथा मैन्यशालायें तुर्गाभ्यन्तर-प्रदेश में सन्निविष्ट भी जाती हैं । तुर्ग-नगर के लिये वह अनिवार्य है मि धान्य, चावल, तेंत, लग्ज, औपभिं, लौट और इन्धन प्रादि के नम्भार वहुपरिमाण में एकत्रित किये जावें, जो गम्भ पर कम ज्ञा चक्षे । इस प्रकार तुर्ग तुर्गम, तुर्गन्य तथा तुर्गवगाख होना चाहिये (म. म. ६)

शिविर

गिरि को हमने डिक्क-तुर्ग माना है । उमराफ्लर के यन्त्रार जैसा प्राम ती उन्नेत गे चुका है शिविर-निवेश स्थान के अष्टाग में आठवीं श्रंग है:—

“ निवेशं शिविरस्याप्य क्षयमोऽन्नमधमम् ॥ ”

अतः शिविर-निवेश भी वास्तु-शास्त्र एवं वास्तुकला का एक महत्व-पूर्ण अंग है— यह निर्विचिकित्स है ।

समराङ्गण में शिविर-निवेश के सम्बन्ध में निम्न प्रवचन उल्लेख्य है:—

“अर्थात् जब कभी (युद्धार्थ अथवा अन्य किसी प्रयोजनार्थ—देश भ्रमण(touring of the country) राजा अपने स्थान से—अपने राजपीठ से यात्रा के लिये प्रस्तुत हो तो शिविर सन्निवेश केतत्वश के द्वारा शिविर के निवेश योग्य स्थान की परीक्षा करवानी चाहिये ।

यह स्थानादि परीक्षण-कार्य या तो अर्थशास्त्रश (राजनीतिश) किसी मंत्री आदि के द्वारा हो अथवा सर्वशास्त्र-विशारद स्थपति के द्वारा हो । इस प्रकार शिविर-सन्निवेश भूमि की परीक्षा के उपरान्त शिविर के आकार के सम्बन्ध में ग्रन्थकार का आदेश है—वह किसी भी आकार का हो सकता है—चतुरश्र, वृत्त, वृत्तायत, चतुरश्रायत अथवा फिर किसी स्थान पर यह शिविर विषम भी हो सकता है । आकार के बाद मार्ग-विकल्पन के सम्बन्ध में प्रश्न उठता है । मार्गों का निवेश यथास्थान (अर्थात् जितना स्थान-निवेश के योग्य मिल सकता हो उसके अनुसार) शिविर के दोनों ओर बड़े-बड़े दो मार्गों की रचना करनी चाहिये । मार्ग के निवेश के बाद द्वारों का प्रश्न आता है । द्वार तो चार ही होने चाहिये । सेना-स्थाय की विरचना पुररथा के प्रमाण से आधी हो । राजा के स्थान की रचना मित्र, पृथ्वीभर, अर्यमा अथवा वैवस्वत—इन देवों में से किसी एक से प्रतिष्ठित पद पर करनी चाहिये । (शिविर का सन्निवेश भी प्रचलित विभिन्न पदवास्तुओं में से ६४ पद-वास्तुक विभेद का आदेश है—देखिये अन्तिम पंक्ति) । राज-स्थान के पश्चिम में मत्री का, उत्तर में पुरोहित का, पूर्व में सेनापति का, दक्षिण में रनिवास का तथा भरद्वार का सन्निवेश करना चाहिये ।

अब आया चतुरड्डिरी सेना के निवेश का विषय । उस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि जब राजा अपने स्थान में प्रवेश करे तो उसके दक्षिण की ओर घोड़े तथा वार्षे और हाथी हों । राजवेशम के बाहर की ओर परिला भी बनानी चाहिये जिसका प्रमाण है ३, या ४ हाथ ।

इस प्रकार इस अवतरण से सुस्पष्ट प्रकट है कि इस शिविर में न तो नगरों की तरह विभिन्न वस्तियों के निवेश पर प्रवचन है न विभिन्न देवालयों, प्राकारों, वप्रों, गोपुरों का ही उल्लेख है, अतः लेखक की यह धारणा कि समराङ्गण की परम्परा में शिविर से हमारा अभिप्राय एक क्षणिक पड़ाव से ही है न कि चिरस्थायी दुर्ग अथवा दुर्ग-नगर अथवा नगर-प्रभेद से, ठीक जँचता है ।

शिविर शब्द से साधारणतया तो एक छावनी सेना-स्थान (कैम्प) का वौध होता है, परन्तु वास्तुशास्त्र की परिमापा में शिविर का प्रयोग न केवल कैम्प वरन्, राजा के निवास स्थान तथा सुरक्षित नगर के लिये होता है । डा० आचार्य ने अपनी इन्साइको-पीडिया में इन दोनों अर्थों का उल्लेख किया है । कामिकागम की भी यही मानसारीय परम्परा है । (देखिये २० वाँ पट्ट)

साधारण पाठकों की समझ में सम्भवत, यह नहीं आता होगा कि शिविर का अर्थ

नगर कैसे हुआ ? पूर्व-प्रकरण के परिशीलन से यह प्रकट ही है कि भारतीय नगर-विकास में जहाँ ग्राम-घमूह इष्टप्रदेश, सरिताकूलस्थित कुल-गढ़, मन्दिर आदि के नहरे बड़े-बड़े नगरों का विकास हुआ वहाँ भारतीय इतिहास के भिन्न भिन्न दालों में गजनीतिक स्थिति ने भी नगर-निर्माण में योग दिया । इस तथ्य का विकास आयों के संनिक-जीवन के गहन-गहन में हुआ है । राजपीठों (Royal seats) के चारों ओर ही तो भारत के मत्त्वपूर्ण नगरों का विकास हुआ और ये राजपीठ भारत की तत्कालीन राजनैतिक संक्रमण काल की परिस्थितियों में एक प्रकार के जंगम स्थान ही थे—आज यहाँ कल वहाँ । युद्धचालीन परिस्थितियों-नश भास्त्राज्य एवं राज्य के हास्त अथवा उदय ने राजपीठों में परिवर्तन होता रहता था ।

सम्भवतः इसी तथ्य को लेकर शब्द-कल्पद्रुम नामक भंस्कृत के पुगतन एवं प्रसिद्ध कोप में शिविर के जो विभिन्न अर्थ दिये हैं वे प्रायः सभी इन्हीं उपर्युक्त रहस्य के नोतक हैं । हाँ, शब्द-कल्पद्रुम के निम्न अर्थ देखिये —

अ. निवेश Settlement or encampment

ब. आगन्तुक सैन्यावास

स. कटक अर्यान् राजधानी नगर, दुर्ग, सैन्य, श्रेणी

द. नृपस्य मूलस्थानम्—राजा का प्रधान वासस्थान । (ग. क ५ वाँ पुस्तक पृ० १०६) यही कारण है जैसा कि पूर्व प्रकरण में भंकेत मिया जा चुका है, कि कुछ प्राचीन नगरों के नामों के आगे 'कटक' आदि शब्द जुड़े हैं जिसमें उनके मूल-विकास के रहस्य का आभास प्राप्त होता है ।

इस सम्बन्ध में ग्रस्वर्वतन्पुराण—में प्रतिपादित शिविर-विशेषताओं का मुद्रित शिविर-प्रवचन पर मुन्द्र प्रकाश डालेगा (देखिये अ० १०३ श्रीकृष्ण जन्म रस्त) ;

शिविरं परिवायुक्तं सुचैःप्राकारत्रैष्टिनम् ।

युक्त्वायराद्वारकं सिहद्वारपुररकृतम् ॥

युक्तं विव्रिविचित्रं श्च कृत्रिमैश्च कपाटकैः ।

निपिद्वृचरहितं प्रभिद्वैश्च पुरस्कृतम् ॥

विषय-प्रवेश

पुरनिवेश की पूर्व पीठिका में हम पुरों अर्थात् नगरों के विषय में विविध ज्ञातव्य वस्तुओं का निस्परण एवं वर्णन करते रहे हैं। नगर, नागरिक एवं नागरिकता के आधार-भूत सिद्धातों के आधार पर नगरों की प्राचीनता, नगरों का विकास, नगरों के प्रमेद, नगरों के लघु कलेचर—ग्राम, उनके विभिन्न प्रमेद, नगराकार त्रुगों अथवा त्रुगङ्कति नगरों, इत्यादि की समीक्षा से केवल ज्ञानार्जन ही नहीं हुआ, साथ ही साथ मनोरञ्जन भी होता रहा है। उत्तर-पीठिका में क्रम-प्राप्त सर्वप्रथम नगर-निवेश के सास्कृतिक प्रयोजन की मीमांसा और नगर-निवेश के क्षेत्र पर किंचित् विचार कर लेना अत्यावश्क प्रतीत हो रहा है। आगे के वर्णनविषय का इससे घनिष्ठ सम्बन्ध है।

नगरों के विकास के कारणों की पूर्व-पीठिका में पर्याप्त समीक्षा हो चुकी है। वहाँ पर हमने उन कारणों का सम्बन्ध भौगोलिक, आर्थिक, व्यावसायिक, धार्मिक एवं शिक्षार्थ आदि घटकों से घटित किया है। नागर-शैली के विवेचन में चाहता की महत्ता और उसकी देन के विषय में हम प्रासाद-पटल में विशेष विवेचन करेंगे। यहाँ पर इतना ही संकेत पर्याप्त होगा कि बड़े-बड़े सुन्दर भवनों, प्रासादों-मण्डपों तथा सभाओं का निर्माण, एक नगर की सौंदर्य-वृद्धि के लिए साधारण स्थानों में निर्मित उन भवनों की अपेक्षा विशिष्ट रूप से सम्पन्न करना चाहिये। स ऐ का नागर-प्रसादों के सम्बन्ध में यह प्रवचन है—“नगरारामामलङ्घरहेतवे समकल्पयत्”। अत. ‘चाहता’ की यह विशेषता नगरों तक ही सीमित नहीं है, वात्स्यायन के अनुसार नागरिकों के लिये भी परमोपजीव्य है। भारत की प्राचीन ६४ कलाओं में वहुत सी ऐसी कलायें हैं, जिनका सेवन, केवल एक समृद्ध-नगर में ऐश्वर्यसम्पन्न नागरिक ही कर सकते हैं। चौसठ कलाओं की निम्न लिखित सूची से पाठक-नाया इस तथ्य का स्वर्ण भी मूल्याकान कर सकते हैं:—

१. गीत—चतुर्विध—स्वरग, पदग, लयग तथा त्रवधानग।
२. वाद्य— „ धन, वितत, तत तथा सुषिर।
३. नृत्य—वहुविध।
४. नाट्य—(दे० भरत-नाट्य-शास्त्र)।
५. आलेख्य—(दे० ‘चित्रकला’ सातवा पटल)।
६. विशेषकच्छेद—(विलासिनियों का मुख-लेप्य-विशेष)।
७. तरङ्गल-कुसुम-त्रिलि-विकार—भोजन-कला सम्बन्धी।

१८. पुष्पात्तरर्ह—भालाओं का अन्यत, पुष्पक्षयियों की सजावट ।
१९. दशन-वचन-अंगरहा—ठंडे की चपड़ी, कपड़ों की रंगाई और शर्ट-प्रसाधन (अंगरहों से) ।
२०. नहिं-भूमिका-कर्म—भणियों से फर्श सजाना (यह स्थापत्य है) ।
२१. शब्दन-रचना—शब्दा-निर्माण (यह मी स्थापत्य है) दै० न. दू. २६ वीं अ० ।
२२. उदक-वाद्य—जल-तरंग आदि जल-वालों का वजाना ।
२३. उदक-वाट—जल-स्तरम्-विद्या-जलकीड़ा ।
२४. चिन्न-दोल—दै० चिन्न-प्रदर्शन ।
२५. माल्यप्रथन-विकल्प—मालाओं जी विविव रचनाएँ ।
२६. शैतरपीठ-योजन—पुष्पों के शिरोलूपण ।
२७. नेपथ्य-योगोग—कत्रि-परिवान-चाहुं अयवा रंगमंचीद पढ़ों की सजावट ।
२८. अर्द-पत्र-मंग—करोलों पर गुरान-चना-विन्धाट ।
२९. गन्ध-सुकृति—गन्धों इत्र आदि) का निर्माण-जैशुन ।
३०. भूपर्य-योजना—विविव अंगों पर विविभ-भूपर्य-शरण-चाहुं अथवा नर्दिय-भूपर्य ।
३१. ऐन्ट-जात—ऐन्टजातिक (जादूगर के दमागे ।
३२. कौंचमार्य-योग—कुंचों जी पत्रज-रचना-चाहुं ।
३३. हस्तरात्मन—हस्तरन्तर्वी लाड्यार्घी ।
३४. विचित्रशास्त्र-पृष्ठ-मध्य-विकार-दिवा—इश्वरिव शाक (नूत्र, पत्र, प्ल, छात, पुष्प, क्रमद्वय आदि) पृष्ठ-पृष्ठी, पुका पर्वं अत्य नानाविव मोल्य पदायों (मध्य, मंस, तेल एव ऐप) का क्रिया-क्रीयत ।
३५. पानक-न-यगारव-योजना—सुग, रस, आसुव दया गुर-चठनी आदि बनाने की कला ।
३६. दूर्चीवाय-अन्न—दूर्च (दूर्चीगरी) लवन (रंगरंगीरी) विरचन (हुक्कहर्ती) ।
३७. दूर्च-जीड़ी—रस्तों पर नाच दया कपड़ों की लाड्यार्घी ।
३८. वीरा-हमस्काव—(दै० इये कला नं० ३) ।
३९. प्रहोतिका—पहोतियों ।
४०. प्रतिनात्त—प्रतिनात्त-निर्माण अथवा हुक्क-न-कविता ।
४१. दुर्गचन्द्र-योग—पशुओं और पश्चियों की दोरी दोनता ।
४२. पुस्तक-वाचन—इस्तें बद्ध-बद्ध कला मी सम्बन्धित है ।
४३. नाटकाल्यापिक्ष-नर्दल—यह रंगमंचीय नाटक नहीं, यह एक प्रकार जित्र-प्रदर्शन है जिसे ब्रैंसर्की में देखतों कहते हैं ।
४४. काव्य-उभस्ता-पूर्ण—उभस्ता-पूर्णियों (क्रविदा-चाहुं) ।
४५. पटिका-वेवनान-विकल्प—हेव की कुर्दियाँ, बेव-पत्रा आदि की रचन ।
४६. तुकु-कर्म—बुलाई ।
४७. नर्दर—ददुंगीर्घे—
४८. वाल्यु-विद्या—(दै० प्रेषन प. ५२० अ०) ।
४९. लर्ह-रुद्ध-द्रव-पर्णन—लष्ट है ।

- ४० धातु-वाद—मृत्तिका, प्रस्तर (पाषाण) रत्न आदि धातुओं का पातन, शोधन, मेलन आदि । (metallurgy)
- ४१ मणि रागज्ञान—मणियों की रंगाई ।
४२. आकर ज्ञान—स्वानों का ज्ञान (mining) ।
- ४३ वृक्षायुर्वेद-योग—गृहोद्यानों के वृक्षों का रोपण, पुष्टि, चिकित्सा तथा विन्यास-चारुर्य ।
४४. मेष-कुक्षुट-लावक-युद्ध-विधि—सर्कस (सजीवद्यूत-विधान) के तमाशे—मेष-युद्ध, कुक्षुट-युद्ध आदि ।
४५. शुक-सारिका-प्रलापन—शुक सारिकाओं को बोलना, सन्देश लेजाना, आदि सिखाना ।
- ४६ उत्सादन मर्दन-कौशल—मर्दन दो प्रकार का हाथों से (मर्दन) पैरों से (उत्सादन) ।
- ४७ केश-मार्जन-कौशल—बाल संवारने के विविध कौशल ।
४८. अक्षर-मुष्ठिका-कथन—अदृष्ट अक्षरों का तथा मुझी में बद्ध वस्तु का अनुमान ।
४९. म्लेच्छित-विकल्प—गूढ़ वस्तु मंत्रणा के लिये गुप्तभाषा प्रयोग ।
५०. देशमाधा-विज्ञान—स्पष्ट है ।
५१. पुष्टशक्टिका-विज्ञान—पुष्टों की गाढ़ी बनाना ।
५२. निमित्त-ज्ञान—काक आदि की बोत्ती से शुभाशुभ निमित्तों की पहचान ।
५३. यन्त्र-मातृका—(देखिये इस ग्रन्थ का यन्त्र-पटल) ।
५४. धारणा-मातृका—गूढ़-कविता-कौशल (प्रहैलिका आदि पद्यबन्ध तथा मुरजबन्ध आदि) ।
५५. सपाट्य—गान तथा वाद के लिये पठनाम्यास ।
५६. मानसी-काव्य-क्रिया—आशु-कवित्त ।
५७. अभिधान-कोष—किसी शब्द अथवा पद-विशेष के पूरे पर्यायों को कहना ।
५८. छन्दोज्ञान—स्पष्ट है । अथवा सुन्दरियों के द्वारा पुरुष-मनोज्ञान—शशोधर (वात्स्यायन काम सूत्र के लब्धप्रतिष्ठ टीकाकार) ।
५९. क्रिया-विकल्प—व्याकरण-वैवृत्य एवं अलङ्कार-शास्त्र-पाटव ।
६०. छलित-योग—शूर्पगुखा तथा कीचक के सदृश मेष बदलना ।
६१. वस्त्र-गोपन—सूती कपड़ा रेशमी सा वना देना अथवा शरीर के अप्रकाश्य देशों का संवरण आदि—यशो० ।
६२. शूत-विशेष—जुवा खेलना ।
६३. अक्ष-कीड़ा—,, , , ।
६४. वाल-कीड़नक—वच्चों के लिये गुहिया गुड़दे बनाना ।
६५. वैनियकी-ज्ञान—विनीता-चरण ।
६६. विजयिकी ज्ञान—द्विविध-युद्ध-कौशल—दैव तथा मनुष्य ।
६७. व्यायामिकी-ज्ञान—मृगया आदि व्यायाम ।

टिं०—यशोधर के अनुसार ६४ कलायें मौलिक कलायें हैं जो अवान्तर भेदों सहित ५१८ हो जाती हैं ।

नगर-निवेश के सिद्धान्तों की इस 'भूमिका' में इन चौसठ (या ६७) कलाओं की अवतारणा का क्या मर्म है—इस पर थोड़ा सा संकेत आवश्यक है। इनमें बहुत सी कलायें नागरिक कलायें हैं, जो साधारण ग्रामीण वातावरण में नहीं पनप सकतीं। पुनश्च कलाओं के विकास का आधार एक एवं समृद्ध मानव की सौन्दर्य-भावना है। इस सौन्दर्य भावना का सम्बन्ध बहुत कुछ उसके वौवन से है। वौवन तथा सौन्दर्य ने ही सनातन से विभिन्न कलाओं की उपासना एवं सेवन के लिये उपयुक्त ज्ञेय प्रदान किया है। एक असंस्कृत ग्रामीण को सौन्दर्य की क्या पहिचान ? कलात्मक जीवन-यापन के लिये उसके पास उपादेय संभार एवं सामग्री कहाँ ? अतः कलाओं का विकास नागरिक-सभ्यता के विकास का आनुपङ्गिक क्रम है। बात्स्यायन के काम-सूत्र में प्रतिपादित इन कलाओं के जन्म एवं विकास का सम्बन्ध पुरुषार्थ-चतुष्य के अर्थ एवं काम की त्रुटि से है। काम भी उतना ही सनातन एवं सत्य है जितना धर्म एवं मोक्ष। अतः इन कलाओं ने नागरिक सभ्यता एवं नगरों के विकास में अत्यधिक सहायता प्रदान की—यह हम समझ सकते हैं। समृद्ध नगर और ऐश्वर्य-सम्पन्न कलाविद् शिल्पित सभ्य नागरिक किसी भी सभ्य देश के जीते जागते ज्वलंत उदाहरण हैं। इन कलाओं के संबंध में यह भी सत्य है कि इनमें से बहुत सी अव केवल नाम मात्र को शेष हैं। कलाओं के विकास के लिये सुख एवं शान्ति की परम आवश्यकता है। यह बुलशाति राजनैतिक स्थिरता एवं दृढ़ता की निशानी है। भारत का राजनैतिक इतिहास इसका साढ़ी है कि इस महादेश की दासता ने प्रायः इन सभी कलाओं को खा लिया है। साहित्य तथा वह कला, जिसकी उपयोगिता अथवा उपादेयता सर्वसाधारण के लिये नहीं है, जो विश्व जनीन नहीं, कभी चिरस्थायी नहीं हो सकती। इन परम्पराप्रसिद्ध कलाओं में से बहुत सी ऐसी ही कलाएँ थीं, जो कालान्तर में विस्मृति के गर्त में विलीन हो गयी। इनमें से जो विशेष उपादेय थीं, जिनकी सर्वसाधारण के लिये भी विशेष उपयोगिता यी वे ही चिरस्थायिनी वर्णी और आज भी विद्यमान हैं। ऐतिहासिक अनुसन्धान में इन ६४ कलाओं में से बहुत सी ऐसी भी कलायें थीं, जो यद्यपि आज विद्यमान नहीं हैं, परन्तु इस देश में किसी समय उनका सेवन (Cultivation) नागरिकता एवं सभ्यता के भौतिक वैभव की निशानी समझी जाती थी। जैसा कि नियम है 'प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति' इन चौसठ कलाओं में से कुछ उपादेय एवं महत्वपूर्ण कलाओं का ही वोलगाला रहा। उनमें भी वास्तु कला ने इतनी उच्चति की—उसका इतना व्यापक विजृभूण हुआ कि बहुत सी कलायें इसी के व्यापक कलेवर में जु़़़ गयीं। ठीक भी है।

मनुष्य की सर्वप्रसुख आवश्यकता उदर पूर्ति तो है ही, किन्तु वास सम्भवतः उससे भी अधिक महत्व पूर्ण है। उदर-पूर्ति की आवश्यकता के समान अथवा उससे भी अधिक महत्व वास को देना ही तो मानव सभ्यता की सार्थकता है अन्यथा यत्रतत्र कान्तारों, पर्वतों एवं वृक्षों पर विचरने वाले वन्य जन्तुओं तथा खगों-मृगों से, मानवों का कैने पार्थक्य एवं श्रेष्ठता होती ?

प्राचीन शिल्प-शास्त्रियों ने वास्तु-कला—भवन-निर्माण-कला—वास-वस्ति-विज्ञान के सम्बन्ध में जो 'वास्तु' शब्द का लक्षण धरा, हर्म, यान एवं पर्यक दिया है,

उनमें से प्रथम दो धरा तथा हर्म्य को लेकर नगर-निवेश—वसति-विन्यास—ग्राम निवेश-पुर-विनिवेश (Town-Planning) ऐसे नागरिक शास्त्र का जन्म हुआ । क्योंकि धरा और हर्य ही नगर-शरीर के सार्थक कलेवर हैं । धरा आधार है, तथा हर्म्य आवेद विना धरा के नगर का निवेश कहाँ है विना हर्म्य अर्थात् भव । (building) प्रासाद, राजप्रासाद, मरडप, सभा, शाला आदि के विना नगर के कलेवर की पुष्टि कहाँ ।

वैसे तो आजकल वास्तु-शास्त्र का प्रचलित अर्थ भवन-निर्माण कला है, परन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से एवं शास्त्रीय पद्धति से तो विना नगर निर्माण-नियमों के ज्ञान के भवन-निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठना । भवनों के निर्माण-योग्य स्थान का दूसरा नाम नगर है । अतः साराश यह है कि वास्तु-शास्त्र का नगर-निवेश परमोपजीव्य तथा प्रमुख अंग है, और प्रधान विवेचनीय विषय है ।

अब क्रम प्राप्त नगर-निवेश के क्षेत्र (Scope) अर्थात् उसके विभिन्न अंगों की विवेचना करनी है । पुनः आगे नगर-निवेश के व्यापक सिद्धान्तों एवं नियमों की समीक्षा करनी होगी, जिससे नगर-निवेश की सामग्री को हम समझ सकें ।

नगर-निवेश के अंगों की निम्न तालिका में स्थूलदृष्टि से नगर-निवेश के प्रायः सभी अंगों का समावेश हो जाता है ।

१. देश-मापन (Land-Investigation)
२. भूमि-संग्रह—भूमि-चयन
३. दिक्-परीक्षा
४. पद-विन्यास —वास्तु-पद विभाजन अर्थात् निवेश्य स्थल का विभिन्न भागों में विभाजन तथा वर्गीकरण—विभिन्न पद्धतियाँ—प्राचीन तथा अर्वाचीन
५. नगराभ्युदयिक शान्तिक एवं वलिकर्म-विधान ।
६. मार्ग-विन्यास ।
७. प्राकार-परिखा-वग्रादि-विन्यास-योजना (Fortification)
८. अदालक, कपिशीर्षक, चरिकादि-विन्यास ।
९. द्वार एवं गोपुर-विधान ।
१०. भवन-निवेश ।
११. मरडप-विधान (मन्दिर—देवतायतन) ।
१२. राजवेशम
१३. आरामोग्यान, पुष्य-नीथिकायें, पुरजन-विहार तथा सर्वसाधारण मवन आदि ।
१४. गर्हितपुर (Inauspicious towns)

अस्तु, ये ही विषय आगे के अध्यायों का कलेवर निर्माण करेंगे ।

एक नगर के विकास में अथवा उसके निवेश एवं निर्माण में, उस स्थान-विशेष की, जहाँ पर वह नगर विकसित, निविष्ट या निर्मित होता है, प्राकृतिक स्थिति—जलवायु, वातावरण—वृक्ष, लता, गुल्म, नदी, पर्वत, समुद्र, मरुस्थल, आदि-आदि की विशेषताओं का उस पर प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़ता ही है, साथ ही साथ उस जनपद विशेष की संस्कृति, सभ्यता, रहन-उहन, एवं तदनुस्म आवश्यकताओं, वहाँ-के मानवों—नागरिकों की प्रष्टुतियों, एवं व्यवहार और व्यवसाय आदि का भी कम प्रभाव नहीं पड़ता है।

इसी आधारभूत सिद्धान्त के अनुसार जब कभी किसी नगर की निवेश-योजना अर्वाचीन अथवा प्राचीन समय में बनाई जाती है अथवा बनायी जाती थी तो उस स्थान विशेष की भूमि, जलवायु, जनपद तथा पौरजन्म-पद एवं वहाँ की आर्थिक तथा राजनैतिक सभी प्रकार की विशेषताओं को दृष्टि में रखकर ही तो नगर-निवेश स्थान-विशेष का निर्वाचन किया जाता या।

मनुष्य चिरन्तन से प्रकृति का प्रेमी रहा है। प्राकृतिक सौन्दर्य उसके मानस-पटल को सर्दी-सर्वाधिक आकृष्ट करता रहा है। उसी सौन्दर्य की नृति के हेतु वह अपने सभी मानवीय व्यापारों में, गृहनिर्माण, पुर-निर्माण, ग्राम-विन्यास, भोजन-पाचन, आहार विहार—सभी क्रिया-कलापों में प्राकृतिक साधनों का उपयोग करता रहा तथा उस प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रतिविम्ब को देखने की कामना करता रहा।

भारतीय पुर-निवेश-परम्परा में यहाँ के स्थपतियों ने सदैव यह चेष्टा की कि किस प्रकार वह अपनी कृतियों में सौन्दर्य के दर्शन की ज्योति को निखारे। स्थापत्यकौशल आसिर-कार एक प्रकार की कलात्मक साधना है जिसकी पूर्ण अभिवृक्षि के लिये मेत्यं, शिर्वं, सुन्दरम् के अपूर्व संयोग एवं समन्वय का सहारा लेना पड़ता है तभी वह कौशल, वह कला, वह रचना, वह निर्मित वास्तव में श्लाघ्य एवं प्रभावोत्तम छोटी है।

अतः नगर-निवेश के उपयुक्त स्थान के युनाव में इन सभी घटकों(factors)को दृष्टि में रखना आवश्यक हो जाता है। एक दो वार्ते और रही जाती हैं, उन पर भी ध्यान देना है। जहाँ मनुष्य ने अपनी सौन्दर्य-पिपासा के लिये प्राकृतिक स्थानों को चुना वहाँ अपनी रक्षा के लिये भी इन्हीं स्थानों का आश्रय पाकर वह कृतकृत्य भी हुआ। किमी सरिता तट पर निर्मित नगर की सुरक्षा उस सरिता से उत्तरा सम्भ हो ही जाती है। सरिता उस नगर की प्राकृतिक प्राकार-प्रक्रिया है। इसी प्रकार पर्वत की ऊत्त्वकार्य अथवा सागर-वेता या मरुस्थल भी प्राकृतिक सुरक्षा के साधन हैं।

प्रकृति, जनपद, जलवायु आदि की उपयोगिता पर चर्चेत हो चुका है। भारतीयों की सभ्यता में धार्मिक अनुष्ठान, पूजा-विधान तथा दैनिक स्नान का यह भारी महत्व ननावत ने रहा है—यह सभी जानते हैं। अत नगर-निवेश के मर्मज्ञ स्वपति ने सदैव वह ध्यान रखया कि नगर का निर्माण उसी स्थल-विशेष पर हो जहाँ जल ना आधिक्य हो।

सुविधा भी हो । यही कारण है कि भारत के सभी बड़े-बड़े नगर या तो किसी नदी के किनारे आवाद हैं, या फिर किसी झील अथवा तालाग के किनारे या चतुर्दिक निविष्ट हुए हैं । स्वास्थ्य और सफाई, पवित्रता तथा धार्मिकता के लिये जल से बढ़ कर दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण नहीं । अतः जहाँ पर जलाधिवय होगा वहाँ पर वृक्ष, पौधे, लता, गुल्म—प्राकृतिक सौन्दर्य के दिव्य साधन भी प्राप्त होंगे । वही स्थान, वास्तव में मानव-वासोचित ही नहीं देवावासोचित भी सम्भव हो सकेगा । जहाँ देवता नहीं रमे वहाँ मानव कैसे पनपे—यही तो भारतीय समाज का चिन्तन रहस्य है तथा भारतीय सभ्यता की जीवन-गाया है ।

मत्स्य पुराण (अ० २१७—श्लो० ५—६) की ये पक्षियाँ इन विशेषताओं के सम्बन्ध में कितनी सार्थक हैं ।—

अदेवमातृकं रस्यं सुरक्षजनान्वितम्

सरीसृपविहीनञ्च व्याघ्रतस्करवर्जितम् ।

अर्थात् नगर-निवेश के लिये वह उपयुक्त स्थान है जहाँ कृषि तथा उर्वरक्ती Fertilization के लिये वर्षाजल की अपेक्षा न हो अर्थात् वहाँ प्राकृतिक पुष्करणी अथवा कृत्रिम जलधारा—Canal आदि के पूर्ण साधन हों । यह स्थान सभी प्रकार सुरम्य हो, स्वस्थ हो तथा सर्पों, व्याघ्रों तथा चोरों से शून्य हो ।

कुछ भूले हुए, वहके हुए, भारतीय जीवन से अनभिज्ञ समाजोचकों ने सदा से यह आक्षेप किया कि यहाँ के लोगों ने नगर-निवेश, पुर-निवेश अथवा ग्राम-विन्यास या फिर भवन-निवेश में मौतिक साधन-सम्पन्नता—सौदर्य तथा आनंद, सुख तथा स्वास्थ्य की ओर कभी ध्यान नहीं दिया । वह सर्वथा अनर्गत भ्रम है । प्राचीन शिल्प-शास्त्र के प्रवक्ता किसी ऋषि, मुनि अथवा आचार्य को लीजिये उनके प्रवचनों को ध्यान से समझिये । यह आक्षेप त्रिलकुल ही गलत मालूम पड़ेगा । राजधानी-नगर के निवेश के सम्बन्ध में आचार्य शुक्रजी कहते हैं (प्रथ० अ०)

“उस सुरम्य एवं सुमतल भू-प्रदेश पर राजधानी-नगर का निवेश करना चाहिये, जो विविध प्रकार के विटपों, लताओं और पौधों से आकीर्ण हो । जहाँ पर पशु-पक्षी तथा जीव-जन्तुओं की पूर्ण सम्पन्नता हो । जहाँ पर खाद्य एवं जल का पूर्ण सौकर्य हो । चारों ओर जहाँ पर हरियाली, वाग-वर्गीये, जंगल के प्राकृतिक सौदर्य दर्शनीय हों । जहाँ पर समुद्रतट पर गमनशील नौकाओं के यातायात से उनका सदैव संचार दृष्टिपथ में हो और वह स्थान पर्वत से बहुत दूर न होकर समीप हो ।”

ऋषि मानसार तथा मुनि मय के भी इसी प्रकार के प्रवचनों को देखिये (मानसार ३ अध्याय तथा मयमत ३, ४ अ०) जिनके अवलोकन से भी पाठक इसी प्राचीन परम्परा की पुष्टि पायेंगे ।

मयमुनि, ऋषि मानसार तथा शुनाचार्य जी के इन औपोद्यातिक वचनों के निर्देश के उपरात भोज के उपसहारात्मक भूमि-च्यन-विषयक इन प्रवचनों का उद्धरण देकर भूमि-च्यन के अत्यन्त विशद एवं उपादेय विषय की सुन्दर समीक्षा हो सकेगी—देखिये परिशिष्ट

‘जिस भू-प्रदेश की गोद में चारों ओर बड़ी-बड़ी शिलाओं वाली पर्त-थ्रेणियाँ विसरी हों और जिन पर सुन्दर सुरम्य कुञ्जों, गुल्मों, लताओं तथा विटपों की शोभा दर्शनीय

हो और जिनमें सतत धीरुंस्यदेन होता रहता हो । जहाँ पर सुन्दर नदियाँ वह रही हों, जिनके सैकतों-कूलों पर चित्र-विचित्र सुन्दर विटप अपनी छाया जल-मुकुर में सदैव देखा करते हों, जिनका जल स्वामु हो, जो स्नानानावगाहन, मजन और तैरण के लिये क्षम एवं सुखद हो । पर्वत-सामीण्य एवं नदी-सौविध्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जा चुका है । अब आहये काननों की ओर । चित्र विचित्र विविध पुष्पों-फलों से लदेहुए बनों की जहाँ भरमार हो, और जहाँ पर सदैव वसन्त की वहार हो—कोकिलों की कलरव ध्वनि, मधु से मत्त भ्रमरों का गुज्जन सदैव कर्ण-कुहरों में पीयूप की वर्षा करते हों । हो सकता है किसी स्थान-विशेष पर सरितायें न हों तो फिर पुष्करों, पुष्करिणियों (भीलों) तथा तड़ागों की दर्शनीय छटा तो हो ही, जिनमें खूब जलराशि हो (जिससे जल-सौविध्य की सम्पन्नता सिद्ध हो सके) और जिनमें कतारों की कतार से कमल खिले हों और भैंवरे गुज्जार कर रहे हों । अब खाद्यान्न की ओर ग्रन्थकार झुकता है—विना खाद्य-व्यवस्था, वसती कहाँ पनपेगी । अतः जहाँ पर सस्य-निष्पादक सुन्दर चेत्रों की खूब भरमार हो—इनकी अपनी अपनी सीमायें विभक्त ह—सम हों, ऊबड़न्वाबड़ प्रदेशों में न हो, इनकी जमीन सुगन्धित हो, स्वामु हो, शीतल हो । साथ ही साथ इन्धन आदि तथा गृह-प्रयोज्य काष्ठ आदि के लिये विना काटे बाले बड़े-बड़े बृद्धों की भी कमी न हो । इसी प्रकार की भूमियों प्रशस्त बताईं गई हैं । यहाँ दुष्टों की दुष्टता का अबसर न मिले तथा सर्वप्रकार आथ्रय-सम्पन्नता भी हो । भय त्रास आथ्रवा शंका का वहाँ अवकाश न हो । सभी प्रकार की मनोरमता हो—ऐसी ही वसुन्धराओं पर जनपद, खेटक, ग्राम, नगर आदि की निवेश-व्यवस्था करनी चाहिये ।

वास्तु-कला में भी भोज ने काव्यकला का पुट देकर, नगर-निवेश-क्रिया (कला) में भी कवित्व की कृति सी एक दिव्य-ज्योति प्रदान की जिससे नगर स्थागुवत् नीरस न रहकर सरस पादप के समान अत्यन्त हृदय एवं अनवद बन गया ।

भू-परीक्षा

भूमिचयन में जहाँ उस स्थान के ऊर्वर, सुन्दर, स्वस्थ, एवं सुविधायुक्त वातावरण को ध्यान में रखना आवश्यक है, वहाँ यह भी देखना है कि भूमि भवन-निर्माण के उपयुक्त है कि नहीं । अतः सभी शिल्प-शास्त्रों में भू-परीक्षण पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है । भू-परीक्षण-विधान को हम दो भागों में वॉट सकते हैं—एक तो भूस्थल-परीक्षा तथा दूसरे मृत्तिका-परीक्षा ।

मानसार, मयमत आदि प्रमुख शिल्पीय ग्रंथों एवं पुराणों में भी भू-परीक्षा-विधान पर जो प्रकाश डाला गया है उसका साराश यह है कि भूपरीक्षा अर्थात् उसके औचित्य-नौचित्य-परीक्षण में वर्ण, गंध, स्वाद, आकृति, दिश-सुस्ता (Direction), ध्वनि, स्पर्श आदि सभी दृष्टियों से उसकी उपयुक्तता जॉचनी चाहिये । भू-स्थल समतल हो । उसका सब पूर्वाभिमुख हो । शब्द उसका कठोर हो । वायें से दाहिनी ओर प्रवृहवान् जलतोत हो । मृत्तिका का प्राचुर्य हो तथा मनुष्य की ऊँचाई की खुदाई ने जल प्राप्त हो सकता हो तथा समशीतोष्ण जलवायु हो । ऐसी भूमि मर्वेत्तम, कुछ गुण कम मध्यम तथा विलकूल

विपरीत श्रधम होती है । मानसार जहाँ भूमि के सब को पूर्वभिसुख मानता है, वहाँ भथ महाराज उसे 'ऐन्द्रोत्तर-सवा' विशेष प्रशस्ता मानते हैं । मयमुनि यह भी चाहते हैं कि भूमि की उर्वरता के साथ साथ उसमें एक ही वर्ण हो अथवा विभिन्न हों । भूमि घनी, शीतल, सुखद-स्पर्श, सुस्वादु तथा सिकतामय हो । इन सब विशेषताओं को दृष्टि में रखकर मय मुनि लिखते हैं:—

श्वेतास्त्वक्षीतकृष्णा हयगजनिनदा घट्सा चैकवणा ।
गोधान्यामभोजगन्धोपलतुषरहिता प्राक् प्रतीच्युज्जता या ॥
पूर्वोदग्वारिसाशा वरसुरभिसमा शूलहीनास्थिवर्ज्या ।
सा भूमि: सर्वयोग्या कण्दरहिता सम्मतान्यै फर्णान्द्रैः ॥

समराङ्गण की भू-परीक्षा बड़ी विशद है । जिस भूमि पर ग्राम, नगर, दुर्ग, पत्तन, प्रासाद या मन्दिर अथवा भवन आदि का निवेश करना हो उसकी प्रथम परीक्षा आवश्यक है । भूमि की परीक्षा—दिशा, वर्ण, गन्ध, रूप, स्वाद एव स्पर्श आदि विभिन्न प्रक्रियाओं से की जानी चाहिये—इस पर सकेत हो ही चुका है । साथ ही साथ भूमि का आरोहावरोह एवं उसकी अपनी निजी उत्पत्ति-विशेष आदि की भी परीक्षा सूक्ष्म रूप से अनिवार्य है ।

समराङ्गण की भू-परीक्षा विशद तो है ही व्यापक भी बड़ी है । समराङ्गण का विवेचन प्रायः प्रत्येक त्रैत्र में इसी व्यापक भावना से ओत-प्रोत रहता है । यहाँ परं सर्वे-प्रथम भूमि की विभिन्नता की दृष्टि से, देशों एवं देश-भूमियों का वर्गीकरण किया गया है । इस भूमि-दृष्टि से देश तीन प्रकार का होता है:—

- १. जागलं
- २. अनूप तथा
- ३. साधारण

जहाँ पर पानी दूर हो—प्रायः मरुस्थलों की प्रचुरता हो वृक्ष जहाँ पर छोटे और कटीले हो, चायु जहाँ की रुक्ष, उषण तथा प्रचरण हो, मिट्टी जहाँ की काली हो वह 'जागल' देश कहलाता है ।

इसके विपरीत जहाँ पर जल निकट हो, जलाधिक्य हो अथव वह प्रदेश सुरम्य एवं शीतल हो, जहाँ पर मछुली और मास भी प्रचुरता से प्राप्त हों, सरितायें भी खूब हों, ऐड ऊंचे, सुहावने तथा अधिक हों वह देश 'अनूप' के नाम से पुकारा जाता है ।

‘साधारण’ देश उक्त दोनों देशों का सम्मिश्रण होता है । न ब्रह्म-बहुत गरम होता है और न बहुत ठिढ़ा ।

इन त्रिविध देशों में प्राप्त अपनी अपनी विशेषताओं से युक्त निम्न सोलह प्रकार की देश-भूमियाँ होती हैं:—

- १ वालिशसामिनी
- २ भौग्या
- ३ भीतागोचररचिणी

६.	आत्मधारिणी	-	१२.	शक्यसामन्ता	-
७.	वास्तिकप्रसाधिता	-	१३.	देवसातुका	--
८.	द्रव्यसम्पन्ना	-	१४.	धान्या	-
९.	अमित्रधातिनी	-	१५.	हस्तिवनोपेता	-
१०.	आश्रेणी-पुरुषा	-	१६.	सुरक्षा	-

इनकी व्याख्या आवश्यक नहीं है—यथार्थ नामा हैं ये भूमिया। इन सोलह प्रकार की विशिष्ट भूमियों के अतिरिक्त और भी अनेक मिश्रलक्षणा जानपद-भूमियाँ हैं जिनकी पुनरावृत्ति अनावश्यक है। केवल इतना ही निर्देश कर देना पर्याप्त होगा कि सबका सारांश यह है कि जहा पर सुन्दर प्राकृतिक दृश्य हों, सरितायें जहा वह रही हो, नानाविधि सुन्दर पादपों, लताओं एवं पुष्पों का जहा मनोज साम्राज्य छाया हो, जहाँ की पृथ्वी पर कटीलापन, पथरीलापन और वल्मीकापन न हो और जो विभिन्न प्रकार के गुणों एवं सुविधाओं से सुशोभित हो, वही प्रदेश पुर-निवेश के लिये समुचित स्थान है।

यहाँ पर यह स्मरण रहे कि पुर-निवेशोचित इन भूमियों के अतिरिक्त समराङ्गण में तुर्ग-निवेशोचित भूमियों पर पृथक् प्रकाश डाला गया है—यह इसका वैशिष्ट्य है। मानसार आदि ग्रंथों में पुर, ग्राम, तुर्ग आदि की भूमिया प्रायः एक ही सी प्रतिप्रादित की गयी है। स. स. में तुर्ग-निवेशोचित चार प्रकार की भूमियाँ वर्ताई गई हैं—

१.	गिरिहुर्गार्वनि	३.	जलहुर्गार्वनि तथा
२	मूलहुर्गार्वनि	४.	ग्राकारहुर्गार्वनि

इन पर समुचित प्रकाश 'तुर्गनिवेश' नामक पूर्व प्रकारण में डाला ही जा चुका है।

समराङ्गण में भी मानसार के आनुपङ्गिक भूपरीक्षण-विधान में गन्ध, वर्ण, स्वाद, स्पर्श एवं शब्द अर्थात् ध्वनि इस पंचमुक्ति मृत्तिका-परीक्षा-साधन-व्यवस्था का आश्रय लिया गया है।

गन्ध—गन्ध की परीक्षा से वह पृथ्वी सभी वरणों (ग्रामण, द्वित्रिय, वैश्य तथा शूद्रों) के लिये प्रशस्त है जिसमें कुंकुम, अग्रुरु, कपूर, इलायची, चंदन आदि की पृथक्-पृथक् अथवा मिथित गन्ध हो, अथवा कल्हार (पुष्पविशेष) पाटला, कमल, मालती, चम्पा आदि पुष्पों में सुरान्धित हो, अथवा गोमूत्र, गोमय, दधि, तुरध, मधु, धृत—इनकी गन्ध से गन्धवती हो, अथवा मदिरा, माघीक, गजमट अथवा आसवं आदि के मदश समान-गन्धा हो।

अस्तु, यहाँ पर इतना संकेत करना आवश्यक है कि वहाँ मानसार आदि प्राचीन शिल्प-ग्रन्थों में, तथा सूत्रधार-मरडन आदि अवर्वाचीन ग्रंथों में शूद्रों के लिये हीन-गन्धा मही का निर्देश किया गया है वहाँ भोज ऐसे Aristocratic राजा ने सभी वरणों के लिये (without any distinction) इस उपर्युक्त गन्ध-विशिष्टा सुन्दर वसुन्धरा का वसान किया है—भोज का यह परम वैशिष्ट्य है। सर्वसाधारण भवनों के लिये सर्वसाधारण भूमि हीनी चाहिये।

वर्ण—भूमि के भी चार वर्ण हैं—सित, पीत, रक्त, कृष्ण। ब्राह्मणादि चारों वर्णों के लिये क्रमशः ये प्रशस्त प्रतिपादित किये गये हैं। वर्ण-व्यवस्था का आभार वर्ण (रंग) ही तो है। वही रंग-मेद विभिन्न वर्णियों के लिये विभिन्न रूप में प्रशस्त माना गया है। ब्राह्मणों के लिये सिता मही—वह शुद्रता उनके तेज, तप एवं पवित्रता की वोधक है। द्वित्रियों के लिये रक्ता मही—रुधिर का रंग उनके युद्ध-कौशल, युद्ध-भूमि एवं सैनिक-प्रवृत्ति Martial spirit का वोधक है। वैश्यों के लिये पीता मही। पीतवर्ण—स्वर्ण का रंग है, जो उनकी सम्पत्ति, धन और ऐश्वर्य का वोधक है। अथवा शूद्रों के लिये कृष्णा मही—अनार्य रंग—जो कि उनकी तुच्छता, दासता तथा अपवित्रता का वोधक है।

स्वाद—जहातक स्वाद-विभेद का प्रश्न है मधुरा मही सभी वर्णों के लिये ठीक ही है। परन्तु परम्परा से मधुरा, कषाया, तिक्ता और कटुका—ये चार प्रकार की स्वादवती भूमिया क्रमशः ब्राह्मणादि वर्णों के लिये प्रशस्त हैं।

स्पर्श—स्पर्श-प्रभेद से वह भूमि जो ग्रीष्म में शीत-स्पर्शा तथा शीत ऋतु में उष्ण-स्पर्शा और वर्षा में उष्ण-शीत-स्पर्शा हो वह प्रशस्ता बतायी गयी है।

ध्वनि(शब्द)—अन्त में शब्द की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिये। जिस भूमि की मृदङ्ग, वेणु, वस्त्रकी, तुन्दभी आदि वाजों के समान ध्वनि हो अथवा हाथी, धोड़े अथवा समुद्र के शब्दों के समान ध्वनि हो वह प्रशस्त प्रतिपादित की गयी है।

इस प्रकार भूमिचयन में विभिन्न घटकों को लेकर भू-परीक्षा से प्राप्त प्रशस्त भूमियों के उच्चोख के उपरात अव अप्रशस्त भूमियों का भी ज्ञान आवश्यक है। मानसार, मयमत आदि सभी शास्त्रों ने इस सम्बन्ध में चर्चा की है। मानसार के चौथे अध्याय में तथा मयमत में भी चौथे अध्याय में वर्ज्य भूमियाँ परिगणित हैं वे वहीं द्रष्टव्य हैं।

समराङ्गण-सूत्रधार में अप्रशस्त—अशुभ भूमियों का जो वर्णन किया गया है उनकी विना समीक्षा एवं भाषार्थ के ही निगद-व्याख्यान हो जाता है। (देविये परिशिष्ट—अवतरण)

भूपरीक्षा के इस प्रकरण को हमने दो भागों में बाँटा था—भूस्थल-परीक्षा तथा मृत्तिका-परीक्षा। भूस्थल-परीक्षा के सम्बन्ध में प्रशस्त एवं अप्रशस्त भूमियों तथा उनके विविध प्रकारों आदि पर काफी विवेचन हो चुका है। अव आगे मृत्तिका-परीक्षा की अवतारणा करनी है। परन्तु भूमिचयन के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण छूटा जा रहा है। वह है भूमिप्लवन natural propclivities of the ground i. e. Declivity towards one direction or the other.

इस प्रश्न पर भोज ने अपने युक्ति-कल्पतरु तथा समराङ्गण दोनों में प्रकाश डाला है:—

इशानपूर्वप्लवनो मध्यस्थानसमुन्नतः

उत्तमः कीर्तितो देशो गृहाय नगराय च ।

अर्थात् वही भूमि-प्रदेश गृहनिर्माण अथवा नगरनिर्माण के लिये उपयुक्त होगा जो मध्य में समन्वय हो तथा पूर्व तथा पूर्वोत्तर की ओर कुका (Slanting) हो ।

समराङ्गण में भोज लिखते हैं:—

अनूष्ठरा बहुतुणा शशता स्तिर्ग्नोत्तरप्लवा ॥ ६ ॥

प्रागीशानप्लवा सर्वप्लवा वा दर्पणोदरा ॥

आठवाँ श्र० भूमि-ग्रीना

अर्थात् जो भूमि ऊर्वरा हो, वहुशाप संयुक्ता हो, स्तिर्ग्ना अथवा उत्तरप्लवा पूर्वोत्तर-दिक्प्लवा declivity towards the north or north-east अथवा सर्वदिक्प्लवा हो और मध्योन्नता हो वह दर्पण-सदृश-मध्या भूमि प्रशस्त है ।

सारांश यह है कि भूमि की दक्षिणप्लावनता अशुभ ही नहीं अप्रशस्त भी है । सभी शिल्प-शास्त्र भूमि की पूर्वप्लावनता प्रशस्त मानते हैं । इससे प्रातः सूर्य का पूर्ण आनन्द एवं उपयोग प्राप्त होता है । इसके विपरीत दक्षिण-प्लावनता से गन्दगी, बीमारी आदि खराचियाँ निश्चित हैं । परिचमीय-भूप्लावनता भी निपिद्ध है । शिल्परत्न का प्रबन्ध है:—

प्राच्यां हि निपिद्धो हि गिरिः तच्छाययाप्युदये रवे ।

श्र० ३ श्लोक ३३ वा

अर्थात् पुर की पर्वत-समीपक—परिचम-दिङ्मुखता इसलिये अवाक्षित है कि सूर्योदय पर भी प्रातः सूर्यरिमयों के स्वच्छन्द प्रसार में वाधा होंगी ।

इसी लिये भोजने समराङ्गण के ४८ वें अध्याय में भूप्लावन के दोपों की विवेचना कर उनसे वचने का निर्देश किया है (दै० परिशिष्ट अवतरण)

मृत्तिका-परीक्षा

भूमि की 'भूमिस्थल-परीक्षण' के इस विवेचन के उपरान्त अब भूमि की मृत्तिका-परीक्षा के सम्बन्ध में भी कुछ उद्घाटन आवश्यक है । मृत्तिका-ग्रीना के विमिन्न उपायों पर जो प्रायः सभी शिल्पीय-ग्रन्थों में प्रकाश डाला गया है उनके अन्तर्में एक ही आधार-भूत सिद्धान्त है—वह है भूमिकी कठोरता Solidity । जो भूमि कठोर Solid नहीं है वह भवन-निर्माण, मन्दिर-रचना, प्रासाद-विन्यास अथवा राजप्रासाद रचना के लिये कैसे उपयुक्त हो सकती है ? इसी रहस्य के समुद्घाटन के लिये भयमत के चौथे अध्याय में मानसार के चतुर्थ तथा पंचम अध्यायों में, काश्यपीय-शिल्प के प्रथम भाग में, राजवक्ष्यम् एवं मत्स्यपुराण के अपने अपने अध्यायों में विशेष प्रकाश डाला गया है जिसका प्रायः वास्तु-तत्त्व-समीक्षात्मक स्वरूप का सभी ग्रन्थों में उल्लेख किया गया है और जिसकी एक प्रकार से सर्व सावरण प्राचीन परम्परा-सी स्थापित होगयी थी । हा आजकल के समय में जब भवन-न्यूनता तथा भूमि-न्यूनता, अत्यधिक आवादी के कारण एक जटिल समस्या बन गयी है, ऐसे समय में सम्पत्ति-सम्पन्न गृहनिर्माताओं को भी उस प्रकार की सुलभता कहा ? अतएव इन सभी शिल्पशास्त्रों के अलग मृत्तिका-परीक्षण-प्रकारों का उल्लेख न करके, सर्वाधारण

प्रचलित-परम्परागत प्रसिद्ध परीक्षणों की ही चर्चा करना यहाँ पर ठीक होगा—क्योंकि समराङ्गण-सूत्रधारा में भी इनका उल्लेख किया गया है।

यहाँ पर समराङ्गण की मृत्तिका-परीक्षा के सम्बन्ध में एक विमेद, विशिष्टता अथवा विषमता पर पाठकों का ध्यान अङ्गुरिष्ठ करना है। समराङ्गण के अनुसार भू-चयन के उपरान्त अविलम्ब स्थपति को उस भूमि को जोतवा देना चाहिये। इस प्रकार भू-कर्षण से प्राप्त इष्टिका, पाषाण, सर्प आदि दर्शन से शक्तुन अथवा अपशक्तुन आदि शुभाशुभ निमित्तों की पर्यालोचना करनी चाहिए। यदि शुभ-निमित्तोंद्वाटक चीजें प्राप्त होती हैं तो फिर किसी शुभ दिन व्रत रख कर व स्नानादि सम्पादन कर एवं शुभ्रवस्त्र तथा शुभ्र माला धारण कर ब्राह्मणों से स्वस्ति-वाचन करवाकर तथा वास्तु-देवों की समूचित समर्पणना सम्पादित कर, मृत्तिका-परीक्षा के लिये उद्वत् होना चाहिये। इसके विपरीत मानसार एवं मयमत में भूमि के चयन अथवा भूमि-संग्रह के उपरान्त ही मृत्तिका-परीक्षा के लिये स्थपति को अग्रसर होना चाहिये—ऐसा निर्देश मिलता है। इन ग्रन्थों में हलकर्षण का बड़ा महत्व दिया गया है और उसकी प्रक्रिया की जटिलता तथा संभार-वहुलता भी कम नहीं है। महाराज भोज ने इस हल-कर्षण-विधान की ओर विशेष अभिनिवेश नहीं दिखाया। सम्मवतः भोज के समय में (जो इन ग्रन्थों के समय की अपेक्षा कहीं अधिक अर्वाचीन है) भारतीयों की याजिक-प्रवृत्ति Ritualistic tendency कम हो गयी थी। साथ ही साथ वहुसंभारापेक्ष्य वहुद्रव्यापेक्ष्य ये विधान साधारण जन-समाज के बूते की वात भी नहीं। भोज ने (स्वयं एक ऐश्वर्य-शाली राजा होते हुए भी) सर्वसाधारण की आवश्यकताओं तथा तदनुकुल साध्य एवं साधनों का सदैव ध्यान रखा है। यह आगे शाल-भ्रवन-विवेचन में विशेष रूप से स्पष्ट हो सकेगा।

समराङ्गण के अनुसार मृत्तिका-परीक्षा के विभिन्न प्रकारों में निम्न प्रक्रियायें हैं—

प्रथम प्रक्रिया

१. निर्वाचित भूमि के मध्य में एक हाथ के प्रमाण से एक गहू खोदना चाहिये। फिर गहू से पूरी की पूरी मिट्टी निकालकर उसी मिट्टी से उसको भरना चाहिये। यदि वह मृत्तिका गहू से अधिक निकलती है तो श्रेष्ठ, पूरी पूरी उत्तरती है तो मध्यम, कम पड़ जाती है तो अधम।

दूसरी प्रक्रिया

२. गहू खोदकर उसकी मिट्टी निकालकर मिट्टी से ही पूरित करने के वजाय पानी भरना चाहिये। पानी भर कर सौ कदम (पदशतं ब्रजेत्) चलना चाहिये। पुनः लौट आने पर यदि पानी जितना का उतना ही रहे तो श्रेष्ठ, कुछ कम हो जाय ($\frac{1}{2}$) तो मध्यम और बहुत कम हो जाय ($\frac{1}{4}$ अथवा और अधिक) तो वर्जन-निकृष्ट समझना चाहिए।

समराङ्गण की इस प्रक्रिया में मत्स्यपुराण-प्रक्रिया की छाप है। पग्न्तु मयमुनि ने इन प्रक्रिया के सम्बन्ध में और भी कठोरता दियाई है। उनके अनुसार गहू में नायंकाल पानी भरो जावे और दूसरे छिन प्रांतः उसकी परीक्षा करनी चाहिये। यदि उसमें प्रातः भी

के दर्शन हो जायें तो उसे अत्युक्त भूमि समझना नाहिये । इसके विपरीत मुख्य भूमि अनिष्ट-दायिनी तथा वर्ज्य है । समझत के विचार में मृत्तिका-परीक्षा की इस क्रिया से सम्बवतः वह निर्देश मिलता है कि जहाँ भूमि के विवर्चन भें उसकी कठोरता (Solidity) एवं स्थिरता तो देखनी ही चाहिये जाथ ही यह भी द्रष्टव्य है कि वह भूमि उपजाऊ (fit for cultivation) उर्वरा अथवा जल-निर्भर है कि नहीं । जलाभाव वाली अथवा जलन्यूना पृथकी आवास-निवेश कैसे शुभ हो सकती है । मृत्तिका-परीक्षा के सम्बन्ध में समराङ्गण की—

तीसरी प्रक्रिया

जमीन में गड़दा खोटकर बरानिसारः (ब्राह्मण की श्रुता, क्षत्रिय की रक्ता, वैश्य की पीता, शूद्र की कृपणा) पुष्पमालायें रखली जायें । जिस वर्ण की माला न खेले उस वर्ण वाले के लिये वह भूमि प्रशस्त कल्याण-युक्त होगी ।

चौथी प्रक्रिया

सांदे हुए गडे में चारों दिशाओं में (चारों वर्णों के अनुरूपे अर्थात् ब्राह्मणों के लिये प्राची, क्षत्रियों के लिये दक्षिण, वैश्यों के लिये उत्तर, तथा शूद्रों के लिये पश्चिम) दीपक जलाकर रखना चाहिये । जिस दिशा की ओर रखता हुआ दीपक देर तक जले उस दिशा के वर्णों के लिये वह भूमि प्रशस्त होगी ।

समराङ्गण की इस प्रक्रिया पर भी मत्स्य-पुराण की छाप है । मत्स्य-पुराण (देखिये २२७वा अध्याय) में लिखा है कि कच्चे दीपक में धी भरकर पुनः उसमें चार वर्तियों जलाकर चारों दिशाओं की ओर भंकेत करती हुई खोदे हुए गड्ढे में रख दी जावे—यदि पूर्व दिल्लीमुखा वर्तिका प्रोज्ज्वल प्रकाशित हो रही हो तो ब्राह्मण के लिये, दक्षिण दिल्लीमुखा क्षत्रिय के लिये, और यदि चतुर्दिल्लीमुखी वर्तिकायें समान प्रोज्ज्वल प्रकाशित हैं तो फिर सभी वर्णों के लिये वह भूमि प्रशस्त है ।

मृत्तिका-परीक्षा की इन चारों प्रक्रियाओं में प्रथम दो वैज्ञानिक तथा अन्तिम दो पौराणिक समझ पड़ती हैं । प्रथम दोनों प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक रहस्य यह है कि प्रथम प्रक्रिया मिरकिरी (porous). जमीन को मकान बनाने के लिये उपयुक्त नहीं बतलाती है तथा दूसरी भूमि के दोतोपन (Icoseness) की ओर सुकेत करती है । दोनों ही जमीने भवन-निर्माण के लिये उचित नहीं । यह तो आधुनिक इंजीनियर भी मुकुररठ में बताते हैं ।

भूमि-चयन हो चुका । भूमि की मृत्तिका-परीक्षा की प्रक्रियाओं पर प्रकाश पड़ चुका । अब नगर-निवेश-विधान-मर्मश स्थपति के लिये यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि यह उस निर्वाचित स्थल-विशेष की दिक्परीक्षा एवं तदनुसार उस स्थान का दिल्लिर्णीय सम्पादन करे । प्राचीन काल में दिशाज्ञान के लिये आजकल के यंत्रों की कमी नहीं थी । तत्कालीन स्थापत्य-कोविद इस सम्बन्ध में जिस प्रक्रिया का अवलम्बन लेते थे वह भी कम वैज्ञानिक नहीं थी । गंकुस्थापन से वह कार्य सम्पादन किया जाता था । शंकुस्थापन-विधान पर समराङ्गण में कोई चर्चा नहीं है । सम्भवतः उस समय इन प्रक्रिया का सार्वजनीन एवं अतिसुक्र तथा प्रचुर प्रयोग होने के कारण शान्त में उनकी चर्चा करना प्रक्रम

पिष्टपेषण अथवा सर्वसाधारण प्रचलित परम्परा पर प्रविवेचन एक मात्र ग्रंथ-विस्तार समझ कर नहीं किया गया । अस्तु । मानसार में छठे अध्याय में हस शंकुस्थापन-विधान पर विस्तार में विचार है । अतः आचार्य के इस विधान का साराश-मात्र दे देना इस प्रकरण में लिये पर्याप्त होगा । शंकुस्थापन का प्रयोजन डायलिंग के सिद्धातों अथवा दिशामापन की प्रक्रिया—दोनों से सम्बन्धित है । यह शंकु विशिष्ट वृत्तों वृत्तों की लकड़ी से निर्मित किया जाता है । इसकी लम्बाई २४, १८, अथवा १२ अगुल के प्रमाण से हो सकती है । इसकी चौड़ाई (आधार अथवा पीठ पर) ६, ५ अथवा ४ अंगुल हो ।

इसकी रचना एक सत्तिस्थल से की जाती है । शंकु (bottom) को केन्द्र मानकर एक वृत्त खींचा जाता है जिसके व्यास का परिमाण शंकु की तुगनी लम्बाई के वरावर होता है । इस पर दो चिन्ह अंकित किये जाते हैं जहाँ पर शंकु छाया मध्याह के पूर्व तथा उपरात वृत्त की परिधि पर पड़ती है, जो रेखा इन दोनों विरुओं को मिलाती है वह पूर्व-पश्चिम रेखा है । पुनः प्रत्येक पूर्वीय तथा पश्चिमीय विरुओं से एक वृत्त बनाया जाता है जिसका व्यास उन दोनों की दूरी का होता है और the two intersecting points उत्तर तथा दक्षिण की सूचना देते हैं । इसी प्रक्रिया से अन्य दैशिक कोणों की रचना होती है ।

इस प्रकार इस विधान से दिशाज्ञान-सम्पादन किया जाता है । अब डायलिंग के सिद्धातों के विषय की विवेचना में इतना सकेत पर्याप्त है कि प्रत्येक वारहों महीने प्रत्येक १० दिन के तीन तीन हिस्सों में वौंटे जाते हैं और उनकी बढ़ती-घटती से इन महीनों के विभिन्न भागों की गणना की जाती है ।

वास्तु-शास्त्रीय समीक्षा में शंकुस्थापन-विधान की उपयोगिता पर प्रविवेचन इसलिये किया गया है कि वास्तु कला में भवन, पुर, ग्राम अथवा विभिन्न आवास-स्थल इन सब का दिक्सामुख्य (orientation) परम्परागत शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन कर सकें । मेवन का सामुख्य पूर्वदिक्सुख हो अथवा पूर्वोत्तर दिशा की ओर हो यहीं तो इस देश की सनातन व्यवस्था है । दक्षिण-दिक्सामुख्य अमंगल माना गया है ।

अन्त में, इस अध्याय मे-भूमिसंग्रह, भूमिचयन, भूमि-शोधन, अथवा भू-परीक्षण कहिये उसकी इतनी समीक्षा के उपरात—इस अत्यन्त महत्वपूर्ण वास्तु-तत्त्व के आधार-भूत सिद्धातों की ओर एक दो शब्दों में ध्यान आकर्षित कर विराम लेना है । भूमिचयन अथवा भूमि-परीक्षण के हम दो आधारभूत मिद्दात मान सकते हैं । एक तो (Sociological) दृष्टिकोण तथा दूसरा (Geological) दृष्टिकोण । प्रथम दृष्टिकोण पर आगे के अध्याय में विशेष रूप से विचार करेंगे जिसमें नगर के रेखाचित्रके निर्माण के साथ साथ नगरके मध्य में आवास-स्थलों सभा-भवनों, मंदिरों, राजमवनों, पुरजन-विहारों आदि के विन्यास की योजना तैयार करनी है, नगर-सुधार अथवा नगर-विस्तार योजनाओं को भी बनाने के लिये सामग्री प्रस्तुत करना है, साधन जुटाना है । दूसरे दृष्टिकोण (Geological Survey) पर इस अध्याय में समुचित सामग्री का ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया ही गया है । इस के अनुसार नगर-निवेश के पूर्व यह पता लगाना आवश्यक होता था कि भूमि उर्वरा है किनहाँ, उम्में भवन-स्थायित्व के तत्त्व हैं कि नहों ? उसके पास जीवन की घिमिज्ज आवश्यकताओं—

भौजन, आच्छादन, कृषि तथा व्यवसाय आदि के साधन के साथ-साथ भवनोपयोगी सामग्री (materials for building construction) सुरक्षा से प्राप्त हैं कि नहीं ? यदि किसी नगर-विशेष का निवेश किसी सरितातट पर अथवा सागर-बेला पर करना है तो वहां पर नगर की (diluvion or erosion) अर्थात् गिराव फिसलाव की तो सम्भावना नहीं । नगर-निवेशक वास्तुकलाविद् को यह भी ध्यान देना होता था कि उस नगर के मार्ग-विन्यास (आभ्यन्तरिक तथा बाह्य दोनों) से संचार-मौकर्य, यातायात, आवागमन तथा दूसरे नगरों से सम्बन्ध-स्थापन आदि की सुविधा है कि नहीं । जल-व्यवस्था की सुविधा पर भी पूर्ण ध्यान रखने की अत्यन्त आवश्यकता होती ही थी ।

जीवन की इन विविध आवश्यकताओं के साथ-साथ तत्कालीन एवं तदेशीय राज्य-व्यवस्था तथा राजनीतिक परिस्थितियों का भी नव-निर्मित नगर पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी विचारने की त्रात होती थी । इसी हेतु नगर के आकार-प्रकार, उसकी परिखायें तथा वग्र आदि विन्यास-व्यवस्था करना आवश्यक माना जाता था । नगर की वासभवन-विनियोजना में परम्परागत वर्णानुकूल वस्तियों का निर्माण अथव नव-निवेश्य नगर की आर्थिक ऐतिहासिक, तथा कलात्मक सम्पत्ता, पादपारोपण, उद्यान-व्यवस्था आदि का पूर्ण ध्यान रखना होता था ।

इस प्रकार प्रायः इन सभी दृष्टिकोणों से नगर-निवेश की प्रक्रिया सम्पादित करनी चाहिये । प्राचीन भारत में भी शास्त्रीय पद्धति तथा कलात्मक ज्ञान विद्यमान था—इसका अनुमान पूर्वोक्त संक्षिप्त विवेचन से भली भाँति लगाया जा सकता है ।

पद-विन्यास-

पदविन्यास पुरनिवेश एवं भवन-निवेश दोनों की प्रथम प्रक्रिया है। वास्तु-कला एवं वास्तु-विद्या का जन्म वेदि-रचना से प्रारुद्धत हुआ—यह हम जानते ही हैं। “वास्तु” का सम्बन्ध “पुरुष और पद” से पहले हुआ शास्त्र और कला से बाद में। किसी धार्मिक कर्मकारण के प्रारम्भ में भूमिचयन आवश्यक है। जिस भू-खण्ड पर वैदिक यज्ञ आदि सम्पन्न होते थे उसे वास्तु-पद कहा जाता था। वैदिक यज्ञों के लिये वेदि-रचना एक आवश्यक अंग है। वेदि-रचना वास्तु-पद पर होनी चाहिये। उसका एक अधिष्ठात्र देवता भी होना चाहिये जिसकी “वास्तोष्यति” संज्ञा वैदिक साहित्य में दी गई है। वास्तु-प्रतिष्ठा का जो वैदिक मन्त्र प्राचीन काल में प्रचलित था वह आज भी वैसा ही प्रचलित है।

मानव ने सनातन से सहायक देवों की कल्पना की है। जल-देवता, वनदेवता, गृहदेवता आदि आदि से संरक्षक की यह भावना चिरंतन से प्रचलित है। अतएव किसी भी संस्कार अथवा धार्मिक कृत्य की सरक्षकता एवं सफलता के लिये उस संस्कार एवं कृत्य के अधिष्ठाता की आवश्यकता है।

वास्तु-कार्य इस देश में धार्मिक कार्य के रूप में प्रकल्पित हुआ, अतएव स्थपति के अतिरिक्त स्थापक-आचार्य, भवन-स्वामी-यजमान तथा ज्योतिषी पुरोहित—ये तीनों मिल-कर वास्तु-कार्य के प्रारम्भ में वास्तु-पद के अधिष्ठात्र-देव वास्तु-पुरुष एवं विभिन्न वास्तु-पदों के अधिपति देवों का आवाहन करते हैं। अतएव किसी भी भवन-कार्य का वास्तु-पूजन एक अनिवार्य अग्र हो गया है।

वास्तु-पद एवं वास्तु-पुरुष की इस प्राचीन परम्परा पर इस किंचित्कर उपोद्घात के उपरान्त वास्तु शास्त्र में इसका क्या महत्व है यह समझना आवश्यक है। सभी वास्तु-शास्त्रीय ग्रंथों में वास्तु-सिद्धातों के विवेचन में वास्तु-पद-विन्यास को प्रथम स्थान दिया गया है। भवन-कार्य, निवेश-योजना एवं निर्माण-प्रक्रिया—दोनों ही है। आजकल भवन की निवेश-योजना इंजीनियर लोग करते हैं। प्राचीन स्थपति राज और इंजीनियर दोनों ही था। अतः वास्तु-पद-विन्यास को हम एक मोटे दंग से भवन का रेखाचित्र समझ सकते हैं।

इस पद-विन्यास का विशेष सम्बन्ध नगरन्नात विभिन्न स्थानों एवं दिव्य-सुखों में निवेश देवालयों, राजालयों, विद्यालयों, सभालयों, वर्णनुसार भवनों, कर्मनुसार कार्यालयों एवं रूमचारियों की वसतियों की सन्निवेश व्यवस्था से ही नहीं है वरन् पुर-मार्गों का सन्निवेश भी इस पद-विन्यास का एक अग्र है।

अतः शास्त्रों में नगर-निवेश के प्रारम्भक-पर्यवेक्षण के उपरान्त ही इस अल्पत्त महत्वपूर्ण विषय पर विवेचन है और उसका सम्बन्ध वार्मिक तथा पौराणिक रीति ने किया

(१४८)

गया है (जैसा कि आगे एतत्सम्बन्धी समीक्षा से प्रकट ही होगा) तथा पि वैज्ञानिक दृष्टि से इसका ममन्दन नारान्त भवन-निवेश प्रक्रिया से सम्बन्ध होने के कारण भू-परीक्षा एवं शूचयन के उपरान्त 'वास्तु-पद-विन्यास' प्रक्रिया का अवसर आता है। पुरनिवेश में वास्तु-पद विन्यास-प्रक्रिया से निवेश्यमुग्र के विभिन्न-स्रोतिक सारों, उपगाँड़ों आदि की योजना के साथ-नाथ पुर की विभिन्न निवेश्योजनाओं राजवेशम्, देवनायतन-जनावास के स्थान-विभाग प्रकल्पित किये जाते हैं। इसी प्रकार भवन अथवा प्रासाद के वास्तु-पद-विन्यास में उसके पद (प्लाट) एवं उस पर प्रतिष्ठित विभिन्न भवनाङ्ग अथवा प्रासादाङ्ग अपने उपाङ्गों के साथ परिकलित किये जाते हैं। अतः पद-विन्यास वर्णार्थतः निवेश्य भूमि का विभाजन है। यह विभाजन कैसे किया जाय ? उसके कितने प्रकार हैं ? उसकी अन्य व्यवस्थायें क्या हैं—इन्हीं सबका उत्तर वास्तु-पद-विन्यास-प्रक्रिया है।

वास्तु-पदविन्यास एवं वास्तु-पुर्व प्रकल्पन समरूपण के अनुसार श्रृण्ड-स्थापत्य का प्रथम अङ्ग है। सभी वास्तु-शालीय ग्रंथों में भारतीय वास्तु-विद्या की इस अनिवार्य परम्परा पर प्रवचन किया गया है। स. स. में इस विषय पर पाँच अध्याय है—(देखिये स. स. की सुसम्बद्ध विषयानुक्रमणो)। इनमें से पाँचवें अध्याय (स. स. १८) में जिन ४० वास्तु-संस्थान-मार्गों का पैको के अध्याय (३) में उल्लेख किया गया है वह इस रूप की अपनी विशेषता है। इन वास्तु-पदों का समन्वय घारिंग न होकर मौतिक है। वास्तु-पदों की यह भोतिक-प्रकल्पना वास्तुशाल के मौतिक अंग secular or civil architecture के विकास में एक आगे की सीढ़ी है। इसकी विशेष समीक्षा भवन-पटल में होगी।

अब रहे ४ अध्याय उनमें परम्परागत वास्तु-पदविन्यास का वर्णन है। विभिन्न वास्तु-प्रयोगों में वास्तु-पदों की विभिन्न सजावें दी गई हैं, परन्तु उनमें से तीन ही—एकाशीति पदवास्तु (८१ चौकोर पदों की निवेश्य भूमि) चतुष्पटि-पदवास्तु (६५ पदों वाला साट) तथा शतपद-वास्तु (१०० पदों वाली भूमि) प्रक्रिया हैं।

निवेश्य-भूमि को प्रथम विभिन्न-संख्यक चौकोर पदों में विभाजित किया जाता है। सानमार के अनुसार (श्र० ७) इस विभाजन की ३२ पद्धतियाँ हैं। इनके अनुसार निवेश्य-भूमि को विभिन्न-संख्यक बगों में विभाजित किया जाता है। इनमें संजाओं का अधिक उन बगों की सख्ता है जिसमें वह निवेश्य स्थल विभाजित किया जाता है। अथवा प्रत्येक वर्ग-पदति की उन प्रश्न उच्चोजन की गई है कि विभाज्य दुकड़ों की मंख्या विभाज्य वर्ग की क्रमिक सख्ता का प्रतिनिधि होता है। जैसे ८२ पद वाले वास्तुपद में १० आग्राकार नमानान्तर रेखायें तथा १० (transverse) रेखायें, वही हृष्म निम्नलिखि दीर्घों तो इस पद में ८५ दुकड़े निरूपण, वे नभी वर्ग होते अतः उनमें अन्यतो नम्ख्या के दूसरे वास्तुपद का नाम ८५ पदवाला वास्तु हुआ। ८३ पद-चौकोर पदविन्यास का निर्माण देखाचित्र इस तथ्य को स्पष्ट करता है—

इसी प्रकार २ से लगाकर ३२ प्रकार के वास्तुपद अथवा पुरनक्षे, भवननक्षे, प्रासादनक्षे तैयार हो सकते हैं। इन्हीं रेखाचित्रों को आधार मानकर वास्तु-कार्य प्रारम्भ किया जाता था।

इन वास्तु-पद योजनाओं को आज-कल की माध्य में साइटसान्स के नाम से पुकारा जा सकता है। इन में से एक आदर्श सान लेकर हमें इसकी सविस्तर समीक्षा करनी है, जिससे भारतीय वास्तु-पद-विन्यास-प्रक्रिया समझने में सुवोध हो जाय।

एकाशीतिपद-वास्तु

इस वास्तुपद में जैसा ऊपर के रेखाचित्र में संकेत किया गया है द१ वर्ग-टुकड़े हैं। इनमें से प्रत्येक की संज्ञा पद' मानी गई है और उसका एक अधिष्ठात्र देव प्रकल्पित किया गया है। यह पद-विन्यास आधुनिक भवन-रेखा चित्र (House Plan) अथवा पुर-रेखाचित्र (Town-Plan) के महज प्राचीन स्थपतियों के लिये निवेश-योजना में वड़ा ही सौकर्य एवं मौविध्य प्रदान करता था। उदाहरण के लिये इस पदविन्यास में अश्वा किसी भी पद विन्यास-पद्धति में केन्द्रस्थान का स्वामी ब्रह्म होता है। अतः उसे 'ब्रह्मपद की संज्ञा दी गई है। अत यदि शास्त्र में ऐसा निर्देश मिले कि ब्रह्मपद पर अमुक भवन इँ' का निवेश करना चाहिये, तो सीधी भाषा में उसका अर्थ होगा कि द१ पदवाले साट में नवपदिक ब्रह्मपद पर निर्माण अभियेत है। इसी प्रकार सम्पूर्ण पदविन्यास के अपने अपने पदों के स्वामि-देवों के संकेत में यह सम्पूर्ण पद-व्यवस्था सहज ओधरम्य हो जाती है। निवेश-भूमि की चार प्रधान दिशाओं एवं चार उपदिशाओं तथा केन्द्र एवं सम्मधभाग में कहा पर कैसा निवेश करना है—क्या छोड़ना है—यह भव वड़ा ही ओधरम्य बन जाता है।

पदविन्यास की प्रक्रिया ग पददेवों के सम्बन्ध में एक दो शब्दों को और समझ लेना चाहिये । (पदिक) अथवा (पदभुज) से संकेत एक वर्ग के अधिपति देव ने है । द्विपदिक अथवा द्विपदाधीश का अर्थ उस देव ने है जो दो वर्गों का स्वामी है । इसी प्रकार पट्टपद-भुज अथवा पट्टपदाधीश से द वर्गों का स्वामी विहित है ।

प्रधानतया वास्तुपद-देवों को हम दो कोटियों में वॉट सकते हैं—अन्तः संशयदेवा, (वर्ग के मध्य तथा मध्यकोण के पदों के स्वामि-देवता), वहिस्थदेवाः (वर्ग के बाहर के देवता) । स० स० के अनुसार प्रत्येक वास्तुपद-विन्यास में (विशेषकर ६४, ८१ तथा १०० पद वालों में) ४५ देव विहित हैं जिनकी एकाशीति-पदवास्तु में निम्न रूप से प्रतिष्ठा प्रतिपादित की गई है:—

भीतरी देवता

अ. केन्द्रधिपति	१. ब्रह्मा	नवपदिक	६
ब. मध्यस्थदेव	२. अर्यमा (पूर्व)	पट्टपदिक	
	३. विवस्वान् (दक्षिण)	„	
	४. मित्र (पश्चिम)	„	
	५. पृथ्वीधर (उत्तर)	„	२४

स. मध्यस्थ कोणों के देव

६—सविता	एकपदिक
७—सावित्री	„
८—जय	„
९—इन्द्र	„
१०—यज्ञा	„
११—सूर्य	„
१२—आप	„
१३—आपवत्स	„

बाहरी देवता

१४ अग्नि	१५ पर्जन्य	*	१६ जयन्त	१७ इन्द्र	३२+८०=४०
१६ रवि	१६ सत्य	*	२० भूश	२१ नम	योग=८१
२२ अनिल	२३ पूरा	०	२४ वित्थ	२५ गृहक्षत	
२६ यम	२७ गन्धर्व	०	२८ भूज्ञराज	२६ मृग	
३० पितृगण	३१ दौवारिक	*	३२ तुग्रीव	३३ पुष्टदन्त	
३४ चरण	३५ असुर	*	३६ शोप	३७ पायवज्ञमा	
३८ रोग	३६ नाग	०	४० मुख्य	४१ मल्ताट	
४२ मोत्तम	४३ चरक	०	४४ आदिति	४५ दिति	

टि० १—इनमें पुष्पाक्षित देवता द्विपदाधीश है । अर्धात् जयन्त, भूश वित्थ, भूज्ञराज, तुग्रीव, शोप मुख्य तथा आदिति—ये आठ देवता वहिस्थ तो हैं ही भीतर उनका एक पद का और भोग करते हैं—प्रभुता रखते हैं ।

टिं० २—भीतरी १३ तथा बाहरी ३२—इन ४५ देवों के अतिरिक्त चरकी, विदारी, प्रृत्ना तथा पापराजसी ये चार ऐशान्य, आग्नेय, नैऋत्य एवं वायव्य कोणों में क्रमशः स्थित वतायी गयी हैं। इन का स्थान-मात्र है पद्मोग नहीं। अस्तु, निम्न लिखित रेखा चित्रों से इन सभी की स्थिति स्पष्ट समझ में आ सकती है:—

परमशास्त्रिक

वायव्य	उत्तर						ईशान	
पापराजसी रोग	नाग	मुख्य	मल्लाट	सोम	चरक	अदिति	(चरकी) आग्नि	
पापयज्ञमा	रुद्र	↓	—	पृथ्वीधर	—	↓	आपवत्स	पर्जन्य
शोष — →	राजयज्ञमा	—	—	षट्पदिक	—	आप	←	जयन्त
असुर	—	—	—	—	—	—	—	इन्द्र
वरुण	मित्र (षट् पदिक)	—	—	ब्रह्मा नवपदिक	—	अर्यमा (षट् पदिक)	—	ऋग्वि
पुष्पदन्त	—	—	—	—	—	—	—	सत्य
सुग्रीव — →	जय	—	—	विवस्वान् षट्पदिक	—	सविता	←	भृश
दौवारिक	इन्द्र	—	—	—	—	—	—	नभ
पितृगण (पृत्ना)	मृग	↑	—	यम	यहन्त	विनथ	पूरा	अनिल (विदारी)
नैऋत्य	—	—	—	—	—	—	—	आग्नेय
			दक्षि					

इसी प्रकार 'चतुष्प्रथिपद-वास्तु' तथा शतपद-वास्तु की प्रकल्पना की जा सकती है। संक्षेप में इन दोनों पर भी धोड़ा सा विवेचन होना चाहिये।

आसन अथवा शतपद

शतपठ-वास्तु का पद-देवता-विमाजन निम्नलिखित शब्दव्य है—

- | | | | | | | |
|----|--|---|------|----|---|-----|
| अ. | १ केन्द्राधिपति-ब्रह्मा | = | १६ | पट | = | १६ |
| व. | ४ मध्यस्थदेव-अर्थमादि | = | ८५४ | „ | = | ३२ |
| ष. | ८ मध्यकोणस्थ-(यथा एका-
शीति पट-वात्तु मे) | = | १५८ | „ | = | ८ |
| य. | ८ वाश्य-कोणस्थ-अग्नि, नम,
वायु, मृग, पितृ, क्षय, गेतु तथा
दिति | = | १५४८ | „ | = | १२ |
| र. | ८ पर्जन्यादि (यथा चतुष्पष्ठि-
पट-वात्तु) | = | २५८ | | = | १६ |
| ल. | १६ शेषवाश्य देव | = | १५१३ | | = | १६ |
| | | | | | | |
| | ४५ | | | | | |
| | | | | | | १०० |

भेकपद अथवा (चण्डित)

वास्तु पद-प्रयोग

‘भेकपद’ ग्रथवा ‘चण्डित’ नामक इस ६४ पदवाले प्लाट का देवपद-भोग निम्न रूप से समझना चाहिये:—

अ. १ केन्द्राधिपति-व्रह्णा = ४ पद = ४

$$व ४ मध्यस्थ देव-अर्यमादि चारदेव = २५४ \quad 11 \quad = 5$$

स. १६ मध्य कोणस्य (द) तथा वाह्य

$$\text{पर्यन्तस्थ (८)} = \frac{1}{2} \times 16 \quad , \quad = \quad 8$$

ग. द वाह्यदेव-पर्जन्य, मृग, पूरा, भृङ्ग

$$\text{दौवारिक, शेष-नाग तथा अदिति} = १\frac{1}{2} \times ८ = १२$$

२ १६ जयन्तादि चरकात शेष वाह्यदेव = २५१६

62

वास्तुपद-प्रयोग

समराङ्गण के अनुसार—(अ० १३. ३-५,) एकाणीतिपदिक वास्तु-पद और वर्णियों (ब्राह्मण, ज्ञानि, वैश्य आदि) के भवनों के साथ-साथ राजा का राज-प्रासाद एवं भूपतियों के अधिपत्त्व-प्रतीक-देव स्वर्गपति इन्द्र के प्रासाद (इन्द्र-स्थान) का निर्माण करना चाहिये ।

देव-प्रासादों (विभिन्न देवों एवं देवियों के मन्दिरों) तथा उनके संबृत (संयुक्त) अधबा विवृत (पृथक्) दोनों प्रकार के मण्डपों के निर्माण में शतपठ-वास्तु, का प्रयोग करना चाहिये ।

अथवा ग्रामों, पुरों एवं उनके विभिन्न प्रभेदों के साथ-साथ राजाओं के शिविरों (नरेन्द्र-शिविर—देविये पीछे शिविरपुर का प्रभेद पु० नि० पृ० पी० अ० ३)

वास्तुपुरुष

प्रमुख वास्तु-पदों एवं उनके अधिपति-देववर्गों के इस दिग्दर्शन के उपरान्त अथ उन मन्त्रके अधिष्ठातृ-देव वास्तु-पुरुष की भी वास्तु-प्रतिष्ठा प्रतिषय है । समराङ्गण के अष्टागलक्षण, नामक ४५ वें अध्याय के अनुसार वास्तु-पुरुष-विकल्पन स्यापत्ति का प्रथम अंग है, अतः निवेश्य-पद पर वास्तु-पुरुष-प्रतिष्ठा स्थपति की प्रथम योग्यता है ।

वास्तु-पुरुष समस्त पद का स्वामी है । वास्तु-पुरुष का यथानाम पुमाकृति में प्रकल्पन करना चाहिये । (स. सू. १४.१) उसकी वास्तु-आकृति वक्र वतावी गयी है और पृष्ठ उठा हुआ (hump backed) अतः उसकी इस प्रकार से प्रतिष्ठा करनी चाहिये कि उसका समस्त निवेश्य-पद पर विन्यास हो सके । इस प्रकार विभिन्न पदों के अधिपति-देव वास्तु-पुरुष के विभिन्न अंगों के अधिपति वन जाते हैं अथवा वास्तु-पुरुष रूपी प्रकारड तरु की वे "सब तना (ब्रह्मा) स्कन्ध अथवा वज्ञी और मोटी शाखायें (अर्यमादि ४ देव) एवं चुद्र शाखायें अन्य देवमात्र हैं । वास्तु-पुरुष एवं वास्तु-पद-देवों की इन भावना में श्रौपनिपदिक—'एकं सद् विप्रा वद्युधा वदन्ति'—की महाभावना ज्ञाही प्रतिमिम्दिग्मार्द पड़ता है ।

अस्तु । वास्तु पुरुष के विभिन्न अंगों पर भावित देवों की तालिका निम्न लिखित है:-
दिव—श्रगिन

नेत्र-द्वय—दिति एवं अम्बुदाधिप

कर्ण-द्वय—जयन्त एवं अदिति

मुर—वायु

दक्षिण मुज—अर्कं (रवि)

वाममुज—मोम

वक्ष-स्त्रल—महेन्द्र, चरक, आप एवं आपवत्स

दक्षिणस्तन—अर्यमा

वामस्तन—पुष्पिगीधर

दक्षिणशाहु—नत्य, भृश, नम, वायु एवं पूषा

वामशाहु—पद्मा, रोग, नाग, मुख्य एवं भल्लाट

सरकफ्फोणित्य—(दोनों हयेलिया) चाविन, चविता, दद्र तथा शक्तिवर

हृदय—ब्रह्मा

वगल (दक्षिण) वितथ तथा गृह-क्षत

” (वाम) शोष तथा असुर

उदर—मित्र एवं विवस्वान्

मेहङ्गमध्य—इन्द्र एवं जय

ऊरु—यम एवं वरुण (दक्षिण तथा वाम)

जंघायें—गन्धर्व, भृंग तथा मृग

चरण—दौवारिक, सुग्रीव एवं पुष्पदन्त

यहा पर एक विशेष तथ्य की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षणीय है। ‘समराङ्गण-सूत्रधार’ वास्तु-शास्त्र का ही एक मात्र ग्रन्थ है जिसमें इन पददेवों का ‘निघण्डु’ भी दिया गया है। इसका क्या मर्म है—इस पर हम आगे विचार करेंगे। प्रथम इस ‘निघण्डु’ की निम्न अवतारणा कर देना आवश्यक है:—

ब्रह्मा	= अञ्जसंभव, सहस्रानन, अर्चित्य-विभव
वहि	= सर्वभूतहर, हर
पर्जन्य	= वृष्टिमान्, अम्बुदाधिप
जयन्त	= काश्यप भगवान्
महेन्द्र	= सुराधिश, सुराधीश, दनुजों के विमर्दक
विवस्वान्	= अहस्कर
सत्य	= भूतहित, धर्म
भृश	= काम, मन्मथ
अन्तरिक्ष (नभ)	= नभस्
मारुतः (अनिल)	= वायु
पूषा	= भावृगण
वितथ	= अधर्म, कलि का अप्रतिम सुत
गृहक्षत	= चन्द्रतनय, बुध
यम	= प्रेताधिप, विवस्वान् के पुत्र
गन्धर्व	= नारद
भृङ्गराज	= नित्रूति के पुत्र
मृग	= अनन्त, स्वयंभू-धर्म
पितृगण	= पितृलोक निवासी देवगण
दौवारिक	= नन्दी, प्रमथों के अधीश्वर
सुग्रीव	= आदि प्रजापति मनु
पुष्पदन्त	= महाजव, वैनतेय
वरुण	= जलनार्थ, लोकपाल
असुर	= राहु-अर्केन्दुमर्दन-सिंहिकासुत
शोप	= सूर्यपुत्र-शनैश्चर

पापयद्मा	= क्षय
रोग	= ज्वर
नाग	= बासुकि
मुख्य	= त्वष्टा, विश्वकर्मा
भज्ञाट	= चन्द्र
सोम	= कुवेर
चरक	= व्यवसाय
श्रद्धिति	= श्री
दिति	= ?
रुद्र (शलभृत्)	= वृपभध्यज
आप	= हिमवान्
आपवत्स	= उमा
श्र्यमा	= श्रादित्य
सावित्रि	= वेदमाता
सवित्रि	= देवीरंगा
विवस्वान्	= मृत्यु, शरीरहर्ता
जय	= वज्री
इन्द्र	= वत्सवान् इरि
मित्र	= हत्थर, माली
रुद्र	= महेश्वर
राजयद्मा	= गुह
वितिधि	= अनन्त
चरकी, विदारी	
पूतना तथा पापराज्ञासी	} = रक्ष्योनिभवा ऐवानुचरियां

पीछे संकेत किया गया है कि इन विभिन्न-वर्गीय देवों की प्रतिष्ठा एवं वास्तु-पुनर्जीवन की इस प्रकल्पना में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भर्म निहित है। हिंदुओं के सभी कृत्य देव-भावना ने अनुशासित हैं। देवमावना—‘शिव-भावना’ कल्पागण—सुप—ऐश्वर्य भी भावना का प्रतीक है। प्रकृति का यह विशाल साम्राज्य ही देवराज्य है। प्रकृति के द्वाग प्रस्तुत एवं प्रदत्त ऐश्वर्य को हम किस प्रकार से भोग कर सकते हैं—इग्नीलिये यह सब विधान एवं विधेय प्राचीनों ने प्रस्तुत किये हैं।

कोई भी निवेश्य (भवन, पुर अथवा, प्रासाद) जय तक दिक्षु-साम्मुख्य के आधार-भूत मिठात वा पूर्ण अनुगमन नहीं करता, तब तक यह सुप एवं रत्नागु का विभायक नहीं बन सकता। अतएव हमारे पारदर्शी शास्त्रज्ञारों ने (जिनमें वास्तु-शास्त्रज्ञ भी सम्मिलित है) इस दिक्षु-साम्मुख्य के सम्पादनार्थ इन प्रक्रिया औं धार्मिक स्पष्ट देवता अनिवार्य वास्तु-कृत्य बना दिया है। मानव-जीवन में विशेषकर भारतीय आर्य-जीवन में

सूर्य की उपासना अथवा सूर्य-रशिमयों के स्वच्छन्द समुपभोग के लिये सनातन से ध्यान रक्खा गया है। सूर्य-रशिमयों का स्वच्छुद उपयोग तभी मिल सकता है जब हम अपने प्रत्येक निवेश्य को पूर्वाभिमुखीन पूर्णरूप से कर सकें। दिक्सामुख्य अथवा पूर्वाभिमुखत्व की यह अनिवार्य परम्परा ने ही वास्तुशास्त्र में वास्तु-पदों की सृष्टि की।

सूर्य की विभिन्न जीवनोपयोगी रशिमयों का वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। हमारे पूर्वजों ने अपनी सूक्ष्मेत्तिका से इन जीवन-दायक रशिमयों का बहुत पहिले ही पता लगा लिया था अतएव उन्होंने सूर्य-रशिमयों के निर्वाध सेवनार्थ मनुष्यों की तीन प्रधान आवश्यकताओं में प्रमुख आवश्यकता—आवास को इस प्रकार से नियंत्रित कर दिया जिससे यह रशिमभोग सहज एवं नैसर्गिक बन जावे। पद-विन्यास का स्थूल रूप में यही मर्म है। विशेष छान-बीन श्री पोवट भाई अम्बाशंकर मानकद ने ‘अपराजित पृच्छा की भूमिका में की है—वह वहीं द्रष्टव्य है।

‘पद-विन्यास’ के सम्बन्ध में एक और तथ्य रह गया है जिसका समुद्घाटन भी अभिप्रेत है। वह इसी उपर्युक्त सिद्धात का एक प्रकार से सहायक सिद्धात है। दिक्सामुख्य के साथ-साथ इन्हें एक पद का इस प्रकार से निवेश हो कि वह स्वच्छुद उपभोग का संबन्धित विषमान्, अतः इस पद-विन्यास में प्रकलिप्त वास्तु-पुरुष के जो मर्म बताये गये हैं उनका पीड़न कदापि नहीं होना चाहिये। अर्थात् मर्मस्थानों पर दरवाजे आदि दीवालें आदिनहीं बनानी चाहिये। स० स० के तेरहवें अध्याय (ममवेध) का यही मर्म है।

वास्तु-पुरुष के ६ महामर्म हैं:—सुख, हृद, नाभि, भूर्धा तथा दोनों स्तन। अथवा जो उसकी नसें (सिरा, वंश, अनुवंश, सम्पात आदि) हैं उन्हें मर्म कहा गया है। इनका पीड़न बचाना चाहिये।

मवन के किस अंग अथवा किस द्रव्य-विशेष या रचना-विशेष के पीड़न से कौन-कौन अशुभ आपत्ति होते हैं—इनके सविस्तर विवरण इस अध्याय में दिये गये हैं—उनका विस्तारभय से उज्जेख न कर अन्त में इतना ही संकेत पर्याप्त है कि मवन का प्रत्येक निवेश एवं उसकी प्रत्येक रचना को रेखा-चित्र में पहले ही विचार कर लेना चाहिये।

मार्ग-विनिवेश

पुर-निवेश में स्थापत्य का परमकौशल मार्ग-विनिवेश है। मार्गों का निवेश न केवल पुर की विभिन्न-वर्गीय आवास-मालिकाओं के विभाजन के लिये ही आवश्यक है, वरन् नगर का जनपद के साथ सम्बन्ध-स्थापन के लिये भी वह कम उपादेय नहीं है। तीसरे मार्ग-विनिवेश का परम प्रयोजन दिक्-साम्मुख्य वास्तु-कला के आधारभूत सिद्धात के अनुसृप प्रत्येक वस्ती के लिये सर्व-किरणों का उपभोग एवं प्रकाश तथा वायु का स्वच्छन्त्र सेवन भी कम अभिप्रेत नहीं है। चौथे मार्गों का विनिवेश इस प्रकार हो कि प्रधान मार्ग पुर के मध्य से दौड़ रहे हों। प्रधान-मार्गों—राजमार्गों पर ही नगर के केन्द्र-भवन राजहर्ष्य, सभा, मण्डप, देवतायतन एवं प्रधान पर्यवीथी निविष्ट की जाती है। पांचवें मार्ग-विनिवेश में संचार-सौकर्य के लिये मार्गों की चौड़ाई आदि भी कम अपेक्षित नहीं है। अथवा मार्गों की कितनी संख्या हो—वह तो पुर पर आश्रित है। एक राजधानी-नगर की मार्ग-संख्या साधारण नगर की मार्ग-संख्या ने सहज ही अधिक होगी। शुक्राचार्य ने स्पष्ट लिखा है:—

“पुर द्वावा राजमार्गान् सुवहन् कल्पयेन्तुपः”

अर्थात् राजमार्गों की संख्या पुर की आवश्यकतानुरूप होनी चाहिये। समराज्ञगुरु में जैसा हम अभी देखेंगे एक आदर्श नगर के लिये कम से कम सत्तरह २ मार्ग पूर्व से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर दौड़ने चाहिये। राजवल्लभ (अ० ४) में भी इसी संख्या का समर्थन है—प्रधाननगर १७, १७ सामान्य अर्थात् मध्यम नगर १३, १३ तथा कनिष्ठ अथवा निकृष्ट में ६, ६। मयमत (अ० १०) के अनुसार पुर की विभिन्न मर्यादियों के अनुसार क्रमशः सम संख्या १२—१२, १०—१०, ८—८, ६—६, ४—४, अथवा २—२, विपर्म संख्या ११—११, ६—६ ७—७, ५—५, ३—३, अथवा १—संख्या द्वीपीय विहित है।

समराज्ञगुरु के अनुसार एक आदर्श नगर में ३४ मार्ग पूर्व ने पश्चिम तथा दक्षिण ने उत्तर विनिविष्ट करना चाहिये। मार्ग-विनिवेश का आधारभूत निष्ठान्त दिक्-माम्मुख्य (Orientation) या। मार्गों का इस प्रकार ते विनिवेश करना चाहिये, जिसने नगर की मीठरी और वाहरी दोनों ही विभिन्नकोटि निवेश-योजनाये सम्पन्न हो सकें। विभिन्न प्रकार की वस्तियों, जनभवनों, गजभवनों, मनिदर्शों, उत्तरान, तटाग, पुरजन-विहार, नीझ-द्वेष शाठि की निवेश योजना ने स्वास्थ्यप्रद वातावरण, उर्म वा प्रताग दशा वालु वा स्वच्छन्त्र संचार सुलभ हो सके।

वास्तु-पद-योजना एवं मार्ग-विनिवेश का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है—इन तथा न संकेत निया ही जा सकता है। मार्गों में पहला स्थान राजमार्ग वा है। इसका नियंत्रण पद-

के मध्यवंश पर बताया गया है। इसकी चौड़ाई का प्रमाण ज्येष्ठ, मध्य एवं कनिष्ठ त्रिविभु पुर-प्रभेदों के अनुसार २४, २०, १६ हस्त (३६, ३०, २४ फीट) क्रमशः होना चाहिये। इसका विस्तार पूर्ण होना चाहिये जिससे पदातियों, विशेषकर चतुरझिणी सेना, राजसी जल्स तथा नागरिकों के सौविध्यपूर्ण संचार में किसी प्रकार की रुकावट न हो। यह केन्द्रमार्ग, जिसकी संज्ञा राज-मार्ग है, पवका बनाना चाहिये (काश्म शर्कर)।

राजमार्ग के उपरान्त महारथ्याओं का अवसर आता है। वैसे तो शाविदक अर्थ से ये मार्ग रथों आदि यानों के सुविधापूर्ण संचार के लिये बनाये जाते थे—परन्तु वास्तव में महारथ्याओं से तात्पर्य उन महामार्गों से है जो नगर को जनपद से जोड़ते थे। समराङ्गण के अनुसार एक आदर्श पुर में कम से कम दो महारथ्यायें अवश्य होनी चाहिये जो पुर के बाहर जनपद-महामार्गों में अनुस्यूत हो जायें। इन दोनों महारथ्याओं की चौड़ाई का प्रमाण १२, १० तथा ८ हस्त (१८, १५, १२ फीट) ज्येष्ठ, मध्यम एवं कनिष्ठ पुर-प्रभेद से क्रमशः बताया गया है। वास्तुपद-विन्यास की प्रक्रिया के अनुसार इनकी स्थापना उपान्तस्थ वंश पर प्रतिष्ठित की गई है।

राजमार्ग एवं दो महारथ्याओं की निवेश-योजना के उपरान्त चार यान-मार्गों की योजना आवश्यक है, पुर के अम्बन्तर प्रदेश में भी यानों का संचार हो सके। परन्तु यह समझ में नहीं आता कि यद्यपि इनकी संज्ञा यान-मार्ग है परन्तु इनकी चौड़ाई का प्रमाण केवल ४ हस्त (६ फीट) ही सब प्रकार के उत्तम, मध्यम एवं अधम पुरों में सर्वसाधारण बतायी गई है। प्राचीन नगरियों के जो निर्दर्शन आज भी देखने को मिलते हैं उन सब में राजपथ के अतिरिक्त अन्य पथों की संकीर्णता देखकर इस लघुप्रमाण पर आश्चर्य नहीं हो सकता। प्राचीन नगर बुगों की भाँति विनिविष्ट होते थे। अतः रक्षा के इस परम प्रयोजन के कारण ही सम्भवतः स्थानाभाव से यह छुद्र प्रमाण परिकल्पित किया गया है। इस मार्ग की प्रतिष्ठा पद-मध्य-गत प्रतिपादित की गई है। संतोष इस बात से है कि समराङ्गण ने इन मार्गों में पदातियों का संचरण ही कठिन न हो जाय अतः यह निर्देश दिया है कि प्रत्येक यानमार्ग के दोनों तरफ जंघापथ बनाने चाहिये। इनको इस आज की भाषा में फुट-पाथ के नाम से पुकार सकते हैं और इनके क्रमिक चौड़ाई के प्रमाण ३, २५, २ हस्त (४५, ३५ तथा ३ फीट) है।

इस प्रकार एक राजमार्ग, दो महारथ्याओं, चार यान-मार्ग, तथा आठ जंघापथ, कुल १५ मार्गों की निवेश-योजना के उपरान्त, अब पुर के केवल दो अत्यन्त महत्व पूर्ण मार्गों का निर्देश शेप रह जाता है। इनको 'धंटामार्ग' के नाम पुकारा गया है। धंटामार्ग की यह सज्जा सम्भवतः हाथियों के घंटों से दी गई है। इनकी योजना के सम्बन्ध में यह बताया गया है कि ये प्राकार-भित्ति (परकोटा) से मिले हुए हों। इस प्रकार ये नगर की वसती के चारों ओर फैले होते हैं। धंटामार्ग राजमार्ग के समान ही सर्वगुणसम्पन्न प्रतिपादित किये गये हैं।


इस प्रकार १७ मार्ग हुये। जैसा कि पूर्व संकेत किया जा चुका है कि ये मार्ग पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर दौड़ते हैं। ऊपर की मार्ग-विनिवेश-योजना पूर्व से पश्चिम समझनी चाहिये। इसी प्रकार दक्षिण में उत्तर भी सभी कोटि के ये मार्ग विनिविष्ट करना चाहिये। इसी प्रकार पुर के पूरे मार्गों की संख्या चौतीस हड्डे।

ये चौंतीस मार्ग प्रमुख मार्ग हैं। इनके अतिरिक्त नगर के अभ्यन्तर प्रदेशों में वसती में दूसरे को पृथक् करने के लिये, सूर्य-रशिमयों के स्फुट-प्रकाश, समीर के स्वच्छन्द उपभोग, एवं यातायात की सुविधा तथा भरलता की दृष्टि ने समराङ्गण के अनुसार इत्तम्हतः सर्वत्र रथ्याओं एवं उपरथ्याओं (Street, lanes and bye-lanes) का भी निवेश ग्रनितार्थ है। इनमें से जो वही हैं, उनकी चौड़ाई १ महामार्ग श्रार्थात् राजमार्ग की चौड़ाई ने आधी होनी चाहिये और जो छोटी है उनकी चौड़ाई १। इस प्रकार जहाँ राजमार्ग, महारथ्याएँ एवं यानमार्ग तथा धंटापथ पुर की वास्त्र निवेश-योजना के आधार हैं वहाँ ये रथ्याएँ एवं उपरथ्याएँ पुर के आन्तरिक निवेश में सहायक वरन्ते हैं। ये ही उपमार्ग पुर को मुहल्लों में वर्णिते हैं।

निम्न रेखा चित्र देखिये :—

पुर के प्रधान मार्ग

('चण्डित' पर)



टिप्पणी :— पृथक् ने परिचय दीजने वाले ये प्रभान् १६ मार्ग हैं।—१ राज-मार्ग, ४ महारथ्या

रथ्यार्थें, ४ यान-मार्ग तथा २ घंटा-मार्ग । इसी प्रकार दक्षिण से उत्तर इतने ही मार्ग दौड़ते हैं । इस चित्र में यान-मार्ग के पर्यन्तस्थ जंघापथों एवं अन्य रथ्याओं तथा उप-रथ्याओं को नहीं दिखाया गया है । वैसे तो स० स० के अनुसार (अ० ५) पुर के माँ की सख्ता १७-१८ है ।

पुरनिवेश के प्रमुख सिद्धान्त (Canons) मार्ग-विनिवेश की इस स्थूल स्परेखा के उपरान्त इस विषय की थोड़ी सी समीक्षा आवश्यक है । पर्यन्तस्थ रेखाचित्र पृ० १६१ में प्रधान मार्गों की रेखाओं से प्रकट है कि वे सभी पूर्व से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर दौड़ती हुई एक आयताकार चैस वोर्ड बनाती हैं । अर्थात् ये सभी मार्ग-रेखायें समानान्तर होने के कारण एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं । मार्ग-विनिवेश की यह पद्धति आजकल भी एक प्रतिष्ठित पद्धति है । इस पद्धति का एक सुन्दर एवं ज्वलन्त उदाहरण राजस्थान की प्रसिद्ध राजधानी जयपुर है । महाराज जयसिंह जिनके नाम से इस नगर का जयपुर नाम पड़ा स्वयं एक ज्योतिषी थे । ज्योतिर्विदों एवं वास्तु-विद्या-विशारदों के घनिष्ठ सम्बन्ध पर संकेत किया जा चुका है । अतः महाराज ने प्राचीन वास्तु-शास्त्रीय प्रथों में प्रतिपादित पुरनिवेश के सिद्धान्तों के अनुरूप ही इस महापुरी की स्थापना की । भारतीय वास्तु-शास्त्र के दिक्सामुख्य सिद्धान्त से हम परिचित ही हैं । अतः भारत के पुर निवेशक (Town planners.) स्थपति दिक्सामुख्य का बड़ा ही व्यान रखते थे । कोई भी वास्तु-निर्मिति दिङ्गमरडल के diagonal points of heavens की ओर नहीं होनी चाहिये । इसी सिद्धान्त के अनुसार इस राजधानी नगर में axially दिङ्गमरडल की चारों दिशाओं से सामुख्य-स्थापन के लिये सभी प्रधान मार्ग सीधे पूर्व से पश्चिम और दक्षिण में उत्तर विनिविष्ट किये गये हैं । प्राचीन वास्तु-शास्त्र की पारिभाषिक भाषा में इस पद्धति को प्रस्तर के नाम से पुकारा जाता है । यह आधुनिक मार्ग-विनिवेश की चैस-वोर्ड-पद्धति के सदृश है ।

मार्ग-विनिवेश की विभिन्न पद्धतियों का शास्त्र में वर्णन पाया जाता है । मानसार, मयमत, अर्थ-शास्त्र, शुक्र-नीतिसार एवं पुराण—देवी तथा ब्रह्मारण आदि ग्रंथों में इस सम्बन्ध की विस्तृत सामग्री भरी पड़ी है । श्री विनोदविहारी दत्त महाशय ने अपने Town Planning in Ancient India में इस सामग्री का विशेष उपयोग किया है । समराङ्गण के इस अध्ययन में इस सामग्री की थोड़ी सी सूचना अप्रासङ्गिक न होगी ।

समराङ्गण की मार्ग-नामावली का ऊपर संकीर्तन किया जा चुका है । अब अन्य ग्रंथों की मार्ग-नामावली देखना है । रामराज अपने Essay on Architecture में लिखते हैं—वह मार्ग जो ग्राम अथवा नगर के चतुर्टिक दौड़ता है उसको ‘मंगलवीथी’ के नाम से पुकारा गया है । इसी प्रकार ‘राजपथ’ की संज्ञा उस मार्ग को दी गयी है जो पूर्व से पश्चिम जाता है । जिस मार्ग की दोनों सीमाओं पर ढार हो उने ‘राजवीथी’, जिसके बीच में सन्धियों अर्थात् जंकशन्स हों उने ‘मन्धवीथी’ तथा दक्षिणस्थ पथ की मजा ‘महाकाल’ मानी गयी है ।

मयनुनि की नामावली भी विलक्षण है । पूर्व से पश्चिम की ओर जानेवाले दरडाकार मार्ग महापथ हैं, उनमें ने जो ब्रह्मपट (कैन्ट) के पास होता है उने ब्रह्मवीथी के नाम

से पुकारना चाहिये। ब्रलवीथी ही मयमति के अनुसार मार्ग-विन्यास-योजना का नामिकेन्द्र है। व्रलवीथी के दायें-गायें दौड़ने वाले मार्ग राजवीथी की संज्ञा से चरितार्थ दिये गये हैं जिनकी सीमाओं पर द्वार-विधान आवश्यक है। यान-संचार के लिये विन्यस्त मार्गों की संज्ञा 'रथमार्ग' से दी गयी है। 'मंगलवीथी' और रथमार्गों को नारा-चपथ के नाम से भी पुकारा जाता था और उनका पक्षा होना (कुट्टिम) अनिवार्य था। मगलवीथी की अनुपङ्गिक वीथी को 'जनवीथी' के नाम से पुकारा जाता था। नगर के अभ्यन्तर प्रदेश में छोटे-छोटे अन्य कई मार्ग दौड़ते थे उनको 'वामन-पथ' के नाम से पुकारा गया है।

मर्वप्रथम ध्यान देने की वात यह है मयमत एवं मानसार आदि प्रचीन-शिल्प ग्रन्थों में जो विभिन्न-कोटिक, सर्वतोभद्र, नन्दावर्त स्वस्तिक, पद्मक, वर्धमानक, प्रस्तर, चतुर्सुख—आदि प्रामो एवं पुरों के निवेश-विवरण हैं उनका आधार मार्ग-विन्यास है। मार्गों की संख्या और उनका दिक्षासमुख्य पद्धति उन पर निविष्ट भवनों की स्थ-रेखा में ही पुर-विशेष अथवा ग्राम-विशेष की संज्ञायें प्रकल्पित की जाती थीं। इनमें यह निष्कर्ष निकलता है, कि पुर-निवेश योजना का प्राण गार्ग-विन्यास था। मयमत के अनुसार (६ वाँ तथा १० वाँ अध्याय) दरडक नामक नगर की संज्ञा उस के एकमात्र पूर्वाभिमुखीन दरडाकार मार्ग पर विन्यस्त भवन-मालिका के कागण दी गयी है। यदि उसी नगर में एक दूसरा मार्ग दरडाकार उत्तराभिमुखीन भी है और पूर्वाभिमुखीन को फ़ाटा है तो उसे (कर्तरी-दरडक) के नाम से पुकारना चाहिये। इसी कर्तरी दरडक में यदि एक भवन-मालिका के अतिरिक्त दो भवन-मालिकाये (पूर्व में पश्चिम की ओर) विन्यस्त हैं, तो उसकी संज्ञा वाहु-दरडक है जिसमें चार प्रधान दिशाओं पर चार द्वार होते हैं। उत्तराभिमुखीन मार्ग के ऊपर दो से अधिक भवन-वीथियों मार्ग-वीथियों के साथ विन्यस्त की जावें तो पिर उस दरडक नगर को (कुट्टिमसुख दरडक) के नाम से पुकारना चाहिये। इसी दरडक नगर का निवेश यदि पूर्व पश्चिम तीन मार्गों तथा उत्तर दक्षिण तीन मार्गों पर किया जावे तो उसे कल ना वन्ध दरडक नाम देना चाहिए। नगर-प्रमेद राजधानी वह नगर है जिसमें मार्ग-विन्यास के माथ गज-प्रमाण री प्रमुखता रखती गयी है।

इसी प्रकार में स्वस्तिक, भद्रक आदि अन्यवर्गीय नगरों एवं ग्रामों की मार्ग-विन्यास योजना है। स्वस्तिक में ६ मार्ग उत्तर से तथा ६ पूर्व से दौड़ते हैं। भद्रक में फेल ४ मार्ग इन्हीं दिशाओं से दौड़ते हैं। भद्रसुख, भद्रकल्पण, महाभद्र, तुभद्र आदि भद्रप्रमेदों की भी यही गाथा है।

ज्याग, विजय तथा सर्वतोभद्र नगर प्रमेद राजधानी-नगर हैं, जिनमें मार्ग-विन्यास के नाथ राज-प्रासाद की प्रमुखता रखती गयी है।

ज्याग में नौ-नौ मार्ग पूर्व-पश्चिम में उत्तर-दक्षिण दौड़ने हैं। विजय में द्वार-यार-यार और सर्वतोभद्र में ग्यारह-यारह।

मानसार एवं ज्ञानिकागम दरडक, नन्दावर्त, मर्तीभद्र, प्रस्तर, चतुर्सुख, गार्ड के पद्धत, स्वस्तिक प्रादि पुर प्रमेदों एवं ग्राम-प्रमेदों में द्वार्दक एवं पद्मक तो दोषकर प्रार्द-

सभी पुरों की मार्ग-विन्यास-प्रक्रिया का आधार आयाताकृति-निवेश (Rectangular Enclosure) है जो परिशिष्टस्थ चित्रों से स्पष्ट है। पद्मक यथार्थनाम है—कमल के समान उसकी आकृति है और कासुक भी यथार्थनाम धनुषाकृति है।

इन प्राचीन पुरों के सम्बन्ध में यह ज्ञातन्य विशेष है कि प्रायः केन्द्रीय मार्गों में दो ही प्रमुख बड़े मार्ग होते थे जिनको ब्रह्मवीथी तथा महाकालवीथी के नाम से पुकारा जाता था। ये दोनों नगर-मार्ग जनपदीय मार्गों से मिले होते थे। ये ही मार्ग नगर एवं ग्रामों की लङ्घी को जोड़ते थे। इन्हीं मार्गों पर वाणिज्य एवं सैन्य का सचार होता था तथा इन्हीं की सहायता से शासन-व्यवस्था एवं रक्षा भी सम्पादित की जाती थी। दूसरे इन पथों में (diagonal streets) का जो आधुनिक मार्ग-विन्यास में सर्वसाधारण रूप से प्रचलित हैं, प्रायः उल्लेख नहीं है। प्रत्येक नगर के दो प्रधान पथ ही नगर एवं जनपद दोनों का काम देते थे। यद्यपि इस नियम का अपवाद भी था। पार्वत्य-प्रदेशों पर निविष्ट नगरों, राजधानियों अथवा तुर्गों में संचार-सौविध्य एवं सौकर्य के लिये (Diogonal streets) अनिवार्य हो जाती है। राजस्थान की महानगरियों एवं तुर्ग-नगरों में मार्ग-विन्यास की यह विशेषता आज भी विद्यमान है। विजयनगर आदि दाक्षिण्य (Deccan) नगरियों में भी मार्ग-विन्यास का यह क्रम देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त नगर-विशेष अथवा ग्राम-विशेष की आकृति-विशेष भी इस नियम का अपवाद उपस्थित करती थी। उदाहरण के लिये उपर्युक्त विभिन्न कोटिक मार्गों में वर्तुलाकृति (circular) नन्दावते में मार्गों का उद्गम केंद्र स्थान से उदय होता है।

मार्ग-विस्तार

समराङ्गण में प्रतिपादित विभिन्न कोटिक एवं विभिन्न-संक्षक मार्गों के विस्तार का संकेत हो चुका है। उनमें राजमार्ग की ही चौड़ाई सर्वाधिक है। राजमार्ग से राजा का मार्ग नहीं वोद्धव्य है, वह मार्गों का राजा है (पाणिनि ने उसे 'पथाम् राजा' कहा है) देवीपुराण में राजमार्ग की चौड़ाई दस धनुप (६० फीट) वर्ताई गयी है जिससे पदातियों, गजों, ग्रश्वों एवं यानों के संचार में किसी प्रकार का व्याघात न पहुँचे। शुक्राचार्य जी महानगरियों एवं राजधानियों में छोटी-छोटी मढ़कों—पद्माओं एवं वीथियों का निर्माण निरेष करते हैं। क्योंकि उनमें उस नगर की स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं सफाई में व्याघात पहुँच सकता है। मार्गों का विनिवेश इस प्रकर हो कि उनकी सदैव प्राकृतिक स्वच्छता सम्पन्न होती रहे। विष्णु-संहिता (२३ अध्याय) में प्रवचन है कि सोम एवं सूर्य की किरणों तथा पवन का संचार सुकर होना चाहिये जिससे मार्ग शुद्ध रहे—'पन्थानश्च विशुद्ध्यंति सोमसूर्यशुमारुते'। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मार्ग-विन्यास पर प्रचुर सकेत हैं परन्तु शुक्राचार्य के राजमार्ग कौटिल्य के राजमार्गों की अपेक्षा अधिक विस्तीर्ण हैं। उत्तम, मध्यम एवं कनिष्ठ प्रमेद से राजमार्गों की चौड़ाई ४५, ३०, २२ $\frac{1}{2}$ फीट होनी चाहिये। ब्रह्माड पुराण में देवीपुराण के ही सदृश मार्ग-विन्यास प्रवचन है। परन्तु ब्रह्माड के मार्ग बहुत ही चौड़े हैं। देवीपुराण के अनुसार दिग्गमार्ग (National Highways) १३५ फीट चौड़े होने चाहिये और ग्राम-मार्ग—जनपद मध्यमार्ग १२० फीट। सीमा-मार्ग

की चौड़ाई ६० फीट और गजमार्ग भी इतने ही चौड़े होने चाहिये । इसी प्रकार शास्त्र मध्यामें ३२ फीट, उपरथायें ४२ ही फीट और छोटी गलियाँ (bye-lanes) केवल ३ फीट जंगलापथ ४ फीट तथा दो गहां का अन्तर ३ फीट बताया गया है ।

पद्यामें (फूट-पाथ)—

समराङ्गण के मार्ग-विन्यास में हमने देखा कि यान-मार्गों के दोनों ओर जंगलापथों का निवेश अनिवार्य है । यान-मार्गों पर पदातियों के सु संचार के लिये पद्याओं का होना परमावश्यक है । आधुनिक मार्ग-विन्यास में ये फूट-पाथ प्रायः सभी बड़ी सड़कों के दोनों ओर निविट होते हैं । प्राचीन भारत की मार्ग-विन्यास योजना में पद्याओं का अभाव नहीं था (श्री वी० वी० दत्त को संदेह है कि सम्भवतः पद्यामें नहीं थीं— (cf. Town Planning in Ancient India p 133) ।

मार्ग-चतुष्पथ—

प्राचीन मार्ग-विन्यास में भी मार्ग-संगमों पर विशेष अन्तर (space) प्रदान करके वहाँ पर कोई सुन्दर वास्तु-कृति से उसकी शोम बढ़ाई जाती थी । तिराणों और चौराहों—दोनों पर भी किसी न किसी वास्तुकृति के बोग में ये संगम सुन्दर बनाये जाते थे । नन्दावर्त आदि वर्तुलाकार नगरों के मार्ग-संगम अटगहों का निर्माण करते थे । हरियांश (विष्णु पर्व अ० ८८ तथा ८९) में द्वारावर्ती के मार्ग-नगम का बड़ा ही सुन्दर वर्णन है । नगर की दू बड़ी सड़कों का जहाँ पर संगम पढ़ता था वहो १६ Cross Sections बनते थे जिनके अन्तरावकाशों पर सुन्दर-सज्जिवेशों से पुर-शोभा प्रकृत्यित की जाती थी । अन्दि-पुराण (अ० ६५) में निर्देश है कि ऐसे मार्गान्तरावकाशों पर सभावृक्तों अथवा सभा-मण्डपों का निर्माण करना चाहिये । इन चौराहों पर परशशालाओं, चत्वरों, जललोतों (फौज्यारो ?) का निवेश किया जाता था जिन्हे आजकल हम सभी महानगरियों (Metropolis) के चतुष्पथों की भव्य विशेषता के रूप में पाते हैं । चतुष्पथों पर दीप-स्तम्भों का न्यास भी प्रचलित था । यदि ये चौराहे पुर-रेन्डर ने होते थे तो किसी देवालय ने इनकी चुपुमा बढ़ाई जाती थी । यह सब तभी होता है जब चाराहों की निवेश-न्यवस्था में भवन-मालिकों का और चतुष्पथ में प्रचुर अवकाश (Scope) का ध्यान रखता जाये ।

इन चतुष्पथों के सम्बन्ध में एक मार्मिक तथ्य का और निर्देश मिलता है जिसने आधुनिक मार्ग-संचार की वाम-न्यवस्था प्राचीनों के समय में भी प्रचलित थी—ऐसा त्वरण हो जाता है । विष्णु-पुराण (भाग ३ अ० १२) में लिखा है—“प्रपन्नव्यं न गच्छेत् देवा गारस्चतुष्पथान्”—प्रथान् देवालय या चौराहे में अपनव्य (प्रपन्न वाम भाग में) नहीं चलना चाहिये । यह तभी नभव है जब पदाति वृन्द मटक चे बाये चलें (Keep always to the left) ।

चतुष्पथों सी यह वास्तु-भूग (beautiful architectural design) लहों धार्मिक, साहस्रिक, चामालिक एवं राजनीतिक (भी दोनों कि इन्हीं समतृक्तों के नीचे

बैठकर पुरवासी अपने नगर की राजनीति एवं अन्य विषयों पर विचार-विमर्श करते थे) दृष्टिकोणों से बड़ी उपदेय थी, वहाँ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इनकी उपादेयता कम नहीं थी । पदातियाँ को चलते-चलते यत्र-तत्र सुधुमा के दर्शन से आखों को बड़ा आराम मिलता है । समुखीन शोभा विशेष उपकारक होती है । इसके अतिरिक्त बड़े मागों के दोनों ओर शोभा एवं छाया हेतु सुन्दर पादपों का आरोपण किया जाता था । आम्र-वीथिया तथा माधवी लतायें विशेष रूप से लगायी जाती थीं ।

सम्भवतः इसी तथ्य के अनुरूप नगर के मध्य-अवकाश में राज-वेशम का निवेश अभिप्रेत है जैसा कि सभी वात्सु-शालियों का आदेश है । राज-प्रसादों की वास्तु-शोभा दर्शनीय होती थी । राज-प्रसादों में निविट उद्यान, पुष्पवीथियाँ, तौरण, लतामण्डप, कमल-पुष्कर आदि के दर्शन से पथिकों के नेत्रों को बड़ा सुन्दर पाथेय मिलता था ।

मार्ग की नालियाँ—

समराङ्गण ने साफ लिखा है (अ० १०. ५२) कि पुर में जलझरों का निर्माण आवश्यक है । उनका प्रमाण दो हस्त (.३ फीट) अथवा एक हस्त (११ फीट) होना चाहिये । शिलाओं अथवा उनके अभाव में काष्ठ-पट्टिकाओं से ही सही सदैव उनको ढका रखना चाहिये । शुकनीति में भी नालियों की व्यवस्था के प्रबन्धन हैं (शु० नी० सा० श्र० १) जिनमें यह भी निर्देश है कि मागों का मध्य कर्म-पृष्ठ के समान प्रोत्तर होना चाहिये । श्रीयुत अर्यर महोदय अपने (Town Planning in Ancient Deccan pp.61-2) में लिखते हैं कि पुराने समय में जल-निर्गम की व्यवस्था का समन्वय पाइप-लाइनों से प्रारम्भ होकर पुर की परिवाओं से मिलता था । अर्यर महोदय के मत में मागों पर कूङाघरों (dustbins) का भी प्रबन्ध था ।

अस्तु । इन सब विवरणों से यह निष्कर्ष निकालना असंगत न होगा कि प्राचीन पुर-निवेश में आजकल की प्रोत्तर मार्ग-विन्यास-प्रक्रिया के प्रचुर प्रदर्शन प्राप्त होते हैं ।

पुर-वसतियाँ (जाति-वर्णाधिवास)

पुर-निवेश चतुरपछि-पट-वास्तु पर प्रकल्पित होना चाहिये—यह पद-विन्यास की गमीक्षा में सकेत किया जा चुका है। पद-विन्यास का भाज्ञात्सम्बंध नगर, की वसती ने है—इम तथ्य का भी समझायान किया जा चुका है। यथा स० स० के अनुमार नगर के निवेश में ६४ पद-वास्तु का प्रयोग होना चाहिये, अतः पदविन्यास की प्रधान रेखायें ही प्रायः मार्ग-विन्यास की पृष्ठ-भूमि बनाती हैं। रेखायें, मार्ग तथा रेखाओं ने विभाजित ६४ पट (plots) नगर की निवेश भूमियाँ—उन्हें मुद्दे कहिये या ब्लाक्स कहिये—विनिर्मित होती हैं। इस आधार-भूत सिद्धात के अनुरूप इस पुर-निवेश की उत्तर पीठी का में तीनों अध्याय पद-विन्यास (३) मार्ग-विनिवेश (४) तथा पुरवसतियाँ (५) एक प्रकार से पद-विन्यास के हो क्रमिक विकास हैं।

वास्तुशास्त्रीय वसति सन्निवेश-मम्बधी निर्देश प्राचीन भारत एवं मध्याकालीन भारत के नगरों की वसतियों का क्या स्वरूप था—इस अतिमहत्वपूर्ण विषय का दर्पणवत् प्रतिविम्ब प्रदान करते हैं। प्राचीन भारत का आर्य जीवन वर्णाश्रम-व्यवस्था के अधारभूत मानवीय सिद्धांतों से अनुप्राणित था, अतः नगर की वसती के स्वरूपनिर्धारण में वर्णाश्रम-व्यवस्था का आधार माना जाता था। व्राह्मणों की वसति के लिये नगर का एक प्रमुख एवं विशिष्ट स्थान नियुत था। इसी प्रकार इतरवर्गों के पद सुरक्षित थे। पुर के मध्य में राज-भवनों के साथ साथ जन-भवनो—सभा, पुरजनविहार, पुरदेवता-भवन आदि का संरक्षण प्राप्त था। अतः नगर की वसती की रूपरेखा में जाति एवं वर्ग का ही प्राधान्य था। अतएव समराङ्गण ने पुर की वसती के लिये ‘जातिवर्णाधिवास’—इस पट का प्रयोग किया है—जातियों एवं वर्णों के अनुसार पुर की वसतियाँ—आवासभवनमालिका या मुद्दे विन्यस्त होते थे।

इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीयता तथा अतदेशीय व्यवस्था एवं चालिज्य का यथापि सर्वथा अभाव नहीं था तथापि आजकल के समान उनका प्राधान्य नहीं था। अतः निर्विवाद है कि आजकल के समान औद्योगिक केन्द्र (Industrial areas) तथा वालिज्जन-केंद्र (Commercial centres) मुद्दा-शालायें (Banks), कर्मशालायें, (Factories) वाष्प-नेत्रगार (mills) आदि व्यावसायिक-भवनों के निवेश जा प्रश्न नहीं उठता था। अपने रेलगाड़ी आदि आधुनिक यातायात के माध्यनों के अभाव में रेलवे-ट्रेनों आदि की निवेश-योजना भी लगता थी। विभिन्न-देशीय दूतावासों (Embassies) जा छठ-विस्तार का भी प्रश्न नहीं उठता था। राजधानी नगर जे देश विदेश के नज़-दृग राज-भवनों में शी सुरक्षित शालाओं में रहते थे।

अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि जातिवर्णानुरूप नगर की वसति योनना उन काल के लिये सर्वेषां उपसुक्ष थी और उसके द्वारा सामाजिक नंगठन एवं राजनीतिक भी सम्पन्न था। ‘जातिवर्णाधिवास’ एह प्रशासन आजकल की लोनिग-व्यवस्था के महज ही

था—अन्तर के वत प्रकार का था, आकार का नहीं। सहयोगिता, सहकारिता, सह-व्यवसाय साहचर्य, पारस्परिक आदान-प्रदान एवं विचार-विमर्श के लिये एक ही वर्ण-जाति एवं व्यवसाय (पेशा) के लोग यदि एकत्र रहें तो अधिक संगत है और जीवन भी अधिक सुखद तथा शातिमय बन सकता है। खिंचड़ी की वसती कभी भी उपादेय नहीं बन सकती और न सामाजिक जीवन को सुसंयत एवं सुगंठित बना सकती है। भारत के प्राचीन स्थपति डस मर्म को समझते थे, 'अतएव जाति-वर्ण-नुरूप वसति-व्यवस्था का पुरातन समय से ही इस देश में प्रचार रहा। प्राचीन भारत के इतिहासज्ञों से भारत का सहयोगी जीवन (Corporate life) छिपा नहीं। यहाँ पर यह भी संकेत आवश्यक है कि महानगरियों में इस प्रकार का जातिवर्णाधिवास संभव नहीं था, अतएव नगर के प्रमुख पद (sites) छोटे-छोटे नगरों (Cities in miniature) के रूप में परिणित हो जाते थे जिससे पारस्परिक आदान-प्रदान, व्यवहार, व्यवसाय एवं सहयोगिता में किसी प्रकार की अड़चन न पड़े।

अस्तु, इस किञ्चित्कर उपोद्घात के उपरात स० स० की पुर-वसती का क्या स्वरूप है—देखना चाहिये। उपर संकेत किया जा चुका है नगर-निवेश के पद-विन्यास में दिक्-सामुख्य एक अनिवार्य अंग था, अतः चार प्रधान दिशाओं को लेकर ही नगर की आवादी का रूप स्थिर किया गया है जिससे दिग्बेष न आपतित हो सके। दिशाओं एवं उपदिशाओं के अनुरूप स० स० के अनुसार नगर की आवादी निम्नतालिका से निभालीय है। प्रत्येक दिशा एवं उपदिशा का एक अधिपति देव है। उसी के नाम से ग्रंथ में विभिन्न पदों का संकीर्तन है जो पद-विन्यास के अनुरूप होना ही चाहिये:—

समरांगण-सूत्रधार

दिक्-कोण	पुर-वसति
दक्षिणपूर्व(आग्नेय)	सुवर्णकार तथा अन्य वहिजीवी—लोहार, भड़मूंजे आदि, कर्मकार (कारीगर) एवं चतुरंगिणी सेना।
दक्षिण (याम्य)	वैश्य, अन्धूर्त (जुवारी) कुम्हार अथवा गाड़ी दोनेवाले (चक्रिक) नट, नर्तक एवं श्रेष्ठिगण तथा देश-महत्तर।
दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य)	सुअरपालने वाले (सौकरिक) पासी लोग, मेहपालनेवाले गढ़रिये (मेपीजार), वहेलिये (मृगच्छिद) तथा चिकवे, कैरतक (केवट) मञ्जुवे, मल्हाह, कहार आदि एवं दमनाधिकारी-चारडाल आदि
पश्चिम(वार्षण)	रथवाहक एवं रथकार, आयुध-कुण्ठ योद्धागण, कोणपाल, महामात्य, आदेशिक एवं कारुक (शिल्पकार) तथा नियामक आदि।
उत्तर पश्चिम (वायव्य)	कर्मजारी (Public Works dept) तथा मजदूर लोग, जौरिडक सुराकार तथा सुरावेचनेवाले कलवार एवं पुलिस के अफसर (दररुदनाथ) और नायकनारण—ऐमे अफसर।

उत्तर (कौन्द्रेर)	यतियों के आश्रम, ब्रह्मवत्सों के आश्रम, व्राहण, सभा-भवन, प्रपा (प्याऊ) एवं पुरुषशालाओं के साथ साथ पुरोहित, ज्योतिषी लोग भी ।
उत्तर-पूर्व (ऐशान्य)	धी वेचनेवाले और कल वेचने वाले इ. इन लोगों की नस्या सम्भवतः मर्माधिक भी करोकि केवल इन्हीं रो के लिये यह दिक्षोण सुरक्षित है ।
पूर्व (ऐन्द्र)	प्रधान राजकमचारी—मेनापति (वलाव्यज्ञ) गज-पुरोहित, महामातृ, राजा भी अपने विभिन्न-क्रोटिक निवेशों के माध्य (देखिये स० स० १५ 'रजनिपेश')

इन प्रकार इस तालिका में नगर की आवादी के पेशेवार विन्यास का उल्लेख किया गया, परन्तु जहाँ तक वर्णनुरूप वयतियों भी विन्यास-योजना का प्रश्न है उनके सम्बन्ध में समरप्लाण की प्रक्रिया निम्न लिखी तालिका से स्पष्ट है:—

वर्ण	दिव्यमुख
व्राहण	उत्तर
चतुर्विंश	पूर्व
वैश्य	दक्षिण
शूद्र	पश्चिम

ठि. वैश्य-वृन्द (सामान्य दैनिक आवश्यकताओं के विक्रेता) भिषणगण (नभी लोगों के नाम आने वाले) तथा पुस्तिष्ठान एवं फौज (नभी की नाम उग्ने वालों) का सभी दिग्गंबरों एवं उपदिग्गंबरों में निवेश अभीष्ट है।—

निवेश वग्निजो वैद्या सुग्राम्त्व पि चतुर्दिशम्
चतुर्दिशं विनेषेण न्यायीत वज्ञानि च ॥

अ० १०. १०१

प्रत्यु । समरप्लाणीय नगर निवेश भी इस आवादी की स्पष्टेया में तत्त्वात्मक सामरप्लाणीय, समाज एवं कर्मचारी सम्प्रयोग कलाशासन व वड्याधिकारी—जन विद्या

पर एक ऐतिहासिक एवं सास्कृतिक सामग्री प्राप्त होती है जिसकी छानबीन यहां प्रासादिक नहीं ।

एक विशेष ध्यान देने की बात इस आवादी में यह है कि यहाँ पर विभिन्न कोटि क वसतिया न तो धर्माश्रया हैं और न राजाश्रया । आगे अन्य ग्रन्थों की एतद्विषयक-सामग्री की तुलनात्मक समीक्षा में हम देखेंगे कि नगर की वसती का प्रधान केन्द्र-विन्तु राजनिवेश है अथवा कोई केन्द्रीय देवतायतन, सभा या मण्डप । समराङ्गण की इस नगर-वसति-विन्यास-योजना को हम पूर्णरूप से जातिवर्णाधिवास (Folk planning) के रूप में ले सकते हैं । शुक्राचार्य का भी तो यही मत था—“सजातीयग्रहणा समुदायेन पङ्कितः” । इस योजना में राजनिवेश का अमाव सर्वप्रथम समझ में नहीं आता, परन्तु इसी अन्थ के राजनिवेश नामक १५वें अध्याय में प्रतिपादित राजनिवेश की पद्धति से यह सुतरा वोधगम्य हो जाता है कि राजनिवेश की योजना एक प्रकार से एक अलग योजना है जो राजधानी नगर अथवा उपर की विशेषता है । राजनिवेश के लिये राजधानी-नगर का मध्य-भाग सुरक्षित रखता जाता था जहा पर नगर के मध्य में उस नगर की योजना के ही समान एक नवीन योजना के द्वारा राजनिवेश की योजना सम्पन्न की जाती थी । समराङ्गण-सूत्रधार महाराज मोज ऐसे अधीश्वर की कृति है । अथव धूर्वमध्यकालीन राजवैभव भी अपनी पूर्ण श्रीसम्पन्नता के लिये प्रसिद्ध था । अतः राज-भवन वास्तु-निवेश (Palace architecture) का अधिकृत अन्य समराङ्गण को राजनिवेश का अन्य वसति-सन्निवेशों के समान प्रतिपादन करना अभिप्रेत नहीं है । राजनिवेश एक पूर्ण निवेश-योजना है जिस पर सविस्तर विवेचन भवन-पट्टल में द्रष्टव्य है । यह सत्य है कि राजनिवेश पुर निवेश का प्रक अंग है । मध्यकाल मार्णविक राजाओं में भरा हुआ था । अतः प्रायः सभी प्रमुख नगरिया किसी न किसी मण्डलेश्वर की राजधानी थीं । अतएव तत्कालीन पुर-निवेश-व्यवस्था में राजनिवेश एक अनिवार्य अंग हो गया था । अथव जैसा हमने नगर-विकास के अध्याय में देखा, जिस प्रकार बहुत से मन्दिर नगरों में परिणत हो गये उसी प्रकार बहुत से राज-भवन महानगरों के उदय में सहायक हुए ।

इस दृष्टिकोण से पुर की वसती की पूर्ण रूपरेखा के लिये राजनिवेश पर धोड़ा सा संकेत यहाँ पर भी वाढ़नीय है । निम्नलिखित रेखा-चित्र से राज-वेश की स्थिति स्पष्ट है:—

उत्तर पश्चिम	उत्तर	उत्तर पूर्व
पश्चिम	राजवेश	पूर्व
दक्षिण पश्चिम	दक्षिण	दक्षिणपूर्व

झारखण्ड-पुराण

(१५२)

पुरा-नसति		दनिष्ठ-प्रधिम (नंचल्य)	पश्चिम (गाल्लु)	उत्तर-प्रधिम (वाग्वा)	उत्तर पूर्व (ऐशान्प)	पूर्व (हेद्य)
दिव्या	पूर्व-द्वितीय (ग्रामवेष)	दनिष्ठा (वाग्वा)	दनिष्ठ-प्रधिम (नंचल्य)	रथमार, आयुष- फार तथा द्वाषाशकार	शास्त्रिक (कृत्तिवार) रूपाधिकारी (P. W.D.) तथा मञ्जदूर	वाजार फल के देने याले एवं वसिकुलन (पंचोरी)
मामा	सुपांडित सुपांडित	दृष्ट्य-युक्तीक नर्तक, गायक एवं गणिताचार्य	दृष्ट (Stage manager— Datta) नकिक (गाहृतान) तथा कैवल्य (महुये) आदि	शास्त्रिक प्रसिद्ध एवं पुण्यवान्	वालाथ्यन दगड़ताथ (जज लोग) तथा भद्र नागचिक तथा द्विजमुख	वालाथ्यन
दितीय	दिव्यि पूर्णा— नवुर्णिणी केना- —पदाति ग्रहन, रूप, गज (छान्ती)	देशयात्रो के निरिक्षक	काशगुर— भटुभट (तीरदान)	महामाल्य, कोपपाल तथा काक (कारिगर-शिल्पी)	दगड़ताथ (जज लोग) तथा उत्तर	वालाथ्यन
दुर्गा	पूर्व चरित		पर्विम		दण्डिण शर	वालाथ्यन

६५० ७० १७२ का दूसरा दोग

टॉ—नेट, नग्न तथा वल झार्ग सेना चारी दिग्गजों में ।

पद-विन्यास की समीक्षा में निर्देश किया जा चुका है कि राजवेशम का निवेश द१ पद-वास्तु पर आविष्ट है । अतः द१ पद-वास्तु का 'नवपदिक' 'व्राह्मपद' मध्य-भाग (केन्द्र) बनता है । उसी पर राज निवेश की योजना बनानी चाहिये । राज-निवेश के कौन कौन से अंग हैं? कौन सी भवनवीथिया एवं शालाये तथा कक्षायें कहों कहों निविष्ट करना चाहिये । गजदरवार (आम तथा खास) कहों होने चाहिये । वाजिशालायें, गजशालायें तथा राज्य-विकारियों एवं राजपरिवार के लोगों के भवन क्षेत्रों तथा कहा बनाने चाहिये । अर्थच कौन सी वास्तु-भूमयाये एवं रक्षा-व्यवस्थायें करनी चाहिये? इन सब पर विवेचन 'भवन' पटल (राजवेशम) में किया गया है ।)

समराङ्गण की पुर-वस्ति का जो स्वरूप ऊपर प्रस्तुत किया गया है वह अग्नि-पुराण की पुर-वस्ति से मिलती जुलती है । अग्नि-पुराण में भी राजवेशम का पुर-वस्ति-विन्यास में निर्देश नहीं है । जाति एवं वर्ण के अनुरूप—पेशेवार पुर वस्ति ही अग्नि-पुराण को भी असीष है । तुलनात्मक अव्ययन के लिये अग्नि-पुराण की पुर-वस्ति वाम-पर्यन्तस्थ रेखा-चित्र (पृ० १७१) में अवलोकनीय है ।

अग्नि-पुराण के अनुसार नगर के 'वाह्य-भाग' में पूर्व की ओर चर-लिंगी (प्रछन्न राजकीय दूत) दक्षिण की ओर शमशान, पश्चिम में पशुवाडे—गौशालायें (डेरी-फार्मस) एवं उत्तर में कृषिकर्ता—किसानों की वस्तियों (वे किसान जो नगर के वाह्य भूमि-प्रदेश पर शाक एवं फल आदि पैदा करते थे, जैसा कि आजकल भी सभी नगरों एवं महानगरों के ऐसे प्रदेशों पर (Outskirts) पर देखा जाता है ।)

नगर की वस्ती का जाति-वर्णानुरूप-विन्यास नगर निवेश का सर्वप्रसिद्ध सिद्धान्त होते हुए भी इसकी अन्य कई विभिन्न परिपाठियों प्रचलित वी जिनका योड़ा सा निर्देश आवश्यक है ।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नगर की वस्ती का आधार मार्ग-विनिवेश था । नगर-मापन एवं पारिखेयी भूमि की प्रकल्पना के उपरान्त पश्चिम से पूर्व तथा दक्षिण से उत्तर तीन-र्त न राजमार्गों (वड़ी सड़कों) का निवेश करना चाहिये । पुनः मध्य में उत्तराभिमुखीन अथवा पूर्वाभिमुखीन नवपदिक-राज-निवेश (देखों पीछे समराङ्गण की पुरवस्ति में प्रदत्त राज-निवेश का रेखा-चित्र) करना चाहिये । पुनश्च राज-भवन को निवेश-विन्तु (Unit) मानकर उत्तर से अन्य वस्तियों का निवेश प्रारम्भ करना चाहिये ।

कौटिल्य की तुर्ग अथवा नगर क सम्बन्ध में जिस आवादी का संक्षिप्त स्वरूप हम 'अर्थ-जात्य' में देखने को मिलता है उससे हम यह निपक्षर्प निकाल सकते हैं कि उस सुदूर अतीत में भी मारत का नगर-निवेश अति समृद्ध एवं वैज्ञानिक था । कौटलीय नगर-निवेश में वार्मिक कर्मकारण अथवा तत्प्रतीक पद-विन्यास का विलक्षण मर्कंतत नहीं अतः नगर-निवेश की यह Secular Planning एक मात्र आधुनिक हीं नहीं कही जा सकती । निम्न तालिका ने कौटलीय अर्थशास्त्र की पुर-वस्ति के हम दर्शन कर सकते हैं:—

कौटिल्य-अर्थशास्त्र

दुर्ग अथवा पुर-वस्ति

पूर्व	गन्ध, माल्य, धान्य एवं रस के व्यापारी, प्रधान काम्क (कारीगर-शिल्पी) एवं ज्ञात्रिय ।
पूर्वोत्तर उत्तर पूर्व	आचार्य, पुरोहित, यजस्थान, जलस्थान एवं अमाल्यवृन्द । राजकीय रजाना तथा गौशालायें एवं अश्वणालायें ।
उत्तर	नगर-गज-देवता (Tutelary deity) का मन्दिर । लोहार, जौहरी तथा ब्राह्मण लोग ।
पश्चिमोत्तर उत्तर-पश्चिम	वानशालायें एवं रथशालायें । दूकानें तथा अस्तपताल ।
पश्चिम	खट-तारे, ऊन, वास की चटाइयाँ चमड़े एवं शखों एवं मोजों के बनानेवाले शिल्पी—कारीगर लोग तथा शब्द लोग ।
दक्षिण-पश्चिम पश्चिम दक्षिण	वनीपथि-भारडागार, आमुधागार । गर्दमशालायें, उष्ट्रशालायें एवं गुतियाँ एवं कर्मशालायें (फैन्टरियों) ।
दक्षिण	नगराध्यक्ष, धान्याध्यक्ष, व्यावहारिकाध्यक्ष (Suprintendent of Commerce) एवं व्यावहारिक तथा पक्कान्न, तुग, मास आदि भोज्यों एवं पेयों के व्यापारी तथा रूप से जीवोवाली (कमानेवाली) वैश्यायें गायकरण एवं वैश्य-वृन्द भी ।
पूर्व-दक्षिण दक्षिण-पूर्व	राजकीय भोजनशाला एवं महानस, गजशाला, कोष्ठागार भारडागार-रजाना, एकाउन्टेन्ट का दफ्तर, कार्मशालायें, नप में जीविकोपार्जन करनेवाली वैश्यायें, गायकरण एवं वैश्य-वृन्द ।

टिं १—श्रेष्ठियाँ (Guilds) तथा प्रबद्धियाँ (Corporations) एवं निकाय (मजदूर) प्राय. सर्वत्र देखाये जाते ।

टिं २—प्रत्येक दस घर के लिये एक कृप होना चाहिये ।

टिं ३—पुर के दक्षिण में उच्च जातियों के लिये इमगान तथा पुर के पूर्व प्रवया उत्तर में नर्मसाधारण इमगान । चारणाल एवं पाषण्डियों के निकाय इमगानान्त दत्ताया गया है ।

दौटिल जी नगर-वस्ति के इन व्यवस भें मार्ग-विनियेता प्रदं नज़्-निर्देश ता मार्ग स्थान है । दर्शनिकान का इन नियेता पदनिये ने जोर्दं निर्देश तरह नहीं । इन्होंना इन रें—इन पर आगे चमीक्का दीर्घी । परले अर्थी इन्होंना की वग्नी मी थेन लैं ।

प्रजाहं-न्यादी शुक्रान्यादं जी नगर-नगरि हा प्राग्भू 'नभा' ने इमादन फरते हैं ।

राजधानी नगर के मध्य में सभा-भवन का सर्व प्रथम न्यास शुक की मंत्र-प्रतिष्ठा का परिचायक है। अथवा राज-भवन की प्रतिष्ठा सभा-भवन के मध्य में बताई गयी है—“राजगृह सभामध्यम्”।

शुक्राचार्य की नगर-वसति की तालिका न देकर इतना ही इंगित पर्याप्त होगा कि शुक्र के अनुसार आवादी की निवेश-योजना में पद एवं प्रतिष्ठा सर्वाधिक महत्व रखती है। जितना ही अधिक प्रतिष्ठित वर्ग होगा उतना ही अधिक सान्निध्य उसका राजमहल से होगा। पुनर्थ आवादी काफी खुली होनी चाहिये। राज-प्रासाद से कम से कम १५० फीट का फैसला छोड़कर ही इन प्रतिष्ठितों की आवादी प्रारम्भ करना चाहिये। सैन्य-विन्यास में भी प्रतिष्ठा का माध्यम अनुकरणीय है।

नगर की इन विभिन्न-कोटिक वसतियों में जो सर्वसाधारण विशेषता है वह यह कि इनमें पद-विन्यास का क्रम नहीं पाया जाता है। अतः पद-विन्यास पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित नगर-वसति का एक उदाहरण देकर इस स्तम्भ से अग्रसर होना चाहिये। मानसार एवं मयमत इस दृष्टि कोण से आदर्श ग्रंथ हैं। मयमत के अनुसार पदविन्यास पर प्रतिष्ठित पुर-वसति को हम निम्न रूप से समझ सकते हैं:—

मयमत-पुर-वसति

यह प्रथम ही संकेत किया जा चुका है कि मयमत एवं मानसार की पुर-वसति पद-विन्यास पर आधारित है। अतः मयमत की इस पुर वसति को पूर्ण रूप से समझने के लिये पाठक को पूर्व-प्रतिपादित एकाशीति-पद-वास्तु अथवा चतुषष्ठि-पद-वास्तु के रेखचित्रों को दृष्टि में रखना चाहिये तभी मयमतीय वसति विन्यास विशेष वौधगम्य हो सकेगा।

विभिन्न आचार्यों की पुर-वसति के केन्द्र-विन्दुओं पर हम दृष्टिपात कर चुके हैं। शुक्र की सभा एवं कौटिल्य का राजवेशम पुर वसति के केन्द्र-विन्दु थे—मयमति का केंद्र विदु है आपणक अर्थात् परम्यवीथियोः:—

“तत्र कुदुम्बावज्जिकं वच्येऽह चान्तरापणकम्”

अतएव पुर-वसति-विन्यास में रथपथ पर वणिगजनों की श्रेणी—सभी प्रकार के घस्तु-जात वेचनेवाले वैश्यों के घरों का प्रथम सकीर्तन किया गया है। सौदागरों के बाद चुलाहों का नंबर आता है। इन तनुवायों की गृहश्रेणी वैश्यवृन्द के घरों के दायी ओर होनी चाहिये। व्यायों ओर अर्थात् उत्तर दिशा में चक्रिक—गाड़ीवानों की वसती विहित है। रथपथों के ही दायें-वायें विभिन्न-कोटिक कर्मोपजीवियों, शिल्पियों, कारीगरों, लोहारों आदि की वसतियाँ विहित हैं।

ब्राह्मपद—(पुर के मध्यभाग) के चतुर्दिक् दोहती हुई सङ्को पर अन्तरापणक वाम वीथियों की प्रकल्पना करनी चाहिये। परन्तु इन अन्तरापणकों की विशेषता यह है कि इनमें फलों एवं ताम्बूल की दूकानों की ही वहुतायत होगी।

इसी प्रकार ईशान से लेकर महेन्द्र तक के पुर-पदों (town blocks) पर मत्स्य, मास, शुष्क जारु आदि की दूकानों का निवेश विहित है। पुनः महेन्द्र पदसे बढ़िये और आग्नेय-पद तक उन दूकानों का विन्यास होना चाहिये जहाँ पर भद्र एवं भोज्य पदाभ्यों की चिक्की होती हो। आग्नेय-पद ने आगे गृहज्ञत के पद तक वर्तना एवं भागद्वां के भारदागर

पिन्धस्त होने चाहिये । गृहक्रत से निम्न तिक तक पीतल और कोमि की दूकानें होनी चाहिये । पितृगण से पुष्पदन्त तक वस्तों के व्यवसाय के लिये पर्यावारियों मजी हों । पुष्पदन्त से वायु तक के पदावकाश पर धान्य एवं तरहलों का आपारक फैला हो । वायु से भटाट तक दर्जियों की दूकानों के माध्य-माय लवण एवं तैल के व्यापारियों के परम प्रसरित हों । पुनः आगे वढ़िये और ईश तक गवियों—अचारों की दूकानें तो हों ही साथ ही साथ पुणों की शिपणियों की भी वहाँ भग्मार हो ।

इस प्रकार मयमतीय नगर की वस्ति-विन्यास के मध्यमावकाश के चतुर्दिश वाहर की ओर ढौड़ने वाले मार्गों पर प्रतिष्ठित नव मंख्यक अन्तरपणक-वीथियों के वसान के उपरान्त आभ्यन्तरिक पथों पर उन पर्यावालाओं का निवेश अभिप्रेत है जहाँ पर वहूमूल्य गल, म्वर्ग, रेगमी वस्त्र आदि एवं रस, आसव तथा मसिष्ठा, मिर्च, पीपल, हल्दी, मधु, घृत, तैल आदि नानाविध वस्तुजात का क्रय-विक्रय अभिप्रेत है ।

मयमतीय पुर-वस्ति में देव वस्ति का भी पूर्ण मंक्तिन है, जिसका संनेत 'देव-तायन' नामक दूसरे अध्याय में होगा । विशेष व्यान देने की वात यह है कि मयमत सभी जातियों एवं वर्गों की भवनमालिका के लिये सभी दिशाओं पर स्वतन्त्रता प्रदान भरता है । इस प्रकार का निर्वाध जातिवर्णधिवास अन्यत्र अप्राप्य है । हाँ जहो तजा चरणालों और धोनियों की वस्तियों (कुटीरों) का प्रश्न है वह पुर के पूर्व में प्रधान वस्ति से लगभग दो सौ दरड की दूरी पर वतायी गयी है जो एक प्रकार पुर-ममीपक शासननगर (branch town) अथवा पुर-पार्श्वक ग्राम के रूप में परिकल्पित हो सकता है ।

जातिवर्णधिवास का यह निर्वाध क्रम मयमत के ग्राम-वस्ति-विन्यास में भी पाया जाता है । यथापि मयमत की पुर-वस्ति की अपेक्षा ग्राम-वस्ति में जातिवर्णधिवास के क्रम (Zoning) के लिये भी पूर्ण संकेत है तथापि मयमत का वस्ति-व्यातंत्र्य के प्रति विशेष अभिनिवेश दिग्गाँई पड़ता है । वास्तुशान्तीय इसी उदारव्याप्ति ने प्रगिद्ध महानगरों (Cosmopolitan Cities) का उदय हुआ ।

मयमत के ग्राम-विन्यास का भी आधार पट-विन्यास है । ८१, ६४ अथवा ४६ पद वाले वास्तु-पट-प्रकल्पन के उपरान्त ग्राम को पुनः ब्राह्म, दैविक, मानुष एवं पैशाच इन चार घटे-घटे पदों (zones) ने विभक्त करना चाहिये । ब्राह्मपट पर व्राया का मट्टिर निर्मित करना चाहिये तथा दैविक एवं मानुष पटों पर व्रायालों की वसनि-मालिका (rows of houses) प्रतिष्ठित होनी चाहिये । गिलियों तथा कर्मकारों की घमीं के लिये पेशाच पट अभिप्रेत है ।

इसी प्रकार नगर-वीक्षण के सुरक्षित एवं सुनपक्ष नानारिप्प उपरग्नों—ठमामरटप श्रावण, सञ्जेश्वर, वार्षी, तक्षण, पुष्पदन्त आदि नमों उदाच भग्नों का ग्राम-वि. य.ग. में भी आदेग है । इनके अन्तरिक पश्यालात्रों से पट सुन्दरि भे । दैवों, गङ्गों तेजाओं, नायिनों, गजों, (masons-architects) दार्गिनों, महुआ, गाढ़ीबानों, निरचों आदि वीं ग्रामीण वस्ति-विन्यास पुर-वस्ति के भी अनुरूप है । खोरिंग और गहराँ जी इन ग्रामों पर ग्राम के बाहर वित्त है ।

ग्राम भी इन ग्रामों स्मृद वस्ति-विन्यास (ग० म० द्वा ग०) पदार्थ का

कहना सर्वथा संगत ही है कि यह तो पुर-वसति से भी बढ़ गयी है। इसका क्या रहस्य है ? प्राचीन भारत में ग्राम ही वसति-केन्द्र थे। स्वच्छन्द-जीवन के लिये ग्राम ही सर्व-विश्व सुविधा प्रदान करते थे। नगरों का निर्माण या तो राजनैतिक परिस्थितियों से अथवा व्यावसायिक आवश्यकताओं के कारण ही हुआ। अत आजकल की तरह नगरों की भरमार नहीं थी। प्राचीन काल के ग्राम आधुनिक नगरों से कम न थे। अन्यथा ग्रामीय-वसति का इतना सुन्दर एवं सुसमृद्ध स्वरूप देखने को न मिलता।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा माकरडेय-पुराण के उनुसार तो ग्रामों में केवल शूद्र अथवा कृषक ही रहते थे—यह मत सत्य नहीं। प्राचीन-काल में तथा पूर्व मध्य-काल में भी ऐसे बहुसंख्यक निर्देश मिलते हैं एवं प्रमाण प्राप्त होते हैं जिनसे यह धारणा गलत साधित होती है। महाकवि वाणभट्ट के ब्राह्मणाधिवास ग्राम का संकेत किया ही जा चुका है। मयमत में ग्राम के प्रकार-प्रमेद पर वसति-प्रकार एवं वसति-संख्या (Population) का माप दरड स्वीकार किया गया है। मयमत (देखों द्वाँ अ०) के अनुसार एक उत्तम ग्राम के तीन प्रमेद हैं—उत्तमोत्तम जहाँ पर १२००० ब्राह्मण रहते हैं, उत्तम-मध्यम जहाँ पर १०००० ब्राह्मण रहते हैं, उत्तमाधम—में ८००० ब्राह्मण। ग्रामों की यह ब्राह्मण-वसति एवं उनकी संख्या पूर्वप्रतिपादित मत का पूर्ण समर्थन करती है। अथव मानसार एवं मयमत में विभाजित विभिन्न-वर्गीय ग्रामों की विशेषता में वसति के प्रकार-मेद का ही मूलाधार है।

इस प्रकार विभिन्न-कोटि पुर-वसतियों की इस साधारण समीक्षा के उपरान्त अब अन्त में जिस तथ्य की ओर (जिसपर हम संकेत कर आये हैं) ध्यान देना है वह यह है कि प्रायः सभी प्राचीन शिल्प-शास्त्रीय ग्रन्थों में (मयमत, मानसार आदि) पुर-वसति पद्विन्यास पर आधारित है। परन्तु कौटलीय अर्थशास्त्र, शुक्रनीतिसार, अग्नि पुराण एवं समराङ्गण में भी पद्विन्यास का कोई संकेत नहीं है। हम पहले ही कह आये हैं कि पद्विन्यास एक प्रकार की विभाजन-प्रणाली है। अतः नगर की आवादी के लिये जिस किसी भी प्रणाली का श्रुतुगमन होगा वह एक प्रकार का पद्विन्यास ही है—उसे देवनामों से संकीर्तन करें अथवा दिघमुखों से—सब एक ही बात है। दत्त महाशय ने (T P, in Ancient India p. 149 F N.) में यह आकृत किया है कि सम्भवतः इस द्विविध वसति-पद्वति से वास्तु-विद्या की दो परम्पराओं (Schools) पर प्रकाश पड़ता है—वह लेखक की समझ में विशेष नहीं ज़च्चता। मयमत का पद्विन्यास, कौटिल्य का मार्ग-विन्यास, समराङ्गण एवं अग्नि-पुराण का दिघविन्यास—सभी एक ही तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि पुरवसति-विन्यास से प्रथम पुर को विभिन्नकोटिक पदों-भागों (divisions plots, sites) अथवा मुहळों में वॉट देना चाहिये। तदुपरात किस मुहळे में किस की वसति अथवा प्रतिष्ठा अभिप्रेत है उसका सम्पादन करना चाहिये। आज भी सभी नगर मुहळों में वॉटे हैं। यही आधुनिक नगर-निवेश पद्वति में जोर्निंग-प्रक्रिया के नाम से पुकारा जाता है। अत, एक शब्द में यह कहना ठीक ही होगा कि प्राचीनों के इसी पद्विन्यास की आधार शिला पर आज कल का अत्यन्त उदीयमान नगर-निवेश खड़ा है।

देवतायतन—मण्डप एवं आरामोद्यानादि—पुरजन-विहार

(अ) देवतायतन

भारत की मानवता देवों की आराधना में विकसी । चिग्न्तन ने हम देश में अपरोक्ष शक्ति की उपासना में ही जीवन की सार्थकता समझी गयी । देव-मायना कहिये—अध्यात्म कहिये, उनातन ने इस देश की संस्कृति की सबंग्रसुप विशेषता नहीं । देव-पूजा का क्य उद्गम हुआ, कैसा उसका विकास पनपा—पूजा-पठति, पूज्य देवों की पनपग आदि प्र प्रतिमा-पटल की पूर्व-नीठिजा में विशेष विवेचन मिलेगा ।

पुर-निवेश की वहुमुखी-रोजना में पुर में देवतायतन-विधान प्राचीन पुर-निवेश या अति महत्वपूर्ण प्रंग है । वास्तुशास्त्र के नभी ग्रंथों में इस विषय की अवतारणा दी गयी है । चमण्डल में भी इस विषय की पूरी सामग्री है । इसा से कहे जौ वर्द पूर्व पूर्व लिखे गये कौटिल्य के शर्पशास्त्र में भी नगर ने निवेश्य देवतायतनों एवं देवों पर प्रवचन मिलते हैं । ग्रन्थः यद परम्परा कार्यी प्राचीन है—इस में सन्देश नहीं । तथा पि इन्होंना तो असर नहीं जा सकता है कि देवतायतन-परम्परा पौराणिक फग्पग है । वैदिक्युग यार्गोपानन्दा-रात्र था । वृत्तिकात-पूजा (Individual worship) उन रात्र की प्रणान विशेषता थी । उच्चन्नेश्वर जात में उपनिषदों के व्रताभ्यान दी ज्योति ने इनका चर्गार्दी प्राप्त किया कि यशस्वी भी तुन्हें समझ गया । मन्दिरान—द्वारात्मकान एवं उपायना एवं जितना का पन्न विद्युत दना ।

गानकादियों के शत्रुघ्न और चतुर ग्रतिमा-पूजा एवं जात पर्णों के लिए ही उचित समझी गयी । परन्तु जब दीतों के वैदिक घर्म के वरिष्ठा हैं इन्होंने एक ज्ञानि

अर्थात् भी खुलीं तो उन्हे धर्म में एक नवीन परिवर्तन (A new orientation) करना अनिवार्य हो गया । पुराणों की रचना इस मर्म का परिणाम है । ब्रह्मज्ञान साधारण जनों की न तो समझ में ही आ सकता है, न प्राप्य ही और न अभ्यसनीय ही है । अतः कोई मध्यम मार्ग चहिये । अतः ‘एक सद् विप्राः वहुधा वदन्ति’ की वेदवर्णी ने ही इस संकाति के समय में भी नवीन ज्योति प्रदान की । मन्दिर-निर्माण एवं देव-पूजा के अब्रलिह प्रासाद की यही आधार-शिला थी । सामूहिक-पूजा-परम्परा (Congregational worship) के श्रीगणेश में तीर्थ-स्थानों एवं प्रसिद्ध मन्दिरों ने वहा योग दिया ।

देवतायतन-निर्माण एवं देव-पूजा की परम्परा, यद्यपि जैसा ऊपर संकेत किया जा चुका है, काफी प्राचीन है तथापि देवों का विकास एककालिक नहीं । जो देव दो हजार वर्ष पूर्व विशेष उपास्य थे वे ही कालातर में दूसरे देवों से दब गये और दूसरों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया । पूर्व मध्यकाल में ब्रह्मा का बोलबाला । विष्णु और शिव भी कम प्रसिद्ध न थे । त्रिदेवोपासना ही सर्वाधिक प्रचलित थी ।

ब्रह्मा, विष्णु, एवं शिव के अतिरिक्त और भी बहुत से देव एवं देवियाँ थीं जिनके मन्दिरों की प्रतिष्ठा प्रचलित थी । परन्तु विभिन्नकालीन वास्तुग्रंथों में जो एतद्विषयक सामग्री मिलती है उस से देवों एवं देवियों के उत्थान-पतन की एक रोचक कहानी बनती है । सच तो यह है कि देवों का यह उत्थान-पतन तुलनात्मक पुराण-शास्त्र (Comparative Mythology) का एक रोचक विषय है ।

अस्तु । इस उपोद्घात के अनन्तर समराङ्गण के अनुरूप नगर के देव एवं देवतायतन की प्रतिष्ठा-मीमांसा करनी है । देवतायतन न केवल नगर के मध्य अथवा अम्बंतर ही निविष्ट किये जाते थे उनकी एक वही संख्या पुर के वास्य प्रदेश पर निवेशनीय प्रतिपादित की गयी । आज भी यत्र-तत्र सर्वत्र विशेषकर ग्रामों में जो मन्दिर देखने को मिलते हैं वे ग्राम के बाहर ही प्रतिष्ठित हैं । यह ठीक भी है । समग्रांग में नगर-मध्य देवतायतनों में ब्राह्म मंदिर ही विशेष उल्लेखनीय हैं अन्यथा अन्य देवों के मंदिर पुर के वास्य भाग पर ही निविष्ट होने चाहिये—ऐसा आदेश है । निम्नतालिका पर एक दृष्टिपात नगर के सभी देवों का दर्शन कर सकती है:—

टि:—वस्ति-उन्निवेश के नमान ही देवतायतन-निवेश का आधार दिक्षमुख्य एवं पुर-नामुख्य था । दिग्गांत्रों एवं उपदिशाओं में ही मन्दिर भी निविष्ट होते थे । विदिशायें वर्जित थीं ।

पुर-देवतायतन

(स०स०)

पुर-भाग	दिशायें	देववर्ग
वात्स	पूर्व	विष्णु, सूर्य, इन्द्र, धर्मगज के निकेतन
	दक्षिणपूर्व	सनत्कुमार, नाविची, मस्तृ-गण, मरुति (हनूमान्) के निकेतन
	दक्षिण	गलेश, मातायें, भूत एवं प्रेतपति यमगज के घट
	दक्षिण पश्चिम	भड़काली का मन्दिर एवं पितृ-गणों के चैत्र ।
	पश्चिम	सागर, नदियाँ (गगा आदि) जलदेव—बृहगण, विश्वरमा वे निलय ।
	पश्चिमउत्तर	फणियों के भवन, शनैश्चर और कात्यायनी के मन्दिर
	उत्तर	विशाख, स्कन्द, नोम, कुवेर के प्राप्ताद
प्रथमन्तर	उत्तरपूर्व	जगद्गुरु महेश, लक्ष्मी और अग्नि के मनोगम मन्दिर
	ब्रह्मा का मन्दिर पुरमध्य मे। पुर के मध्य मे ब्राह्म मंदिर के प्रतिस्तिथ इन्द्र, वलहम एवं कृष्ण के भी मन्दिर दानाना चाहिये । वैने तो न० स० ग्रा निर्देश है जिम प्रकार नगर मे बाहर वैने ही पुरमन्तर भी प्रसनी अपनी दिशाओं मे देवों की प्रतिष्ठा की जा सकती है ।	

पुर-निरेंग ने भक्ताज्ञान की देवतायतन-प्रवस्था मे एक दो जातिय और दो प्रकार के जिनता उन्नेन तरना चाहत्थर है । पुर के सभी ग्राह्यामियों के दिशे जग्य तो पूर्वांश आदेश यह है कि सद्वी प्रीर दैन्यग (कुवेर) की प्रतिमाएं प्रनेन तरन जे प्रमाण पर यमदर निरिद करना चाहिये । अग्नि पुराण तो भी ऐसा ही निर्देश है । नगर एवं नागरिकों के शामुद्रन के दिशे यह प्रतिमाएं दरबस्था है ।

इन्ह इन्ह यह है कि लितियों दी शतपत्ना नगरभूत्तर वर्णित है । उनसे नगर के बाहर एकान्त स्थान पर प्रतिष्ठाति करना चाहिये । ये लिमन्यान नगर भी

पश्चिम दिशा में हों। शमशान एवं शमशानस्थ लिंगों की प्रतिष्ठा के लिये नगर की दक्षिण दिशा वताई गयी है। तीसरे माताओं, यज्ञारण, शिविकगण एवं भूतसंघ के मदिर नहीं बनाने चाहिये। उनकी प्रतिष्ठा चबूतरों पर उचित है। यह परम्परा देश के प्रत्येक नगर, ग्राम एवं कस्बे में आज भी हूबहू बैसी ही पाई जाती है।

देवतायतन-निवेश के संवंध में समराङ्गण का एक महत्वपूर्ण प्रवचन यह है कि एक ही देव के बहुत से मन्दिर नहीं बनाने चाहिये। इस नियम का उल्लंघन अनर्थकारक है (अ० १०.१३५-४०)। रुद्र, सोम अथवा ब्रह्म के एक एक प्रासाद होने पर यदि दूसरे और विनिर्भित होते हैं तो अग्रजन्मा ब्राह्मणों को पीड़ा प्राप्त होती है। वहि एवं वृहस्पति के अधिक मदिरों से पुरोहितों एवं ज्योतिर्विदों को भ्रुव भय उत्पन्न होता है। इसी प्रकार कुबेर, इन्द्र, वरुण तथा यम के अधिक प्रासादों की विरचना से राजा को भय-ग्रासि निश्चित है। देव-सेनानी स्कन्द (कार्तिकेय) के अधिक मन्दिर से सेनापति एवं सैन्य की पीड़ा निश्चित है। प्रजापति एवं विष्णु के एकाधिक प्रासाद से प्रासाद-कारक (यजमान) एवं प्रासाद-कर्ता स्थपति—दोनों ही वन्धन एवं नाश को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अन्य देवों की गाथा है।

देवतायतन-प्रतिष्ठा नगराभिमुख अनिवार्य है। पुर से दूर दिशाओं में भी यदि कोई मन्दिर प्रतिष्ठित है तो उसे भी नगराभिमुख ही होना चाहिये। पराह्नमुख देव प्रतिषिद्ध हैं। यदि गलती से देव पराह्नमुखता आपतित हो गयी है तो फिर शान्तिक-विधि अनिवार्य है। मन्दिर की उस दीवाल पर जो नगराभिमुख है, पराह्नमुखीन देव की चित्र प्रतिमा बनाकर नगराभिमुख करनी चाहिये। परन्तु यह विधान केवल अचार्याश्रित देवों के सम्बन्ध में है। जो आलेख्यवती हैं अथव जिनका एक मात्र चित्रण ही प्रयोजन है उनकी सभ्मुखता अथवा पराह्नमुखता पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं।

इस सम्बन्ध में समराङ्गण का दूसरा आदेश यह है कि जिन देवालयों की प्रतिष्ठा प्राची में हो उनके मुख प्रतीची की ओर हो, जो प्रतीची में हो उनके मुख प्राची की ओर करने चाहिये। परन्तु दक्षिण दिशा में स्थापित देवालय उत्तर की ओर नहीं होने चाहिये (अ० १०.१२२-१३)।

पुर के भीतर और बाहर इसी प्रकार की देव-वसति प्रायः सभी वास्तु-शास्त्रीय ग्रंथों में निर्दिष्ट है। अन्तर केवल इतना है कि इन विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न देववर्ग देखने को मिलते हैं अथवा किन्हीं में कुछ देवों के प्रति विशेष अभिनिवेश लिखाई पड़ता है और किन्हीं में कम। देवों के इस उत्त्यान-तपन की रोचक कहानी पर प्रतिमा-पट्टा में विशेष चर्चा होगी। यहाँ पर एक दो उदाहरण देकर इस स्तम्भ से आगे बढ़ना ठीक होगा।

जिस प्रकार से समराङ्गण और अभिपुराण की नगर-वसति का साम्य देखने को मिलता है, वेमे ही देव-वसति भी दांनों की प्रायः नमान है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अपराजित, अप्रतिहत, जयन्त, वैजयन्त, शिव, वैश्वरण, अश्विन एवं विष्णु—‘श्रीमदिग्-गृह’—विष्णु गृह, न कि ‘श्रीमदिरागृह’ जैसा कि डा० शामशाल्ली ने अनुवाद किया है—देखो Dattātṛī पृष्ठ १३५। ये नाम समराङ्गण अथवा अभिपुराण के नाम से सर्वथा विलक्षण हैं। लगभग डेढ़ हजार वर्ष में ऐसा देव-विज्ञान अथवा देव-हास नहीं है।

अन्य नंथों में भी इसी प्रकार ही विभिन्नता है। भयमत में दुर्गा एवं गजसुन-सद्मी की प्रतिष्ठा पर विशेष अभिनिवेद है। मानमार्ग में निश्चेव—ब्रह्मा, पिण्डि, गणेश की प्रतिष्ठा पर विशेष जोर है।

देवतायन-प्रतिष्ठा के सात्कृतिक महत्व पर मंकेत किया जा नुका है। इनसा व्यावहारिक मूल भी कम न था। मंटिर प्राचीनकाल एवं मध्यकाल के महाविग्रहलयों एवं विश्वविग्रहलयों का तो काम देते ही थे; साथ ही माथ नगर की जनता की धार्मिक जिज्ञासा के पूर्ण नाथन थे। मंटिर के पुजारी शास्त्रज, धर्मनिष्ठ एवं ध्योतिर्थिद्वय हुआ करते थे। पुराणों का पारायण, रथा-राता, भजन-मंकीर्तन, प्रवचन एवं पाठ दैनिक-व्यवस्था थी। जिनमु धार्मिक जनता मंटिरों में जाकर कथा सुनती भजन-मंकीर्तन में भाग लेने उपास्त्व देव की भक्ति तन्मयता में विभोग होनेर अपने को छुतड़त्व बनती। नगर के मंटिर, नगर की शिक्षा-दीक्षा, धर्म एवं भक्ति, अध्यात्म एवं चित्तन्, योग एवं वैगम्य के जीते जागते गात्मत्व के बैंड थे। नगर के बहुमन्त्रिक जिज्ञासु द्वाव्र विद्वान् पुजारियों के अन्तेश्वारी वनकर वेद, गाम्य, पुराण एवं काव्य का अध्ययन करते। उत्सव विशेष पर न केवल नगर वग्न उम उनपठ-विशेष के समीप के ग्रामों की जनता भी आती, महोत्सव में भाग लेती और आनन्द मनाती। एक शब्द में देवतायतन-हिन्दू-जीवन का अभिन्न अंग थे।

पुर-निवेश में देवतायन-प्रतिष्ठा की इसी परम्परा को कलिपय वास्तु-शास्त्रीय ग्रंथों में मरणप-विधान के नाम से पुकारा गया है। मरणप-विधान अधिका देवतायतन-प्रतिष्ठा वास्तु शास्त्रीय दृष्टि से एक ही चीज़ है। ‘मरणप’—यह ग्रन्थ उस तुदूर अर्तीत की ओर दैगित रूपता है जब पूजा-नाल्तु वेदिन-रचना एवं वज्राला तक ही विस्तित था। कालान्तर में वैदिक ‘सदस्त’ ने मरणपों की प्राहृति विकसी—इस पर इन आगे—प्रानाटन्वास्तु की चर्चा में विशेष निवेदन करेंगे।

(च) आरामोद्यानादि

प्राचीन नगरों की मध्य-प्राचीन विशिष्टता—देवतायतन-विन्दाय पर इन अध्यात्र के पूर्वार्थ में प्रिवेचन किया गया था आधुनिक नगरों की गवंप्रसुप विशिष्टता—उन्हान पुर्जन विहार आदि विद्वारभूमियों के चिन्मास एवं सम्बन्ध में प्रिवेचन इन अध्यात्र के उत्तराधं परिपन है। उपानन्दनगर (garden cities) अर्वाचीन नगर-नियंत्रण या पर्मोपर्जीय ग्रंथ है। प्रावरपत्ता ही आविष्कारी की जननी है। आधुनिक नगर या विद्वार आपुनित श्रीयंतरिगत रिकात जन्य नागरिक-मंडिरिता (Congestion) के जाग ती प्रारुद्धते दृश्य है। जीवन दे तिथे न्यज्वल यात्रा, हर्म-परे पात्र एवं तत्त्वज्ञानी द्विविर्त आवश्यकता को नमने वाले आधुनिक नगर-नियंत्रण (Town Planners) द्विगी भी नगर-नियंत्रण ने सुने मैशनों—होशागमों, पुन्डन विलों (Paris) प्रादि ही ही अनियार्द रोन्ना नहीं बनाते हैं, कन्न शह-नियंत्रण में भी रूपद (House plot) द्वारा जम ने इस रूप नियार्द भाग नृता धोक्कर उसमें पुरार्गितों, लालारणों एवं लालारेन (Lalangs) ही रिनान-रिनियोजना दे लिए प्रत्येक नागरिक ही प्रमुखप्रियत छाँड़ा भी देते हैं (विभिन्न महानगरों ही नगर-परिसरों के भरन-विद्वार गिरिज गढ़ज़).

उपनियमों का यही मर्स है) । अतः इस स्तम्भ में हमें यह देखना है, कि प्राचीनों ने इस दिशा में कैसा पथ-प्रदर्शन किया ?

नगर-निवेश के इस अत्यन्त उपयोगी सिद्धात (Canon) का अनुगमन प्राचीन नगर निवेश पद्धति में हम दो दृष्टिकोणों से देख सकते हैं—एक अकृत्रिम (प्राकृतिक) तथा दूसरी कृत्रिम ।

जहाँ तक अकृत्रिम दृष्टिकोण का सम्बन्ध है उस पर पिछले अध्याय में (दे० भूमि-चयन एवं भू-परीक्षा) करिपय सकेत किये ही जा चुके हैं । एक आध और संकेत आवश्यक है । स० स० के 'भूमि-परीक्षा' नामक दृष्टि अध्याय में (४०-४५, दे० परिशिष्ट—अवतरण) पुर-निवेश के लिये जिस हरे-भरे वातावरण की अवतारणा की गयी है उसका सारांश यह है कि उन्हीं हरी-भरी जगहों पर नगर-प्रतिष्ठा करनी चाहिये जिनकी प्राकृतिक सुपुस्ता जलचर, नभचर एवं स्थलचर—सभी प्राणिजात के लिये आकर्षक हो । जलाशय(वापी, तटाक आदि) तो हों ही, घने वृक्षों की छाया भी कम न हो साथ ही साथ दूर्वा-धास, विविध वनौषधियाँ—मुझ (मूँज) कुरुन्द एवं कुश आदि की भी वहाँ भरमार हो । वाहनों (अश्व आदि) के लिये सुखद एवं मिथुनों (हंस हंसिनी, चकवा-चकवी आदि) के लिये रतिप्रद हो वह स्थान ।

इसी प्रकार के वहुसंख्यक निर्देश प्रायः सभी वास्तु-शास्त्रीय एवं अन्वास्तुशास्त्रीय ग्रंथों में भरे पड़े हैं जिससे नगर के बाह्य एवं आन्वयित्रिक—दोनों प्रदेशों पर अकृत्रिम एवं कृत्रिम दोनों प्रकार के उद्यानों की वहुसुखी विनियोजना निकाली जा सकती है । तथापि इस दिशा में वैज्ञानिक समीक्षा के लिये इन सर्वसाधारण संकेतों के अतिरिक्त विशिष्ट मंकेतों का अनुसंधान करना है ।

नगर की उद्यानारोपण-व्यवस्था का आश्रय नगर के मंदिर थे । नगर के उद्यान और नगर के मंदिरों का पारस्परिक घनिष्ठ संबंध था । देवतायतन-प्रतिष्ठा के अनिवार्य अंग देव-मूर्जा में पुष्पों की अनिवार्यता से सभी परिचित हैं । समराङ्गण की देवतायतन-प्रतिष्ठा में आरामोग्यानों की अनिवार्यता पर निर्मन प्रबन्धन को पढ़कर हम इस परम्परा को विशेष महत्व दे सकते हैं: —

निवेशनानि कुर्वीत त्रिदशानां यथाक्रमम् ।
नगराभिमुखं चित्रवनभाज्जि शुभानि च ॥ १०-११०

अतः पुष्पोद्यान देवतायतन के अनिवार्य अंग थे । इस दृष्टि से जहाँ अर्वाचीन नगरोद्यानों का विन्यास एक मात्र नगर की शोभा एवं स्वच्छन्द वायु-नेवन के लिये होता है वहाँ प्राचीन नगरोद्यानों का मान्यता एवं पारस्परिक सम्बन्ध मंदिरों ने था । उद्देश्य में भेट है न कि निवेश में । यही नहीं, उद्यानों के वंश—तडाग, पुष्कर, वापी, कामार प्राचीन नगरों के अभिन्न अंग थे जिनका आजकल के नवीन नगरों में सर्वथा अभाव है । सुगम्यकानन, कमलाकर कामार, सुनिर्मित एवं सुफुलित तडाग किसी भी नगर की शोभा-वृद्धि के लिये पर्याप्त साधन हैं । प्राचीन नगर-निवेश में इनकी अनिवार्यता-पर काफी मंकेत किया जा

श्रध्यच विद्यि शारामोद्यान-विन्यास के लिये प्राचीन पुर-निवेद भी प्राकारादि-प्रक्रिया भी प्रनुग साधन समुद्भित करती थी। पुर के प्राकारादि-विन्यास पर श्रान्ते के अध्याय में विशेष समीज्ञा होंगी। प्राकारादि विन्यास (Fortification) में परिस्थार्ये अभिन्न अग्र थी। परिस्थार्ये जल प्रदूषित रहती थीं। उस जलराशि के द्वारा पारिस्थी भूमि पर उद्यानरोपण के लिये अविरत साधन थे।

सन्० (१० २१-२२, दै० परिशिष्ट-अवतरण) का निम्न प्रबन्ध इस उपर्युक्त तथ्य का पर्याप्त प्रत्युत नहीं है। इस प्रकार नगर के परिस्थेट की तीन विश्वृत पवं गम्भीर पहियाओं की सुदाई के बाद उनको पूर्ण रूप से साफ़ कर उनके तल को चारों ओर ने गिरायाँ के द्वारा वाधक (अर्थात् पक्षी चुनाई से परिस्थार्यों को मजबूत बनाकर) उनमें जल-राशि भर दे और इधर उभय कौवारों (ग्राहों के मुग्नों से निकलती हुई जलराशि) एवं आगेपित कमल-कुड़ों से उनकी सुगुमा का पोषण होते। यही नहीं, नगरभिसुरीन परिस्थार्यों के क़लों पर पुष्टों की सीधग्न से मत्त मधुपाङ्गनाओं वाले नुस्खों मिटानामो (फूलों के पेड़ों के बगीचों) के विन्यास से उन प्रदेशों को इतना मोहक बनावे जिसमें लोग आ आकर वहाँ पर बैठने और विहार करने के लिये समुत्तुर हों। श्रध्यच परिस्थार्यों के चतुर्दिक वाय भ.गो पर एसी झाड़ियों का आरोपण करना चाहिये जो कटीली हो। और निनमें लतायें एवं गुल्म भी यत्र तत्र सर्वत्र मटे हों।

इन प्रबन्धन से प्राचीन नगरों में उद्यानों के विन्यास में दो गम्भीर नहीं हो सकती। इसके अनिरिक्ष प्राचीन पुर निवेद में राज-वेशम का स्थान नहैव पुर-मध्य प्रस्तिपन होता था। पुर-केन्द्र में धातु-मन्दिर की प्रतिष्ठा पर चार चार उक्तेत रिया जा चुका है। श्रात् दोनों ही निरेशों में (राजवेशम एवं व्राता-मन्दिर) आगमोग्रान अनियार्य अग्र है। भारतीय भौतिक ममता एवं मंस्तुति के च्यलतं प्रतीक गज-वेशम होते हैं। गजवेशमों की छाया—उनुन गिर, लक्ष्मी-प्रागण, विशाल शालायें चित्र-विनिष्ठ नाना मरण, मिलान, यापी, पुष्पवीथी अग्नोरु-वनिका, धागागर (प्रणाल, प्रसरण आदि आदि दै० आगे 'पां-पट्ट') के व्युषित निरेश ही पर्वतोचना आगे 'भग्न' पट्ट—'राजवेशम' में ही जारी। श्रात् पुर-मध्य हृतिस उद्यानों, प्रारामों, पुष्पवाटियाओं एवं फौरांगों द्वा निरेश प्रत्येक प्रमुख नगर द्वा अभिष्ठ पाग था।

इस प्राचार छुत्रिम एवं अहुत्रिम-दोनों प्रकार के नाननों एवं उद्यानों दी विनियोगना कर जो समीज्ञा हुई उसमें यह निष्ठर निकला हि प्राचीन पुरों ने शारामोद्यान-निरेश पुर-निरेश ही परिवार्य माधवना थी। छत्र तो यह है कि ननातन में इस देश में नानन प्रदृष्टि के भागिय से गम्यत रहा। जन दर्द धावर, परत एवं सरिता—इस चरुसुरीं ग्रामी दृष्टि में ने नी प्राचीन 'पांगों' ने 'पांगों' की विकलना दी। दृण-पृजा समातन ने इन देश दी एवं अति प्राचीन एवं उनीत 'पांगों'। अद्वा०, विष्ट, अ-म-द्वा०, विश्वा०, चेत, दृष्टी—ऐ दृत न रा के द्वा० जनातन में गोंदिता नहीं दीते। ऐसा कैसे पर है दृष्टि नी दिशा दर्शन से दिती न दिती दिन इन पुर्वीत धारणों दी 'पंजनी' के निरे भैभार नहीं उदाली है। प्रत प्राचीन पुर घर, धाम, विश्वा०, विश्वा०, दृष्टि दृष्टि दृष्टि में भी पृष्ठ-सुखों का पद पद पर दर्शन होता था। द्वितीये दैतिय जील में पांगों

का अनिवार्य धार्मिक साहचर्य है । विना पादपों के हिंदूजीवन अपूर्ण है । प्रातः उठते ही निम्ब की दत्तन चाहिये । स्नानोत्तर पूजा के लिये विविध पुष्प चाहिये । नैवेद्य के लिये कल चाहिये । आतप-त्राण के लिये विशाल वृक्षों की छाया चाहिये । गोवृन्द एवं अन्य पशु-समूहों की अकृत्रिम शालायें वृक्षों के अधोभाग थे ।

अथव ग्राचीन जनावासों के निर्माण में उस पद पर जिसपर यह निर्मित होता था पादपारोपण अनिवार्य था । विश्वकर्म-प्रकाश का निम्न प्रवचन इस तथ्य की पुष्टि करता है:- ‘आदौ वृक्षाणि विन्यस्य परचाद् यहानि विन्यसेत्’ । शाल-भवनों के निवेश में भवनोद्यान-विन्यास का पूर्ण सौविध्य था—यह हम ‘भवन’ पटल में विशेष रूप से प्रतिपादित करेंगे ।

इसके अतिरिक्त ग्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में आजकल की सी जल-कल-व्यवस्था तो थी नहीं, अतः वापी, कूप, तड़ाग आदि जलाशयों का निर्माण किसी भी वसति के लिये अनिवार्य था । राज्य की ओर से सर्वसाधारण जलाशयों का निर्माण तो होता ही था, वैयक्तिक रूप से भी इस प्रकार के निर्माण के लिये धार्मिक प्रोत्साहन था । इष्टापूर्त की धार्मिक परम्परा में मानव की जलीय आवश्यकता के आविष्कार का मर्म छिपा है । इष्टि से यज एवं अपूर्त से वापी, कूप, तड़ाग, देवतायतन-निर्माण अभिप्रेत है । अतः बडे बडे तालावों के निर्माण से एवं उनके कूलों पर प्रकाशण पादपों के आरोपण से तथा उसी की परिधि में देवालय की स्थापना से वह पूरा का पूरा ज्ञेत्र आजकल के पुर-जन-विहारों के ही समकक्ष था । जहाँ पर लोग न केवल देवदर्शन, जलमज्जन एवं पादपच्छाया-सेवन का ही आनंद लेते, वरन् अपने अपने अवकाश के समय आकर बैठते उठते, बाँतें करते, शास्त्र-चर्चा, धर्म-चर्चा, कथा-वार्ता भी करते ।

अन्यत्र आरामोद्यानादि-विन्यास ग्राचीन भारतीयों के ‘पादपारोपण’ की धार्मिक-कल्यना के ही प्रतीक हैं । आजकल हम पादपारोपण पर विशेष जोर देने लगे हैं ग्राचीनों की तो आस्था थी कि एक पादप के आरोपण से एवं उसके सिद्धन एवं संवर्धन से दश पुत्रों का उत्सव सम्पन्न होता है—

दशपुत्र-समो तरुः

अतः यह निष्कर्प निकाला जा सकता है उद्यान-नगर (garden cities) आज कल की ही विभूति नहीं है । ग्राचीन समय में प्रत्येक ग्राम उद्यान-नगर था । श्री वैकट-रमण अद्यर महोदय ने अपने Town Planning in Ancient Deccan में पूर्णरूप से प्रतिपादित किया है कि ग्राचीन समय में पुर अथवा ग्राम के निवेश-विन्दु में मन्दिर की प्रतिष्ठा से उद्यान-नगरों का विकास नैसर्गिक हो जाता था । अथव जैसा ऊपर सकेत किया ही जा चुका है वडे वडे नगरों के मध्य में राज-वेश्म की प्रतिष्ठा ने भी नाना-विध उद्यान, आगम पुण्याटिकायें, दर्शनीयागार (museums) पुर-जन-विहार (parks) आदि का विनियोग अनिवार्य हो जाता था । आज भी भारत की पुरातन गजधानियों की ऐसी ही छटा देखने को मिलती है ।

रक्षा-संविधान

(प्राकारादि-विनिवेश—Fortification)

प्राचीन भारत की पुर-निवेश योजना का सर्वाधिक भेदकभट्टक (Distinctive sh-
ing factor) प्राकारादि-विनिवेश था । वास्तु-आखीय पुर-निवेश-प्रक्रिया में पुर की
रक्षा-व्यवस्था एक महत्वपूर्ण अंग है । वह इव्व-मात्रा इस योजना के अन्तर्म में तत्कालीन
राजनीतिक परिस्थिति एवं राज्य-संचालन महाठन का स्वरूप—ये ही दो फारग हो नहते
हैं । आर्यों ने सनातन ने प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में अपने तीन चौथाई जीवन
का उपक्रम चाला । विद्याध्यवन के लिये प्रकृति के उदाच एवं विस्तृत वातावरण—जरिताट,
समीप घन का एकात भाग, ग्राम अथवा नगर ने दूर किसी देवतावतन, मठ, विहार, मरुष्य,
उटज, अथवा आश्रम—का चक्रन एवं गार्हस्य-जीवन के उपग्रन्त वाणप्रस्थ एवं जन्यान
के लिये भी इसी प्रकार के एकान्त एवं प्राकृतिक स्थानों के प्रति अनुग्रह—आर्यों
की प्रकृति-प्रियता एवं स्वच्छंद जीवन के परिचावक हैं । पुनः नगर एवं ग्राम ऐसे विपुल
आवास स्थानों को चहार-दीवारों से घेर कर उसकी विभिन्न-कोटि उपादानों ने बढ़ता एवं
अभेगता रा सम्पादन कर नागरिक-जीवन का रस्ता बना हो नहता है ?

प्राकारादि-विनिवेश ग्रन्थानी नगर अथवा एक महानगर दी ही व्यवस्था होती
तो भी महज थोड़ा मध्य थी, परन्तु मानवार आदि नित्यशास्त्रों में ग्रामों के लिये भी प्राकारादि-
विनिवेश श्रेष्ठतम् था । अतः वह कहना असंगत न होगा कि प्राकारादि-योजना का शीरणों
मार्गश्रम गजभारी-नगरों में प्रारम्भ हुआ होगा । कालान्तर में जब राज्य मत्ता का मार्व-
भौमिक स्वरूप विद्युत रोग गया तो फिर सम्भवतः ही ऐसा छोई नगर गहरा हो जाता पर
गज-भराने का सम्बन्ध न रहा हो अथवा किसी मरुदलाधिपति का वह ऐट लॉटर न रहा
हो । अतएव यह परम्परा एक ग्रामान्य परम्परा के न्य में हो गयी ।

नगर की रक्षासंविधान की यह समीक्षा मध्यस्थ वास्तुग का दृष्टि में रुद्धकर की गयी है ।
सुदूर पश्चिम में जब आर्य जानि ने अपनी प्रभुता की स्थापना के लिये इतत्त्वत मार्ग-संविधाना
रा टान टाना तथा अपने प्रगत के लिये अपने पशुधन-गोधन के लिये उपुक्त प्रदेशों
की गोद में निकले, तो जहाँ जहाँ वे गये अपनी एवं अपने पशुओं—जिनेवर गोदों की
रक्षा के लिये गोदों की व्यापना गयी । ये ही गोद—गोदों के गों अपने अविवति आर्यों
के नाम में पालान्तर ने पार्वत-कुत अथवा विभिन्न-कोटि आर्य-परिवारों के नाम में विभाग
किया । गोंतर और्ध्व-द्वेष्टी द-रिता गों जिनका मुख्या प्रयत्ने नाम के उनकी गों देता था ।
इन्हे प्राचीन ग्रन्थ तथा नारायणन्प (Nature in Villages) पदा जा रहता है ।
परं युत नम्भत है उक्त गोंत्रों रा एवं गोंत्र व्यवस्था राज्यकार में प्राक गर्दिन-विभिन्न
परिवारों के उन्ह एवं विकास के गता रही ।

सच तो यह है प्राचीन नगरों की निवेश-योजना एक प्रकार की सैनिक-योजना की ओर इंगित करती है। सैन्य-प्रधान-निवेश से तत्कालीन नागरिक जीवन को आक्रात नहीं समझना चाहिये। तथ्य तो यह है कि भारत एवं भारतेतर पश्चिम के भी प्राचीन नगरों (उदाहरणीय, स्पार्टा आदि) की भी तो यही व्यवस्था थी—जिनमें वप्रों, परिखाओं एवं प्राकार-मित्तियों ने सनातन से प्रमुखता पाई। वी० वी० दत्त के शब्दों में 'They formed the sine qua non of Aryan habitation' (T. P. in Ancient India) ।

अथवा यहाँ पर तुर्गांकुति-नगरों के इस सन्निवेश-प्रयोजन की भूमिका में एक संकेत और आवश्यक है। यद्यपि प्राचीन एवं मध्यकालीन दोनों कालों के वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थों में नगर-निवेश का यह तुर्गांकार एक सामान्य स्वरूप था और रामायण तथा महाभारत आदि प्राचीन साहित्यों में नगरों के जो वर्णन है उनमें भी यही सर्वसाधारण रूपेरेखा देखने को मिलती है, तथापि उत्तर-मध्यकालीन बहुत से नगरों में इसका पूर्ण समन्वय नहीं प्राप्त होता है। शनैः शनैः जब सधर्षमय राजनैतिक जीवन समाप्त हुआ तथा शान्ति के साथ रहने का अवसर मिला तो फिर इस व्यवस्था में संस्करण (Modification) भी अनायास देखने को मिलता है। नगर-निवेश के विकास का यह द्वितीय सोपान था—जब दत्त महाशय के शब्दों में 'तुर्गनगर' नाम-मात्रावशेष रह गये और उनकी जगह उन नगरों ने ले ली जो बाहर से नगर, परन्तु भीतर से (मध्य में) दुर्ग थे।" यद्यपि सभी नगर सुरक्षा से सम्पन्न थे। परन्तु नगर एवं दुर्ग—दोनों एक स्वरूप—एकाकार अथवा तदात्मक एवं तटपूर्ण नहीं था। उदाहरण के लिये जयपुर और झौसी को देखिये। झौसी में किला उसके मध्य भाग में है। जयपुर का किला नगर के एक बाह्य-कोण पर स्थित है।

शनैः शनैः विकास का क्रम आगे बढ़ता गया। नगर की रक्षा का संविधान नगर के सभी पश्चिम-स्थलों छावनियों (Contonements) ने ले लिया जो आज भी प्रायः सभी महानगरों की समान्य रक्षा व्यवस्था है।

नगरों के इस प्राकारादि-विनिवेश पर इस ऐतिहासिक उपोद्धति के उपरात अब हमें इसके वास्तु-शास्त्रीय विभिन्न अंगों की विवेचना करना है। समराङ्गण के अनुसार (अ० १० १-२) नगर की रक्षार्थी प्राकारादि-निवेश के निम्नलिखित प्रधान अग हैं—

१. वप्र एवं परिखा
२. प्राकार
३. द्वार एवं गोपुर
४. अद्वालक तथा
५. रथ्या

प्राकारादि-विन्यास में इन प्रधान अंगों के अतिरिक्त वास्तुशास्त्रीय परम्परा में कपिश्टीर्पक—क्नूर (Battlements) कारण्डारिणी (छालदीवारी) चरिका प्राकार-मिनि का आगोहण मार्ग अथवा प्राकारों पर विन्वस्त मार्ग वीथी (जिसको पाणिनि ने

देवपथ कहा है, शादि शादि भी उपगम है जिनकी विस्तृत नर्मीता ग्रामे सी जाविर्गी ;
वप्र एवं परिखा

नगर के रक्षा-विभान—पाकगढ़ि-पिनिकेग (Fortification) का प्राचीम वप्र
में होता है वप्र-भू की परिकल्पना के लिये पुर के चारों ओर परिस्थिति (१, २ या ३)
पोंदी जाती है। समराज्ञण में तथा कौटिल्य के आर्थशास्त्र में भी तीन-चौन चारों प्रांग
परिस्थिति का घनन निर्दिष्ट है। पारिस्थिति-भूमि की व्यवस्था नगर मापन ता प्रथम अग्र
है। परिस्थिति का घनन एवं वप्र-भू का निर्माण मंयुक्त कार्य (Joint-formation)
है। परिस्थिति के घनन ने निरुत्ति हुड़ि मिट्टी के द्वारा ही वप्र-भू की रचना की जाती है।
विभिन्न ग्रांडों में परिस्थिति के विभिन्न परिमाण दिये गये हैं। तमराज्ञण के अनुजार
धरणा-मार्ग, जो पुर के चारों ओर दौड़ता है—देव पितृज्ञा श्र० 'मर्न विनिवेश'—ने सम-
नान्तर पारिस्थिति भूमि का विन्यास अभिप्रेत है। जो प्रमाण धरणा-मार्ग का होता है उसी
प्रमाण में वप्र भू का प्रमाण परिकल्पित है। अत धरणा-मार्गानुरूप वप्र-भू का परिमाण
नगर के ऊपर, मध्य एवं कनिष्ठ प्रभेद से २४, २० तथा १६ हाथ (३६, ३०, २४ फीट)
की चौड़ाई में विद्यि है।

इस प्रकार वप्र भू के विन्यास के उपगत पुर की महाग्राम के आनुपङ्गिक विस्तार-
परिमाण ने तीन-चौन परिस्थिति की खुदाई करना चाहिये। इस प्रकार उत्तम, मध्यम एवं
अधिम प्रभेद में परिस्थिति की चौड़ाई १२, १०, ८ हाथ (१८, १५, १२ फीट) निरुलती
है। परिस्थिति की गद्दगर्दि भिन्न-भिन्न ग्रानायों के मत में मिन्न भिन्न वत्ताई गयी है। शुक्रचार्य
के अनुमान परिस्थिति की गद्दगर्दि चौड़ाई ने आधी हो। कौटिल्य ने अनुमान परिस्थिति की
चौड़ाई १४, १२ तथा १० दरड है और गहराई पौनी ग्रथवा शार्धी होनी चाहिये।

इस प्रकार एवं प्रामाण से परिस्थिति के घनन के उपर जो लिट्टी निरुत्ते उन
को गाँवों ग्रथवा गो-वृषभों के पैरों से ताडित लगाकर (गोरीमधुवत्तादित) पुरी मिट्टी
या तीन चौधारे भाग अथवा आधा भाग को लेकर वथ द्वा दिर्मांत करना चाहिये। वप्र
की ऊंचाई रज युड (एपी री पीड) के बनार इनानी चाहिये। पुनः पारिस्थिति अवस्थेप
मृचिका ने पुर के उन प्रेक्षणों को, जो निम्न हैं, उनका समाज—दगर फर देना चाहिये।

इस प्रकार परिस्थिति री सकाराई के द्वाद उससे अत्तल वृन्दाल ने पदी रेंटों
अथवा पाण्डा-शितान्त्रों से पउ चना देना चाहिये। पुनः इनको जल ने भग्ना चाहिये।
जन-गृहण-वस्त्रमध्ये पुर के गम्भीर उत्तरायण से पाटप लाइन ते द्रव्य सम्भल नम्भालेन
ही जाती था अथवा नगर के नर्माप इनके बाली भरिना ने। इस प्रदर्श भरदवासनका
उत्त-प्रगृहिता पनिता के दोनों पोर दो प्रकृत के पादपों का ग्रानेराम दर्शन चाहिये जिन्हा
उपर लिखने अप्पार—'ऐस्तासतन एवं ग्रानेरामादि' में लिखा गया है।

दत्त मध्यग्रन्थ के मत में इन उत्त-प्रगृहिता दिल्लियों में उम्बल चिह्नों द्वारा दे
किये जाना चाहिया दिल्लि देव यज्ञ देती थी। इनके नदी—गांवों को भी
पोदा द्वा चाहिये जिसमें ग्रानेराम जो इन परिस्थिति की पूर्व राज्य में दाखा दद नहै (शेखिये
मध्य ३० शा० १० ए० ६६; "शार्दूलेय दिल्लिर स्थानमहाराजनम्" ।)

प्राचीन पुरों की ये परिखायें न केवल पुर की रक्षा-व्यवस्था के लिये ही महत्वपूर्ण थीं वरन् नगर की डोनेज व्यवस्था के लिये भी उपयोगी थीं (दै० देवीपुराण अ० ७२, “खातिकारचितं कार्यं प्रणालीभिः समन्वितम् ”) । दूसरे जैसा ऊपर निर्देश किया गया है इनके खात से प्राप्त मृतिका के द्वारा नगर को समतल बनाने में इन से बड़ा साहाय्य मिलता था । तीसरे संकट के समय (Emergency) में इन के द्वारा पुर को सावित किया जा सकता था जिससे शत्रु को उस पुर-विजय का कोई लाभ न प्राप्त हो सके तथा वह स्वयं संकटापन्न हो जावे ।

प्राकार

परिखाओं एवं वप्रों (Moats and Ramparts) के उपरात नगर के रक्षा-संविधान का तीसरा अंग प्राकार-विनिवेश है । प्राकारों का विन्यास वप्रों की पृष्ठ भूमि पर परिकल्पित किया जाता है । प्राकार का साधारण अर्थ उत्तुङ्ग मोटी दीवाल है जो पुर के चारों ओर विन्यस्त की जाती है । प्राकारों (Parapets) की रचना पृथु पाषाण-शिलाओं से की जाती थी । अतएव ये दीवालें (परकोटे) अमेद्य बन जाते थे । आज भी प्रायः सभी पुरातन राजधानी-नगरों के भग्नावशेषों में हमें इन परकोटों के दर्शन होते हैं । राज-स्थान की महानगरियों में आज भी ये प्राकार अपनी प्राचीन स्मृति को स्थिरता प्रदान कर रहे हैं ।

प्राकारों की ऊँचाई और चौड़ाई के प्रमाण में समराङ्गण का निर्देश यह है कि प्राकार-भित्तिया १७ हस्त (२५ $\frac{1}{2}$ फीट) से अधिक ऊँची और १३ हस्त (१६ $\frac{1}{2}$ फीट) से कम ऊँची नहीं बनाना चाहिये । न्येष्ट, मध्यम एवं कनिष्ठ पुर-प्रमेद से इन परिमाणों में विकल्प भी किया जा सकता है—क्रमशः १७, १५, १३ हाथ की ऊँचाई और १२, १०, ८ हाथ की चौड़ाई । अथव यह चौड़ाई पूरे प्राकार में समान नहीं करनी चाहिये । मूल में जो चौड़ाई हो वही शिखर में नहीं । समराङ्गण के अनुसार प्राकार के मूल का विस्तार १२ हाथ (१८ फीट) में सम्पन्न करना चाहिये तथा उसका शीर्ष एक हाथ पर दो दो श्रृंगुल घटाने से केवल १० हाथ (१५ फीट) विस्तृत बनाना चाहिये । यह शीर्ष भाग ४ हाथ (५ फीट) ऊँचा अवश्य रहे ।

प्राकारों की रचना में उसके दो उपाग और उल्लेख्य हैं—कपिशीर्पक (कंगूरे) तथा कारडवारिणी (छालदीवारी) । कपिशीर्पकों (Battlements) के विन्यास से प्राकारों की भूपा ही नहीं मम्पन्न होती है वरन् प्राकारों पर विरचित चरिका (सञ्चारपथ जिसे पाणिनि ने देव-पथ की सज्जा दी है) पर संचरण के लिये अन्तरावकाशों पर राहारा भी मिलता है । ये कपिशीर्पक स० स० के अनुमार एक एक हाथ (१ $\frac{1}{2}$ फीट) ऊँचे निर्मित करने चाहिये । कारडवारिणी (छाल दीवारी) का परिमाण दो हाथ का बताया गया है ।

प्राकारों की विन्यास-प्रक्रिया के सम्बन्ध में एक विशेष इंगित यह है कि वैसे सर्व-साधारण रूप से प्राकारों की सख्ता एक पुर के लिये एक ही अभिप्रेत थी परन्तु पाटलिपुत्र महानगरी में तीन तीन प्रकार-भित्तिया बनायी गयी थीं । बौद्धिल के अर्थशास्त्र में प्राकारों की सख्ता एक से अधिक—सम अथवा विषम—निर्दिष्ट है । अतः महामात्य

चागकर के महाराजाधिकार चन्द्रगुप्त मीर्य ने इन महानगरों में चागवर के शर्पशस्त्रानुष्ठ प्रीति प्राकार-भित्तिया महज वौयगम्य हो जाती है ।

प्रथम प्राकारों की ऊँचाई ने भी विभिन्न ग्रन्थों के विभिन्न मत है । देवी-पुराण (अ० ७२) तथा ब्रह्मपैदेश पुराण (श्रीहर्ष-जन्मन्यरुद्ध अ० १०३) में प्राकार-भित्तियों की ऊँचाई का परिमाण ज्ञात्यधिक हैने के कागण ज्ञाय नहीं हैं । प्राकारों की प्रत्यधिक ऊँचाई पुर में स्वच्छन्द नर्मन्ग के प्रबाह को ही नहीं है, रोमती है, वरन् पुर के स्वल्प नीन्दर्य में भी एक कृत्रिम विप्रमता उपस्थित करती है । अतएव समराज्ञ का माफ आदेश है कि १३ हाथ में अधिक ऊँचे प्राकार न बनाये जावें । शुक्राचार्य भी इन हाइकोण का गमर्हन करते हैं । शुक्र के अनुगाम प्राकार-भित्तियों की उतनी ही ऊँचाई करनी चाहिये जिसने शुक्र एवं दस्यु उनका लघन न कर सके—

उच्चिद्धरतस्तु तथा कार्यो दस्युभिर्विज्ञरप्ते

बु. नी. सा. अ० १

अट्टालक

प्राकारादि-विन्यास (Fortification) का चौथा अंग अट्टालक (Towers and turrets) है । प्राकार-भित्तियों पर सौ सौ हाथ (१५० फीट) के अन्तर्गत भास्त्रों पर नारों दिशाओं में अट्टालकों का निवेश करना चाहिये । इन अट्टालकों को गोपुर-द्वारों के समान ही भव्याकृति प्रदान की जाती थी । प्राचीन भारतीय वाल्मु-कला के अप्रतिम निर्देशन गोपुरों की भव्याकृति पर नावमन विग्रह नमीका होती । यदों पर इसमा भी संकेत पर्यात था कि प्राचीन स्थपति जद्यु पुर के रक्षा-निविधान के लिये इन निर्मित निर्मितियों के निवेश में दक्ष ये वहा वे कला में नीन्दर्य के ननिवेश के लिये मर्दैय दक्षायगान रहते थे । इनकी चूना के सम्बन्ध में नमराज्ञ का निर्देश है कि प्राकारों की ऊँचाई के परिमाण में इनका विन्यास अपेक्षित है तथा इनको द्विमोमिक रूपाना चाहिये । इनका नाम चरिता (प्राचीर पर प्रतिष्ठित सून्दरग-मार्ग) के ऊपर ऐसा चाहिये । इनके निर्गमो द्वा प्रमाण इनके विस्तार का पापा राखित है ।

इस प्रकार प्राकारों के न्याय एवं उनकी वाल्मु-दूराश्वों (रुदिशीर्दि एवं तार्ड दारिशी) के विन्यास के उपरान्त प्रदातारों के सन्देश में जो प्राकार ये डैप्स नम-प्रग-यान ही एक दिव्य एवं अलौकिक वाल्मु-इति निष्पत्त होती है उसी से चिन्म दे नाम में पुकारा गया है । इन डैप्सी सदृक दर दीन दीन में द्वार हैने चाहिये । डैप्स नाम है एवं नीचे उत्तरने के निये कुण्ठरोट सोगान होने चाहिये । इनका दुर्घट्या के लिये इस पर देविकारों, निर्दू-आदि चाल्तु भूगत्रों के नाम-नाम रक्षण, रात्रि दोहे दोहे वंदनों का भी विनियोग करना चाहिये ।

दूसी चरिका को पादिति प्रीति दीटिति—दोनों ने ही 'प्रेत्यध' का नाम में दुरान है, विकल्प दि दो चार डैप्स भरेत विज्ञ गया है । अ० काट्टुदेवन्नम् द्वारपात्र (देवी-देव २८ क्षण ५० १० Panini, P. 133-9) की नविनि रिक्तिर्वा निर्भय नमीका

उल्लेख्य है।—‘अर्थाधयारी में ‘देवपथ’ गण (५-३-१००) में ‘देवपथ’ का प्रथम संकीर्तन है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि व्याकरणाचार्य पाणिनि पुर की परिखाओं एवं प्राकारों की वैज्ञानिक निर्भिति का ज्ञान रखते थे। पाणिनि का यह शब्द ‘देवपथ’ कौटिल्य के एतद्विषयक निर्वचन से ही समझा जा सकता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्रीय निर्वचन ही एक मात्र उपादेय साधन है जिससे पाणिनि के इस शब्द की व्याख्या हो सकती है। अन्यथा अन्य किसी भी अन्य में इस पर प्रकाश नहीं हूँडे मिलेगा। पाणिनि के मत में वह मार्ग जो दिन्य देवपथ के सदृश है वह ‘देवपथ’ (५-३-१००) के नाम से पुकारा गया है। प्रश्न यह है कि वह कोन सा ऐसा मार्ग है जिसकी समता दिव्यपथ से दी गयी है? कौटिल्य के मत में (अर्थशारा० द्वितीय, ३ पृ. ५२) प्राकार पर प्रतिष्ठित सुविस्तीर्ण इन्द्रकोषसमन्वित पथ ‘देवपथ’ के नाम से पुकारा गया है। कौटिल्य ने वप्र पर विन्यस्त इस प्राकार की ऊँचाई ३६ फीट बताई है और उस पर इन्द्रकोषों (सू. सू. के कपिशीर्षकों) का न्यास भी अभिप्रेत है। इस प्रकार यह देवपथ जो चतुर्दिक विन्यस्त नगर-भित्ति पर प्रतिष्ठित है वह आकाशीय दिव्यपथ—देवपथ—को तुलना में सदृश यदि परिकल्पित किया गया है तो वह अपनी ऊँचाई के अतुरुप सहज वौद्ध-गम्य है।

गोपुर-द्वार

प्राकारादि-विनिवेश (Fortification) का पाँचवाँ अंग गोपुर-द्वार अथवा द्वाराद्वालक है। परिखाओं, वप्रों, प्राकारों, अद्वालकों के निर्माणानुरूप नगर के महाद्वारों का भी निर्माण अभिप्रेत है। आज भी प्राचीन अथवा मध्यकालीन महानगरियों (राजधानियों) में महाद्वारों के हम दर्शन करते हैं। पाटलि-पुत्र के वर्णन-वृत्तान्त में मेगस्थनीज ने उस प्राचीन महानगरी के ६४ महाद्वारों एवं प्राकार-भित्ति पर प्रतिष्ठित ५७० अद्वालकों का उल्लेख किया है। आज भी राजस्थान की शोभा जयपुर महानगरी में हम ऐसे ही महाद्वारों की उपुमा देख सकते हैं। इस महादेश के विभिन्न भागों में विखरे हुए प्राचीन ऐतिहासिक नगरों के भगवावशेषों में इन उत्तुंग एवं विस्तीर्ण महाद्वारों के सर्वत्र समान रूप से दर्शन होते हैं।

मानसार एवं मयमत आदि दात्तिणात्य वास्तु शास्त्रीय परम्परा के प्रतिनिधि-प्रयोगों में महाद्वारों का गोपुरों के नाम से संकीर्तन किया गया है। गोपुरों की वास्तु-आकृति वडे-वडे भवनों एवं प्रासादों से भी मन्य एवं दर्शनीय है। दत्तिण के मन्दिरों की प्रमुख विशेषता गोपुर-निवेश है। इन गोपुरों में वहुसर्वक भूमियों (१ से १७ तक) एवं अद्वालकों के सन्निवेश से इनका वास्तु-सौन्दर्य भारतीय स्थापत्य की प्रोज्ज्वल कीर्ति का अप्रतिम निर्दर्शन है। गोपुर शब्द की वैमे निष्पत्ति हुई—यह कहना नितान्त निर्धान्त नहीं है। गन्द कल्प-द्रुम के अनुसार यह ‘गुप्त’ (रक्षणे) धातु से निष्पत्ति हुआ है। अतएव गोपुर-विधान भी मन्दिर अथवा नगर की रक्षा-विधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसी परम्परा से हमने भी उसे प्राकारादि-विनिवेश (Fortification) का पाँचवाँ अंग माना है।

यहाँ पर यह निर्देश आवश्यक है कि समग्रज्ञ सत्रधार में नगर के प्राकारादि-विनिवेश में विभिन्न-कोटिक द्वारों एवं महाद्वारों का तो उल्लेख है, परन्तु उनको गोपुरों के नाम से नहीं उल्लेख किया गया है। चारणक्य के अर्थशास्त्र में भी द्वारों के लिये ‘गोपुर’ शब्द का

प्रयोग नहीं है। शौटिल्य ने इन महाद्वाराने का द्वागद्वारातर के नाम ने संकीर्तन किया है। अतः लेखक की भास्तु है कि गोपुर-द्वारों प्रथमा 'गोपुर' वह भूमिक-भवनों ('Gopura' storeyed buildings) वा विशेष स्थान्य पृजा-वास्तु (Religious architecture like temples etc.) में है। जब वास्तु के प्रतिष्ठापक एवं प्रतिनिधि ग्रंथ महाद्वारा ने सम्प्रसारणी ऐतु नगर के द्वारों जो गोपुर-द्वारों के नाम ने नहीं पुकारा। हाँ, इन आगे देखेंगे (भूमन पटल—राजवेशम) कि गजवेशम (जो प्रायाद—मन्दिर के समान ही परिचित है, मे प्रसुन द्वारों जो गोपुर-द्वारों के नाम ने संकीर्तन किया गया है। अस्तु। यह निर्विवाद है प्रायाद का 'गोपुर' द्वागद्वारातर है जिनको ब० य० में केवल द्वारों अथवा महाद्वाराने के नाम ने उपेन किया गया है। न० स० में भी इन महाद्वाराने की विशिष्ट स्तरना विद्वित है जो हम आगे 'प्रतोली' के वर्णन में जरूर नहीं है।

महाद्वारण में पुर-द्वारों के तीन वर्ग हैं—महाद्वार, वक्त्रद्वार एवं पञ्चद्वार। नगर के महाद्वाराने की संख्या ब० य० में १८ है। प्रत्येक दिशा में तीन तीन वर्षे वर्षे पुर-द्वारों का निर्माण करना चाहिये। 'मार्ग-विनियोग' के पिछले अव्याय में हमने देखा पुर के चतुर्भिंश भागों में पूर्व ने पधिम एक गजमार्ग तथा दो महारथ्यायें विन्यस्त की जाती हैं। हमी प्रयाद दक्षिणा ने उत्तर भी। अतः गजमार्ग एवं महारथ्यायों दोनों पर ही महाद्वाराने जो विस्तृत अधिग्रेत है—प्रत्येक दिशा में तीन महाद्वार (एक गजमार्ग पर तथा दो-दो महारथ्यायों पर) दोने ने चारों ओर वारद हुए। इनकी चौड़ाई ल्येष्ट, मध्य, कनिष्ठ पुर-भ्रेद ने गज-मार्ग पर ६, ८, ७ हाथ (१३२, १२, १०२ फीट) तथा ६, ५, ४ हाथ (६, ७२, ६ फीट) महारथ्या पर प्रतिपादित की गयी है।

शौटिल्य के अर्थगतत्व में एक राजधानी-नगर में इस प्रकार के महाद्वारों की संख्या देखत जार है जिनको दिशानुस्प—वाला, ऐन्ड, वाम्ब एवं तीनापत्त (फ्रमग, उत्तर, पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम) की संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार अन्य ग्रन्थों में भी द्वार-निवेश के विभिन्न मत प्रचलित हैं जिनका उपेन प्राचीनिक नहीं।

इन महाद्वाराने के अतिरिक्त गम्यद्वारण में दूसरी कोटि के द्वारों को द्वागद्वार (Principal doors) के नाम ने दर्शाया गया है। वषवद्वार महाद्वाराने के ही समीप निरेष दोने एवं तथा उनका भी विविध गजमार्ग एवं मारथ्यायों पर ही अधिग्रेत है। रिदेशता वर है जिन महाद्वाराने में प्रतोली(भीमिर-भरन) एक प्रनिवार्द वाल्य-द्वार है। अतः प्रतोली के प्रायागद्विनिवास व्यवस्था ने महाद्वार नदीय द्वारे रखते हैं—केवल उनकी ऊपरी भी रिंग ब्रेक है। अतः नातापात एवं अन्य मार्ग-वायापारों के लिये महाद्वाराने दी ती परिवर्ति में वायापारों—मुगद्वाराने की परिवर्तना वालित है।

तीसरी कोटि के द्वारों दी पक्षद्वार दर्शन है। नवि के नाम वर्षे दोनों द्वार—मगद्वार एवं बुजद्वार वन्दे हो जाते हैं औ ऐसे नमद उप-वर्षे वर्षा एवं विर्गत हैं जिन पक्षद्वार (Side doors) ही राम देते हैं।

प्रतोली—उन्हें एका दीक्षु भवेत् दिया है जिनके नाम में महाद्वाराने पर वर्णी भवन; शा विस्तृत व लित है। अतोली अन्दे या क्षा विविध है—जोकी हुए विशेष महाद्वार, अवश्य है। ऐसे भी प्रकारीय में प्रतोली एवं अन्य (एक) भवन भवत्। ~० अन्याई

ने भी अपने महाकोष (Encyclopaedia of Hindu Architecture) में प्रतोली शब्द के निर्वचन में—द्वार-मार्ग (Gateway) अथवा छुद्र अद्वालक या नगर का प्रमुख मार्ग—आदि अर्थ दिये हैं। परन्तु हिन्दी, राजस्थानी और गुजराती में भी ‘पौरि’ शब्द बड़े फटक के लिये प्रयुक्त पाया गया है। यह ‘पौरि’ ‘प्रतोली’ का ही तद्देव शब्द प्रतीत होता है—

प्रतोली	पत्रोली	पउलि	पौरि
---------	---------	------	------

समराङ्गण-सूत्रधार में प्रतोली न तो एकमात्र महाद्वार है और न रथ्या। यह एक त्रिमौमिक (त्रितल—three-storeyed) भवन-विन्यास है जिसका निवेश महाद्वारों पर ही अभिप्रेत है। अतः लेखक के मत में प्रतोली उस विशिष्ट महाद्वार को कहेंगे जिस पर भवन-विन्यास अनिवार्य है। स० स० का प्रतोली-विषयक निर्वचन (१०, ३८-४८) परिशिष्ट—अवतरण में द्रष्टव्य है जिससे इस मत का समर्थन प्राप्त हो सकेगा। कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में प्रतोली शब्द का प्रयोग किया है तथा उसके विन्यास की दिशा में केवल इतनी ही सूचना मिलती है कि वह दो अद्वालकों के बीच में निविष्ट की जाती थी। अतः कौटिल्य के अनुसार उस द्वार कहा जावे अथवा प्राकार-भित्ति पर अद्वालक-सदृश दूसरी भवन-भूपा—असन्दिग्ध रूप से नहीं कहा जा सकता।

परन्तु यह निर्विचिकित्स्य है कि जिस प्रकार गोपुर-द्वारों एवं साधारण महाद्वारों में वास्तुकलात्मक भेद है उसी प्रकार प्रतोली एवं द्वारों में भी। प्रतोली-महाद्वारों एवं गोपुर-महाद्वारों की ये दोनों परम्परायें वास्तु-विद्या की दो प्राचीन परम्पराओं का प्रातिनिध्य करती हुई प्रतीत होती हैं—गोपुर दक्षिण वा० वि० एवं प्रतोली उत्तरी वा० वि०।

प्रतोली की दूसरी विशिष्टता यह है कि इस पर हर्म्य का निवेश भी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त मूपाओं (little doors) चन्द्रशालाओं एवं गवाहकों का इसके प्रकोष्ठकों में न्यास करना चाहिये। साथ ही साथ इस प्रतोली-भवन में विभिन्न प्रकार के यत्र, शस्त्र एवं अस्त्र का संभार भी एकत्रित करना चाहिये—क्योंकि पुर की रक्षा-संविधन का ही तो यह भी अंग है। व्यालजाल, शतघ्नी आदि शस्त्र एवं यंत्रों का न्यास न केवल पुर की शोभा के लिये आपितु उसकी रक्षा के लिये भी अभिप्रेत हैं।

प्राकारादि-विनिवेश (fortification) का अन्तिम अवशिष्ट अंग ‘रथ्या’ है। रथ्याओं पर पिछले अध्याय (दे० मार्ग-विनिवेश) में यथोचित विवेचन हो चुका है। अतः इस स्तम्भ को यहाँ पर समात कर पुर की विभिन्न आकृतियों एवं उनके अपालन से गर्दित-पुरों के प्रारुभाव पर विवेचन, जो आगे के अध्याय का विषय है, आवश्यक है।

पुर-आकृति एवं गर्हित पुर

पुर-आकृतियाँ

पुर-निवेश के विभिन्न अंगों की उम्मीदा के उपरान्त इस अध्याय में पुर की विभिन्नों प्रशस्त आकृतियों की ही उम्मीदा नहीं अभिप्रेत है बरन् कौन-कौन सी आकृतियाँ वास्तु-शास्त्र में अप्रशस्त प्रतिपादित की गयी हैं—इस पर भी विचार प्रारंभिक है। अप्रशस्त आकृतियों ने प्रदुर्भूत गर्हित पुरों पर समराङ्गण का प्रबन्धन उसका वैषिष्ठ्य है। अतः इन दोनों दृष्टियों से हमें इस विषय की इस अध्याय में विवेचना करनी है।

पुर-विशेष की आकृति का प्रकल्पन पुर-निवेश के संस्थान (Lay out) मानोन्मान (Measurements) एवं मार्ग-विन्यास तथा भवन विन्यास आदि ने सम्बन्ध रखता है। प्राचीन वास्तु-शास्त्रीय परम्परा में निर्दिष्ट पुर-निवेश के नियमों का अणुमांत्र भी उल्लेखन अनुस्य था। अतएव समराङ्गण का आदेश है:—

शास्त्रज्ञः स्पष्टिस्तस्मात् प्रयत्नपरया घिया ।
ययावत् क्यितं चात्म नगरं विनिवेशयेत् ॥ (१०-६६)

यह प्रबन्धन न केवल नगर-निवेश के नियमों के आपूर्ण पालन के लिये ही प्रेरणा प्रदान करता है। बरन् 'बुन्दर' सन्निवेश पर भी जोर देता है। नगर-निवेश वास्तु-कला का एक प्रबान विषय है। कोई भी कला हो उसमें चाकड़ा होनी ही चाहिये। जो कला सौन्दर्य की दृष्टि नहीं करती, कल्याणकारिणी नहीं, अथवा पूर्वजों के पुर्णभूत अनुभव (सत्य) का सम्बन्ध पालन एवं अनुगमन नहीं करती वह क्वापि कल्पती नहीं हो सकती। हासी जीवन-दर्शन एवं कला-मर्म को दृष्टि में रखकर समराङ्गण के लेखक ने गर्हित पुरों की अविरल अवतारणा (आगे देखिये) कर सत्य ही कहा है:—

पुराण मशशस्तानि संस्थानानीदशानि दद ।
एक्षितश्चपि तेनैषां न पुरं विनिवेशयेत् ॥
संस्थानमेकमन्येषां प्रमादात् क्रियते चादि ।
तदा राष्ट्रं निपीडेयत छद्दिव्यदभीतिमृत्युभिः ॥ (१०-६७ द)

इस प्रबन्धने प्रकट है प्राचीन नगर-निवेश ने संस्थान—आकृति एवं मानोन्मान का पालन अनिवार्य था। उसका अपालन अथवा अर्धपालन न केवल पुर-विशेष के लिये ही अनुभ माना जाता था बरन् उस राष्ट्र—देश अथवा जनपद (जिसका वह पुर-विशेष एक इकाई—unit—शृङ्खला थी) के लिये भी अनुभ माना जाता था।

पुर के संस्थान—आकृति के इस श्रौपेदिक निर्देश के बाद अब हमें यह देखना है कि कौन सा आकार विशेष प्रशस्त माना गया है। समराङ्गण सूत्रधार चतुरश्राकार ही सर्व-प्रशस्त आकार मानता है। सत्य तो यह है कि प्राचीन परम्परा में चतुरश्राकार ही न केवल सर्वश्रेष्ठ माना गया है वरन् वह पूर्ण भी समझा गया है। वास्तु-निवेश में चतुरश्राकार की यह परम्परा वैदिक यज्ञवेदी की पावनता एवं उसके आकार का अनुगमन करती है। यज्ञवेदी की ही आधार-शिला पर भारतीय स्थापत्य का भव्य भवन खड़ा है। चतुरश्र (चौकोर) आकार की मीमांसा में इतना ही सकेत आवश्यक है कि इस आकार में मानव जीवन की पूर्णता निहित है और इसमें संस्थान की पूर्ण अभिव्यक्ति भी प्रतिष्ठित है। कोई भी संस्थान जो चौकोर नहीं वह पूर्ण नहीं—इस सत्य को हम सब लोग समझ सकते हैं। चार वेद, चार वर्ण, चार आश्रम, चार श्रवणस्थायें, जिस प्रकार ज्ञान, मानवता, मानव-पुरुषार्थ एवं मानव-विकास के प्रतीक हैं, उसी प्रकार वास्तु-रचना में चार अश्रों (चतुरश्र) का महत्व है। अतएव भोज ने (युक्ति-कल्पतरु तथा स० स०—दोनों में) पुरों के चतुरश्र-विनिवेश में विशेष अभिनिवेश दिखाया है। यही कारण है, जहाँ मयमत, मानसार आदि ग्रंथों ने पुर की प्रतिष्ठा में ८१, ६४, ४६ आदि जिस किसी भी वास्तु-पद का विन्यास प्रतिपादित किया है, वहाँ समराङ्गण ने पुर-निवेश में ६४ पद-वास्तु का ही उल्लेख किया है। ६४ पद-वास्तु चतुरश्राकृति का आदर्श साइट-सान है।

ऊपर संकेत किया गया है नगर के शास्त्र-निर्दिष्ट संस्थान के प्रतिकूल जो संस्थान प्रमादवश प्रकल्पित किये जाते हैं वे ही अप्रशस्त-संस्थान गर्हित पुरों के जनक बनते हैं। परन्तु शास्त्रों का ऐकमत्य नहीं। जहाँ समराङ्गण चतुरश्र-संस्थान को सर्वोपरि मानता है वहाँ मयमत (अ० १०) में चतुरश्र, आयताश्र, वृत्त, वृत्तायत एवं गोलावृत्त—सभी आकृतियों में पुर-निवेश हो सकता है। देवी-पुराण (अ० ७२) में भी विभिन्न-कोटि कुरु-आकृतिया देखने को मिलती है—जिनमें व्यश्र एवं दीर्घ भी हैं। अग्नि एवं मत्स्य इन दोनों पुराणों के पुर के आकृति-विषयक प्रवचन समराङ्गण के निकट पहुँचते हैं। परन्तु जहाँ अग्नि में चंद्रार्धाकृति की निन्दा है वहाँ मत्स्य में उसकी वड़ी प्रणंसा है। सरिता-कूलस्थ (Riparion) नगरों के लिये यह आकार विशेष उपयुक्त है। काशी की चंद्रार्धाकृति से हम सभी परिचित हैं। भविष्योत्तर-पुराण में समराङ्गण के अनुरूप दीर्घ एवं चतुरश्राकार पुरों की ही उपादेयता स्वीकार की गयी है। दीर्घाकार पुर ऐश्वर्य, सुख, शाति एवं स्थायित्व प्रदान करते हैं। चतुरश्राकार में चतुर्वर्गों (धर्मार्थकाममोक्ष—पुरुषार्थचतुष्टय) की सिद्धि होती है। व्यश्र नाशकारक है तथा वर्तुल तो वरवाद ही कर देता है।

श्री दत्त महाराय (see T. P. in Ancient India p. 105) ने टीक ही लिखा है.—It is clear that the rectangular or square shapes were the most favourable with the Indo-Aryan town-planners and were generally adopted in practice. The circular, triangular multiangular or any irregular civic contours were denounced because such shapes would react upon the planning of sites and buildings and their orientation,

अर्थात् यह स्पष्ट है कि भारतीय आर्य पुर के आयताकार अथवा चतुरश्चाकोर को ही सर्वाधिक स्थान देते थे और विशेषकर ये ही आकार प्रयोग में भी लाये जाते थे। वर्तुल, न्यश्र (तिकोना) वहश्र (वहुकोना) अथवा अन्य विषम नगर-आकृतियाँ हैं जैसे समझी जाती थीं। क्योंकि इन आकृतियों से पुर का पद-विन्यास ही नहीं वाधित होता था वरन्, मैं निवेश्य भवन-वीथिया और उनके दिक्-सामुख्य भी वाधित वन जाते थे।

गहत पुर—

‘चतुरश्र’ आकृति के प्रतिकूल जो साधारणतया संभाव्य आकृतियाँ हैं उन्हीं में निविष्ट पुर गर्हित-पुर के नाम से समराङ्गण में संकीर्तित किये गये हैं। समराङ्गण (१०, ५३-६६) की दिशा में गर्हित पुर की निम्नलिखित संज्ञायें हैं—

- | | |
|--------------|--------------------|
| १. छिन्नकर्ण | ६. व्यजनाकार |
| २. विकर्ण | ७. चापाकार |
| ३. वज्राकृति | ८. शकटद्विसम |
| ४. सूचीमुख | ९. द्विगुणायतसंस्थ |
| ५. वर्तुल | १०. विदिकस्थ |
| | ११. भुजंगकुटिल |

छिन्नकर्ण—

यथा-नाम जिस नगर के कर्ण ही छिन्न हों गये हो वह क्या कभी प्रशस्त माना जा सकता है। ऐसे कनकटे अर्थात् अचतुराश्चाकार पुर में रहने वाले सदैव संकटमय जीवन से आक्रान्त रहते हैं। चौर्यमय, रोग, व्याधि एवं शत्रु-आतक सदैव वहाँ पर व्याप्त रहते हैं।

विकर्ण—

छिन्नकर्ण के भाई विकर्ण की भी यही कशण कहानी है। ऐसे नगर के तेथा-कथित नागरिक ईर्पा, द्वेष, अनपत्यता एवं अनायुष्य के हमेशा शिकार रहते हैं।

वज्राकार—

वज्राकार से सम्बन्धित अधार्थ—अठकोने नगर का अभिप्राय है। जिस नगर के इतने कोने हैं उस नगर के निवासी भी सदैव यदि कोना ही भाँकते रहते हों तो आश्चर्य की क्या वात ! स्त्री-दासता, विषरोग, पङ्गन्त्र आदि धूर्तताएँ इस नगर की विशेषतायें हैं। अग्निपुराण (अ. १०६) में भी यह आकृति अप्रशस्त प्रतिपादित है।

सूचीमुख—

यथानाम सूची (सुई) के समान आकृतिवाले (अर्थात् वहुत लम्बा एवं चौड़ा विलकुल नहीं) इस पुर में कुर्भिक्ष एवं व्याधि का विशेष वौल-वाला रहता है।

वर्तुल—

गोलाकृति पुर को भी समराङ्गण ने अप्रशस्त पुरों में ही परिगणित किया है। समराङ्गण, जैसा कि हम पूर्व ही प्रतिपादित कर चुके हैं, चतुरश्चाकृति ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। अतः वर्तुलाकृति भी उसे मान्य नहीं। ऐसे गोल नगर में रहनेवाले नागरिकों के लिये सभी कुछ गोल हैं। दारिद्र्य, अनायुष्य आदि प्रसिद्ध रूप स्वतः संस्राव्य हैं।

इसके विपरीत ब्रह्मारड (अ० ७२) एवं कालिका (अ० ८४) पुराण वर्तुलाङ्कृति पुर को प्रशस्त मानते हैं ।

व्यजनकार—

व्यजन का श्र्वथ पंखा हम जानते ही हैं । ऐसी आङ्कृति के नगर में भूठों की प्रमुख वस्ती बतायी गये हैं । साथ ही साथ यहाँ के निवासी वात-रोग से विशेष पीड़ित रहते हैं । अथवा शरीर की वात-व्याधि के अनुरूप यहाँ के निवासी चञ्चल-चित्त भी सदैव रहते हैं ।

कालिकापुराण (अ० ८४) ने भी इस आङ्कृति को गर्हित माना है और निर्दर्शन-रूप यह उल्लेख किया है महापराक्रमी दानवेन्द्र महाराज वल्ति की महाराजधानी सौनितपुर अपनी व्यजनाङ्कृति के कारण ही नाश को प्राप्त हुई ।

धनुषाङ्कृति—

धनुषाकार पुर के प्राशस्त्य पर हम पूर्व-सकेत कर आये हैं तथा चन्द्रार्धाङ्कृति (धनुषाङ्कृति) के निर्दर्शन में पुरायपुरी विश्वनाथपुरी वाराणसी का व्याखान भी कर आये हैं । परन्तु यह समझ में नहीं आता, समराङ्गण ने इसे भी क्यों गर्हित माना । सम्भवतः चौकोर नहीं । अग्निपुराण तो इसे सर्वाधिक प्रशस्त मानता है । इसी प्रकार कालिकापुराण ने इसे वहा प्रशस्त आकार स्वीकार किया है तथा निर्दर्शन भी दिया है कि इच्छाकुओं की प्रिय नगरी अयोध्या की महनीय कीर्ति का कारण उसकी धनुषाङ्कृति है । धनुष शौर्य एवं वीर्य का प्रतीक है । परन्तु समराङ्गण के अनुसार ऐसे नगर के निवासी स्वयं परड एवं उनकी लियाँ दुश्चरित्र होती हैं ।

शकटद्विसमाकार—

दो शकटों—गाड़ियों को वरापर खड़ा करने पर जो} आकार निष्पन्न होता है उसे 'शकटद्विसमाकार' कहा गया है । ऐसी आङ्कृतिवाले पुर में रहनेवालों को रोग, शोक, अनल एवं स्तेन (चौर) से भय सदैव विद्यमान रहता है । यही नहीं आरम्भ से ही ऐसे पुर के वासियों की सिद्धिया समाप्त हो जाती है, विप्रों को भय समुभस्थित होता है तथा शतिजनों (कुदुम्बियों) में भेद भी उत्पन्न होने लगता है अर्थात् उनमें परस्पर कलह रहता है । साथ ही साथ समस्त पौरजनों एवं उनके स्वामी (राजा) के गज, वाजि का क्षय भी भ्रुव है ।

द्विगुणायतसंस्थान—

आयताकार पुर तो चतुरश्राकार की कोटि में ही आपतित होता है, परन्तु यदि वह द्विगुणायत (जिनकी लम्बी समानान्तर रेखायें चौड़ाई से दुगुनी हो) संस्थित होता है तो वह अप्रगत्य माना गया है । ऐसा पुर रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है । वलवान शत्रुओं के आक्रमण ने वह पद्दलित हो जाता है एवं वे ही उम पुर के भोगी बनते हैं ।

द्विःमूढ—

पद-विन्यास के विवेचन के अवसर पर पद के दिक्-सामुख्य की ओर पूर्ण रूप में संकेत किया जा चुका है । कोई वास्तु-कृति विदिकृस्था नहीं होनी, चाहिये । चार दिशाओं

एवं चार उपदिशाओं में ही निवेश विहित है। अतः विदिकस्य पुर निन्दित है। इसमें निर्योग (शान्ति एवं सुख) का, सतत अभाव रहता है। जननाश, अपिनिदाह, स्त्रीकृत भय विशेष उल्लेखनीय हैं।

भुजङ्गकुटिल—

यथानाम उस पुर-विशेष की संज्ञा दी गयी है जिसकी आकृति सर्प के समान देही मंडी विनिविष्ट की गयी हो। इस पुर के निवासी सदैव शख्तों (युद्ध के प्रतीक) अनिल (आधी आदि) पिशाचों, अपिन, भूत (प्रेतवाधा) यद्य आदि के भय से भयभीत रहते हैं। वे रोगी भी रहते हैं और उनका जीवन शीघ्र ही शेषता को प्राप्त हो जाता है।

समराङ्गण के इन गर्हित पुरों के वर्णन के उपरान्त कतिपय और भी पुर की अप्रशस्त आकृतियाँ हैं जिन पर भी थोड़ा सा सकेत आवश्यक है। वैसे तो समराङ्गण का यह प्रवचन सागोपाग है एवं एतद्विषयक इतने विस्तृत विवरण अन्यत्र अप्राप्य हैं तथापि कुछ संज्ञा-वैषम्य से उनका भी दिग्दर्शनमात्र यहाँ अभीष्ट है।

मत्स्यपुराण (अ० २०७) पुर की 'यमस्थाकृति' निन्दित मानता है। कालिका-पुराण (अ० ८४) में 'मृदङ्गाकृति' पुर की गर्हिता के प्रतिपादन के साथ-साथ यह भी निर्दर्शन-स्वरूप उल्लेख है कि रावण की सोने की नगरी लंका अपने मृदंगाकृति-निवेश से मिट्टी में मिल गयी।

गर्हित पुरों पर इस विवेचन एवं पुराणों के निर्वचनों में उल्लिखित गर्हित पुरों के दृष्टान्तों से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि प्राचीन भारत के ये वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थ कोरे 'शास्त्र' नहीं थे उनमें वस्तु-स्थिति का पूर्ण समन्वय था। जिस प्रकार पाणिनि का व्याकरण संस्कृत भाषा के समृद्ध विकास का घोतक है उसी प्रकार भारतीय वास्तु-शास्त्र के ये ग्रन्थ प्राचीन समृद्ध एवं वैज्ञानिक पुर-निवेश-परम्परा के ही प्रतीक हैं। स्थापत्य कोरा न तो शास्त्र है न विज्ञान। उसमें जीवन एवं संसुति—दोनों का समन्वय होना चाहिये। मंसार के कतिपय नगरों के जिन आकृति-विशेषों के कारण उनका अवसान अथवा अभ्युत्थान हुआ, उसी को इष्टि में रखकर आकृति की हेयता प्रतिपादित नहीं वरन् पुर-निवेश में पुर की रक्षा, पौरजनों के विविध सौविध्य एवं उनके स्वास्थ्य आदि के सम्पादन में जो आकृति अनुकूल हो सकती है वही निवेश है। 'चन्द्रार्धाकृति' केवल नाद्य-नगरों के लिये ही प्रशस्त है न कि सर्व-साधारण-व्यवस्था।

आधुनिक नगर-निवेश

में

प्राचीन नगर-निवेश

(की देन)

आधुनिक नगर-निवेश

नगर-निवेश की जो पद्धति आजकल प्रचलित है अथवा जिसका विकास विशेषकर पश्चिमादि देशों में हुआ और जो आज समस्त सभ्य सासार की स्थायी सम्पत्ति सी बन गयी है उस के विषय में भी थोड़ी सी यहाँ पर जब हम प्राचीन भारतीय नगर-निवेश-पद्धति पर विचार कर चुके हैं, चर्चा करना अप्रासंगिक न होगा। सच तो यह है कि आधुनिक नगर-निवेश की प्रक्रिया—प्राचीन नगर-निवेश-पद्धति के ही आधारभूत सिद्धान्तों पर आश्रित है—हा यह अवश्य है कि परिस्थितिया विभिन्न हैं, अतः ओक के शब्दों में ‘Modern town planning can be said to be an adaptation of the ancient ideals of T. planning. The basic principles have not changed. it is but putting old wine in new bottles.’ अर्थात् आधुनिक नगर-निवेश प्राचीन नगर-निवेश का आधुनिक संस्करण है जिसमें आधुनिक परिस्थितियों का स्पष्ट प्रभाव है। आधारभूत सिद्धान्त नहीं बदले, शराव वही है, पुरानी है, नयी बोतल में रखी है। साथ ही, इसके कि प्रथम हम आधुनिक नगर-निवेश पद्धति की समीक्षा करें, हम यह भी देखेंगे कि आधुनिक सम्यता में प्राचीन सम्यता की अपेक्षा कौन कौन सी नवीनताओं का समावेश हो गया है जिनके कारण इस पद्धति में नवीन घटकों का समावेश करना आधुनिक नगर-निवेशकों (Town planners) के लिये आवश्यक हो गया है।

पिछले प्रकरणों में हम इस तथ्य का बहुत बार उद्धाटन कर चुके हैं कि प्रत्येक नगर की अपनी वैयक्तिकता individuality अवश्य होती है। नगर के व्यक्तित्व का निर्माण उस नगर के निवासी—नागरिक करते हैं। प्रत्येक युग में, प्रत्येक देश में नागरिकों के रहन सहन, विचार आचार, भोजन-भजन, चाल-चलन आदि परिस्थिति-वश परिवर्तित होने रहते हैं। अतः स्वाभाविक ही है कि आज के मानव में पुराने काल के मानव से उपर्युक्त सम्यता-सम्पादक, संस्कृति-विधायक जीवन के तरीकों में बैलक्षण्य होवे ही। आधुनिक युग वैज्ञानिक युग कहा जाता है। विज्ञान ने हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिये हैं। विज्ञान के द्वारा यहाँ विभिन्न प्रकार से विशिष्ट ज्ञानार्जन से हमारे रहन सहन आदि जीवन के श्रंगारों में परिवर्तन उपस्थित हो गये हैं वहाँ

यातायात, व्यवसाय, कार्य-व्यापार, युद्ध आदि में भी वडे अभिनव परिवर्तन घटित हो गये हैं। स्थान-स्थान पर वडे वडे कारखाने, फैक्ट्रियाँ, भिल, स्टेशन, व्यावसायिक केन्द्र (Industrial areas) तथा बन्दरगाह स्थापित हो गये हैं तथा प्रतिदिन स्थापित होते जा रहे हैं। सौविध्यवश तथा यातायात के साधन-सौलभ्य के कारण ये कारखाने विशेषकर किसी महानगर के समीप अथवा उसके अम्बत्तर प्रदेश में स्थापित होते हैं। अतः जब सम्भवता प्रतिदिन उदीयमान है और प्रत्येक सम्भव मानव सुन्दर वेष-भूपा, सद्व्यवहार एवं सद् आचार-विचार के साथ सभ्विता की प्रथम आवश्यकता समझ रहा हो तो आश्चर्य ही क्या ? अतः इस वीसवीं शताब्दी में 'नगर-निवेश' का विषय सार्वमौमिक रूप से सबको समाझूष कर रहा है।

आधुनिक नगर-निवेश-कला के अनुसार इस कला का एक मात्र उद्देश्य किसी एक नये नगर के निर्माण हेतु योजना बनाना ही अभिप्रेत नहीं है, बरन् निर्मित-नगरों के सुधार, प्रसार, विस्तार एवं संहार आदि से किस प्रकार से उसको नये ढंग से नवी आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु सभ्विष्ट एवं सुनिर्भित किया जावे जिससे रहने के सभी साधन एवं सुख समुपलब्ध हो सकें—यह भी परम अभीप्ति होता है। इस दृष्टि कोण से एक नगर के निवेश में उसके एक मात्र विभिन्न अंगों—जैसे मार्ग-विनिवेश, प्रतोली-विन्यास, हर्म्य-निवेश, पादपारोपण, उद्यान-योजना, पुरजन-विहार-प्रस्तावना आदि आदि के सम्बन्ध सभ्विता से ही नगर-निवेश की पूर्ण अभीष्ट-सिद्धि की सफलता का अंकन नहीं किया जा सकता जब तक नगर-निवेशक की अपनी निजी प्रेरणा तथा उत्तरदायित्व के पूर्ण परिपाक के उसमें दर्शन नहीं होते। ठीक भी है। जिस प्रकार से विभिन्न वर्णों (Colours) की संभूत सामग्री से ही चित्र का निर्माण नहीं होता जबतक चित्रकार की प्रतिभा एवं तूलिका इन दोनों का योग नहीं मिलता। अथवा जिस प्रकार एकमात्र शब्द-चयन से ही कविता का जन्म नहीं होता जब तक कवि अपनी वरद प्रतिभा से उन में एक दिव्य ज्योति नहीं प्रदान करता। उसी प्रकार एक नगर-निवेश की अपनी पद्धति के साथ-साथ नगर-निवेशकों की अपनी प्रेरणाओं तथा उत्तर-दायित्व के योग का सामजिक स्थ जब तक नहीं स्थापित होता है तब तक यह कार्य ठीक नहीं उत्तरता।

अतः निर्विवाद है कि नगर-निवेश की वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार नगर में आवश्यक विभिन्न विनिवेश इस प्रकार विनिविष्ट हों कि उनका परिणाम सुखद, सुन्दर, सौविध्य-पूर्ण, वहुद्व्य-निर्व्यपेक्ष्य एवं सर्वांग-पूर्ण हो। किसी नये नगर के निवेश में अथवा पुराने नगर के सुधार अथवा प्रसार में, जलदान (Water supply) स्वच्छता (Sanitation), मार्ग-विन्यास-कौशल, प्राकृतिक सुपुमा-विरचना, व्यावसायिक वीथियों के विनियोग में यातायात की सुविधा-प्रदान, जनावासों की विभिन्न श्रेणियों का विन्यास, औपधालयों, पुरजन-विहारों, उद्यानों, क्रीड़ाक्षेत्रों का सम्बन्ध विनियोग आदि सभी दृष्टि कोणों से नगर-निवेश अपनी मेधा के सहरे वह रूप दे देता है जो सभी प्रकार की सुविधाओं एवं सुखों की सृष्टि कर सकता है। अथवा नगर-निवेश के समय उस प्रान्त अथवा जनपद जिसमें वह नगर आता हो उसको भी दृष्टि में रखना आवश्यक होता है। आधुनिक नगर-निवेश की भाषा में उसे—Regional Planning कहते हैं। सच्च तो यह है कि

नगर-निवेश (Town-Planning) Regional Planning का ही एक अंग है। यद्यपि यह प्राचीन शिल्प-शास्त्रों में शाब्दिकरूप से नहीं प्रतिपादित किया गया, परतु व्यावहारिक दृष्टि से प्राचीनों का भी इस और ध्यान अवश्य था। समराज्ञण तो देश-निवेश अथवा राष्ट्र-निवेश के अन्तर्गत ही नगर-निवेश को मानता है—यह हम पूर्व ही प्रतिपादित कर चुके हैं। अतः Regional Planning का आधुनिक T. Planning में बड़ा महत्व है तथा होना भी चाहिये। वह प्राचीन पद्धति में भी था।

इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर आजकल हम सर्वत्र बड़े-बड़े नगरों के सुधारार्थ मास्टर-स्नान का सुन्दर गान प्रायः प्रतिदिन सुनते हैं। बात यह है कि ज्यो-ज्यो आवादी बढ़ती जाती है, कारखानों की संख्या और उनमें काम करनेवालों की संख्या बढ़ती जा रही है त्यो-त्यो नगरों के विपुलतम प्रसार की आवश्यकता ही नहीं, अनायास अवकाश भी मिलता जाता है। साथ ही साथ एक बात और भी है। आजकल जीवन कठोर है। यथासाध्य योजनाओं की पूर्ति शीघ्रता से नहीं होती। अतः प्रायः सभी नगरों की कार्य-संचालिका नगर-पालियाँ (Municipalities) अथवा कारपोरेशंस नगर-पुनरुद्धार अथवा नगर-सुधार या नगर-पुनर्निर्माण की सुदीर्घ-कालीन योजनायें बनाती हैं और उनकी पूर्ति के लिये प्रतिवर्ष यथा-साध्य कुछ न कुछ कार्य किया करती हैं। परन्तु यहाँ यह स्मरणीय है कि चूंकि जीवन प्रतिनियं परिवर्तनशील है, युग मो बदलता है, अतः मास्टर-स्नान की सभी योजनायें जो किसी काल-विशेष में बनी थीं, वे सर्वदा के लिये तो अविकल रूप से कार्यान्वित नहीं की जा सकतीं—परिस्थितियाँ बदल सकती हैं—आवश्यकतायें भी बदल सकती हैं। अतः मास्टर-स्नान के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है और यहाँ पर मास्टर-स्नानर की प्रतिमा की परीक्षा भी है कि उन मास्टर-स्नानों में वर्तमान-कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये तो वहाँ पूर्ण अवधार हो ही साथ ही साथ भविष्य की परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुसार भी उनमें यथोचित गुंजाइश हो। अतः एक आधुनिक नगर-निवेश के लिये जिन विशेषताओं की अनिवार्यता सभी को सुकर्कंठ से स्वीकार होगी वे निम्न रूप से अङ्कित को जा सकती हैं:—

१. यथोचित एवं उपयुक्त विन्यास-योजना ।
२. नगर की अपनी वैयक्तिकता ।
३. विपुल वायुमत्तार्थ खुली जगहें ।
४. आवादी की अनंकीर्णता ।
५. विस्तृत मार्ग ।
६. सुन्दर स्वच्छता ।
७. प्रचुर-जल-कल-व्यवस्था ।
८. पूजा, शिक्षा, क्रीडा तथा मनोरञ्जन के उपयुक्त स्थानों की यथोचित स्थिति ।
९. जन-पुरीपालय तथा नालियों की सुव्यवस्था ।
१०. धृश्यित तथा अमुन्दर एवं आटोगेनीव दृश्य का अभाव—जैसे धूम्र, धूलि तथा जोरगुल ।
११. सौविष्य-पूर्ण तथा सर्वते यातायात के माध्यन ।
१२. जोर्निंग—विभिन्न कार्यों एवं आवश्यकताओं के लिये विभिन्न आवासों की रचना ।

१३ नगर-संचालन का सुन्दर शासन-प्रवन्ध

१४ नागरिकों का उसमें आनुकूल सहयोग तथा संतोष

अतः स्वयं सिद्ध है कि नगर के प्रमुख घटक (Components) जिन पर उसका नगरत्व आधित है वे हैं उनके १ निर्माण २ खुली ज़ंगहें तथा ३ यातायात के साधन (means of communication)। इनमें जहाँ तक नगर के निर्माणों (Structures) का सम्बन्ध है वे, जैसा हमने पूर्वपीठिका में प्राचीन नगरों के विकास के प्रकरण में देखा, वे नगर की स्थिति (Situation) से प्रभावित हैं। नगर की यह स्थिति किसी मैदान में है या प्लेटों पर है अथवा पर्वत की उपत्यका में है ? उसकी भूमि समतल है अथवा विषमतल ? उस स्थान का वातावरण किसी धार्मिक स्थान अथवा ऐतिहासिक स्मारक से प्रभावित तो नहीं ? वह स्थान नदी का किनारा है अथवा नदियों का संगम ? किसी युक्तरिणी का तट, या सागर-बेला अथवा औद्योगिक केन्द्र या खानों (mines etc.) का वह स्थान तो नहीं ? अथवा फिर उस स्थान की कोई (Strategic) महत्ता तो नहीं है—ये सभी स्थितियां नगर के निर्माण में पूर्ण प्रभाव डालती हैं। अथवा निर्माण में निर्मित स्थान—मन्दिर, मार्ग आदि तथा अनिर्मित स्थान—खुली ज़ंगहें—इन दोनों की हाइ से एक आधुनिक नगर के निम्नलिखित अवयव विशेष उल्लेखनीय हैं:—

१ भवन

अ. प्रासाद, हर्म, निकुञ्ज—समृद्धों के भवन

ब. साधारण जनावास—फ्लैट्स—जन-वास-वीथिया

स. दरिद्र-वसतियों

२ व्यापार-मालिका—(Commercial buildings, banks, offices etc.)

३. औद्योगिक-भवन—कार्यालय तथा मिल (factories, workshops and mills)

४. संस्था-भवन—विद्यालय, महाविद्यालय, पुस्तकालय

५. चिकित्सालय, अस्पताल, रसायनशालायें, स्वास्थ्यशालायें

६. सर्वसाधारण-स्थान (Public places)—नगर-सभा-भवन, न्यायालय, विश्वविद्यालय, रेलवे-स्टेशन

७. हड्डालय

८. मनोरक्षन के स्थान—प्रेक्षागृह, नाट्यशालायें, चित्र-गृह, स्टेडियम्स, तैरण-तङ्गाग

९. पार्क, उद्यान, पुष्प-मण्डप, लाता वितान

१०. मार्ग, जलकला, रेल

११. वायुयान-विराम एवं पोत-स्थान

१२. दाह-स्थान

इस प्रकार से हम देखते हैं कि आधुनिक नगर-निवेश की सागोपाग संपत्ति के लिये सागोपाग निवेश-पद्धति की आवेश्यकता स्वभावतः होती है। प्राचीन कालीन शिल्पीय ग्रंथों में स्थपति की योग्यता के सम्बन्ध में जो-जो वातें मिलती हैं (देखिये पूर्व अध्याय स्थपति एवं स्थापन्य) वे आधुनिक काल में एक विश्व कारीगर (mason) अथवा ओवरसियर या इंजीनियर या नगर-पालिका-संचालक, किसी एक के बूते की वात नहीं है। नगर

निवेश की सुसमीचीन योजना के लिये विशाल ज्ञान-माडागर की आवश्यकता होती है। हाँ, नगर-निवेश के सहायकों की ज्ञानराशि के साथ उसकी दूर-दर्शिता, विस्तृत पर्यवेक्षण (wider outlook) के सहारे ही एक नगर के सम्यक् सञ्चिवेश की सिद्धि हो सकती है।

आधुनिक नगर-निवेश के नियमों में भी प्रथम स्थान भूमि-च्यवन आदि (preliminary survey) को ही दिया गया है। इस सर्वे में भौगोलिक, भौगोलिक, तथा जलवायु-परिस्थितयों के साथ-साथ वहाँ की आर्थिक स्थिति, राजनैतिक परिस्थिति, यातायात के साधन, आवादी, व्यापार-वाणिज्य एवं व्यवसाय, सास्कृतिक कार्यकलाप, प्रसार, स्थानीय सुधार आदि की पर्यवेक्षा करनी पड़ती है।

नगर-निवेश की इस प्रारम्भिक परीक्षा में मान-चित्रों की उपयोगी सहायता लेनी चाहिये। विना मान-चित्रों के समीचीन सञ्चिवेश की सागोपाग समीक्षा नहीं बनती। भूमि, भूमि-प्रभुता, भूमि-सीमा, जनपद, मार्ग, प्राकृतिक साधन—बन, सरिता, पर्वत, खानें, जलवायु उपज, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि को इष्टि में रखकर इस परीक्षा में तत्पर हुआ जाता है।

आधुनिक वैज्ञानिक युग में परम्परागत मानवित्रीय-व्यवस्था के अतिरिक्त वायु-यानीय परीक्षण-विधि परमोपयोगी है। वायु-यानीय पर्यवेक्षण (Aerial-survey) से आजकल के युग में किसी भी स्थान-विशेष के मान-चित्र-निर्माण में सहायता मिल सकती है, विशेषकर ऐसे स्थानों की जहाँ पर प्राकृतिक साधन विपुल होते हुए पहले कभी मानवावास न रहा हो। आधुनिक नगरों के निवेश के सम्बन्ध में भी इतना स्मरणीय है, जो कि सनातन से सार्वभौमिक रूप से सभी ग्राचीन एवं पराचीन, पाश्चात्य तथा पूर्वीय सभी नगरों की समान कहानी है, कि किसी नगर की कहानी उस काल की सम्यता की कहानी है।

नगर-निवेश की पद्धति Formal तथा informal दोनों प्रकार की हो सकती है। प्रथम से अभिप्राय है रैखिक (Geometrical)—यह खाका आयताकार (rectangular) हो सकता है अथवा वृत्ताकार (circular with rings and radial lines) अथवा दोनों का मिश्रण। आधुनिक दुनियाँ के महान नगरों के रेखा-चित्रों को यदि हम देखें तो पता लगेगा कि मिन्न-मिन्न इन विशाल नगरों का विकास अपने-अपने स्थानीय भौगोलिक विशेषताओं के कारण इतना सुविस्तृत एवं सुगम्भट्ठ हो सका है। योरोप के पेरिस लन्दन, वर्लिन, मास्को आदि वे-उडे महानगरों के निवेश-मराडलीकरण ने मकड़ीजाल के स्वरूप को धारण कर लिया है। इसके विपरीत न्यूयार्क, एयैन्स, वाशिंगटन आदि महानगरों के निवेश में आवताकृति का स्वरूप अब भी स्थिर है।

प्राचीन पुरों के समान आधुनिक नगरों को भी हम अपनी अपनी प्रयोजन-विशेषताओं अथवा कार्य-व्यापारों के अनुरूप विभिन्न वर्गों में वॉट्स सकते हैं—ग्रौनोगिक व्यापारिक, विनापीठीय, गजपीठीय, स्वास्थ्य-सम्बन्धीय, अवकाशवापनीय आदि आदि।

आधुनिक नगर-निवेश की सर्व-प्रमुख विशेषता है—वर्गीकरण—जोनिंग (zoning)। इन जोनिंग-पड़नि का उद्देश्य यह है कि किस प्रकार ने नगर की शोमा सम्पत्ता, उमका

सौदर्य, नागरिकों के सौविंध्य आदि के साथ-साथ नगर की उपयोगिता, स्वच्छता, सुरक्षा तथा सुविधा की वृद्धि हो सके। किसी नगर की जोनिंग के लिये उस नगर के विभिन्न विभाग-क्षेत्रों जैसे वसती तथा खुली जगह, यातायात के साधन के केन्द्र—मार्ग, रेलवे लाइनें जलमार्ग, बायुदेवत के साथ-साथ आमोद-प्रमोद के स्थान—पार्क, उद्यान और पुरजन-विहार इन सभी की व्यवस्था को हाथि में रखना पड़ता है। इस प्रकार एक शहर के विभिन्न विभागों के सुव्यवस्थित एवं सुन्दर सन्निवेश के द्वारा उसका निर्माण सुधार अथवा विस्तार को जोनिंग कहते हैं। इस जोनिंग-प्रक्रिया के सहरे आधुनिक वास्तुशास्त्रियों के मतानुसार नगर-निवेश सुसम्पन्न हो सकता है। इस प्रक्रिया के अनुसार नगर को प्रथम जोनों (zones) में वॉटर दिया जाता है—भविय में आवश्यकीय स्थलों को भी परिणित कर लिया जाता है तथा पुनः उन सबकी उपयोगितानुरूप व्यवस्था की जाती है। साथ ही साथ यहाँ की संख्या तथा उनकी ऊँचाई आदि की व्यवस्था भी आवश्यक होती है, अन्यथा आवादी के संकीर्णता-दोषों से कैसे बचाव हो सकेगा ? जोनिंग के अंगों पर थोड़ा सा संकेत किया गया है परन्तु यदि थोड़ा सा और विस्तार देवें तो जोनिंग-पद्धति के अनुसार एक आधुनिक नगर के अभीप्सित निम्न वर्ग (zones) आवश्यक हैं :—

१. सरकारी तथा अर्ध-सरकारी इमारतों के वर्ग
२. वाणिज्य-बीथी-वर्ग
३. शिक्षा-निकेतन तथा प्रयोगशालाओं के वर्ग
४. औद्योगिक स्थानों के वर्ग
५. आवास-मालिका के वर्ग
६. क्रीड़ा-क्षेत्र-वर्ग

पुर-निवेश, पुर-सुधार एवं पुर-प्रसार के सम्बन्ध में मास्टर सान—बृहद्-योजना का जिक्र हो चुका है। जोनिंग मास्टर-सान का ही एक अति आवश्यक अग्र है। अतः इस जोनिंग-प्रक्रिया से हमें एक कठोर अथवा अपरिवर्तनीय व्यवस्था नहीं समझना चाहिए।

आधुनिक-नगर-निवेश-पद्धति के अनिवार्य सिद्धातों के अनुसार नगर-निवेश के विवरणों के सम्बन्ध में सर्वप्रथम हमें नगर के राजमार्ग, जनपथ, प्रतोली, पादवीथी, रेलवे, ट्राम्पथ, मोटरवास तथा अन्यान्य यातायात के मार्ग आदि के सम्बन्ध-निवेश की ओर ध्यान देना होगा। पुनः स्थान-स्थान पर हड्डालय, चिकित्सालय, विद्यालय, पुस्तकालय, उद्योगालय आदि आदि के साथ-देवालय अथवा पूजालय एवं पुरजन-विहार-स्थान आदि के समीचीन एवं उपयुक्त सन्निवेश के लिये पूर्ण अवकाश प्रदान करना होगा। तीसरे मिन्न-भिन्न आवास-स्थलों में आवादी तथा आवादी के विभिन्न वर्गों के अनुकूल विभिन्न वर्गों की सुविधा और स्वास्थ्य का स्वायत्त रखना होगा।

इस प्रकार नगर-निवेश में इन आधुनिक आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों से प्रादुर्भूत अनुमतों के परिशीलन से पता लगेगा कि नगर-निवेश एकाध आदमी के बूते की वात नहीं है। नगर-निवेश की सर्वाङ्गपूर्णता के लिये नगर-निवेश से सम्बन्धित आवश्यक विभिन्न ज्ञान के वेत्ताओं के सहयोग से ही उसकी पूर्ण योजना तथा उसकी कार्यस्पति में परिणिति सम्भव्य है। वास्तु-वित् स्थपति के साथ इक्षीनियर, सौंदर्य-शास्त्री, अर्थशास्त्री, कानूनदा, कृषि-कुशल,

उद्यान-विशारद, समाज-शास्त्री, जन-स्वास्थ्य-कोविद आदि सभी के सहयोग की इसमें आवश्यकता होगी ।

अथव आधुनिक नगर-निवेश-विचारणों के सम्बुद्ध सब से बड़ी समस्या आधुनिक महानगरों में विकसित एवं अत्युग्मावेन पञ्चवित स्लम-समस्या का निराकरण है । इस समस्या ने आधुनिक कथित नामधारी विशान युग पर महाकलंक की कालिमा पोत दी है । शहरों की आवादी का एक प्रमुख भाग कर्मकारों तथा साधारण-जीविकोपजीवियों का है । प्रायः धनाभाव एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं के अभावों से आक्रान्त ये वेचारे छोटे छोटे कमरों—(कोठरियो) में एक दो नहीं चार-चार पाच-पाच की संख्या में पशुओं के सहश बाड़ों में रहते हैं, सोते हैं । इस प्रकार विभिन्न रोगों से आक्रान्त तथा ग्रस्त होकर शकाल ही काल के ग्रास बनकर अपनी ऐहिक लौला समाप्त कर देते हैं । किसी भी देश के राष्ट्रीय-जीवन के लिये इससे बढ़कर और कौन अभिशाप होगा ? अतः प्रायः सभी बड़े बड़े शहरों में स्लम-समस्या के निवारणार्थ इम्प्रूवमेंट-ट्रस्ट, डेवलेपमेंट-योर्ड आदि आदि नामिका संस्थाओं के तत्वावधान में मास्टर-प्लानें—बृहद्-योजनायें बन रही हैं—बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं-कार्य तो अभी कुछ हो नहीं पाया है । दूसरे, युद्ध के कुपरिणामों के कारण आधुनिक जीवन इतना संकटमय एवं कटु तथा कठोर हो रहा है कि समस्या सुलभती नहीं दीख पड़ती । तब भी सभी सभ्य देश तथा उनकी सरकारें इस ओर सचेष्ट हैं—दत्तावधान हैं—यह तो निस्सन्देह अच्छा लक्षण है । अथव यद्यपि उद्योगधर्घों की बढ़ती, मिलों तथा कारखानों की स्थापना, आजकल के न्यूनता-युग (Scarcity age) में उपेक्ष्य नहीं है परन्तु सरकार को किसी फैक्टरी अथवा भिल के संचालन एवं संस्थापन-व्यवस्था की स्वीकृति देने के पूर्व उनमें आवश्यक कर्मचारियों की निवाससमस्या एवं वास-योजना पर पूर्ण रूप से ध्यन देने की आवश्यकता है । साथ ही साथ वर्तमान स्लम-मवनों के सुधारार्थ अथवा उनके आमूल संहारार्थ जो विभिन्न विचार विद्वानों ने प्रकट किये हैं उनको समीक्षा आदि लेखक को यहाँ अभिप्रेत नहीं है । यहाँ पर तो आधुनिक नगर-निवेश की व्यवस्था एवं समस्याओं की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करके प्राचीन भारतीय नगर-निवेश पद्धति की संतुलनात्मक समीक्षा के ज्ञानार्जन से यह व्यवस्था करनी है कि स्वतंत्रता के इस नव-प्रभात में भूतकालीन सर्णिम बुनियाद पर वर्तमान के भव्य प्रासाद को हम कैसे बना सकते हैं ? आज हमारे देश में इसी प्रेरणा की आवश्यकता है, इसी उपचेतना की जरूरत है—नहीं तो प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न विकास-योजनायें अथवा सुधार-व्यवस्थायें जो बन रही हैं, वे कामयाव नहीं हो सकेंगी ।

अतः संक्षेप में यहाँ पर इतना ही विशेष उल्लेखनीय है कि चूँकि आजकल नगर-निवेश के अन्दरून भूमि के विशेषकर वर्तमान नगरों का सुधार ही विशेष अभिप्रेत है, अतः उनके नव्य-निवेश एवं उनके सुधार को दृष्टि में रखकर निम्न योजनाओं को कार्यविन्त्त करना ही विशेष अभीष्ट होता है:—

२. प्रसार-योजना

३. सुधार तथा विकास की योजनायें

४. मार्ग-प्रसार तथा उनके विस्तार की योजना

५. नवीन मार्ग-निर्माण

६. स्तम्भ-सुधार-योजना

७. स्तम्भ-संहार

१. भवन-योजना

भवन-योजना प्रत्येक नगर-निवेश-योजना की एक प्रमुख एवं अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है। भवन मनुष्य के जीवन में वहाँ ही महत्व पूर्ण स्थान रखता है। सभ्य मनुष्य की प्रथम आवश्यकता आहार न होकर निवास है। यदी सभ्यता एवं असभ्यता किंवा वन्य जीवन के विमेद का निर्णायक है। भवन मनुष्य का स्वर्ग है। अतः यदि पुर-निवेश में भवन-निवेश का ठीक तरह से ध्यान न रखा गया तो वह स्वर्ग नक्क में परिशत हो जाता है। हत्त-भाग्य वहुसंख्यक मनुष्यों की यही तो इस कथित सभ्य युग में आत्म-कहानी है। घर कैसा होना चाहिये, घर में कर्मरों की स्थिति कैसी होनी चाहिये आदि आदि—इस सम्बन्ध में लेखक का भवन-प्रकरण द्रष्टव्य है।

२०. विस्तार, प्रस्तार तथा विकास-योजनायें

आधुनिक युग में उद्योग-धर्घों के वाहुल्य तथा उनके द्रुतंतर प्रसार के कारण प्रायः सभी नगरों में निवास-स्थानों की कमी पद-पद पर महसूस की जारही है। अतः नगर के वाष्प प्रदेश अथवा समीपस्थ भू-भागों में वसतियों (Localities) के प्रसार एवं नव-निर्माण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कालान्तर पाकर ये वसतियाँ उस नगर के अभिन्न त्रिंग बन जाते हैं और वह नगर एक महानगर में वदल जाता है। नगर-प्रसार में सरकारी पुर-निवेश-विभाग के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह इस दिशा में वही सतर्कता से काम ले, अन्यथा 'विनायकं ! कुर्वाणो रचयामास वानरम्' की कहावत चरितार्थ हो जाती है। लोग अपनी अपनी होड़ में अस्त-अस्त तरीकों से अव्यवस्थित एवं अवैज्ञानिक तरीकों से घर बनवाने लगते हैं—न मार्गों का खाल, न अन्य यातायात एवं अनिर्वाय आवासोपयोगी साधनों की चिन्ता—फल दुःसह तथा अव्यवस्थित निवेश। अतः नगर-निवेश विभाग को इस सम्बन्ध में अपनी एक बृहद्योजना (Master plan) बना लेनी चाहिये, पुनः सभी दृष्टियों से नगर में निवेश स्थानों की व्यवस्था को ध्यान में रखकर लाटों गें समस्त भू-भाग को विभाजित कर उस पर अपनी प्रमुता स्थापित कर मार्ग, नालिया, रेलवे-लाइन तथा जलकल आदि के निर्माण एवं निवेश की योजना बनाकर ही उन प्लाटों पर सुव्यवस्थित घर बनवाने की श्राक्षा प्रदान करनी चाहिये—प्रायः यह व्यवस्था न्यूनाधिक रूप में बर्तने लगी है—यह शुम चिन्ह है।

३. मार्ग-विस्तार योजना

इस योजना का सम्बन्ध नव नगर-निवेश से न होकर पुराने नगरों में संकीर्ण-पथों के सुधार से है। ज्यों ज्यों नगर की आवादी बढ़ती जाती है—उस विशाल जनसंख्या के आवागमन की सुविधा को इष्ट में रखते हुए अथव एक विकसित एवं उदीयमान नगर के लिये आवश्यक आधुनिक यानों—ट्राम्स, मोटर, बस आदि के यातायात-सौविध्य के लिये एक सकटाकीर्ण एवं संकुचित मार्ग को विस्तीर्ण करना अनिवार्य हो ही जाता है। परन्तु पथ-विस्तार का कार्य बिना पथ पर स्थित भवनों के संहार के क्षेत्र हो सकता है। अतः इस व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिये बड़े बड़े नगरों में उन भवनों को ध्वंस कर उन का हर्जाना Compensation भवन-पतियों को देकर यह कार्य सम्पन्न करना चाहिये।

स्लम-सुधार

स्लम के विषम परिणामों पर थोड़ा सा संकेत ऊपर किया जा चुका है। अतः स्लम-सुधार एवं स्लम-संहार के लिये यह आवश्यक है कि सरकार स्लम में रहने वाले कर्मकरों—मजदूरों तथा गरीबों के रहने के लिये उपयुक्त स्थानों पर भूमि देकर उनके आदाश-निवास बनाने की व्यवस्था करे। यह बहु-द्रव्य-साध्य समस्या है। इसमें पूजीपतियों, मिल मालिकों, कार्यालय-सचालकों तथा मजदूरों के भी परस्पर सहयोग एवं साहाय्य की परम आवश्यकता है। गवर्नर्मेंट इस दिशा में जागरूक अवश्य है परन्तु अभी कोई विशेष परिणाम नहीं निकले। विशेष ध्यान तथा प्रयत्न की आवश्यकता है।

प्राचीन नगर-निवेश की देन

इस अध्याय के पूर्वार्थ में आधुनिक नगर-निवेश की व्यापक आवश्यकताओं एवं तदनुरूप व्यापक सिद्धान्तों के साधारण समीक्षण के उपरान्त अब क्रमप्राप्त प्राचीन-नगर-निवेश के कठिपय उन सिद्धान्तों का निर्देश करना है जिनके अनुगमन एवं अनुवर्तन से हम आधुनिक नगर-निवेश को विशेष उपादेय एवं सफल बना सकते हैं।

प्राचीन एवं अवाचीन समाज एवं संस्कृति में वड़ा अन्तर है। विज्ञान की उन्नति ने समाज एवं संस्कृति में काया-कल्प कर दिया है। अतः ऐसे समाज के अनुरूप नगर-निवेश में प्राचीनों के बहुत से नगर-निवेश-नियम व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। नगर-निवेश का सर्वभेदक घटक प्राकारादिविन्यास का आधुनिक नगर-निवेश में कोई स्थान ही नहीं रह जाता है। देवतायतय-निवेश के प्रति आजकल प्रायः सभी अ-धार्मिक (Secular) राष्ट्रों का कोई अभिनिवेश हो ही नहीं सकता। ‘मार्ग-विन्तामें,’ ‘ओरामोद्यानादि विनिवेश’ में भी प्रयोग संस्करण एवं परिवर्तन की आवश्यकता है।

अथव आधुनिक जटिल जीवन की वहमुखी आवश्यकताओं के अनुरूप—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, पारस्परिक राजनैतिक आदान-प्रदान (Embassies) एवं विभिन्न राजनैतिक, सास्कृतिक एवं व्यावसायिक मम्बन्धों के साथ-साथ राष्ट्रीय उद्योग-धन्धों (Mills, Factories) तथा अर्थ-प्रबन्धियों (Banks, Insurances) सरकारी कार्यालयों

(Secretariats, Magistracies, Collectorates and judicatures) के स्थान-विभाग के लिये आधुनिक नगर-निवेश में विशेषकर महानगरों एवं राजधानी-नगरों के निवेश में प्रयोग आनंदना अनिवार्य हो गया है ।

यही नहीं आधुनिक नगर-निवेश में विशेषकर भारतवर्ष ऐसे प्राचीन देश में (जहाँ पर दीर्घ-कालीन पारतन्त्र के कारण आधुनिक विज्ञान एवं उद्योग के अनुरूप बहुत कम नगर-सुधार अथवा नगर-संशार हुए हैं) नवीन नगर-निवेश की उतनी जटिल समस्या नहीं जितनी प्राचीन नगरों के सुधार की । अतः आधुनिक नगर-निवेश के व्यापक कलेवर में नगर-निर्माण, नगर-सुधार एवं नगर-संशार—तीनों ही अनायास समाविष्ट हैं । आधुनिक नगर-निवेश की इसी त्रिगुणात्मिका सृष्टि के लिये हमें यहाँ पर विवेचन करना है ।

नगर-निर्माण

भारतवर्ष के नगर-निवेशकों को जिस आधारभूत सिद्धत (Fundamental Canon) को दृष्टि में रखने की आवश्यकता है उसके सम्बन्ध में इतना ही सूत्ररूप से निर्देश है कि नगर निवेश व्यापक भारतीय संस्कृति एवं विशाल भारतीय जीवन के ही अनुरूप हो । पश्चिमीय नगर-निवेश की जो स्फरेखा विकसित हुई है उसका पूर्ण रूप से अनुगमन (Copying) इस देश के लिये उपादेय एवं सफल नहीं हो सकता । हमारा रहन-सहन-आचार विचार, भोजन भजन, परिधान एवं पान, तथा परिवार एवं कुटुम्ब आदि वैसा ही नहीं हैं जैसा पश्चात्यों का अतः कोई भी नगर-निवेश जो इन सास्कृतिक, सामाजिक एवं परिवारिक घटकों का विचार नहीं रखता वह कल्प्याण कारक नहीं बन सकता ।

इसके अतिरिक्त भौगोलिक वातावरण—भूमि, जल, वायु, ऋतु, पादप, पुष्प, शाक एवं फल आदि भी तो सभी देशों के एक समान नहीं । अतः नगर-निवेश में सास्कृतिक एवं सामाजिक घटकों के अतिरिक्त भौगोलिक परिस्थियों का ध्यान भी आवश्यक है ।

चिरन्तन से इस देश में मानव का प्रकृति-सान्निध्य प्रसिद्ध रहा है । सरिता के कूल, पर्वत की उपत्यकायें अरण्य का एकत्र प्रदेश—विद्यार्जन, तवश्चरण एवं दर्शनातुसन्धान आदि के लिये इस देश की प्राचीनों ने सदैव तुमा । इसके अतिरिक्त इस देश की आवादी का बहुत बड़ा भाग ग्राम है । अतः ग्राम-सुधार के लिये नवीन नगर-निवेश में किसी न किसी समृद्ध ग्राम को निवेश विन्दु (Unit) मानकर इस देश में नव-नगरों की सृष्टि की जा सकती है । अतः जैसा पूर्व ही प्रतिपादित किया जा चुका है (दे. ग्राम-प्रमेद), भारत के राष्ट्रीय नगर-निवेश का प्रारम्भ गावों से करना चाहिये । विभिन्न महानगरों के समीप समृद्ध ग्रामों को चुनकर उनको शाखा-नगर (Branch-towns) के रूप में यदि हम निवेश करें तो बहुत बड़ी समस्या इल हो सकती है ।

हर्ष का विषय है इस और आधुनिक नगर-निवेश-विभाग (Town-planning Depts) अग्रसर हो रहे हैं । उत्तर-प्रदेश के कलिपय नगरों में इस प्रकार से शाखा-नगर योजनायें कार्यान्वित की जा री हैं (उदाहरण के माध्यम से महानगर-योजना — परन्तु ऐसी योजनाओं के कार्यान्वित होने में विलम्ब लगेगा । अतः इनको व्यापक बनाने के लिये नागर-

संभारो—पक्की सड़कों, बहु-द्रव्य-साध्य जलकल-न्यूवस्था एवं जल-निर्गम-व्यवस्था (pipe line & Drainage) तथा पक्के जन-भवन तथा सुसंस्कृत (Well laid) पुर-जन-विहार आदि को कुछ समय के लिये, जब तक यह देश विशेष समृद्ध नहीं हो जाता, स्थगित करना होगा ।

(अ) शाखा-नगर—

विभिन्न इतस्ततः फैले हुए समृद्ध ग्रामों के चुनाव से एवं वहा की सुलभ एवं स्वल्पव्यय-साध्य संभारों से अत्यावश्यक आधुनिक यातायात, सूचना, प्रसार एवं शिक्षा के साधनों से समन्वित कर 'शाखानगरों' के रूप में निवेश करने से हम द्रुतगति से नव-नगर-निवेश का राष्ट्रीय कार्य बढ़ा सकते हैं । इस प्रकार प्राचीनों का 'शाखानगरीय' सिद्धान्त (दे 'नगर प्रसेद' अ० ३, पु० नि० पू० पी०) आधुनिक नगर-निवेश के लिये बढ़ा उपादेय सिद्ध हो सकता है । परिचम के देशों ने भी इस सिद्धान्त को अपनाया है । लन्दन न्यूयार्क, वर्लिन, लेनिनगार्ड, मास्को आदि योरोपीय महानगरों के प्रत्येक के प्रायः प्रचुर-सख्यक शाखा-नगर देखने को मिलते हैं ।

इन शाखा-नगरों की द्रुतगति से स्थापना तभी सम्भव है जब हम एक ऐसी नगर-निवेश धारा (Town Planning Act) बनावे जिसके अनुसार वे लोग जिनका नगर से साक्षात्संबंध नहीं है, नगर में रहने के अधिकार से वंचित कर दिये जावें । ऐसे लोगों में रिटायर्ड, राजन्य (Princes) नवाच, मुसाहब, जमीन्दार ताल्लुकेदार आदि विशेष आपत्ति होते हैं जो अनायास ही अपने मनोरम शाल-भवनों (Villas) को बनाकर इन शाखानगरों की स्थापना में सहयोग दे सकते हैं । मत्स्यपुराण (अ० २१७) का यही मर्म है ।

प्राचीनों का यह 'शाखा नगर' शब्द बड़ा दी मार्मिक है । एक महानगर को यदि हम प्रकारण पादप का तना मानें तो उसके चतुर्दिक् इतस्ततः फैले हुए छोटे छोटे नगर (Suburbs) शाखानगर (Branch-towns) हुए, शब्दकल्पद्रुम ने प्राचीन वास्तु शास्त्रीय इसी दृष्टि के अनुरूप 'शाखानगर' की निम्न परिभाषा दी है:—

मूलनगरेऽसमितस्य जनौघस्य स्थानाय मूलनगरस्य समीपे अङ्के वा या यदःयद् पुरं
नगरान्वरं क्रियते तत् शाखानगरं मूलनगरस्य तरस्थानीयस्य शाखेव ।

इस प्रकार ये शाखानगर न केवल नगर की आवादी की बाढ़ को ही रोकेगे और यदि आकस्मिक संकान्ति के समय ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो प्रधान नगर की आवादी को आत्मसात करने में ही सर्वथा न होंगे बरन् उस महानगर के, जिसके किये छोटे छोटे नगर, शाखा-नगर है, प्रसार में भी सहायक बन सकते हैं ।

इसी सिद्धान्त को और आगे बढ़ाइये तो इन शाखा नगरों के 'पल्लेव प्राम' की शृंखला भी बाधी जा सकती है जो कालान्तर में नगर एवं जनपद को जोड़ने में ही नहीं कृतकाय होंगी बरन् नगर के आधुनिक सुलभ साधन—सुविधापूर्ण यातायात, सुलभ सूचना एवं शिक्षा तथा आमोद प्रमोद के विभिन्न उपकरण—प्रेक्षागृह, नाव्यशालायें, चित्रगृह आदि सर्वत आवाद तथा नावे शिष्ठे सार्वत तथा तेजी ।

किसी भी राष्ट्र के प्रजातन्त्रात्मक राज्य के सुसंचालन के लिये भी परमोपयोगी सिद्ध हो सकता है। नगर एवं जनपद (नगर को छोड़कर अवशेष देश 'जनपद' के नाम से पुकारा गया है—नगरं वर्जयित्वान्यत् सर्वं जनपदः स्मृतः स-सू-१८-७६) दोनों को जोड़ने का यही परम साधन है, जो जनतन्त्र का साध्य है।

(ब) केन्द्र-निवेश

इस उपर्युक्त शाखा-नगरीय व्यापक सिद्धान्त के अतिरिक्त नव-नगर-निवेश के सम्बन्ध में एक दो और तथ्यों का संकेत आवश्यक है। इन शाखानगरों के रूप में इन नवीन नगरों का निवेश-विन्दु केन्द्रस्थ कोई तरु-वीथी अथवा प्रकारण पादप, तड़ाग अथवा सभा-मण्डप (जो आजकल के टाउन-हाल के रूप में परिकल्पित किया जा सकता है 'प्रजातंत्र' में टाउन हाल ही सबसे बड़ा टेम्पिल—प्राचीनों का देवतायतन है) अथवा पुरजविहारोद्यान होना चाहिये। ये सभी प्रकृति-सुलभ हैं। विशेष व्यय-साध्य भी नहीं हैं। अतः कुत्रिम वड़ी वड़ी इमारतों के स्थान पर इन स्वल्प व्यय-साध्य निवेशों के द्वारा हम कार्य प्रारम्भ कर सकते हैं। पीछे 'पुर-वस्ति' नामक अध्याय के विभिन्न-कोटि निवेश-पद्धतियों के परिशीलन से केन्द्र-निवेश की यह प्राचीन परिपाठी का हम आधुनिक नगर-निवेश में अनुगमन कर सकते हैं।

(स) पद-विन्यास—

आधुनिक नगर-निवेश की रूपरेखा में जोनिंग-प्रक्रिया के सिद्धान्त की समीक्षा इस अध्याय के पूर्वार्ध में हो चुकी है।

आधुनिक नगर की यह जोनिंग-पद्धति प्राचीनों के 'पद-विन्यास' के सिद्धान्त का एक मात्र संस्करण है। दुर्भाग्यवश हमारे देश के बहुसंख्यक नगरों एवं महानगरों में पद-विन्यास का सर्वथा अभाव पाया गया है। अतः नव-नगरों के निवेश में नगर-वस्ति के निवेश में पद-विन्यास का (zoning method) पूर्ण विचार रखना होगा। इस पद्धति का प्रयोजन यह है कि नगर को विभिन्न पदों (blocks) में वाटकर प्रत्येक पद पर जो वस्ति आदिष्ट हो उसमें रहने वाले समान-धर्मी एवं समान-कर्मी के साथ-साथ सतीर्थ एवं सजातीय भी हों। भले ही प्राचीनों की वर्णाश्रम-पद्धति के अनुरूप यह विभाजन न हो परन्तु यदि पद-वस्ति में एक-वर्गीयता हो तो उससे सहयोगिता, सहाध्यवसायिता एवं पारस्परिक आदान-प्रदान, व्यवहार एवं वर्ताव में सूर्ति एवं प्रेरणा अवश्य प्राप्त हो सकती है। इसी को आजकल की भाषा में (Colonisation) के नाम से पुकार जाता है—मजदूर-कालोनी, टीचर-कालोनी, सेक्रेटेरियट-कालोनी आदि आदि। प्राचीनों का पद-विन्यास वर्णाश्रम-व्यवस्था से अनुप्राणित था। आधुनिक नगर-निवेश में उसे एक-वर्गीयता की आधार-शिला पर खड़ा किया जा सकता है, जो जनतन्त्र के लिये बड़ा ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है तथा जिससे सामूहिक कार्य करने की प्रेरणा भी मिल सकती है।

(य) शाल-भवन—

केन्द्र-निवेश एवं पद-विन्यास के सिद्धातों के अनुगमन के साथ-साथ माग-विनिवेश पर कुछ समीक्षण आवश्यक था, परन्तु वह तो पिष्ट-पेषण ही है। प्राचीनों एवं नवीनों दोनों की पद्धतियों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। उसमें नगरानुरूप परित्वं एवं संस्करण सर्वदा किये ही जा सकते हैं। परन्तु आजकल के संकटापन्न परिस्थिति में एक महत्वपूर्ण समस्या नवीन-गृह-निर्माण-योजना है। प्रायः बड़े-बड़े नगरों की नगरपालिकायें इस ओर वहुद्रव्य-साध्य भवन-मालिकाओं का निर्माण करा रही हैं। विभिन्न राज्यों की सरकारें भी अपने-अपने वार्षिक बजटों में इस कार्य के लिये धन सुरक्षित कर रही हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि इस महादेश की महत्वी जनसंख्या के निवासार्थ पक्षे मकानों के निर्माण में वहुत बड़ी रकम चाहिये जो साध्य नहीं है। अतः समराङ्गण के शाल-भवनों, जिनके निर्माण में प्राकृतिक, उस सुलभ भवन-सामग्री की ही प्रधानता रहती है, जो स्थान-स्थान पर सुविधा से पायी जाती है, का अद्वीकरण हमारी इस राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति में योग दे सकती है। अथवा, जैसा हम आगे 'भवन' पटल में इन शाल-भवनों की समीक्षा में देखेंगे, इन भवनों में सुलभ वन्य-दारु (पेड़ों की लकड़ी) से ही विभिन्न भवनाग—स्तम्भ एवं छाद (छतें) आदि विनिर्मित हो सकते हैं। साथ ही साथ लकड़ी की छतें पक्की छतों की अपेक्षा उपर-प्रधान इस देश के निवासियों के बासयोग्य भी विशेष हैं। शाल-भवनों के रेखा-चित्र (Plans) तथा अन्य शात्रव्य पर विशेष समीक्षा का यहा पर अवसर नहीं है।

नगर-सुधार एवं नगर-संदर्भ

नगर-निर्माण के क्तिपय प्राचीन नियमों के उल्लेख के उपरात श्रव नगर-सुधार में प्राचीनों की पद्धति क्या थी और क्या उससे आधुनिक नगर सुधार में कुछ सहायता मिल सकती है—इस सम्बन्ध में इतना ही संकेत पर्याप्त है कि प्राचीन मारत में नगर-सुधार के लिये राज्य की ओर से एक पृथक् विभाग होता था। श्री वी. वी. दत्त महाशय अपनी पुस्तक—'प्राचीन भारतीय नगर-निवेश' में लिखते हैं—'यद्यपि आधुनिक सुव्यवस्थित एवं सुमंचालित नगर सुधार विभागों के समकक्ष प्राचीनों के इन विभागों का लेखबद्ध इतिहास नहीं प्राप्त होता है तथापि विभिन्न एतद्विपयक सकेतों में वह अनुमान लगाना एवं निष्कर्ष निकालना असगत न होगा कि प्राचीन भाल एवं मध्यकाल में राजा के विभिन्न अधिकारियों में स्थपति एवं उसके विभिन्न सहयोगी आधुनिक नगर-निवेश-मण्डल (Town Planning dept) के अग्रदूत (Prototype) कहे जा सकते हैं। प्राचीन गिर्य-गांठों के व्यापक एवं विस्तीर्ण तथा सागोपाग नगर-निवेश-सिद्धातों—पद-विन्यास, मार्ग विन्यास, जनवीवी, राजहर्ष, सभाभवन, पुरजनविहार, आगम, देवतायतन, वापी, कृष्ण तड़ाग आदि के निवेश-नियमों के साथ साथ न्वन्तु प्रकाश एवं स्वन्दृन्द समीर के भवन-निवेश-नियम, दो भजनों का परस्पर अवकाश, भवनों के भूमिका - कल्पन-नियम आदि से वही निकर्ष निकलेगा कि भवन-रचना में तथा नगर-निवेश में राज्य की ओर से पूर्ण उत्तरदायित्व निभाया जाता था तथा उनपर पूर्ण प्रतिवन्ध एवं वाइलाजों के द्वारा पूर्ण शासन भी था यद्य जभी हो सकता था जर राज्य की ओर से इस परमोपरोगी विभाग के लिये

बहुसंख्यक पदाधिकारी हों। स्थपति तो था ही उसके सहायक इज्जीनियर और ओवरसियर भी थे जो सूत्रग्राही आदि स्थपति-कौटियों से अनुमेय हैं। ये सब कर्मचारी गृहाधिपति राजामात्य के अधीन रहते थे। शुक्रनीतिसार में इन, और पूर्ण निर्देश मिलता है। नगर की परिवाओं, प्राकारों आदि की निगरानी की पूर्णव्यवस्था थी। अतः निश्चय ही उस अतीत में भी पुर-निवेश का सुरक्षातित विभाग था।

अतः प्रकट है नगर-सुधार के लिये राज्य की ओर से एक स्थायी विभाग होना चाहिये। योरोप के समृद्ध सभी राज्यों में नगर-निवेश विभाग बहुत काल से काम कर रहे हैं। नव भारत में भी विभिन्न प्रान्तीय सरकारें इस दिशा में जागरूक दिखाई पड़ती हैं तथा नगर-निवेश विभाग स्थापित किये गये हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में यह विभाग विशेष जागरूक है। अतः नगर-सुधार के लिये आज कल देश में विभिन्न योजनाओं (Master Plans) का निर्माण किया जा रहा है। विशेष कर महानगरों की महत्वीय योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये विशेष प्रयत्न किये जारहे हैं परन्तु सफलता अभी दूर प्रतीत हो रही है।

नगर-सुधार का कार्य नगर-संहार पर आश्रित है। महानगरों की उपकरण भूमियों पर शाखा-नगरों के स्थापन से ही नगर-सुधार नहीं सम्पन्न हो सकता है। नगराभ्यन्तर संकीर्ण पद्धारों, जर्जर भवन-वृथियों, अखच्छ वसतियों, मजदूरों के अति संकीर्ण कुटीरों (Slums) का जब तक संहार नहीं किया जाता तब तक नगर-सुधार क्षेत्र हो सकता है। अतः नगर-संहार नगर-सुधार के लिये परमावश्यक है।

नगर-संहार-जन्य नागरिकों की नव-वसति-निवेश के लिये शाखा-नगरों का निर्माण अपनाया ही जा सकता है साथ ही साथ प्राचीनों के कर्तिपय नियम भी कार्यान्वित किये जा सकते हैं।

मत्स्यपुराण के नगर की आवादी के नियमन का नियम निर्दिष्ट किया जा चुका है। देवीपुराण के अनुसार प्रकृतियों (निम्नवर्गीय जनता—मेहतर, धोदी आदि) के निवास-कुटियाँ नगर के बाह्य भाग पर विन्यस्त करना चाहिये। सर्वमौम जन-तन्त्रवाद में यद्यपि प्रत्येक देशवासी का राजनैतिक अधिकार समान है परन्तु मानवता कभी भी एक समान नहीं पनप सकती। वंश Hereditary, बातावरण, व्यवसाय (पेशा) आदि के आधार-भूत घटकों की पृष्ठ-भूमि पर पनपी मानवता समान-धार्मियी कैसे हो सकती है। अतः यदि नगर-निवेश को सुरक्षित एवं सुनियोजित बनाना है तो कोई न कोई आन्तर-योजना Bifercation स्वीकार ही करना पड़ेगा।

नगर के बाह्य भाग पर विन्यस्त इन शाखा-नगरीय वसतियों को सभी सुविधायें प्रदान करना चाहिये जिससे किसी को असन्तोष न रहे, शिकायत की गुजाइशा न रहे। देवीपुराण के अनुरूप ही मयमुनि का भी मत है। नगर के बाह्य भाग पर प्रतिष्ठापित ऐसे उप-नगरों की संज्ञा प्राचीनों ने 'वाहिरिका' दी है।

नगर-सुधार में प्राचीनों का एक दूसरा अनुगमन हम यह कर सकते हैं कि विभिन्न नगरों के विभिन्न प्रयोजनों के स्वरूप-निर्धारण पर विशेष ध्यान दें। जिस

किसी भी नगर को हम विश्वविद्यालयीय नगर अथवा व्यावसायिक-नगर नहीं बना सकते । सभी नगरों में मिलों की स्थापना कदापि आदेश्य नहीं । प्राचीनों के पुर-प्रसेद नगर, पत्तन, पुष्टभेदन, खेट, खर्वाट, निगम का यही रहस्य था कि नगरों का निवेश नगर-प्रयोजन पर आधारित रहता था । हम भी अपनी नगर-निवेश-धारा के अनुसार यह निश्चित कर दें कि किसी राज्य-विशेष में कौन से नगर किस प्रयोजन का विशेष सम्पादन कर सकते हैं । उन्हीं की आधार-शिला पर नगर-मुखर अथवा नगर-प्रसार प्रारम्भ करना चाहिये ।

प्राचीन काल एवं पूर्व तथा उत्तर मध्यकालों में नगर-मुखर के कार्य इसी प्रकार से वैशानिक ढंग से वर्ते जाते थे । श्री वी वी दत्तमहाशय ने अपने ग्रन्थ में (T. P. in Ancient India Ch. VII) इस विषय की अच्छी समीक्षा की है । प्राचीनों ने क्या किया वैसा किया—यह सब हमारा पथ-प्रदर्शन कर सकता है । हम को अपनी नवीन आवश्यकताओं एवं नवीन युग के अनुरूप उनमें संस्करण, परिवर्तन एवं सवर्धन करके अपने देशकी निवेश-योजना बनानी चाहिये ।

अन्त में एक निर्देश यह है कि नगर-निवेश एक कला है । कला में चारूता का सन्निवेश अनिवार्य है । अतः नगर-निवेश में चारूता के लिये केन्द्र, चतुष्पथ एवं चारों दिशाओं एवं चारों उपदिशाओं में किसी न किसी वास्तु-भूपा की अवश्य संयोजना करनी चाहिये ।

केन्द्र में तड़ाग, पुष्करिणी अथवा उद्यान या पुर-जन-विहार या देवतायतन या किर टाउनहाल ही सही विनिवेश्य हैं । मार्ग-चतुष्पथों पर कोई न कोई नगरानुरूप भव्याकृति विहित है । अथवा पुर की आठों दिशाओं में पुर-द्वारों City gates के समान कोई न कोई वास्तु-भूपा प्रदान करनी चाहिये । वर्म्बैं की शोभा इन्डियागेट है । अतः इस किञ्चकर सकेत से विज्ञ आधुनिक नगर-निवेशक घटाव बढ़ाव से इस दिशा में अवश्य इत्तकार्य हो सकते हैं ।

पूर्व-पीठिका की आधार-शिला पर प्रतिष्ठापित 'एवं उत्तर-पीठिका' के विभिन्न नागरिक उपकरणों की मध्याकृतियों से प्रदोत्ति नगर-निवेश का जो स्वरूप विकसित हुआ उसके उपरसंहार में केवल इतना ही यहाँ पर संकेत पर्यास होगा कि नगर-निवेश का जहाँ विभिन्न भौतिक उपकरणों—पद-विन्यास, मार्ग-निवेश, रथ्या-विभाग, स्थान-विभाग, देवता-यतन एवं रक्षा-संविधान तथा आकार-विधान आदि—के द्वारा उसके भव्य कलेवर का निर्माण होता है ब्रह्मो उस पार्थिव कलेवर में सास्कृतिक ज्योति पुङ्ग के प्रकाश से उसका आध्यात्मिक कलेवर निष्पक्ष होता है। गन्ध-विहीन पुष्प की कथा कीमत १ संस्कृति-विहीन कोई भी मानवीय व्यापार क्या कभी कल्याण का विधायक बन सकता है। अतः नगर-निवेश तब तक अपूर्ण ही कहा जावेगा जब तक नागरिकों एवं नागरिता का पूर्ण उसमें योग न हो। अच्छे नागरिक सुनिविष्ट नगर की श्रीवृद्धि करते हैं। बुरे नागरिक, गुर्दे नागरिक, असंस्कृत एवं अशिक्षित नागरिक उसका स्वरूप ही विगाड़ देते हैं। मार्गों की सफाई, नालियों की स्वच्छता एवं असंकीर्णता, पुरजन-विहारों एवं जन-भवनों (Public Places) की रक्षा आदि के प्रति जब तक नागरिक सचेष्ट एवं जागरूक नहीं रहते तब तक नगर नगर नहीं रह सकता।

अथव कोई भी मानव-वसति जब तक सहयोगिता, साहचर्य एवं सहाध्यवसाय के उदात्त मानवीय व्यापारों के सहारे नहीं प्रतिष्ठित है तब तक उस मानव-वसति की उन्नति असंभव्य है। इसी को नागरिकता कहते हैं। नागरिकता के भावों का उदय ही महानगरों की सृष्टि है। नागरिकता ही आधुनिक जनतंत्रवाद की जननी है। अतः जनतंत्रात्मक समाज की सुरक्षा के लिये नागरिकता के भावों की दैनंदिन वृद्धि होनी चाहिये। नगर-निवेश के सास्कृतिक पक्ष के इसी दृष्टिकोण से इमने उत्तर-पीठिका के विषय-प्रवेश में नागरिक-सम्यता से सम्बन्धित अथवा नागरिकता के प्रतीक विभिन्न सास्कृतिक कलाओं की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया था।

यद्यपि विभिन्न-वर्गीय नगरों (जैसे विद्यापीठीय नगरों—University towns व्यावसायिक नगरों—Commercial towns राजपीठीय नगरों—Capital towns, स्वास्थ्य-पीठों—Health resorts आदि) की अपनी-अपनी संस्कृति एवं वैयक्तिकता अलग होती हैं, तथापि इन सभी में जो एक मामान्य विशेषता होती है उसे ही नागरिकता कहते हैं।

वास्तव में नगर नागरिकों का प्रतीक है तथा विभिन्न युगों के सास्कृतिक, राजनैतिक एवं धार्मिक तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक नवचेतनाओं एवं जागृतियों के ही अनुरूप नगरों का भी विकास हुआ। नगर नागरिकों एवं नागरिकता के स्थावर महाचित्र हैं। साहित्य यदि समाज का दर्पण है तो नगर मी नागरिकों के मन-मुकरों के पूर्ण प्रतिविम्ब हैं। नगर-

विकास मानव-सम्यता के विकास की खुली पुस्तक है। अतः मानव-सम्यता के विकास के इस महासोपान के निर्माण में, रक्षण एवं संवर्धन में प्रत्येक नागरिक के योग दान की अनिवार्यता पर दो रायें नहीं हो सकतीं ?

भारत के प्राचीन नगर-निवेश की जो रूपरेखा प्राचीनों ने निर्मित की उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति सर्वत्र समान रूप से पाई जाती है। कौटिल्य का व्र्यष्टि-शास्त्र (ईसा से लगभग चार सौ वर्ष प्राचीन) वाल्मीकि की रामायण (और भी अधिक प्राचीन) वाणि की कादम्बरी (ईसवीय पष्ठ शतक) आदि सभी प्राचीन साहित्यिक स्रोतों में ही नहीं प्राचीन मग्नावशेषों में भी नगर-निवेश की एक सामान्य परम्परा पर प्रकाश पड़ता है।

अतः आधुनिक नगर-निवेश का, देश एवं समाज की विभिन्न नैसर्गिक एवं अनेमर्गिक परिस्थितियों एवं प्रष्टृतियों के अनुरूप, स्वरूप-स्थिरीकरण परमावश्यक है।

विगत अध्याय (प्राचीनों की देन) में नगर-निवेश के कतिपय प्राचीन सिद्धान्तों का दिग्दर्शन किया गया है। उनके अपनाने से एवं आधुनिक नगर-निवेश के उदीयमान अनुकूल निवेश-सिद्धान्तों (Planning Canons) के भी आदान से हम एक अपनी पढ़ति निर्माण कर सकते हैं जिसमें अपनी आत्मा की रक्षा करते हुए शरीर की भूपा में आधुनिक उपकरणों के द्वारा संयोग एवं समावेश भी कर सकते हैं।

भारतीय नगर-निवेश की जो पढ़ति निर्मित हो उसमें भारतीय आत्मा के अनुरूप रक्षण की ओर पूर्ण अवकाश हो तथा वह पढ़ति सच्ची हो (अपनी संस्कृति के प्रति) कल्याण-दायिका हो (अपने वर्तमान के लिये) तथा सुन्दर हो (दूसरों के अनुकरण के लिये और अपने सुख के लिये भी)। सत्यं, शिवं, सुन्दरं का यही मर्म है।

परिशिष्ट

- अ. पुर के रेखा-चित्र
- ब. समराङ्गण-वास्तु-कोष की रूप-रेखा
- स. ग्रन्थ के अवतरण (संक्षिप्त-समराङ्गण)

विकास मानव-सम्यता के विकास की खुली पुस्तक है। अतः मानव-सम्यता के विकास के इस महासोपान के निर्माण में, रक्षण एवं संबर्धन में प्रत्येक नागरिक के योग दान की अनिवार्यता पर दो रायें नहीं हो सकतीं ?

भारत के प्राचीन नगर-निवेश की जो रूपरेखा प्राचीनों ने निर्मित की उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति सर्वत्र समान रूप से पाई जाती है। कौटिल्य का अर्य-शास्त्र (ईसा से लगभग चार सौ वर्ष प्राचीन) वाल्मीकि की रामायण (और भी अधिक प्राचीन) बाण की कादम्बरी (ईसवीय षष्ठ शतक) आदि सभी प्राचीन साहित्यिक स्रोतों में ही नहा प्राचीन मन्त्रावशेषों में भी नगर-निवेश की एक सामान्य परम्परा पर प्रकाश पड़ता है।


अतः आधुनिक नगर-निवेश का, देश एवं समाज की विभिन्न नैसर्गिक एवं अने-सर्गिक परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों के अनुरूप, स्वरूप-स्थिरीकरण परमावश्यक है।

विगत अध्याय (प्राचीनों की देन) में नगर-निवेश के कठिपय प्राचीन सिद्धान्तों का दिग्दर्शन किया गया है। उनके अपनाने से एवं आधुनिक नगर-निवेश के उदीयमान अनुकूल निवेश-सिद्धान्तों (Planning Canons) के भी आदान से हम एक अपनी पद्धति निर्माण कर सकते हैं जिसमें अपनी आत्मा की रक्षा करते हुए शरीर की भूषा में आधुनिक उपकरणों के द्वारा संयोग एवं समावेश भी कर सकते हैं।


भारतीय नगर-निवेश की जो पद्धति निर्मित हो उसमें भारतीय आत्मा के अनुरूप रक्षण की ओर पूर्ण अवकाश हो तथा वह पद्धति सच्ची हो (अपनी संस्कृति के प्रति) कल्याण-दायिका हो (अपने वर्तमान के लिये) तथा सुन्दर हो (दूसरों के अनुकरण के लिये और अपने सुख के लिये भी)। सत्यं, शिव, सुन्दरं का यही मर्म है।

(९१६)

स्वस्तिक




पद्मश




(२१६)

नन्द्यावर्त (चतुरश्र)



नन्द्यावर्त (वर्तुल)



परिशिष्ट (ब)

समराङ्गण-वास्तु-कोष


रूपरेखा (out-line)

समीक्षा-पद्धति (दे० अ० १ वा० वि० प्र० प०) में हमने यह संकेत किया था कि एक वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थ का पूर्ण अध्ययन तभी सम्भव है जब उसकी व्याख्या वास्तु-कला के निर्दर्शन-स्मारकों से समन्वित हो। शास्त्र एवं कला-दोनों का समन्वय—यही आदर्श अध्ययन है।


तुर्भाग्यवश हमारे देश में स्थापत्य-परम्परा विद्वान् स्थपतियों के हाथ में न रहकर अपहृत कारीगरों की सम्पत्ति बन गयी है। कला में वे अवश्य अब भी निष्पात हैं, परन्तु शास्त्रज्ञान-शून्य। पुनश्च जो स्थापत्य-कौशल उत्तर-मध्य-काल तक इस देश की महाविभूति रही वह अब लुप्त-प्राय सी हो गयी है। वास्तु-शास्त्रों शतशः में ऐसे परिभाषिक शब्द भरे पड़े हैं जिनका अर्थ लगाना बड़ा ही कठिन अनुसन्धान है। प्रासाद-रचना को ही लीजिये। प्रासाद के विभिन्न अंगों, उपांगों, भूपर्णणों एवं भूषाओं के साथ-साथ उसके आधार एवं आवेद, प्रदक्षिणा एवं सहायक-संस्थानों (मरणप्रादि अथवा गोपुर आदि) के शतशः ऐसे शब्द हैं जिनका मर्म समझना बड़ा कठिन हो गया है। अतः भारतीय-विज्ञान के इस विशाल एवं अप्रतिम क्षेत्र—वास्तु-शास्त्र एवं वास्तुकला—के अनुसन्धान, गवेषण एवं चिन्तन तथा मनन में इन परिभाषिक वास्तु-शब्दों का अर्थानुसन्धान एवं निर्मितियों का समन्वय-विधान एक अत्यन्त उपयोगी एवं महत्वपूर्ण अन्वेषण है। वास्तु-तत्त्व-शोध का यह कार्य एकआध व्यक्ति का काम नहीं। इस ओर विचक्षण विद्वान् जमी अग्रसर हो सकेंगे जब ऐसे शोध को राज्य एवं समाज-दोनों की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हो सके। तब भी, जो इस शास्त्र के जिज्ञासु अनुमन्धानकर्ता हैं, उनका पथ-प्रदर्शन इस अन्धकाराद्वारा, गम्भीर एवं दुस्तर वास्तु-महासागर के संतरण में कुछ न कुछ तहायक अवश्य हो सकेगा—भले ही गहराई का पता न लगे अथवा 'रत्नाकर' के रत्न भी न हाथ लग सकें।

डा. प्रसन्नकुमार आचार्य ने इस दिशा में अपना वृहद्कोष (Encyclopaedia of Hindu Architecture) लिखकर स्तुत्य प्रयत्न किया है। डा० साहव का कार्य दक्षिणी वास्तु-विद्या के प्रतिनिधि ग्रन्थ 'मानसार' (दे० वा० वि० प्र० प० अ०२) शिल्प-शास्त्र के वास्तु-शब्दों तक ही विशेष सीमित है—यद्यपि विभिन्न अन्य ग्रन्थों में उन शब्दों के जो अर्थ अथवा वोद्द्य पदार्थ संकेतित हैं—उनके भी पुश्त सन्दर्भ दिये गये हैं—साथ ही साथ अन्य साहित्यक, शिलालेखीय एवं स्मारक-निवन्धनीय सामग्री का भी पूर्ण उपयोग किया गया है। तथापि यह कहना असगत न होगा कि भारतीय वास्तु-शास्त्र की एतद्विषयक सामग्री, एक बड़ी मात्रा में, अब भी अनुसन्धातव्य है। एकमात्र 'समराङ्गण-सूचबार', जिने हमने उत्तरी वास्तु-विद्या का प्रतिनिधि ग्रन्थ माना है, के परिसीलन से शतशः ऐसे वास्तु-शब्द मिले हैं जिनका डा० साहव के कोप में कोई संकेत नहीं है। इन शब्दों की सूची तथा संकेतितार्थ एवं वोद्द्य पदार्थ पर आगे के

कार्मुक



प्रस्तर



इस ग्रन्थ का विषय वास्तु-विद्या एवं पुर-निवेश से सीमित होने के कारण इनके आनुपङ्क्ति कारणो—वास्तु-कारण एवं पुर-कारण की एक अतिसंक्षिप्त रूप-रेखा का यहाँ पर दिग्दर्शन मात्र अभीष्ट है। विशेष प्रयत्न समराङ्गण-वास्तु-कोष के स्वतन्त्र ग्रन्थ में द्रष्टव्य होगा।

वास्तु-कारण

स्थापक वर्ग—व्रह्मा—वास्तु-विद्या

विश्वकर्मा—प्रथम आचार्य, प्रथम स्थपति

पृथु—संरक्षक राजा

महासमा—पृथ्वी—आधार

विजय, जय, सिद्धार्थ, अपराजित—

विश्वकर्मा के मानस-पुत्र जो स्थपतियों के चतुर्वर्ग के प्रतीक हैं।

(Prototypes of the different orders of architects)

स्थपति-वर्ग—स्थपति

देह स्थपति एवं स्थापत्य वा. विं. प्र. प. श्र० ६

तद्वक	”	”	”	”	”	”
-------	---	---	---	---	---	---

वर्धकि	”	”	”	”	”	”
--------	---	---	---	---	---	---

सूत्र-आहिन्	”	”	”	”	”	”
-------------	---	---	---	---	---	---

स्थापत्य-वर्ग—

अष्टाग-स्थापत्य

देह स्थपति एवं विस्तार वा. विं. प्र. प. श्र० ५

वास्तु-वर्ग—वास्तुशास्त्र

देह स्थपति एवं विस्तार वा. विं. प्र. प. श्र० ५

वास्तुविद्या	”	”	”	”	”	”
--------------	---	---	---	---	---	---

वास्तु-कला	”	”	”	”	”	”
------------	---	---	---	---	---	---

वास्तु-पद	देह	पद-विन्यास	पु०	नि०	उ०	पी०	श्र०	३
-----------	-----	------------	-----	-----	----	-----	------	---

वास्तु-पद-विन्यास	”	”	”	”	”	”	”	”
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

वास्तु-पद-देवता	”	”	”	”	”	”	”	”
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---

वास्तु-पुरुष	”	”	”	”	”	”	”	”
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---

वास्तु-पुरुषाङ्गदेवता	”	”	”	”	”	”	”	”
-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

वास्तु-देवता-निवरण	”	”	”	”	”	”	”	”
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

वास्तु-संस्थान-मातृका	”	”	”	”	”	”	”	”
-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

वास्तु-परम्पराये	देह	वा०	वि०	प्र०	प०	श्र०	३
------------------	-----	-----	-----	------	----	------	---

वास्तु-ग्रन्थ	”	”	”	”	”	”	”	”
---------------	---	---	---	---	---	---	---	---

क्षेत्रवास्तु-ग्रन्थ

क्षेत्र ठि० १—वास्तु-ग्रन्थों में सर्वप्रथम मंकीर्तन श्रवणवेद, जिसका वास्तुशास्त्र उपवेद है (देह वा० वि० प्र० प० श्र० ६), का होना चाहिये। पुनः व्राजाण-ग्रन्थों का

विभिन्न पटलों—भवन, राजहर्ष, प्रासाद, प्रतिमा, चित्र—में यथासाध्य प्रयत्न किया जावेगा । डा० आचार्य के कोष में लगभग डेढ़ हजार वास्तु शब्दों की व्याख्या है । भारतीय वास्तु-शास्त्र में लगभग दस हजार शब्द हैं जिनमें प्रतिमा-विज्ञान, चित्रकला, यंत्रकला, विभिन्न शैलियों के प्रासाद (मन्दिर) एवं सर्वविधि भवन—सभी का समावेश है । यह कार्य साधारण रूप से साध्य नहीं है । बड़े व्यय, अनुसन्धान-कौशल एवं धैर्य की आवश्यकता है तथापि इस महाकार्य में योग देने के लिये कम से कम एक एक ग्रन्थ के अनुसन्धान से जो शब्द-रूप हाथ लगें उनकी व्याख्या तो बाढ़ित ही है ।

अतः लेखक ने भी इस ओर अग्रसर होने की ठानी है । प्रश्न यह है कि इस दिशा में प्राचीनों एवं अर्वाचीनों की शब्द-संकलन की दो पद्धतियों में से कौन सी अपनानी चाहिये । हम जानते ही हैं हमारे देश के प्राचीन कोषकारों—यास्क तथा अमर आदि ने अकारादि (Alphabetical) क्रम से शब्द-संकलन एवं उनका अर्थानुसन्धान नहीं किया । उनकी शब्द-संकलन-शैली विषयानुषङ्गिका हैं । विषयानुरूप शब्द-संकलन है न कि अकारादि क्रम । साधारण-शब्द-सूची में अकारादि-क्रम वर्तना तो अच्छा है—इससे किसी का भी वैमत्य नहीं हो सकता, परन्तु शास्त्रीय शब्दों की व्याख्या अकारादि क्रम से न तो वैज्ञानिक ही है और न सौविध्य-पूर्ण । उदाहरण के लिये पुर के रक्षा-संविधान के जो प्राकारादि के प्रधान अंग हैं उनमें अद्वालक को ‘अ’ वप्र को ‘व’ तथा चरिका को ‘च’ ‘परिखा’ और ‘प्राकार’ को ‘प’ में संकलित करना कहाँ तक वैज्ञानिक है—यह समझने में देर न लगेगी । अतः यदि रक्षा-संविधान के प्रधान अङ्ग—परिखा, वप्र, प्राकार द्वार, गोपुर, अद्वालक, चरिका आदि सभी की एकत्र व्याख्या मिल सके तो ज्ञानार्जन में बड़ा सौविध्य प्राप्त हो सकेगा । इसी प्रकार प्रासाद की व्याख्या में ‘प्रासाद’ के विभिन्न निवेशयों को प्रथम प्रधान वर्गों में विभाजित करना होगा पुनः उनके अंगों, उपाङ्गों, अन्तरंगों एवं सहायकाङ्गों पर क्रमिक प्रकाश पढ़ने से वह पूरी की पूरी प्रासादवास्तु-परम्परा सहज बोधगम्य बन सकती है । इसी प्रकार शिला, स्तम्भ, भवन, मरणप, शिखर एवं छायादि विभिन्नवर्गीय वास्तु-तत्त्वों की व्याख्या एवं सभीक्षा दोनों ही सम्मादित हो सकती है ।

इसी दृष्टि-कोण से लेखक ने अपने इस प्रयत्न को निम्नलिखित आठ प्रधान ‘कारणों’ में विभाजित किया है जो क्रमशः अपने-अपने अध्ययन-‘पटलों’ में व्याख्येय हैं:—

१. वास्तु-कारण
२. पुर-कारण
३. भवन-कारण
४. यंत्र-कारण
५. प्रासाद-कारण
६. प्रतिमा-कारण
७. चित्र-कारण
८. मिश्र-कारण

इस ग्रन्थ का विषय वास्तु-विद्या एवं पुर-निवेश से सीमित होने के कारण इनके आनुपङ्क्ति कारणो—वास्तु-कारण एवं पुर-कारण की एक अतिसंक्षिप्त रूप-रेखा का यहाँ पर दिग्दर्शन मात्र अभीष्ट है। विशेष प्रयत्न समराङ्गण-वास्तु-कोष के स्वतन्त्र ग्रन्थ में द्रष्टव्य होगा । . .

वास्तु-कारण

स्थापक वर्ग—ब्रह्मा—वास्तु-विद्या

विश्वकर्मा—प्रथम आचार्य, प्रथम स्थपति

पृथु—संस्कृत कर्ता

महासमा—पृथ्वी—आधार

विजय, जय, सिद्धार्थ, अपराजित—

विश्वकर्मा के मानस-पुत्र जो स्थपतियों के चतुर्वर्ग के प्रतीक हैं ।

(Prototypes of the different orders of architects)

स्थपति-वर्ग—स्थपति	दे०	स्थपति एवं स्थापत्य वा. वि. प्र. प. अ० ६
---------------------------	-----	---

तत्त्वक	”	”	”	”	”	”
---------	---	---	---	---	---	---

वर्धकि	”	”	”	”	”	”
--------	---	---	---	---	---	---

सून-ग्राहिन्	”	”	”	”	”	”
--------------	---	---	---	---	---	---

स्थापत्य-वर्ग—

अष्टाग-स्थापत्य	”	”	”	”	”	”
-----------------	---	---	---	---	---	---

वास्तु-वर्ग—वास्तुशास्त्र	दे०	विषय एवं विस्तार वा. वि. प्र. प. अ० ५
----------------------------------	-----	--

वास्तुविद्या	”	”	”	”	”	”
--------------	---	---	---	---	---	---

वास्तु-कला	”	”	”	”	”	”
------------	---	---	---	---	---	---

वास्तु-पद	दे०	पद-विन्यास	पु०	नि०	उ०	पी०	अ० ३
-----------	-----	------------	-----	-----	----	-----	------

वास्तु-पद-विन्यास	”	”	”	”	”	”	”
-------------------	---	---	---	---	---	---	---

वास्तु-पद-देवता	”	”	”	”	”	”	”
-----------------	---	---	---	---	---	---	---

वास्तु-पुरुष	”	”	”	”	”	”	”
--------------	---	---	---	---	---	---	---

वास्तु-पुरुषाङ्गदेवता	”	”	”	”	”	”	”
-----------------------	---	---	---	---	---	---	---

वास्तु-देवता-निवरण	”	”	”	”	”	”	”
--------------------	---	---	---	---	---	---	---

वास्तु-संस्थान-मातृका	दे०	वा०	वि०	प्र०	प०	अ०	३
-----------------------	-----	-----	-----	------	----	----	---

वास्तु-परम्पराये	दे०	वा०	वि०	प्र०	प०	अ०	२
------------------	-----	-----	-----	------	----	----	---

वास्तु-ग्रन्थ	”	”	”	”	”	”	”
---------------	---	---	---	---	---	---	---

क्षेत्रवास्तु-ग्रन्थ

क्षेत्रिं १—वास्तु-ग्रन्थों में सर्वप्रथम संकीर्तन अथर्ववेद, जिसका वास्तु-ज्ञात्वा उपवेद है (दे० वा० वि० प्र० प० अ० ६), का होना चाहिये । पुनः ब्राह्मण-ग्रन्थों का

यदि छोड़ दें तो शूल्व-सूत्रों का संकीर्तन भी कम प्रसुत नहीं है जिनमें वेदि-च्चन के जो सिद्धान्त हैं वे ही कालान्तर में प्रासादविरचना के आधार-नियम प्रकल्पित किये गये।

टिं० २—संहिताओं, ब्राह्मणों एवं सूत्र-ग्रन्थों के उपरान्त वास्तु-विद्या के आदि-ग्रन्थों में कल्प एवं ज्योतिष वेदाङ्गों को नहीं भुलाया जा सकता (दे० वा, वि, प्र, प० अ० २)।

आगम—

टिं० ३—२८ आगमों में से निम्नलिखित आगमों में वास्तु-विद्या पर विशेष प्रबन्ध मिलता है।

१. अंशुमद्देवागम
२. कामिकागम
३. कर्णागम
४. वैखानसागम
५. सुप्रसेदागम

पुराण—

१८ पुराणों एवं उतने ही उपपुराणों में से निम्नलिखित पुराणों में वास्तु विद्या पर विशेष प्रबन्ध प्राप्त होते हैं:—

१. अग्निपुराण
२. गणण „
३. नारद „
४. ब्रह्माण्ड „
५. भविष्य „
६. मत्स्य „
७. लिङ्ग „
८. वायु „
९. स्कन्द „
१०. देवी „
११. कालिका „

तन्त्र—

(दे० वा० वि० प्रथम पट्ट का अ० २)

हयशीर्प पञ्चरात्र आदि

शिल्प-शास्त्रीय ग्रंथ—

- | | |
|----------------------|----------------------|
| १. अगस्त्य-मकलाधिकार | ३. अपराजित-प्रच्छा |
| २. अंक-शाल | ४. अपराजित वास्तुशाल |


५. अंशुमत (काश्यपीय)	४० देवालय-लक्षण
६. अंशुमान-कल्प	४१. द्वार-लक्षण-पटल
७ आगार-विनोद	४२. नारद-संहिता
८. आयतन्त्र	४३ नावा शास्त्र
९. आयादि-लक्षण	४४ पक्षि-मनुष्यालय-लक्षण
१०. आरामादि-प्रतिष्ठा-पद्धति	४५. पञ्चरात्र-प्रदीपिका
११. अभिलिपितार्थ-चिन्तामणि	४६. पिरड-प्रकार
१२. कूपादि-जलस्थान-लक्षण	४७. पीठ-लक्षण
१३. कौतुक-लक्षण	४८. प्रतिमा-द्रव्यादिवचन
१४. किया संग्रह-पञ्चिका	४९. प्रतिमा-मान-लक्षण
१५. क्षीरार्णव	५०. प्रतिष्ठा-तत्त्व
१६. क्षेत्र-निर्माण-विधि	५१. प्रतिष्ठा-तन्त्र
१७. गार्य-संहिता	५२. प्रासाद-कल्प
१८. गृह-निरूपण संक्षेप	५३. प्रासाद-कीर्तन
१९. गृह-निर्माण-विधि	५४. प्रासाद-दीपिका
२०. गृह-पीठिका	५५. प्रासाद-मरण-वास्तु शास्त्र
२१. गृह-वास्तु-प्रदीप	५६. प्रासाद-लक्षण
२२. गोपुर-विमानादि-लक्षण	५७. प्रासाद-लक्षण
२३. ग्राम-निर्णय	५८. प्रासादालङ्कार-लक्षण
२४. घटोत्सर्ग-सूचनिका	५९. विश्व-मान
२५. चक्र-शास्त्र	६०. बुद्ध-प्रतिमा-लक्षण
२६. चित्रकर्म-शिल्पशास्त्र	६१. बुद्ध-लक्षण
२७. चित्र-लक्षण	६२. मठ-प्रतिष्ठा-तत्त्व
२८. चित्र-सूत्र	६३. मनुष्यालय-चंद्रिका
२९. जयमाधव-मानसोऽजास	६४. मंजुश्री-मूलकल्प
३०. जातार्गति	६५. मंत्र-दीपिका
३१. जलार्गल-र्यन्त्र	६६. सयमत
३२. ज्ञानरत्न-कोप	६७. महानिर्वाण-तन्त्र
३३. तच्चु-शास्त्र	६८. मान-कथन
३४. तारा लक्षण	६९. मानव-वास्तु-लक्षण
३५. दश-ताल - न्यग्रोध - परिमरण-बुद्ध- प्रतिमा-लक्षण	७०. मानसार
३६. दशा-प्रकार	७१. मानसोऽजास
३७. दिक्-साधन	७२. मानसोऽजास-वृत्तान्त-प्रकाश
३८. दीर्घ-विस्तार-प्रकार	७३. मूर्ति-ध्यान
३९. देवता-शिल्प	७४. मूर्तिलक्षण

७६. रक्त-दीपिका
 ७७. रक्तमाला
 ७८. राजगृह-निर्माण
 ७९. राजवस्त्रभ-टीका
 ८०. राशिप्रकार
 ८१. रूपमरण
 ८२. लक्षणसमुच्चय
 ८३. लक्षणशिल्प-ज्योतिष
 ८४. वलि-पीठ-लक्षण
 ८५. वास्तु-चक्र
 ८६. वास्तु-तत्त्व
 ८७. वास्तु-निर्णय
 ८८. वास्तु-पुरुष-लक्षण
 ८९. वास्तु-प्रकाश
 ९०. वास्तु-प्रदीप
 ९१. वास्तु-प्रवन्ध
 ९२. वास्तु-मंजरी
 ९३. वास्तु मरण
 ९४. वास्तु-योग-तत्त्व
 ९५. वास्तु-रत्न-प्रदीप
 ९६. वास्तु-रत्नावली
 ९७. वास्तु-राजवल्लभ
 ९८. वास्तु-लक्षण
 ९९. वास्तु-विचार
 १००. वास्तु-विधि
 १०१. वास्तु-शास्त्र
 १०२. वास्तु शास्त्र
 १०३- वास्तु-शिरोमणि
 १०४. वास्तु-समुच्चय
 १०५. वास्तु सख्ता
 १०६. वास्तु-संग्रह
 १०७. वास्तु-संग्रह (तामिल)
 १०८. वास्तु-सर्वस्त्र
१०९. वास्तु-सार
 ११०. वास्तु-सरणी
 १११. वास्तु-सार-सर्वस्त्र-संग्रह
 ११२. विमान-तदण्ड
 ११३. विश्वकर्माय-शिल्प
 ११४. विश्वकर्म-प्रकाश
 ११५. विश्वकर्म-मत
 ११६. विश्वकर्म-ज्ञान
 ११७. विश्वकर्म-पुराण
 ११८. विश्वकर्म-सम्प्रदाय
 ११९. विश्वविद्याभरण
 १२०. वेदान्तसार
 १२१. वैदानिक
 १२२. शास्त्र-जलधि-रत्न
 १२३. शिल्पकला-दीपिका
 १२४. शिल्प-अंथ
 १२५. शिल्प-दीपिका
 १२६. शिल्प-निघण्ड
 १२७. शिल्प-रत्न
 १२८. शिल्प-लेख
 १२९. शिल्प-शास्त्र
 १३०. शिल्प-शास्त्र-सार-संग्रह
 १३१. शिल्प-सर्वस्त्र-संग्रह
 १३२. शिल्प-सार
 १३३. शिल्पार्थ-शास्त्र
 १३४. शिल्प-शास्त्र
 १३५. पड़विदिक-सन्धान
 १३६. सनत्कुमार-वास्तु शास्त्र
 १३७. सर्वविहारीय-वत्र
 १३८. सग्रह-शिरोमणि
 १३९. सारस्वतीय-शिल्प-शास्त्र
 १४०. स्थल-युभाषुभ-कथन
 १४१. समराङ्गण-मूर्त्वधार

सूष्टि-वर्ग—दे० मददादिमणि (स० स० अ० ४)
 दि०—वास्तु-शास्त्र में उपित्तवर्णन का क्या धार्मज्ञस्य है—इस पर संवेद

के ५ वें अध्याय में पहले ही हो चुका है। तदनुस्प समराङ्गश में 'महदादि सर्ग' नामक चौथे अध्याय में सृष्टि वर्णन किया गया है।

सृष्टि के विभिन्न सोपान—युगान्ताभिष्ठुष्टवस्था (ie the earth was a burning ball and hence unfit for any planning) एकर्णवी-अवस्था जब संवर्तक आदि महामेघों ने पृथ्वी को धोरवृष्टि से बुझाया (Cooled down), पुनः इसी सन्धि में इरिश्यनावस्था (जो सृष्टि की गर्भावस्था कही जा सकती है) —'हरिः सुष्वाप सत्तिले कृत्वोदरगतं जगत्' के विराम के उपरान्त ब्रह्म-सुरेश्वर ब्रह्मा का प्रातुर्भाव होता है जिन्होंने प्रथम मानसी सृष्टि के द्वारा समस्त विश्व की रूपरेखा तैयार की पुनः उसे मूर्त स्वरूप प्रदान करने के लिये भौतिक सृष्टि प्रारम्भ की:—



निर्गुण एवं सगुण सृष्टि के दो रूपों में सगुण सृष्टि का उपक्रम वाधा गया जिसकी निम्न रूप-रेखा निमालनीय है:—

मन	से	सुर, असुर, गन्धर्व, यज्ञ, रक्ष, पञ्चग, नाग, मुनि, अप्सरायैं,
नेत्रों	,,	सूर्य एवं चन्द्रमा
गात्रों	,,	नक्षत्र-चक्र
वर्चेन्द्रियों	,,	ताराग्रहपञ्चक—'ग्रहत्वं पुनरेतेषाभिनिद्रयग्रहणाद् विदुः'
केशों	से	अम्बुमुक्—मेघ
इच्छा	,,	वायु—त्रिलोकी-पावन—चण्ड-समीरण

वायु ने ही जगत् की एकार्णवी-अवस्था को सूर्य की प्रचण्ड रश्मियों के सहयोग से सुखाया तभी पृथ्वी का उदय प्रारम्भ हुआ जिसे विष्णु की गद्या—जैप-नाग अनन्त (आकाश—आधार का प्रतीक) ने धारण किया। जहाँ जहाँ जल नहीं सूखा वे ही सागर बने। महाजल-वीचि-संग्रात से ताहित एवं महाप्रचण्ड वायु के भोक्तों से उद्देतित पृथ्वी यत्रन्तत्र पर्वतों के रूप में प्रकल्पित हुई। पर्वतों ने पृथ्वी को चर्मावरण के समान वित्त किया तथा कीलों के समान उसे धारणा-शक्ति प्रदान की। एक पर्वत को दूसरे ने सीमा-विभाजन के रूप में पर्वत-प्रवहिणी सरिताश्रों का उदय हुआ। इसी प्रकार सागरों के मध्यावकाश में ढीपों एवं

महाद्वीपों का भी प्रातुर्मांव हुआ । इस प्रकार सरिताओं, सागरों, पर्वतों एवं द्वीपों तथा महाद्वीपों में विभक्त पृथ्वी व्यक्त बनी (Became manifest) ।

पृथ्वी के ही नीचे प्राणियों के कर्म-भोग के लिये रौप्य आदि नरकों की भी सुष्टि सुष्टिकर्ता ब्रह्मा ने की । पुनः भूत-ग्राम (चराचर संसार) की रचना की ।

जरायुज—द्वेष—मनुष्य तथा पशु । सात ग्राम्य—मनुष्य, गो, तुरग, छाग मेघ, वेग सर तथा खर । सात आरण्य—सिंह, गज, उष्ट्र, महिष, शरभ, गवय तथा कपि ।

अरण्डज—चतुर्धा—सुपर्ण, भुजग, कीट, पिपीलिका ।

स्वेदज—क्लेद (पसीना) एवं केश से उत्पन्न कुमि युका (जुवा) आदि जुद्रजन्तु ।

उद्धिज—पञ्चधा—दुम, वक्षी, गुल्म, वंश एवं तृण

भुवनकोश-वर्ग—‘भुवनकोश, नामक पाचवें श्रव्याय में क्षिति-निवेश (Physical planning of the Earth) का ही वर्णन नहीं है वरन् सौर-मरण्डल के अन्य विभिन्न ग्रहों (planets) की स्थिति एवं गति पर भी प्रकाश ढाला गया है ।

(I) विक्रम १०१ ६००००० योजन अर्थात् लगभग १६३०४०००००० मील

(II) परिधि ३२६०८०००० योजन अर्थात् (लगभग) ५२१७२८००००० मील

(III) बाहुल्य ४२०००० योजन अर्थात् (लगभग) ६१२०००० मील

टिं चारों सागर, चारों महाभूत एवं महत् पृथ्वी से क्रमशः सौगुने वडे हैं अर्थात् महत् सबसे बड़ा । यह पृथ्वी जल पर चक्राकर (वृत्तशालिनी) स्थित है ।

द्वीप—द्वीपों से यहाँ पर अभिप्राय महाद्वीपों से है । महाद्वीपों की संख्या सात है:—

१ जम्बूद्वीप

५ शाल्मलिद्वीप

२ शाकद्वीप

६ गोमेदद्वीप

३ कुशद्वीप

७ पुष्करद्वीप

४ कौन्चद्वीप

जम्बूद्वीप—यह सातों द्वीपों एवं सातों अम्बुधियों के मध्य में स्थित बताया गया है । इसका विस्तार एक लाख योजन है ।

अ. जम्बू के पर्वत

इस जम्बूद्वीप के पर्वत उनकी ऊँचाई तथा उनके वासियों की तालिका निम्नांकित है:—

पर्वत	ऊँचाई	वसति
१ हिमवान्	२५३ हजार योजन	पिशाच, यज्ञ एवं राज्ञस ।
२ हेमकूट	५५ हजार योजन	चारण, गुह्यक आदि
३ निपद	१ हजार योजन	नाग—शैय, वासुकि तत्त्व आदि
४ सुमेश (मणि-कन्दर)	८४ हजार योजन	तैतीस कोटि देवता अपनी अप्सराओं के साथ
५. नील (वैद्यर्यमणि-शिवर)	१ हजार योजन	तपोनिष्ठ ब्रह्मर्पि लोग
६. श्वेत (सुवर्ण-शिवर)	५ सौ योजन	देव-जन्म

७ शृङ्खी (महानील मणियों २५ हजार योजन एवं मयूर-पिंचों से बहुल)	पितृभग्ण
८. गन्धमादन	१ हजार योजन
९ माल्यवान्	"

टिं१ १ इन पर्वतों में मेरु को छोड़कर सभी अन्य आठ पर्वतों का विस्तार २ हजार योजन है। साथ ही साथ तलाविस्तार (Sub-terranean dimension) ऊर्चाई के आधे प्रमाण में प्रतिपादित है।

टिं० २ इन ६ पर्वतोंके अतिरिक्त १२ और पर्वत हैं जो सर्व दिशाओंमें समुद्राभ्यन्तर ही फैले हुए हैं, ऊपर नहीं—

पूर्व	धूम्रक,	दुंतुमि	आद्र
पश्चिम	नारद,	वराह,	सोमक
दक्षिण	मैनाक,	बलाह	चक्र
उत्तर	द्रोण,	कङ्क	चन्द्र

ब. जम्बूद्वीप के वर्ष

- १ भारत (धनुपाकृति)—जिसके उत्तर में हिमालय और जिसके दक्षिण में लवण-समुद्र है।
- २ किम्पुरुष—हिमालय एवं हेमकूट के बीच।
- ३ हरिवर्ष—हेमकूट और निषध के अन्तरावकाश में।
- ४ इलावर्ष—नील, माल्यवान् तथा गन्धमादन के बीच।
- ५ रम्यक—नीलोत्तर एवं श्वेतदक्षिण।
६. हैररण्यक—श्वेत-शृङ्खी के मध्य में
- ७ कुरुवर्ष—शृङ्गी के उत्तर यथा लवणसमुद्र के दक्षिण।
८. भद्राश्व—नील-निषध के अन्तर तथा माल्यवान् पर्वत के पूर्व (समुद्र-पर्यन्त फैला हुआ)
९. केतुमाल—गन्धमादन के पश्चिम एवं पश्चिम समुद्र के पूर्व

टिं० इन वर्षों के वासी—जीवन एवं भोग आदि की निम्न तालिका देखने योग्य है: —

वर्ष	जीवन (वर्षों में)	भोजन आदि
भारत	—	—
किं पुरुष	अयुत	पत्रक-भोजी, सर्वर्णकान्तिक।
हरिवर्ष	सायुत सहस्र	ईनु रस के भोजी, रजत-कान्तिक।
इलावृत्त	सपादायुत	जम्बूफल के रस पर रहने वाले।
रम्यक	अयुत	न्यग्रोधफलसमुक्
हैररण्यक	”	लकुचाशी

कुरुचप	“	श्रभीष्ट वृह्णों से
भद्राश्व	अयुत	नीलाम्बक-फलाहारी
केतुमाल	“	पनस-भोजी

टिं० यह वर्ष मेस्तटाच्छब्द होने के कारण सूर्य, चन्द्र एवं ताराओं के प्रकाश को नहीं प्राप्त कर पाता है। अपनी अपनी अंग कान्ति से ही लोग यहाँ रहते हैं—पद्म राग कान्तिक हैं ये न। जम्बूद्वीप की इन प्रधान विशेषताओं के उपरान्त अन्य द्वीपों का तो विशेष विस्तार ग्रन्थ में नहीं है और न यहीं पर हो सकता है। जहाँ जम्बू लवण्य-समुद्र से परिवृत्त है वहाँ शाकादि द्रीपषट्क कीर (दुग्ध), आज्य (धूत) दधि, मद्य, ईक्षुरस तथा मधुर समुद्रों से परिवृत्त बताये गये हैं। निम्न तालिका से इस द्रीप-षट्क के पर्वत एवं वर्षों का स्वरूप अवधार्य है:—

द्रीपषट्क	पर्वत	वर्ष
शाक	उदय, जलधर, नारक, रैवत श्याम, राजत तथा आम्बिकेयक—७	जलद, कुमार, सुकुमार मणीचक, कुसुमोत्तर, मोदाकी, महाद्रुमवन, ७
कुश	विद्वुम, हेम, द्युतिमान, पुष्पवान्, कुशेशय, हरिद्वामृत् तथा मन्दर—७	उद्दिद, वेणुबत्, सराल, लम्बन, श्रीमत्, प्रभाकृत् कपिल तथा पन्नग—८।
क्रौञ्च	क्रौञ्च, अन्धकार, देव, गोविन्द, वामन, द्विविद तथा पुण्डरीक—७।	कुसल, अष्ट, परापत मनोनुग, मुनि, अन्धकार तथा दुन्दुभि—७।
शालमलि	रक्ष, पीत तथा सित—३	शान्तभय एवं वीतभय—२
गोमेद	सुर तथा कुमुद—२	धातकी-खरण—१
पुष्कर	मानसोत्तर	महावीत

आगे विश्वकर्मा जी कहते हैं (७७—७८) कि इसी पुष्कर-द्वीप के महावीत वर्ष में उन्होंने निम्न देव-नंगरियों का निवेश किया था:—

वस्त्रोक्सारा	ऐन्द्री	प्रव
सयमनी	याम्या	दन्तिण
सुखा	प्राचेतसी	पश्चिम
विभा	सौम्या	उत्तर

टिं—महदादिसर्ग एवं भुवनकोश-समराङ्गणीय इन दो अध्यायों की जिस सामग्री का संदेश में हमने यहाँ पर 'भूमि-निवेश' में किया उसका एकमात्र वास्तु शास्त्रीय सम्बन्ध यह है कि कोई भी पार्थिव कृति वास्तु है। भूमि अपनी प्राकृतिक स्थिति में 'भूमि' है, वही निविष्ट होने पर वास्तु है। अथव जैसा कि वास्तु के विपय एवं विस्तार में हमने देखा समराङ्गण की वास्तु-दृष्टि अत्यन्त व्यापक है। वास्तु-शास्त्र का विपय भवन-निवेश ही नहीं पुर-निवेश ही नहीं, देश निवेश ही नहीं—अखिल भूमरडल ही निवेश है—अतः 'क्षिति-निवेश' की इस व्यापक वास्तु-दृष्टि का हम मूल्याङ्कन कर सकते हैं।

त्रैलोक्य निवेश—सूर्यादि-मह-स्थिति—सौरमरडल में 'पृथ्वी' एक लघु इकाई है। भूतोक एवं उसके निवासियों का जीवन अन्य लोकों से सदैव प्रभावित एवं अनुप्राणित रहता है। अतः क्षिति-निवेश के लिये अन्य ग्रहमरडल के मदस्यों का सकेत भी कुछ न कुछ आवश्यक है। भूतल के ऊपर निम्न लोकों की क्रमिक कर्वगामिनी सत्ता वत्तायी गयी है:—

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| १. सूर्य | ६. अर्क (शनैश्चर) |
| २. चन्द्र | ७. त्रिदशार्चि (ब्रह्मस्पति) |
| ३. घिष्ठय (शुक्र) | ८. सप्तिप्ति |
| ४. भौम | ९. ध्रुव |
| ५. ज्यसित (बुध) | |

इन ग्रहों (पृथ्वी से अकिंशनैश्चर तक) का परस्पर एक एक हजार योजन के अन्तर (Intervening distances) हैं। शेष चार ग्रहों के अन्तरावकाश का परिमाण दो दो लक्ष योजन है, इस प्रकार धरित्री और ध्रुव के बीच का अन्तरावकाश अर्थात् त्रैलोक्य का समुत्सेध १४ नियुत योजन हुआ।

त्रैलोक्य यहाँ पर समाप्त नहीं होता है। वास्तविक त्रैलोक्य तो अभी और ऊपर है। ऊपर के लोक अपनी दूरी के साथ निम्न रूप से वोधव्य हैं:—

मह: लोक—ध्रुव से एक करोड़ योजन की दूरी पर।

जन: „ „ दो „ „ „

तप: „ „ चार „ „ „

सत्य „ „ आठ „ „ „

टिं—सत्यलोक के निवासियों की स्थिति अरण्डकर्पर (व्रश्चारण) के नीचे के निवासियों से १ करोड़ पचास नियुत योजन है।

आवरण—इन सभी लोकों के आवरण योग (Shielded as it were) पर ग्रंथ का प्रवचन यह है कि नीचे तिरछे तथा ऊपर सभी और ने सात मरुतों (वायु-मरुदल) के आवरण हैं जो क्रमज. निभन्तप से समझे जा सकते हैं:—

वह	में	अब्द—जलद—मैथ मरुदल
प्रवह	„	सूर्य
उद्धह	„	चन्द्र
संवह	„	नक्षत्र-मरुदल

आवह	"	ग्रह-मरणडल
परिवह	"	सप्तर्षि-मंडल
परावह	"	भ्रुव

टिं०—ये सातों वायु प्रतिक्षण इन सभी को (केवल 'भ्रुव' को छोड़कर—जो अटल है) धुमाते रहते हैं। भ्रुव के द्वारा यह समस्त ज्योतिश्चक्र मानों बद्ध है।

टिं०—सूर्यादि ग्रहों की गति का विशेष सम्बन्ध ज्योतिष-शास्त्र से ही है। अतः उसका विस्तार अप्रासङ्गिक है।

सहदेवाधिकारवर्ग—इसकी विस्तृत-समीक्षा 'मवन' पटलमें द्रष्टव्य है।

वर्णाश्रम प्रविभागवर्ग—यथा नाम मानव समाज को विभिन्न वर्णों (अध्यवासायों-पेशों में विभाजित कर एक सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित समाज का निर्माण एवं प्रतिष्ठा किसी भी निवेश के लिये प्रथम सोपान है। अतः वास्तु का परमोपजीव विषय—निशेश (planning) के अनुरूप मानव समाज का सम्यक् निवेश प्रथम प्रक्रिया (pre requisite) है। अतएव समराज्ञण में 'वर्णाश्रम-प्रविभाग' नामक ७ वें अध्याय की अवतारणा की गयी है।

महाराज पृथु को वास्तु-निवेश संरक्षक के रूप में हम पहले ही देख चुके हैं। अतः मानवों का जब देवों से विच्छेद हुआ (द० सहदेवाधिकार स० स० श० ६) तो संतास मानव समाज की सुनियोजना के लिये एवं उनके शासन-प्राप्तालन के लिये करुणार्द्र पितामह व्रहा पृथु को लेकर उपस्थित हुए और कहा 'आज से यह पृथु तुम्हारा मरुतों-देवों के प्रभु वासव-इन्द्र के समान प्रभु होगा। दरडधारी, लोकपाल प्रभावशाली, प्रतापतापिताराति-सिंह, सिंह पराक्रम इस पृथु को तुम्हारे आधिपत्य में मैंने आज से अभिप्रक्ति किया। महाराज पृथु सज्जनों की रक्षा करेंगे और बुद्धों का नाश। आज से यह तुम्हारे राजा हुए' इस प्रथम राज-कल्पना में समाज की सुनियोजना (Ordered planning) का मर्म अन्तर्हित है।

समाज की सुनियोजना का दूसरा नाम चातुर्वर्ण-विभाग एवं जीवन के चातुराश्रम्य-स्थापना के परम्परागत तत्वों का विशेष उल्लेख न कर यहाँ इतना ही सक्रेत पर्याप्त है कि समाज की वृत्ति के लिये, अपने अपने कर्मों-कर्तव्यों के सम्पादन के लिये खेट, ग्राम, नगर, चेश्म आदि की रचना अनिवार्य है—यही वास्तु-शास्त्र में वर्णाश्रम-प्रविभाग का मर्म है।

स्थानादि-विनिवेश-कार्य को सुगम बनाने के लिये पृथु के गोदोहन की समीक्षा पहले ही हो चुकी है (द० वा० वि० प्र० प० श० ५)।

पुर-कारण

देश-वर्ग

- | | |
|-----------|-------------------------------------|
| १. जागल | (द० 'देशचयन' पु० नि० उ० पी० श० २) |
| २. आन्प | " " |
| ३. साधारण | " " |

देश-भूमि — १६ देशभूमियों

१. वालिश्वामिनी—ऐसी सुन्दर एवं समृद्ध एवं मद्रजना भूमि जो वालिश राजा के भी द्वारा शास्त्र है।
२. मोग्या—यथा नाम चर्व प्रकार के मोग्य साधनों से सयुक्त भूमि तथा निवारी समृद्ध।
३. सीतागोचरक्षणी—जहाँ नदी नदों की वहुतायत, भव्य तथा बाहर पर्तत, चीमार्ये एवं क्षेत्र विभक्त।
४. अपाश्रयवती—भवकारिणी जनाकास योग्या—सारितायें, बन एवं पर्वत मध्यावह।
५. काता—बन, उपवन, अद्वि, सरित, कुञ्ज आदि से मनोहर अतएव काती।
६. खनिमती—सोने, चौदी की खानों के साथ-साथ लकड़ का भी जहाँ आधिक्य हो।
७. आत्मभारिणी—अति स्वतंत्र अवश्य देश एवं स्फीतलोकाश्रय—वस्तियाँ वहुत ही कैली हुईं।
८. वणिक-प्रसाधिता—जहाँ पर क्रय-विक्रय का अत्यधिक सौलन्य एवं वणिकजनों की विशेष वसति।
९. द्रव्यवती—शाक, अश्व, कर्ण, खटिर, श्रीपर्णी, स्वन्दन आसन, वेशु, वेन्न एवं शर आदि छूँझों का आधिक्य।
१०. अमिन्द्रधातिनी—जनपद त्रुविभक्त, शान्त, एवं मंत्री युक्त।
११. आश्रेणी-पुरुषा—वन्दियों से विरहित समन्तात् फैले दुग्गों से संश्रित एवं विनीत जनों से व्याप्त।
१२. शक्य-सामन्ता—सामन्त राजा जहाँ पर परस्पर उदासीन एवं मन्त्र-उत्त्वाह आदि से विमुख।
१३. देवमातृका—अन-पेक्षित-वर्पाजल-प्रदेश।
१४. धान्यशालिनी—विना कर्पण के ही विना प्रवास धान्योद्गम वाली।
१५. हस्तिवनोपेता—हस्ति-प्रधान वनों एवं पर्वतों से युक्त तथा हैन्यवर्धिनी।
१६. सुरक्षा प्राकृतिक-रक्षा—विपमादि सरिद्-गुप्ता।

दुर्गभूमि (दे० पु० नि० पू० पी० ‘दुर्ग-प्रमेद’ अ० ५)

वर्णभूमि (दे० पु० नि० उ० पी० भूमि चयन अ० २)

स्वादु-भूमि	”	”
शब्द-भूमि	”	”
स्पर्श-भूमि	”	”
गन्धभूमि	”	”

दुष्ट भूमि—

- | | | |
|------------------|----|---------------|
| १. मस्माङ्गारवती | ४ | नूपकोत्करवती |
| २. कपला-स्थिनती | ५ | वल्मीकि-वहुता |
| ३. तुपकेशविपवती | ६. | शक्विला |

७. रक्षा	२५.	धूम्रवर्णा
८. निम्न-पुरोहिती	२६	मिश्रवर्णा
९. भंगुरा	२७.	विवर्णा
१०. सुषिरोपरा	२८.	रक्षवर्णा
११. वामावर्तजलस्त्राविरणी	२९.	तिक्ता
१२. असारा	३०.	आम्ला
१३. विषमोन्नता	३१	लवणा
१४. कटुकरट्टकिनिःसारशुष्कनिष्फलपादपा	३२	स्वेदला
१५. क्रव्यात्पक्षिसमाकीर्ण	३३.	रक्षस्पर्शा
१६. क्रमिकीटबत्ती	३४.	खरस्पर्शा
१७. सुकृतनाशिनी	३५.	सदैवोष्णा
१८. सरित्पूर्वद्वा	३६.	सदैवहिमा
१९. वसागन्धा	३७.	अनिष्ट-सुखसंस्पर्शा
२०. स्कृगन्धा	३८.	क्रोष्टुस्वाना
२१. मज्ज-गन्धा	३९.	उष्ट्रस्वाना
२२. पक्षिविश्वमूत्र-मलगन्धा	४०.	खरस्वाना
२३. तैल-गन्धा	४१.	निर्मरस्वाना
२४. शव-गन्धा	४२.	मिन्नभारहसमकूर-स्वाना

भू-परीक्षा—दे० पु० नि० उ० पी० श्र० २

मृत्तिका-परीक्षा— " "

पुर-वर्ग—

जनपद—दे० पु० नि० पू० पी० श्र० २

नगर-विकास—	"	"	२
नगर-प्रमेद—	"	"	३
ग्राम-प्रमेद—	"	"	४
दुर्ग-प्रमेद—	"	"	५
पुरमार्ग—दे० पु० नि० उ० पी० श्र० ४			
पुरस्ति—	"	"	५
पुर-देवतायतन—	"	"	६
पुर-रक्षा—	"	"	७
गर्हित-पुर—	"	"	८
श्राधुनिक नगर—			
निवेश के उपकरण—,,	"	"	९

प्ररिशिष्ट-(स)

संक्षिप्त-समराङ्गण

(अवतरण)

प्रथम पटल (वास्तु-विद्या)

अ. वास्तु-शाखा का जन्म

- (i) नयस्येति समाकर्ण्य विश्वकर्मा च तद् वचः ।
 जगाद् गर्जदभोदृवनिगम्भीरया गिरा ॥ १ ॥
- साधु वस्तु । त्वया सम्यक् प्रज्ञयातिविशृद्धया ।
 प्रस्तोऽयमीरितो वास्तुविद्याऽजवनभास्करः ॥ २ ॥
- स त्वं निधाय प्रश्नानां समुदायमसुं हृदि ।
 वदतो मेऽवधार्नेन शुण्य यद् ब्रह्मणोदितम् ॥ ३ ॥
- (ii) तातुवाच्च सुनिर्वत्सा विदित लो यथा पुरा ।
 वास्तु ग्रह्या ससर्जादौ विश्वमध्यत्तिर्ज्ञं तथा ॥ ४ ॥
- धर्म्यं कर्म तदा धैष्यप्राप्त्यै द्वोकावनानि च ।
 न्यवस्थाप्य चकारैष लोकपालस्य कल्पनाम् ॥ ५ ॥
- अहमप्यमुना विश्वनाशेनाग्नुजजन्मना ।
 क्लोकानां सञ्जिवासाथमादिष्ठोरिम् स्त्रयम्भुवा ॥ ६ ॥
- रम्याणि नगरोद्यानसभास्थानान्यथो मया ।
 सुरासुरोद्यादीनां निर्मितान्यात्मद्विद्वितः ॥ ७ ॥
- गत्वोर्वै वैन्यन्तपतेर्वत्साः प्रियचिकीर्षया ।
 नगरामखेटादीन् करिष्यामि पृथक् पृथक् ॥ ८ ॥
- कार्ये त्वसम्पिन् सकले भम विश्वस्त्रापिते ।
 न्यवसाहायकैर्भव्यं भवद्विरिति नः स्थितम् ॥ ९ ॥
- थतस्त्रिभुवनाकोकप्रयोतस्यादिजनीपतेः ।
 सहायता तमरक्षेदे कक्षयन्ति मरीचय ॥ १० ॥
- स्वयं करिष्येऽइमयो निवासाय पृथोः पुरीम् ।
 विचित्रनगरग्रामखेटाभितिमनोहराम् ॥ ११ ॥
- भवन्तः पुनरागत्य चत्वारोऽपि चतुर्दिशम् ।
 तांस्तान् निवेशान् शुर्वन्तु पृथग्ननकृताध्यान् ॥ १२ ॥
- अन्तरेष्वस्वपाथो विशैलानां सरिर्वा तथा ।
 विभातव्याति दुर्गार्ण्यि नृपाणां भयसान्त्वये ॥ १३ ॥

वर्णप्रकृतिवेशमानि संस्थानानि च लक्ष्मभिः ।

विधेयानि प्रतिग्रामं प्रतिभूः प्रतिपत्तनम् ॥ १४ ॥ (२. ४-१४)

(३३) पृथुनेत्यथ विज्ञप्तो भगवानबजसम्भवः ॥ १५ ॥

उचाच वोधयक्षेन कृत्वा भूमि च निर्भयाम् ।

इयं मही महीपात्र । विधिवत् पालिता सर्ती ॥ १६ ॥

सस्यैरुपा (धृय) निष्पक्षेस्तत्व भोग्या भविष्यति ।

यच्च ते स्यादभिप्रेतं स्थानादिविनिवेशनम् ॥ १७ ॥

तदेष निदशाचायाः सर्वसिद्धिप्रवर्तकः ।

सुतः प्रभासस्य विभोः स्वस्तीयश्च वृहस्पतेः ॥ १८ ॥

विश्वातिशायिधीः सर्वं विश्वकर्मा करिष्यति ।

राजसासौ महेन्द्रस्य धिदधावमरावतीम् ॥ १९ ॥

अन्या अप्यमुना रग्याः पुर्यो लोकभृतां कृताः ।

त्वया क्षेत्रीकृतां मूर्तिं दृष्ट्वा सादिद्वुमामसौ ॥ २० ॥

सञ्जिवेशान् पुरग्रामनगराणां विधास्यति ।

तदगच्छ वर्त्स ! लोकानाभितस्वं हितकाम्यया ॥ २१ ॥

भयोजिभता त्वमप्युर्विं ! पृथोः प्रियकरी भव ।

काले स्मृतः स्मृतः पुण्यो राज्ञः प्रियचिकीर्षया ॥ २२ ॥

त्वमप्यजित्तमेवैतद् विश्वकर्म (न) ! करिष्यसि ॥ २३ ॥ १.१६-२५३

(व) वास्तु-शास्त्र का क्षेत्र

(१) स्वातन्त्रिक

देशः पुरं निवासश्च सभा वेशमासनानि च ।

यद्यदीदशमन्यच्च तत्तच्छ्रेयस्करं मतम् ॥ २४ ॥

वास्तुशास्त्रादते तम्य न स्याललच्छणनिश्चयः ।

तस्माल्लोकस्य कृपया शास्त्रमेतदुदीर्घते ॥ २५ ॥ १, ४-५)

(११) सार्वभौमिक

इदमासीद् युगान्ताग्निप्लुष्टं संवर्तकादिभिः ।

समुत्सवज्ञिरभांसि विश्वमेकार्णवीकृतम् ॥ २६ ॥

तमोभूते ततस्तस्मिन् भोगिपर्यक्षमाश्रितः ।

इरि. सुखाप सक्षिले कृष्णोदरगत जगत् ॥ २७ ॥

श्रद्धानाथय नाभावभोजमभूत तरिमनजायत ।

सर्वज्ञानाधय श्रीमास्त्रतुर्वक्त्रः सुरेन्द्रवः ॥ २८ ॥

स कदाचिद् दध्यते त्रः प्रजासृष्टि प्रति प्रभुः ।

महान्तमस्त्रज्वर तत्र पूर्वं विश्वस्य हेतवे ॥ २९ ॥

त्रिधार्हकृतमेतस्मान्मनोऽभूत सात्त्विकादतः ।
 राजसादपि चाचाणि तन्मात्राणि च तामसाद ॥ ३० ॥
 तेभ्य पञ्च महाभूतान्याविरासन्ननुक्रमाद ।
 व्योमादीनि धरान्तानि स्वै ख्यैर्युक्तानि तैर्गुण्यौः ॥ ३१ ॥
 अधरोत्तरभावश्च सम्योगेषां मयोच्यते ।
 आदौ पृथ्वी ततोऽधरस्तातापस्नासां च पावकः ॥ ३२ ॥
 तस्याप्यधस्ताद वपनस्ततः खमवकाशादम् ।
 भूतादिस्थ वियत् सोपि महता परिवर्तिः ॥ ३३ ॥
 महांश्च विशति व्यक्तं व्यक्तमव्यक्तकं पुनः ।
 ग्राहग्राहकभवेन व्यक्तो भूतसमुद्भवः ॥ ३४ ॥
 आधाराधार्याद्वावश्च यथायौ च स्थितिव्ययौ ।
 महाभूतानि सगुणान्येवं खष्टा ततः प्रसुः ॥ ३५ ॥
 मनः पुनरसौ सर्वे भौतिके सम्यगादघौ ।
 सुरासुरान् सगन्धर्वान् यज्ञरक्षांषि पञ्चगान् ॥ ३६ ॥
 नागान् मुनीनप्सरसो मनसा समजीजनत ।
 अर्केन्दू चक्षु (पी ? पो) जातौ गगनश्रमणक्षमौ ॥ ३७ ॥
 गान्त्रेभ्योऽपि च नक्षत्रचक्रमस्मादजायत ।
 इन्द्रियेभ्यश्च पञ्चभ्योऽभूत चाराग्रहपञ्चकम् ॥ ३८ ॥
 ग्रहस्वं पुनरेतेषामिन्द्रियग्रहणाद् विदुः ।
 सुरेन्द्रचापचिन्हानां विद्युद्वज्ञयशालिनाम् ॥ ३९ ॥
 भीमाशनिभृतां चासीद केशेभ्योऽस्तुमुचां भव ।
 विश्वमापरयन् हृष्टमाविरासीद तदिच्छया ॥ ४० ॥
 त्रिलोकीपावनस्तिर्यगामी चण्डः समीरण ।
 ततश्चएडानिलोद्भूतमुपर्यकांशुरापितम् ॥ ४१ ॥
 वायुभिः शोपमानीत जगाम घनतां पय ।
 तस्योपरिष्टादम्भोधेरधः दुण्डलितं चपुः ॥ ४२ ॥
 विष्णोःश्यायात्वमभ्येत्य धत्तेऽनन्तोऽदिक्षां भुवम् ।
 न तप्तं येषु येष्वम्भः प्रदेशोष्वर्करणिभिः ॥ ४२ ॥ (a)
 नीत न वानिकैः शोप वन्न तग्राव्ययोऽभवन् ।
 महाभ्योदीचिसंघाता वित्तिप्ताऽचरणदमास्त्वं ॥ ४३ ॥
 घट्र यक्षापुरुष्यं ते तत्र तत्राद्ययोऽभवन् ।
 निश्चक्षत्वार्थमवनिश्चर्मद् चितताथ ते ॥ ४४ ॥
 भैलैः कौक्लैरिव स्थानेष्वाचिता तेषु तेष्विम् ।
 वृद्धिं गतादिनि एवन्दैर्भूतां प्रविभागजा ॥ ४५ ॥
 निम्नगाभूतऽत्रोऽभ्योधे कान्ता निम्नानुमारिणी ।
 मेदिन्यन्तेषु जन्मधिपर्वन्तेषु विनिर्देशुः ॥ ४६ ॥

अरभांसि यत्र यत्रासंस्ते द्वीपाश्चव्रलुपिणः ।
 सनिन्मनगाम्बुधिद्वीपा विभक्ताखिलभूधराः ॥ ४७ ॥
 व्यक्ता वभूव कृष्णैव भूमिभूतानि विभ्रती ।
 स चक्रे रौरवादीनां निरयाणामधः क्षितेः ॥ ४८ ॥
 स्वकर्मफलभुश्यथं स्थानं दुष्कृतकर्मणाम् ।
 जरायुजाराजोन्मिज्जस्वेदजैः सह स प्रभुः ॥ ४९ ॥
 चतुर्धेयसृजलोके भूतग्रामचराचरम् ।
 द्वेधा जरायुजास्तत्र मनुष्याः पशवस्तथा ॥ ५० ॥
 ग्राम्याः सप्ताभवस्तेषु सप्तारण्यकृताग्राम्याः ।
 पुमान् गौस्तुरगच्छागौ मेषो वेगसर. खरः ॥ ५१ ॥
 ग्रामवासैकनिरताः सप्तैते परिकीर्तिताः ।
 सिहद्विपोष्टमहिषाः शरभो गवयः कपिः ॥ ५२ ॥
 अरण्यगोचरा जीवा सप्तैते वस । निर्मिताः ।
 धर्माधर्मविवेकित्वाच्छ्रूयान् प्राप्त्येषु पूरुषः ॥ ५३ ॥
 अरण्यचारिषु श्रेष्ठः सिंहः शौर्यवलादिभिः ।
 सुपर्णा भुजगाः कीटाः येऽपि च स्युः पिपीक्षिकाः ॥ ५४ ॥
 चतुर्धेयरण्डजन्मानो जन्मिनस्ते प्रकीर्तिताः ।
 क्षेदकेशसमुदूताः कृमियूकादिजन्तवः ॥ ५५ ॥
 सर्वेऽपि स्वेदजन्मानस्ते प्रजापतिना कृताः ।
 उद्भिज्जाः पञ्चधा भू (खार्या) निर्दिष्टा. रथावराश्चते ॥ ५६ ॥
 द्रुमा वल्लयश्च गुलमाश्च वशा. सतृणजातयः ।
 छुक्षान्त.करण्यत्वं च स्वस्थानत्यागितापि च ॥ ५७ ॥
 छिन्नप्रोहिता चैषां वैशेषिकगुणश्रयम् ।
 गायत्री भूतसंज्ञैः (धार्या) चतुर्विन्शतिपर्विका ॥ ५८ ॥ (४.४-३७)

(III) भौगोलिक

अथो यथाकर्म भूमेः कृस्तन्याः - कथयामि ते ।
 विष्कम्भपरिधी वस ! वाहुल्यमपि च स्फुटम् ॥ ५६ ॥
 विष्कम्भोऽस्याः समुद्दिष्टे दशयोजनकोटयः ।
 लक्षारण्यपि च मेदिन्यास्तद्वदेकोन्विशतिः ।
 विष्कम्भविष्णुणो यावद् विष्कम्भांशश्च पञ्चमः ॥ ६० ॥
 मेदिन्याः परिधिस्तावद्योजनैः परिकीर्तिः ।
 द्वात्रिंशतकोटयः परिलक्षण्यि परिभिः क्षितेः ॥ ६१ ॥
 अशीतिश्च - सहस्राणि योजनानो - प्रकीर्तिः ।
 योजनानां महस्राणि विशतिर्लक्ष्यांद्वयम् ॥ ६२ ॥

हृति वाहुल्यमेतस्याः चित्तेर्वत्स । तवोदितम् ।
 चतुर्णां सतिकादीनां भूतार्देमहतोऽपि च ॥ ६३ ॥
 उत्तरोत्तरसुर्वर्तो मानं शतगुणां विदुः ।
 तोयादिषु स्थितेयं मूर्श्चक्रवद् वृत्तशालिनी ॥ ६४ ॥
 पावस्थापरपात्रथीहारीएयन्यान्वयिं क्रमात् ।
 प्रमाणमिदमेतेपां चित्त्वादीनां तवोदितम् ॥ ६५ ॥
 द्वीपादीनां तु पाथोधिनिवेशं पुनरुच्यते ।
 द्वीपानामभुवीनां च सप्तानामपि भव्यगः ॥ ६६ ॥
 जम्बूद्वीपो भवेद् वृत्सः सहस्रशतविस्तृतः ।
 हिमाद्रिहेमकूटाख्यो निपधो नीलसञ्जितः ॥ ६७ ॥
 श्वेतः शृंगी च पदमी भवन्यस्मिन् कुज्जाचलाः ।
 एतस्मादुत्तरेणाद्वेत्युपारांकितमेस्वलात् ॥ ६८ ॥
 पूर्वपरायताः सर्वेऽप्यद्ययो यावदभुविं ।
 अन्तरा नीलनिपधौ जम्बूद्वीपस्य नाभिगः ॥ ६९ ॥
 वृत्सः पुण्यजनाकीर्यं श्रीमान् मेरुमहाचलः ।
 उदग्याम्यायते मेरोः प्राप्तभागे माल्यवान् गिरि ॥ ७० ॥
 सेवितःसिद्धनारीभिरानीलनिपधायतः ।
 सुमेरोः पश्चिमेनाद्रिग्नन्धर्वकुज्जसद्कुलः ॥ ७१ ॥
 माल्यवस्तुद्वायामो महीमृद् गन्धमादनः ।
 पर्वतावुभयान्तस्थौ हिमवान् शृगवांस्तथाः ॥ ७२ ॥
 योजनानां सहस्रे ह्रै सार्धे स्यादुच्छ्रुयस्तयोः ।
 श्वेतश्च हेमकूटमेत्यन्तयोः पृथिवीभरौ ॥ ७३ ॥
 योजनानां महस्तार्धमेककस्योच्छ्रुयस्तयोः ।
 निपधाचलनीलाद्रिमाल्यवद्गन्धमादनाः ॥ ७४ ॥
 सहस्रयोजनोच्छ्रायाश्चत्वारोऽमी पृथक्पृथक् ।
 एतेऽष्टावपि शैलेन्द्राः सहस्रद्वयविस्तृताः ॥ ७५ ॥
 उच्छ्रुयार्धमधश्चापि विक्षमनाः मह मेरुणा ।
 मेरोः समुच्छ्रौयोऽग्नीरिः सहस्राणिचतुर्मुला ॥ ७६ ॥
 पोदशाखं सहस्राणि द्वाप्रिंशन्मूर्लिन विस्तृतिः ।
 जम्बूवर्स्महान् मध्ये सुमेरोनिपवस्य च ॥ ७७ ॥
 द्वीपस्यामुप्य यदोगजजग्न्यद्वौपि हृति ध्रुतिः ।
 शृंगैर्हिमशिवानदैः सर्वतो हिमवानयम् ॥ ७८ ॥
 महान्तो निवसन्यन्त्र पिशाचा यज्ञराज्ञसाः ।
 कूटेहेममयैर्हेमकूट इत्यपनीघरः ॥ ७९ ॥
 यं सर्वतो निषेवन्ते सदा चारणगुह्यका ।
 तरस्यार्कंप्रभाजाक्षप्रतिभो निपधाचलः ॥ ८० ॥

निवसन्ति सुखं तत्र शेषवासुकितचकाः ।
 हेमाब्जकर्णिकाकारः सुमेस्मणिकन्दरः ॥ ८१ ॥
 अन्नामरा: साप्सरसस्यर्षिशद् वसन्ति ते ।
 वैहूर्यनद्वैः शिखरैर्नीलो नीलमहीधरः ॥ ८२ ॥
 कतयन्ति तपोनित्या यत्र ब्रह्मषयं स्थितिम् ।
 श्वेत. स काच्चमैः श्रृङ्गर्णोल्लेखिभिर्वृतः ॥ ८३ ॥
 दोर्दूरशालिनां यत्र निवासस्तिदशद्विषाम् ।
 महानीलमयो बर्हिपिच्छच्छायो बहिर्महान् ॥ ८४ ॥
 पितृणामालयः शृगैरुच्छृतैः शृगवान् गिरिः ।
 हिमाचलस्य याम्येन चाराबिष्वृतमन्यतः ॥ ८५ ॥
 वर्षं स्याद् भारत नाम प्रथम कामुकाकृति ।
 तुषारनिलयस्याद्वेष्टमकूटाचलस्य च ॥ ८६ ॥
 मध्ये किंपुरुषं नाम द्वितीयं वर्षमीरितम् ।
 अन्तरे हेमकूटस्य निषघस्य च भूभृतः ॥ ८७ ॥
 हरिवर्षमिति प्रोक्त तृतीयं वर्षमुत्तमम् ।
 निषधाचक्नीलाद्विमाल्यवद्गन्धभूभृताम् ॥ ८८ ॥
 चतुर्णा मध्यगं वर्षं तुर्यमस्मिन्निलावृतम् ।
 उत्तरे नीकशैलस्य याम्ये च श्वेतभूभृतः ॥ ८९ ॥
 पञ्चमं वर्षमत्यर्थरम्य रम्यकसङ्गितम् ।
 श्वेतशङ्कवतोः शैक्षराजयोरनयोरिह ॥ ९० ॥
 मध्ये पष्ठं हिरण्याशुरम्य हैरण्यकाह्वयम् ।
 अस्योत्तरे शङ्कवतो याम्ये च चारवारिधेः ॥ ९१ ॥
 कुरुवर्षाभिध वर्षमुत्तरेण प्रचक्षते ।
 अन्तरा नीलनिपधौ प्राभागे माल्यवद्गिरेः ॥ ९२ ॥
 भद्राश्वमष्टमं वर्षं प्राकूसमुद्गान्तमीरितम् ।
 गन्धमादनशैलस्य प्रत्यक् प्राक् चापराम्बुधे ॥ ९३ ॥
 नवमं वर्षमाचार्याः केतुमार्तं प्रचक्षते ।
 इति प्रोक्षानि वर्षाणि नवामूनि मया तत्र ॥ ९४ ॥
 साप्तर्तं पुनरेतेषां प्रमाणमवधारय ।
 प्रमाणेन सहस्राणि चतुर्षिराच्चतुर्दिशम् ॥ ९५ ॥
 योजनानामिहेच्छन्ति चतुरश्रमिलावृतम् ।
 प्राकप्रत्यगमागे वर्षे तस्योदग्याम्यतः समे ॥ ९६ ॥
 एकत्रिशतसहस्राणि किञ्चित् प्राकप्रत्यगायते ।
 यान्युक्तानि पदन्यानि वर्षाण्येष्टोऽवेराणि ते ॥ ९७ ॥
 तेषां नवसहस्राणि प्रत्येकं विस्तृतिमंता ।
 वर्षे किंपुरुषे नार्ये नराश्च पञ्चमोजनाः ॥ ९८ ॥

जीवन्त्ययुतमद्वानां लात्यजाग्रूनदत्तिषः ।
 हरिवर्पे नरा नार्यो वसन्तीषुरमाशिनः ॥ ६६ ॥
 सायुतं च सहस्रं ते जीवन्ति रजतत्विषः ।
 हक्षावृते नराः पश्चरागभासोद्गतास्तथा ॥ १०० ॥
 जम्बुफलरसाहाराः सपादयुतजीविनः ।
 नास्मिन् मेरुतटच्छ्रेष्ठे दारकाकेन्दुरमयः ॥ १०१ ॥
 स्वांगप्रभाभिः किन्त्वन्न कृतोद्योता वसन्त्यमी ।
 कैरवोद्वरसच्छ्राया भद्रारवे सांगना नराः ॥ १०२ ॥
 नीजाघ्रकफलाहारा भवन्त्यत्रायुतायुपः ।
 दलकुवलयश्यामाः देतुमाले शरीरिणः ॥ १०३ ॥
 शरदामयुत तेषामायुः पनसभोजिनाम् ।
 श्वेताभो रथ्यके रथ्ये न्ययोधकलभुग् जनः ॥ १०४ ॥
 हरिवर्प इव प्रोक्षमेतरिमन् मानमायुपः ।
 श्यामत्विषः स्थियो वर्षे पुरांसरच हिरण्यके ॥ १०५ ॥
 जीवन्त्ययुतमद्वानां सर्वेऽपि लकुचाशिनः ।
 कुरुध्वभीष्टदैर्वृक्षैर्जीवन्ति श्वीयुता नराः ॥ १०६ ॥
 सपादमयुत देवगर्भा गौरकान्त्यः ।
 पुरायकर्मा वसत्येषु वर्षेषु निखिज्ञो जनः ॥ १०७ ॥
 शोकब्याधिजरातक्षश्ळोन्मुक्तः सदा सुखी ।
 चमैः कीर्णनि सर्वाणि कुसुमस्तवकानन्तैः ॥ १०८ ॥
 उद्भिज्जान्निर्दीभिरच तैस्तैस्तुंगेश्च पादपैः ।
 उद्भद्रीचिमालेन जावणेनाजिज्ञना वहिः ॥ १०९ ॥
 परिच्छिप्तोऽयुक्तस्ते जम्बूद्वीपो मयाक्षिजः ।
 द्वाडशास्त्रयुनिघावन्न पृथग् भूमिभृतः स्थिता ॥ ११० ॥
 ब्रयस्त्रयो दिशि दिगि द्वारोमिस्थगितोपलाः ।
 मैनाकश्च वलाइश्च चक्रनामा च दक्षिणे ॥ १११ ॥
 नारदाह्वयो वराहाश्च सौमकाख्यश्च परिचमे ।
 उदगभारेऽपि च द्रोणकङ्कचन्द्रा इति व्रयः ॥ ११२ ॥
 धूम्रको दुन्दुभिरच्च व सांकेतिपूर्वतः ।
 सहस्रं योजनानां ते दीर्घास्तस्यार्धमुच्छ्रुताः ॥ ११३ ॥
 मरनासत्तदर्थमभ्योधौ विवृताश्च धराधराः ।
 ज्ञापाः सर्वे तुरे: शंगप्रेषिलीढविहायमः ॥ ११४ ॥
 त्प्रज्ञनौपघय, कान्तविचिन्नदुमवीर्ध, ।
 द्वीपाः शाककुशकौञ्चशालमल्प्य इति च ममाव ॥ ११५ ॥
 गोमेऽपि पुष्करास्त्यश्च पदमी यायतः रिपताः ।
 श्वीराज्यदधिमधेषुरसस्त्वाद्भमोर्यवाः ॥ ११६ ॥

द्वीपान् शाकादिकानेते परिवार्यं स्थिताः क्रमात् ।
 स्वद्वीपतुल्याः सर्वे ते प्रमाणेन यथाक्रमम् ॥११७॥
 अमी शाकादयो द्वीपा जग्द्वीपप्रमाणतः ।
 यथाक्रमं स्युद्विगुणास्तथाम्भोनिधयोऽपि च ॥११८॥
 शाके सप्ताद्यस्तेषुदयो जग्धरस्तथा ।
 नारको रैवतः श्यामो राजतोऽथाग्निकेयकः ॥११९॥
 चतुर्साह्विकस्तेषां विष्कम्भोऽधर्षसमुच्छ्रूयः ।
 तदधं भूप्रदेशश्च सेवितानां सुरर्घिमिः ॥१२०॥
 बृत्तानां द्वीपवत् तेषां बाह्यतोऽमूल्यनुक्रमात् ।
 वर्षाण्यि सन्निविष्टानि सप्त तानि ब्रवीर्म ते ॥१२१॥
 जलदाख्यं कुमार च सुकुमार मणीचक्रम् ।
 कुसुमोत्तरमोदाकीमहाद्रुमवनानि च ॥१२२॥
 कुशो विद्वुमहेमाखयौ द्युतिमानथ पुष्पवान् ।
 कुशोशयो हरिचमाभूमन्दरश्च कुक्काचलाः ॥१२३॥
 विष्कम्भोऽष्टसहस्राणि तेषां प्रत्येकमीरितः ।
 तदधंमुच्छ्रूयस्तददुच्छ्रूयाधर्षमधोगमः ॥१२४॥
 उद्दिदं वैश्युवत्सज्जं सराजमथलग्बनम् ।
 वर्षं श्रीमत प्रभाकृष्ण कपिलं पञ्चगाभिधम् ॥१२५॥
 क्रौञ्जे क्रौञ्जोऽन्धकाराश्च देवो गोविन्दवामनौ ।
 द्विविदः पुण्डरीकश्चेत्यस्मिन् सप्त कुलाद्यः ॥१२६॥
 विष्कम्भोऽयुतमेतेषां विष्कम्भाधं समुच्छ्रूयः ।
 अघोगतिस्तदधं च वर्षाणयेषां तु बाह्यतः ॥१२७॥
 कुसलाख्याएवर्षाख्ये परापतमनोनुगो ।
 मुनिवर्षान्धकाराख्ये सप्तमं दुन्दुभीति च ॥१२८॥
 गिरय शालमक्षिद्वीपे रक्तः पीतः सितस्तथा ।
 वैपुल्यमेषां द्वार्त्तिशस्तद्विष्णिं प्रचक्षते ॥१२९॥
 वैपुल्याधं समुच्छ्रूयस्तदर्धमवनौ गतिः ।
 वर्षे शान्तभयं वीतभय चेत्यत्र सस्थिते ॥१३०॥
 गोमेदे तु सुरश्चेति कुमुदश्चेति भूष्ठरौ ।
 योजनानां चतुर्पटिस्तौ सहस्राणि विस्तृतौ ।
 उच्छ्रूयो विस्तरस्याधं तदधं चाप्यधोगतिः ।
 धानकीखण्डनामास्य मध्ये वर्षमुद्दीरितम् ॥१३२॥
 अस्तयद्विः पुष्करद्वीपे मानमोत्तरसक्षितः ।
 बाह्यतो वर्षमेतस्य महावीतमिति समृतम् ॥१३३॥
 विमृतोऽष्टौ सहस्राणि शैक्षोऽयं द्वै तथायुते ।
 सहस्रशतमन्यच्च सुरतिद्विर्पिसेवितः ॥१३४॥

व्यासार्थेऽनोच्छ्रवसतस्य तदर्थेनाप्यधीतमः ।
 सुरेशानां नगर्योऽस्मिन् मया वस ! निवेशिताः ॥ १३५ ॥
 ऐन्द्री वस्त्रोक्षासारा प्राग् याम्या संयमनी ततः ।
 प्राचेतसी सुखा पश्चात् तथा सौभग्युच्चरे विभा ॥ १३६ ॥
 धर्मरत्नार्थमेतासु चत्वारश्चतस्त्रिपि ।
 तथा लोकव्यवस्थार्थं पुथग् लोकभ्रतः स्थिताः ॥ १३७ ॥
 ज्ञोकालोकाचलः स्वादुसज्जिताद् द्विगुणो वहिः ।
 स्वादूदाच्चित्प्रमाणात् स विस्ताराद् द्विगुणोपिच ॥ १३८ ॥
 समुच्चितोऽसौ नियुतं नियुतार्थमधो गतः ।
 पञ्च कोशा, प्रतिदिश नियुतानि तथा नव ॥ १३९ ॥
 तद्वच नियुतस्यार्थं मेस्मध्यात् तदन्तरम् ।
 समुद्रासितदेहार्धस्तिभ्यांशोः किरणैरयम् ॥ १४० ॥
 तत्समेन च भूम्यर्थेनावृतः परितः पुनः ।
 भौतान्यावरणान्युद्यो यस्यैतानि स्थितान्यथः ॥ १४१ ॥
 वाल्यतोऽपिच भूम्यूद्यो निविष्टानि तथानव ॥ १४२ ॥ (६, १-८४२)

(iv) खगोलीय

इति वस । तत्र प्रोक्तः सम्बिवेशोऽस्तिक्षः चित्तेः ॥ १४३ ॥
 स्थिति गतिं च कथयाम्यकर्तीनामत, परम् ।
 सूर्येन्दुचिप्पयश्चसितभौमार्किविदशार्चिता, ॥ १४४ ॥
 सप्तपंयो ध्रुवश्चेति भूमेस्त्रवं क्रमात् स्थिता ।
 चत्वारि द्वे तथा भूमेस्त्रवं सूर्यनन्दनात् ॥ १४५ ॥
 पद्मेवमन्तराण्यि स्युः सहजायां शत शतम् ।
 ग्रहान्वराण्यि यान्यन्यायवशिष्टान्यनुक्रमम् ॥ १४६ ॥
 तानि चत्वार्यपि द्वे द्वे चक्रे प्रोत्तानि माननः ।
 धरित्रीध्रुवयोर्मध्ये योजनानां चतुर्दश ॥ १४७ ॥
 नियुतानि समुसेधन्त्वैलोक्यस्य प्रकीर्तिः ।
 एकाध द्वे चतुर्क्षोऽष्टवन्तरं कोटयः क्रमात् ॥ १४८ ॥
 महोजनस्तपः सत्यलोकानामुपरि ध्रुवात् ।
 ये स्थिताः सत्यलोकोऽर्थमधस्तादेशदक्षेण गत ॥ १४९ ॥
 एका कोटिर्भवेत् तेषां पञ्चाश्चियुतान्विता ।
 अथावरणयोगोऽग्म विद्वितः (स १ प) अन्तमाना ॥ १५० ॥
 यथैवाभस्तथा तिर्यक् तथैवोर्चमणि क्रमात् ।
 वदेऽवदाः प्रवहे सूर्यः रिथत शीरांशुरुद्दहे ॥ १५१ ॥
 संपद्यानि नष्टशायावहस्याः पुनर्प्रदाः ।
 क्षम्पय परिवहे ध्रुवम्भापि परायहे ॥ १५२ ॥

प्रदक्षिणमभी सप्त मरुतो अमयन्त्यमून् ।
 मेधीभूतः स्थितो मध्ये सुमेहस्माभृति घ्रुवः ॥१५३॥
 समस्तमपि तद्वद्दं ज्योतिश्चकं अमत्यधः ।
 सप्ताश्वेनैकचक्रेण रथेन रथिनां वरः ॥१५४॥
 तेजोमयेन सततं आम्यति ज्योतिषां पतिः ।
 केतुमाले (रजन्यधं ? व्रजन्धूधं) करोत्यस्तं कुस्तवपि ॥१५५॥
 मध्यन्दिनं च भद्राश्वे (एव ? स्तं ग) च्छन् भारते रविः ।
 रसाविधपत्तसंख्यानि योजनानि निमेषतः ॥१५६॥
 सप्तविंशतिकां चाष्टौ भागान् सप्तव्यहर्षतिः ।
 योजनान्य (ध्वनंदर्सु ? विधनन्दर्तु) गुणसंख्यानि काष्टया ॥१५७॥
 नवांशकचतुष्कं च फ्रामत्यहिमदीधितिः ।
 वह्यगिनवसुखेन्द्रचमासंख्यातान्यजिज्ञीपतिः ॥१५८॥
 योजनस्य त्रिभागं च प्रयाति कल्यैकया ।
 वियरब्दव्योमभूताश्विवगुणपावकसंख्या ॥१५९॥
 योजनान्युप्तकिरणो सुहूर्तेन प्रसर्पति ।
 रात्र्यहेण सहस्राणि पञ्चाशक्षवकोट्यः ॥१६०॥
 लक्षाणि सप्तनवतिर्गतिः स्यात् तिग्मरोच्चिपः ।
 मन्येन पुष्करद्वीपस्यार्को गत्यानया व्रजन् ॥१६१॥
 नभस्तलेन पुनरप्युदयादुदयं श्रयेत् ।
 हृथ गतिरियं सम्यक् तिग्मभानोर्निरुपिता ॥१६२॥
 गति चन्द्रग्रहर्षाणां भोगं चार्काद् विभाषयेत् ।
 प्रोक्तं तत्वेत्यहोरात्रप्रमाणमधुनानय ॥१६३॥
 पञ्चमासर्तुवर्षादीन् व्यवहाराय कल्पयेत् ॥१६४॥ (२, ८४२-१०४२)

(v) भौगोलिक (Geological)—

कति देशाः कति सुव. पृथक्त्वेन निस्पिताः ।
 कार्यः क्व च कथं सज्जिवेशो जनपदाश्रयः ॥१६५॥
 व्याप्तिच्छन्दे, स्वनस्पर्शगन्धवण्ठरसादिभिः ।
 का. शस्ता निन्दताः कारच पुर यामपि भूमयः ॥१६६॥

(s) वास्तुशास्त्र का विषय (Subject)—

(i) विज्ञान के रूप में (As a Science)

अथ तेषु जयो नाम चाक्यं तद् विश्वकर्मण् ।
 धुत्वा कृताज्ञलि. ग्राह ऋग्भगम्भीरया गिरा ॥१६७॥

ज्ञानैकनिधिरप्यस्मान् यद् सहायतया किल ।
 वृषोपि तेन न चयमासमां घु मन्महे ॥१६॥
 तदिदानीं हितार्थे न; प्रजानामपि च प्रभो ! ।
 अप्सेयप्रभावस्व सर्वमाल्यातुमर्हसि ॥१६॥
 पूर्वमेकार्थवे जाते नगति प्रक्षयं गते ।
 महाभूतामरपुरीज्योतिषां कथमुद्भवः ॥१७०॥
 किमाकारा किमाधारा किंप्रमाणा च सेदिनी ।
 विस्तृतिः परिविश्वास्या वाहुल्यमपि कीदरम् ॥१७१॥
 उच्छ्रूयव्यासदीर्घत्वैः कैः ऐऽस्यां कुलभूभृतः ।
 कति उपातानि वर्णाणि द्वीपा नदोऽच्छयस्तथा ॥१७२॥
 काः सूर्येन्दुग्रहर्वादिगतयस्त्वं पृथक् पृथक् ।
 भूसेरूपरि किं चैपामन्योन्यं प्रोक्षमन्तरम् ॥१७३॥
 किमाधारं दिवि ष्योतिश्चकं अमयते च कः ।
 ज्ञोके कथं महाभूतान्यूर्ध्वादो विश्रति स्थितिम् ॥१७४॥
 युगाधमंव्यवस्थाभिः काश्चादौ लोकशृत्य ।
 कश्चादिमस्ततो राजा प्रहाणां वर्णिनां कथम् ॥१७५॥
 कति देशाः कति सुवः पृथक्त्वेन निरुपिताः ।
 कार्यः च च कथं सञ्चिवेशो जनपदाश्रयः ॥१७६॥
 इष्टकचिन्हे: स्वतन्त्रशरणं न्धवणरसादिभिः ।
 काः शस्ता निन्दिताः काश्च पुराणामपि भूमयः ॥१७७॥
 कार्यं केन विभानेन भूमृषुरनिवेशनम् ।
 किं फलं सुनिविष्टेस्मिन् दुर्लिपिटे च किं पुनः । १७८॥
 कतिमकारं दुर्गं च दुर्गकर्मकमम्बुदः ।
 किमपुरसंस्थानमनिन्यं किं च निन्दितम् ॥१७९॥
 कश्चात्रानुक्रमविभिः प्रमाणैरुपपादितः ।
 प्राकारणोपुराणालपरिखावप्रकर्म च ॥१८०॥
 तमंगनिर्गमद्वारप्रतोदयटाक्षादिभिः ।
 कीटशः प्रविभागस्त्वं रथ्याचावरथर्मन्तिः ॥१८१॥
 भूमिप्रमाणसंस्थानां सीमा च देवदिव्यपर्य ।
 नगरप्रामर्खेटानां निवेशा. स्युः पृथक् पृथक् ॥१८२॥
 पुरस्पाभ्यन्तरे पूर्वं केदद्यावश्वकमः ।
 कस्मिन् स्थाने कथं कार्यं शक्त्वजनिवेशनम् ॥१८३॥
 प्रतिसंवत्सर तस्य नियुक्तस्य कथं पुनः ।
 हिताय नृपदोकानां विभातव्यो महोर्मयः ॥१८४॥
 गृहेषु केषु केषु व्रताव व्रताव व्रताव व्रताव ।
 भागीर्द्धाणान्तरैः कैः कैः कार्या, काः काम्य देवताः ॥१८५॥

कैः कैर्यानपरीवारवर्णस्पविभूषणैः ।
 कार्याः कैः कैः सुरा वस्त्रवयोवेषायुधध्वजैः ॥१८६॥
 प्रमाणमितिसंस्थानसंख्यानोच्चूयक्तचमभिः ।
 प्रासादाः कस्य के वा स्युः सुरराजद्विजातिषु ॥१८७॥
 प्राकारपरिस्वागुप्तं पुरे स्याद् गोपुरं क्वच ।
 युगममध्याभुवेशमानि क्वच स्युः क्वमहानसम् ॥१८८॥
 कोष्ठागारायुधस्थानभाण्डागारनिवेशनैः ।
 व्यायामनृत्तसगीतस्त्रानधारागृहादिभिः ॥१८९॥
 शय्यावासगृहप्रेत्तावेशमादशंगृहैः पृथक् ।
 क्षीडादोलाक्षारिष्टगृहान्तःपुरवेशमभिः ॥१९०॥
 विटंकअमनिर्यूहकक्षासंयमनादिभिः ।
 अशोकवनिकाभिश्च जतामण्डपवेशमभिः ॥१९१॥
 वापीभिर्दारूणिगिरिभिर्शिव्राभिः पुष्पवीथिभिः ।
 पृतैर्विशेषैरन्यैश्च विचित्रैर्विपिनाश्रयैः ॥१९२॥
 मानोन्मानक्रियायामद्रव्याकृतिविनिर्मितः ।
 निकेतननिवेशः स्याद् राजां भागाश्रितः कथम् ॥१९३॥
 पुरोधःसैन्यभूषेष्टदैवचिन्तकमन्त्रिणाम् ।
 कं कं च भागं प्राप्य स्युनिवेशा नृपवेशमनः ॥१९४॥
 पुरे सुर्दिष्ट भागेषु पदभागेषु केषु च ।
 विप्राजन्यविट्शूदास्तज्जैरन्तरजैः समम् ॥१९५॥
 तथा कृषितुकाशिलपकलापश्योपजीविनः ।
 हिंसाश्रिताश्च पुरुषा निवेश्याः स्युः कथं क्वच ॥१९६॥
 निवेशाः कीदशाश्चैपां कियन्तो वा भवन्ति ते ।
 शस्यन्ते केन वा केषां कैः प्रवेशजलभ्रमैः ॥१९७॥
 धिष्यायमाद्यं कतिविधं द्रव्याख्यादानि कानि वा ।
 हेतुरेषां च सर्वेषां स्याच्च कीदग्नुक्रमः ॥१९८॥
 भजन्ते योगमन्योन्य कानि द्रव्याणि कैः सह ।
 कानि योगं न गच्छन्ति कैर्वा कः क वसेत् पुमान् ॥१९९॥
 इष्टकाकर्म किं चेष्ट कीर्तिता कतिधा च भूः ।
 परिकर्मकमस्तासां वह्यग्नुपवस्त्रैश्च कः ॥२००॥
 गुरुवर्णिष्ठजोर्वेशरदभृत्यप्रतिमा (.) पुराम् ।
 घृत्ताः के के प्रशस्ताः स्युग्रहाद्यं के च गर्हिताः ॥२०१॥
 तच्छेदस्त्रावसंभूतं शट्दिकपातगभंजम् ।
 धिज्ञायते कथ कर्तुं कारकादिशुभागुभम् ॥२०२॥
 प्रमाणं तच्छणच्छेदैः शोधितानां कथं भवेत् ।
 आहृत्य स्थापमं पूर्वं दारुणां स्थानके क च ॥२०३॥

सामान्यतोऽस्तिलानां काः काश्च जातेर्विशेषतः ।
 प्रशस्तैर्लंघमभिर्युक्ता भूमयः परिकीर्तिताः ॥२०४॥
 शस्योदारविधिः कीदृक् कीदृशं भूमिकर्मं च ।
 दिग्प्रहः सूत्रण चाधिवासमं च कथं भवेत् ॥२०५॥
 प्रमाणं मूलपादस्य शिळान्यामे च को विधिः ।
 विभज्यते कथं वेशम गालालिङ्गविभाजमः ॥२०६॥
 मानानि कानि भित्तीनां पीठानामुच्छ्याश्च के ।
 कथं तानि विकल्प्यानि वर्णानां मेखलादिभिः ॥२०७॥
 समस्तकानां स्तम्भानां द्वारस्तम्भासर्नः सह ।
 नागवीथ्युपधानानां सम करणविनिगमैः ॥२०८॥
 जयन्तीसद्ग्रहतुलाकार्यणां वास्तुनोपि च ।
 कीदृश फलकानां च प्रमाणं परिकीर्तितम् ॥२०९॥
 स्वमानात् सर्ववर्णानां तकोच्छायारतु कीदृशाः ।
 का गवाशकपोतालिवेदिकाजालकक्षियाः ॥२१०॥
 स्यूणा निसृष्टिकोस्युका मृगा (ल्योऽल्यु) पतुलास्तथा ।
 सान्तः प्राणिशिरोवशाः किंप्रमाणाः प्रकीर्तिताः ॥२११॥
 छायोदयाः किंयन्तः स्युद्धृच्छायादकमरच क ।
 अथधाणां खण्डवृत्ताना लुपानां च क्षियाः कथम् ॥२१२॥
 सीमालिङ्गदशिर (स्वाइस्वा) सां कीदृशी चावलश्वना ।
 कतिप्रकाराः प्रासादशिरसां च विकल्पनाः ॥२१३॥
 यच्चान्यदेवमादि स्यात् प्रासादभवनादिषु ।
 द्रव्यकाष्ठकलासंगि प्रमाणं तस्य कीदृशम् ॥२१४॥
 शालालिङ्गदप्रमाणानि चतुःशालेषु धामसु ।
 ज्यायोमध्ययचीयस्य मूपाभिः काष्ठलपना ॥२१५॥
 एकद्विश्रित्वुशालान्तेषां संयोगतोपि च ।
 कथं कति च वेशमानि कल्यन्त प्रविभागशः ॥२१६॥
 कथं च पोटशचतुः पष्टयेकाशीतयः शतम् ।
 सविभागा पडाना स्युः कथमत्रामरस्थिति ॥२१७॥
 आद्यो नवपदो धाम्नुरन्त्यं साहस्रिकं कथम् ।
 अग्नप्रत्यग्भागेषु केषु केषु च तस्थितः ॥२१८॥
 कथमेते सुराः सर्वे वास्तोरस्य अवस्थिताः ।
 एतद्वंशशिरसचतु तु उचित्तमूर्धमर्मसु ॥२१९॥
 जायेत् पीढा द्रव्येषु लक्षिविष्टेषु छस्य का ।
 वास्तवारभ्यप्रवेगेषु यात्राणां स्थापनेषु च ॥२२०॥
 दूरस्वप्ननिमित्ताचैः कथं ज्ञेय धुमाशुभम् ।
 द्वाषक्लियासु किंप्रेषु तथा क्षेप्यक्षियासु च ॥२११॥

योज्यं कि किमयोज्य च कि भूपभवनविषु ।
हस्तस्य लक्षणं मानसंज्ञा वै जायते कथम् ॥२२२॥
किं हव्येष्वग्निक्षम स्थात् कि च निर्युक्तक्षणम् ।
अनुक्रमेण वर्णनां वक्तिकर्म च कीदृशम् ॥२२३॥
विधेयं विधिना केन भवने च प्रवेशनम् ।
पतिते स्फुटिते जीर्णे प्लुष्टे वज्राशनिक्षते ॥२२४॥
निमग्नमग्ननिर्भिन्नप्रशीर्णेषु च वास्तुषु ।
मधुवल्मीकसंभूतौ प्रविलङ्घे च दाहणि ॥२२५॥
जायते किं फलं कुत्रि प्रायशिचक्षेत् को विधिः ।
हृत्येवमादिकमनेकविधं विधाम वेशमोपगं च पृथगाश्रयसमृतं च ।
अस्मास्वनरूपकरुणाद्वितचित्तवृत्तिर्व्याख्यातुमहंसि समस्तमनुक्रमेण ।
॥२२६॥ (५. १-६०)

(११) कला के रूप में (As an art):—

चर्तुविध स्थापत्य

स्थापत्यमुच्यतेऽस्माभिरिदानीं प्रक्रमागतम् ।
ज्ञातेन येन ज्ञायन्ते स्थपतीनां गुणागुणाः ॥२२७॥
शास्त्रं कर्म तथा प्रज्ञा शीलं च क्रियान्वितम् ।
लक्ष्यलक्षणयुक्तार्थशास्त्रनिष्ठो नरो भवेत् ॥२२८॥
सामुद्रं गणित चैव उपोतिषं छट एव च ।
सिराज्ञामं तथा शिल्प यन्त्रकर्मविधिस्तथा ॥२२९॥
एतान्यंगानि जानीयाद् वास्तुशास्त्रस्य द्विद्विमान् ।
शास्त्रानुसारेणाभ्युद्य लक्षणानि च लक्षयेत् ॥२३०॥
प्रसिद्धशास्त्रदृष्टान्तेवास्तुज्ञाम प्रसाधयेत् ।
वस्तुनः ससिरावैर्मर्मवेद्यैः सुनिश्चतैः ॥२३१॥
वास्तुद्वारचणान् भूय सर्वान् जानाति शास्त्रतः ।
यस्तु शास्त्रमविज्ञाय प्रयोक्ता स्थपतिर्भवेत् ॥२३२॥
हन्तव्यः स स्वयं राजा मृत्युवद् राजहिंसकः ।
मिथ्याज्ञानादहंकारी शास्त्रे चैवाकृतश्रमः ॥२३३॥
अकाक्षमृत्युलोकिस्य विचरेद् वसुधातले ।
यस्तु केवलशास्त्रज्ञ कर्मस्वपरिनिष्ठिः ॥२३४॥
स मुहूर्यति कियाकाले दृष्ट्वा भीशरिवाहवम् ।
केवल कर्म यो वेत्ति शास्त्रायं नाधिगच्छति ॥२३५॥
सोऽच्चुरिव नीयेत् विवशोऽन्येन वर्त्मसु ।
कर्म वास्तुविधेः स्थामं मानसुन्मानमेव च ॥२३६॥

क्षेत्रजा (दिग्नि) च कर्माणि लुमालेस्ता (चर्णच) तुर्देश ।
 च (स्वार्थ) रो गरिडकाञ्जेदान् वृत्तच्छेदेयु सप्तसु ॥२३७॥
 सुशिष्टां सन्विसन्धामैरथरोत्तरसयुतम् ।
 याह्वेरेखान्वितं शुद्धं यो जानाति स कर्मवित ॥२३८॥
 शास्त्रकर्मसमर्थोऽपि स्थपति, प्रज्ञया विना ।
 फलेयुः कर्मभिरन्याभिः (१) स्यान्निर्मद हच द्विपः ॥२३९॥
 प्रखुपत्तन्मतिर्यः स्याद् वाह (तः१क) स्थपतिस्तथा ।
 कर्मकाले न मुहूर्येत स प्रज्ञानेनोपवृ हितः ॥२४०॥
 अप्रज्ञेये दुरालोकं गृदार्थं वहुविस्तरम् ।
 प्रज्ञापोतं समाख्यं प्राज्ञो वास्तुनिरं (धिं) तरेत ॥२४१॥
 ज्ञानवांश्च तथा वाग्मी कर्मस्वपि च निष्ठितः ।
 एवं युक्तोपि न श्रेयान् यदि शीकविचर्जितः ॥२४२॥
 रोपाद् द्वेषात् तथा ज्ञोभान्मोहाद् रागात् तथैव च ।
 अन्यचिन्त्यत्वमायाति हु. शीकानामविद्यान् (१) ॥२४३॥
 शीलवान् पूजितो लोके शीलवान् साधुसमतः ।
 शीलवान् सर्वकर्माहः शीलवान् प्रियदर्शनः ॥२४४॥
 शीलाधाने परं यक्षमा (घिर्ति) एते स्थपतिः सदा ।
 ततः कर्माणि सिद्धन्ति जनयन्ति शुभानि च ॥२४५॥
 तथाचाप्टविघं कर्म ज्ञेयं स्थपतिना सदा ।
 आज्ञेयं लेख्यजात च दारकर्मचयस्तथा ॥२४६॥
 पापाणसिद्धहेत्ना च शिल्पं कर्म तथैव च ।
 पूर्भिरुणैः समायुक्तः स्थपतिर्योति पूज्यताम् ॥२४७॥
 स्यापत्यमगैरिदमप्यभिर्यश्चतुर्विघं वैक्ति विशुद्धवुद्दिः ।
 स शिल्पिनां सप्तदि जन्मपूजः परां प्रतिष्ठा ज्ञभते चिरायुः ॥२४८॥

(४७. १-२२)

आष्टांग स्थापत्य—

प्रोक्तं चतुर्वा स्थापत्यं चास्तुतावस्य सिद्धये ।
 ग्रूमस्तदेव चेदानीमगैः सयुक्तमप्टभिः ॥२४९॥
 तेऽन्वयं प्रथमं प्रोक्तं वास्तुपुंसो विकल्पना ।
 पुरस्य विनिवेशस्तु द्वितीय द्वारकर्म च ॥२५०॥
 रप्याविभागः प्राकारनिवेशोऽटालकस्य च ।
 विनिवेशः प्रतोज्जीवां विभागस्थानकानि च ॥२५१॥
 प्राप्ताद्वच्च तृतीयं स्याच्चतुर्यं तु खण्डोच्चिद् ति ।
 पञ्चमं नृपत्तेवेशम स्यानान्तरदिभिः च ॥२५२॥
 चतुर्वर्णर्यविभागस्य गृहभागस्य पष्टकम् ।
 सप्तमं गत्रमानस्य शाकायां मानमीरितम् ॥२५३॥

यज्ञवेदीप्रमाणं च कोटिहोमविधिस्तथा ।
 अष्टमं राजशिविरनिवेशो दुर्गकर्म च ॥ २५४ ॥
 यो वेत्यगाय्यमून्यष्टौ सोऽत्र स्थपतिसत्तमः ।
 यशो मामं स लभते पूज्यते च नराधिपैः ॥ २५५ ॥
 अशाक्षमकर्मजं स्थपति यः प्रयोजयेत् ।
 न तस्य वास्तु सिध्येत् सिद्धमप्यसुखावहम् ॥ २५६ ॥
 तस्मात् कर्म च शास्त्रं च यो वेति द्वितयं नरः ।
 अष्टांगमपि यो वेति स राज्ञः स्थपतिर्भवेत् ॥ २५७ ॥

(४५. १-६)

द्वितीयपटल

पुर-निवेश

(औपोद्घातिक)

(अ) देशचयन एवं भू-परीक्षा Regional survey and the examination and selection of the site:—

(i) देश एवं देश-भूमियौ

देशाश्च देशभूम्यश्च समासात् तत्र सम्प्रति ।
 तत्संख्या तद्विभागश्च प्रोत्यन्तेऽवहितः शृणु ॥ २५८ ॥
 देशः स्याउजांगलानूपसाधारणतया त्रिभा ।
 त्रिविधस्याध्यथैतस्य यथावर्त्तनाम कथ्यते ॥ २५९ ॥
 दूराग्न्विरियप्रायो हस्तकण्ठकिपादपः ।
 रुचोष्णाचण्डपवनः कृष्णमृत तेषु जांगलः ॥ २६० ॥
 निमो भूरित्तलं स्तिंग्वो चहुमस्यामिषो हिमः ।
 स्यादनूपः सरित्यायः स्तिंग्वोच्छ्रुतवहुदुम् ॥ २६१ ॥
 यः पुनर्नोतिशीतोष्णः स्याद् देशद्वयलक्षणः ।
 स साधारण हस्युक्तो देशो देशविशारदैः ॥ २६२ ॥
 जागज्ञादिषु देशेषु त्रि (पुरयेरुद्यये) पु स्वलक्षणैः ।
 युक्ता पोडश विज्ञेया भूमय ग्रविभागतः ॥ २६३ ॥
 वालिशस्वामिनी भोग्या सीतागोचररच्छिष्णी ।
 अपाग्रथवती कान्ता खनिमत्यासमधारिषी ॥ २६४ ॥
 वणिकदसाधिता द्रव्यसम्पत्तामित्रवातिनी ।
 आन्रेणीपुरुषा शक्यमामान्ता देवमातृका ॥ २६५ ॥

धान्या हस्तिवनोपेता सुरक्षा चेति पोटश।
भुज. संज्ञाभिहृषिणा लक्ष्मासामय कथ्यते ॥२६६॥ (८. १-६)

(ii) देश-चयन एवं सुरस्य देश (Land and Landscape):—

घातुस्यन्दोषक्षमत्वाद्गुलमज्जावृत्तैः ।
उत्सगिवाः पृथुशिक्षैः समन्तादवनीधरैः ॥२६७॥
तीर्थावतारकांताभिः स्वादुतोयभिरावृता ।
नदीभिः पुक्तिनप्रान्तैविविग्रहमशालिभिः । २६८ ।
कोकिलालापसुभग्नैर्मधुमत्तालिशालिभिः ।
विचित्रफलधृष्टप्याद्यैः कान्तैरपशोभिताः ॥२६९॥
दलत्कुवलयश्रेणीकणन्मधुपहारिभिः ।
सरसीदेवस्वातार्थ्यैर्भूषिताः प्राज्यवारिभिः ॥२७० ।
समैः सुगन्धिभिः स्वादुशितैः कान्तैरमङ्गुरैः ।
क्षेत्रैवित्तसीमान्तैः सरस्यनिष्पादिभिर्वृता ॥२७१॥
निष्करणकाशस्वल्मीकैः प्रभूतयवसेन्धमैः ।
विभक्तस्तेवसीमान्तैर्गोचरैरहपशोभिताः ॥२७२॥
स्थले तृणसमुदायामन्तरेषु वसुन्धराः ।
प्रशस्यन्ते समासज्जात्मादुशीतलचारयः ॥२७३॥
दुरात्मनामधृष्या यास्तथानेकाश्रयान्विताः ।
संरम्भत्रासनिर्युक्त मनश्च रमयन्ति याः ॥२७४॥
तास्वेवगुणयुक्तासु महोषु विनिवेशयेत् ।
यथाम्याम जनपदान् खेटप्रामपुरादि च ॥२७५॥ (८. २७-३५)
स्तिग्धाः सारभृत् शुद्धा प्रदक्षिणाजलाशयाः ।
बहूदकास्तच्छङ्गा नियिडा प्रागुदक्षिणावाः ॥२७६॥
दूर्वास (स्तवी? श्यौ) पञ्चमुन्नजकुरुल्लक्षणयल्कलैः ।
परितः परिणद्वारच म्बुदुस्वच्छ्रित्यसोदकाः ॥२७७॥
वास्तुयज्ञामरस्थानाद्यारामोद्यानमंभृता ।
तटाकवापीस्थामैश्च याः समन्तादवक्षुताः ॥२७८॥
या पाइनानां सुरयदा मिथुनानां रतिप्रिठा ।
पुरार्थं ताः प्रशस्यन्ते भूमयो जनितधिय ॥२७९॥ (८. ४०-४३)

(iii) विविध भूमिय—चयन एवं परीक्षण Different soils and their selection and Examination.—

सिता रक्षा च पीता च कृशा चैव क्रमान्मही ।
विशादीनां द्वि चरणानां सर्वेष मथवा दिता ॥२८०॥

स्वादुः कथाया तिक्ता च कटुका चेत्यनुकमात् ।
 वर्णानां स्वादतः शस्ता सर्वेषां मधुराथवा ॥२८१॥
 घमोगमे हिमस्पर्शा या स्यादुप्ष्या हिमागमे ।
 प्रावृष्ट्युष्यहिमस्पर्शा सा प्रशस्ता वसुन्धरा ॥२८२॥
 मृदंगवल्जकीवेषुदुन्दुभीनां समा ध्वनौ ।
 द्विपा (बौद्ध्यश्वान्धि) समस्वाना चेति स्युभूमयः शुभा ॥२८३॥
 (द. ४८-४९)

(IV) मृत्तिका-परीक्षा

करप्रमाणं कुर्वात खातं तद्भूमिमध्यगम् ॥२८४॥
 ततस्तन्मृदमाकृष्य तत्त्वं तयैवानुपूरयेत् ।
 खाताधिकमृदुक्ता भूः अष्टौ मध्या च तत्समा ॥२८५॥
 प्रहीणखातमृदृ त्तोणी हीना शस्ता न सा नृणाम् ।
 खन्यमाने यदा खाते तन्मृदोऽन्तर्विक्तोऽस्यते ॥२८६॥
 मणिशङ्कप्रवालादि तदातिश्रेयसी त्तिः ।
 सापि प्रशस्यते भूमियस्यां स्युः खातपांसवः ॥२८७॥
 तुषकेशोपलाङ्गारभस्मास्थिलवजिताः ।
 भृत्यादिः खातमापूर्णे तस्मिन् पदशतं वजेद् ॥२८८॥
 तावच्चेदागमेऽभ्यः स्यात् तदा भूः सार्वकामिकी ।
 मध्यमात्रं प्रहीणे स्यात् ततो हीनतरेऽधमा ॥२८९॥
 खाते सितादिमाल्यानि यस्यां निश्चयितानि च ।
 यद्यर्णानि न शुष्यन्ति सा तद्व्येष्टिदा भवती ॥२९०॥
 खातस्योटकप्रभृतिपु दिक्षु प्रज्वालयीत वा ।
 दीपान् यस्यां चिरं तिष्ठेत तद्व्येष्टिप्रदा हि सा ॥२९१॥
 इत्येव कीर्तिः कास्त्व्याह्वच्चमभिः पुरभूमयः ।
 खर्वाटग्रामखेटानामेता एव स्मृता हिवाः ॥२९२॥ (द. ६६५-७५)

v. मान्योजना The standards of measurements:

(1) हस्त-विभाजन

रेणवट्टरेन वालाग्रं लिङ्गा स्यादृभिस्तु तैः ।
 भवेद् युक्ताधिभित्ताभिर्यवमध्य तदृष्टकात् ॥२९३॥
 अष्टभिः सप्तभिः पद्भिरद्युलानि यवोदरैः ।
 उच्चलमध्यस्त्रिष्टिः तत्त्वतृविंशतिः वरः ॥२९४॥
 सोऽष्टभिः पवभियुक्तः करः कार्यां विज्ञानता ।
 करस्याधं चतु-पर्वं शेषं स्याद् भक्तमद्युलैः ॥२९५॥
 तत्राप्ते पर्वरेखा । स्युस्तिनः पुष्पकभूषिताः ।
 शेषावद्युलरेगसु पुष्पाणि विदधीत न ॥२९६॥

अत्रार्थं मध्यनः कार्यं द्वेधा पञ्चमद्गुलम् ।
 मै त्रिधात्रम् कार्यं चतुर्धा द्वादशं ततः ॥२६७॥
 हस्तः स्वाड्गुलमानेन विधेयाद्गुल (मि१६) प्यते ।
 तत् सार्थं द्विगुणं वापि याहृत्ये तु तदर्थतः ॥२६८॥ (६. ४-६)

(॥) मान-विभाजन

स्यादेकमद्गुलं मात्रा कला प्रोक्ताद्गुबद्यम् ॥२६६॥
 पर्वं त्रीरथद्गुलान्याहुर्मुष्टिः स्याच्चतुरद्गुला ।
 तल स्थात् पञ्चमिः पदमि, करपाटाद्गुलैभंवेत ॥३००॥
 सप्तमि (हृष्टिं) द्विरथाभिरद्गुलैस्तूलिणिष्यते ।
 प्रादेशो नवमिस्तैः स्याच्छ्यताको दशाद्गुलः ॥३०१॥
 गोकर्णं एकादशभिर्वितस्तद्वादशाद्गुला ।
 चतुर्दशभिरुद्दिष्ट, पादो नाम तथाद्गुलैः ॥३०२॥
 रत्न, स्यादेकविशस्या स्पादःति, करोन्मित, ।
 द्वाच्चवारिंशता किञ्चुरद्गुलैः परिकीर्तिः ॥३०३॥
 चतुरुत्तरयाशीरया व्यामः स्यात् पुरुपस्तया ।
 परणवत्याद्गुलैरचापं भवेन्नाटीयुग तथा ॥३०४॥
 शतं पदुत्तर दशदो नलवट्टि शद्दत्तुर्मितः ।
 फ्रोशो धनुसहस्रं तु गव्यूतं तदद्य विदुः ॥३०५॥
 चतुर्गन्व्यूतिमिच्छन्ति योजनं मानवेदित, ।

मान-संख्या

एक दश शतमस्मात् सहस्रमनु चायुतम् ॥३०६॥
 नियुत श्रयुत तस्माद्वृद्यन्वर्दुदे अपि ।
 चृन्दखर्वनिवर्वाणि जंकुपदमाभ्युराशयः ॥३०७॥
 ततः स्यान्मध्यमन्तर्यं च परं चापरमप्यतः ।
 परार्थं चेति विज्ञेयं दशवृद्ययोत्तरोत्तरम् ॥३०८॥
 सख्यांस्थानानि कथितान्येवमेतानि विशितिः ॥३०९॥

(६. ३६३-४०१)

(॥) मान प्रयोग

विभागायामविस्ताराः रेटग्रामपुरादिषु ॥३१०॥
 प्राप्ताद्वेशपरिलाद्वारध्यासभादिषु ।
 मर्गाश्च निर्गमा (ये१६) पां सोमवेशान्तराणि च ॥३११॥
 यनोपयनमागाश्च देशान्तरविभक्तग ।
 योजनकोशगच्छ्रुतिप्रनाणमपि धाप्तनः ॥३१२॥
 प्राशयेन प्रमात्रायाः सातकक्षराशयः ।
 गजोच्छ्रूपान् मूलपादान् जज्ञोदेशानपि, भित्तेः ॥३१३॥

तथा दोक्षान्दुरात्मादि पातसानविनिरंयस् ।
 शैक्षातनिकेतानि तुहंगासानमान्तरस् ॥३१४॥
 साधारणेन वाच्यध्वमानं च परिकल्पयेत् ।
 आयुधानि धनुर्दण्डान् यातं शयनमासनन् ॥३१५॥
 प्रमाणं कूपवापीनां गजानां वाजिनां तृष्णान् ।
 अरघटे उपन्नाति तुगदूपहलानि च ॥३१६॥
 शिल्पुपस्करनौद्विवजातोद्यानि यानि च ।
 वृसीङ्गर्नेमकरणपटवानःदिकं च यत् ।
 नल्लवदण्डात्तथामात्राशयहस्तेन मापयेत् ॥३१७॥

(६.३०५-३१)

स. पद-विन्यास (Site plans):—

(१) वास्तुत्रय

एकाशीतिपदो य. स्याद् तथा शतपदश्च यः ।
 चतुःषष्ठिपदो यस्च वास्तुरत्र त्रिभोदितः ॥३१८॥(१३ १)

(२) वास्तु-प्रयोग

वर्णिनां भवनादीनि निवेशा राजवेशमनाम् ।
 एकाशीतिपदेनेन्द्रस्थानं च विभजेत् सुधीः ॥३१९॥
 प्रासादा विविधास्तद्वद् विचित्राशचात्र मण्डपाः ॥
 तान् मापयेच्छुतपदप्रविभगेन त्रुदिमान् ॥३२०॥
 यः पुनः स्याच्चतुःषष्ठिपदस्तेन विभाजयेत् ।
 नरेन्द्रशिविग्रामखेटादि नगरादि च ॥३२१॥(१३.३-५)

य. नगर-प्रभेद

नगरं मन्दिरं दुर्गं पुष्करं साम्परायिकम् ।
 निवासः सदम् सदम् च्यः त्रितिक्षयस्तथा ॥३२२॥
 यत्रास्ते नगरे राजा राजधानीं तु तां विदुः ।
 शाखानगरमङ्गानि ततोऽन्यानि प्रचक्षते ॥३२३॥
 शाखानगरमेवाहुः कर्वटं नगरोपमम् ।
 ऊः कर्वटमेवेह गुरुर्निंगम उच्यते ॥३२४॥
 ग्रामः स्थानिगमादूनो ग्रामकल्पो गृहस्वसौ ।
 गोकुलावाममिच्छन्ति गोष्ठमल्प तु गोष्ठकम् ॥३२५॥
 उपस्थाम् भवेद् राजां यत्र तत्र पक्षम् विदुः ।
 वहुस्फीतवणिग्रुक्तं तटुकं पुटभेदनम् ॥३२६॥

विधाय कुटिका यन्न पत्रशाखात् योपलैः ।
 पुक्तिन्दाः कुर्वते चासंप लक्षी स्वल्पा तु पदिलका ॥३२७॥
 नगरं वर्जयित्वान्यत् सर्वं जनपदः समृतः ।
 नगरेण सम कृत्स्नं राष्ट्रं देशोऽय मरण्डलम् ॥३२८॥(१०.१-७)

राष्ट्राय निवेश में ग्राम-निवेश की इकाई (unit)

Town planning as a unit of National planning:

नगरस्य विभागोऽय यथावत् समुदीरितः ।
 लेटं तदर्थविष्कम्भमाहुर्ग्रामं तदर्थतः ॥३२९॥
 प्रोज्जनेन पुरात् लेटं लेटाद् ग्राम प्रचक्षते ।
 गव्यूतिपरिमाणेन ग्रामाद् ग्रामं प्रचक्षते ॥३२०॥
 द्विक्रोशाद् विपये सीमा तदधेन पुरस्य सा ।
 लेटके पुरसीमाध ग्रामे लेटार्थतः सृष्टा ॥३२१॥
 त्रिशद्द्वासुंपि विष्कम्भः पुरे दिववर्मसु स्मृतः ।
 विशतिः लेटके मार्गे ग्रामे दश च दर्शितः ॥३२२॥
 नव ग्रामसहस्राणि नवरिति (श्चृन्च) प्रचक्षते ।
 चतुर्षष्टिमपि ग्रामान् उपायो राष्ट्रं चिदुर्भाः ॥३२३॥
 दशाधं च सहस्राणि ग्रामाणां त्रिशती तथा ।
 ग्रामारचन्तुरशीतिश्च मध्यमं राष्ट्रमीरितम् ॥३२४॥
 सहस्रमेक ग्रामाणा तद्वच्च शतपद्मकम् ।
 द्वाना च ग्रामपद्माशद् कनीयो राष्ट्रसुच्यते ॥३२५॥
 अध्यधंसंख्ययैतेषां जयेष्टमध्यकनीयसाम् ।
 विधाय नवघैकैकं चिभजेद् विधिवत् सुभीः ॥३२६॥
 राष्ट्रेष्वेवं विभक्तेषु यथाभागं विधानविद् ।
 निवेशयेत् पुराण्येषु सप्त सप्त यथागमम् ॥३२७॥(१०.७६-८७)

ल. देवगायन Temples—Temple cities

निवेशनानि कुर्वति त्रिदशानां यथाक्रमम् ।
 नगराभिसुखं चित्रिवनमान्निं शुभानि च ॥३२८॥(१०.९१०)

ब. आरामोषानन्दिनियोजन—Gardens Orchards and pools etc.—

Garden-cities

पृष्ठं सरोक्ष्य परिभाग्निरुपं परितोऽन्मभिः ।
 विषेयभिष्टकाभिग्नां सन्यगद्वलं सियम् ॥३२९॥

(२५४)

सिराचारिभिरपूर्णं पूर्णं वागमिनाभ्यसा ।
 विचित्राभ्यमनोहारि संसंग्राहाभ्युनिर्गमम् ॥३४०॥
 सर्वपाश्वेष्वथैतस्य गन्धान्धमधुपांगनान् ।
 सुमनोविटपारामान् कुर्याद् वासान् समुस्युकान् ॥३४१॥
 वाहाभागं पुनरत्स्य विद्ययात् सर्वतोदिशम् ।
 द्रुममूलैर्लंताजालैः कण्ठकैरपि संवृतम् ॥३४२॥(१०.२२-२४)
 दृष्टादृष्टेष्वभोगार्हान् सरिदिगरिजक्षाशयान् ।
 पञ्चद्वाराणि कुर्वीत स्वेच्छया तत्र तत्र च ॥३४३॥
 जलध्रमान् पुरे कुर्याच्छ्वलादाहृतिरोहितान् ।
 द्विकरान् करमधं वा साभ्यसोऽस्मिन् प्रदक्षिणान् ॥३४४॥

(१०. ४१-४२)

श. प्राकारादि-विन्यास Fortification

पुरस्य त्रिविघस्यापि प्रमाणमय ऋथते ।
 प्राकापरिखाद्वालद्वाररथ्याध्वमिः सह ॥३४५॥(१०.१

ष. गर्हितपुर Inauspicious towns

छिक्षकर्णं विकर्णं च वज्रं सूचीमुख तथा ।
 वर्तुलं व्यजनाकारं चापाङ्गतिथरं च यत् ॥३४६॥
 शकटद्विसमं यज्ञव विस्ताराद् द्विगुणायतम् ।
 विदिकस्थं सर्पचक्रं च तद् पुरं निन्दितं भवेत् ॥३४७॥(१०. ४३-४४)

सर्वाधिकार सुरक्षित

अन्य-प्रासि-स्थानः—

- प्रधान केन्द्र : १—शुक्ला प्रिंटिंग प्रेस, नजीरावाद, लखनऊ ।
- २—C/O प्रो० डी० यन० शुक्ल, फैजावाद रोड, लखनऊ ।
- ३—लखनऊ के विख्यात हिन्दी बुकसेलर्स ।

टिं०—उत्तर-प्रदेश राज्य की सहायता ही के कारण इस अनुसन्धान-अन्य का मूल्य इतना कम रखा गया है ।

